पहला अध्याय

राज्य सरकार की वित्त व्यवस्था

पहला अध्याय

राज्य सरकार की वित्त व्यवस्था

1.1 प्रस्तावना

राज्य सरकार के लेखे तीन भागों में रखे जाते हैं (i) समेकित निधि (ii) आकस्मिकता निधि और (iii) लोक लेखा **(परिशिष्ट 1.1-भाग क)**। मध्यप्रदेश सरकार के वित्त लेखे उन्नीस विवरण पत्रों में रखे जाते हैं जो मध्यप्रदेश राज्य की समेकित निधि, आकस्मिकता निधि तथा लोक लेखे में प्राप्तियों एवं व्यय, राजस्व के अतिरिक्त पूंजी को प्रदर्शित करते हैं। वित्त लेखे के अभिन्यास को **परिशिष्ट 1.1-भाग 'ख'** में चित्रित किया गया है।

मध्यप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 (2000 के क्रमांक 28) के अनुसार पूर्ववर्ती मध्यप्रदेश राज्य के 16[1] जिलों से 'निश्चित दिवस' 1 नवम्बर 2000 को नया छत्तीसगढ़ राज्य गठित किया गया। निश्चित दिवस के तत्काल पूर्व के संयुक्त मध्यप्रदेश राज्य की परिसम्पत्तियों एवं देयताओं का विभाजन तथा अन्य वित्तीय समायोजन भी प्रत्येक प्रकरण में उपर्युक्त अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कार्यान्वित किये जा रहे हैं । इस दिशा में वास्तविक प्रगति **परिशिष्ट 1.2** में दर्शाई गई है।

1.1.1 प्राप्तियों एवं संवितरणों का सारांश

सारणी - 1 में वर्ष 2006-07 के लिये मध्यप्रदेश सरकार की वित्तीय स्थिति का सारांश दिया गया है जिसमें राजस्व प्राप्तियां एवं व्यय, पूंजीगत प्राप्तियां एवं व्यय तथा लोक लेखे प्राप्तियाँ/संवितरण समाविष्ट हैं जो कि वित्त लेखे के विवरण पत्र-1 एवं अन्य विस्तृत विवरण-पत्रों से प्रकट हुये हैं।

सारणी -1 वर्ष 2006-07 के लिये प्राप्तियों एवं संवितरणों का सारांश

(करोड़ रूपये में)

2005-06	प्राप्तियां	2006-07	2005-06	संवितरण	2006-07		
			भाग-क: राजस्व				
					आयोजनेतर	आयोजना	योग
20596.79	I. राजस्व प्राप्तियां	25694.28	20563.47	I. राजस्व व्यय	16910.53	5452.08	22362.61
9114.70	कर राजस्व	10473.13	7593.71	सामान्य सेवायें	8602.36	(-)0.25	8602.11
2208.20	कर भिन्न राजस्व	2658.46	6658.34	सामाजिक सेवायें	4650.13	2926.35	7576.48
6341.35	संघकरों/शुल्कों का अंश	8088.54	5194.70	आर्थिक सेवायें	2567.09	2313.08	4880.17
2932.54	भारत सरकार से अनुदान	4474.15	1117.32	सहायता अनुदान/अंशदान	1090.95	212.90	1303.85

1 *बस्तर, बिलासपुर, दंतेवाड़ा, धमतरी, दुर्ग, जाँजगीर-चांपा, जशपुर, कांकेर, कवर्धा, कोरबा, कोरिया, महासमुंद, रायगढ़, रायपुर, राजनांदगाँव तथा सरगुजा*

भाग-ख:पूंजीगत							
--	**II विविध पूंजीगत प्राप्तियां**	**9.19**[2]	6623.28	**II पूंजीगत परिव्यय**	314.54	4855.40	5169.94
2851.98	*III. ऋणों एवं अग्रिमों की वसूलियां*	28.12	834.45	III संवितरित ऋण एवं अग्रिम	689.39	263.68	953.07
5160.65	IV सार्वजनिक ऋण प्राप्तियां	4602.97	953.96	IV सार्वजनिक ऋण का पुनर्भुगतान	--	-	1731.53
29037.68	V लोक लेखा प्राप्तियां	32225.38	28095.77	V लोक लेखा संवितरण	--	-	30768.82
--	VI अंतर्राज्यीय परिशोधन	1.11	--	VI अंतर्राज्यीय व्यवस्थापन	--	-	1.33
--	VII आकस्मिकता निधि	68.15	8.14	VII आकस्मिकता निधि में विनियोजन	--	-	60.00
259.84	**प्रारंभिक रोकड़ शेष**	827.87	827.87	**अंतरोकड़ शेष**	--	-	2409.77
57906.94	***योग***	***63457.07***	***57906.94***	**योग**	***17914.46***	***10571.16***	***63457.07***

पूर्व वर्ष की तुलना में वर्ष 2006-07 के दौरान निम्नांकित मुख्य परिवर्तन हुये है:-

- राजस्व प्राप्तियों में मुख्यतया 5097 करोड़ रूपये की वृद्धि संघ करों और शुल्कों के अंश (1,747 करोड़ रूपये), भारत सरकार से अनुदान (1,541 करोड़ रूपये), कर राजस्व (1,358 करोड़ रूपये) और गैर-कर राजस्व (450 करोड़ रूपये) में वृद्धि के कारण हुई है ।

- राजस्व व्यय में 1,799 करोड़ रूपये की वृद्धि हुई जबकि पूंजीगत व्यय में 1,453 करोड़ रूपये की गिरावट रही ।

- ऋण और अग्रिमों की वसूली पूर्व वर्ष में 2,852 करोड़ रूपये से तेजी से घटकर चालू वर्ष के दौरान 28 करोड़ रूपये रह गई । वित्त लेखे में 2005-06 के दौरान मध्य प्रदेश राज्य विद्युत मंडल से 2,749.36 करोड़ रूपये की वसूली दशाई गई थी तथा वर्ष के दौरान उत्तराधिकारी कम्पनियों में निवेश के रूप में उक्त राशि का समायोजन सूचित किया गया था । राज्य सरकार द्वारा ऋणों एवं अग्रिमों के संवितरण में मुख्यतः ऊर्जा क्षेत्र (476 करोड़ रूपये) के कारण 119 करोड़ रूपये की वृद्धि हुई जिसका विविध सामान्य सेवाओं के अन्तर्गत ऋणों (299 करोड़ रूपये) में कमी के द्वारा आंशिक तौर पर प्रतिसंतुलन किया गया ।

- लोक ऋण प्राप्तियों में, मुख्यतः 695 करोड़ रूपये तक आंतरिक ऋण में कमी के कारण, पूर्व वर्ष की तुलना में 558 करोड़ रूपये की कमी हुई जिसका भारत सरकार द्वारा ऋणों एवं अग्रिमों में वृद्धि के द्वारा आंशिक प्रतिसंतुलन किया गया । लोक ऋण के पुनर्भुगतान में मुख्यतः (क) भारत सरकार से ऋणों एवं अग्रिमों (328 करोड़ रूपये), (ख) भारतीय रिजर्व बैंक की राष्ट्रीय कृषि साख निधि से ऋणों (65 करोड़ रूपये), (ग) बाजार ऋणों (40 करोड़ रूपये) तथा

2 *सहकारी बैंक द्वारा सेवानिवृत्त पूँजी की निवेश राशि की जमा को दर्शाता है तथा मुख्य शीर्ष-4000 को आकलित होता है ।*

(घ) विद्युत बंध-पत्रों के पुनर्क्रय (314 करोड़ रूपये) के बढ़े हुये पुनर्भुगतानों के कारण 778 करोड़ रूपये की वृद्धि हुई ।

- लोक लेखा प्राप्तियों में 3188 करोड़ रूपये की वृद्धि हुई तथा संवितरण में 2,673 करोड़ रूपये की वृद्धि हुई, परिणामस्वरूप लोक लेखा प्राप्तियों में 515 करोड़ रूपये की शुद्ध वृद्धि हुई ।

- उपर कथन की गई निधियों के अन्तःप्रवाह/उत्प्रवाह के परिणाम स्वरूप 2006-07 की समाप्ति पर राज्य के रोकड़ शेष में पूर्व वर्ष की तुलना में 1582 करोड़ रूपये की वृद्धि हुयी।

1.1.2 मूल संकेतकों के अनुसार राज्य की राजकोषीय स्थिति

पूर्व वर्ष की तुलना में चालू वर्ष के दौरान राज्य सरकार की राजकोषीय स्थिति,जो मूल राजकोषीय संकेतकों से प्रतिबिम्बित हुई है, **सारणी-2** में दी गई है ।

सारणी -2

(करोड़ रूपये में)

2005-06	क्रम संख्या	मुख्य शीर्ष योग	2006-07
20597	**1.**	**राजस्व प्राप्तियां (2+3+4)**	**25694**
9115	2.	कर राजस्व	10473
2208	3.	कर भिन्न राजस्व	2658
9274	4.	अन्य प्राप्तियाँ	12563
2852	**5.**	**ऋणेतर पूँजीगत प्राप्तियाँ**	37
2852	6.	जिनमें से ऋणों की वसूली की गई	28
23449	**7.**	**कुल प्राप्तियाँ (1+5)**	25731
20070	**8.**	**योजनेतर व्यय (9+11)**	17915
16351	9.	राजस्व लेखे पर	16911
3422	10.	जिसमें से ब्याज भुगतान	4029
3719	11.	पूँजीगत लेखे पर	1004
796	12.	जिसमें से ऋण संवितरित किये गये	689
7950	**13.**	**आयोजना व्यय (14+15)**	10571
4212	14.	राजस्व लेखे पर	5452
3738	15.	पूँजीगत लेखे पर	5119
38	16.	जिसमें से ऋण संवितरित किये गये	264
28020	**17.**	**कुल व्यय (8+13)**	**28486**
(+)34	**18.**	**राजस्व अधिशेष (+)/घाटा (-) (1-9-14)**	**(+)3331**
(-)4571	**19.**	**राजकोषीय अधिशेष (+)/घाटा (-) (1+5-17)**	**(-)2755**
(-)1149	**20.**	**प्राथमिक अधिशेष (+)/घाटा(-) (1+5-17-10)**	**(+)1274**

राजस्व व्यय में केवल 8.75 प्रतिशत (1,799 करोड़ रूपये) की तुलना में 2006-07 के दौरान राजस्व प्राप्तियों में 24.75 प्रतिशत (5,097 करोड़ रूपये) की वृद्धि के परिणामस्वरूप राजस्व अधिशेष 2005-06 में 34 करोड़ रूपये से बढ़कर 2006-07 में 3,331 करोड़ रूपये हो गई। वर्ष के दौरान राजस्व अधिशेष में 3,297 करोड़ रूपये की वृद्धि हुई जबकि गैर ऋण पूंजी प्राप्तियों में तेजी से 2,815 करोड़ रूपये की गिरावट

हुई, ऋणों एवं अग्रिमों के संवितरण में 119 करोड़ रूपये की वृद्वि के साथ पूंजीगत व्यय में 1,453 करोड़ रूपये की गिरावट होने से पूर्व वर्ष की तुलना में 2006-07 में राजकोषीय घाटे में 1,816 करोड़ रूपये का सुधार हुआ। राजकोषीय घाटे में गिरावट (1,816 करोड़ रूपये) और ब्याज भुगतानों में वृद्वि (607 करोड़ रूपये) 2005-06 में 1,149 करोड़ रूपये का प्राथमिक घाटा 2006-07 में 1,274 करोड़ रूपये के प्राथमिक अधिशेष में परिवर्तित हो गया ।

2006-07 के दौरान राजस्व अधिशेष के निबंधन में राज्य में राजकोषीय स्थिति में सुधार का आकलन तथापि इस तथ्य को ध्यान में रखते हुये किया जाना चाहिये कि 2006-07 के वित्त लेखे में पुस्तांकित 726.12 करोड़ रूपये के ऋण-त्याग में 2005-06 से संबंधित 363.06 करोड़ रूपये शामिल हैं ।

1.2 राजकोषीय स्थिति के निर्धारण के लिए अपनायी गई कार्यप्रणाली

वित्तीय लेखाओं के विवरण पत्रकों से उद्भूत प्राप्तियों तथा व्यय के मुख्य राजकोषीय सम्पूर्ण योगों की प्रवृत्तियों का विश्लेषण यथाआवश्यक विगत पांच वर्षो 2001-02 से 2006-07 तक की अवधि का किया जाता है एवं उनके व्यवहार के अनुसार अभ्युक्तियां की जाती हैं । बारहवें वित्त आयोग ने राज्यवित्त व्यवस्था की पुर्नसंरचना की अपनी योजना में कुछ राजकोषीय सम्पूर्ण योगों के लिए मानदण्डों के उच्चतम सीमाओं की अनुशंसा की और अन्यों के लिए मानकीय प्रक्षेपण बनायें । इसके अतिरिक्त, बारहवें वित्त आयोग ने यह अनुशंसा भी की कि सभी राज्यों के लिये आवश्यक है कि वे राजकोषीय उत्तरदायित्व अधिनियम को अधिनियमित करें तथा तदनुसार पाँच वर्षो की अवधि (2005-06 से 2009-10) के लिये अपना राजकोषीय दोष-सुधार पथ तैयार करें ताकि मध्यम से लम्बी अवधि तक के दौरान उनसे संबंधित राजकोषीय दायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियमों/नियमों में की गई बचनबद्वता के अनुसार राज्य की राजकोषीय स्थिति में सुधार किया जा सके । बारहवे वित्त आयोग द्वारा निर्धारित मानदंड/सीलिंग (उच्चतम सीमा) के अतिरिक्त राजकोषीयसंपूर्ण योगों के लिये इसके प्रक्षेपणों का उपयोग राज्य सरकार द्वारा उसके राजकोषीय उत्तरदायित्व अधिनियमों में एवं अन्य विवरणपत्रों में की गई वचनबद्वताओं/ प्रक्षेपणों के साथ जो कि विधानमंडल में, अधिनियम के अंतर्गत रखा जाना आवश्यक होता है, चालू वर्ष के दौरान मुख्य राजकोषीय संपूर्ण योगों की प्रवृत्ति एवं प्रतिरूपों का गुणात्मक मूल्यांकन करने के लिये किया जाता है । यह मानते हुये कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद राज्य की अर्थव्यवस्था के निष्पादन का अच्छा सूचक है, कर एवं करभिन्न राजस्व, राजस्व एवं पूंजीगत व्यय, आंतरिक कर्ज एवं राजस्व और राजकोषीय घाटे जैसे मुख्य राजकोषीय संपूर्ण योग चालू बाजार मूल्य पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद[3] के प्रतिशत के रूप में प्रस्तुत किये गये हैं । सकल राज्य घरेलू उत्पाद द्वारा प्रदर्शित आधार के संदर्भ में कर राजस्व,करभिन्न राजस्व, राजस्व व्यय इत्यादि के लिये उत्प्लावकता गुणांकों की गणना भी यह मूल्यांकन करने के लिये की गई है कि क्या संसाधनों को जुटाने,व्यय के प्रतिरूप इत्यादि आधार में होने वाले परिवर्तनो के साथ

3 *सकल राज्य घरेलू उत्पाद,चालू मूल्यों पर राज्य की कुल आय अथवा श्रम तथा उत्पादन के अन्य सभी घटकों का उपयोग करते हुये उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं के बाजार मूल्य से परिभाषित होता है ।*

चलायमान हैं अथवा ये राजकोषीय संपूर्ण योग भी सकल राज्य घरेलू उत्पाद से इतर घटकों से प्रभावित हुये हैं । 1993-94 के आधार पर **(सारणी-3)** नवीन सकल राज्य घरेलू उत्पाद श्रंखलाओं का उपयोग राज्य सरकार के आर्थिक एवं सांख्यिकीय संचालनालय द्वारा प्रकाशित किये गये अनुसार इन प्रतिशतताओं तथा उत्प्लावकता अनुपातों के अनुमान तैयार करने में किया गया है ।

सारणी-3: सकल राज्य घरेलू उत्पाद-वृद्धि की प्रवृत्तियां

अनुमान	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07
सकल राज्य घरेलू उत्पाद# (करोड़ रूपयों में)	86792	86405	102267	108903(त)*	117820(थ)*	131091(क)*
वृद्धि की दरें सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत)	10.46	(-)0.45	18.36	6.49	8.19	11.26

\# ***2001-02 से 2005-06 की अवधि के लिये सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुमान आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय, मध्यप्रदेश सरकार द्वारा पुनरीक्षित किये अनुसार हैं । परिणामस्वरूप सकल राज्य घरेलू उत्पाद के संदर्भ से विभिन्न प्राचलों (पैरामीटरों) की प्रतिशतता/उत्प्लावकता भी तदनुसार पुनरीक्षित कर दी गई है ।***

* ***क -अग्रिम अनुमान; थ - शीघ्र अनुमान; त-अनन्तिम अनुमान***

इस प्रयोजन के लिये मूल राजकोषीय संपूर्ण योग चार मुख्य शीर्षो के अन्तर्गत समूहबद्ध किये गये हैं: (i) सम्पूर्ण प्राप्तियों की प्रवृत्तियां एवं संरचना, (ii) संसाधनों को लागू करना, (iii) परिसम्पत्तियां एवं दायित्व तथा (iv) घाटे का प्रबंधन । एक नियमित निकाय के रूप में राज्य सरकार का कुल वित्तीय निष्पादन राजकोषीय संपूर्ण योगों की सम्बंधात्मक विवेचना के लिये सामान्यतः अंगीकृत अनुपातों के सैट को लागू करके प्रस्तुत किया गया है । राजकोषीय संपूर्ण योगों की प्रवृत्तियों एवं प्रतिरूप का मूल्यांकन करने में उपयोग किये गये कुछ चयनित निबन्धनों की परिभाषायें **परिशिष्ट 1.1 भाग ग** में दी गई है ।

सरकार की सारांशीकृत वित्तीय स्थिति अर्थात् परिसम्पत्तियां एवं दायित्व, वर्ष 2006-07 के लिये प्राप्तियों एवं संवितरणों के सार, निधियों के स्रोत एवं उन्हें लागू करने तथा समय श्रंखलाओं के आंकड़े **परिशिष्ट 1.2,1.4,1.5,1.6, तथा 1.11** में दिये गये हैं ।

1.2.1 राजकोषीय उत्तर दायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2005

राज्य सरकार ने मध्यप्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2005 को अधिनियमित किया है जो 1 जनवरी 2006 से प्रभावशील हुआ जिसका उद्देश्य राजस्व घाटे के प्रगामी विलोपन, के द्वारा राजकोषीय प्रबंधन एवं राजकोषीय स्थिरता में विवेक सुनिश्चित करने, राजकोषीय धारणीयता सहित संगत विवेकपूर्ण ऋण प्रबंधन सरकार के राजकोषीय परिचालनों एवं मध्यावधि ढांचे में राजकोषीय नीति के आचरण एवं उनसे सम्बधित अथवा उनसे प्रासंगिक प्रकरणों के लिये उच्चत्तर पारदर्शिता लाना था अधिनियम और/अथवा उसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों (30 जनवरी 2006) में यथा निर्धारित राजकोषीय प्रबंधन उद्देश्यों को प्रभावशील करने के लिये तथा राज्य सरकार के लिये निम्नांकित राजकोषीय लक्ष्य निर्धारित किये गये थे:-

- 31 मार्च 2009 तक राजस्व घाटे को दूर करने के लिये प्रत्येक वित्तीय वर्ष में राजस्व घाटा कम करना तथा तत्पश्चात् राजस्व अधिशेष निर्मित करना;
- प्रत्येक वित्तीय वर्ष में राजकोषीय घाटा कम करना ताकि यह घाटा नीचे लाकर के 31 मार्च 2009 तक सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 3 प्रतिशत से अधिक न होने पाये;
- 10 वर्षों की अवधि के अन्तर्गत अर्थात 31 मार्च 2015 को यह सुनिश्चित करना कि कुल देयतायें उस वर्ष के लिये अनुमानित सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 40 प्रतिशत से अधिक न होने पाये; तथा
- वार्षिक संवृद्धीय गारंटियों को यह सुनिश्चित करने के लिये सीमित करना कि कुल गारंटियां चालू वर्ष से पहले के वर्ष की कुल राजस्व प्राप्तियों के 80 प्रतिशत से अधिक न होने पायें ।

यह शर्त रखी गयी है कि भारत संघ के बजट सम्बंधी अनुभागों से सम्बंधित केन्द्रीय कर हस्तांतरण में कमी के आधारों और/अथवा आंतरिक उपद्रव या प्राकृतिक आपदा अथवा राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किये गये ऐसे ही अन्य अपवादात्मक आधारों से उद्भूत राज्य सरकार के वित्त पर अप्रत्याशित माँगो के कारण राजस्व घाटा और राजकोषीय घाटा इस धारा के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट सीमाओं से अधिक हो सकता है ।

1.2.1.1 राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम/नियमों में निर्धारित राजकोषीय लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये पथदर्शी मानचित्र

राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2005 के अनुसार राज्य सरकार ने 2006-07 के बजट के साथ (क) वृहत आर्थिक रूपरेखा विवरण पत्रक (ख) मध्यम अवधि राजकोषीय नीति विवरण पत्रक तथा (ग) राजकोषीय नीति कार्यनीति विवरण पत्रक प्रस्तुत कर दिये है चयनित संसूचकों के लिये 2004-05 के लिये वास्तविक 2005-06 के लिये संशोधित अनुमान तथा 2006-07 के लिये बजट अनुमान मध्यम अवधि राजकोषीय नीति विवरण पत्रक में प्रस्तुत किये गये हैं (**परिशिष्ट-1.3**)।

बारहवें वित्त आयोग की प्रोत्साहन योजना के निबंधन में, राजकोषीय निष्पादन के लिये एक पुरस्कार ऋण समेकन तथा राहत सुविधा[4] के अधीन ऋण अपलेखन पैकेज में बनाया गया था । इस योजना के अनुसार, समेकन तथा पुनर्अनुसूचीकरण के पश्चात् भारत सरकार के ऋणों के अपलेखन की मात्रा उस सम्पूर्ण राशि से जोड़ी जायेगी जिसके द्वारा पुरस्कार (अवार्ड) की अवधि के दौरान प्रत्येक अनुवर्ती वर्ष में राजस्व घाटा कम किया जाता है । प्रभाव में यदि राजस्व घाटा शून्य तक लाया जाता है तो इस अवधि के दौरान सम्पूर्ण पुनर्भुगतान अपलेखित किया जायेगा । इस कसौटी के निबंधन

[4] *राज्य के राजकोषीय समेकन एवं राजस्व घाटे के विलोपन के लिये बारहवें वित्त आयोग की अनुशंसाओं के अनुपालन में, भारत सरकार ने एक योजना 'राज्य ऋण समेकन तथा राहत सुविधा' (डी.सी.आर.एफ.) (2005-06 से 2009-10) बनायी जिसके अन्तर्गत ग.प्र. राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम अधिनियमित करने पर राज्य को प्रदत्त केन्द्रीय ऋणों पर ब्याज की सार्थक घटी हुई दर पर समेकन एवं अनुसूचीकरण के द्वारा सामान्य ऋण राहत प्रदान की जाती है तथा राज्य के राजस्व घाटे में कमी से जोड़कर राजकोषीय निष्पादन के आधार पर ऋण छूट प्रदान की जाती है ।*

में सुधरे हुये राजकोषीय निष्पादन के परिणामस्वरूप राज्य सरकार ने 2005-06 के लिये 363.06 करोड़ रूपये का तथा 2006-07 के लिये इतनी ही राशि का ऋण त्याग प्राप्त किया, तथापि इन दोनों वर्षो के लिये सम्पूर्ण राशि चालू वर्ष के वित्त लेखे में पुरस्तांकित की गई है । राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन लक्ष्यों तथा वर्ष 2006-07 के लिये मध्य अवधि राजकोषीय नीति की तुलना में राज्य का राजकोषीय निष्पादन **सारणी -4** में प्रस्तुत किया गया है ।

सारणी -4

राजकोषीय पूर्वानुमान	एफ.आर.बी.एम. लक्ष्य	एम.टी.एफ.पी.एस. के अनुसार प्रक्षेपण	वास्तविक
राजस्व घाटा (-)/बचत (+) (करोड़ रूपये में)	2008-09 तक समाप्त किये जाने के लिये	(-)970	(+)3,331
राजकोषीय घाटा (-)/बचत (+) (करोड़ रूपये में)	2008-09 तक सकल राज्य घरेलू उत्पाद के तीन प्रतिशत से अनधिक तक कम करने के लिये	(-)4874 राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 3.87 प्रतिशत होने के लिये	(-)2,755 (सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 2.10 प्रतिशत)
कुल राजकोषीय देयतायें	31 मार्च 2015 तक सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 40 प्रतिशत	सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 52 प्रतिशत	सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 41 प्रतशित
लम्बित गारंटियां	पूर्ववर्ती वर्ष की कुल राजस्व प्राप्ति (आर आर) के 80 प्रतिशत से अधिक नहीं होना	पूर्ववर्ती वर्ष की राजस्व प्राप्ति (आर आर,) का 64.15 प्रतिशत	पूर्ववर्ती वर्ष की राजस्व प्राप्ति (आर आर) का 4.20 प्रतिशत*

* *वित्त लेखे में इतनी मात्रा तक सूचना उपलब्ध थी ।*

इस सारणी से प्रकट होता है कि राज्य सरकार ने तीन वर्ष पहले ही राजस्व बचत प्राप्त करली है तथा राजकोषीय घाटे को राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन लक्ष्यों तथा मध्यम अवधि राजकोषीय नीति विवरण पत्रक के अनुसार प्रक्षेपों में निर्धारित सकल राज्य घरेलू उत्पाद के तीन प्रतिशत की सीमा के अन्तर्गत ही रखा । 41 प्रतिशत सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात पर अनुपात राजकोषीय देयतायें मध्यम अवधि राजकोषीय नीति विवरण पत्रक में प्रक्षेपित 52 प्रतिशत की तुलना में तथा 31 मार्च 2015 तक प्राप्त किये जाने योग्य राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन लक्ष्य की तुलना में उल्लेखनीय रूप से कम है । पूर्ववर्ती वर्ष की राजस्व पर प्रतिशत के रूप में लम्बित गारंटियां वर्ष के दौरान 64 प्रतिशत के बजट अनुमान तथा 80 प्रतिशत के राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन लक्ष्य के विरूद्ध केवल 4.2 प्रतिशत थी ।

1.2.1.2 राजकोषीय स्थिति की मध्यावधि समीक्षा

मध्य प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 11(1) के अनुपालन में वित्त मंत्री ने नवम्बर/दिसम्बर 2006 में एक अर्धवार्षिक समीक्षा की और समीक्षा का निष्कर्ष नवम्बर 2006 में विधान मंडल के समक्ष प्रस्तुत किया गया । दूसरी तिमाही के अंत में प्राप्ति एवं व्यय में प्रवृत्तियों की अर्धवार्षिक समीक्षा का निष्कर्ष दर्शाता है कि कुल गैर ऋण प्राप्तियां, राजकोषीय घाटा तथा राजस्व घाटा राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन नियमावली जनवरी 2006 के नियम 8 के अन्तर्गत

निर्धारित बेन्चमार्को की तुलना में ऊँचे थे । इसलिये राज्य सरकार द्वारा कोई सुधारात्मक उपाय किया जाना आवश्यक नहीं थे ।

1.3 सम्पूर्ण प्राप्तियों की प्रवृत्तियां एवं रचना

राज्य सरकार की संपूर्ण प्राप्तियों में राजस्व प्राप्तियां एवं पूंजीगत प्राप्तियां, कर राजस्व कर भिन्न राजस्व से होने वाली राजस्व प्राप्तियाँ, भारत सरकार से प्राप्त संघीय करों व शुल्कों तथा सहायता अनुदानों के राज्यांश सम्मिलित हैं । पूँजीगत प्राप्तियों में विविध राजस्व प्राप्तियां समाविष्ट हैं यथा विनिवेश से आगम ऋणों एवं अग्रिमों की वसूलियाँ, आंतरिक स्त्रोतों (बाजारू ऋण, वित्तीय संस्थानों/ वाणिज्यिक बैंकों से प्राप्त उधारियां) से होने वाली ऋण प्राप्तियाँ तथा भारत सरकार से प्राप्त ऋण एवं अग्रिम, साथ ही लोक लेखा से प्राप्त उपार्जन **सारणी -5** दर्शाती है कि वर्ष 2006-07 के लिये राज्य सरकार की कुल प्राप्तियाँ 62,628 करोड़ रूपये इनमें से राजस्व प्राप्तियां 25,694 करोड़ रूपये थी जो कुल प्राप्तियों का 41 प्रतिशत थी । शेष प्राप्तियां पूंजीगत प्राप्तियों, उधारियों, आकस्मिकता निधि एवं लोक लेखे से आयी ।

सारणी 5 : संपूर्ण प्राप्तियों की वृद्धि एवं रचना की प्रवृत्तियां

(करोड़ रूपये में)

राज्य प्राप्तियों के स्त्रोत	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07
I राजस्व प्राप्तियां	**11,211**	**13,391**	**14,289**	**19,743**	**20,597**	**25,694**
II पूंजीगत प्राप्तियां	**4,869**	**4,992**	**9,974**	**8,902**	**8,013**	**4,641**
ऋणों एवं अग्रिमों की वसूली	1,588	43	36	53	2,852	28
लोक ऋण प्राप्तियां	3,281	4,949	9,938	8,849	5,161	4,603
विविध पूंजीगत प्राप्तियां	-	-	-	-	-	10*
III आकस्मिकता निधि	**-**	**-**	**-**	**1**	**-**	**68**
IV लोक लेखा प्राप्तियां	**15,013**	**20,120**	**22,285**	**24,790**	**29,038**	**32,225**
क. लघु बचते भविष्य निधि, इत्यादि	1,238	1,109	1,200	1,810	1,330	1,419
ख. आरक्षित निधि	131	170	367	351	676	819
ग. जमा एवं अग्रिम	2,816	3,791	4,126	3,875	4,156	4,436
घ. उचंत एवं विविध	7,434	10,764	12,156	13,436	16,559	18,955
ड. प्रेषण	3,394	4,286	4,436	5,318	6,317	6,596
कुल प्राप्तियां	**31,093**	**38,503**	**46,548**	**53,436**	**57,648**	**62,628**

* *इसमें अन्तर्राज्यीय व्यवस्थापन (एक करोड़ रूपये) शामिल है ।*

राज्य सरकार की कुल प्राप्तियां 2001-02 में 31,093 करोड़ रूपये से 101 प्रतिशत बढ़कर 2006-07 में 62,628 करोड़ रूपये हो गई जिनमें से 2001-02 में 11,211 करोड़ रूपये की राजस्व प्राप्तियां 2006-07 में 129 प्रतिशत बढकर 25,694 करोड़ रूपये हो गई । कुल प्राप्तियों में राजस्व प्राप्तियों का सम्बंधी अंश (रिलेटिव शेयर) 2001-02 में 36.06 प्रतिशत से बढ़कर 2006-07 में 41.03 प्रतिशत हो गया तथा कुल प्राप्तियों में पूंजीगत प्राप्तियों का अंश 2003-04 में 21.43 प्रतिशत के शिखर स्तर पर पहुँचने के पश्चात् तथा तदुपरांत गिरते हुये 2001-02 में 15.66 प्रतिशत से घटकर 2006-07 में 7.41 प्रतिशत हो गया जबकि लोक लेखा के अन्तर्गत प्राप्तियां 2001-07

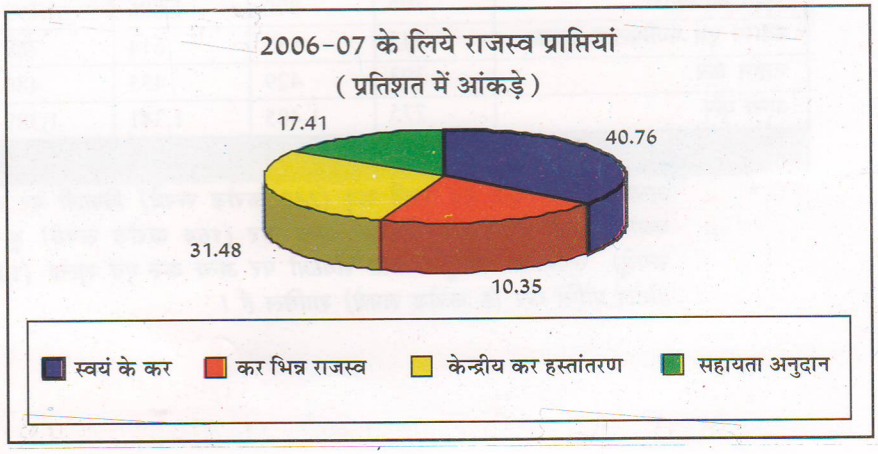
की अवधि के दौरान 19 प्रतिशत की वृद्धि की वार्षिक दर पर बढ़ी परन्तु राज्य की कुल प्राप्तियों में उनका अंश 2004-05 में 46 प्रतिशत की निम्नता के साथ इस अवधि के दौरान 48 से 52 प्रतिशत के संकीर्ण दायरे में कम अधिक बना रहा ।

1.3.1 राजस्व प्राप्तियां

वित्त लेखे के विवरण पत्रक- 11 में सरकार की राजस्व प्राप्तियों का विवरण दिया गया है । राजस्व प्राप्तियों में अपने स्वयं के कर तथा कर भिन्न राजस्व, भारत सरकार से केन्द्रीय कर अंतरण एवं सहायता अनुदान सम्मिलित हैं । कुल राजस्व प्राप्तियां उनकी वृद्धि की वार्षिक दर, सकल राज्य घरेलू उत्पाद पर इन प्राप्तियों का अनुपात तथा उत्प्लावकताएं **सारणी -6** में दी गई हैं ।

सारणी 6: राजस्व प्राप्तियां-आधारभूत मानदण्ड

	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07
राजस्व प्राप्तियां (करोड़ रूपये में)	11211	13391	14289	19743	20597	25694
स्वयं के कर (करोड़ रूपये में तथा प्रतिशत)	4679 (41.74)	6165 (46.04)	6789 (47.51)	7773 (39.37)	9115 (44.26)	10473 (40.76)
कर भिन्न राजस्व (करोड़ रूपयो में तथा प्रतिशत)	1602 (14.29)	1635 (12.21)	1480 (10.36)	4462 (22.60)	2208 (10.72)	2658 (10.35)
स्वयं के संसाधन (करोड़ रूपये में तथा प्रतिशत)	6281 (56.03)	7800 (58.25)	8269 (57.87)	12235 (61.97)	11323 (54.98)	13131 (51.11)
केन्द्रीय कर हस्तांतरण (करोड़ रूपये में तथा प्रतिशत)	3439 (30.68)	3729 (27.85)	4247 (29.72)	5077 (25.72)	6341 (30.78)	8089 (31.48)
सहायता अनुदान (करोड़ रूपये में तथा प्रतिशत)	1491 (13.30)	1862 (13.90)	1773 (12.41)	2431 (12.31)	2933 (14.24)	4474 (17.41)
राजस्व प्राप्तियों की वृद्धि की दर (प्रतिशत)	(-) 12.68	19.45	6.70	38.16	4.32	24.75
स्वयं के संसाधनो की वृद्धि की दर (प्रतिशत)	(-)14.71	24.18	6.01	47.96	(-)7.45	15.97
स्वयं के कर की वृद्धि की दर (प्रतिशत)	(-)17.03	31.76	10.12	14.49	17.26	14.90
राजस्व प्राप्तियां/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत)	12.92	15.50	13.97	18.13	17.48	19.60
राजस्व उत्प्लावकता (अनुपात)	(-)1.21	(-)43.22	0.37	5.88	0.53	2.20
राज्य के स्वयं के कर की उत्प्लावकता (अनुपात)	(-)1.63	(-)70.58	0.55	2.23	2.11	1.32
राज्य के स्वयं के कर के संदर्भ से राजस्व उत्प्लावकता (अनुपात)	0.75	0.61	0.66	2.63	0.25	1.66
सकल राज्य घरेलू उत्पाद वृद्धि (प्रतिशत)	10.46	(-)0.45	18.36	6.49	8.19	11.26



सामान्य प्रवृति

राज्य की राजस्व प्राप्तियों में सार्थक भिन्नताओं के साथ 21.53 प्रतिशत की औसत वार्षिक वृद्धि दर से बढ़ोतरी हुई । ये 2001-02 में 11,211 करोड़ रूपये से बढ़कर 2006-07 में 25,694 करोड़ रूपये हो गई । 2006-07 के दौरान 51 प्रतिशत राजस्व प्राप्तियां कर एवं कर भिन्न राजस्व से निर्मित राज्य के स्वयं के संसाधनों से आई है और शेष 49 प्रतिशत का अंशदान केन्द्रीय कर अंतरण तथा सहायता अनुदान से साथ-साथ हुआ है । 2006-07 के दौरान राजस्व प्राप्तियों में 5,097 करोड़ रूपये की कुल वृद्धि में से 3,289 करोड़ रूपये (65 प्रतिशत) का अंशदान सहायता अनुदान तथा संघ करों एव शुल्कों के पूल में राज्य के अंश से निर्मित केन्द्रीय अंतरणों द्वारा किया गया तथा शेष 1,808 करोड़ रूपये (35 प्रतिशत) का अंशदान राज्य के स्वयं के संसाधनों द्वारा किया गया था । 2005-06 की तुलना में 2006-07 के दौरान राजस्व उत्प्लावकता में वृद्धि मुख्यतः केन्द्रीय अंतरणों के अंश में वृद्धि के कारण हुई है ।

स्वयं का कर राजस्व

2006-07 के दौरान राज्य के स्वयं के कर राजस्व में मुख्य अंशदान (50 प्रतिशत) विक्रय एवं व्यापार करों का था उनके बाद राज्य आबकारी (15 प्रतिशत) स्टाम्प एवं पंजीकरण शुल्क (12 प्रतिशत), माल एवं यात्री कर (7 प्रतिशत), बिजली पर शुल्क के कर (7 प्रतिशत) द्वारा अंशदान किया गया था । पूर्व वर्ष की तुलना में 2006-07 में, विक्रय, व्यापार इत्यादि पर कर में 17 प्रतिशत, राज्य आबकारी में 13 प्रतिशत और स्टाम्प एव पंजीकरण शुल्क में 24 प्रतिशत की वृद्धि दर मुख्यतः सरकार द्वारा वित्तीय अनुशासन के अनुपालन, करों के अधिक श्रेष्ठ संग्रहण तथा आर्थिक आधार सुदृढ़ किये जाने के कारण थी । स्वयं के कर में उत्प्लावकता अनुपात पूर्व वर्ष की तुलना में कर राजस्व में कम वृद्धि होने तथा सकल राज्य घरेलू उत्पाद की अधिक वृद्धि होने के कारण 2005-06 में 2.11 से घटकर 2006-07 में 1.32 रह गया । नीचे **सारणी -7** में 2001-07 के दौरान राज्य के कर राजस्व की संरचना की प्रवृत्तियों को दर्शाया गया है ।

सारणी -7: कर राजस्व

(करोड़ रूपये में)

	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07
विक्रय व्यापार आदि के कर	2,361	2,906	3,293	3,913	4,508	5,261
राज्य आवकारी	705	890	1,086	1,193	1,370	1,547
स्टाम्प एवं पंजीकरण शुल्क	445	535	614	789	1,009	1,251
वाहन कर	393	429	455	489	556	634
अन्य कर	775	1,405	1,341	1,389	1,672	1,780*
योग	**4,679**	**6,165**	**6,789**	**7,773**	**9,115**	**10,473**

* *अन्य करों में माल एवं यात्री कर (745 करोड़ रूपये) बिजली पर कर एवं शुल्क (715 करोड़ रूपये) आय एवं व्यय पर अन्य कर (164 करोड़ रूपये) भू-राजस्व (132 करोड़ रूपये), उपभोक्ता वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क (19 करोड रूपये) और होटल प्राप्ति कर (5 करोड़ रूपये) शामिल हैं ।*

कर भिन्न राजस्व

कर भिन्न राजस्व 2005-06 में 2,208 करोड़ रूपये से बढ़कर 2006-07 में 2,658 करोड़ रूपये होकर 450 करोड़ रूपये तक बढ़ गया । यह वृद्धि मुख्यतः प्राप्ति शीर्ष "विविध सामान्य सेवायें" के अन्तर्गत भारत सरकार से वर्ष 2005-06 और 2006-07 के लिये ऋण समेकन राहत सुविधा के अधीन प्राप्त 726.12 करोड़ रूपये की ऋण छूट, अलौह खनन एवं धातु कर्म उद्योग में वृद्धि (108.60 करोड़ रूपये) तथा ब्याज प्राप्ति (394.46 करोड़ रूपये) में कमी के द्वारा आंशिक तौर पर प्रतिसंतुलित करके पुरस्तांकित करने के कारण हुई । कर भिन्न राजस्व स्त्रोतों में से अलौह खनन एवं धातु कर्म उद्योग (35 प्रतिशत), विविध सामान्य सेवायें (28 प्रतिशत), वन एवं वन्य जीवन (20 प्रतिशत) और ब्याज प्राप्ति, लाभांश एवं लाभ (6 प्रतिशत) 2006-07 के दौरान मुख्य अंशदाता थे।

इनके अतिरिक्त, सरकार द्वारा उच्च गुणवत्ता के माल एवं सेवाओं की आपूर्ति में लागत वसूली (राजस्व व्यय के प्रतिशत के रूप में राजस्व प्राप्तियां) के चालू स्तर सामान्य शिक्षा के लिये 0.27 प्रतिशत, तकनीकी शिक्षा के लिये 1.83 प्रतिशत, चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य के लिये 2.33 प्रतिशत, जल प्रदाय एवं स्वच्छता के लिये 1.85 प्रतिशत तथा गृह-निर्माण के लिये 12.39 प्रतिशत थे ।

2006-07 के दौरान बारहवे वित्त आयोग एवं राज्य सरकार द्वारा किये गये निर्धारण की तुलना में राज्य के कर राजस्व एवं कर भिन्न राजस्व के अधीन वास्तविक प्राप्तियां **सारणी -8** में नीचे दी गई है:

सारणी -8

(करोड़ रूपये में)

	बारहवें वित्त आयोग द्वारा किये गये निर्धारण	मध्यम अवधि राजकोषीय नीति विवरण पत्रक में राज्य सरकार द्वारा प्रक्षेपण	वास्तविक
कर राजस्व	10,335	10,029	10,473
कर भिन्न राजस्व	2,375	2,059	2,658

कर राजस्व के अन्तर्गत वास्तविक उगाही बारहवें वित्त आयोग द्वारा किये गये निर्धारण तथा मध्यम अवधि राजकोषीय नीति विवरण पत्रक प्रक्षेपों से अधिक थी । यद्यपि वास्तविक कर भिन्न राजस्व बारहवें वित्त आयोग तथा मध्यम अवधि राजकोषीय नीति विवरण पत्रक द्वारा किये गये निर्धारण से अधिक था परन्तु मुख्यतः शीर्ष "विविध सामान्य सेवायें" के अन्तर्गत प्राप्तियों के रूप में बारहवें वित्त आयोग की अनुशंसाओं के अनुसार ऋण समेकन राहत सुविधा के अधीन प्राप्त 726.12 करोड़ रूपये की ऋण छूट की प्रातिक प्रविष्टि (कॉन्ट्रा एन्ट्री) के कारण था ।

केन्द्रीय कर हस्तांतरण

केन्द्रीय कर हस्तांतरण में पूर्व वर्ष की तुलना में 2006-07 में 1,747 करोड़ रूपये की वृद्धि हुई तथा 31 प्रतिशत राजस्व प्राप्तियां सृजित कीं । यह वृद्धि मुख्यतः निगम कर (774 करोड़ रूपये) सीमा शुल्क (341 करोड़ रूपये), सेवाकर (308 करोड़ रूपये), तथा निगम कर से अतिरिक्त आय पर कर (299 करोड़ रूपये) के अन्तर्गत हुई ।

केन्द्र सरकार से सहायता अनुदान

सहायता अनुदान में, 2005-06 में 2,933 करोड़ रूपये से बढ़कर 2006-07 में 4,474 करोड़ रूपये होकर 52.54 प्रतिशत तक की सार्थक वृद्धि हुई है । यह वृद्धि मुख्यतः आयोजनेतर अनुदानों (216 करोड़ रूपये), राज्य आयोजनागत योजनाओं के लिये अनुदान-अन्य अनुदान (719 करोड़ रूपये) तथा केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं के लिये अनुदान-अन्य अनुदान (615 करोड़ रूपये) में वृद्धि के कारण हुई । 2006-07 में राज्य आयोजनागत योजना के लिये अनुदानों में वृद्धि मुख्यतः खण्ड अनुदानों (615 करोड़ रूपये) तथा जनजातीय क्षेत्र उपयोजना के लिये विशेष केन्द्रीय सहायता (62 करोड़ रूपये) के अन्तर्गत थी । केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं के लिये अनुदानों में वृद्धि मुख्यतः केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं "लघु एवं मध्यम कस्बों के एकीकृत विकास (208 करोड़ रूपये) " "पोषण आहारों एवं पेय पदार्थ मध्यान्ह भोजन (100 करोड़ रूपये) " शहरी एवं ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम (70 करोड़ रूपये) और प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा (92 करोड़ रूपये) के अन्तर्गत वृद्धि के कारण हुई ।

वर्ष के दौरान 984 करोड़ रूपये के आयोजनेतर अनुदानों में, स्वास्थ्य (32.20 करोड़ रूपये) शिक्षा (41.62 करोड़ रूपये), वन (11.50 करोड़ रूपये), पंचायती राज/शहरी स्थानीय निकाय (252.94 करोड़ रूपये), सड़क एवं भवन (257.48 करोड़ रूपये), जनजातीय कल्याण (51.75 करोड़ रूपये), प्राकृतिक आपदा (246.67 करोड़ रूपये) तथा उत्तराधिकार संरक्षण (5 करोड़ रूपये) के लिये 12वें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित 899.16 करोड़ रूपये शामिल है । बारहवें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित शिक्षा के लिये 83.25 करोड़ रूपये तथा वन के लिये 23 करोड़ रूपये के विरूद्ध वास्तविक प्राप्ति क्रमशः 41.62 करोड़ रूपये तथा 11.50 करोड़ रूपये थी ।

भारत सरकार से सहायता अनुदानों के विवरण **सारणी -9** में दिये गये है ।

सारणी संख्या 9: भारत सरकार से सहायता अनुदान

(करोड़ रूपये में)

	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07
राज्य आयोजना योजनाओं के लिये अनुदान	649	816	776	1314	1,264	1983
आयोजनेतर अनुदान	322	301	376	459	768	984
केन्द्रीय आयोजना योजनाओं के लिये अनुदान	46	204	58	59	66	57
केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं के लिये अनुदान	474	541	563	599	835	1450
योग	**1491**	**1862**	**1773**	**2431**	**2933**	**4474**
पूर्व वर्ष की तुलना में वृद्धि/ह्रास का प्रतिशत	57.44	24.88	(-)4.78	37.11	20.65	52.54

1.3.1.1 बारहवें वित्त आयोग के अन्तर्गत संस्वीकृत निधियों का अनुपयोग (वन विभाग)

राज्य सरकार के लिये यह बाध्यकारी है कि वह निधियों का उपयोग न केवल उन कार्यक्रमों के लिये करे जिसके लिये निधियां प्राप्त हुई है बल्कि निर्दिष्ट अवधि के अन्तर्गत भी करे तथा अव्ययित शेष भारत सरकार को वापस कर दे ।

विनियोग लेखा 2005-06 तथा 2006-07 तथा अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास) मध्यप्रदेश भोपाल के कार्यालय के अभिलेखों की संवीक्षा से प्रकट हुआ (सितम्बर 2006) कि 2005-06 में 27.60 करोड़ रूपये की एक राशि (राजस्व 23.00 करोड़ रूपये तथा पूँजी 4.60 करोड़ रूपये) का प्रावधान मुख्यशीर्ष 2406 तथा 4406 के अंतर्गत बारहवें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित विभिन्न कार्यो के लिये विशेष वित्तीय सहायता के रूप में वन के अनुरक्षण (पुनः सृजन) के लिये अनुदान के रूप में किया गया जिसके विरूद्ध 4.00 करोड़ रूपये 31.3.2006 को 8443-सिविल जमा-800-अन्य-जमाएं को अंतरित किये गये जो मई 2006 में जारी किये गये तथा इनमें से 2006-07 तक 1.65 करोड़ रूपये का व्यय किया गया । इस प्रकार 2005-06 में आंवटित 2.35 करोड़ रूपये की शेष राशि का उपयोग किया जाना अभी भी प्रतीक्षित था ।

1.3.1.2 257.48 करोड़ रूपये के 12वें वित्त आयोग के अनुदान का अनधिकृत विनियोग एवं अनियमित व्यपवर्तन (लोक निर्माण विभाग)

राज्य के राजस्व बजट के भाग-II के अनुसार, 110.76 करोड़ रूपये तथा 146.72 करोड़ रूपये विशेषतौर पर भवन एवं सड़क/पुल के अनुरक्षण के लिये आयोजनेतर राजस्व व्यय हेतु क्रमशः शीर्ष 1601/01/800/1025 और 1026 के अन्तर्गत सहायता अनुदान (12वे वित्त आयोग की अनुशंसायें) के रूप में प्राप्त हुये । यह भी कि 12वें वित्त आयोग की अनुशंसाओं की कंडिका 10.23 की शर्त संख्या 3 के अनुसार ऐसे सहायता अनुदानों का उपयोग अनिवार्यतः क्रमशः आयोजनेतर राजस्व शीर्ष 2059 और 3054 के अन्तर्गत किया जाना चाहिये । तथापि यह देखा गया कि मुख्य शीर्ष 2059 (माँग संख्या 67) तथा 3054 (माँग संख्या 24) के अन्तर्गत व्यय हेतु कोई प्रावधान नहीं किया गया था । तथापि तत्सम्वादी पूंजीगत शीर्ष (राज्य आयोजना)5054 के अन्तर्गत 52 करोड़ रूपये का एक प्रावधान किया गया था जिसके विरूद्ध 33 करोड़ रूपये का एक व्यय पुस्तांकित किया गया जिसमें से 28.00 करोड़ रूपये पूर्णतः नवीन सड़को के निर्माण हेतु भी अभिहित किये गये थे ।

इस प्रकार, सड़कों/भवनों के अनुरक्षण हेतु विशिष्ट राजस्व शीर्षो में उपर्युक्त अनुदान का प्रावधान न किये जाने तथा नवीन सड़कों के निर्माण हेतु पूंजीगत शीर्ष के अन्तर्गत 33 करोड़ रूपये का उपयोग किये जाने से प्रथम दृष्टया 12वें वित्त आयोग की अनुशंसाओ का पालन नहीं किया जाना सूचित हुआ ।

राजस्व के बकाया

2006-07 के दौरान राजस्व के बकाया की विभागवार स्थिति का विवरण नीचे दिया गया है:

2006-07 के दौरान राजस्व के बकाया की विभागवार स्थिति

क्र. संख्या	विभाग का नाम	राजस्व के बकाया (करोड़ रूपये में)
1.	वाहन कर	34.95
2.	राज्य आबकारी	58.28
3.	विद्युत	26.67
4.	वाणिज्यिक कर	584.25
5.	खनन	113.25
6.	सहकारिता	8.87
7.	स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण	77.18
8.	वन	15.31
	योग	**918.76**

सम्बंधित विभागों ने नवम्बर 2007 की स्थिति में राजस्व के बकायों के कारण प्रेषित नहीं किये है ।

1.4 संसाधनों का उपयोग

1.4.1 व्यय की वृद्धि

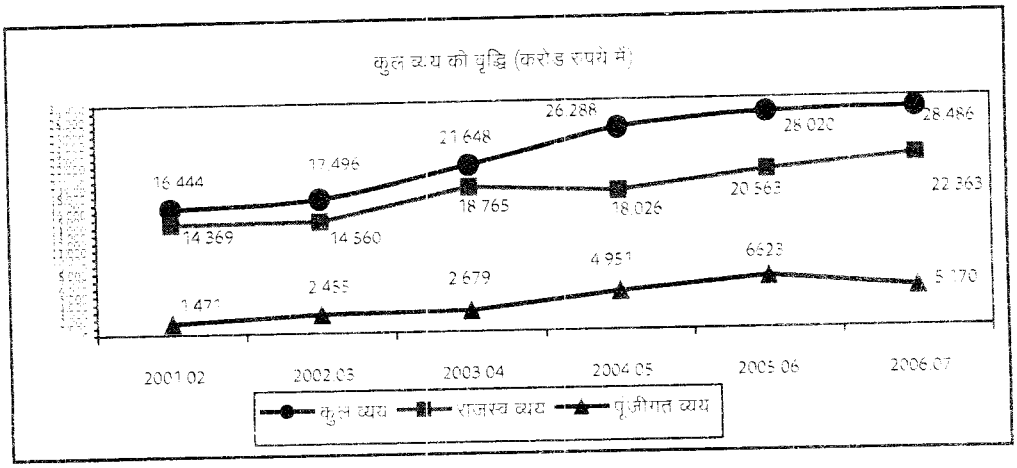
वित्त लेखे के विवरण पत्रक 12 में लघुशीर्षो के द्वारा राजस्व व्यय एवं मुख्य शीर्षो के द्वारा पूंजीगत व्यय का विस्तृत विवरण रहता है । राज्य अपने संप्रभु कार्यो का निष्पादन करने, सामाजिक तथा आर्थिक सेवायें प्रदान करने की अपनी विद्यमान प्रकृति बनाये रखने, पूंजीगत व्यय एवं निवेशों के माध्यम से इन सेवाओं के परिकर्म (नैटवर्क) का विस्तार करने तथा अपने ऋण सेवा दायित्वों का निर्वाह करने के लिये संसाधन बनाते है राज्य का कुल व्यय 2001-02 में 16,444 करोड़ रूपये से बढ़कर 2006-07 में 28,486 करोड़ रूपये हो गया । कुल व्यय, इसकी वार्षिक वृद्धि दर तथा राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद एवं राजस्व प्राप्तियों पर व्यय का अनुपात और सकल राज्य घरेलू उत्पाद एवं राजस्व प्राप्तियों के संदर्भ से उसकी उत्प्लावकता **सारणी -10** में दिये गये हैं ।

सारणी-10: कुल व्यय - आधारभूत प्राचल (पैरामीटर)

	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07
कुल व्यय* (करोड़ रूपये में)	16444	17496	21648	26288	28020	28486
वृद्धि की दर (प्रतिशत)	0.32	6.40	23.73	21.43	6.58	1.66
कुल व्यय/सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात (प्रतिशत)	18.95	20.25	21.17	24.14	23.78	21.73
राजस्व प्राप्तियां/कुल व्यय का अनुपात (प्रतिशत)	68.18	76.54	66.00	75.10	73.50	90.20
निम्नलिखित के संदर्भ में कुल व्यय की उत्प्लावकता:						
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (अनुपात)	(-)0.03	(-)14.22	1.29	3.30	0.81	0.15
राजस्व प्राप्तियां (अनुपात)	(-)0.03	0.33	3.54	0.56	1.52	0.07

* *कुल व्यय में राजस्व व्यय, पूंजीगत व्यय, ऋण एवं अग्रिम शामिल है ।*

राज्य के कुल व्यय में 2001-07 के दौरान 12 प्रतिशत प्रतिवर्ष की वार्षिक औसत वृद्धि दर से वृद्धि हुई है । सम्बंधी मदों में, पूंजीगत एवं राजस्व व्यय घटकों में 2001-07 की अवधि के दौरान क्रमशः 251 प्रतिशत एवं 56 प्रतिशत की वृद्धि हुई है । तथापि सम्पूर्ण मदों में, प्रतिवेदनाधीन अवधि के दौरान पूंजीगत व्यय में 3,699 करोड़ रूपये तथा राजस्व व्यय में 7,994 करोड़ रूपये की वृद्धि हुई । इन प्रवृत्तियों से संकेत मिलता है कि पूंजीगत एवं राजस्व व्यय में वृद्धि विगत छः वर्षो की अवधि के दौरान 1:2.2 के अनुपात में थी । 2005-06 की तुलना में 2006-07 के दौरान कुल व्यय में 466 करोड़ रूपये की आंशिक वृद्धि (1.66 प्रतिशत) मुख्यतः राजस्व व्यय में 1,800 करोड़ रूपये की वृद्धि तथा ऋणों एवं अग्रिमों के संवितरण में 119 करोड़ रूपये की वृद्धि पूंजीगत व्यय में 1,453 करोड़ रूपये की कमी द्वारा आंशिक तौर पर प्रतिसंतुलन के कारण थी । 2005-06 में 6,623 करोड़ रूपये से घटकर 2006-07 के दौरान 5,170 करोड़ रूपये होने की पूंजीगत व्यय में गिरावट मुख्यतः सड़क एवं भवन (381 करोड़ रूपये), उद्योग एवं खनिज (185 करोड़ रूपये) तथा चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य (71 करोड़ रूपये) पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत मुख्य वृद्धि के द्वारा प्रति संतुलित विद्युत परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय में गिरावट 2151 करोड़ रूपये के कारण थी । विद्युत परियोजनाओं पर आयोजनागत एवं आयोजनेतर पूंजीगत व्यय के विभाजन के विश्लेषण से प्रकट होता है कि आयोजनेतर पूंजीगत व्यय 2,576 करोड़ रूपये तक कम हो गया जबकि आयोजनागत पूंजीगत व्यय 425 करोड़ रूपये तक बढ़ गया, परिणामस्वरूप पूर्व वर्ष की तुलना में 2006-07 के दौरान विद्युत क्षेत्र में पूंजीगत व्यय में 2,151 करोड़ रूपये की शुद्ध गिरावट हुई । कुल व्यय पर राजस्व प्राप्तियों का अनुपात 2005-06 में 74 प्रतिशत से बढ़कर 2006-07 में 90 प्रतिशत हो गया जिससे यह प्रकट हुआ कि राज्य के कुल व्यय के लगभग 90 प्रतिशत की पूर्ति राजस्व प्राप्तियों से हुई तथा शेष 10 प्रतिशत का वित्तपोषण उधारियों से किया गया । सकल राज्य घरेलू उत्पाद तथा राजस्व प्राप्तियों के संदर्भ से कुल व्यय का उत्प्लावकता अनुपात 2005-06 की तुलना में 2006-07 के दौरान कुल व्यय में कम वृद्धि तथा सकल राज्य घरेलू उत्पाद में अधिक वृद्धि के कारण 2005-06 में 0.81 तथा 1.52 से घटकर 2006-07 में 0.15 तथा 0.07 हो गया ।



गतिविधियों द्वारा कुल व्यय की प्रवृतिः गतिविधियों के रूप में, कुल व्यय ब्याज भुगतानों सहित सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं, सहायता अनुदानों और ऋणों एवं अग्रिमों पर

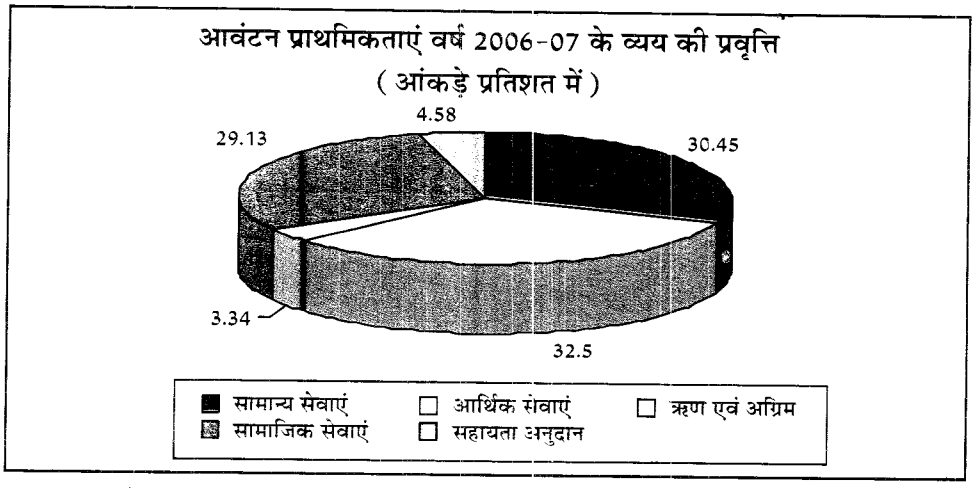
व्यय से मिलकर बना हुआ योग माना जा सकता था । कुल व्यय में इन घटकों का सापेक्षिक अंश (रिलेटिव शेयर) **सारणी -11** में दर्शाया गया है ।

सारणी -11: व्यय के घटक - सापेक्षिक अंश

(प्रतिशत में)

	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07
सामान्य सेवाये	30.80	31.33	30.53	28.96	27.53	30.45
जिनमें से ब्याज भुगतान	13.70	14.30	14.80	13.92	12.21	14.14
सामाजिक सेवाए	28.92	33.26	27.05	23.22	26.03	29.13
आर्थिक सेवाएं	34.30	30.34	38.74	31.73	39.48	32.50
सहायता अनुदान	2.27	2.32	2.73	3.49	3.99	4.58
ऋण एवं अग्रिम	3.64	2.75	0.95	12.60	2.97	3.34

कुल व्यय में सामान्य एवं सामाजिक सेवाओं के अंशों से 2001-07 की अवधि से आगे सम्बधात्मक स्थिरता प्रदर्शित हुई जबकि आर्थिक सेवाओं के अंश से व्यापक अन्तरवर्षीय उतार-चढ़ावों के साथ 2001-02 में 34.30 प्रतिशत से घटकर 2006-07 में 32.50 प्रतिशत होने की आंशिक गिरावट प्रदर्शित हुई । वास्तव में, आर्थिक सेवाओं का अंश 2005-06 में 39.48 प्रतिशत के शिखर स्तर तक पहुँच गया और मुख्यतः विद्युत परियोजनाओं पर व्यय की गिरावट के कारण चालू वर्ष में 32.50 प्रतिशत तक गिर गया। पूर्व वर्ष की तुलना में 2006-07 में सामान्य एवं सामाजिक सेवाओं के सम्बंधी अंश में वृद्धि मुख्यतः ब्याज भुगतान, सामान्य शिक्षा तथा शहरी विकास पर अधिक व्यय के कारण थी । ऋणों एवं अग्रिम के सम्बंधी अंश में वृद्धि मुख्यतः ऊर्जा क्षेत्र के अन्तर्गत अधिक संवितरण (476 करोड़ रूपये) के कारण थी । सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं से एक साथ निर्मित विकास व्यय मुख्यतः ऊर्जा क्षेत्र में कम व्यय के कारण 2005-06 में 65.51 प्रतिशत से घटकर 2006-07 में 61.63 प्रतिशत हो गया । इससे गैर विकास व्यय में वृद्धि होने का संकेत मिलता है ।



1.4.2 राजस्व व्यय का विस्तार

कुल व्यय में राजस्व व्यय का सर्वाधिक अंश था । राजस्व व्यय सेवाओं एवं भुगतान के विद्यमान स्तर को बनाए रखने तथा पूर्व के दायित्वों के लिए किया जाता है और इस तरह राज्य की अधोसंरचना तथा सेवा प्रसार में कोई वृद्धि नहीं करता । कुल राजस्व

व्यय, इसकी वृद्धि दर, सकल राज्य घरेलू उत्पाद तथा राजस्व प्राप्तियों की तुलना में राजस्व व्यय का अनुपात एवं इसकी उत्प्लावकता **सारणी -12** में दर्शायी गयी है ।

सारणी -12: राजस्व व्यय : आधारभूत प्राचल

(करोड़ रूपए में तथा प्रतिशत कोष्ठक में)

	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07
राजस्व व्यय (रा.व्य.)	14369	14560	18765	18026	20563	22363
जिसमें से आयोजनेतर राजस्व व्यय(आ.ज.रा.व्य.)	11853 (82.49)	11040 (75.82)	15949 (84.99)	14861 (82.44)	16351 (79.52)	16911 (75.62)
आयोजना राजस्व व्यय (आ.रा.व्य.)	2516 (17.51)	3520 (24.18)	2816 (15.01)	3165 (17.56)	4212 (20.48)	5452 (24.38)
वृद्धि दर (प्रतिशत) (रा.व्य.)	(-)4.11	1.33	28.88	(-)3.94	14.07	8.75
आयोजनेतर राजस्व व्यय	(-)3.65	(-)6.86	44.46	(-)6.82	10.02	3.42
आयोजना राजस्व व्यय	(-)6.22	39.90	(-)20.00	12.39	33.08	29.44
आयोजनेतर रा.व्य. सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत)	13.66	12.78	15.60	13.65	13.88	12.90
कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में आयोजनेतर राजस्व व्यय	72.08	63.10	73.67	56.53	58.35	59.37
राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में आयोजनेतर राजस्व व्यय	105.72	82.44	111.61	75.27	79.38	65.82
राजस्व व्यय की निम्न के साथ उत्प्लावकता						
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (अनुपात)	(-)0.39	(-)2.96	1.57	(-)0.61	1.72	0.78
राजस्व प्राप्तियां (अनुपात)	0.32	0.07	4.30	(-)0.10	3.25	0.35

राज्य का कुल राजस्व व्यय 2001-02 में 14,369 करोड़ रूपये से बढ़कर 2006-07 में 22,363 करोड़ रूपये हो गया, इससे उक्त अवधि में 56 प्रतिशत की वृद्धि प्रदर्शित हुई । वेतन (5,963 करोड़ रूपये), ब्याज भुगतान (4,029 करोड़ रूपये) और पेंशन (1,752 करोड़ रूपये) पर व्यय ने साथ-साथ वर्ष के दौरान राज्य के कुल राजस्व व्यय के लगभग 52.52 प्रतिशत का अंशदान किया । 2006-07 के दौरान 1800 करोड़ रूपये (8.75 प्रतिशत) के राजस्व व्यय की कुल वृद्धि में से, आयोजनेतर राजस्व व्यय.ने केवल 560 करोड़ रूपये की हिस्सेदारी की, और शेष 1,240 करोड़ रूपये आयोजना राजस्व शीर्षों के अन्तर्गत व्यय किया गये । चालू वर्ष के दौरान आयोजनेतर राजस्व व्यय में वृद्धि मुख्यतः ब्याज भुगतान और ऋण सेवा (607 करोड़ रूपये) पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ (195 करोड़ रूपये) सामान्य शिक्षा (514 करोड़ रूपये), अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम (16 करोड़ रूपये), सहकारिता (113 करोड़ रूपये), सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण (22 करोड़ रूपये), स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति एवं सुपुर्दगी (176 करोड़ रूपये), सड़क और पुल (140 करोड़ रूपये) पर व्यय में वृद्धि के कारण हुई जो विद्युत परियोजनाओं पर व्यय (1,322 करोड़ रूपये) में कमी करके आंशिकतौर पर प्रतिसंतुलित की गई । आयोजना राजस्व व्यय में वृद्धि मुख्यतः सामान्य शिक्षा (222 करोड़ रूपये), अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम (300 करोड़ रूपये), सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण (108 करोड़ रूपये), सहकारिता (52 करोड़ रूपये) तथा शहरी विकास (351 करोड़ रूपये) के अन्तर्गत हुई ।

सकल राज्य घरेलू उत्पाद तथा राजस्व प्राप्तियों के साथ राजस्व व्यय के उत्प्लावकता अनुपात पूर्व वर्ष की तुलना में राजस्व प्राप्तियों की कम वृद्धि एवं सकल राज्य घरेलू उत्पाद की अधिकतर वृद्धि के कारण घटकर 2006-07 में क्रमशः 0.78 तथा 0.35 हो गये ।

मध्यम अवधि राजकोषीय नीति विवरण पत्रक में आयोजनेतर राजस्व व्यय के लिये निर्धारित 17,347 करोड़ रूपये के विरूद्ध, 2006-07 में वास्तविक व्यय 16,911 करोड़ रूपये था। बारहवें वित्त आयोग और राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किये गये की तुलना में वास्तविक आयोजनेतर राजस्व व्यय **सारणी -13** में दिये गये है ।

सारणी -13

(करोड़ रूपये में)

वर्ष	बारहवें वित्त आयोग द्वारा किया गया निर्धारण	राज्य सरकार द्वारा मध्यम अवधि राजकोष नीति विवरण पत्रक में किया गया निर्धारण	वास्तविक आयोजनेतर राजस्व व्यय
	(1)	(2)	(3)
2006-07	14173	17347	16911

2006-07 में 16,911 करोड़ रूपये के आयोजनेतर राजस्व व्यय बारहवें वित्त आयोग के मानकों के तौर पर निर्धारित स्तर से अधिक थे परन्तु उसके मध्यम अवधि राजकोषीय नीति विवरण पत्रक में राज्य सरकार द्वारा किये गये प्रक्षेपण से थोड़े कम थे । बारहवें वित्त आयोग द्वारा किये गये निर्धारणों से सम्बंध रखते हुये, यह वृद्धि मुख्यतः ब्याज भुगतानों (530 करोड़ रूपये), सामान्य सेवा (1,086 करोड़ रूपये), सामाजिक सेवाओं (292 करोड़ रूपये) तथा आर्थिक सेवा (924 करोड़ रूपये) के अन्तर्गत थी ।

1.4.3 प्रतिबद्ध व्यय

1.4.3.1 वेतन पर व्यय

सारणी -14: वेतन पर व्यय

(करोड़ रूपये में)

शीर्ष	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07
वेतन पर व्यय- जिसमें से,	4669*	5258*	5312*	6176*	5669@	5963@
आयोजनेतर शीर्ष	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	5058	5443
आयोजना शीर्ष	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	611	520
सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में	5.38	6.09	5.19	5.67	4.81	4.55
राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में	41.65	39.27	37.17	31.28	27.52	23.21

** वित्त विभाग से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार*

@ स्रोतः सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे

उपरोक्त सारणी में प्रवृत्तियां यह दर्शाती है कि वेतन पर व्यय 2001-02 में 4,669 करोड़ रूपये से 28 प्रतिशत बढ़कर 2006-07 में 5963 करोड़ रूपये हो गया । सकल राज्य घरेलू उत्पाद तथा राजस्व प्राप्ति दोनों के ही प्रतिशत के रूप में वेतन पर व्यय 2002-07 की अवधि में कम हो गया । 2006-07 में 5,963 करोड़ रूपये का वास्तविक वेतन व्यय मध्यम अवधि राजकोष नीति विवरण पत्रक में परियोजित (7,040 करोड़ रूपये) से कम था । निवल ब्याज भुगतानो के राजस्व व्यय तथा 36 प्रतिशत की दर से पेंशनों से सैम्बन्धित वेतन देयक बारहवें वित्त आयोंग द्वारा अनुशंसित 35 प्रतिशत के मानक से आंशिक तौर पर अधिक था ।

1.4.3.2 पेंशन भुगतान

सारणी -15: पेंशन पर व्यय

(करोड़ रूपये में)

शीर्ष	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07
पेंशन पर व्यय	1010.76	1082.68	1197.27	1329.89	1557.14	1751.69
सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में	1.16	1.25	1.17	1.22	1.32	1.34
राजस्व प्राप्ति के प्रतिशत के रूप में	9	8	8	7	8	7

बारहवें वित्त आयोग ने 10 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर को अंगीकार किया तथा पूर्वानुमान अवधि में भुगतान स्तर उत्पन्न करने के लिए आकलित आधार वर्ष में इसे लागू किया । तथापि यह देखा गया कि पेंशन भुगतान वर्ष 2005-06 में 1,557 करोड़ रूपये से 13 प्रतिशत बढ़कर 2006-07 के दौरान 1,752 करोड़ रूपये हो गया । यह वृद्धि मुख्यतः अधिवार्षिकी तथा सेवा निवृत्ति भत्ते (143.97 करोड़ रूपये), परिवार पेंशन (40.64 करोड़ रूपये) तथा ग्रेच्युटी (8.92 करोड़ रूपये) के अंतर्गत देखी गयी । 2006-07 में 1752 करोड़ रूपये का वास्तविक पेंशन भुगतान मध्यम अवधि राजकोषीय नीति विवरण पत्रक में प्रक्षेपित 1,766 करोड़ रूपये तथा बारहवें वित्त आयोग द्वारा प्रक्षेपित 1,760 करोड़ रूपये से आंशिक तौर पर कम था ।

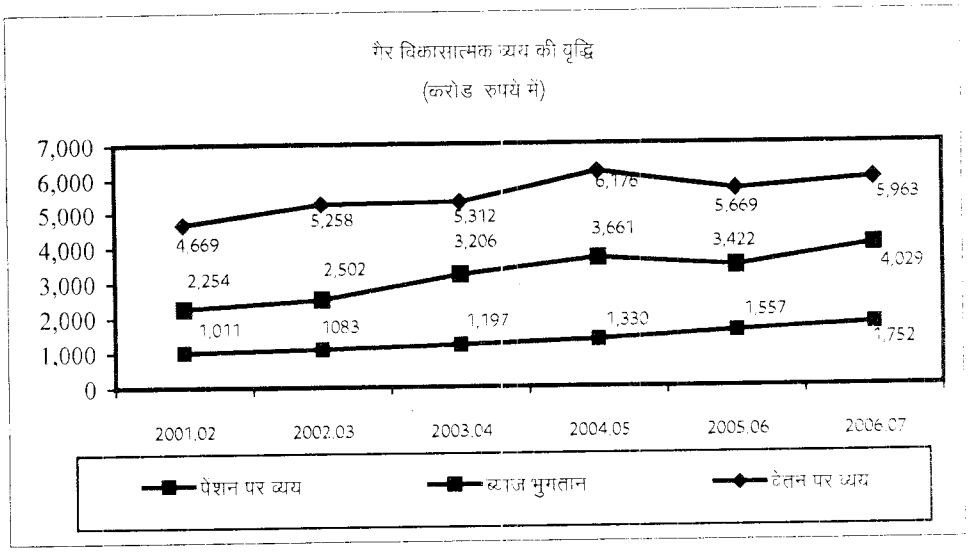
1.4.3.3 ब्याज भुगतान

सारणी -16: ब्याज भुगतान

वर्ष	कुल राजस्व प्राप्तियां	ब्याज भुगतान	निम्न के संदर्भ में ब्याज भुगतानों का प्रतिशत	
	(करोड़ रूपये में)		कुल राजस्व प्राप्तियां	राजस्व व्यय
2001-02	11211	2254	20.11	15.69
2002-03	13391	2502	8.68	17.18
2003-04	14289	3206	22.43	17.08
2004-05	19743	3661	18.54	20.31
2005-06	20597	3422	16.61	16.64
2006-07	25694	4029	15.68	18.02

ब्याज भुगतान 2005-06 में 3,422 करोड़ रूपये से 17.74 प्रतिशत की दर से बढ़कर 2006-07 के दौरान 4029 करोड़ रूपये हो गया और वर्ष 2006-07 के दौरान राजस्व प्राप्तियों का 15.68 प्रतिशत तथा राजस्व व्यय का 18.02 प्रतिशत लेखाबद्ध किया गया। यह वृद्धि मुख्यतः राष्ट्रीय बचत सुरक्षा निधि (एन.एस.एस.एफ.) से लिये गये अधिक मात्रा के ऋण के कारण हुई, जो कि 9.5% वार्षिक की दर से ब्याज वसूलता है । इस वर्ष के दौरान, ब्याज भुगतान बाजार ऋण (906 करोड़ रूपये), राज्य सरकार द्वारा केन्द्र सरकार की राष्ट्रीय बचत सुरक्षा निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियों (1,230 करोड़ रूपये), अन्य आन्तरिक ऋण (569 करोड़ रूपये),राज्य भविष्य निधियां (495 करोड़ रूपये) और केन्द्र सरकार से उधार लिए गये ऋण (718 करोड़ रूपये) तथा अन्य दायित्वों (106 करोड़ रूपये) थे । विगत वर्ष से 2006-07 के दौरान ब्याज भुगतान में

हुई वृद्धि मुख्यतः बाजार ऋणो (80 करोड़ रूपये), केन्द्र सरकार की राष्ट्रीय बचत सुरक्षा निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियों पर ब्याज (284 करोड़ रूपये), अल्प बचत एवं भविष्य निधि (125 करोड़ रूपये) केन्द्र सरकार से ऋणों (18 करोड़ रूपये) और अन्य दायित्वों (21 करोड़ रूपये) हुई थी । यह देखा गया कि वर्ष 2006-07 के दौरान राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में ब्याज भुगतान 16 प्रतिशत था जो बारहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार 2009-10 तक प्राप्त किये जाने वाले 15 प्रतिशत के मानक से तुलना करने योग्य है । इस वर्ष के दौरान भुगतान किया गया 4,029 करोड़ रूपये का ब्याज भुगतान, एफ.पी.एस.एस. में दिये गये 4145 करोड रूपये के बजट अनुमान से कम था ।



1.4.3.4 आर्थिक सहायता

यद्यपि राज्य की वित्त व्यवस्था पर दबाब है, फिर भी राज्य शासन ने विभिन्न निगमों आदि को आर्थिक सहायता प्रदान करना जारी रखा । राज्य शासन द्वारा दी गयी आर्थिक सहायता की प्रवृत्तियां **सारणी -17** में दी गयी है ।

सारणी -17: आर्थिक सहायता

वर्ष	कुल आर्थिक सहायता की राशि (करोड रूपये में)	जिसमें से निम्न को आर्थिक सहायता		पूर्व वर्ष पर कुल आर्थिक सहायता का प्रतिशत वृद्धि (+) कमी (-)	कुल व्यय में कुल आर्थिक सहायता का प्रतिशत
		मध्य प्रदेश राज्य विद्युत मंडल	मध्य प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम		
2001-02	3726.76	2037.01	1.08	(+)98.47	22.66
2002-03	3690.35	979.77	0.00	(-)0.98	21.09
2003-04	6546.88	3954.34	2.00	(+)77.41	30.24
2004-05	4723.30	1465.93	0.00	(-)27.85	17.97
2005-06	6519.46	1984.98	0.00	(+)38.03	23.27
2006-07	7110.47 (पुनरीक्षित अनुमान)	683.37	0.00	(+)9.07	24.96

स्रोत : बजट अनुमान और वित्त विभाग द्वारा प्रदत्त

उपर्युक्त सारणी में दर्शाई गई आर्थिक सहायताओं के विवरणों की संवीक्षा, जो कि वित्त विभाग से प्राप्त की गई तथा राज्य बजट से प्रकट हुआ कि ये लक्ष्य शीर्ष "सहायता अनुदान" से सम्बंध रखती है । अतएव यह राज्य सरकार द्वारा भुगतान की गई वास्तविक आर्थिक सहायता नहीं है । वित्त विभाग ने सूचित किया (अप्रैल 2006) कि आर्थिक सहायता की राशि लक्ष्य शीर्ष "सहायता अनुदान" में शामिल की गई है जो अधोसंरचना, अनुरक्षण अनुदान, विवेकाधीन अनुदान, सहायता प्राप्त अनुदान, जन सम्पर्क दौरे के लिये अनुदान, आर्थिक सहायता तथा अन्य (जिनमें आर्थिक सहायता भी शामिल है) पर व्यय से निर्मित है ।

चूंकि राज्य के बजट में आर्थिक सहायता के लिये कोई विशेष लक्ष्य शीर्ष नहीं खोला गया है अतएव राज्य सरकार द्वारा भुगतान की गई आर्थिक सहायता की वास्तविक राशि की एक जगह गणना करना संभव नहीं है ।

1.5 आबंटनीय प्राथमिकताओं द्वारा व्यय

1.5.1 व्यय की गुणवत्ता

राज्य में उत्तम सामाजिक एवं भौतिक अधोसंरचना की उपलब्धता से व्यय की अपनी गुणवत्ता प्रतिबिम्बित होती है । अतः कुल व्यय के साथ ही सकल राज्य घरेलू उत्पाद पर पूंजी व्यय के अनुपात तथा सक्षमता एवं प्रभावोत्पादकता के साथ चल रही विद्यमान सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं पर व्यय किये जा रहे राजस्व व्यय के समानुपात से व्यय की गुणवत्ता तय की जाती है । कुल व्यय एवं सकल राज्य घरेलू उत्पाद पर इन संघटकों का उच्चतर अनुपात होना ही व्यय की उत्तम गुणवत्ता है । वर्ष 2001-07 के दौरान के ये अनुपात **सारणी -18** में दिये गये है ।

सारणी 18 – व्यय की गुणवत्ता के संकेतक

(करोड़ रूपये में)

	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07
पूंजीगत व्यय	1471	2455	2679	4951	6623	5170
जिसमें से वेतन संघटक	-	-	-	-	104	108
राजस्व व्यय	14369	14560	18765	18026	20563	22363
जिसमें से सामाजिक एवं आर्थिक सेवाये	8946	8709	11600	9641	11853	12456
(i) वेतन संघटक	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	4140	4344
(ii) गैर वेतन संघटक के साथ सामाजिक एवं आर्थिक सेवाएं					7712	8112
राजस्व+ पूंजीगत व्यय के प्रतिशत के रूप में						
पूंजीगत व्यय	9.29	14.43	12.49	21.55	24.36	18.78
राजस्व व्यय	90.71	85.57	87.51	78.45	75.64	81.22
सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में						
पूंजीगत व्यय	1.69	2.84	2.62	4.55	5.62	3.94
राजस्व व्यय	16.56	16.85	18.35	16.55	17.45	17.06

यद्यपि राजस्व एवं पूंजीगत व्यय के योग पर पूंजीगत व्यय के अनुपात से 2001-07 के दौरान बढ़ती हुई प्रवृत्ति प्रदर्शित हुई तब भी 2003-04 और 2006-07 में गिरावट रही थी । पूंजीगत व्यय के अंश में 2005-06 में 24 प्रतिशत से घटकर 2006-07 में 19 प्रतिशत हो जाने की गिरावट मुख्यतः विद्युत परियोजनाओं पर आयोजनेतर पूंजीगत व्यय में (2,576 करोड़ रूपये) गिरावट के कारण थी । राजस्व व्यय ने कुल राजस्व एवं

पूंजीगत व्यय मे सबसे अधिक अंश रखना जारी रखा जो कि 2006-07 में 81 प्रतिशत था । 2006-07 के दौरान सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं पर किये गये राजस्व व्यय मे से, 35 एवं 65 प्रतिशत क्रमशः वेतन एवं गैर वेतन संघटक पर व्यय किये गये । सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में, ये दोनो व्यय, राजस्व व्यय की कम वृद्धि, पूंजीगत व्यय में गिरावट तथा सकल राज्य घरेलू उत्पाद की अधिक वृद्धि के कारण पूर्व वर्ष की तुलना में इस वर्ष के दौरान घट गये हैं । जबकि वर्ष के दौरान कुल राजस्व एवं पूंजीगत व्यय के प्रतिशत के रूप में राजस्व व्यय में वृद्धि हुई है लेकिन पूंजीगत व्यय गिर गया है ।

1.5.2 सामाजिक सेवाओं पर व्यय

यह तथ्य है कि बुनियादी शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं तथा पेयजल एवं स्वच्छता सुविधाओं इत्यादि तक पहुँच जैसे मानव विकास संसूचकों की आर्थिक प्रगति एवं गरीबी उन्मूलन से सुदृढ सम्बद्धता रहती है, अतः राज्य में इन सेवाओं के विस्तार एवं सक्षम व्यवस्था से सम्बन्धित आकलन करना समझदारी होती है । वर्ष 2001-07 के दौरान राज्य में सामाजिक सेवाओं के विस्तार तथा सुदृढ़ीकरण में राज्य सरकार द्वारा किये गये व्यय का सारांश **सारणी -19** में दिया गया है ।

सारणी -19: सामाजिक सेवाओं पर व्यय

(करोड़ रूपये में)

	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07
शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति						
राजस्व व्यय-	2110	2296	2355	2552	2906	3674
जिसमें से,						
(क) वेतन संघटक	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	1786	2261
(ख) गैर वेतन संघटक	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	1120	1413
पूंजीगत व्यय	16	17	20	24	42	68
योग	**2126**	**2313**	**2375**	**2576**	**2948**	**3742**
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण						
राजस्व व्यय-	667	761	761	856	925	1010
जिसमें से,						
(क) वेतन संघटक	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	596	635
(ख) गैर वेतन संघटक	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	329	375
पूंजीगत व्यय	21	18	38	43	64	135
योग	**688**	**779**	**799**	**899**	**989**	**1145**
जल प्रदाय, स्वच्छता गृह निर्माण एवं नगरीय विकास						
राजस्व व्यय-	536	397	459	479	556	902
जिसमें से,						
(क) वेतन संघटक	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	109	120
(ख) गैर वेतन संघटक	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	447	782
पूंजीगत व्यय	72	394	361	242	394	345
योग	**608**	**791**	**820**	**721**	**950**	**1247**
अन्य सामाजिक सेवाएं						
राजस्व व्यय-	1270	1830	1747	1785	2271	1990
जिसमें से,						
(क) वेतन संघटक	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	600	235
(ख) गैर वेतन संघटक	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	1671	1755
पूंजीगत व्यय	63	107	116	123	135	174
योग	**1333**	**1937**	**1863**	**1908**	**2406**	**2164**
योग (सामाजिक सेवाएं)						
राजस्व व्यय-	**4583**	**5284**	**5322**	**5672**	**6658**	**7576**
जिसमें से,						
(क) वेतन संघटक	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	**3091**	**3251**
(ख) गैर वेतन संघटक	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	**3567**	**4325**
पूंजीगत व्यय	**172**	**536**	**535**	**432**	**635**	**722**
योग	**4755**	**5820**	**5857**	**6104**	**7293**	**8298**

सामाजिक सेवाओं पर व्यय 2001-02 में 4,755 करोड़ रूपये से 2006-07 में 8,298 करोड़ रूपये तक बढ़ गया और 2006-07 के दौरान यह कुल राजस्व तथा पूंजीगत व्यय (27,533 करोड़ रूपये) का 30.14 प्रतिशत हिस्सा रहा । "शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति " स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, और जल प्रदाय, स्वच्छता, गृह निर्माण तथा नगरीय विकास ने 2005-06 में 67 प्रतिशत के विरूद्ध 2006-07 के दौरान सामाजिक सेवाओं पर किये गये कुल व्यय के 74 प्रतिशत का अंश बनाया । सामाजिक सेवाये (8298 करोड़ रूपये) विकास व्यय (17,555 करोड़ रूपये) के 47.26 प्रतिशत के लिये लेखांकित की गई ।

पिछले पाँच वर्षो 2002-07 के दौरान सामाजिक सेवाओं पर राजस्व एवं पूंजीगत व्यय की प्रवृत्ति से प्रकट हुआ कि पूंजीगत व्यय का अंश 7 से 9 प्रतिशत के बीच में रहा इससे उक्त अवधि के दौरान राजस्व व्यय का प्रधान अंश होना सूचित हुआ । सामाजिक सेवाओं पर राजस्व व्यय में से, गैर वेतन व्यय में, 2005-06 में 3,567 करोड़ रूपये बढ़कर 2006-07 में 4,325 करोड़ रूपये हो जाने से 21 प्रतिशत की वृद्धि हुई और वेतन व्यय में, 2005-06 में, 3091 करोड़ रूपये से बढ़कर 2006-07 में 3,251 करोड़ रूपये हो जाने से 5 प्रतिशत की वृद्धि हुई । परिणामस्वरूप, वेतन घटक का अंश 2005-06 में 46.47 प्रतिशत से घटकर 2006-07 में 42.91 प्रतिशत रह गया है । इसका यह आशय निकलता है कि अनुरक्षण सहित गैर वेतन संघटक पर अधिक व्यय हुआ, इससे सेवाओं की अधिक अच्छी गुणवत्ता प्रदान करने के लिये कदम उठाया जाना सूचित होता है ।

शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार की आवश्यकता महसूस करते हुए, बारहवे वित्त आयोग ने अनुशंसा की थी कि दी गयी अवधि के दौरान शिक्षा तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के अंतर्गत आयोजनेतर वेतन व्यय को केवल पाँच से छः प्रतिशत तक ही बढ़ाया जाना चाहिए, जबकि आयोजनेतर शीर्षों के अंतर्गत गैर वेतन व्यय को प्रतिवर्ष 30 प्रतिशत तक बढ़ाया जाना चाहिए । तथापि, व्यय की प्रवृत्ति से यह प्रकट होता है कि शिक्षा क्षेत्र के अंतर्गत आयोजनेतर वेतन संघटक 2005-06 से 22 प्रतिशत अधिक हो गया जबकि आयोजनेतर गैर वेतन संघटक 24 प्रतिशत कम हो गया । इसी प्रकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण क्षेत्र के अंतर्गत, आयोजनेतर वेतन संघटक सात प्रतिशत बढ़ गया किन्तु आयोजनेतर गैर वेतन संघटक पिछले वर्ष से 2006-07 में 17 प्रतिशत बढ़ गया । बारहवें वित्त आयोग के मानकों के अनुसार खासतौर पर स्वास्थ्य सेवाओं में व्यय के प्रकार में आगामी वर्षो में आंशिक सुधार करने की आवश्यकता है ।

1.5.3 आर्थिक सेवाओं पर व्यय

आर्थिक सेवाओं पर व्यय में ऐसे सभी व्यय सम्मिलित किये जाते है जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से राज्य की अर्थ व्यवस्था के भीतर उत्पादक क्षमता को प्रोत्साहित करते है। 2001-07 के दौरान आर्थिक सेवाओं पर हुए व्यय का सारांश **सारणी -20** में दिया गया है ।

सारणी -20: आर्थिक क्षेत्र पर व्यय

(करोड़ रूपये में)

	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07
कृषि, सम्बद्ध गति विधियां						
राजस्व व्यय-	1108	1226	1148	1244	1285	1638
जिसमें से,						
(क) वेतन संघटक	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	544	567
(ख) गैर वेतन संघटक	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	741	1071
पूंजीगत व्यय	23	34	50	59	38	47
जिसमें से, वेतन संघटक	-	-	-	-	-	-
योग	**1131**	**1260**	**1198**	**1303**	**1323**	**1685**
सिंचाई एवं नियंत्रण						
राजस्व व्यय-	261	251	270	300	327	341
जिसमें से,						
(क) वेतन संघटक	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध.	अनुपलब्ध	233	253
(ख) गैर वेतन संघटक	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	94	88
पूंजीगत व्यय	685	950	1081	1699	1254	1390
जिसमें से, वेतन संघटक	-	-	-	-	82	87
योग	**946**	**1201**	**1351**	**1999**	**1581**	**1731**
विद्युत एवं ऊर्जा						
राजस्व व्यय-	2037	980	3954	1466	1983	682
जिसमें से,						
(क) वेतन संघटक	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	--	--
(ख) गैर वेतन संघटक	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	1983	682
पूंजीगत व्यय	173	348	328	1747	3236	1086
जिसमें से, वेतन संघटक	-	-	-	-	22	21
योग	**2210**	**1328**	**4282**	**3213**	**5219**	**1768**
परिवहन						
राजस्व व्यय-	246	224	190	140	298	438
जिसमें से,						
(क) वेतन संघटक	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	98	92
(ख) गैर वेतन संघटक	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	200	346
पूंजीगत व्यय	237	315	407	547	809	1218
जिसमें से, वेतन संघटक	-	-	-	-	-	-
योग	**483**	**539**	**597**	**687**	**1107**	**1656**
अन्य आर्थिक सेवाएं						
राजस्व व्यय-	711	744	717	819	1301	1781
जिसमें से,						
(क) वेतन संघटक	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	174	181
(ख) गैर वेतन संघटक	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	1127	1600
पूंजीगत व्यय	159	236	241	321	530	636
जिसमें से, वेतन संघटक	-	-	-	-	-	-
योग	**870**	**980**	**958**	**1140**	**1831**	**2417**
योग (आर्थिक सेवाएं)						
राजस्व व्यय-	4363	3425	6279	3969	5194	4880
जिसमें से,						
(क) वेतन संघटक	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	1049	1093
(ख) गैर वेतन संघटक	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	4145	3787
पूंजीगत व्यय	1277	1883	2107	4373	5867	4377
जिसमें से, वेतन संघटक	-	-	-	-	104	108
योग	5640	5308	8386	8342	11061	9257

2006-07 के दौरान आर्थिक सेवाओं पर व्यय (9,257 करोड़ रूपये), कुल पूंजीगत एवं राजस्व व्यय (27,533 करोड़ रूपये) का 33.62 प्रतिशत रहा । कृषि एवं सम्बद्ध गतिविधियां, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण, ऊर्जा और परिवहन पर हुआ व्यय 2005-06 में

83.45 प्रतिशत के विरूद्ध 2006-07 के दौरान कुल आर्थिक क्षेत्र के 73.89 प्रतिशत के लगभग रहा जिससे राज्य की उत्पादक क्षमता में ह्रास सूचित होता है ।

2001-07 के दौरान आर्थिक सेवाओं पर हुए राजस्व एवं पूंजीगत व्यय की प्रवृत्ति से पता चलता है कि पूंजीगत व्यय 2001-02 में 1,277 करोड़ रूपये (22.64 प्रतिशत) से 2005-06 में 5,867 करोड़ रूपये (53.04 प्रतिशत) तक सुसंगत रूप से बढ़ गया था किन्तु 2006-07 में यह 4,377 करोड़ रूपये (47.28 प्रतिशत) तक कम हो गया, जबकि आर्थिक सेवाओं पर राजस्व व्यय इन वर्षों में घट-बढ़ के साथ 4,363 करोड़ रूपये (77.36 प्रतिशत) से 2006-07 में 4,880 करोड़ रूपये (52.72 प्रतिशत) तक बढ़ गया । पूर्व वर्ष की तुलना में 2006-07 के दौरान राजस्व तथा पूंजीगत व्यय में क्रमशः 314 करोड़ रूपये तथा 1,490 करोड़ रूपये की कमी मुख्यतः विद्युत परियोजनाओं पर दोनों राजस्व तथा पूंजीगत व्यय की कमी के कारण हुई । आर्थिक सेवाओं पर राजस्व व्यय में से, वेतन संघटक 2005-06 सामान्य रूप से 1,049 करोड़ रूपये से बढ़ कर 2006-07 में 1093 करोड़ रूपये हो गया जबकि इसका गैर वेतन संघटक 4,145 करोड़ रूपये से घटकर 3,787 करोड़ रूपये तक कम हो गया, परिणामस्वरूप वेतन संघटक का अंश पूर्व वर्ष की तुलना में 2006-07 में दो प्रतिशत बिन्दुओं तक बढ़ गया है ।

1.5.4 स्थानीय निकायों तथा अन्य संस्थाओं को वित्तीय सहायता

छः वर्ष की अवधि 2001-07 के दौरान स्थानीय निकायों तथा अन्य संस्थाओं को अनुदानों तथा ऋणों के माध्यम से प्रदान की गयी वित्तीय सहायता की राशि **सारणी -21** में प्रस्तुत की गयी है ।

सारणी -21: वित्तीय सहायता

(करोड़ रूपये में)

	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07
शैक्षणिक संस्थाएं (सम्बद्ध विद्यालय, संबद्ध महाविद्यालय विश्व विद्यालय इत्यादि)	154.80	134.56	173.96	158.74	133.37	235.09
नगर निगम एवं नगर पालिकाएं	430.72	506.00	557.35	320.61	1027.34	1499.61
जिला परिषद एवं अन्य पंचायती राज संस्थएं	431.90	526.29	524.58	437.82	685.98	736.45
विकास अभिकरण	153.05	253.29	21.30	7.33	2.00	5.91
अस्पताल एवं अन्य धर्मार्थ संस्थाएं	4.60	7.08	13.71	8.67	7.14	6.49
अन्य संस्थएं	29.65	121.22	113.72	170.90	311.43	470.46[5]
योग	1204.72	1548.44	1404.62	1104.07	2167.26	2954.01
संशोधित अनुमान के प्रतिशत के अनुसार सहायता	8	11	7.5	6.12	10.54	13.20

स्थानीय निकायों तथा अन्य संस्थाओं को वित्तीय सहायता 2005-06 में 2167 करोड़ रूपये से 2006-07 में 2954.01 करोड़ रूपये तक बढ़ गयी । यह वृद्धि जवाहर लाल नेहरू शहरी नवीकरण मिशन (243.33 करोड़ रूपये) एकीकृत आवास एवं गंदी बस्ती

5 *इसमें मुख्यतः सहकारी समितियां (173 करोड़ रूपये), खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता संरक्षण (181 करोड़ रूपये), कृषि विभाग (56 करोड़ रूपये), हाथ करघा (23 करोड़ रूपये), लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी (9 करोड़ रूपये) तथा संस्कृति (8 करोड़ रूपये) और अन्य (20 करोड़ रूपये) शामिल है ।*

विकास कार्यक्रम (58.87 करोड़ रूपये) तथा देवास जिला के शहरी क्षेत्र का विकास (4.69 करोड़ रूपये) के अन्तर्गत सहायता के प्रावधान के कारण मुख्यतः "नगर निगमों तथा नगर पालिकाओं" के अन्तर्गत हुई । राजस्व व्यय के प्रतिशत के रूप में सहायता 2005-06 में 10.54 प्रतिशत से बढ़कर 2006-07 में 13.20 प्रतिशत तक हो गयी ।

1.5.5 उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में विलम्ब

वर्ष 2006-07 तक प्रदत्त कुल 1292.61 करोड़ रूपये के अनुदानों तथा ऋणों के सम्बन्ध में उपयोगिता प्रमाण पत्र (1568 संख्या में) बकाया थे । बकाया उपयोगिता प्रमाण पत्रों के विभागवार विवरण **परिशिष्ट 1.7** में दिये गये हैं ।

1.5.6 लेखाओं को प्रस्तुत न किया जाना

ऐसी संस्थाओं की पहचान करने के लिए, जिनकी नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्त्तव्य, शक्तियां एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 14 तथा 15 के अन्तर्गत लेखापरीक्षा की जाती है, शासन/विभागाध्यक्षों द्वारा प्रत्येक वर्ष विभिन्न संस्थाओं को दी गयी वित्तीय सहायता, दी गयी सहायता का उद्देश्य तथा संस्थाओं के कुल व्यय से सम्बन्धित विस्तृत जानकारी लेखापरीक्षा को प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है । सितम्बर 2007 तक शासन के किसी भी विभाग ने वर्ष 2006-07 के लिए विवरण प्रस्तुत नहीं किये थे ।

1.5.7 स्वायत्त निकायों के निष्पादन का सार

राज्य में तीन निकायों के लेखाओं की लेखापरीक्षा का दायित्व भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को सौंपा गया है । लेखापरीक्षा के दायित्व को सौंपने, लेखापरीक्षा को लेखे प्रस्तुत करने, पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन जारी करने तथा इसे विधान सभा में प्रस्तुत किये जाने के सम्बन्ध में स्थिति **परिशिष्ट - 1.8** में सूचित की गयी है ।

1.6 दुर्विनियोजन, हानियां, व्यपहरण आदि

राज्य शासन ने 1965-66 से मार्च 2007 के अंत तक की अवधि के 6.00 करोड़ रूपये की शासकीय राशि से अंतर्निहित दुर्विनियोग, व्यपहरण आदि के 825 प्रकरण प्रतिवेदित किये थे जिन पर अंतिम कार्यवाही लम्बित थी । लम्बित प्रकरणों का विभागवार ब्यौरा **परिशिष्ट 1.9** में दिया गया है ।

1.6.1 हानियों आदि का अपलेखन

लेखापरीक्षा को प्रतिवेदित जानकारी के अनुसार, 2006-07 के दौरान 30 प्रकरणों में चोरी, आगजनी तथा वसूल न किये गये राजस्व इत्यादि के कारण 1.89 करोड़ रूपये की हानियों को सक्षम अधिकारियों द्वारा अपलेखित किया गया था । सम्बन्धित विवरण **परिशिष्ट 1.10** में दिये गये है ।

1.7 परिसम्पत्तियां तथा देयताएं

शासकीय लेखाकरण में, शासकीय स्वामित्व की भूमि तथा भवनों जैसी स्थिर परिसम्पत्तियों का विस्तृत लेखाकरण नहीं किया जाता है । तथापि, शासकीय लेखाओं मे शासन की वित्तीय देयताओं तथा किये गये व्यय से सृजित परिसम्पत्तियों का विवरण अवश्य सम्मिलित किया जाता है । 31 मार्च 2006 की संगत स्थिति की तुलना में 31 मार्च 2007 की स्थिति में ऐसी देयताओं तथा परिसम्पत्तियों का एक सार रूप **परिशिष्ट 1.4** में दिया गया है ।. इस परिशिष्ट में देयताओं के अंतर्गत मुख्यतः आंतरिक कर्जे, भारत सरकार से प्राप्त ऋण तथा अग्रिम, लोक लेखा तथा संचित निधियों से प्राप्तियों को समाविष्ट किया गया है, जबकि परिसम्पत्तियों में मुख्यतः पूंजीगत परिव्यय एवं राज्य सरकार द्वारा दिये गये ऋण तथा अग्रिम और रोकड़ शेष को समाविष्ट किया गया है । **परिशिष्ट 1.11** में 2001-07 की अवधि से सम्बन्धित राज्य सरकार की अर्थ व्यवस्था के समय श्रृंखलाबद्ध आंकड़े दर्शाए गये है ।

1.7.1 सिचाई निर्माण कार्यो के वित्तीय परिणाम

बड़ी मध्यम और लघु सिचाई परियोजनाओं के वित्तीय परिणाम दर्शाते है कि वर्ष के दौरान 339.45 करोड़ रूपये के राजस्व व्यय के विरूद्ध, 2006-07 के दौरान इन परियोजनाओं से वसूल किया गया राजस्व (38.75 करोड़ रूपये) राजस्व व्यय का 11.42 प्रतिशत था जो कि संधारण पर किये जाने वाले व्यय की पूर्ति के लिए भी पर्याप्त नहीं था ।

1.7.2 शासकीय निवेश का वित्तीय विश्लेषण

1.7.2.1 निवेश एवं प्रतिलाभ

31 मार्च 2007 की स्थिति में, सरकार सांविधिक निगमों, ग्रामीण बैंको, संयुक्त स्टॉक कम्पनियों और सहकारी समितियों में 8,161.71 करोड़ रूपये का निवेश कर चुकी थी **(सारणी -22)** । मार्च 2007 के अंत में, 8,161.71 करोड़ रूपये के कुल निवेश में से 1,619.56 करोड़ रूपये मध्य प्रदेश के संयुक्त राज्य से सम्बंधित थे, लेकिन मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य के बीच में आवंटन के लम्बित रहते हुये मध्यप्रदेश में रोक रखे गये {सांविधिक निगम (935.47 करोड़ रूपये) सरकारी कम्पनियां (199.54 करोड़ रूपये) सहकारी बैंक एवं समितियां (438.01 करोड़ रूपये) तथा संयुक्त स्टॉक कम्पनियां (1.54 करोड़ रूपये)} थे । इस निवेश पर प्रतिफल 2006-07 में 0.18 प्रतिशत था जबकि सरकार ने 2006-07 के दौरान इसकी उधारियों पर 7.86 प्रतिशत की औसत दर पर ब्याज का भुगतान किया ।

इनमें से तीन सांविधिक निगम और 12 सरकारी कम्पनियां 2006-07 तक 1,501 करोड़ रूपये के सम्पूर्ण निवेश के साथ हानि उठा रही थीं तथा इन कम्पनियों द्वारा 2006-07 तक प्रेषित लेखाओं के अनुसार, इनकी संचयी हानियों की राशि 3,378 करोड़ रूपये थी **(परिशिष्ट 1.12)**। बड़ी हानि उठाने वाली इकाइयों में मध्यप्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड, भोपाल (634 करोड़ रूपये), मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र

विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड, इन्दौर (200 करोड़ रूपये), मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड, भोपाल (305 करोड़ रूपये), आप्टेल टेली कम्युनिकेशन लिमिटेड, भोपाल (112 करोड़ रूपये) मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मंडल जबलपुर (949 करोड़ रूपये), मध्यप्रदेश सड़क परिवहन निगम (781 करोड़ रूपये) तथा मध्य प्रदेश वित्त निगम (227 करोड़ रूपये) शामिल थीं ।

इस प्रकार, सरकार को अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए केवल उच्च लागत की उधारियों का अधिक विवेक पूर्ण तरीके से निवेश करना ही आवश्यक नहीं है, अपितु ऐसी इकाइयों का विनिवेश करते हुए बीमार इकाइयों के सम्बन्ध में हानियों का समाधान भी करना चाहिए । अवधि 1996-98 के दौरान, मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मंडल में 710 करोड़ रूपये का निवेश किया गया था जिसे छत्तीसगढ़ तथा मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मंडलों में पुनर्गठित किया गया (नवम्बर 2000), किन्तु इसकी परिसम्पत्तियों तथा देयताओं का पुनर्वितरण अभी किया जाना शेष है ।

सारणी -22: निवेश पर प्रतिलाभ

वर्ष	वर्ष के अंत में निवेश	प्रतिलाभ	प्रतिलाभ का प्रतिशत	शासकीय उधारी पर ब्याज की औसत दर	ब्याज दर एवं प्रतिलाभ के बीच अंतर
	(करोड़ रूपये में)		(प्रतिशत)		
2001-02	1687.08	1.64	0.10	9.19	9.09
2002-03	1702.39	4.09	0.24	8.81	8.57
2003-04	1737.29	8.42	0.48	9.41	8.93
2004-05	4151.65	2.50	0.06	8.96	8.90
2005-06	4965.99	5.72	0.08	7.33	7.25
2006-07	8161.71	14.44	0.18	7.86	7.68

1.7.2.2 राज्य सरकार द्वारा ऋण एवं अग्रिम

सहकारी समितियों, निगमों तथा कम्पनियों में निवेश के अतिरिक्त, सरकार इनमें से कई संस्थाओं/संगठनों एवं अन्यों को भी कर्जे एवं अग्रिम उपलब्ध कराती रही है । 31 मार्च 2007 की स्थिति के अनुसार, ऋणों एवं अग्रिमों की कुल बकाया राशि 4,773 करोड़ रूपये थी (**सारणी -23**)। इन ऋणों तथा अग्रिमों के विरूद्ध प्राप्त ब्याज बहुत न्यून था और अंतवर्ती वर्षों में घट-बढ के साथ, 2001-02 में 9.49 प्रतिशत से 2006-07 में 0.32 प्रतिशत तक कम हो गया ।

सारणी -23: राज्य सरकार द्वारा ऋणों एवं अग्रिमों पर प्राप्त औसत ब्याज

(करोड़ रूपये में)

	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07
प्रारम्भिक शेष	2991	2002	2440	2608	5866	3848
वर्ष के दौरान दी गयी अग्रिम राशि	599	481	204	3311	834	953
वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान की गयी राशि	1588	43	36	53	2852	28
अंतिम शेष	2002	2440	2608	5866	3848	4773
निबल वृद्धि	(-)989	438	168	3258	(-)2018	925
प्राप्त ब्याज	237	24	11	5	481	14
औसत बकाया ऋणों एवं अग्रिमों के प्रतिशत के रूप में प्राप्त ब्याज	9.49	1.08	0.44	0.12	9.9	0.32
राज्य सरकार द्वारा उधारियों पर भुगतान की गई औसत ब्याज दर (प्रतिशत में)	9.19	8.81	9.41	8.96	7.33	7.86
औसत ब्याज भुगतान एवं प्राप्ति के बीच अंतर (प्रतिशत)	(-)0.30	7.73	8.97	8.84	(-)2.57	7.54

यह अवलोकन किया गया कि मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मंडल तथा उसकी उत्तराधिकारी कम्पनियों से, 31 मार्च 2007 की स्थिति में, बकाया ऋणों एवं अग्रिमों (4,773 करोड़ रूपये) की 46 प्रतिशत राशि (2,211 करोड़ रूपये) वसूल की जानी है । 2005-06 के दौरान, वित्त लेखे में मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मंडल से 2,749.36 करोड़ रूपये की वसूली दर्शाई गई थी तथा इस वर्ष के दौरान उत्तराधिकारी कम्पनियों में निवेश के रूप में राशि का समायोजन भी सूचित किया गया था । उधारियों पर 7.86 प्रतिशत की दर से भुगतान किया गया औसत ब्याज, राज्य सरकार द्वारा 2006-07 के दौरान दिये गए ऋण ओर अग्रिमों पर 0.32 प्रतिशत की दर से प्राप्त ब्याज की तुलना में अधिक था । वर्ष के दौरान 28 करोड़ रूपये के ऋणों और अग्रिमों की वसूली वर्ष के लिये 43.69 करोड़ रूपये के बजट अनुमान तथा 58 करोड़ रूपये के पुनरीक्षित अनुमान की अपेक्षा कम थी।

1.7.3 रोकड़ शेषों का प्रबन्धन

सामान्यतः यह अपेक्षा की जाती है कि राज्य के आर्थिक स्रोतों का प्रवाह इसके व्यय दायित्वों के अनुरूप होना चाहिये । तथापि स्रोतों के प्रवाह एवं व्यय दायित्वों में किसी अस्थायी अंतर के संबंध में सावधानी बरतने हेतु भारतीय रिजर्व बैंक से साधारण एवं विशिष्ट अर्थोपाय अग्रिमों के एक तन्त्र की प्रतिस्थापना की गई है । वर्ष के दौरान, राज्य ने कोई भी अर्थोपाय अग्रिम नहीं लिया है । 2001-07 के दौरान उपयोग किये गये अर्थोपाय अग्रिमों एवं अधिविकर्षों, उपयोग किये गये अवसरों की संख्या तथा राज्य सरकार द्वारा भुगतान किये ब्याज का विवरण **सारणी 24** में दिया गया है ।

सारणी -24: राज्य के अर्थोपाय अग्रिम एवं अधिविकर्ष

(करोड़ रूपये में)

	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07
अर्थोपाय अग्रिम						
वर्ष में लिया गया अर्थोपाय अग्रिम	2491.64	2306.65	5330.26	2234.74	निरंक	निरंक
बकाया अर्थोपाय अग्रिम यदि कोई हो	--	--	266.78	--	निरंक	निरंक
भुगतान किया गया ब्याज	10.51	11.55	14.06	3.75	निरंक	निरंक
दिनों की संख्या	117	103	200	127	निरंक	निरंक
अधिविकर्ष						
वर्ष में लिया गया अधिविकर्ष	3722.79	4140.40	1083.54	--	निरंक	निरंक
दिनों की संख्या	172	176	60	--	निरंक	निरंक
भुगतान किया गया ब्याज	5.08	6.69	3.41	--	निरंक	निरंक

1.8 अमुक्त देयताएं

राजकोषीय उत्तरदायित्व बजट प्रबंधन अधिनियम 2005 में "कुल देयताओं" से अभिप्राय राज्य की संचित निधि तथा राज्य के लोक लेखा के अंतर्गत देयताओं से है जिनमें राज्य

शासन के जोखिम भारित प्रत्याभूत देयताएं सम्मिलित की जाती हैं तथा जहाँ मूलधन तथा/अथवा ब्याज का भुगतान राज्य बजट से किया जाता है।

1.8.1 राजकोषीय देयताएं

देयताएं दो प्रकार की होती हैं - लोक ऋण तथा अन्य देयताएं । लोक ऋण में राज्य का आंतरिक ऋण सम्मिलित होता है जिसे वार्षिक वित्तीय विवरण पत्रकों में संचित निधि पूँजीगत लेखा के अतंर्गत प्रतिवेदित किया जाता है। इसमें बाजार ऋण, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी विशेष प्रतिभूतियाँ तथा केन्द्र सरकार से ऋण एवं अग्रिम सम्मिलित होते हैं । भारत के संविधान में यह व्यवस्था है कि कोई राज्य भारत के राज्यक्षेत्र के अंतर्गत अपनी संचित निधि की प्रतिभूति पर, उन सीमाओं के अंतर्गत, जो समय समय पर राज्य विधायिका ने अधिनियम द्वारा निर्धारित की हों, उधार ले सकता है तथा ऐसी सीमाओं के अंतर्गत जो निर्धारित की जाएं, प्रतिभूति दे सकता है! अन्य देयताओं में, जो लोक लेखा का भाग होती हैं, लघु बचत योजनाओं के अंतर्गत जमाओ भविष्य निधियों तथा अन्य जमाओं को सम्मिलित किया जाता है।

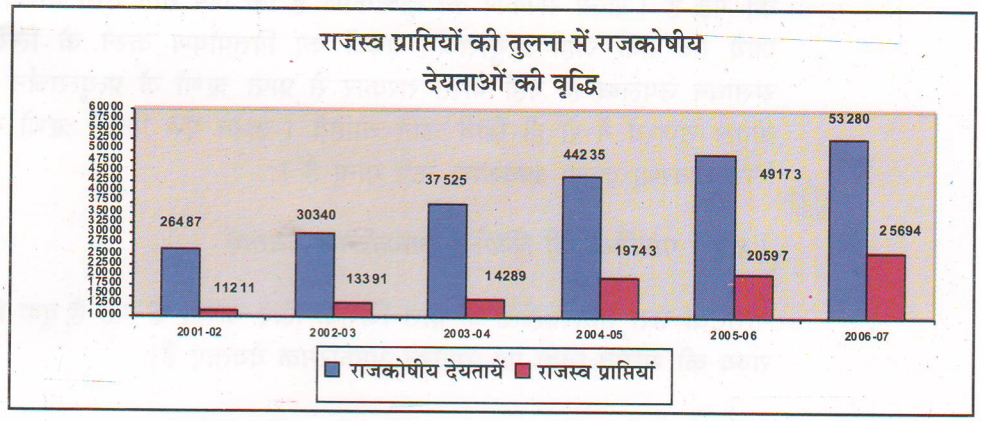
सारणी -25 में राज्य की राजकोषीय देयताएं, इसकी वृद्धि दर, इन देयताओं का सकल राज्य घरेलू उत्पाद, राजस्व प्राप्तियों तथा स्वयं के संसाधनों की तुलना में अनुपात और इन प्राचलों के संबंध में राजकोषीय देयताओं की उत्प्लावकता दर्शाई गई है !

सारणी -25: राजकोषीय देयताएं - आधारभूत प्राचल

	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07
राजकोषीय देयताएं[6] (करोड़ रूपये में)	26487	30340	37525	44235	49173	53280*
वृद्धि दर (प्रतिशत)	17.46	14.55	23.68	17.88	11.16	8.35
राजकोषीय देयताओं का निम्नलिखित की तुलना में अनुपात						
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत)	30.52	35.11	36.69	40.62	41.74	40.64
राजस्व प्राप्तियाँ (प्रतिशत)	236.26	226.57	262.61	224.05	238.74	207.36
स्वयं के संसाधन (प्रतिशत)	421.70	388.97	453.80	361.54	434.28	405.76
राजकोषीय देयताओं की उत्प्लावकता का निम्नलिखित की तुलना में अनुपात						
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (अनुपात)	1.67	(-)32.33	1.29	2.76	1.36	0.74
राजस्व प्राप्तियाँ (अनुपात)	(-)1.38	0.75	3.53	0.47	2.58	0.34
स्वयं के संसाधन (अनुपात)	(-)1.19	0.60	3.94	0.37	(-) 1.50	0.52

* ***इसमें मध्यप्रदेश तथा छत्तीसगढ़ के मध्य विभाजित न किये गये 662 करोड़ रूपये सम्मिलित है ।***

6 *राजकोषीय देयताओं में भारत सरकार से समस्त आंतरिक कर्ज, ऋण एवं अग्रिम, लघु बचतें, भविष्य निधियां इतयादि वाणिज्यिक उपक्रमों की ह्रास आरक्षित निधि जैसी ब्याज सहित बाध्यतायें, जमाएं तथा स्थानीय निधि की जमाएं सिविल जमा एवं अन्य चिन्हित निधि जैसी ब्याजरहित बाध्यताएं शामिल की गई हैं ।*



राज्य की कुल मिलाकर राजकोषीय देयतायें 2001-02 में 26,487 करोड़ रूपये से बढ़कर 2006-07 में 53,280 करोड़ रूपये हो गई । वृद्धि दर 2005-06 में 11.16 प्रतिशत के विरूद्ध घटकर 2006-07 के दौरान 8.35 प्रतिशत हो गई । वर्ष 2006-07 के दौरान 4,107 करोड़ रूपये की राजकोषीय देयताओं की वृद्धि मुख्यतः सरकार के आन्तरिक ऋण (3,183 करोड़ रूपये) में, उसमें भी मुख्यतः बाजार ऋणों (1,063 करोड़ रूपये) भारतीय रिजर्व बैंक की राष्ट्रीय कृषि साख निधि से ऋणों (404 करोड़ रूपये), केन्द्र सरकार की एन.एस.एस. निधि (2,045 करोड़ रूपये) तथा सिविल जमा, स्थानीय निधि, चिन्हित निधियों इत्यादि की जमा (1,101 करोड़ रूपये) जैसी ब्याज रहित बाध्यताओं के अन्तर्गत वृद्धि के कारण हुई । सकल राज्य घरेलू उत्पाद पर राजकोषीय देयताओं का अनुपात भी 2001-02 में 30.52 प्रतिशत से बढ़कर 2006-07 में 40.64 प्रतिशत हो गया । ये देयतायें 2006-07 के अन्त में राजस्व प्राप्तियों से 2.07 गुनी तथा राज्य के स्वयं के संसाधनों से 4.06 गुनी थी । 2001-06 के दौरान राजकोषीय देयतायें राज्य के सकल घरेलू उत्पाद से अधिक तेज गति से बढ़ चुकी थीं परन्तु 2006-07 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि राजकोषीय देयताओं से अधिक थी । सकल राज्य घरेलू उत्पाद के संदर्भ से इन देयताओं की उत्प्लावकता 2005-06 में 1.36 से घटकर इस वर्ष के दौरान 0.74 रह गयी थी । इससे यह सूचित होता है कि 2006-07 के दौरान सकल राज्य घरेलू उत्पाद में प्रत्येक एक प्रतिशत वृद्धि के लिये राजकोषीय देयतायें 0.74 प्रतिशत तक बढ़ीं । राजस्व प्राप्ति पर राजकोषीय देयता की उत्प्लावकता भी 2005-06 में 2.58 से घटकर 2006-07 में 0.34 रह गयी । इससे ऋण प्रबंधन में सुधार का संकेत मिला राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2005 में इन देयताओं को सीमित करने के लिये लक्ष्य निर्धारित किया गया ताकि कुल देयतायें 10 वर्षो अर्थात 31 मार्च 2015 तक की अवधि के अंतर्गत उस वर्ष के अनुमानित सकल राज्य घरेलू उत्पाद पर 40 प्रतिशत से अधिक न बढ़े । यह अवलोकन किया गया कि यह अनुपात वर्ष के दौरान 40.64 प्रतिशत था । वर्ष के दौरान सकल राज्य घरेलू उत्पाद तथा राजस्व प्राप्तियों पर राजकोषीय देयताओं के अनुपात क्रमशः 40.64 प्रतिशत तथा 207.36 प्रतिशत थे जो क्रमशः 52.19 तथा 279.70 के तत्सम्बंधी बजट अनुमान से कम थे ।

राज्य सरकार द्वारा बैंक से ऋण, एन.एस.एस.एफ. इत्यादि को जारी की गई प्रतिभूतियों के रूप में देयताओं सहित समस्त ऋणों के प्रत्युत्सर्जन के लिये डूबंत निधि स्थापित नहीं

की गई है । राज्य सरकार का दृष्टिकोण है कि जब तक ऐसा करना बाध्यकारी न हो जाये तब तक जहाँ प्रत्युत्सर्जन प्रबंधों का वित्तपोषण करने के लिये पर्याप्त राजस्व संसाधन उपलब्ध हों वहाँ भारत सरकार से प्राप्त ऋणों के प्रत्युत्सर्जन के लिये प्रावधान केवल राजस्व में से ही किये जाने चाहिये । उसने ऐसे किसी ऋणों के प्रत्युत्सर्जन के लिये व्यवस्था करना आवश्यक नहीं माना है ।

1.8.2 गारंटियों की स्थिति - आकस्मिक देयताएं

गारंटियाँ उस उधारग्रहीता के द्वारा जिसके लिए गारंटी दी गई है,चूक होने की स्थिति में राज्य की संचित निधि पर प्रभारित आकस्मिक देयताएं हैं।

वित्त लेखों के विवरण पत्रक 6 के अनुसार वर्ष 2000-01 से वर्ष के अंत में अधिकतम राशि,जिसके लिए राज्य द्वारा गारंटियाँ दी गई हैं तथा लंबित गारंटियों का विवरण **सारणी-26** में दिया गया है।

सारणी-26: मध्यप्रदेश शासन द्वारा दी गई गारंटियाँ

(करोड़ रूपये में)

वर्ष	अधिकतम राशि जिसके लिए गारंटी दी गई है	गारंटियों की बकाया राशि	अधिकतम राशि, जिसके लिए गारंटी दी गई है, का कुल राजस्व प्राप्ति की तुलना में प्रतिशत
2001-02	9701.32	471.49	86.53
2002-03	11572.37	584.65	86.41
2003-04	12131.29	973.72	84.89
2004-05	12506.62	2016.27	63.34
2005-06	12636.80	613.37*	61.35
2006-07	12424.26	865.82*	48.35

* *उस सीमा तक जहां तक जानकारी वित्त लेखे में उपलब्ध थी ।*

गारंटियों की बकाया राशि आकस्मिक देयताओं के रूप में है, जो कि राजस्व प्राप्तियों का 3.37 प्रतिशत थी । राज्य शासन द्वारा गारंटियां सांविधिक निगमों,शासकीय कम्पनियों, द्वारा उठाये गये ऋणों जैसी कुल देयताओं के निर्वहन के लिये दी गई थी ऐसी कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है जिसके अंदर राज्य की संचित निधि की प्रतिभूति पर शासन गारंटी दे सके। वर्ष 2006-07 के दौरान, राज्य सरकार द्वारा 12,424 करोड़ रुपए की गारंटी दी गई थी, जिसमें से वर्ष के अंत में 866 करोड़ रुपए की राशि बकाया थी। 866 करोड़ रुपए की बकाया गारंटी में से,ब्याज के रुप में 82 करोड़ रुपए की राशि बकाया थी। राज्य शासन ने वर्ष 2005-06 के दौरान 103.71 करोड़ रुपए की राशि के गारंटी मोचन निधि का गठन किया । वर्ष 2006-07 के अंत में निधि एवं निवेश लेखे के अंतर्गत 205.31 करोड़ रूपये का अंत शेष था । राजकोषीय उत्तरदायित्व बजट प्रबंधन अधिनियम 2005 वार्षिक वृद्धीय गारंटियों को सीमित करने के लिए राजकोषीय लक्ष्य निर्धारित करता है जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि कुल गारंटियाँ चालू वर्ष से पूर्व वर्ष की कुल राजस्व प्राप्तियों के योग का 80 प्रतिशत से अधिक न हो । 2006-07 के दौरान राज्य सरकार द्वारा गारंटी दी गई 866 करोड़ रूपये की लम्बित राशि चालू वर्ष से पहले के वर्ष की कुल राजस्व प्राप्ति का 4.20 प्रतिशत

थी । यदि 866 करोड़ रूपये की गारंटी की लम्बित राशि के कारण आकस्मिक देयता की पूर्ति उधारकर्त्ताओं द्वारा नहीं की गई तो यह राज्य की समेकित निधि पर देयता बनेगी तथा उतनी ही मात्रा में इस प्रकार राजकोषीय देयता में वृद्धि होगी । उस मामले में, ऋण सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात आंशिकतौर पर 41.30 प्रतिशत तक बढ़ेगा ।

1.9 ऋण धारणीयता

ऋण धारणीयता किसी समयावधि में ऋण तथा सकल घरेलू उत्पाद का एक स्थिर अनुपात बनाये रखने की राज्य की योग्यता के रूप में परिभाषित की जाती है तथा अपने ऋणों के निवर्हन के सम्बन्ध में सरोकार को मूर्त रूप भी देती है । अतएव ऋण की धारणीयता का उल्लेख चालू अथवा प्रतिबद्ध दायित्वों को पूरा करने के लिये अस्थिर परिसम्पित्तयों की पर्याप्तता एवं अतिरिक्त उधारियों की लागत के साथ ऐसी उधारियों से प्रतिलाभ के बीच संतुलन बनाये रखने की क्षमता के लिए भी किया जाता है । इसका तात्पर्य है कि राजकोषीय घाटे में चढ़ाव को ऋण-सेवा की क्षमता में वृद्धि के अनुरूप होना चाहिये । ऋण धारणीयता के लिये पूर्ण शर्त है ऋण/सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात के संदर्भ में ऋण-स्थिरीकरण ।

1.9.1 ऋण स्थिरीकरण

ऋण स्थिरता के लिये एक आवश्यक शर्त है कि यदि अर्थव्यवस्था में वृद्धि की दर, लोक ऋणों की लागत अथवा ब्याज दर से अधिक होती है तो ऋण-सकल घरेलू उत्पाद अनुपात के स्थिर होने की संभावना होती है बशर्ते प्राथमिक शेष शून्य हो अथवा धनात्मक अथवा संतुलित रूप से ऋणात्मक हों । दर प्रसार (सकल राज्य घरेलू उत्पाद दर में से ब्याज दर को घटाकर) एवं प्रमात्रा प्रसार (ऋण दर प्रसार)प्रदत्त है तो ऋण धारणीयता की शर्त है कि यदि प्राथमिक घाटे के साथ-साथ् प्रमात्रा प्रसार शून्य है तो ऋण -सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात स्थिर होगा अथवा अन्ततः ब्याज स्थिर होगा । दूसरी ओर, यदि प्राथमिक घाटे के साथ-साथ प्रमात्रा प्रसार ऋणात्मक हो जाता है तो ऋण सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात में वृद्धि होगी और यदि यह वृद्धि धनात्मक है तो, ऋण-सकल राज्य घरेलू उत्पाद में अन्ततः गिरावट आयेगी। ऋण स्थिरीकरण की ओर उन्नति को इंगित करते हुये राजकोषीय वैभिन्नताओं में प्रवृत्तियों को **सारणी 27** में दर्शाया गया है ।

सारणी -27: ऋण धारणीयता - ब्याज दर एवं सकल राज्य घरेलू उत्पाद वृद्धि (प्रतिशत में)

	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07
औसत ब्याज दर	9.19	8.81	9.41	8.96	7.33	7.86
सकल राज्य घरेलू उत्पाद वृद्धि	10.46	(-)0.45	18.36	6.49	8.19	11.26
ब्याज प्रसार	1.27	(-)9.26	8.95	(-)2.47	0.86	3.40
राजकोषीय देयतायें (करोड़ रूपये में)	22548	26487	30340	37525	44235	49173
प्रमात्रा प्रसार (करोड रूपये में)	286	(-)2453	2715	(-)927	380	1672
प्राथमिक घाटा (-)/ अधिशेष(+) (करोड़ रूपये)	(-)1391	(-)1560	(-)4117	(-)2831	(-)1149	(+)1274

मात्रा प्रसार (क्वान्टम स्प्रैड) की तुलना में प्राथमिक घाटे के विश्लेषण से प्रकट हुआ कि उनकी राशियां 2001-06 की अवधि के प्रत्येक वर्ष में नकारात्मक परिणाम देने वाली रही, इससे उक्त अवधि के दौरान ऋण-सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात के ऊपर उठने का संकेत मिलता है परन्तु 2006-07 में, राज्य ने सुधार किया है तथा 1,274 करोड़ रूपये की प्राथमिक अधिशेष प्राप्त की है, परिणामस्वरूप मात्रा प्रसार की तुलना में प्राथमिक बचत सकारात्मक परिणाम देनेवाली बनी । इससे ऋण-सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात मे गिरावट होने की प्रवृत्ति का संकेत मिला, यह प्रवृत्ति यदि आगे भी जारी रही तो राज्य की ऋण धारणीयता में सुधार होगा ।

1.9.2 ऋण-रहित प्राप्तियों की पर्याप्तता

ऋण स्थिरता और इसकी धारणीयता के लिये दूसरा सूचक है राज्य की संवृद्धीय ऋण-रहित प्राप्तियों की पर्याप्तता जिससे संवृद्धीय ब्याज देयताओं एवं संवृद्धीय प्राथमिक व्यय को सुरक्षित किया जा सके । ऋण धारणीयता को महत्वपूर्ण रूप से सुविधाजनक बनाया जा सकता है यदि संवृद्धीय ऋण-रहित प्राप्तियों से संवृद्धीय ब्याज भार एवं संवृद्धीय प्राथमिक व्यय को चुकाया जा सके । **सारणी -28**, 2002-07 की अवधि के लिये पारिभाषित संसाधन अंतराल को दर्शाती है ।

सारणी 28: संवृद्धीय ऋणरहित प्राप्तियां एवं कुल व्यय

(करोड़ रूपये में)

अवधि	संवृद्धीय				संसाधन अंतराल
	ऋण-रहित प्राप्तियां	प्राथमिक व्यय	ब्याज भुगतान	कुल व्यय	
1	2	3	4	5 (3+4)	6 (2-5)
2001-02	(-)53	210	(-)157	53	(-)106
2002-03	635	804	248	1052	(-)417
2003-04	891	3448	704	4152	(-)3261
2004-05	5451	4185	455	4640	811
2005-06	3653	1971	(-)239	1732	1921
2006-07	2282	(-)141	607	466	1816

सतत नकारात्मक संसाधन रिक्तता होने से ऋण की गैरधारणीयता का संकेत मिलता है जबकि सकारात्मक संसाधन रिक्तता से ऋण को धारणीय रखने की राज्य की क्षमता सुदृढ़ होती है । पहले तीन वर्षो (2001-04) के दौरान वृद्धिपरक गैरऋण प्राप्तियां प्राथमिक व्यय की वृद्धिपरक आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिये काफी नही थी परिणामस्वरूप वर्ष के दौरान लेन-देन किये गए राजकोषीय क्रियाकलापों के कारण नकारात्मक संसाधन रिक्तता निर्मित हुई । अनुवर्ती तीन वर्षो में (2004-07), गैरऋण प्राप्तियां तेजी से बढ़ी जिनसे न केवल प्राथमिक लेखे की अतिरिक्त आवश्यकताओं की पूर्ति हुई बल्कि वृद्धिपरक ब्याज देयताओं की पूर्ति करने के पश्चात् मध्यम से लम्बी अवधि में ऋण को पोषण करने के लिए राज्य की बढ़ती हुई क्षमता को सूचित करते हुए सकारात्मक संसाधन रिक्तता भी निर्मित हुई ।

1.9.3 निधियों की निवल उपलब्धता

राज्य की ऋण-धारणीयता (I) कुल ऋण प्राप्तियों से ऋण-मोचन (मूलधन + ब्याज भुगतान) के अनुपात एवं (II) उधार ली गई निधियों की उपलब्धता का अनुप्रयोग करने पर भी आधारित होती है । ऋण-प्राप्तियों से ऋण मोचन का अनुपात उस सीमा को इंगित करता है जहां तक उधार ली गई निधियों की निवल उपलब्धता को दर्शाते हुए ऋण-मोचन के लिए ऋण प्राप्तियों का उपयोग किया जाता है । सरकार की ऋण-समस्या का समाधान उधार ली गई निधियों के अनुप्रयोग पर आधारित है अर्थात इनका उपयोग (क) राजस्व व्यय के वित्त् पोषण के लिये नहीं किया जायें एवं (ख) इनका उपयोग पूंजीगत व्यय के लिए दक्षतापूर्वक एवं उत्पादनकारी रूप से किया जाए जो कि प्रत्यक्ष रूप से प्रतिलाभ दे सके तथा अर्थ-व्यवस्था की उत्पादकता में वृद्धि कर सके, सामान्यतः जिसके परिणामस्वरूप सरकार के राजस्व मे वृद्धि परिलक्षित हो सके ।

नीचे दी गई **सारणी -29** आंतरिक ऋण की प्राप्ति एवं पुर्नभुगतान एवं राज्य की अन्य राजकोषीय देयताओं के साथ-साथ विगत छः वर्षो मे उधार ली गई निधियों की निवल उपलब्धता की स्थिति दर्शाती है ।

सारणी -29: उधार ली गई निधियों की निवल उपलब्धता

(करोड़ रूपये में)

	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07
आंतरिक ऋण						
प्राप्ति	1830	3169	7949	6908	4867	4172
पुर्नभुगतान (मूलधन+ ब्याज)	906	1105	1857	3061	2806	3699
उपलब्ध निवल निधि	924	2064	6092	3907	2061	473
उपलब्ध निवल निधि (प्रतिशत)	50	65	77	56	42	11
भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम						
प्राप्ति	1451	1780	1723	1881	294	431
पुर्नभुगतान (मूलधन+ ब्याज)	1368	2468	3158	3052	1115	1460
उपलब्ध निवल निधि	83	(-)688	(-)1435	(-)1171	(-)821	(-)1029
उपलब्ध निवल निधि (प्रतिशत)	6	(-)39	(-)83	(-)62	(-)279	(-)239
अन्य देयताऐं						
प्राप्ति	3863	4752	5122	5698	5904	6475
पुर्नभुगतान (मूलधन+ ब्याज)	3195	4777	5720	5364	5615	5818
उपलब्ध निवल निधि	668	(-)25	(-)598	334	289	657
उपलब्ध निवल निधि (प्रतिशत)	17	(-)1	(-)12	6	5	10
कुल देयताएं						
प्राप्ति	7144	9701	14794	14547	11065	11078
पुर्नभुगतान (मूलधन+ ब्याज)	5469	8350	10735	11477	9536	10977
उपलब्ध निवल निधि	1675	1351	4059	3070	1529	101
उपलब्ध निवल निधि (प्रतिशत)	23	14	27	21	14	1

ब्याज एवं पुर्नभुगतानों तथा अन्य देयताओं के लिये व्यवस्था करने के पश्चात आंतरिक ऋण तथा भारत सरकार ऋण एवं अग्रिमों के कारण उपलब्ध निवल निधि 2005-06 के दौरान 14 प्रतिशत से घटकर 2006-07 में एक प्रतिशत हो गई जिसका मुख्य कारण प्राप्ति की तुलना में भारत सरकार से ऋण एव अग्रिमों का अधिक पुर्नभुगतान (ब्याज सहित) था ।

आंतरिक ऋण के अंतर्गत 4172 करोड़ रूपये की प्राप्ति में से राज्य सरकार ने वर्ष के दौरान 8.30 प्रतिशत प्रतिवर्ष की औसत ब्याज दर पर 1420 करोड़ रूपये के ऋण बाजार से उठाये तथा 9.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से 2120.93 करोड़ रूपये के ऋण

राष्ट्रीय बचत निधि से उठाये । राज्य सरकार ने 9 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से 431 करोड रूपये का उधार भारत सरकार से लिया। भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिमों की प्राप्ति 2005-06 में 294 करोड़ रूपये से बढ़ कर वर्ष 2006-07 में 431 करोड़ रूपये हो गई जिसका कारण " राज्य /राज्य संघ आयोजनागत योजना के लिये ऋण " के अंतर्गत ब्लॉक ऋणों (137.55 करोड़ रूपये) की अधिक प्राप्ति है। इसी प्रकार 2005-06 में 1115 करोड़ रूपये के पुर्नभुगतान मे उसी उपर्युक्त शीर्ष के अंतर्गत 2006-07 में 1460 करोड़ रूपये तक की वृद्धि हुई है जिसमें 726 करोड़ रूपये की ऋण राहत तथा ब्याज का भुगतान (717 करोड़ रूपये) सम्मिलित है । आंतरिक ऋण (3699 करोड़ रूपये) तथा भारत सरकार से प्राप्त ऋण एवं अग्रिम (1460 करोड़ रूपये) के पुर्नभुगतान में, मूल ऋण के पुर्नभुगतान के लिए केवल 1006 करोड़ रूपये (20 प्रतिशत) के साथ 3427 करोड़ रूपये (66 प्रतिशत) के ब्याज तथा 726 करोड़ रूपये (14 प्रतिशत) की ऋण राहत का भुगतान सम्मिलित है । इससे स्पष्ट होता है कि पुर्नभुगतान की राशि का अधिकाधिक उपयोग ब्याज-भुगतान के लिए किया गया था । 31 मार्च 2007 के राज्य सरकार के विद्यमान बाजार ऋण का 34 प्रतिशत की ब्याज दर 10 प्रतिशत से अधिक थी ।

1.10 घाटे का प्रबन्धन

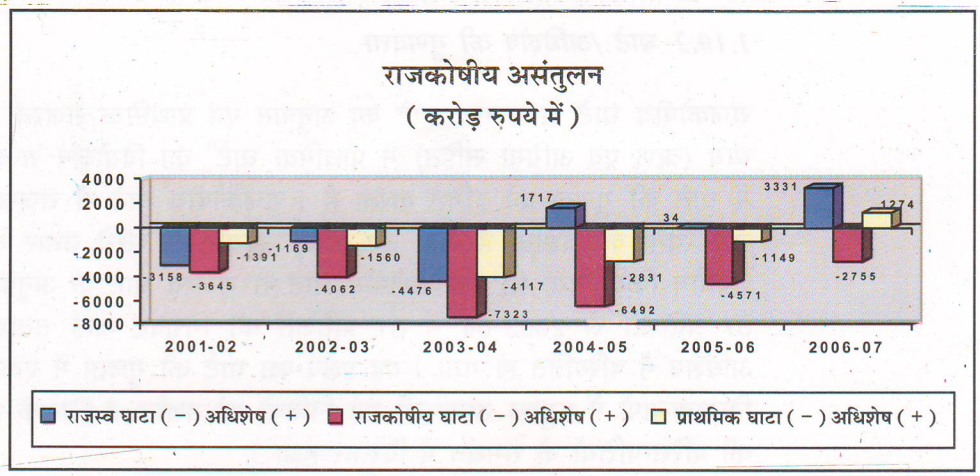
सरकारी लेखे में घाटा इसकी प्राप्तियों एवं व्यय के मध्य अंतराल को प्रदर्शित करता है। घाटे की प्रकृति सरकार के राजकोषीय प्रबंधन के विवेक का परिचायक है । आगे, घाटे का जिस प्रकार से वित्तपोषण होता है तथा इस प्रकार उठाये गये संसाधनों को अनुप्रयोग किया जाता है, वे राजकोषीय स्वास्थ्य के महत्वपूर्ण संकेतक होते हैं । राज्य में राजकोषीय संतुलन की स्थिति को प्रदर्शित करते हुये राजकोषीय प्राचलों (पैरामीटर) में प्रवृत्ति को सारणी 30 में प्रस्तुत किया गया है ।

सारणी -30: राजकोषीय असंतुलन : प्राथमिक प्राचल

प्राचल	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07
राजस्व घाटा (-)/ राजस्व अधिशेष (+) (करोड रूपये मे)	(-) 3158	(-) 1169	(-) 4476	(+) 1717	(+) 34	(+)3331
राजकोषीय घाटा (करोड़ रूपये में)	(-)3645	(-)4062	(-)7323	(-)6492	(-)4571	(-)2755
प्राथमिक घाटा (-)/ अधिशेष(+) (करोड़ रूपये मे)	(-)1391	(-)1560	(-)4117	(-)2831	(-)1149	(+)1274
राजकोषीय घाटा/सकल घरेलू उत्पाद (प्रतिशत)	3.64	1.35	4.38	1.58*	0.03*	2.54*
राजकोषीय घाटा/सकल घरेलू उत्पाद (प्रतिशत)	4.20	4.70	7.16	5.96	3.88	2.10
प्राथमिक घाटा / सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत)	1.60	1.81	4.03	2.60	0.98	0.97**
राजस्व घाटा / राजकोषीय घाटा (प्रतिशत)	86.64	28.78	61.12	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध

* *यह आँकड़ा राजस्व अधिशेष/ सकल राज्य घरेलू उत्पाद से सम्बन्धित है ।*

** *यह आँकडा प्राथमिक अधिशेष (पी.एस.)/सकल राज्य घरेलू उत्पाद से सम्बन्धित है ।*



1.10.1 घाटे की प्रवृतियां

राज्य का राजस्व घाटा राजस्व प्राप्तियों की तुलना में इसके राजस्व व्यय की अधिकता को इंगित करता है । 2004-05 से 2006-07 के दौरान राज्य में राजस्व अधिशेष बना रहा । 2005-06 के दौरान 34 करोड़ रूपये का राजस्व अधिशेष 2006-07 में बढ़कर 3331 करोड़ रूपये हो गया । 2006-07 के दौरान राजस्व प्राप्तियों में 24.75 प्रतिशत (5097 करोड़ रूपये)की वृद्धि 2005-06 में राजस्व व्यय की तुलना में 8.75 प्रतिशत (1800 करोड़ रूपये) हो जाने के परिणामस्वरूप 2006-07 में राजस्व अधिशेष मे उठाव के रूप में हुई । राजस्व प्राप्तियों में 2005-06 के स्तर से ऊपर उच्चतर वृद्धि दर मुख्यतः स्वयं के 1358 करोड़ रूपये (14.9 प्रतिशत) के करों के कारण तथा केन्द्रीय कर अन्तरण में 1747 करोड़ रूपये (27.6 प्रतिशत) एवं केन्द्रीय सरकार से 1541 करोड़ रूपये (52.5 प्रतिशत) के सहायता अनुदान के कारण थी । वर्ष के दौरान रूपये 726.12 करोड़ रूपये के ऋण त्याग की विरूद्ध प्रविष्टि विविध सामान्य सेवाऐ के अन्तर्गत राजस्व के रूप में होने से भी राजस्व प्राप्ति को तकिया मिला । गत वर्ष की तुलना में राजस्व व्यय की निम्नतर वृद्वि मुख्यतया ऊर्जा क्षेत्र में आयोजनेतर राजस्व व्यय में तेजी से गिरावट के कारण थी ।

राजकोषीय घाटा जो सरकार की कुल उधारियों तथा उसके कुल संसाधनों के अंतराल को दर्शाता है उसमें 2003-04 में 7,323 करोड़ रूपये की एक रूप कमी 2006-07 में 2755 करोड़ रूपये तक हुई । वर्ष के दौरान राजस्व अधिशेष में 3297 करोड़ रूपये की वृद्धि के बावजूद पूर्व वर्ष की तुलना में 2006-07 के दौरान मुख्यतया विद्युत परियोजनाओं पर गैर ऋण पूंजीगत प्राप्तियों में (2815 करोड़ रूपये) तथा पूंजीगत व्यय में (2151 करोड़ रूपये) में हुई तेज गिरावट के कारण राजकोषीय घाटे में 1816 करोड़ रूपये की गिरावट हुई । राजकोषीय घाटे में गिरावट (1816 करोड़ रूपये) तथा ब्याज भुगतानों में वृद्वि (607 करोड़ रूपये) के रहते हुए 2005-06 में 1149 करोड़ रूपये का प्राथमिक घाटा 2006-07 में 1274 करोड़ रूपये के प्राथमिक अधिशेष में परिवर्तित हो गया ।

1.10.2 घाटे /अधिशेष की गुणवत्ता

राजकोषीय घाटे से राजस्व घाटे का अनुपात एवं प्राथमिक राजस्व घाटे[7] तथा पूंजीगत व्यय (ऋण एवं अग्रिमों सहित) में प्राथमिक घाटे[8] का वियोजन राज्य की वित्त-व्यवस्था में घाटे की गुणता को इंगित करता है । राजकोषीय घाटे से राजस्व घाटे का अनुपात उस सीमा को दर्शाता है जहाँ तक चालू उपयोग के लिये उधार ली गई निधियों का उपयोग किया गया था । राजकोषीय घाटे से राजस्व घाटे के अनुपात में 2001-02 में 87 प्रतिशत से 2003-04 में 61 प्रतिशत की गिरावट आई तत्पश्चात राजस्व लेखा अधिशेष में परिवर्तित हो गया । यह प्रक्षेप-पक्ष घाटे की गुणता में एकरूप सुधार को तथा क्रियाकलापों में प्रयुक्त उधार ली गई निधियों को दर्शाता है जिसके परिणामस्वरूप राज्य की परिसम्पत्तियों के समर्थन में विस्तार हुआ ।

2001-07 के दौरान उपादानों के द्वि-भाजन के परिणामस्वरूप हुए राज्य के प्राथमिक घाटे अथवा अधिशेष से प्रकट हुआ **(सारणी-31)** कि 2003-04 को छोड़कर इस संपूर्ण अवधि के दौरान राज्य को प्राथमिक राजस्व अधिशेष का लाभ मिला परन्तु इसमें 2001-02में 684 करोड़ रूपये की तुलना में 2006 -07 में 7397 करोड़ रूपये तक की महत्वपूर्ण वृद्धि हुई । दूसरे शब्दों में, राज्य की ऋण-रहित प्राप्तियां, पूंजीगत लेखे के अंतर्गत व्यय को पूरा करने के लिये कुछ प्राप्तियों को छोड़ने के बजाय राजस्व लेखें में प्राथमिक व्यय[9] की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये पर्याप्त थी । राज्य को प्राथमिक घाटे का पता तब लगा जबकि 2001-06 के दौरान कुल ऋण-रहित प्राप्तियां कुल प्राथमिक व्यय के लिये कम पड़ी । लेकिन 2006-07 में राज्य को प्राथमिक अधिशेष की प्राप्ति हुई जो कि इस बात का परिचायक है कि राज्य ने अपनी प्राथमिक व्यय संबंधी आवश्यकताओं को ऋण-रहित प्राप्तियों में से पूरा कर लिया था ।

सारणी -31: प्राथमिक घाटा/अधिशेष -उपादानों का द्वि-भाजन

(करोड़ रूपये में)

वर्ष	ऋण-रहित प्राप्तियां	प्राथमिक राजस्व व्यय	पूंजीगत व्यय	ऋण एवं अग्रिम	प्राथमिक व्यय	प्राथमिक राजस्व घाटा (-) अधिशेष (+)	प्राथमिक घाटा (-) / अधिशेष (+)
1	2	3	4	5	6(3+4+5)	7 (2-3)	8 (2-6)
2001-02	12,799	12,115	1,476	599	14,190	684	(-)1,391
2002-03	13,434	12,058	2,455	481	14,994	1,376	(-)1,560
2003-04	14,325	15,559	2,679	204	18,442	(-)1,234	(-)4,117
2004-05	19,796	14,365	4,951	3,311	22,627	5,431	(-)2,831
2005-06	23,449	17,141	6,623	834	24,598	6,308	(-)1,149
2006-07	25,731	18,334	5,170	953	24,457	7,397	1,274

1.11 राजकोषीय अनुपात

राज्य की वित्त-व्यवस्था धारणीय, लचीली एवं अभेद्य होनी चाहिये । निम्नांकित **सारणी - 32** में 2001-07 के दौरान सरकार की वित्त-व्यवस्था की स्थिति का सारांश कतिपय

7 *राज्य के ब्याज रहित राजस्व व्यय और इसकी ऋण रहित प्राप्तियों के मध्य अंतराल के रूप में परिभाषित प्राथमिक राजस्व घाटा उस सीमा को दर्शाता है जहाँ तक राज्य की ऋण-रहित राजस्व प्राप्तियां, राजस्व लेखे के अंतर्गत किये गये प्राथमिक व्यय को पूरा करने में समर्थ है।*

8 *निवल ब्याज भुगतानों के राजकोषीय घाटे के रूप में परिभाषित प्राथमिक घाटा घाटे की उस सीमा को सूचित करता हैं जो वर्ष के दौरान राज्य के राजकोषीय लेन देनों का प्रतिफल है ।*

9 *निवल ब्याज भुगतानों के कुल व्यय के रूप में परिभाषित राज्य का प्राथमिक व्यय वर्ष के दौरान सम्पन्न किये गये लेनदेनों पर किये गये व्यय को दर्शाता है ।*

मूल संदर्शकों के संदर्भ में प्रस्तुत किया गया है जो उपलब्ध संसाधनों तथा उनके अनुप्रयोगों की पर्याप्तता एवं प्रभावोत्पादकता का मूल्यांकन करने में सहायक होते है, महत्व के क्षेत्रों की ओर ध्यान आकर्षित करते है तथा इसके महत्वपूर्ण पहलुओं का अभिग्रहण करते है ।

सारणी -32: राजकोषीय संरचना के संदर्शक (प्रतिशत में)

राजकोषीय संदर्शक	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07
I संसाधनों को जुटाना						
राजस्व प्राप्ति/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	12.92	15.50	13.97	18.13	17.48	19.60
राजस्व उत्प्लावकता	(-)1.21	(-)43.22	0.37	5.88	0.53	2.20
स्वयं का कर/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	5.39	7.14	6.64	7.14	7.74	7.99
II व्यय प्रबंधन						
कुल व्यय/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	18.95	20.25	21.17	24.14	23.78	21.73
राजस्व प्राप्तियां/कुल व्यय	68.18	76.54	66.01	75.10	73.51	90.20
राजस्व व्यय/कुल व्यय	87.33	83.22	86.68	68.57	73.39	78.51
सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं पर वेतन एवं मजदूरी व्यय/राजस्व व्यय	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	20.13	19.42
सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं पर गैर वेतन तथा मजदूरी व्यय/राजस्व व्यय	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	37.50	36.27
पूंजीगत व्यय/कुल व्यय	8.95	14.03	12.38	18.83	23.64	18.15
सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत व्यय/ कुल व्यय	8.81	13.82	12.20	18.27	23.20	17.90
कुल व्यय की राजस्व प्राप्तियों के साथ उत्प्लावकता	(-)0.03	0.33	3.54	0.56	1.52	0.07
राजस्व व्यय की राजस्व प्राप्तियों के साथ उत्प्लावकता	(-)0.32	0.07	4.31	(-)0.10	3.25	0.35
III राजकोषीय असंतुलनों का प्रबंधन						
राजस्व घाटा (-)/ अधिशेष (+)(करोड़ रूपये मे)	(-)3158	(-)1169	(-)4476	(+)1717	(+)34	(+)3331
राजकोषीय घाटा (-)/ अधिशेष (+)(करोड़ रूपये में)	(-)3645	(-)4062	(-)7323	(-)6492	(-)4571	(-)2755
प्राथमिक घाटा (-)/ अधिशेष (+)(करोड़ रूपये में)	(-)1391	(-)1560	(-)4117	(-)2831	(-)1149	(+)1274
राजस्व घाटा / राजकोषीय घाटा	86.64	28.78	61.12	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
IV राजकोषीय देयताओं का प्रबंधन						
राजकोषीय देयताएं/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	30.52	35.11	36.69	40.62	41.74	40.64
राजकोषीय देयताएं/राजस्व प्राप्तियां	236.26	226.57	262.61	224.05	238.74	207.36
राजस्व प्राप्तियां के साथ राजकोषीय देयताओं की उत्प्लावकता	(-)1.38	0.75	3.53	0.47	2.58	0.34
स्वयं की प्राप्तियों के साथ राजकोषीय देयताओं की उत्प्लावकता	(-)1.19	0.60	3.94	0.37	(-)1.50	0.52
प्राथमिक घाटे की तुलना में प्रमात्र प्रसार	(-)1105	(-)4013	(-)1402	(-)3758	(-)769	(+)2946
उपलब्ध निवल निधियां	23	14	27	21	14	1
V राजकोषीय संरचना के अन्य संदर्शक						
निवेश पर प्रतिलाभ	0.10	0.24	0.48	0.06	0.08	0.18
चालू राजस्व का शेष (करोड़ रूपये में)	(-)1811	791	(-)3057	2909	2081	5294
वित्तीय परिसंपत्तियां/ देयताएं[10]	0.71	0.71	0.65	0.75	0.77	0.85

सकल राज्य घरेलू उत्पाद पर राजस्व प्राप्तियों एवं राज्य के स्वयं के करों के अनुपात से संसाधनों की पर्याप्तता का संकेत मिलता है । राजस्व प्राप्तियों की खासतौर राज्य के स्वयं के संसाधनों की उत्प्लावकता से सकल राज्य घरेलू उत्पाद के निबंधनों में आधार

10 *परिसम्पत्तियां और कुछ देयताओं का अभी भी विभाजन किया जाना है तथा वे छत्तीसगढ़ को हस्तान्तरित की जानी है*

के विस्तार के साथ संसाधनों तक राज्य की पहुँच का संकेत मिलता है। सकल राज्य धरेलू उत्पाद पर कुल राजस्व प्राप्तियों के तथा राज्य के स्वंय के करों के अनुपात से, 2003-04 में आँशिक गिरावट के साथ 2001-07 की अवधि के दौरान बढ़ती हुई प्रवृत्ति का संकेत मिला ।

राज्य के व्यय प्रबंधन से सम्बंधित विभिन्न अनुपात उसके व्यय की गुणवत्ता तथा उसके संसाधनों की गति शीलता के प्रयत्नों के संबंध में इनकी धारणीयता का संकेत देते है। जबकि कुल व्यय पर राजस्व व्यय का अनुपात व्यापक अंतर वर्षीय भिन्नताओं के साथ 2001-02 में 87 प्रतिशत से घटकर 2006-07 में 79 प्रतिशत रह गया परंतु यह राज्य सरकार के कुल व्यय के प्रधान हिस्से की हिस्सेदारी करता रहा है। कुल व्यय से सम्बंधित पूंजीगत व्यय निरंतर सुधार का संकेत दे चुका है, खासतौर पर यह इन वर्षों में विभिन्न रूपों में विद्युत क्षेत्र में सरकार के निवेश के कारण व्यापक भिन्नताओं के साथ पिछले तीन वर्षों (2004-07) के दौरान तेजी से बढ़ा । 2006-07 के दौरान 90 प्रतिशत तक बढ़े हुये कुल व्यय का वित्तपोषण करने के लिये राजस्व प्राप्तियों पर बढ़ती हुई विश्वसनीयता से, उधार ली गई निधियों पर निर्भरता कम होने तथा राजकोषीय घाटे में सुधार होने का संकेत मिलता है। यह 2001-07 की अवधि के दौरान राजस्व प्राप्तियों के अनुपात पर राजकोषीय देयताओं में कमी होने की प्रवृत्ति से भी प्रतिबिम्बित होता है।

विगत तीन वर्षों (2004-07) के दौरान राजस्व अधिशेष निरंतर होते रहना, 2006-07 में अधिशेष के साथ प्राथमिक लेखे में एक दम मोड आना तथा 2003-04 से राजकोषीय घाटे में निरंतर गिरावट होना राज्य की राजकोषीय स्थिति में सुधार होने के संकेतक है। विपुल निधियों को सूचित करते हुये 2004-07 के दौरान सकारात्मक हुये चालू राजस्व से प्राप्त शेष (बीसीआर) परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु तथा राज्य की आयोजनागत आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिये उपलब्ध थे ।

1.12 निष्कर्ष

मूल राजकोषीय प्राचलों (पैरामीटरों) -राजस्व, राजकोषीय एवं प्राथमिक घाटों से पूर्व वर्ष की तुलना में 2006-07 के दौरान राज्य की राजकोषीय स्थिति में सार्थक सुधार प्रकट होता है। पूर्व वर्ष में 34 करोड़ रूपये के स्तर से 2006-07 में 3,331 करोड़ रूपये के राजस्व अधिशेष का इस तथ्य की दृष्टि से आकलन किया जाना आवश्यक है कि पूर्व वर्ष की तुलना में 2006-07 में, वृद्विपरक राजस्व प्राप्तियों (5,097 करोड़ रूपये) के 64.5 प्रतिशत का अंशदान करों एवं शुल्कों के संघ संकुल (पूल) में राज्य के अंश (1,748 करोड़ रूपये) तथा भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान (1541 करोड़ रूपये) से निर्मित केन्द्रीय हस्तांतरणों की वृद्वि के द्वारा किया गया था। इसके अतिरिक्त, राज्य के स्वंय के संसाधनों में 1,808 करोड़ रूपये की कुल वृद्धि में से लगभग 40 प्रतिशत, वर्ष के दौरान विविध सामान्य प्राप्तियों के रूप में पुस्तांकित ऋण छूट की प्रातिक प्रविष्टि (कॉन्ट्रा एन्ट्री) के कारण थी। राज्य के व्यय के प्रकार से प्रकट होता है कि कुल व्यय पर प्रतिशत के रूप में राजस्व व्यय, सेवाओं के विस्तार तथा परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अपर्याप्त संसाधन छोड़ते हुये 2001-07 की अवधि के दौरान 79-87 प्रतिशत के बीच के अंतर पर रहा। इसके अतिरिक्त, राजस्व व्यय के अंतर्गत, 2006-07 में 16,911 करोड़ रूपये पर आयोजनेतर राजस्व व्यय यद्यपि उसके मध्यम अवधि

राजकोषीय नीति के विवरण पत्रक में राज्य के प्रक्षेप से आंशिकतौर पर कम था परंतु इस वर्ष के लिये बारहवें वित्त आयोग द्वारा किये गये 14.173 करोड़ रूपये के मार्गदर्शात्मक निर्धारण से उल्लेखनीय रूप से अधिक रहा । यह भी कि, तीन घटकों - वेतन व्यय, पेंशन देयताऐं, तथा ब्याज भुगतान से 2006-07 के दौरान आयोजनेतर राजस्व व्यय का लगभग 2/3 भाग सृजित हुआ। व्यय में ये प्रवृत्तियां आवंटन सम्बधी प्राथमिकताओं में परिवर्तन की आवश्यकता का संकेत देती है। यदि आगामी वर्षो में ऋणों और अग्रिमों सहित निवेशों को वाणिज्यिक रूप से जीवनक्षम बनाने के लिये, आयोजनेत्तर राजस्व व्यय को कम करने के लिये तथा दोनों कर एवं कर भिन्न स्त्रोतों के माध्यम से अतिरिक्त संसाधनों को गतिशील बनाने के लिये उपयुक्त प्रयास प्रारंभ नहीं किये गये तो मध्यम या लम्बी अवधि में जाकर, सरकारी निवेश पर प्रतिलाभ की नगण्य दर के साथ राजकोषीय घाटा निरंतर जारी रहने तथा ऋणों और अग्रिमों पर अपर्याप्त ब्याज लागत वसूली होने के कारण बढ़ती हुई राजकोषीय देयतायें राज्य पर राजकोषीय दबाव पैदा कर सकती हैं ।

दूसरा अध्याय

आबंटनीय प्राथमिकताएं एवं विनियोग

दूसरा अध्याय

आबंटनीय प्राथमिकताएं एवं विनियोग

2.1 प्रस्तावना

विनियोग लेखे प्रतिवर्ष तैयार किए जाते हैं जिसमें विनियोग अधिनियमों द्वारा प्राधिकृत बजट की प्रभारित एवं दत्तमत दोनों मदों से संबंधित विभिन्न विशिष्टीकृत सेवाओं पर पूंजीगत एवं राजस्व व्यय को तुलनात्मक रूप से दर्शाया जाता है ।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा विनियोग लेखे की लेखापरीक्षा का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि क्या विभिन्न अनुदानों के अधीन वास्तव में किया गया व्यय विनियोग अधिनियम के अंतर्गत राज्य विधान मण्डल द्वारा प्राधिकृत सीमाओं में है और संविधान के प्रावधानों के अधीन प्रभारित किया जाने वाला अपेक्षित व्यय इसी प्रकार प्रभारित किया गया है । इसमें यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि क्या किया गया व्यय, विधि, सम्बद्ध नियमों, विनियमों तथा अनुदेशों के अनुरूप है ।

2.2 विनियोग लेखे का सार

2006-07 के दौरान 84 अनुदानों/विनियोगों के विरुद्ध वास्तविक व्यय की स्थिति का सार निम्नानुसार था:

(करोड़ रुपयों में)

	व्यय की प्रकृति	मूल अनुदान/विनियोग	अनुपूरक अनुदान/विनियोग	योग	वास्तविक व्यय	बचत(-) आधिक्य(+)
दत्तमत	I. राजस्व	18411.93	2368.39	20780.32	18232.46	- 2547.86
	II. पूंजीगत	6099.16	1220.83	7319.99	5348.97	- 1971.02
	III. ऋण तथा अग्रिम	895.23	636.40	1531.63	1014.40[11]	- 517.23
कुल दत्तमत		**25406.32**	**4225.62**	**29631.94**	**24595.83**	**- 5036.11**
प्रभारित	*I. राजस्व*	*4590.99*	*35.73*	*4626.72*	*4474.33*	*- 152.39*
	II. पूंजीगत	*3.82*	*7.00*	*10.82*	*11.41*	*+ 0.59*
	III. लोक ऋण	*6195.00*	*--*	*6195.00*	*1731.53*	*- 4463.47*
कुल प्रभारित		***10789.81***	***42.73***	***10832.54***	***6217.27***	***- 4615.27***
महायोग		**36196.13**	**4268.35**	**40464.48**	**30813.10[12]**	**- 9651.38**

9,651.38 करोड़ रुपये की सम्पूर्ण बचतें, अनुदानों एवं विनियोगों के 178 प्रकरणों में हुई 9,687.38 करोड़ रुपये की बचतों का निवल परिणाम थीं जिसे अनुदानों एवं विनियोग के तीन प्रकरणों में हुए 36 करोड़ रुपये के आधिक्य से प्रतिसंतुलित किया गया था ।

11 इसमें आकस्मिकता निधि में विनियोजन के 60.00 करोड़ रुपये तथा अन्तरराज्यीय समाशोधन के 1.33 करोड़ रुपये सम्मिलित है ।

12 ये सकल आंकड़े राजस्व व्यय 344.17 करोड़ रुपये तथा पूंजीगत व्यय 190.44 करोड़ रुपये के अन्तर्गत है जिसमें व्यय वर्ष बन्दी के रूप में लेखाओं में समायोजित जमाराशियां सम्मिलित नहीं है ।

उपर्युक्त सारणी राज्य सरकार के बजट अनुमानों को दोषपूर्ण रीति से तैयार किए जाने का चित्रण प्रस्तुत करती है जिसमें लोकऋण में 72 प्रतिशत की महत्वपूर्ण बचत एवं 4268.35 करोड़ रुपये के समग्र अनावश्यक अनुपूरक प्रावधान को प्रमाणित किया गया है क्योंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान की तुलना में भी कम था ।

नमूना जाँच किये गए कतिपय अनुदानों के प्रकरण में व्यय एवं बजट नियंत्रण प्रणालियों पर विस्तृत टिप्पणियां कंडिका 2.7 में सम्मिलित है । 2006-07 के विनियोग लेखे की संवीक्षा में निम्नांकित तथ्य और प्रकट हुए:

2.2.1 समेकित निधि के अधीन दर्शाए वास्तविक व्यय (उपरोक्त तालिका में) का निम्नांकित कारणों से निम्नांकित सीमा तक अतिकथन किया गया :

465.49 करोड़ रुपये[13] अव्ययित राशियां मुख्य शीर्ष 8443-सिविल जमा, 800 अन्य जमा में अंतरित की गई थी । कुल जमाओं में से 65.26 करोड़ रुपये निरंक भुगतान बाउचरों के माध्यम से जमा किये गये ।

शासकीय संस्थाओं के विषय में 351.35 करोड़ रुपये (जमाः 886.32 करोड़ रुपयों में से संवितरणों को घटाकर 534.97 करोड़ रुपये) मुख्य शीर्ष 8443-सिविल जमा, 106-वैयक्तिक जमा खाते के शेष में जोड़ा गया था । वर्ष के दौरान 886.32 करोड़ रुपये के कुल जमा में से 177.88 करोड़ रुपये निरंक भुगतान बाउचरों के माध्यम से जमा किए गए थे ।

संक्षिप्त आकस्मिक व्यय बिलों पर आहरित 54.85 लाख रुपये के व्यय की यथार्थता प्रमाणित नहीं की जा सकी क्योंकि विस्तृत आकस्मिक व्यय बिल प्रस्तुत नहीं किये गये थे ।

बचतों/आधिक्यों (विस्तृत विनियोग लेखे) के विवरण नियंत्रण अधिकारियों को प्रेषित कर दिए गये थे जिसमें महत्वपूर्ण विभिन्नताओं पर स्पष्टीकरण मांगा गया था । विनियोग लेखे में कुल 824 उपशीर्षों पर की गई अभ्युक्तियों में से बचतों/आधिक्यों के 582 उपशीर्षों (70.6 प्रतिशत) के संबंध में स्पष्टीकरण या तो प्राप्त नहीं हुए अथवा सुसंगत नहीं थे ।

2.3 आवंटनीय प्राथमिकताओं का पालन

2.3.1 आवंटनीय प्राथमिकताओं द्वारा विनियोग

किसी अनुदान अथवा विनियोग में बचतें यह दर्शाती है कि व्यय, अनुमानों के अनुसार तथा योजनाबद्ध रीति से नहीं किया गया था । यह त्रुटिपूर्ण बजट तैयार करने अथवा निष्पादन में कमी को इंगित करता है जो कि उन परिस्थितियों एवं उद्देश्य पर निर्भर करता है जिसके अन्तर्गत अनुदान अथवा विनियोग उपलब्ध कराया गया था ।

आवंटनीय प्राथमिकताओं के संदर्भ में बचतों के विश्लेषण से निम्नांकित तथ्य प्रकट हुए:

[13] *राजस्व (दत्तमत) अनुभागः 315.24 करोड़ रुपये, राजस्व (प्रभारित) अनुभागः 18.44 करोड़ रुपये तथा पूंजीगत (दत्तमत) अनुभागः 131.81 करोड़ रुपये ।*

अनुदान संख्या 06- वित्त

(करोड़ रुपयों में)

राजस्व (दत्तमत)		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	बचत
मूल:	2262.67	2262.74	1896.56	366.18
अनुपूरक:	0.07			

बचत मुख्य रुप से 2070-अन्य प्रशासनिक सेवाए-राज्य आयोजनागत योजना-(सामान्य) अन्य व्यय (440 करोड़ रुपये) तथा 2071-पेंशन तथा अन्य सेवा निवृति लाभ-लघु शीर्ष-104-मध्य प्रदेश (25.70 करोड़ रुपये), संयुक्त मध्य प्रदेश (93.73 करोड़ रुपये) के अन्तर्गत हुई जिसे मुख्य रूप से 2071-पेंशन तथा अन्य सेवा निवृति लाभ-लघु शीर्ष 101 अधिवार्षिकी एवं सेवानिवृत भत्ते तथा 105-परिवार पेंशन तथा 2075-विविध सामान्य सेवाएं-गारन्टी रिडम्पशन फण्ड को अन्तरण (102.80 करोड़ रुपये) के अन्तर्गत आधिक्य द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसन्तुलित किया गया । बचत तथा आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये है (अगस्त 2007) ।

अनुदान संख्या 12- ऊर्जा

(करोड़ रुपयों में)

पूंजीगत (दत्तमत)		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	बचत
मूल:	1,335.61	1,979.61	1,633.76	345.85
अनुपूरक:	644.00			

बचतें मुख्य रूप से 4801-विद्युत परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय राज्य आयोजनागत योजनाएं (सामान्य)-अमरकंटक ताप विद्युत विस्तार इकाई-5 के लिये निवेश (50 करोड़ रुपये), वीरसिंगपुर परियोजना के लिये निवेश (125 करोड़ रूपये) 6801-विद्युत परियोजनाओं के लिये ऋण-राज्य आयोजनागत योजनाएं (सामान्य)-राजीव गाँधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (30 करोड़ रुपये), ऊर्जा विकास निधि-विद्युत मण्डल को अन्य ऋण (176.19 करोड़ रुपये) के अन्तर्गत हुई । इन बचतो को 4801-विद्युत परियोजनाओं पूँजीगत परिव्यय-ऊर्जा विकास निधि-मालवा ताप विद्युत परियोजना के लिये निवेश (40 करोड़ रुपये) तथा राज्य आयोजनागत योजनाएं (सामान्य) मध्य प्रदेश पावर ट्रेडिंग कम्पनी लिमिटेड की अंश पूंजी में निवेश (20 करोड़ रुपये) के अन्तर्गत आधिक्य द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसन्तुलित किया गया ।

अनुदान संख्या 15- अनुसूचित जातियों के लिये विशेषांश योजना के अधीन त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता

(करोड़ रुपयों में)

राजस्व (दत्तमत)		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	बचत
मूल:	365.81	521.73	365.45	156.28
अनुपूरक:	155.92			

155.92 करोड़ रुपये का अनुपूरक अनुदान 156.28 करोड़ रुपये की अन्तिम बचत के दृष्टिकोण से अनावश्यक सिद्ध हुआ क्योंकि वास्तविक व्यय मूल-अनुदान की तुलना में कम था । बचत मुख्यरूप से 2515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम-केन्द्र प्रक्षेत्र योजनाएं एस.सी.पी.-मध्याह्न भोजन सामग्री का परिवहन (29.62 करोड़ रुपये) 2215-जल प्रदाय

एवं मल निकास-केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं एस.सी.पी.-ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम (8.47 करोड़ रुपये), 2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों तथा अन्य पिछड़ा वर्गो का कल्याण-अनुसूचित जातियों के लिये विशेषांश योजना अनुसूचित जातियों के लिये छात्रावास (9.45 करोड़ रूपये) अन्य छात्रवृत्ति (6.94 करोड़ रुपये), 2501-ग्रामीण विकास के लिये विशेष कार्यक्रम-केन्द्र प्रक्षेत्र योजनाएं एस.सी.पी.-पिछड़ा क्षेत्र ग्राण्ड फण्ड योजना (57 करोड़ रुपये) तथा 2505-ग्रामीण रोजगार-केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं एस.सी.पी.-राष्ट्रीय ग्रामीण कार्यक्रम-इन्टेक्ट रूरल एम्प्लायमेन्ट स्कीम (18.28 करोड़ रुपये) के अन्तर्गत हुई । बचतें मध्यान्ह भोजन सामग्री के परिवहन एवं बैकवर्ड रीजन ग्रान्ड फन्ड स्कीम के अन्तर्गत भारत सरकार से केन्द्रांश की कम प्राप्ति अन्य छात्रवृत्तियों के अन्तर्गत शासन से छात्रवृत्ति की प्रस्तावित राशि की स्वीकृति की अप्राप्ति के कारण तथा अनुसूचित जाति के लिए होस्टलों के अधीन प्रस्तावानुसार शासन द्वारा अनुसूचित जातियों को छात्रवृत्ति की दरों में वृद्वि नहीं होने के कारण थीं ।

अनुदान संख्या 22- शहरी प्रशासन तथा विकास-शहरी निकाय

(करोड़ रुपयों में)

पूंजीगत (दत्तमत)		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	बचत
मूल:	200.82	200.82	19.05	181.77
अनुपूरक:	निरंक			

बचत मुख्य रूप से 4217-शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (सामान्य) नगर पालिका निगमों में आधार भूत सुविधाओं का विकास (17.06 करोड़ रुपये), 6217-शहरी विकास के लिये ऋण विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (सामान्य) राजधानी (28.16 करोड़ रूपये) तथा नगर पालिका निगमों (133.63 करोड़ रुपये) में आधारभूत सुविधाओं का विकास के अन्तर्गत हुई । ये बचते राज्य योजना मण्डल द्वारा आवंटन में कमी तथा कार्ययोजना तैयार न करने के कारण हुई ।

अनुदान संख्या 48- नर्मदा घाटी विकास

(करोड़ रुपयों में)

पूंजीगत (दत्तमत)		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	बचत
मूल:	1352.31	1352.31	472.72	879.59
अनुपूरक:	निरंक			

महत्वपूर्ण बचते मुख्य रूप से 4700-वृहद सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय राज्य आयोजनागत योजनाएं (सामान्य)-बरगी केनाल डायवर्सन प्रोजेक्ट (166.45 करोड़ रुपये) नहर तथा संलग्न कार्य (140.02 करोड़ रुपये), 4801-विद्युत परियोजनाओं पर पूंजीगत व्यय राज्य आयोजनागत योजना (सामान्य) सरदार सरोवर के डूब वाले क्षेत्रों में भूमि अर्जन तथा अन्य निर्माण कार्यो के लिये व्यय (201.76 करोड़ रुपये) तथा सरदार सरोवर परियोजना (डूबवाले) स्पेशल लिबरल पैकेज (300.35 करोड़ रुपये) के अन्तर्गत हुई । उपरोक्त 166.45 करोड़ रुपये (बारगी केनाल डायवर्सन प्रोजेक्ट) की बचत निर्माण कार्य की धीमी प्रगति, कड़ी चट्टानों की मात्रा में वृद्धि नहर के निकट ग्राम के कारण विस्फोट में रूकावट, भूमिगत जल के ऊँचे स्तर के कारण निरन्तर रिसाव, टनल में कोमल संरचर के कारण नियंत्रित विस्फोट की धीमी प्रगति और तृतीय चरण के

अधीन नाबार्ड से ऋण प्राप्त न होने के कारण हुई । उपरोक्त 140.02 करोड़ रुपये (नहर तथा आनुषांगिक कार्य) की बचत मुख्यतः माइनर तथा सब माइनर निर्माण कार्यो के लिये भूमि अर्जन में विलम्ब तथा निर्माण कार्यो की धीमी प्रगति के कारण हुई । 201.76 (सरदार सरोवर के डूब क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण तथा अन्य कार्य) करोड़ रुपये की बचत मुख्यरूप से विभिन्न पंपिग स्टेजों पर बहु स्तरीय यन्त्रों के अधिष्ठापन न होने के कारण निर्माण कार्य पूर्ण न होने से हुई । अन्य बचतों के कारण सूचित नहीं किये गये (अगस्त 2007) ।

अनुदान संख्या 52 – जनजाति क्षेत्र उपयोजना त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता

(करोड़ रुपयों में)

राजस्व (दत्तमत)		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	बचत
मूल:	606.19	735.52	603.83	131.69
अनुपूरक:	129.33			

129.33 करोड़ रुपये का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक था क्योंकि वास्तविक व्यय मूल अनुदान से कम था । महत्वपूर्ण बचत मुख्य रूप से 2501-ग्रामीण विकास के लिये विशेष कार्यक्रम-केन्द्रीय क्षेत्र योजनाएं टी.एस.पी.-बैकवर्ड रीजन ग्राण्ड फण्ड स्कीम (75 करोड़ रुपये) तथा 2505-ग्रामीण रोजगार-केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं टी.एस.पी.-राष्ट्रीय कार्यक्रम-पूर्णतः ग्रामीण रोजगार योजना (26.12 करोड़ रुपये) के अन्तर्गत हुई । इन बचतों का कारण रोजगार गारंटी योजना में अंतरण अठारह जिलों के कारण भारत सरकार से केन्द्रीय अंश की कम प्राप्ति होना बताया ।

अनुदान संख्या 80 – त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता

(करोड़ रुपयों मे)

राजस्व (दत्तमत)		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	बचत
मूल:	1119.42	1410.76	1225.47	185.29
अनुपूरक:	291.34			

बचत मुख्य रूप से 2501-ग्रामीण विकास के लिये विशेष कार्यक्रम-केन्द्रीय क्षेत्र योजनाएं (सामान्य) बैकवर्ड रीजन ग्राण्ड फण्ड स्कीम (59.04 करोड़ रुपये) राज्य योजनागत योजनाएं (सामान्य)-गोकुल ग्राम योजना (14.57 करोड़ रुपये), 2505-ग्रामीण रोजगार केन्द्र प्रवर्तित योजनाऐं (सामान्य) सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (28.44 करोड़ रुपये) 2255-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-केन्द्रीय क्षेत्र योजनाएं (सामान्य) वृद्ध पेंशन (13.52 करोड़ रुपये), 2202-सामान्य शिक्षा - शिक्षा कर्मियों के वेतन हेतु अनुदान (8.68 करोड़ रुपये) के अन्तर्गत हुई । उपरोक्त 59.04 करोड़ रुपये तथा 28.44 करोड़ रुपये की बचत बैकवर्ड रीजन ग्रान्ड फन्ड तथा सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत मुख्य रूप से भारत सरकार से केन्द्रांश की कम प्राप्ति के कारण हुई ।

अनेक अन्य प्रकरणों में भी निम्नानुसार बचतें/आधिक्य हुये:-

- विभिन्न केन्द्रीय योजनाओं के अधीन प्रदत्त 19 प्रकरणों में एक करोड़ रुपये तथा प्रत्येक प्रकरण में कुल 270.93 करोड़ रुपये का सम्पूर्ण बजट प्रावधान अप्रयुक्त रहा जिसका विवरण ***परिशिष्ट- 2.1*** में दिया गया है

- 21 योजनाओं में प्रत्येक प्रकरण में व्यय अनुमोदित प्रावधानों से एक करोड़ रुपये अथवा इससे अधिक तथा कुल प्रावधान के 100 प्रतिशत से भी अधिक हुआ जिसका कुल योग 579.75 करोड़ रुपये था । आधिक्य खराब बजट निर्माण तथा कमजोर व्यय नियन्त्रण की ओर इंगित करता है । विवरण ***परिशिष्ट-2.2*** में दिये गये है ।

- 80 योजनाओं में कुल 7336.06 करोड रुपये सारभूत बचत दृष्टिगत हुई जो पांच करोड़ रुपये अथवा इससे अधिक तथा प्रत्येक प्रकरण में प्रावधान के 80 प्रतिशत से भी अधिक थी । इन योजनाओं में से 41 में सम्पूर्ण बजट प्रावधान अप्रयुक्त रहा विवरण ***परिशिष्ट-2.3*** में दिये गये है ।

2.3.2 सतत बचतें

अनुदान के 17 प्रकरणों में प्रत्येक प्रकरण में एक करोड़ रुपये से अधिक एवं प्रावधान के 20 प्रतिशत अथवा इससे भी अधिक सतत बचते हुई । सतत बचते अनुपयुक्त पूर्वानुमानों के आधार पर बजट निर्माण की सूचक है । विवरण ***परिशिष्ट-2.4*** मे दिये गये है ।

2.3.3 सतत आधिक्य

अनुदान के दो प्रकरणों में निम्नानुसार निरन्तर महत्वपूर्ण आधिक्य हुआ:

(राशि रुपयों में)

अनुदान का विवरण	आधिक्य की राशि तथा कोष्ठक में प्रतिशतता		
राजस्व दत्तमत	2004-05	2005-06	2006-07
24- लोक निर्माण-सड़के तथा पुल	13,77,26,635 (11.2)	7,75,06,394 (2.7)	2,48,32,322 (0.6)
67- लोक निर्माण भवन	24,87,20,288 (12.5)	59,49,876 (0.3)	27,78,77,375 (10.3)

2.3.4 अधिक्य का अपेक्षित नियमन

(i) विगत वर्षो से संबंधित प्रावधान से अधिक व्यय जिसके नियमन की आवश्यकता है

भारत के सांविधान के अनुच्छेद 205 के अनुसार राज्य सरकार को, किसी अनुदान/विनियोग में हुए अधिक व्यय का नियमन राज्य विधानमण्डल से कराया जाना अनिवार्य है । तथापि 1993-94 से 2005-06 तक के वर्षो के दौरान 5125.41 करोड़ रुपये के किए गए व्यय का अभी तक नियमन नहीं किया गया है (अगस्त 2007) । यह विनियोग पर विधानमण्डल के नियंत्रण का उल्लंघन है ।

विवरण निम्नानुसार है:

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	अनुदानों/विनियोग की संख्या	अधिक्य की राशि	राशि, जिसके लिये स्पष्टीकरण लोक लेखा समिति को प्रेषित नहीं किये गए
1993-94	21	258.11	प्रेषित
1994-95	15	407.46	प्रेषित
1995-96	21	251.59	प्रेषित
1996-97	18	224.17	प्रेषित
1997-98	13	302.79	0.97
1998-99	17	1276.45	प्रेषित
1999-2000	17	1584.94	प्रेषित
2000-2001	07	265.07	प्रेषित
2001-2002	03	6.26	0.64
2002-2003	08	424.79	प्रेषित
2003-2004	07	2.54	2.46
2004-2005	15	83.66	8.14
2005-06	6	37.58	37.58
योग		**5125.41**	**49.79**

(ii) 2006-07 के दौरान प्रावधानों से अधिक व्यय जिनके नियमन की आवश्यकता है

वर्ष के दौरान तीन अनुदानों एवं विनियोग के अन्तर्गत 35,99,34,526 रुपये के अधिक व्यय का नियमन संविधान के अनुच्छेद 205 के अधीन कराए जाने की आवश्यकता है । विवरण नीचे दिये गये है :

(राशि रुपयों में)

क्रम संख्य	अनुदान संख्या	अनुदान/विनियोग का नाम	कुल प्रावधान	वास्तविक व्यय	अधिक्य की राशि (आधिक्य की प्रतिशतता)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
क- राजस्व - दत्तमत					
1	24	लोक निर्माण-सड़कें एवं पुल	4,13,81,09,100	4,16,29,41,422	2,48,32,322 (0.6)
2	67	लोक निर्माण-भवन	2,70,91,50,100	2,98,70,27,475	27,78,77,375 (10.3)
		योग - क	**6,84,72,59,200**	**7,14,99,68,897**	**30,27,09,697**
ख- पूंजीगत - प्रभारित					
3	24	लोक निर्माण-सड़कें एवं पुल	1,00,00,000	6,72,24,829	5,72,24,829 (572.2)
		योग - ख	**1,00,00,000**	**6,72,24,829**	**5,72,24,829**
		कुल योग (क+ख)	**6,85,72,59,200**	**7,21,71,93,726**	**35,99,34,526**

आधिक्यों के कारण सरकार ने अगस्त 2007 तक संसूचित नहीं किये थे ।

2.3.5 मूल बजट और अनुपूरक प्रावधान

इस वर्ष के दौरान किये गये अनुपूरक प्रावधान (4,268.35 करोड़ रुपये) विगत वर्ष के 18.05 प्रतिशत की तुलना में कुल प्रावधान (40,464.48 करोड़ रुपये) का 10.55 प्रतिशत थे ।

2.3.6 अनावश्यक/अत्यधिक/अपर्याप्त अनुपूरक प्रावधान

वर्ष के दौरान 42 प्रकरणों में किए गए 872.84 करोड़ रुपये के अनुपूरक प्रावधान, 2115.34 करोड़ रूपये की कुल बचत (प्रत्येक प्रकरण में 10 लाख रुपये से अधिक बचत) के दृष्टिकोण से अनावश्यक सिद्ध हुए, जिसके विवरण ***परिशिष्ट 2.5*** में दिये गये है ।

46 प्रकरणों में केवल 1,873.29 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आवश्यकता के विरुद्ध 3250.65 करोड़ रुपये के अनुपूरक अनुदान प्राप्त हुए थे, जिसके परिणामस्वरूप प्रत्येक प्रकरण में 10 लाख रुपये से अधिक की बचतें तथा कुल 1,377.36 करोड़ रुपये की बचतें हुई । इन प्रकरणों के विवरण ***परिशिष्ट 2.6*** में दिये गए हैं ।

दो प्रकरणों में, 30.26 करोड़ रुपये के असमाविष्ट अधिक व्यय को छोडते हुए 40.40 करोड़ रुपए का अनुपूरक प्रावधान अपर्याप्त सिद्ध हुआ । विवरण ***परिशिष्ट 2.7*** में दिये गये हैं ।

2.3.7 निधियों का अत्यधिक/अनावश्यक पुनर्विनियोग/अभ्यर्पण

पुनर्विनियोग एक अनुदान के भीतर विनियोग की एक इकाई से जिसमें बचत प्रत्याशित है, दूसरी इकाई को जिसमें निधियों की अतिरिक्त आवश्यकता है, निधियों का अन्तरण है । 55 प्रकरणों में (क) पहले से ही अधिक व्यय हो चुका था ऐसे शीर्षों से निधियों का आहरण (ख) उपलब्ध बचत से अधिक निधियों का आहरण (ग) बचत के बावजूद भी निधियों का अनावश्यक आवर्धन तथा (घ) अधिक व्यय की पूर्ति के लिए आवश्यकता से अधिक निधियों का आवर्धन करने के कारण प्रत्येक प्रकरण में एक करोड रुपए से अधिक की निधियों का पुनर्विनियोग/अभ्यर्पण अविवेकपूर्ण सिद्ध हुआ, जिसके विवरण ***परिशिष्ट 2.8*** में दिए गए हैं ।

2.3.8 अभ्यर्पित नहीं की गईं प्रत्याशित बचतें

(क) नियमानुसार, व्यय करने वाले विभागों से यह अपेक्षा की जाती है कि जब भी बचतें प्रत्याशित हों, वे अनुदानों / विनियोगों अथवा उसका भाग वित्त विभाग को अभ्यर्पित कर दें। तथापि वर्ष 2006-07 की समाप्ति पर अनुदानों/विनियोगों के 126 प्रकरणों में विभागों द्वारा बड़ी बचतों को अभ्यर्पित नहीं किया गया था; जिसमें 5,978.09 करोड़ रुपये की राशि समाविष्ट थी। इसमें से, 40 प्रकरणों में, उपलब्ध बचतों की महत्वपूर्ण राशियाँ (प्रत्येक प्रकरण में 5 करोड़ रुपए और उससे अधिक) जो कुल 5,922.59 करोड़ रुपये थीं, अभ्यर्पित नहीं की गई थीं; जिनके विवरण ***परिशिष्ट 2.9*** में दिए गए अनुसार है।

(ख) इसके अतिरिक्त, 137 प्रकरणों में, 3,764.59 करोड़ रुपये के कुल अभ्यर्पण में से 2,049.66 करोड़ रुपए (54.4 प्रतिशत) मार्च 2007 के अंतिम दिन अभ्यर्पित किए गए थे, जो कि व्यय पर अपर्याप्त वित्तीय नियंत्रण का परिचायक है।

2.3.9 निधियों का अविवेकपूर्ण अभ्यर्पण

17 प्रकरणों में, अभ्यर्पित की गई राशि उपलब्ध बचत से अधिक थी, जो कि अदक्ष बजट नियंत्रण का द्योतक है। यह ध्यान में लाया गया कि 701.56 करोड़ रुपए की कुल उपलब्ध बचतों के विरुद्ध अभ्यर्पित राशि 756.88 करोड़ रुपये थी, जिसके परिणामस्वरूप 55.32 करोड़ रुपये का अविवेकपूर्ण अधिक अभ्यर्पण हुआ। विवरण ***परिशिष्ट 2.10*** में दिया गया है।

2.3.10 बजट प्रावधान के बिना किया गया व्यय

बजट में निधियों के प्रावधान के बिना किसी योजना/सेवा पर व्यय नहीं किया जाना चाहिए। तथापि, यह देखा गया कि अनुदान संख्या-6 योजना 7610-202-5297-अन्य सरकारी कर्मचारियों के लिये मोटर वाहन क्रय हेतु अग्रिम के अधीन वित्त व्यवस्था में मूल अनुमानों/अनुपूरक मांगों में प्रावधान किये बिना 2000 रुपये का व्यय किया गया था।

2.3.11 निधियों का अनावश्यक आहरण और लेखाओं में व्यय का दोषपूर्ण चित्रण

कोई भी धन कोषालय से उस समय तक नहीं निकाला जावेगा जब तक कि उसे अविलम्ब संवितरित न किया जाना हो । संचालक उद्यानिकी, भोपाल के अभिलेखों की नमूना जांच (मई 2007) से प्रकट हुआ कि संचालक ने बड़ी संख्या में अनुसूचित जाति वाले जिले में " उद्यानिकी सूचना केन्द्र " की स्थापना के लिये अनुसूचित जातियों हेतु अनुदान संख्या 64-विशेषांश योजना के अधीन प्रदत्त 1.01 करोड़ रुपये की एक राशि आहरित की (30 मार्च 2007) और उसे लेखाओं में अन्तिम व्यय के रूप में प्रदर्शित किया । कथित राशि अग्रिम के रूप में केन्द्र की स्थापना के लिये नामोदिष्ट नोडल एजेन्सी "मध्य प्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास मर्यादित भोपाल" को प्रदत्त की गई थी । मई 2007 के अन्त तक केन्द्र की स्थापना की दिशा में कोई भौतिक प्रगति नहीं हुई । लेखापरीक्षा द्वारा ध्यान दिलाये जाने पर आयुक्त एवं सह संचालक, उद्यानिकी ने अन्तिम रूप से उत्तर दिया (अगस्त 2007) कि सूचना प्रौद्योगिकी के प्रसार एवं प्रसारण के लिये सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने राज्य में स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क योजना के अन्तर्गत एक नेट वर्क की स्थापना करने जा रहा है जो उद्यानिकी सूचना केन्द्रों की आवश्यकता की पूर्ति भी करेगा अतः तदैव उद्यानिकी विभाग द्वारा इन उद्यानिकी सूचना केन्द्रों की स्थापना की कोई आवश्यकता नहीं है । परिणाम स्वरूप नोडल एजेन्सी से उक्त राशि वापस प्राप्त कर सरकार के खाते में जमा कराई गई (जून 2007) ।

इस प्रकार 1.01 करोड़ रुपये की निधियों का अनावश्यक आहरण किया गया और उनका 2006-07 के लेखाओं में दोषपूर्ण ढंग से व्यय के रूप में चित्रण किया गया ।

2.3.12 अनधिकृत व्यय

राज्य से होकर निकलने वाले राष्ट्रीय राजमार्गो का निर्माण /रखरखाव राज्य लोक निर्माण विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन कार्यरत राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग करता है । राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण/रखरखाव पर किये जाने वाले स्वीकार्य व्यय की राज्य सरकार को प्रतिपूर्ति वेतन एवं लेखा कार्यालय (राष्ट्रीय राजमार्ग) जयपुर के माध्यम से

भूतल एवं परिवहन मंत्रालय द्वारा की जाती है । ऐसी प्रतिपूर्ति के लिये राज्य सरकार के दावे महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) मध्य प्रदेश के माध्यम से भेजे जाते हैं ।

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) मध्यप्रदेश ग्वालियर के कार्यालय में देखा गया (जून 2007) कि राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण/रखरखाव से सम्बन्धित उचन्त शीर्ष 8658-उचन्त-101-पीएओ उचन्त/3054/5054 के अन्तर्गत रखी राशि में 1984-85 में 4.56 लाख रुपये से 31 मार्च 2007 को 20.11 करोड़ रुपये तक वृद्धि हुई। यह वृद्धि मध्य प्रदेश में विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्ग संभागों द्वारा राष्ट्रीय राजमार्गो के निर्माण/रखरखाव पर किये गये अस्वीकार्य व्यय को पी ए ओ (एन एच) जयपुर द्वारा रोकने/स्वीकार न करने के कारण हुई ।

अभिलेखों के विश्लेषण से प्रकट हुआ कि 20.11 करोड़ रुपये की बकाया राशि में से 7.77 करोड़ रुपये की एक राशि मध्य प्रदेश के पुनर्गठन से यथा नवम्बर 2000 से मार्च 2007 में संचित हुई थी, इसके 2.88 करोड़ रूपये 2006-07 में संचित हुए थे । इस राशि के बड़े भाग की अस्वीकृत के कारण केये गये कार्यो की पुनरीक्षित अनुमानों की अनुपस्थिति, स्वीकृत राशि से अधिक व्यय, बाढ़/हानिं प्रतिवेदन की स्वीकृत का अभाव, राष्ट्रीय राजमार्ग कार्य को प्रभारित न होने वाला व्यय, पेट्रोल, तेल तथा चिकनाई का भुगतान इत्यादि थे । इससे गंभीर अनियमितताएं हुई । तथा सक्षम अधिकारी की बिना स्वीकृत के व्यय हुआ । जून 2007 में शासन को मामले की सूचना दी गई । सितम्बर 2007 तक उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था ।

2.4 समाधान न किया गया व्यय

वित्तीय नियमों में आदेशित है कि नियंत्रण अधिकारियों को व्यय के विभागीय आंकड़ो का समाधान समय समय पर महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के द्वारा पुरस्कांकित आंकड़ों से करना चाहियें तथापि 10 मुख्य शीर्षों से सम्बन्धित 15 अनुदानों के अन्तर्गत 2916.28 करोड़ रूपये के व्यय का समाधान, जो कि वर्ष के दौरान व्यय के 9.5 प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करता है, विभिन्न विभागों में होना बकाया था । विवरण ***परिशिष्ट- 2.11*** में दिये गये हैं ।

2.5 पुनर्विनियोगों/अभ्यर्पणों की त्रुटिपूर्ण संस्वीकृतियां

राज्य सरकार के अनुदेशों (नवम्बर 2006) एवं वित्तीय नियमों के अनुसार (i) पुनर्विनियोगो/अभ्यर्पण हेतु समस्त संस्वीकृतियां वित्त वर्ष की समाप्ति के पूर्व जारी कर दी जानी चाहिये और लेखाओं में उनको समाविष्ट करने हेतु महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) कार्यालय में समय सीमा में प्राप्त हो जानी चाहिये, (ii) "वेतन, मजदूरी तथा कार्यालय व्यय" शीर्ष के अन्तर्गत किसी भी स्थिति में बजट प्रावधान को वित्त विभाग की सहमति के बिना उक्त शीर्ष के अन्तर्गत प्रदत्त राशि के 10 प्रतिशत से अधिक तक बढ़ाया नहीं जाना चाहिये (iii) प्रभारित से दत्तमत तथा राजस्व से पूंजीगत और इसके विपरीत क्रम से किसी राशि का पुनर्विनियोग नहीं किया जा सकता तथा (iv) जिन योजनाओं से अभ्यर्पण/विनियोग संस्वीकृत किये गये हो उनके उचित विवरण दिये जाने चाहिये तथा पुनर्विनियोग की संस्वीकृति के दोनो पक्षो का योग मिलान चाहिये । लेखापरीक्षा में पाया गया कि इन अनुदेशों का उल्लघन कर वर्ष के दौरान 220.61

करेड़ रुपये का पुनर्विनियोग/अभ्यर्पण किया गया था तथापि महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी द्वारा इनको लेखे में समाविष्ट करने के लिये स्वीकार नहीं किया गया था । विवरण ***परिशिष्ट 2.12*** में दिये गये है ।

2.6 व्यय की अत्याधिकता

वित्तीय नियमों में आदेशित है कि सरकारी व्यय को वर्ष के दौरान समानरूप से विभाजित किया जाना चाहिये । व्यय को अधिकता विशेषरूप से वित्त वर्ष के अन्तिम माहों में होना वित्तीय नियमों का उल्लघन माना जाता है । चार तिमाहियों से सम्बन्धित व्यय तथा माह मार्च 2007 में किए गए व्यय की स्थिति जैसी कि ***परिशिष्ट- 2.13*** में दर्शाई गई है, से भी प्रकट होता है कि 14 प्रकरणों में मार्च 2007 में किया गया व्यय वर्ष के दौरान किये गये कुल व्यय के लगभग 30 और 77 प्रतिशत के मध्य रहा जो वित्त वर्ष के अन्त में बजट के उपयोग की प्रवृत्ति का सूचक है ।

2.7 बजट नियंत्रण

बजट प्रक्रिया और व्यय पर नियंत्रण की समीक्षा तथा आठ अनुदानों[14] के प्रकरण में अभिलेखों की नमूना जाँच में निम्न तथ्य प्रकट हुए;

2.7.1 व्यय नियंत्रण पंजियों का संधारण न करना

व्यय पर प्रभावी नियंत्रण एवं अनुवीक्षण के उद्देश्य से, अनुदान नियंत्रक के कार्यालय में एक पंजी संधारित की जानी चाहिए तथा अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा नियंत्रण अधिकारी को मासिक व्यय पत्रक नियमित रुप से भेजा जाना चाहिए। इस प्रकार प्राप्त व्यय के आंकड़ो को व्यय नियंत्रण पंजी में प्रविष्ट किया जाकर नियंत्रण अधिकारी द्वारा उनका प्रगामी योग माह-दर-माह निकाला जाकर व्यय स्थिति को अद्यतन रखा जाना चाहिए।

इन आठ अनुदानों के संबंधित अभिलेखों की नमूना जांच से प्रकट हुआ कि न तो किसी नियंत्रण कार्यालय द्वारा व्यय नियंत्रण पंजियों का संधारण किया गया था और न ही अधीनस्थ कार्यालय द्वारा नियमित रुप से मासिक व्यय पत्रक अपने नियंत्रण अधिकारी को भेजे गए थे। यह, व्यय पर उचित नियंत्रण एवं परिवीक्षण के अभाव का परिचायक है जिसके कारण (क) कतिपय उप-शीर्षो के अन्तर्गत प्रावधानों से बहुत अधिक व्यय/वृहद बचतें हुईं, (ख) अपर्याप्त/अनावश्यक/अत्यधिक अनुपूरक प्रावधान किए गए एवं (ग) निधियों का अनियमित पुनर्विनियोग हुआ एवं उनका अभ्यर्पण नहीं किया गया।

[14] - *1 सामान्य प्रशासन (राजस्व दत्तमत), 17-सहकारिता (राजस्व एवं पूंजीगत दत्तमत), 21-गृह निर्माण तथा पर्यावरण (राजस्व एवं पूंजीगत दत्तमत), 31-योजना आर्थिकी तथा सांख्यकी (राजस्व दत्तमत), 41-जनजाति क्षेत्र उपयोजना (राजस्व तथा पूंजीगत दत्तमत), 55-महिला एवं बाल विकास (राजस्व तथा पूंजीगत दत्तमत), 57-जल संसाधन विभाग से सम्बन्धित विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (पूंजीगत दत्तमत), 78-नर्मदा घाटी विकास से सम्बन्धित नाबार्ड सहायता प्राप्त परियोजनाएं (राजस्व दत्तमत) ।*

2.7.2 बजट अनुमानों की त्रुटिपूर्ण तैयारी

2006-07 के अनुदानों एवं विनियोग लेखे की नमूना जांच में अपनाई गई प्रक्रिया से प्रकट हुआ कि बजट अनुमानों के लिए माँगें तदर्थ आधार पर तैयार की गई थीं। बजट तैयार करने एवं बजट संचालन में हीन गुणवत्ता के निम्न परिणाम हुए;

(i) राजस्व दत्तमत भाग के अंतर्गत सात अनुदानों (1, 17, 21, 31, 41, 55 एवं 78) में 7.34 करोड़ रुपये से 181.88 करोड़ रुपये की सीमा में कुल 324.28 करोड़ रुपये अधिक प्रावधान हुए। पूंजीगत दत्तमत भाग में भी पांच अनुदानों (17, 21, 41, 55 तथा 57) में 8.17 करोड़ रुपए से 106.38 करोड़ रुपये की सीमा में कुल 251.13 करोड़ रुपये के अधिक प्रावधान हुए।

(ii) 2006-07 में नमूना जाँच किए गए अनुदानों की 52 योजनाओं के अंतर्गत (19 योजनाओं में सतत बचतें हुई थीं) दो करोड़ रुपए अथवा उससे अधिक की सारभूत बचतें तथा प्रत्येक प्रकरण में प्रावधान के 20 प्रतिशत से भी अधिक तथा कुल 588.59 करोड़ रुपए की बचतें हुई थीं जिसका ब्यौरा **परिशिष्ट 2.14** में दिया गया हैं। जबकि 17 योजनाओं के अन्तर्गत, प्रत्येक प्रकरण में एक करोड़ रुपए से अधिक के सारभूत आधिक्य हुए तथा 2006-07 के वर्ष के दौरान (एक योजना में सतत आधिक्य रहा था) कुल 134.30 करोड़ रुपए के आधिक्य पाए गए जिनके विवरण **परिशिष्ट-2.15** में दिये गए हैं ।

2.7.3 योजनाओं के अन्तर्गत अनावश्यक/अत्यधिक/अपर्याप्त अनुपूरक प्रावधान

नमूना जांच किए गए अनुदानों की 11 योजनाओं में, कुल 47.94 करोड़ रुपए के अनुपूरक प्रावधान अप्रयुक्त रहे एवं अनावश्यक सिद्ध हुए, 16 योजनाओं में अनुपूरक प्रावधान 59.11 करोड़ रुपए तक अधिक थे एवं एक योजना में, 12.92 करोड़ रुपए के अनुपूरक प्रावधान 4.69 करोड़ रुपए के अंतिम आधिक्य के परिप्रेक्ष्य में अपर्याप्त सिद्ध हुए जैसा कि **परिशिष्ट 2.16** में दिया गया है।

2.7.4 चयनित अनुदानों में योजनाओं के अन्तर्गत मार्च में व्यय की तेजी

संपूर्ण वर्ष में नियमित रूप से व्यय का प्रवाह बजट नियंत्रण की प्राथमिक आवश्यकता है। **परिशिष्ट 2.17** में दिए गए विवरणों के अनुसार 11 योजनाओं में 36.57 करोड़ रुपये का सम्पूर्ण कुल व्यय मार्च 2007 के दौरान किया गया था जो खराब वित्तीय नियंत्रण तथा बजट प्रावधान को व्यपगत होने से रोकने के लिये निधियों के आहरण की सम्भावना प्रकट करता है ।

2.7.5 योजनाओं के अन्तर्गत व्यय के आंकडों का मिलान न करना

नियत्रंण अधिकारियों को व्यय की सही एवं अद्यतन स्थिति को सुनिश्चित करने हेतु विभागीय अभिलेखों में व्यय के आकडों का मिलान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-I मध्य प्रदेश के कार्यालय के अभिलेखों में दर्शाये गए आंकड़ों से करना चाहिए । नमूना जांच से प्रकट हुआ कि वर्ष 2006-07 के विभागीय व्यय के आकडों का मिलान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-I, मध्य प्रदेश ग्वालियर के आंकड़ों से अनुदान संख्या 1,17,21,31,41,55,57 एवं 78 के किसी भी नियंत्रण अधिकारी द्वारा नहीं किया गया

जिसके परिणामस्वरूप् व्यय पर अप्रभावी नियंत्रण रहा । नियंत्रण अधिकारियों ने इस तथ्य को स्वीकार किया ।

2.7.6 सिविल निक्षेप में निधियों का अवरूद्ध होना (पार्किंग)

वित्तीय नियम कोषालय से उस समय तक धन के आहरण का निषेध करते है जब तक कि अविलम्ब संवितरण हेतु उनकी आवश्यकता न हो । 2006-07 के अभिलेखों तथा विनियोग लेखे की नमूना जांच से प्रकट हुआ कि वित्त वर्ष के अन्तिम दिन 125.43 करोड़ रूपये का आहरण किया गया था और उसे बजट प्रावधान को व्यपगत होने से रोकने के लिये लेखाओं में व्यय के रूप में दर्शाने के उपरान्त 31 मार्च 2007 को मुख्य शीर्ष-8443-सिविल निक्षेप-800-अन्य निक्षेप में जमा किया गया । विवरण निम्नानुसार है:-

(करोड़ रूपये में)

क्र.संख्या	अनुदान संख्या तथा नाम	मुख्य शीर्ष	राशि
1	17- सहकारिता	2425	100.14
2	21- गृह निर्माण एवं पर्यावरण	4217	10.00
3	31- योजना आर्थिकी एवं सांख्यकी	3454	0.41
4	41- जनजाति क्षेत्र उपयोजना	2215, 4210, 4215	5.76
5	55- महिला एवं बाल विकास	2235	9.12
		योग	125.43

2.7.7 अधिक व्यय के साथ लोक निर्माण सड़क एवं पुल विभाग की बजट सम्बन्धी समीक्षा

अनुदान संख्या 24-लोक निर्माण-सड़क एवं पुल में राजस्व (दत्तमत) अनुभाग से सम्बन्धित वर्ष 2004-05 से 2006-07 के अभिलेखों तथा विनियोग लेखे की नमूना जांच से 2004-05 से 2006-07 के दौरान सम्पूर्ण अधिक व्यय निम्नानुसार हुआ:-

(करोड़ रूपये में)

अनुदान संख्या एवं नाम	अनुभाग	अधिक व्यय			योग
		2004-05	2005-06	2006-07	आधिक्य
24- लोक निर्माण- सड़क एवं पुल	राजस्व दत्तमत	13.77	7.75	2.48	24.00

2004-05 से 2006-07 के दौरान अनुदान संख्या 24 में 24 करोड़ रूपये का आधिक्य मुख्य रूप से मुख्य शीर्ष 3054-सड़क एवं पुल-अनुरक्षण तथा मरम्मत-सामान्य मरम्मत के अन्तर्गत हुआ । 2004-05 से 2006-07 के दौरान अनुदान संख्या 24 के अधीन सारभूत आधिक्य/बचत तथा अपर्याप्त अनुपूरक प्रावधान के भी विवरण **परिशिष्ट 2.18** में दर्शाए गए है । यह नियंत्रण अधिकारियों द्वारा बजट अनुमानों की दोषपूर्ण तैयारी तथा व्यय का अपर्याप्त नियंत्रण तथा परिवीक्षण प्रकट करता है ।

इसके अतिरिक्त यह भी पाया गया कि अनुदान संख्या 24 के नियंत्रण अधिकारी ने

- न तो व्यय नियंत्रण पंजी संधारित की और न अधीनस्थ अधिकारियों ने नियंत्रण अधिकारियों को मासिक व्यय प्रतिवेदन ही नियमित रूप से प्रेषित किये जिससे व्यय पर प्रभावी नियंत्रण तथा परिवीक्षण का अभाव प्रकट हुआ ।
- व्यय के विभागीय आंकड़ों का महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) I मध्य प्रदेश, ग्वालियर की पुस्तकों में अंकित व्यय के आंकड़ों से मिलान नहीं किया ।

- पूरे वर्ष तक व्यय के नियमित प्रवाह का संधारण नहीं किया जो बजट नियंत्रण की प्राथमिक आवश्यकता है परिणामस्वरूप अनुदान संख्या 24 के अन्तर्गत सात प्रकरणों में मार्च 2007 के दौरान व्यय निम्नानुसार 35 प्रतिशत तथा 100 प्रतिशत के मध्य रहा:-

(लाख रूपयो में)

क्रम संख्या	अनुदान संख्या तथा योजनाओं के विवरण	कुल व्यय	मार्च-07 में व्यय	मार्च-07 में व्यय का प्रतिशत
1	3054-04-800-7081- राजमार्गो मुख्य जिला सड़को का नवीकरण, उन्नयन तथा डम्बरीकरण	702.91	245.88	35
2	3054-04-800-7087- उन्नयन डम्बरीकरण तथा नवीकरण	2477.92	892.55	36
3	3053-60-102-4727- हवाई पट्टी का निर्माण तथा विस्तार	24.92	24.92	100
4	3054-01-337-134 संधारण तथा मरम्मत साधारण मरम्मत	682.98	253.56	37
5	3054-01-337-1366- चौड़ीकरण	89.18	32.96	37
6	3054-04-337-1366-चौड़ीकरण	213.09	78.73	37
7	3054-04-337-4557- सुदृढ़ीकरण	124.97	80.67	65

उपरोक्त के अतिरिक्त विभाग ने वित्त वर्ष के अन्तिम माह में उपलब्ध शेष से अधिक 32.40 करोड़ रुपये का व्यय भी नीचे दिये गये विवरणों के अनुसार किया:-

(लाख रूपयों में)

क्र. स.	योजनाओं के विवरण	मार्च 07 में उपलब्ध शेष	मार्च 07 में व्यय	अधिक व्यय
1	24-3054-01-337-134- संधारण तथा मरम्मत-साधारण मरम्मत	25.19	253.56	228.37
2	24-3054-04-337-1366- चौड़ीकरण	(-) 60.01	78.73	138.74
3	24-3054-04-337-4557- सुदृढ़ीकरण	(-) 60.62	80.67	141.29
4	24-3054-04-337-134- संधारण तथा मरम्मत-साधारण मरम्मत	4801.65	6982.94	2181.29
5	24-3054-04-337-4090- विशेष मरम्मत	419.30	776.82	357.52
6	24-3054-03-337-1366- चौड़ीकरण	3.79	15.21	11.42
7	24-3054-03-337-4090-विशेष मरम्मत	137.46	212.98	75.52
8	24-3054-03-337-4557-सुदृढ़ीकरण	(-) 1.36	10.40	11.76
9	24-3054-04-800-7087- उन्नयन डम्बरीकरण तथा नवीकरण	798.77	892.55	93.78
	योग	**6064.17**	**9303.86**	**3239.69**

अनुदान संख्या 24 के नियंत्रण अधिकारी ने कोई उत्तर प्रेषित नहीं किया था ।

तीसरा अध्याय

निष्पादन लेखापरीक्षा

- कोषालयों के कम्प्यूटरीकरण की सूचना प्रौद्योगिकी लेखापरीक्षा
- मध्यप्रदेश में वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 का कार्यान्वयन
- राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना
- गतिवर्धित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम
- अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों का शैक्षिक विकास
- रोपणियों की कार्यविधि

तीसरा अध्याय
निष्पादन लेखापरीक्षा

इस अध्याय में कोषालयों के कम्प्यूटरीकरण की सूचना प्रौद्योगिकी लेखापरीक्षा, मध्यप्रदेश में वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का क्रियान्वयन, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, गतिवर्धित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति का शैक्षिक विकास तथा एक बड़ी कंडिका रोपणियों की कार्याविधि सम्मिलित हैं ।

वित्त विभाग

3.1 कोषालयों के कम्प्यूटरीकरण की सूचना प्रौद्योगिकी लेखापरीक्षा

मुख्य विशेषतायें

एकीकृत कोषालयीन कम्प्यूटरीकरण योजना (आई.टी.सी.पी.) का चयन अक्टूबर 2001 में अनुमानित राशि रू. 8.91 करोड पर किया गया, जिसे अक्टूबर 2002 में पुनरीक्षित कर रू. 28.02 करोड़ कर दिया गया । योजना राज्य के 53 कोषालयों एवं 159 उप कोषालयों में कार्यान्वित की गयी । योजना की सूचना प्रौद्योगिकी लेखापरीक्षा से प्रकट हुआ कि योजना के अन्तर्गत विकसित तथा कार्यान्वित सोफ्टवेयर पैकेज राज्य वित्तीय प्रबंधन प्रणाली हैं पर रू. 23.60 करोड़ राशि व्यय के बाद भी वांछित उद्देश्य पाने में असमर्थ था । लेखापरीक्षा के कुछ मुख्य निष्कर्ष निम्नानुसार है ।

अपर्याप्त वैधीकरण के कारण 1403 आहरण व संवितरण अधिकारियों को एक से अधिक कोड आवंटित कर दिये तथा उनमें से कुछ ने दोनों कोड देयकों के आहरण तथा भुनाने हेतु चालू रखे । आगे आहरण एवं संवितरण अधिकारी की मुख्य सारिणी में रखे गये आंकड़े अपूर्ण तथा त्रुटिपूर्ण थे

(कंडिका 3.1.4.1)

सोफ्टवेयर में वैसा कोई वैधीकरण नियंत्रक नहीं था जो स्टाम्प विक्रेताओं को बजट आवंटन से अधिक देय छूट/भुगतान किये गये कमीशन के लेखे में हुए अधिक व्यय को ध्वज के रूप में दर्शा सके।

(कंडिका 3.1.4.2)

सोफ्टवेयर की डिजाइन में कमियों के कारण 10.55 लाख रू. का दो बार डुप्लीकेट बिलो के आधार पर आहरण हुआ । कोषालय नियम नजरअंदाज हुये । आहरण एवं संवितरण अधिकारी कोषालय नियमों का उल्लंघन कर बिलों का आहरण एवं नकदीकरण कर सकते थे ।

(कंडिका 3.1.5.3)

सिस्टम के प्रबंधकीय सूचना प्रणाली के द्वारा जनित प्रतिवेदनों के विश्लेषण में पाया गया कि एस एफ एम एस पैकेज द्वारा जनित अन्य आकड़ों तथा आर बी डी आँकड़ो तथा मेन्युअली बनाये आँकड़ों में भारी अंतर पाया गया, जो सिस्टम द्वारा जनित डेटा की विश्वसनीयता को गंभीर रूप से तलोच्छेदित करता था ।

(अनुच्छेद 3.1.6)

पासवर्ड नियंत्रकों की अपर्याप्तता से डाटा तक अनाधिकृत पहुँच/परिवर्तनों के लिये भेद्य हुए।

(अनुच्छेद 3.1.8.2)

डिजास्टर रिकवरी प्लान नहीं बनाया गया तथा इस कार्य के लिये रखे गये 1.30 करोड़ रूपये को अन्य व्ययों के लिये मोड़ दिया गया।

(अनुच्छेद 3.1.10.3)

3.1.1 प्रस्तावना

3.1.1.1 कोषालय राज्य शासन के वित्तीय लेनदेनों को जिलों में करने हेतु मैदानी कार्यालय हैं । राज्य में 53 कोषालय व 159 उप कोषालय हैं । कोषालयों द्वारा निष्पादित किये जाने वाले कुछ मुख्य कार्यकलाप निम्नानुसार हैं ।

- शासन की ओर से भुगतान करना जिसमें राज्य शासन के कर्मचारियों को वेतन का भुगतान भी शामिल है ।
- शासन की प्राप्तियों को स्वीकार करना ।
- मूल्यवान वस्तुओं की सुरक्षा एवं
- प्रत्येक माह "प्राप्ति व भुगतान लेखों" को तैयार करना तथा इसे महालेखाकार को प्रस्तुत करना ।

सात संभागीय कार्यालय वेतन निर्धारण, लेखा परीक्षा, साख पत्र इत्यादि कार्य देख रहे है तथा अधीनस्थ कोषालयों का अनुवीक्षण कर रहे हैं ।

राज्य में कोषालयों के क्रियाकलापों के प्रचालन एवं नियंत्रण हेतु संचालनालय कोष एवं लेखा, (डी.टी.ए.) वित्त विभाग, भोपाल जिम्मेदार हैं । यह सभी कोषालयों से डाटा को समेकित करता है तथा सभी शासकीय विभागों के प्राप्ति व भुगतान आकड़ो का मिलान महालेखाकार द्वारा संकलित लेखाओं के आंकड़े से करने के लिए उत्तरदायी है ।

राज्य शासन द्वारा अक्टूबर 2001 में एकीकृत कोषालयीन कंप्यूटरीकरण योजना (आई.टी.सी.पी.) रू. 8.91 करोड़ प्रारंभिक राशि पर स्वीकृत की गयी जो तत्पश्चात अक्टूबर 2002 में पुनरीक्षित कर रू. 28.02 करोड़ कर दी गयी । परियोजना के कार्यान्वयन हेतु संचलनालय कोष एवं लेखा को नोडल एजेंसी मनोनीत किया गया । परियोजना के मुख्य घटक निम्नानुसार थे ।

- सभी कोषालयों व संचालनालय कोष एवं लेखा के समस्त प्रचालनों के हेतु द्विभाषी एप्लीकेशन सोफ्टवेयरों का विकास करना । यह सोफ्टवेयर महालेखाकार द्वारा प्रयोग किये जा रहे साफ्टवेयर के अनुकूल होना था ।
- सभी कोषालयों व डी टी ए को जोड़ने हेतु वी सेट आधारित नेटवर्किंग की स्थापना ।
- कम्प्यूटरीकरण व नेटवर्किंग हेतु जरूरी हार्डवेयर का अर्जन एवं संस्थापन करना।

एकीकृत कंपूटरीकरण योजना के उद्देश्य निम्नानुसार थे ।

- बेहतर वित्तीय प्रबंधन एवं नियंत्रण
- राज्य राजस्व एवं व्यय का अनुवीक्षण
- प्रभावी प्रबंध सूचना प्रणाली

3.1.1.2. राज्य वित्त अनुवीक्षण प्रणाली एप्लीकेशन साफ्टवेयर ।

आई टी सी पी के अंतर्गत कोषालयों एवं डी टी ए के क्रियाकलापो के स्वचालन हेतु द्विभाषी साफ्टवेयर तैयार करने का कार्य मार्च 2002 में मेसर्स सी.एम.सी. लिमिटेड, नई दिल्ली को दिया गया । तदनुसार राज्य वित्त अनुवीक्षण प्रणाली (एफ.एस.एम.एस.) के अंतर्गत एप्लीकेशन साफ्टवेयर का विकास ''ऑरकेल 9 आई'' में ''लाइनेक्स'' को ऑपरेटिंग सिस्टम तथा ''डेवलपर 2000'' को फ्रट ऐंड ब्राउसर के रूप में उपयोग कर किया गया। एस एफ एम एस पैकेज में निम्न चार सब सिस्टम (उप प्रणाली) हैं ।

कोषालय उपप्रणली:- इसमें कोषालयों के सभी क्रियाकलापों के स्वचालन हेतु सात मॉडयूल है ।

संभागीय उपप्रणाली : इसमें संभागीय कार्यालयों के सभी क्रियाकलापों के स्वचलन हेतु दो मॉडयूल हैं ।

संचालनालय कोष एवं लेखा उपप्रणाली : इसमें संचालनालय कोष व लेखाओं के सभी क्रियाकलापों के स्वचालन हेतु छः मॉडयूल हैं ।

(एफ.एम.आई.एस.) संचालनालय वित्तीय प्रबन्धन एवं सूचना प्रणाली उपप्रणाली : इसमें नौ मॉडयूल हैं जो संचालनालय वित्तीय प्रबन्ध एवं सूचना प्रणाली (डी.एफ.एम. आई.एस.), वित्त विभाग भोपाल के क्रियाकलापों के स्वचालन की देख रेख करता है । वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली संचालनालय, संचालक, कोष एवं लेखा की तरह सचिव, वित्त को रिपोर्ट करता है तथा यह मुख्य रूप से व्यय नियंत्रण मापों तथा ऋणों की गारंटियों का अनुवीक्षण व लेखा प्रतिवेदनों व लोक लेखा समिति की अनुशंसाओं के अनुवर्ती कार्यान्वयन हेतु जिम्मेदार है।

एस.एफ.एम.एस. पैकेज अप्रैल 2004 से प्रचलन में आया ।

3.1.2. लेखापरीक्षा के उद्देश्य

3.1.2.1 यह निर्धारित करने के लिये कि-

- आई.टी.कंट्रोल प्रभावी व पर्याप्त थे जिससे डाटा की पूर्णता, परिशुद्धता व विश्ववसनीयता आश्वस्त की जा सके ।
- म.प्र. कोष संहिता (एम.पी.टी.सी.), म.प्र. वित्त संहिता (एम.पी.एफ.सी.) तथा अन्य संबंधित नियमो तथा आदेशों के द्वारा निर्धारित व्यवसायिक नियमों को सही रूप से कम्प्यूटरीकृत सिस्टम पर मान चित्रित किया गया ।
- कम्प्यूटरीकरण के उद्देश्य प्राप्त कर लिए गये ।

3.1.2.2 आइ टी सी पी की योजना, कार्यान्वयन एवं विभिन्न स्तरों पर अनुवीक्षण और उसमें आलिप्त विधियाँ ।

3.1.3 लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं कार्यप्रणाली विज्ञान

3.1.3.1 एस एफ एम एस पैकेज के "कोषालय उपप्रणाली" द्वारा 11 कोषालयों के (अप्रेल 2007 से अक्टूबर 2007 तक) के डाटा का विश्लेषण कम्प्यूटर समर्थित लेखापरीक्षा तकनीकी (सी.ए.ए.टी.) द्वारा किया गया । डी.टी.ए. सब- सिस्टम तथा संभागीय सब सिस्टम के समान डाटा का विश्लेषण उसी अवधि हेतु डी.टी.ए एवं संभागीय कार्यालय, भोपाल में क्रमानुसार किया गया । कम्प्यूटरीकृत क्रिया कलापों में शामिल प्रक्रियाओं का मूल्यांकन यह जाँचने के लिये किया गया कि म.प्र. कोष संहिता तथा म.प्र वित्तीय नियमों के प्रावधानों का अनुपालन हुआ है । आडिट के साथ प्रवेश गोष्ठी के दौरान लेखापरीक्षा की योजना तथा लेखापरीक्षा के दौरान के मानदण्डों पर चर्चा की गई ।

3.1.3.2 डी.टी.ए पर संधारित अभिलेखों की संवीक्षा यह जाँचने के लिये की गयी कि आई टी सी पी का संचालन "आई.टी. गवर्नेंस" की सर्वोत्कृष्ट आचरणों तथा विभिन्न नियमों, नियंत्रणों तथा शासन द्वारा इस संबंध में निर्धारित दिग्दर्शिकाओं के अनुसार है ।

लेखापरीक्षा के निष्कर्ष

3.1.4. इनपुट कंट्रोल्स तथा वैधीकरण नियंत्रकों की अपर्याप्तता

इनपुट नियंत्रक यह आश्वस्त करते हैं कि संसाधन हेतु प्राप्त डाटा वास्तविक, पूर्ण, वैद्य, परिशुद्ध तथा उचित रूप से अधिकृत हैं तथा डाटा प्रविष्टियाँ शुद्ध तथा प्रतिलिपिकरण बिना हैं । एस एफ एम एस पैकेज के डाटा विश्लेषण इनपुट नियंत्रकों की असफलता तथा वैधीकरण नियंत्रकों की अनुपस्थिति के विभिन्न द्रष्टांत प्रस्तुत करता है जो अनुवर्ती कंडिकाओ में चर्चित किये गये हैं ।

3.1.4.1 डाटाबेस में अपूर्ण तथा अशुद्ध डाटा

उचित इनपुट तथा वैधीकरण नियंत्रकों की अनुपस्थिति में डाटा अपूर्ण त्रुटिपूर्ण तथा अविश्वनीय पाये गये ।

- डी.टी.ए सब सिस्टम की डी डी ओ मास्टर टेबल का डाटा विश्लेषण यह बताता है कि वहाँ 13698 डी डी ओ थे । जबकि महालेखाकार कार्यालय के अभिलेखों में मात्र 9164 डी डी ओ विद्यमान थे । डी.टी.ए स्तर पर ऐसे कोई अभिलेख संधारित नहीं थे जिनसे इन ऑकड़ों की शुद्धता पता की जा सके ।

- अस्थायी डी डी ओ (37) अपनी अधिकृत अवधि बीत जाने के उपरांत भी सक्रिय पाये गये, जो यह सूचित करता है कि डी डी ओ मास्टर को नियमित अद्यतन नहीं किया गया । डी डी ओ के विषय में पूर्ण जानकारी जैसे पता, पिन कोड, दूरभाष नम्बर, फैक्स इत्यादि अभिलेखित नहीं किये गये थे तथा 522 प्रकरणों में डी.डी.ओ कोड सृजन की तारीख अभिलेखित नहीं पायी गयी थी।

- विभिन्न कोषालयों के (1403) डी डी ओ को एक से अधिक डी डी ओ कोड आबंटित किये पाये गये तथा उनमें से कुछ ने दोनों कोड वर्ष 2003 से 2007 की अवधि में प्रचलित रखे । इस आलोचनात्मक क्षेत्र में अपूर्ण, अवैध तथा अशुद्ध डाटा प्रविष्टी के कारण सिस्टम संभावित कपटपूर्ण भुगतानों के खतरों से भरा हुआ है । खतरे को वास्तव में और अधिक बल मिलता है क्योंकि लेखापरीक्षा ने ऐसे इनपुट नियंत्रकों की कमी अथवा अनुपस्थिति पायी जिससे यह आश्वस्त किया जा सके कि डाटा प्रविष्टि शुद्धता एवं प्रतिलिपिकरण बिना उचित प्राधिकरण के साथ की जा रही है । वहाँ ऐसा कोई सिस्टम नहीं था जो मास्टर डाटा को एक संधारित प्रमाणित अभिलेख से प्राधिकृत कर दे ।

- सिटी कोषालय इंदौर के डाटा विश्लेषण से प्रकट हुआ कि वहाँ 63 व्यक्तिक/शैक्षिक जमा लेखाधारी थे और 19 प्रकरणों में क्षेत्र "लेखाधारी का नाम" में अर्थहीन डाटा था जबकि वे सभी " स्थायी" लेखाधारी थे ।

- कर्मचारी डेटाबेस मास्टर में दो श्रेणी "प्रमाणीकृत" तथा "अप्रमाणीकृत" थी। नियमानुसार, केवल प्राधिकृत कर्मचारियों को वेतन आहरित करना चाहिये। हालांकि, डाटा विश्लेषण से प्रकट हुआ कि 196 अप्रमाणीकृत कर्मचारियों को वेतन विभिन्न कोषालयों द्वारा आहरित किया गया ।

- जी पी एफ से सम्बन्धित 1,05 770 अभिलेखों के डाटा विश्लेषण से यह प्रकट हुआ है कि 48,555 प्रकरणों में "वाउचर नम्बर" नहीं भरा गया था तथा 48166 प्रकरणों में "डी डी ओ कोड " नहीं भरे गये थे। 26181 प्रकरणों जिनमें जी.पी.एफ. आहरण का कारण उल्लेखित नहीं किया गया था। प्रमाणक क्रमांक के स्थान पर 197 प्रकरणों में अस्पष्ट लिपि चिन्ह पाये गये । 54 प्रकरणों में "वर्ष " क्षेत्र के अतंर्गत अर्थहीन डाटा जैसे 9999,2808,2022,4997,3000 इत्यादि भरे पाये गए। यह भी देखा गया कि 44,912 प्रकरणों में "वाउचर डेट" क्षेत्र में तारीख 00/00/0000 भरी गयी ।

- बजट आवंटन से संबंधित 15,67,937 अभिलेखों के डाटा विश्लेषण से यह प्रकट हुआ कि 34,230 प्रकरणों में "स्वीकृति क्रमांक" तथा "दिनांक" अभिलेखित

नहीं था । 22,073 प्रकरणों में पाया गया कि बजट प्रावधान "0" दर्शायी गयी जबकि बजट में कुछ राशि प्रावधानित की गयी थी ।

- 31.17.708 चालानों के डेटा विश्लेषण से प्रकट हुआ कि 10,784 प्रकरणों में " जमाकर्ता का नाम " अभिलेखित नहीं किया गया । 20,17,250 प्रकरणों में "चालान का प्रकार" नहीं दर्शाया पाया गया था । 29 प्रकरणों में सकल तथा शुद्ध राशि " 0 " दर्शायी गयी । 4,65,363 प्रकरणों में " बैंक स्क्रॉल क्रमांक " नहीं दर्शाया गया था तथा यह भी पाया गया कि 5,23,080 प्रकरणों में अर्थहीन अंक जैसे "00/0.0" आदि भरे गये थे । 11,60,564 प्रकरणों में " उद्देश्य " जिसके लिये चालान जमा हुआ नहीं दर्शाया गया था ।

- सिटी कोषालय, इन्दौर तथा भोपाल के डाटा विश्लेषण से यह प्रकट हुआ कि 141 ऐसे चिकित्सा देयक भुगतान हेतु पारित किये गये जिनके "डाक्टर का नाम " क्षेत्र में अर्थहीन डाटा जैसे " ए.बी.सी " भरा था । कर्मचारी के अनन्य कोड के स्थान पर एक डमी कोड जैसे "171000001" भरा पाया गया । 35 प्रकरणों में 'मेडीकल स्टोर का नाम " क्षेत्र में अर्थहीन डाटा जैसे "abc" , "bc" और "....." इत्यादि भरा था । ये गंभीर अनियमितताऐं थी जो देयकों के कपटपूर्ण भुगतान की ओर ले जा सकती थी,

- मास्टर टेबिल व वर्किंग टेबिल में आडिट परीक्षण से सम्बन्धित क्षेत्र जैसे "सृजित समय एवं दिनांक मुद्रांक," "संशोधित समय एवं दिनांक मुद्रांक" और "यूजर आई डी" खाली पड़ी थी । डाटा विलोपन के संबंध मे आडिट परीक्षण की अनुपस्थिति मास्टर फाइल में अनाधिकृत परिवर्तनों के खतरों को बढ़ाती है । फलस्वरूप डाटाबेस का गलत प्रयोग हो सकता है तथा अततोगत्वा जिम्मेदारी तय करना बहुत कठिन होगा ।

3.1.4.2 स्टाम्प विक्रेताओं को दी गई छूट / भुगतान किये गये कमीशन मद में बजट प्रावधान से आधिक्य व्यय को सिस्टम द्वारा दर्शाया जाने में असफलता ।

वैधीकरण नियंत्रण के अभाव में मद के तहत बजट प्रावधान से अधिक व्यय किया जाना ।

नियमानुसार प्रत्येक वित्त वर्ष के दौरान विक्रेताओं को राजस्व टिकिट की बिक्री के लिए दी गई छूट/कमीशन की राशि सम्बन्धित मुख्य शीर्ष 2030 के अंतर्गत उपलब्ध बजट प्रावधान के तहत विकलनीय होना चाहिए । परन्तु जिला कोषालय गोरखी ग्वालियर के डाटा विश्लेषण से ज्ञात हुआ कि कोषालय कार्यप्रणाली (साफ्टवेयर) उक्त मुख्यशीर्ष के तहत किए गए व्यय के आँकड़ों का उसमे उपलब्ध बजट प्रावधान के विरूद्ध न तो वैद्यीकरण ही करता था और न ही अधिक व्यय को दर्शाता था जिसके फलस्वरूप वित्तीय वर्ष 2004-05, 2005-06 एवं 2006-07 के दौरान उक्त मद में बजट प्रावधान से अधिक व्यय किया गया जिसको अंततः कोषालय द्वारा संचालक कोष एवं लेखा को नियमित किए जाने हेतु लिखना पड़ा । मुख्यशीर्ष 2030 के अंतर्गत उज्जैन और सागर जिला कोषालयों में बजट आबंटन के ऊपर इसी प्रकार का आधिक्य देखा गया ।

3.1.5 सिस्टम डिजाइन में कमियाँ

कम्प्यूटरीकरण का उद्देश्य कोषालय नियमों का उचित ढंग से कार्यान्वयन करना तथा राज्य वित्त अनुवीक्षण प्रणाली सोफ्टवेयर की परिधि के अन्तर्गत कोषालय एवं संचालक, कोष एवं लेखा के सम्पूर्ण प्रचालनों को लाना था । तथापि डाटा विश्लेषण से ऐसे उदाहरण मिले जो यह बताते हैं कि सॉफ्टवेयर द्वारा कोषालय नियमों का ठीक से पालन नहीं किया जा रहा था । एस.एफ.एम.एस. पैकेज में कुछ प्रमुख फीचर्स न होने के परिणामस्वरूप कोषालयों को कुछ मामलों /प्रकरणों में मानवीय हस्तक्षेप का सहारा लेना अनिवार्य हो गया जिन्हें अगले पैराग्राफ में दर्शाया गया है ।

3.1.5.1 सॉफ्टवेयर द्वारा विशेष व्यपगत निक्षेपों को शासन के खातों में स्वतः आंकलित न किया जाना ।

प्रयोग किये गये सोफ्टवेयर द्वारा कोषालयीन नियमों का पालन न होने के कारण कोषालय स्तर पर मानवीय दखलंदाजी का होना ।

कोषालयीन नियमों में प्रावधान है कि 25/- रू. से अनधिक की जमा राशियों की तीन पूर्ण वर्षों से भी अधिक समय तक दावा नहीं की गयी सभी शेष राशियों को प्रतिवर्ष वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर महालेखाकार के माध्यम से शासन के खाते में आकलित कर दिया जाना चाहिए । परंतु सिस्टम में इस आवश्यकता की देखभाल हेतु कोई प्रावधान होना नहीं पाया गया । रूपए 49.73 करोड़ विभिन्न व्यक्तिगत जमा लेखाओं में तीन वर्ष की अवधि से अधिक समय से लम्बित पड़े होना पाया गया जिसे शासकीय खाते में आकलित हो जाना चाहिए था ।

विभाग द्वारा उत्तर दिया गया कि सॉफ्टवेयर में आवश्यक सुधार हेतु मामला सॉफ्टवेयर विक्रेता तथा संचालक कोष एंव लेखा के ध्यान में लाया गया । फिर भी, अनुपालन प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ था (नवम्बर 2007)

3.1.5.2 सॉफ्टवेयर में आकस्मिक देयकों पर अनियमित आहरणों को रोकने हेतु प्रावधान का न होना ।

प्रमाण पत्र के विवरणों को पकड़ने के फीचर के अभाव में रू. 11.59 करोड़ का अनियमित आहरण किया गया।

वित्तीय नियमों में प्रावधान है कि प्रत्येक संक्षिप्त आकस्मिक देयक के साथ इस आशय का प्रमाण पत्र संलग्न किया जायेगा कि देयक प्रस्तुत करने के दिनांक से एक माह से अधिक पहले आहरित संक्षिप्त आकस्मिक देयकों के संबंध में नियंत्रण अधिकारी को विस्तृत आकस्मिक देयक प्रस्तुत कर दिये गये हैं । तथापि यह देखा गया कि इस प्रणाली में लंबित विस्तृत आकस्मिक देयकों से संबंधित किसी भी विवरणों की जांच किये बिना सभी संक्षिप्त आकस्मिक देयक स्वीकार किये गये । विस्तृत आकस्मिक देयक महालेखाकार को प्रस्तुत करना होता है एवं प्रत्येक संक्षिप्त आकस्मिक देयक के साथ इस आशय के प्रमाण पत्र को प्रस्तुत किया जाना चाहिए । वास्तविकता यह है कि सिस्टम में उक्त आशय हेतु प्रमाण पत्र की जाँच हेतु कोई अलग से प्रावधान नहीं किया गया था । इसके साथ यह भी पाया गया कि प्रोटोकॉल आफीसर मध्यप्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2003-04 से वर्ष 2005-06 के दौरान रू. 11.59 करोड़ के संक्षिप्त आकस्मिक देयकों का अनियमित आहरण किया गया । जिनके समर्थन में विस्तृत देयक महालेखाकार महोदय को प्रस्तुत नहीं किये गए ।

संचालाक कोष एवं लेखा ने कथन किया कि सिस्टम में ए.सी.बिल के आहरण पर रोक हेतु कोई उपाय किया जाना संभव नहीं था तथापि, कोषालय अधकारियों का दायित्व है कि वह मध्यप्रदेश कोषालय संहिता में निहित प्रावधानों का पालन किया जाना सुनिश्चित करें । इसलिए जवाब स्वीकार्य योग्य नहीं है तथा सिस्टम में बिना उचित प्रावधान के कोषालय अधिकारी प्रभावशील जाँच नहीं कर सकते हैं।

3.1.5.3 सिस्टम में एक ही बिल पर दो बार भुगतान होने से रोकने हेतु प्रावधान न होनाः-

सोफ्टवेयर में देयक क्रमांक न मापे जाने की स्थिति में डुपलीकेट देयकों के आधार पर रू. 10.55 लाख का अधिक भुगतान किया गया ।

प्रत्येक कोषालय अपने अधीनस्थ कार्यरत आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को एक बिल ट्रांजिट बुक (बी.टी.बी) जारी करता है । आहरण एवं संवितरण अधिकारी कोषालय में प्रस्तुत किए जाने वाले प्रत्येक देयक के साथ उक्त बिल ट्रांजिट बुक की एक प्रति संलग्न करता है। यह सुनिश्चत करता है, कि देयक केवल अधिकृत आहरण एवं संवितरण अधिकारी से कोषालय पर प्राप्त हुआ है तथा भुगतान हुआ है । इसके अतिरिक्त प्रत्येक देयक जो कोषालय में भुगतान हेतु प्रस्तुत किया जाता है उस पर एक यूनिक देयक क्रमांक लिखा जाता है जो आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा उक्त आशय हेतु संधारित देयक पंजी के अनुसार दिया जाता है। फिर भी, डाटा इन्ट्री के दौरान साफ्टवेयर सिस्टम मे उक्त आशय हेतु कोई फील्ड होना नहीं पाया गया जो देयक क्रमांक की जाँच करता हो । इस फील्ड का सिस्टम में न होना यह इंगित करता है कि सिस्टम डुपलीकेट देयक क्रमांक की जाँच नहीं करता है । अतः इस बात का सदैव खतरा रहता है कि एक ही देयक को एक बार से अधिक आहरण कर भुगतान किया जा सकता है । सिस्टम में उक्त आशय हेतु लक्षण (फीचर) न होने के फलस्वरूप जिला कोषालय बड़वानी द्वारा रू. 10.55 लाख का जालसाजी भुगतान डुपलीकेट देयकों पर सिविल सर्जन बड़वानी के आदेशों के अनुपालन में वर्ष 2005-07 के दौरान किया गया ।

कोषालय अधिकारी द्वारा यह कहा गया कि सिस्टम में उक्त आशय हेतु प्रावधान किए जाने हेतु सॉफ्टवेयर वैण्डर व संचालक कोष एवं लेखा के ध्यान में लाया जा रहा है । तथापि अनुपालन प्रतिवेदन माह नवम्बर 2007 तक अप्राप्त रहा ।

3.1.5.4 बैंक प्राप्तियों का विभागों से मिलान किए जाने हेतु प्रावधान न होनाः-

कम्प्यूटरीकरण के उद्देश्यों में से एक उद्देश्य यह भी था कि बैंकों में जमा की जाने वाली प्राप्तियों का विभिन्न विभागों द्वारा उनके अभिलेखों में दर्ज राशियों के अनुसार कोषालय में प्राप्त बैंक स्क्रोल के आधार पर मिलान किया जाना चाहिए । तथापि, एस.एफ. एम. एस. पैकेज में इस आशय हेतु कोई प्रावधान होना नहीं पाया गया जिसके फलस्वरूप उक्त कार्य हाथ से किया गया । विन्ध्याचल कोषालय भोपाल के मामले में प्राप्तियों का मिलान केवल जून 2003 तक किया गया । (अप्रैल,2007)

3.1.6 अविश्वसनीय प्रबन्धकीय सूचना प्रणाली

सोफ्टवेयर द्वारा जनित आंकड़ो तथा हाथ से तैयार आंकड़ो में बडा अंतर होना

कम्पयूटरीकरण का उद्देश्य एक प्रभावी प्रबन्धकीय सूचना प्रणाली का प्रावधान करना था । परन्तु लेखापरीक्षा के दौरान पाया गया कि एस.एफ.एम.एस.पैकेज द्वारा जनित अधिकाशं रिपोर्ट में हाथ से सुधार किया जा रहा था । एस.एफ.एम.एस. द्वारा जनित प्रतिवेदनों का मिलान हाथ से रखे गये/सुधारे गये आंकड़ो से किया गया था तथा "रिजर्व बैंक जमा आंकड़े", पी.डी./ई.डी लेखे एवं "लम्बित पेंशन प्रकरणों" जैसे मामलों में भारी अंतर होना पाया गया जैसा कि ***परिशिष्ट 3.1*** में दिखाया गया है। जिससे सिस्टम जनित डाटा की विश्वसनीयता पर एक गंभीर सवालिया निशान लगता है एंव जो विभाग को साथ ही साथ हाथ से कार्य करने हेतु विवश करता है ।

3.1.7 अन्य रूचिकर बिन्दु

3.1.7.1 सॉफ्टवेयर में विभिन्न वेतन घटकों की संगणना हेतु प्रावधान का न होना:-

कोषालय के विभिन्न कार्यों का कम्प्यूटरीकरण न होने से कार्य हाथ से किया जाना ।

कम्प्यूटरीकरण के उद्देश्यों में से एक उद्देश्य यह भी था कि राज्य सरकार के विभिन्न कर्मचारियों/अधिकारियों के वेतन देयक सिस्टम द्वारा कोषालय स्तर पर जनित करना। परन्तु प्रतिवेदन के अवलोकन से पाया गया कि वेतन देयक आज भी हाथ से तैयार किए जाते हैं। आगे, विभिन्न वेतन घटकों की संगणना उदाहरणार्थ मकान किराया भत्ता, शहरी क्षतिपूरक भत्ता, महंगाई भत्ता, वार्षिक वेतन वृद्धि, व्यक्तिगत वेतन, बकाया भुगतान राशि तथा चिकित्सा एवं यात्रा अग्रिम आदि का समायोजन आज भी हाथ से किया जा रहा है, क्योंकि वेतन के इन घटकों हेतु सिस्टम में कोई प्रावधान नहीं था ।

कोषालय अधिकारियों द्वारा यह कथन किया गया कि सोफ्टवेयर में आवश्यक प्रावधान हेतु सोफ्टवेयर बैंडर व संचालक कोष एव लेखा के ध्यान में लाया जा रहा था । तथापि अनुपालन प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ था (नवम्बर 2007 तक)

3.1.7.2 स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति के प्रकरणों में पेंशन गणना हेतु उपयुक्त प्रावधान न होना ।

स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति के प्रकरणों में पेंशन अर्हता सेवा में भारित (वेटिज) का प्रावधान है, जिसकी अधिकतम सीमा पाँच वर्ष है बशर्ते कि कर्मचारी /की कुल अर्हता सेवा ३० वर्ष अथवा उसके अधिवार्षिकीय सेवा निवृत्त दिनांक से अधिक न हो । लेखा परीक्षा के दौरान यह पाया गया कि एस.एफ.एम.एस.पैकेज में यह प्रावधान न होने के कारण स्वेच्छिक सेवानिवृत्ति के प्रकरणों में अर्हता सेवा में इस वृद्वि का कार्य हाथ से किया जा रहा था । तकनीकी महाविद्यालयो के प्रोफेसरों के प्रकरणों में अधिवार्षिकीय सेवानिवृत्ति आयु पुनरीक्षित कर 62 या 65 वर्ष की गयी है उनके लिए पेंशन गणना हेतु सोफ्टवेयर मे अलग से प्रावधान होना नहीं पाया गया । इस प्रकार, राज्य सरकार के कर्मचारियों हेतु किए गए पेंशन कम्प्यूटराइजेशन के उद्देश्य आंशिक रूप से प्राप्त हो सके।

3.1.7.3 कोषालय नियम 27 के अधीन अनियमित आहरण रोकने हेतु प्रावधान न होना:-

जॉच के अभाव में कोषालय नियम 27 के तहत 530.42 करोड़ रू. का अनियमित आहरण किया गया ।

मध्यप्रदेश कोषालय संहिता के नियम 27 मे यह प्रावधान है कि अत्यावश्यकता की परिस्थितियें में कलैक्टर लिखित आदेश द्वारा इन नियमों के उपबन्धों का पालन किए बगैर कोषालय अधिकारी को पेंशन भुगतान को छोड़कर कोई भी भुगतान करने के लिए अधिकृत कर सकता है। नियम में प्रावधान है कि आहरण (बिना बजट प्रावधान) अत्यावश्यकता के प्रकरणों में जैसे बाढ भूकम्प इत्यादि के लिए मुख्यशीर्ष 2245 प्राकृतिक आपदाऐं के आधीन अनुमत्य किया जाना चाहिए। लेखापरीक्षा के दौरान चार कोषालयों के सिस्टम जनित प्रतिवेदनों से यह प्रकट हुआ कि प्राकृतिक आपदा के अतिरिक्त मदों में जैसे मुख्यशीर्ष 2047, 2029 एवं 2020 इत्यादि में रू. 527.90 करोड़ का व्यय कोषालय नियम 27 के तहत वर्ष 2003 से 2007 के दौरान किया गया । आगे यह भी देखने में आया कि वर्ष 2006-07 के दौरान रूपये 2.52 करोड़ का भुगतान भारत जीवन बीमा कम्पनी से प्राप्त ऋण की वापसी व ब्याज की अदायगी हेतु टी.आर.27 के तहत किया गया । सिस्टम में ऐसे आहरणों को रोकने हेतु कोई फीचर नहीं था ।

विभाग का उत्तर था कि वर्तमान में मुख्यशीर्ष 2245 के अतिरिक्त अन्य मदों के अंतर्गत आहरण अधिकाशतः रोक दिया गया है । जवाब स्वीकार्य योग्य नहीं था क्योंकि कोषालय नियम 27 के अन्तर्गत आहरण केवल मुख्यशीर्ष 2245 के तहत ही अनुमत्य किया जाना चाहिए ।

3.1.8 सामान्य नियंत्रण

सामान्य नियंत्रण ऐसे उपाय है जो सूचना प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग हेतु उपयुक्त वातावरण उत्पन्न करते हैं। जिसमें सम्बन्धित नियंत्रण प्रणाली कार्य कर सके । कोषालयों, संभाग कार्यालयों एवं संचालनालय कोष व लेखा कार्यालय पर उपलब्ध अभिलेखों की सूक्ष्म समीक्षा करने पर कमजोर सामान्य नियंत्रण प्रणाली के कारण निम्न लिखित कमियाँ पाई गयी ।

3.1.8.1 (दस्तावेजों) प्रलेखन का अभाव:-

योजना अवधि की समाप्ति के उपरान्त भी सूचना प्रौद्योगिकीय सुरक्षा नीति का तैयार न किया जाना।

योजना अवधि के व्यपगत हो जाने के पश्चात भी संचालक कोष एवं लेखा सूचना प्रौद्योगिकी परिसम्पत्तियों,सोफ्टवेयर तथा डाटा सुरक्षा की सूचना प्रौद्योगिकी सुरक्षा नीति बनाने व प्रलेखित करने में असफल रहा। सुरक्षा नीति की अनुपस्थिति में सुरक्षा भंग, डाटा हानि, कपट तथा त्रुटियों की सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता है । एक लिखित आई.टी.पोलिसी जो विभाग के उद्देश्यों को तकनीकी निर्देशन, तथा मानवीय संसाधनों के प्रबन्धन आदि को सम्मिलित कर बनायी जानी चाहिए थी, को भी नहीं विकसित किया गया था ।

3.1.8.2 भौतिक एवं तार्किक पंहुच नियंत्रणः-

भौतिक व पर्यावरणीय नियंत्रणों का मुख्य उद्देश्य अनाधिकृत पहुँच को रोकना तथा सूचना प्रौद्योगिकी सेवाओं में बाधा उत्पन्न होने से बचाना है । सूचना प्रौद्योगिकी परिसम्पत्तियों को पर्यावरणीय नुकसानों जैसे भूकम्प, आग, पानी (वास्तविक पानी या अत्यधिक आद्रता) व बिजली से उत्पन्न अवरोधों, विद्युत की कमी से सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए । कोषालयो में सूचना प्रौद्योगिकी प्रचालनो के लिए उपलब्ध नही था जो गैर आई.टी. स्टाफ की शारीरिक पहुँच को प्रतिबन्धित करना भी नही पाया गया । कोषालयो में अग्निशमन के लिए समुचित व्यवस्था नहीं पाई गई ।

पासवर्ड पद्धति का भी निरूपण नहीं किया गया तथा साधारण पासवर्ड नियंत्रण प्रक्रियांए जैसे यूजरों द्वारा असफल लॉग- इन प्रयासों को रोकना, एक पूर्व परिभाषित अवधि के पश्चात पासवर्ड का स्वयं ही समाप्त हो जाना तथा एक निश्चित अवधि के पश्चात पासवर्ड में आवधिक परिवर्तन लागू करने की प्रणाली भी विद्यमान नहीं थी । सरवर में लॉगइन करने हेतु लगभग प्रत्येक कोषालयों द्वारा एक जैसा ही यूजरनाम व पासवर्ड जारी किया जाना पाया गया। साथ ही सिस्टम में इस आशय की रिपोर्ट, कि कितने लॉग प्रयासित किए गए जनित होने का कोई प्रावधान नहीं पाया गया ।

3.1.8.3 कार्य निरंतरता योजना व आपदा राहत नियंत्रण का अभावः-

कार्य निरंतरता व आपदा राहत योजना नहीं बनाई गई ।

संचालक कोष एंव लेखा द्वारा कार्य निरंतरता योजना या आपदा राहत योजना नहीं बनाई एवं प्रलेखित की गयी थी । डेटा बैकअप हेतु न तो कोई लिखित व प्रलिखित पद्धति /नीति बनायी गयी थी और न ही डेटा परीक्षण /जाँच की निरंतरता तथा संग्रहण को स्पष्ट किया गया था । ग्वालियर, भोपाल एवं इंदौर कोषालयों के अभिलेखों की सूक्ष्म समीक्षा के दौरान पाया गया कि प्रलेखित बैक-अप पोलिसी के अभाव में कुछ कोषालय अधिकारी अपनी सुविधानुसार बैकअप का कार्य कर रहे थे । यद्यपि दैनिक और साप्ताहिक बैकअप लिये जा रहा हैं परन्तु बैकअप डाटा के परीक्षण की कोई पद्धति प्रयोग में नहीं थी । बैकअप डेटा को न तो सुदूर/अलग स्थान पर अग्निरोधक केबिनेट में सुरक्षित रखने की व्यवस्था थी और न ही उसके निरंतर परीक्षण की । बैकअप डाटा उसी एक सरबर में संग्रहीत किया जा रहा था तथा बैकअप सीडी को उसी स्थान पर रखा जाना पाया गया जो बैकअप पद्धति के सही उद्देश्य को निष्फल करता है ।

3.1.8.4 योजना परिवर्तन के नियंत्रण

कोषालयों एंव उप कोषालयों की मांगों के आधार पर सोफ्टवेयर में परिवर्तन/सुधार टुकड़ों में किया जाना पाया गया। साथ ही ये परिवर्तन न तो कहीं प्रलेखित थे और न ही सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदित थे। संचालक कोष एंव लेखा के स्तर पर इस आशय का कोई अभिलेख संधारित होना नही पाया गया।

3.1.9 एकीकृत कोषालयीन कम्प्यूटरीकरण परियोजना के क्रियान्वयन में अनियमितताएँ

3.1.9.1 कार्ययोजना तैयार न करने से केन्द्रीय सहायता रोकी जाना ।

कार्य योजना एंव वार्षिक योजना तैयार किये बिना परियोजना का प्रांरभ

एकीकृत कोषालयीन कम्प्यूटरीकरण परियोजना को धन दो स्त्रोतों से अर्थात भारत सरकार से वित्तीय सहायता जो ग्यारहवें वित्त आयोग की अनुशंसा से कोषालयों की कार्य प्रणाली के उन्नयन हेतु एवं राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध करायी निधि से प्राप्त होना था । केन्द्रीय सहायता का उपयोग सदा एक वर्ष में करना था । केन्द्रीय सहायता भौतिक एवं वित्तीय रूप से विस्तृत कार्य योजना, ग्यारहवें वित्त आयोग की सम्पूर्ण निर्णीत अवधि (2000-2005) के लिये राज्य स्तरीय शक्ति प्राप्त कमेटी से अनुमोदन पश्चात केन्द्र सरकार को प्रेषित करने की शर्त पर ही प्राप्त होना थी । संचालक कोष एवं लेखा को केन्द्रीय सहायता प्राप्त करने के लिए वर्ष में किये गये व्यय हेतु वार्षिक योजना तथा उपयोग प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक था ।

संचालक कोष एवं लेखा ने केन्द्रीय सहायता राशि रू. 88.99 लाख एवं रू. 7.96 करोड़ क्रमशः वर्ष 2000-01 एवं 2001-02 में प्राप्त की । तथापि संचालक कोष एवं लेखा कार्ययाजना, वार्षिक योजना बनाने एवं प्रस्तुत करने में तथा उपयोग प्रमाण पत्र भेजने में असमर्थ रहा, इसलिए केन्द्र सरकार ने 2001-02 के पश्चात कोई भी अनुदान राशि जारी नहीं की ।

3.1.10 वित्तीय प्रबन्धन

3.1.10.1 निधि के स्त्रोत एवं उपयोग का विवरणपत्रक निम्नानुसार है:-

(रूपए लाखों में)

वर्ष	केन्द्रीय सहायता	राज्य निधि	व्यय	जमा खातों में रखी अवरूद्ध बचत
2000-2001	88.99	12.21	45.12	56.08
2001-2002	796.00	--	796.00	--
2002-2003	--	1357.01	924.42	432.59
2003-2004	--	280.65	184.60	96.05
2004-2005	--	--	--	
2005-2006	--	--	410.19*	174.53
योग	**884.99**	**1649.87**	**2360.33**	**174.53**

*** जमा लेखे में शेष से पूर्ति किया गया व्यय ।**

उक्त डेटा विश्लेषण से ज्ञात हुआ कि वर्ष 2001-02 के अतिरिक्त 2001 से 2006 की अवधि के दौरान प्रत्येक वर्ष में जारी की गई निधियो का सारभूत भाग अनुपयुक्त रहा । यह बेहतर पूर्वानुमान एवं राशि के उपयोग की आवश्यकता को रेखांकित करता है। आगे, वित्तीय नियमों में प्रावधान हैं कि जब तक अविलम्ब संवितरण की आवश्यकता न

हो कोषालय से कोई राशि आहरित नहीं करनी चाहिए । इनका उल्लंघन भी जमा लेखे में निधियों की पार्किंग कर सकल रूप से किया गया ।

3.1.10.2 उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रेषित न किये जाना ।

संचालक कोष एवं लेखा के अभिलेखों की समीक्षा के दौरान पाया गया कि वर्ष 2000 से 2006 की अवधि से संबंधित राशि 8.85 करोड़ रू. के व्यय के संबंध में उपयोगिता प्रमाण पत्र (अप्रेल 2007) राज्य/केन्द्र शासन को प्रेषित नहीं किये गये जो न केवल निधि के उपयोग के तरीके की पारदर्शिता में कमी को दर्शाता है, अपितु, राज्य सरकार के स्तर पर वित्तीय अनुवीक्षण की कमी को भी दर्शाता है ।

3.1.10.3 आपदा राहत योजना राशि का व्यपवर्तन ।

राज्य सरकार द्वारा एकीकृत कोषालयीन कम्प्यूटरीकरण परियोजना हेतु स्वीकृत राशि रू. 28.02 करोड़ में से रू. 1.30 करोड़ आपदा राहत योजना के लिये रखी गयी थी । संचालक कोष एवं लेखा के अभिलेखों की समीक्षा (अप्रेल 2007) के दौरान ज्ञात हुआ कि आपदा राहत योजना पर कोई राशि व्यय नहीं की गयी एवं इस उद्देश्य हेतु आवंटित राशि को अन्य व्ययों हेतु व्यपवर्तित किया गया जो कि वित्तीय नियमों का उल्लघंन था । इसके अलावा अदृश्य आपदा की घटना की स्थिति में डाटा एवं सूचना प्रौद्योगिकी परिसम्पत्तियों की हानि की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता ।

आगे, संचालक कोष एवं लेखा के अभिलेखों की समीक्षा से ज्ञात हुआ कि रू. 2.10 लाख (2001-2006) की हानि, शहडोल, धार एवं रीवा जिलों में व्ही.सेट उपकणों की चोरी के कारण हुई, जो आपदा राहत योजना बनाने एवं लागू करने की ओर पुनः प्रेरित करता है ।

3.1.10.4 मेसर्स विप्रो लिमिटेड, बैंगलोर को अनुचित वित्तीय सहायता

ठेकेदार को पेनेल्टी माफी के माध्यम से अनावश्यक रूप से रू. 41.50 लाख की अनुचित वित्तीय मदद

दिसंबर 2002 में संचालक कोष एवं लेखा एवं मेसर्स विप्रो लिमिटेड, बैंगलोर के मध्य सर्वर, डेस्कटॉप, स्केनर्स, प्रिंटर्स इत्यादि की आपूर्ति एवं संस्थापन हेतु राशि रू. 8.54 करोड़ का अनुबंध हुआ था ।

अभिलेखों की समीक्षा से ज्ञात हुआ कि संचालक कोष एवं लेखा द्वारा अनुबंध की सामान्य शर्तों (जी.सी.सी.) क्रमांक 15.1 (दण्ड धारा) के तहत अनुबंधकर्ता के ऊपर विलम्ब के कारण लगायी गयी दण्ड राशि रूपये 41.50 लाख (अक्टूबर 2004) माफ कर दी गयी जबकि लागू अनुबंध में दण्ड को माफ करने संबंधी कोई उपबन्ध नहीं था । संचालक कोष एवं लेखा का जवाब कि निर्णय वित्त एंव कानून विभागों से परामर्श कर लिया गया था, मान्य नहीं था।

3.1.10.5 अपर्याप्त अनुवीक्षण

जिला स्तर पर अनुवीक्षण एवं पर्यवेक्षण का अभाव

एकीकृत कोषालयीन कम्प्यूटरीकरण परियोजना को प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए भौतिक रूप से अनुवीक्षण कोषालय अधिकारियों द्वारा किया जाना चाहिए था जो समय-समय पर संचालक कोष एवं लेखा को ठेकेदार के कार्य की प्रगति एवं निष्पादन के

संबध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करते । संचालक कोष एवं लेखा कार्यालय में एकीकृत कोषालयीन कम्प्यूटरीकरण परियोजना को देख रहे अधिकारियों को नियमित रूप से कोषालयों का निरीक्षण सावधानी पूर्वक बनाई गयी समय सारणी के अनुसार करना चाहिए था एंव विभिन्न ठेकेदारों को उनके द्वारा कार्य के भौतिक सत्यापन तथा निर्धारित मानकों के अनुपालन संबंधी रिपोर्टो की जांच उपरांत भुगतान जारी किया जाना चाहिए था । संचालक कोष एवं लेखा के अभिलेखों की समीक्षा के दौरान पाया गया कि क्षेत्रीय कार्यालयों के निरीक्षणों के हेतु न ही संचालक कोष एवं लेखा के अधिकारियों की कोई सूची तैयार की गयी, और न ही कोषालय अधिकारियों द्वारा निष्पादन रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु कोई उपाय बनाए गए साथ ही न ही संचालक कोष एवं लेखा के अधिकारियों द्वारा क्षेत्रीय कार्यालयों के दौरों से सम्बन्धित कोई अभिलेख संधारित किया गया ।

3.1.11 निष्कर्ष

- परियोजना पर राशि रू. 23.60 करोड़ का व्यय किया गया तथा जमा खातों में अवरूद्ध पर्याप्त निधि उपलब्ध है । उसके उपरान्त भी, कुछ महत्वपूर्ण कार्य जैसे पेंशन एवं वेतन गणना, बैंक प्राप्तियों का विभाग से मिलान आदि, एस.एफ.एम.एस. लागू करने के तीन वर्ष पश्चात भी निरन्तर हाथ से किये जा रहे हैं ।

- कोषालय नियम-27 के अंतर्गत अनियमित आहरण की जांच और डुप्लीकेट बिलों को पारित करने के लिए प्रावधान नहीं था ।

- एस.एफ.एम.एस. के द्वारा जनित विभिन्न रिपोर्टो में त्रुटियाँ का दौहराया जाना जानकारी में आया जिन्हें हाथ से सही करने हेतु बाध्य होना पड़ता है, जो एक प्रभावी सूचना प्रबन्धन प्रणाली के उद्देश्य को असफल करता है ।

- सूचना प्रौद्योगिकी सुरक्षा, मास्टर डेटा को अद्यतन करना, बैक-अप, डिजास्टर रिकवरी, कार्य निरंतरता परिवर्तन प्रबन्धन व सूचना प्रोद्योगिकी परिसम्पत्तियों तक भौतिक तथा तार्किक पहुंच आदि के संबंध में कोई प्रलेखित नीति नहीं थी।

3.1.12 सुझाव

- शेष छूटे हुए फीचर्स को साफ्टवेयर में शामिल कर कम्प्यूटरीकृत करने हेतु त्वरित कदम उठाए जाने चाहिये ताकि कार्य में मानवीय दखलदांजी को कम किया जा सके ।

- डाटा इनपुट वैद्यीकरण, मध्यप्रदेश कोषालय संहिता एवं मध्यप्रदेश वित्त नियमावली में निहित नियमो का सिस्टम द्वारा सही निरूपण करना, आदि हेतु त्वरित आवश्यक कदम उठाए जाने की आवश्यकता है ताकि अनियमित आहरण एवं त्रुटि पूर्ण ढंग से देयकों के पारितीकरण पर नियंत्रण लगाया जा सके।

- एक विस्तृत सूचना प्रौद्योगिकी नीति,जिसमें सुरक्षा नियंत्रण, फिजीकल एवं लॉजीकल ऐसेस पर नियंत्रण, कार्यक्रम परिवर्तन नियंत्रण, डिजास्टर रिकवरी एंव कार्य निरन्तरता योजना शामिल हों को तैयार करना, प्रलेखित किया जाना एवं क्रियान्वित किया जाना तत्काल आवश्यक है ।

वन विभाग

3.2 मध्यप्रदेश में वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 का कार्यान्वयन

विशेषतायें

वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 देश के विकास की आवश्यकताओं और प्राकृतिक पर्यावरण संरक्षण के मध्य सतत संतुलन बनाए रखने के उद्देश्य से लागू किया गया । अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, गैर वानिकी प्रयोजनों के लिए वन भूमि के व्यपवर्तन के लिए भारत सरकार की पूर्व स्वीकृति आवश्यक थी । अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्ताव को अनुमोदित करते समय, केन्द्र सरकार पर्यावरण संरक्षण के क्षतिपूरक उपाय संबंधी आवश्यक शर्त जैसे वैकल्पिक वृक्षारोपण, जलग्रहण क्षेत्र उपचार आदि अधिरोपित करती है, जिसकी लागत उपयोगकर्ता एजेन्सी द्वारा वहन की जाती थी । मध्यप्रदेश में अधिनियम के क्रियान्वयन की निष्पादन लेखापरीक्षा में अधिनियम के उल्लंघन के महत्वपूर्ण प्रकरण और गैर वानिकी प्रयोजनों हेतु व्यपवर्तित वनभूमि के अधिकांश प्रकरणों में क्षतिपूरक संरक्षण उपायों का न किया जाना पाया गया । परिणाम स्वरूप राज्य में अधिनियम के अधिकांश उद्देश्य अप्राप्त रहे । निष्पादन लेखापरीक्षा के दौरान ध्यान में आए प्रमुख बिन्दु निम्न प्रकार हैं:

43 प्रकरणों में 1515.997 हेक्टेयर वन भूमि विगत दस वर्षो के दौरान भारत सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना अवैध रूप से व्यपवर्तित की गई ।

(कंडिका 3.2.5.1)

70 प्रतिशत परियोजनाओं में क्षतिपूर्ति वनरोपण (सी.ए.) नहीं किया गया, जहां वनभूमि विगत दस वर्षो (1997-2007) के दौरान गैर वानिकी प्रयोजनों हेतु व्यपवर्तित की गई । इस अवधि के दौरान क्षतिपूर्ति वनरोपण की लागत बावत् उपयोगकर्ता एजेन्सियों से प्राप्त मात्र 6 प्रतिशत निधियों का उपयोग किया गया ।

(कंडिका 3.2.6.2)

वर्ष 1997-2000 की अवधि के दौरान झाबुआ "लैण्ड बैंक" पर रोपित 56 में से तिरेपन क्षतिपूर्ति वनरोपण पौधों के अनुरक्षण एवं उत्पादन के लिए सरकार द्वारा निधियों का आबंटन न किये जाने के कारण असफल रहे, परिणामस्वरूप 2.04 करोड़ रूपये का अपव्यय हुआ ।

(कंडिका 3.2.6.4)

18 परियोजनाओं में 9 उपयोगकर्ता एजेन्सियों से 350.99 करोड़ रूपये राशि की निवल वर्तमान मूल्य की वसूली करने में विभाग असफल रहा ।

(कंडिका 3.2.7.1)

8 में से 6 परियोजनाओं में जलग्रहण क्षेत्र, उपचार (सी.ए.टी.) नहीं कराया गया, जहां भारत सरकार द्वारा वन भूमि के व्यपवर्तन के लिए यह शर्त अधिरोपित की गई थी । जलग्रहण क्षेत्र उपचार बावत 30.51 करोड़ रूपये की निधि उपयोगकर्ता

एजेन्सियों से वसूल नहीं की गई/कम वसूल की गई । सी.ए.टी. के लिए आवश्यक कुल निधि में से मात्र 2.2 प्रतिशत का व्यय किया गया ।

(कंडिका 3.2.8)

3.2.1 प्रस्तावना

वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 जो इसके बाद अधिनियम के रूप में संदर्भित किया गया हैं, का उद्देश्य गैर वानिकी उपयोगों हेतु मनमाने ढंग से वनभूमि के व्यपवर्तन को नियमित करना और देश की विकास की आवश्यकताओं तथा प्राकृतिक विरासत के संरक्षण के बीच तर्क संगत संतुलन बनाना है । इस अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत, गैर वानिकी प्रयोजनों हेतु वनभूमि के व्यपवर्तन के लिए भारत सरकार का पूर्व अनुमोदन आवश्यक है । प्रस्ताव अनुमोदन करते समय, भारत सरकार वन हानि के कारण होने वाली पर्यावरणीय क्षति कम करने के लिए आवश्यक शर्तें अधिरोपित करती है । इन शर्तों में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण करना और अन्य परियोजना विशिष्ट संरक्षण उपाय जैसे जल संसाधन परियोजनाओं में जलग्रहण क्षेत्र उपचार, खनन परियोजनाओं में सुरक्षा क्षेत्र निर्माण एवं खुले क्षेत्रों का समतलीकरण और राजमार्ग परियोजनाओं आदि के प्रकरण में पट्टी वृक्षारोपण करना आदेशात्मक रूप से शामिल हैं । संरक्षण कार्यों की लागत उपयोगकर्ता एजेन्सियों द्वारा वहन की जाती है । यह भी कि माननीय भारत के सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार, भारत सरकार ने उपयोगकर्ता एजेन्सियों से व्यपवर्तित वनभूमि के नेट प्रेजेन्ट वैल्यू की वसूली के लिए भी शर्त अधिरोपित की है । गैर वानिकी उपयोग हेतु वन भूमि के व्यपवर्तन प्रस्ताव के लिए कार्यवाही वन विभाग द्वारा की जाती है । वन विभाग का उत्तरदायित्व यह सुनिश्चित करना है कि कोई वनभूमि भारत सरकार की अनुमति के बिना व्यपवर्तित नहीं की जाती है और वनभूमि के व्यपवर्तन के लिए भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा अधिरोपित शर्तें यदि कोई हों, का पालन किया गया है ।

3.2.2 संगठनात्मक संरचना

वन विभाग का प्रमुख, शासन स्तर पर प्रमुख सचिव (वन) होता है । प्रधान मुख्य वन संरक्षक (पी.सी.सी.एफ.) के कार्यालय में मुख्य वन संरक्षण (भू-प्रबन्धन) नोडल अधिकारी के रूप में पदनामित किया गया है, जो राज्य में वन भूमि के व्यपवर्तन हेतु वनेतर उपयोग संबंधी मामलों का निपटान करता है । मैदानी स्तर पर, वन संरक्षकों तथा 60 वन मण्डल अधिकारियों (क्षेत्रीय/सामान्य) द्वारा उसकी सहायता की जाती है ।

3.2.3 लेखापरीक्षा उद्देश्य

निष्पादन लेखापरीक्षा के उद्देश्य यह आंकलन करना था कि-

- गैर वानिकी प्रयोजन हेतु वनभूमि के व्यपवर्तन के प्रकरण में राज्य सरकार द्वारा अधिनियम के प्रावधानों का पालन किया गया;

- वन भूमि के व्यपवर्तन के लिए भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा अधिरोपित शर्तों का दृढ़ता से पालन किया गया ।
- आवश्यक संरक्षण उपाय जैसे क्षतिपूरक वनरोपण, जलग्रहण क्षेत्र उपचार आदि प्रभावशाली तरीके से एवं दक्षतापूर्वक किये गये ।
- वित्तीय प्रबंधन प्रभावी था, तथा
- अनुवीक्षण एवं मूल्यांकन की पद्धति लागू एवं प्रभावी थी ।

3.2.4 लेखापरीक्षा समावेशन एवं मापदण्ड (क्राइटेरिया)

निष्पादन लेखापरीक्षा के समावेशन में नोडल कार्यालय तथा 17 वन मण्डलों[1] के अभिलेखों की नमूना जांच शामिल की गई । प्रविष्ट परामर्श (अप्रैल 2007) के दौरान राज्य सरकार के साथ चर्चा के पश्चात मण्डलों का चयन किया गया । राज्य के सभी मुख्य भौगोलिक क्षेत्रों तथा विभिन्न प्रकार की परियोजनाओं जैसे सिंचाई, खनन, ऊर्जा, सड़क आदि जिसके लिए वन भूमि व्यपवर्तित की गई थी, को प्रदर्शित करने के लिए मण्डलों का चयन किया गया था । 1997-98 से 2006-07 अवधि से संबंधित अभिलेखों का विस्तृत परीक्षण किया गया । निष्पादन लेखापरीक्षा इस कार्यालय द्वारा अप्रैल से जुलाई 2007 के दौरान सम्पन्न की गई । समापन बैठक नवम्बर 2007 में आयोजित की गई तथा राज्य शासन की टीका टिप्पणी तदनुसार शामिल की गई हैं ।

वन विभाग के कार्य निष्पादन का मूल्यांकन अधिनियम के प्रावधानों और अधिनियम के अधीन केन्द्र सरकार द्वारा बनाए गये नियमों तथा मार्गदर्शी सिद्धांतों, वन भूमि के व्यपवर्तन का अनुमोदन करते समय, केन्द्र तथा राज्य सरकार द्वारा अधिरोपित शर्तों तथा वन विभाग द्वारा क्षेत्रीय वन मण्डलों को जारी दिशा निर्देशों के अनुसार किया गया ।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

3.2.5 अधिनियम के उल्लंघन के प्रकरण

3.2.5.1 केन्द्र सरकार से पूर्व अनुमोदन प्राप्त किए बिना गैर वानिकी उद्देश्यों हेतु वनभूमि का उपयोग

भारत सरकार की स्वीकृति के बिना वन भूमि का अवैध व्यपवर्तन

अधिनियम में प्रावधान रखा गया है कि भारत सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना कोई वनभूमि गैर वानिकी प्रयोजन हेतु उपयोग नहीं की जानी चाहिए ।

8 वन मण्डलों[2] के अभिलेखों की समीक्षा के दौरान 41 प्रकरणों में ग्यारह उपयोगकर्ता

1 *बड़वाह, बैतूल (उत्तर), छिन्दवाड़ा (पश्चिम), देवास, गुना, इन्दौर, झाबुआ, कटनी, खण्डवा, मण्डला गुरैना, सतना, सिहोर, सिवनी (उत्तर), शिवपुरी, उमरिया और विदिशा ।*

2 *बैतूल (उत्तर), छिन्दवाड़ा (पश्चिम), दमोह, इन्दौर, झाबुआ, सतना, श्योपुर और उमरिया ।*

एजेन्सियों[3] द्वारा 1507.391 हेक्टेयर वनभूमि का अवैध व्यपवर्तन पाया गया । इन प्रकरणों में भारत सरकार से पूर्व अनुमोदन प्राप्त नहीं किया गया । यह भी सीहोर तथा सतना क्षेत्रीय वन मण्डलों के अभिलेखों की समीक्षा में दो उपयोगकर्ता एजेन्सियों[4] द्वारा भारत सरकार द्वारा अनुमोदित क्षेत्र से अधिक 8,606 हेक्टेयर वन भूमि का अवैध व्यपवर्तन पाया गया ।

3.2.5.2 अधिनियम के उल्लघंन के लिए दण्डात्मक कार्यवाही प्रारम्भ न किया गया ।

उल्लंघन प्रकरणों की रिपोर्ट को वीडियो शासन को नहीं दी गई ।

अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, उल्लंघन के प्रकरण राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार को सूचित किए जाने चाहिए ताकि अधिनियम की धारा 3 ए एवं 3 बी के अन्तर्गत दण्डात्मक कार्यवाही प्रारम्भ की जा सके । लेखापरीक्षा के दौरान यह ध्यान में आया कि अधिनियम के उल्लंघन के 43 प्रकरणों में से न तो कोई भी प्रकरण भारत सरकार की जानकारी में लाया गया और न ही किसी भी प्रकरण में दण्डात्मक कार्यवाही प्रारम्भ की गई ।

राज्य सरकार ने बताया कि प्रकरण परीक्षणाधीन थे तथा अधिनियम का उल्लघंन स्थापित होने के बाद भारत सरकार को सूचित किये जावेंगे । तथापि, अधिनियम के उल्लंघन के 1 से 8 वर्ष व्यतीत होने के बावजूद एक भी प्रकरण भारत सरकार को सूचित नहीं किया गया । यह भी कि दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 468 सीमा की अवधि समाप्त होने के पश्चात किसी अपराध का संज्ञान लेने से न्यायालय को प्रतिबंधित करती है । अधिनियम के अन्तर्गत आने वाले अपराधों के लिए समय सीमा एक वर्ष है । क्योंकि अपराध एक वर्ष से अनधिक अवधि के कारावास के लिए दण्डनीय है ।

3.2.6 क्षतिपूरक वनीकरण : क्षतिपूरक वनीकरण वृक्षारोपण न किया जाना तथा असफल रहना एवं अन्य विषय

हरी वनभूमि के व्यपवर्तन के विपरीत प्रभाव को कम करने के उद्देश्य से अधिनियम के अन्तर्गत अनुमोदन प्रदान करते समय केन्द्र सरकार गैर वनभूमि के समतुल्य क्षेत्र अथवा दुगने परिभ्रंशित वन भूमि से दुगुनी भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण किए जाने की शर्त अधिरोपित करती थी । ऐसे वैकल्पिक वृक्षारोपण की लागत उपयोगकर्ता एजेन्सियों द्वारा वहन की जानी थी ।

3.2.6.1 नोडल आफिस में अभिलेखों की समीक्षा में, 1980 में अधिनियम के क्रियान्वयन के बाद से वैकल्पिक वृक्षारोपण की निम्नलिखित स्थिति[5] पाई गई ।

3 *वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि. साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. शारदा प्रबंधन समिति, जल संसाधन विभाग, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग झाबुआ, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग श्योपुर, जनपद पंचायत जबेरा, लोक निर्माण विभाग, राजीव गांधी मिशन, तेंदूखेड़ा जनपद पंचायत और ग्राम पंचायत अमलीपाड़ा ।*

4 *मैसर्स मैहर सीमेंट लि. और जल संसाधन विभाग ।*

5 *जून 2006 की स्थिति में ।*

1980 से परियोजनाओं की कुल संख्या	1980 से कुल व्यपवर्तित वनभूमि (हेक्टेयर में)	क्षेत्र जहां क्षतिपूरक वृक्षारोपण किया जाना था (हैक्टेयर में)	परियोजनाओं कीसंख्या जिनमें क्षतिपूरक वृक्षारोपण बिल्कुल नहीं किया गया ।	निर्धारित क्षेत्र जहाँ क्षतिपूरक वृक्षारोपण बिल्कुल नहीं किया गया (हैक्टेयर में)	उपयोगकर्ता एजेन्सियों द्वारा जमा कराई गई निधि (करोड़ रूपये में)	जून 2006 तक उपयोग की गई वैकल्पिक वृक्षारोपण निधि (करोड़ रूपये में)
734	51,018	73,213	289	13,441	109.77	27.17

वृक्षारोपण की 75 प्रतिशत निधियों का अनुपयोगी रहना ।

1980 में अधिनियम के क्रियान्वयन के बाद से उपयोगकर्ता एजोन्सियों द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण के लिए उपलब्ध कराये गये 109.77 करोड़ रूपय में से मात्र 25 प्रतिशत निधियों का उपयोग किया गया । 289 परियोजनाओं (39 प्रतिशत) तथा निर्धारित भूमि के 13,441 हेक्टेयर (18 प्रतिशत) में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण बिल्कुल भी नहीं किया गया । दूसरे शब्दों में, गैर वानिकी उपयोग हेतु 289 परियोजनाओं को 9,853 हेक्टेयर वनभूमि के व्यपवर्तन के विरूद्व कोई क्षतिपूरक संरक्षण प्रयास नहीं किए गये ।

3.2.6.2 17 क्षेत्रीय वन मण्डलों की परियोजनाओं के लिए विगत दस वर्षों अर्थात 1997-98 से 2006-07 के दौरान गैर वानिकी उपयोग हेतु व्यपवर्तित वनभूमि के अभिलेखो की विस्तृत समीक्षा की गई । परिणाम निम्न प्रकार है :

परियोजनाओं की कुल संख्या जहां वनभूमि 1997-98 एवं 2006-07 के बीच व्यपवर्तित की गई	कुल व्यपवर्तित वनभूमि (हैक्टेयर में)	क्षेत्र जहां क्षतिपूरक वृक्षारोपण किया जाना था (हैक्टेयर में)	परियोजनाओं कीसंख्या जिनमें क्षतिपूरक वृक्षारोपण बिल्कुल नहीं किया गया ।	निर्धारित क्षेत्र जहाँ क्षतिपूरक वृक्षारोपण बिल्कुल नहीं किया गया (हैक्टेयर में)	उपयोगकर्ता एजेन्सियों द्वारा जमा कराई गई निधि (करोड़ रू. में)	31.3.07 की स्थिति में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु उपयोग की गई निधियां (करोड़ रूपयें में)
96	8915.214	7060.979[6]	67	5340.197	38.37	2.31

निधियां जारी न होने के कारण क्षतिपूरक वृक्षारोपण नहीं किया गया ।

उक्त तालिका दर्शाती है कि विगत दस वर्षो के दौरान उपयोगकर्ता एजेन्सियों द्वारा उपलब्ध कराये गये 38.37 करोड़ रूपये में से मात्र 2.31 करोड़ रूपये (6 प्रतिशत) का उपयोग क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु किया गया था । यह भी कि 67 प्रकरणों में (70 प्रतिशत) तथा निर्धारित भूमि के 5340.197 हेक्टेयर (76 प्रतिशत) में क्षतिपूरक वृक्षारोपण बिल्कुल भी नहीं किया गया ।

वन मण्डल अधिकारियों ने बताया कि 64 प्रकरणों में शासन द्वारा निधियों के अनावंटन और एक प्रकरण में उपयोगकर्ता एजोन्सियों द्वारा गैर वनभूमि के अहस्तांतरण के कारण क्षतिपूरक वृक्षारोपण नहीं किया जा सका। तथापि लेखापरीक्षा के दौरान यह ध्यान मे आया कि मण्डलों ने शासन से निधियों के अनंटन के लिए कार्यवाही भी नहीं की । शेष दो प्रकरणों में, यह ध्यान में आया कि मण्डलों के पास निधियां उपलब्ध होने के बावजूद क्षतिपूरक वृक्षारोपण नहीं किया गया ।

अनुचित अनुरक्षण, सुरक्षा एवं स्थल चयन के कारण वृक्षारोपणों का असफल होना ।

यह भी कि समीक्षा अवधि के दौरान किए गये 29 क्षतिपूरक वृक्षारोपणों का मूल्यांकन वन मण्डलों[7] द्वारा अगस्त 2004 से अप्रैल 2007 के मध्य किया गया । ये वृक्षारोपण

[6] *1,631.528 हैक्टेयर गैर वन भूमि और 5,429.451 हेक्टेयर परिरक्षित वन भूमि शामिल है ।*

[7] *इनमें से 20 वृक्षारोपणों का मूल्यांकन मार्च और अप्रैल 2007 के दौरान लेखापरीक्षा के अनुरोध पर किया गया । इसके अलावा गुना तथा देवास मण्डलो के चार वृक्षारोपणों का संयुक्त भौतिक सत्यापन अक्टूबर 2007 में किया गया ।*

विफल रहे तथा पौधों के जीवितता का अनुपात निरंक से 10 प्रतिशत के बीच में रहा इस प्रकार इन वृक्षारोपणों पर किया गया 15.68 लाख रूपये का व्यय निष्फल रहा । इन वृक्षारोपणों के असफल होने के मुख्य कारण, वन मण्डलों द्वारा पौधों की अनुचित सुरक्षा एवं अनुरक्षण और वृक्षारोपण के लिए अनुपयुक्त भूमि का चयन थे। वन विभाग द्वारा इनमें से किसी भी प्रकरण में इन वृक्षारोपणों के असफल होने का उत्तरदायित्व निर्धारित नही किया गया ।

3.2.6.3 क्षतिपूरक वृक्षारोपणों का मूल्यांकन मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय), भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल द्वारा भी किया जाता है । लेखापरीक्षा को उपलबध कराये गये 67 निरीक्षण प्रतिवेदनों[8] की जांच में देखा गया कि 34 प्रकरणों (51 प्रतिशत) में क्षतिपूरक वृक्षारोपण नहीं किया गया । 25 प्रकरणों में शासन द्वारा निधियों का आबंटन न किया जाने, 5 प्रकरणों में उपयोगकर्ता एजेन्सियों द्वारा निधियों का जमा न किया जाने, 2 प्रकरणों में गैर वनभूमि उपलब्ध न होने और शेष 2 प्रकरणों में उपयुक्त भूमि न होने के कारण क्षतिपूरक वृक्षारोपण नहीं किया गया ।

किये गये क्षतिपूरक वृक्षारोपण के 33 प्रकरणों में से 1998-99 से 2004 की अवधि के दौरान किए गये 18 वृक्षारोपण[9] असफल रहे, परिणामस्वरूप 8.82 लाख रूपये का निष्फल व्यय हुआ । वर्ष 2000 में लगाए गये इन असफल वृक्षारोपणों में से 7 वृक्षारोपणों में पौधों के जीवितता की दर शून्य थी । असफलता का कारण शासन द्वारा पौधों के अनुरक्षण के लिए निधियों का आबंटन न किया जाना था ।

निधियों की कमी के कारण झाबुआ में रोपित क्षतिपूरक वृक्षारोपण के 95 प्रतिशत पौधे असफल रहे ।

3.2.6.4 क्षेत्रीय मण्डल झाबुआ के अभिलेखों की जांच (मई 2007) में देखा गया कि वर्ष 1997 से 2000 की अवधि के दौरान लैण्ड बैंक के 2608.018 हेक्टेयर में 2.23 करोड़ रूपये की लागत पर 56 वृक्षारोपण किए गये । इन वृक्षारोपणों के मूल्यांकन के लिए वन मण्डल अधिकारी झाबुआ से मार्च 2007 में अनुरोध किया गया । मार्च और मई 2007 के मध्य इन वृक्षारोपणों के, वन विभाग द्वारा व्यक्तिगत रूप से कराये गये, मूल्यांकन में 53 वृक्षारोपणों में पौधों की जीवितता बहुत निम्न (शून्य से 20 प्रतिशत) पायी गई । परिणामस्वरूप 2.04 करोड़ रूपये का निष्फल व्यय हुआ ।

वन मण्डल अधिकारी झाबुआ ने बताया कि इन वृक्षारोपणों के असफल होने का मुख्य कारण पौधों के अनुरक्षण एवं सुरक्षा के लिए राज्य सरकार द्वारा निधियों का आबंटन न करना था । तथापि लेखापरीक्षा के दौरान यह ध्यान में आया कि मण्डल ने शासन से निधियों के आबंटन के लिए भी कार्यवाही नहीं की । वन विभाग इन वृक्षारोपणों का अनुवीक्षण करने में भी असफल रहा । इन वृक्षारोपणों की असफलता के लिए इनमें से किसी भी प्रकरण में अभी तक जबावदेही/उत्तरदायित्व निर्धारण नहीं किया गया था जो विभाग के उदासीन रूख को प्रतिबिम्बित करता था ।

[8] *क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा विगत दो वर्षों के दौरान कुल 78 निरीक्षण किए गए ।*

[9] *10 वृक्षारोपण वर्ष 1998-99, सात वर्ष 2000 एवं एक वर्ष 2004 से संबंधित है ।*

एजेन्सियों[3] द्वारा 1507.391 हेक्टेयर वनभूमि का अवैध व्यपवर्तन पाया गया । इन प्रकरणों में भारत सरकार से पूर्व अनुमोदन प्राप्त नहीं किया गया । यह भी सीहोर तथा सतना क्षेत्रीय वन मण्डलों के अभिलेखों की समीक्षा में दो उपयोगकर्ता एजेन्सियों[4] द्वारा भारत सरकार द्वारा अनुमोदित क्षेत्र से अधिक 8,606 हेक्टेयर वन भूमि का अवैध व्यपवर्तन पाया गया ।

3.2.5.2 अधिनियम के उल्लघंन के लिए दण्डात्मक कार्यवाही प्रारम्भ न किया गया ।

उल्लंघन प्रकरणों की रिपोर्ट को वीडियो शासन को नहीं दी गई ।

अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, उल्लंघन के प्रकरण राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार को सूचित किए जाने चाहिए ताकि अधिनियम की धारा 3 ए एवं 3 बी के अन्तर्गत दण्डात्मक कार्यवाही प्रारम्भ की जा सके । लेखापरीक्षा के दौरान यह ध्यान में आया कि अधिनियम के उल्लंघन के 43 प्रकरणों में से न तो कोई भी प्रकरण भारत सरकार की जानकारी में लाया गया और न ही किसी भी प्रकरण में दण्डात्मक कार्यवाही प्रारम्भ की गई ।

राज्य सरकार ने बताया कि प्रकरण परीक्षणाधीन थे तथा अधिनियम का उल्लघंन स्थापित होने के बाद भारत सरकार को सूचित किये जावेंगे । तथापि, अधिनियम के उल्लंघन के 1 से 8 वर्ष व्यतीत होने के बावजूद एक भी प्रकरण भारत सरकार को सूचित नहीं किया गया । यह भी कि दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 468 सीमा की अवधि समाप्त होने के पश्चात किसी अपराध का संज्ञान लेने से न्यायालय को प्रतिबंधित करती है । अधिनियम के अन्तर्गत आने वाले अपराधों के लिए समय सीमा एक वर्ष है । क्योंकि अपराध एक वर्ष से अनधिक अवधि के कारावास के लिए दण्डनीय है ।

3.2.6 क्षतिपूरक वनीकरण : क्षतिपूरक वनीकरण वृक्षारोपण न किया जाना तथा असफल रहना एवं अन्य विषय

हरी वनभूमि के व्यपवर्तन के विपरीत प्रभाव को कम करने के उद्देश्य से अधिनियम के अन्तर्गत अनुमोदन प्रदान करते समय केन्द्र सरकार गैर वनभूमि के समतुल्य क्षेत्र अथवा दुगने परिभ्रंशित वन भूमि से दुगुनी भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण किए जाने की शर्त अधिरोपित करती थी । ऐसे वैकल्पिक वृक्षारोपण की लागत उपयोगकर्ता एजेन्सियों द्वारा वहन की जानी थी ।

3.2.6.1 नोडल आफिस में अभिलेखों की समीक्षा में, 1980 में अधिनियम के क्रियान्वयन के बाद से वैकल्पिक वृक्षारोपण की निम्नलिखित स्थिति[5] पाई गई ।

3 *वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि. साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. शारदा प्रबंधन समिति, जल संसाधन विभाग, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग झाबुआ, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग श्योपुर, जनपद पंचायत जबेरा, लोक निर्माण विभाग, राजीव गांधी मिशन, तेंदूखेड़ा जनपद पंचायत और ग्राम पंचायत अमलीपाड़ा ।*

4 *मैसर्स मैहर सीमेंट लि. और जल संसाधन विभाग ।*

5 *जून 2006 की स्थिति में ।*

हरदा मण्डल में इसी प्रकार के छः प्रकरणों में (मई 2005) क्षतिपूरक वनीकरण वृक्षारोपण असफल हुए । ये वृक्षारोपण नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण (एन.वी.डी.ए.) द्वारा 1997-98 के दौरान किए गये तथा 2002 में उनका आकलन किया गया । पौधों का जीवितता अनुपात छः से 17 प्रतिशत रहा, जिससे 40.89 लाख रूपये का व्यय निष्फल सिद्ध हुआ ।

लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार करते हुए सरकार द्वारा आश्वासन दिया गया कि वृक्षारोपणों की असफलता के लिए उत्तरदायित्व का निर्धारण किया जावेगा ।

3.2.6.5 क्षतिपूरक वृक्षारोपण के लिए प्रभारों की वसूली न करना/कम करना ।

उपयोग कर्ता एजेन्सियों से अनुवीक्षण एवं मूल्यांकन प्रभार वसूल नहीं किए गये ।

क्षतिपूरक वृक्षारोपण के लिए परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने के लिए विभागीय निर्देशों (फरवरी 2004) में निर्धारित है कि वृक्षारोपण की अनुमानित लागत से प्रति हेक्टेयर 20 प्रतिशत की दर से अनुवीक्षण एवं मूल्यांकन प्रभार के लिए प्रावधान किया जावे ।

12 वन मण्डलों[10] में गैर वानिकी उपयोग हेतु वन भूमि के व्यपवर्तन से संबंधित अभिलेखों की नमूना जांच में देखा गया कि 34 क्षतिपूरक वृक्षारोपण परियोजना प्रतिवेदनों में अनुवीक्षण एवं मूल्यांकन प्रभारों के लिए निर्धारित दर से आवश्यक प्रावधान नहीं किया गया इसके परिणाम स्वरूप 12 उपयोगकर्ता एजेन्सियों[11] से 3.90 करोड़ रूपये की वसूली नहीं की गई/कम की गई ।

वन मण्डल अधिकारियों ने बताया कि उच्च अधिकारियों से मार्गदर्शन प्राप्त कर कार्यवाही की जावेगी । स्पष्ट विभागीय निदेशों (फरवरी 2004) के परिप्रेक्ष्य में वन मण्डल अधिकारियों का उत्तर धार्य नहीं है ।

इसी प्रकार 13 वन मण्डलों[12] द्वारा तैयार की गई 46 प्रोजेक्ट रिपोर्टों में प्रवेश बिन्दु क्रियाकलापों से संबंधित कार्यों तथा मानव संसाधन विकास से संबंधित कार्यों के लिए क्रमशः 12 एवं तीन प्रतिशत की दर से आवश्यक प्रावधान फरवरी 2002 के स्पष्ट विभागीय निर्देशों के बावजूद नहीं किया गया । इसके परिणामस्वरूप 3.17 करोड़ रूपये की वसूली नहीं की गई/कम की गई ।

लेखापरीक्षा अभियुक्तियों को स्वीकार करते हुए सरकार ने आश्वासन दिया कि मण्डल अधिकारी उपयोगकर्ता एजेन्सियों से ऊपर वर्णित प्रभारों की वसूली करने के लिए वन मण्डलों को निर्देश जारी करेगा ।

10 *बड़वाह, बैतूल (उत्तर), छिन्दवाड़ा (पश्चिम), देवास, इंदौर, झाबुआ, कटनी, मुरैना, सतना, सिवनी (उत्तर), शिवपुरी और उमरिया ।*

11 *म.प्र.रा.वि.म., मै. एनरकॉन लि., भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, भारतीय तेल निगम, राज्य खनन निगम, ए.सी.सी. कैमूर लोक निर्माण विभाग, भारतीय रेलवे, अखिल भारतीय वनवासीय सेवा, बालाजी मार्बल्स एवं टाइल्स, मां शारदा प्रबंध समिति और मेसर्स पावरग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड ।*

12 *शिवपुरी, खण्डवा, बड़वाह, गुना, कटनी, उमरिया, मण्डला, इंदौर, झाबुआ, विदिशा, बैतूल (उत्तर), सिवनी (उत्तर) और छिन्दवाड़ा (पश्चिम) ।*

3.2.6.6. क्षतिपूरक वृक्षारोपण के लिए हस्तांतरण नहीं की गई और आरक्षित/संरक्षित वन के रूप में अधिसूचित नहीं की गई गैर वन भूमि

वन विभाग को क्षतिपूरक वृक्षारोपण के लिए हस्तांतरित नहीं की गई गैर वन भूमि

भारत सरकार द्वारा अधिनियम के अधीन जारी दिशा निर्देशों के अनुसार, क्षतिपूरक वृक्षारोपण के प्रयोजन के लिए चिन्हित समतुल्य गैर वन भूमि (एन.एफ.एल) राज्य वन विभाग के स्वामित्व को हस्तांतरित की जानी थी और भारतीय वन अधिनियम 1927 के अन्तर्गत आरक्षित/संरक्षित वन घोषित की जानी थी, ताकि लगाए गये पौधों का रख रखाव स्थाई रूप से किया जा सके । गैर वन भूमि का हस्तांतरण परियोजना आरम्भ होने के पूर्व हो जाना था ।

13 वन मण्डलो[13] के अभिलेखों की जांच में, अधिनियम के क्रियान्वयन के बाद से जो गैर वन भूमि क्षतिपूरक वृक्षारोपण के लिए उपलब्ध करायी जानी थी, के हस्तांतरण एवं पश्चातवर्ती अधिसूचना का निम्नलिखित स्तर पाया गया ।

कुल परियोजनाएं जिनमें गैर वन भूमि उपलब्ध कराना थी	कुल गैर वन भूमि जो उपलब्ध कराना थी (हैक्टेयर)	परियोजना की संख्या जहां गैर वन भूमि हस्तांतरित नहीं की गई	अभी तक हस्तांतरित नहीं की गई गैर वन भूमि (हैक्टेयर)	हस्तांतरित गैर वन भूमि (हैक्टेयर)	आरक्षित/संरक्षित वन घोषित नहीं की गई गैर वन भूमि (हैक्टेयर)
49	4.859	8	2.994	1.865	1.141

गैर यानिकी उपयोग हेतु वन भूमि के व्यपवर्तन के बावजूद क्षतिपूरक वृक्षारोपण किए जाने हेतु चिन्हित कुल गैर वन भूमि (एन.एफ.एल.) में से 62 प्रतिशत भूमि उपयोगकर्ता एजेन्सियों[14] द्वारा हस्तांतरित नहीं की गई । 8 परियोजनाओं में जहां 2,994 हेक्टेयर गैर वन भूमि उपयोगकर्ता एजेन्सियों द्वारा हस्तान्तरित नहीं की गई थी, वहां 1982 से 1996 की अवधि के दौरान वन भूमि व्यपवर्तित की गई थी । उपयोगकर्ता ऐजेन्सियों से गैर वनभूमि प्राप्त करने के लिए कोई प्रभावी कदम उठाने में वन विभाग असफल रहा । यह भी कि उपयोगकर्ता एजेन्सियों द्वारा हस्तांतरित एन.एफ.एल. में से 61 प्रतिशत भूमि वन विभाग द्वारा आरक्षित/संरक्षित वन घोषित नहीं की गई ।

वन मण्डल अधिकारियों ने बताया कि गैर वनभूमि प्राप्त करने एवं अधिसूचित करने के प्रयास किए जा रहे थे । पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा जारी मार्गदर्शी सिद्वांतो की दृष्टि से यह उत्तर धार्य नहीं है तथा भूमि के हस्तांतरण में 11 से 24 वर्ष एवं हस्तांतरित वनभूमि को आरक्षित/संरक्षित वन घोषित कराने में 1 से 17 वर्ष का विलम्ब न्यायोचित नहीं था । राज्य सरकार ने बताया कि ऐसे प्रकरणों में, जहां कई वर्षो से वन विभाग को गैर वन भूमि हस्तान्तरित नही की गई है, वहां समतुल्य गैर वन भूमि के स्थान पर परिभ्रंशित वन भूमि से दुगनी भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण किए जाने की संभावना के आंकलन का परीक्षण किया जावेगा ।

13 *छिन्दवाड़ा (दक्षिण), छिन्दबाड़ा (पश्चिम), देवा, गुना, कटनी, मण्डला, सतना, सीहोर, सिवनी (उत्तर), सिवनी (दक्षिण), शिवपुरी उमरिया और विदिशा ।*

14 *जल संसाधन विभाग, साउथ ईस्टर्न कोलफील्डस लि., वेस्टर्न कोलफील्डस लि., और नेशनल फर्टीलाइजर लि. विजयपुर*

3.2.6.7 क्षतिपूरक वृक्षारोपण के लिए कार्य इलाके में भिन्नता

वैकल्पिक वृक्षारोपण आर.डी.एफ. कार्य इलाकों में नहीं किया गया ।

विभागीय निर्देश (फरवरी 2002) के अनुसार क्षतिपूरक वृक्षारोपण केवल बिगड़े वन पुर्नस्थापन (आर.डी.एफ.) बिगड़े बांस वन पुर्नस्थापन (आर.डी.बी.एफ.) तथा वृक्षारोपण कार्य इलाके में ही किया जाना चाहिए क्योंकि इन कार्य इलाकों में वनों का घनत्व 0.4 से कम होता है । यदि किसी वन मण्डल में ऐसे कार्य इलाके नहीं है, तो अन्य वन मण्डल जहां ये कार्य इलाके है, में क्षतिपूरक वृक्षारोपण किया जाना चाहिए ।

इन्दौर और बड़वाह वन मण्डल के अभिलेखों में देखा गया (अप्रैल 2007) कि अवधि 2004-07 के दौरान, 71.994 हेक्टेयर पर 12.30 लाख रूपये की लागत पर 5 वृक्षारोपण विभागीय निर्देशों के विपरीत सुधार कार्य इलाकों (आई.डब्ल्यू.सी) एवं कापिसविद रिजर्व (सी.डब्ल्यू.आर.) कार्य इलाकों में[15] किए गये । आगे, बड़वाह और शिवपुरी मण्डलों के क्षतिपूरक वृक्षारोपण के स्थल विशेष प्रोजेक्टों की जांच में देखा गया कि विभागीय निर्देशों के विपरीत तीन क्षतिपूरक वनीकरण वृक्षारोपण आई.डब्ल्यू.सी./सी.डब्ल्यू.आर. कार्य इलाकों में 282.388 हेक्टेयर पर प्रस्तावित किए गये ।

वन मण्डल अधिकारी इन्दौर ने बताया कि मण्डल में आर.डी.एफ. कार्य इलाके की अनुपलब्धता के कारण वैकल्पिक क्षतिपूरक आई.डब्ल्यू.सी. में किया गया । वन मण्डल अधिकारी बड़वाह और शिवपुरी ने बताया कि क्षतिपूरक वृक्षारोपण के लिए प्रस्तावित क्षेत्र आर.डी.एफ.क्षेत्र के समतुल्य था । विभागीय निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में उत्तर मान्य नहीं है ।

3.2.6.8 ओंकारेश्वर परियोजना की क्षतिपूरक वृक्षारोपण परियोजनाएं पुनरीक्षित न किया जाना ।

भारत सरकार के दिशा निर्देश और विभागीय निर्देश (दिसम्बर 2001एवं फरवरी 2002) के अनुसार, क्षतिपूरक वृक्षारोपण के लिए परियोजना प्रतिवेदन स्थल विशिष्ट होना चाहिए।

नोडल कार्यालय के अभिलेखों की जांच में देखा गया (जुलाई 2007) कि भारत सरकार ने ओंकारेश्वर परियोजना के लिए 5829.85 हैक्टर वन भूमि के व्यपवर्तन के लिए सैद्वांतिक/औपचारिक अनुमोदन (अक्टूबर 1993/अगस्त 2004) 11660 हैक्टेयर परिभ्रंशित वन भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण किए जाने की शर्त पर प्रदान किया । क्षतिपूरक वृक्षारोपण के लिए एक्शन प्लान वर्ष 1991 में 21.98 करोड़ रूपये की लागत (18851 रूपये प्रति हैक्टेयर) पर तैयार किया गया । जबकि वैकल्पिक वृक्षारोपण का कार्य नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण द्वारा वर्ष 2002-03 में (खण्डवा और बड़वाह में) प्रारंभ किया गया । लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया कि क्षतिपूरक वृक्षारोपण के पूर्व विगत 12 वर्षो के दौरान लागत मूल्य वृद्वि को ध्यान में रखते हुए स्थल विशेष परियोजना नहीं बनायी गयी ।

यह भी कि, बड़वाह एवं खण्डवा की 2002-04 में तैयार की गई 23 परियोयजना प्रतिवेदनों की जांच के अनुसार, क्षतिपूरक वृक्षारोपण की औसत लागत 1.18 लाख

15 *इन कार्य इलाकों में वन का घनत्व 0.4 से अधिक है ।*

रूपये प्रति हैक्टेयर आती है । तदनुसार ओंकारेश्वर प्रोजेक्ट की क्षतिपूरक वृक्षारोपण प्रोजेक्ट की लागत मूल्य वृद्वि को ध्यान में रखते हुए पुनरीक्षण आवश्यक है ।

3.2.7. नेट प्रेजेन्ट वैल्यू एवं प्रत्याशा मूल्य की वसूली न करना/कम करना ।

3.2.7.1 व्यपवर्तित वनभूमि की नेट प्रेजेन्ट वैल्यू (एन.पी.व्ही.) की वसूली न होना/कम होना ।

उपयोगकर्ता एजेन्सियों से एन.पी.व्ही. की राशि 350.99 करोड़ रूपये वसूल नहीं की गई ।

भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के निर्देश (सितम्बर 2003) अनुसार, उपयोगकर्ता एजेन्सी से व्यपवर्तित वनभूमि की एन.पी.व्ही. उन सभी परियोजनाओं में वसूल[16]की जावेगी, जिनमें सैद्वांतिक अनुमोदन[17] दिनांक 30 अक्टूबर 2002 के बाद दिया गया था । एन.पी.व्ही. की वसूली हेतु रेखांकित सिद्वांत यह है कि क्षतिपूर्ति वनीकरण योजना के अन्तर्गत किया गया वृक्षारोपण प्राकृतिक वन हानि की यथोचित क्षतिपूर्ति कभी नहीं कर सकता है । व्योंकि वृक्षारोपण को परिपक्व होने में अधिक समय लगता है और इस पर भी ये पौधरोपण प्राकृतिक वनों का निम्नस्तरीय प्रतिस्थापन हैं । यह भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश (सितम्बर 2006) के पालन में मंत्रालय ने निर्देशित किया (अक्टूबर 2006) कि एन.पी.व्ही. उन प्रकरणों में भी वसूल की जानी चाहिए जहां औपचारिक अनुमोदन 30 अक्टूबर 2002 के बाद प्रदान किया गया, भले ही, भारत सरकार द्वारा सैद्वांतिक अनुमोदन कभी भी दिया गया हो ।

9 वन मण्डलों[18] के अभिलेखों की जांच से प्रकट हुआ कि 18 परियोजनाओं में 9 उपयोगकर्ता एजेन्सियों[19]से एन.पी.व्ही. की 350.99 करोड़ रूपये की राशि वसूल नहीं/कम की गई ।

सरकार ने बताया कि लेखापरीक्षा के कहने पर उपयोगकर्ता एजेन्सियों से 350.99 करोड़ रूपये की वसूली के लिए मांग जारी की जा चुकी थी । वनमण्डल अधिकारी देवास द्वारा 11.21 लाख रूपये की राशि लेखापरीक्षा के कहने पर वसूल करली गई थी ।

3.2.7.2 प्रत्याशा मूल्य की वसूली न होना ।

मध्यप्रदेश शासन द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अन्तर्गत, गैर वानिकी उपयोग हेतु व्यपवर्तित वन भूमि के एवज में उपयोगकर्ता एजेन्सी से "प्रत्याशा मूल्य" की वसूली हेतु अप्रैल 2000 में निर्णय लिया गया । व्यपवर्तित वन भूमि की स्थल गुणवत्ता एवं घनत्व के आधार पर 5.80 लाख रूपये और 9.20 लाख रूपये के बीच दरें निर्धारित की गई ।

16 *गैर वानिकी प्रयोजनों हेतु प्रत्यावर्तित की जा रही वन भूमि की स्थल गुणवत्ता एवं घनत्व के आधार पर 5.80 लाख रूपये से 9.20 लाख रूपये प्रति हैक्टेयर की दर से ।*

17 *भारत सरकार द्वारा दो चरणों में अनुमोदन दिया जाता है, अर्थात सैद्वांतिक एवं औपचारिक अनुमोदन । औपचारिक अनुमोदन सैद्वांतिक अनुमोदन में अंकित शर्तों के पालन होने के बाद ही दिया जाता है ।*

18 *बड़वाह, भोपाल, देवास, गुना, इंदौर, कटनी, खण्डवा, सतना और शिवपुरी ।*

19 *म.प्र.वि.मं., नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, जल संसाधन विभाग, लोक निर्माण विभाग, मां शारदा देवी न्यास, नितिन जैन, अनिल जैन, मनीष दीक्षित और बाबू खॉं ।*

आठ वन मण्डलों[20] में गैर वानिकी उपयोग हेतु व्यपवर्तित वनभूमि से संबंधित अभिलेखों की नमूना जांच में प्रकट हुआ कि चार उपयोगकर्ता एजेन्सियों[21] को गैर वानिकी उपयोग हेतु 1330.539 हेक्टेयर वनभूमि जुलाई 2000 से सितम्बर 2002 के बीच व्यपवर्तित की गई "प्रत्याशा मूल्य" 78.14 करोड़ [22] रूपये उपयोगकर्ता एजेन्सियों से वसूल नहीं किया गया जिसके परिणाम स्वरूप शासन को राजस्व हानि हुई ।

शासन ने उत्तर दिया कि अप्रैल 2000 से अक्टूबर 2002 के मध्य जिन उपयोगकर्ता एजेन्सियों को वनभूमि हस्तान्तरित की गई है, उन के प्रकरणों मे प्रत्याशा मूल्य की वसूली के लिए कार्यवाही की जावेगी ।

3.2.8. जलग्रहण क्षेत्र उपचार

भारत सरकार द्वारा शर्त अधिरोपित किये जाने के बावजूद जल ग्रहण क्षेत्र उपचार नही किया गया ।

मध्यम एवं वृहद सिंचाई परियोजनाओं तथा 10 मेगावाट और उससे अधिक शक्ति की जल विद्युत परियोजनाओं हेतु वन भूमि के व्यपवर्तन के लिए अधिनियम के अन्तर्गत स्वीकृति देते समय भारत सरकार द्वारा अधिरोपित शर्तों में से जलग्रहण क्षेत्र उपचार एक महत्वपूर्ण शर्त है । इसमें जल संसाधन परियोजना के जलग्रहण क्षेत्र में यांत्रिकी एवं जैविकी कार्यों[23] के माध्यम से मृदाक्षरण के संभावित क्षेत्रों का उपचार शामिल है तथा यह जलाशयों में नीचे बैठने वाली मिट्टी (सिल्ट) के जमाव को रोकने एवं पर्यावरण संतुलन बनाये रखने के लिए आवश्यक है ।

विदिशा, शिवपुरी, उमरिया, सतना, इन्दौर और उत्तर सिवनी वन मण्डलों के अभिलेखों की जांच में, उन जलसंसाधन परियोजनाओं जिनमें अधिनियम के अन्तर्गत वनभूमि व्यपवर्तित की गई, जलग्रहण क्षेत्र उपचार की निम्नलिखित स्थिति प्रकट हुई ।

क्र.	वन मंडल का नाम	परियोजना का नाम	व्यपवर्तित वनभूमि (हेक्टैयर)	भारत सरकार द्वारा अंतिम स्वीकृति	उपयोगकर्ता द्वारा जमा की जाने वाली राशि (लाख रूपये में)	उपयोगकर्ता द्वारा जमा की गइ राशि (लाख रूपये में)	31.3.07 तक किया गया व्यय
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8
1.	विदिशा	संजयनगर (वाह)	304	31 अक्टूबर 2005	816.20	निरंक	निरंक
2.	उमरिया	बाणसागर प्रोजेक्ट	293	10 जुलाई 1989	3.70	निरंक	निरंक
3.	शिवपुरी	मडहर, तालाब	180	15 सितम्बर 1993	18.00	निरंक	निरंक
4.	शिवपुरी	मोहनी सागर डेम फेस-2	3106	05 दिसम्बर 2000	5070.19	2922.00	निरंक
5.	उत्तर सिवनी	अपर बेनगंगा सिंचाई परियोजना	923	14 जून 2002	-[24]	निरंक	निरंक
6.	इन्दौर	कटिया क्विरिया टैंक	11	31 अगस्त 2002	2.50	2.50	निरंक
7.	सतना	बाण सागर प्रोजेक्ट के अन्तर्गत बाटर शेड	2550	10 जुलाई 1989	217.00	151.58	109.66
8.	विदिशा	राजीव सागर मकसूदन गढ	129	20 अप्रेल 1993	61.52	61.52	28.20
	योग	**8**	**7496**	--	**6189.11**	**3137.60**	**137.86 (2.2%)**

20 *बालाघाट (उत्तर), बालाघाट (दक्षिण), झाबुआ, सिवनी (उत्तर) (दक्षिण), शहडोल (दक्षिण), शिवपरी और विदिशा ।*

21 *भारत ओमान रिफाइनरीज लि., साउथ ईस्टर्न कोल्फील्डस लि., जल संसाधन विभाग मध्यप्रदेश शासन और म.प्र.वि.मं. ।*

22 *5 परियोजनाओं मे 5.80 लाख रूपये तथा एक परियोजना में 8.60 लाख रूपये प्रति हैक्टेयर की न्यूनतम दर से गणना की गई ।*

23 *यांत्रिकी कार्यो मे स्टॉप/चेक डेम निर्माण शामिल होते हैं तथा जैविकी कार्यो में मुख्यतः वृक्षारोपण शामिल है ।*

24 *वन विभाग द्वारा जल ग्रहण क्षेत्र उपचार के लिये प्राजेक्ट रिपोर्ट तैयार नहीं की गई ।*

लेखापरीक्षा में अवलोकन किया गया कि आठ में से छः परियोजनाओं में जलग्रहण क्षेत्र उपचार बिल्कुल नहीं किया गया जबकि वनभूमि के व्यपवर्तन के लिए भारत सरकार द्वारा उसे आवश्यक शर्त के रूप में लगाया गया था । इन 6 परियोजनाओं में जलगहण क्षेत्र उपचार न करने का कारण उपयोगकर्ता ऐजेन्सियों (4 परियोजनाओं) से निधियों की वसूली न करना तथा उपयोगकर्ता ऐजेन्सियों (2 परियोजनाओं) से वसूल की गई निधियों को राज्य सरकार द्वारा व्यय करने में असफलता थी ।

परिणामस्वरूप, जलग्रहण क्षेत्र उपचार हेतु आवश्यक कुल निधियों के मात्र 2.2 प्रतिशत का व्यय किया गया है, जबकि 7,496 हेक्टेयर वनभूमि गैर वानिकी उपयोग हेतु दो से 18 वर्ष पूर्व हस्तांतरित की जा चुकी है ।

वन मण्डल अधिकारी विदिशा और सतना ने बताया कि राशि वसूल करने तथा शेष कार्यो को पूर्ण करने के लिए आवश्यक कार्यवाही की जा रही थी । राज्य सरकार ने उत्तर दिया कि जलग्रहण क्षेत्र उपचार न करने के प्रकरणों का विस्तृत परीक्षण किया जावेगा तथा कारणों से लेखापरीक्षा को अवगत कराया जावेगा ।

3.2.9. अन्य शर्तों के अनुपालन की स्थिति ।

3.2.9.1 खनन क्षेत्र के चारों ओर सुरक्षा क्षेत्रों का सृजन न किया जाना

भारत सरकार द्वारा अधिनियम के अन्तर्गत जारी दिशा निर्देश (अक्टूबर 1992) के अनुसार, खनन कार्यो हेतु व्यपवर्तित वन क्षेत्र के चारों ओर सुरक्षा क्षेत्र का सृजन किया जाना था । यह भी कि ऐसे सुरक्षा क्षेत्र की सुरक्षा एवं पुनरोत्पादन के लिए परियोजना प्राधिकारी को वन विभाग के पास निधियां जमा करानी अपेक्षित होती हैं तथा अन्यत्र परिभ्रंशित वनक्षेत्र में सुरक्षा क्षेत्र के डेढ़ गुना भाग पर वनीकरण की लागत भी वहन करना होती है ।

झाबुआ, विदिशा, और उत्तर बैतूल के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि 504.739 हेक्टेयर व्यपवर्तित वन भूमि की सात खनन परियोजनाओं में सुरक्षा क्षेत्र नहीं बनाए गये। झाबुआ वन मण्डल के एक प्रकरण में, सुरक्षा क्षेत्र के लिए 14.97 लाख रूपये का प्रावधान किया गया, किन्तु उपयोगकर्ता एजेन्सी म.प्र. राज्य खनन निगम लि. मेघनगर से निधियों की मांग नहीं की गई । विदिशा एवं उत्तर बैतूल के छः खनन प्रकरणों में, वन विभाग द्वारा केन्द्र सरकार को प्रस्ताव भेजते समय, दिशा निर्देशों के विपरीत सुरक्षा क्षेत्र के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया ।

वन मण्डल अधिकारी, झाबुआ ने बताया कि म.प्र. राज्य खनन निगम लि. मेघनगर से 14.97 लाख रूपये की मांग की जावेगी । शासन ने बताया कि भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुरूप सुरक्षा क्षेत्र का प्रावधान सुनिश्चित करने के लिए मण्डलो को निर्देश जारी किए जावेगें ।

3.2.9.2 खनन क्षेत्र का समतलीकरण न किया जाना ।

अधिनियम के अन्तर्गत जारी दिशा निर्देशों के अनुसार, खनन के लिए खोली गई व्यपवर्तित वनभूमि को चरणबद्व समतलीकरण योजना के अनुरूप क्रमबद्व समतलीकृत

की जानी चाहिए । समतलीकरण की लागत उपयोगकर्ता एजेन्सी द्वारा वहन की जानी है ।

झाबुआ, विदिशा और सतना वन मण्डलों के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि भारत सरकार द्वारा छः खनन परियोजनाओं के लिए चार उपयोगकर्ता एजेन्सियों[25] को 65.671 हेक्टेयर वनभूमि के व्यपवर्तन के लिए अनुमोदन देते समय, खुले खनन क्षेत्र के समतलीकरण की शर्त अधिरोपित की गई थी । झाबुआ वनमण्डल के एक प्रकरण में, समतलीकरण के लिए 66.43 लाख रूपये का प्रावधान किया गया किन्तु उपयोगकर्ता एजेन्सी राज्य खनन निगम से निधियों की मांग नहीं की गई । इस प्रकरण में 37.7 हेक्टेयर वनभूमि फरवरी 2007 में व्यपवर्तित की जा चुकी थी । विदिशा मण्डल के दो प्रकरणों में जुलाई 2003 एवं जनवरी 2006 में लीज अवधि समाप्त होने के बावजूद समतलीकरण प्रारम्भ नहीं किया गया । सतना मण्डल के शेष 3 प्रकरणों में फरवरी 2001 एवं अप्रैल 2005 के बीच लीज अवधि समाप्त होने के बावजूद उपयोगकर्ता एजेन्सी मैहर सीमेन्ट कम्पनी द्वारा आंशिक समतलीकरण ही किया गया ।

वन मण्डल अधिकारी झाबुआ और विदिशा ने बताया कि आवश्यक कार्यवाही की जावेगी। राज्य सरकार ने बताया कि खनन के लिए खुले क्षेत्रों के समतलीकरण के लिए प्रभारों की वसूली हेतु समरूप नीति अपनाई जावेगी ।

3.2.9.3 पर्यावरण अनुमति प्राप्त न किया जाना ।

चार मण्डलों[26] के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि भारत सरकार ने उपयोग कर्ता ऐजेन्सियों द्वारा पर्यावरण (प्रोटेक्शन) अधिनियम 1986 के अन्तर्गत पर्यावरण अनुमति प्राप्त किए जाने की शर्त के साथ छः परियोजनाओं में 1440.597 हैक्टेयर वनभूमि के व्यपवर्तन की अनुमति प्रदान की । लेखापरीक्षा के दौरान ध्यान में आया कि वन विभाग द्वारा उपयोगकर्ता एजेन्सियों को गैर वानिकी उद्देश्यों हेतु वन भूमि के उपयोग की अनुमति, पर्यावरण अनुमति प्राप्त किए बिना ही दे दी गई ।

शासन ने इन प्रकरणों में पर्यावरण अनुमति प्राप्त करने हेतु आश्वासन दिया ।

3.2.10 वित्तीय प्रबंधन

उपयोगकर्ता एजेन्सियों से प्राप्त राशियों को या तो राज्य राजस्व या अन्य आरक्षित निधियों में जमा किया गया ।

3.2.10.1 सी.ए. एवं एन.पी.व्ही. निधियों को पी.डी. खाते में जमा न कराया जाना ।

राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देश (दिसम्बर 1999 एवं दिसम्बर 2004) के अनुसार, सी.ए., नेट प्रिजेन्ट वैल्यू, और खुली खदानों के समतलीकरण आदि बावत उपयोगकर्ता एजेन्सियों से प्राप्त राशि को संबंधित वन मण्डल अधिकारी के नाम से जिला कोषालय में व्यक्तिगत जमा (पी.डी.) खातों में जमा की जानी थी ।

25 म.प्र., राज्य खान निगम, जी.एस.यादव, सिंह इंटरप्राइजेज और मैहर सीमेंट कम्पनी ।

26 इंदौर, बैतूल, (उत्तर), सिवनी, (उत्तर), और छिन्दवाड़ा (पश्चिम) ।

छः वन मण्डलों[27] के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि 12 परियोजनाओं में उपयोगकर्ता एजेन्सियों से सी.ए.,एन.पी.व्ही. आदि की लागत बावत प्राप्त 2.68 करोड़ रूपये की राशि पी.डी. खाते के बजाय वन राजस्व/अन्य आरक्षित निधियां के अन्तर्गत जमा कर दी गई । परिणामस्वरूप, यह राशि निर्धारित संरक्षण कार्यो के लिए उपलब्ध नहीं थी, जिसके लिए यह 2000-01 से 2005-06 तक की अवधि के दौरान प्राप्त की गई थी ।

लेखापरीक्षा टिप्पणी स्वीकार करते राज्य सरकार ने बताया कि वन मण्डलों से विवरण प्राप्त करने के उपरांत उक्त वर्णित निधियों का पी.डी.खाते में स्थानान्तरण सुनिश्चित किया जावेगा ।

3.2.10.2 भारत सरकार के निर्देशों के विपरीत एन.पी.व्ही.निधियों का उपयोग

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 30 अक्टूबर 2002 के आधार पर, भारत सरकार ने व्यपवर्तित वन भूमि की नेट प्रिजेन्ट वैल्यू उपयोगकर्ता एजेन्सियों से वसूल करने के लिए (जुलाई, अगस्त एवं सितम्बर 2003) में राज्य सरकारों को निर्देशित किया । इस प्रकार वसूल की गई एन.पी.व्ही. क्षतिपूरक वनीकरण निधि प्रबंध एवं योजना प्राधिकरण (कैम्पा) के खाते में, उसके गठन होने पर स्थानान्तर की जाना थी ।

नोडल अधिकारी के कार्यालय के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि वन विभाग द्वारा एन.पी.व्ही निधियों में से 5.79 करोड़ रूपये की राशि वाहन, कम्प्यूटर क्रय, निर्माण कार्य तथा अन्य वानिकी कार्यो में माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं भारत सरकार के निर्देशों के विपरीत व्यय की गई ।

नोडल अधिकारी ने बताया (जुलाई 2007) कि भारत सरकार इस स्पष्टीकरण (अप्रैल 2006) कि केवल क्षतिपूरक वनीकरण की लागत के रूप में प्राप्त निधियों का ही उपयोग किया जाना था, के पूर्व ही प्राप्त निधियों को विमुक्त करके उपयोग किया गया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय तथा भारत सरकार के निर्देशों के तहत कैम्पा के पक्ष में एकत्र की गई निधियों के परिप्रेक्ष्य में उत्तर धार्य नहीं था ।

3.2.11 अनुवीक्षण एवं मूल्यांकन

3.2.11.1 शर्तों के क्रियान्वयन का अनुवीक्षण

उच्च प्राधिकारियों द्वारा अनुवीक्षण एवं मूल्यांकन नहीं किया गया ।

विभागीय निर्देश (दिसम्बर 2001) के अनुसार, क्षतिपूरक वनीकरण वृक्षारोपण का अनुवीक्षण एवं मूल्यांकन वरसंरक्षक स्तर पर वर्ष में दो बार, मुख्यालय के स्तर पर वर्ष में एक बार तथा बाहरी संस्था द्वारा तीन वर्ष बाद किया जाना चाहिए । यह भी कि, भारत सरकार के दिशा निर्देशों में अपेक्षित है कि नोडल अधिकारी को क्षतिपूरक वृक्षारोपण की शर्तों के क्रियान्वयन और रोपित बीजांकुरों की जीवितता के अनुपात का अनुवीक्षण करना चाहिए ।

[27] *बालाघाट (उत्तर), छिन्दवाड़ा (पश्चिम), गुना, सतना, सीहोर, सिवनी (उत्तर) ।*

10 वन मण्डलों[28] के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि 29 में से 27 क्षतिपूरक वनीकरण वृक्षारोपण का अनुवीक्षण एवं मूल्यांकन नोडल अधिकारी, वन संरक्षकों, बाहरी संस्था अथवा उसके किसी प्रतिनिधि द्वारा बिल्कुल भी नहीं किया गया ।

नोडल अधिकारी ने बताया कि अनुवीक्षण एवं मूल्यांकन स्टाफ की कमी के कारण नहीं किया गया क्षतिपूरक वनीकरण वृक्षारोपण के लिए अनुवीक्षण समितियां गठित करने के लिए यद्यपि वन संरक्षकों को अप्रैल 2005 में निर्देशित किया गया था । फिर भी, लेखापरीक्षा में ध्यान में आया कि ऐसी किसी भी समिति द्वारा क्षतिपूरक वनीकरण वृक्षारोपणों का अनुवीक्षण नहीं किया गया । बाहरी संस्था द्वारा मूल्यांकन के संबंध में, नोडल अधिकारी ने लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप राज्य वन अनुसंधान संस्था जबलपुर और ऊष्णकटिबन्धीय वन अनुसंधान संस्था जबलपुर से अनुरोध किया (जून 2007)।

केन्द्र सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार (अक्टूबर 1992) नोडल अधिकारी को केन्द्र सरकार द्वारा अधिरोपित शर्तों के क्रियान्वयन के संबंध में त्रैमासिक प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत करना चाहिए । मुख्य वन संरक्षण (भू-प्रबंधन) के अभिलेखों की जांच (जुलाई 2007) में भारत सरकार को ऐसे किसी त्रैमासिक प्रगति प्रतिवेदन का मार्च 2007 तक भेजा जाना नहीं पाया गया । नोडल कार्यालय के पास, प्रभावी अनुवीक्षण के लिए भारत सरकार द्वारा अधिरोपित शर्तों के साथ प्रकरणों का व्यापक डाटाबेस नहीं था ।

3.2.11.2 भारत सरकार को प्रस्ताव भेजने में विलम्ब ।

प्रस्तावों को भेजने में असाधारण देरी

दिशा निर्देशों (अक्टूबर 1992) और अधिनियम के अन्तर्गत बनाये गये नियमों (जनवरी 2003) के अनुसार, प्रत्येक राज्य सरकार से गैर वन प्रयोजनों के लिए वन भूमि के व्यपवर्तन का प्रस्ताव प्राप्त करने के बाद और संतुष्ट होने के बाद कि प्रस्ताव पर अधिनियम के अन्तर्गत भारत सरकार का पूर्व अनुमोदन आवश्यक है । उपयोगकर्ता एजेन्सी से प्रस्ताव प्राप्त होने के नब्बे दिन के अन्दर प्रस्ताव को उपयुक्त प्रपत्रों में केन्द्र सरकार को भेजेगी ।

पन्द्रह वन मण्डलों[29] के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि उपयोगकर्ता एजेन्सियों से वन भूमि के व्यपवर्तन के 84 प्रस्ताव प्राप्त हुए । 52 प्रस्ताव (62 प्रतिशत) भारत सरकार को नब्बे दिन की निर्धारित अवधि के बाद प्रेषित किये गये । इन 52 प्रकरणों में औसत विलम्ब एक और 32 माह की रेंज के बीच नौ माह था ।

वन मंडल अधिकारियों ने बताया कि उपयोगकर्ता एजेन्सियों से आवश्यक जानकारी एवं दस्तावेज प्राप्त न होने के कारण प्रकरणों को समय पर भारत सरकार को अग्रेषित नहीं किया जा सका । उत्तर धार्य नहीं है, क्योंकि लेखापरीक्षा द्वारा विलम्ब की गणना उपयोगकर्ता एजेन्सियों से पूर्ण जानकारी एवं दस्तावेज प्राप्त होने की तिथि से की गई थी ।

[28] *बड़वाह, बैतूल (उत्तर), देवास, गुना, इंदौर, कटनी, खण्डवा, सतना, सिवनी, (उत्तर) और विदिशा ।*

[29] *बड़वाह, बैतूल (उत्तर), छिन्दवाड़ा (पश्चिम), देवास, गुना, इंदौर, झाबुआ, कटनी, खण्डवा, मण्डला, मुरैना, सतना, सिवनी (उत्तर) शिवपुरी और उमरिया ।*

3.2.12. निष्कर्ष

वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 देश के विकास की आवश्यकताओं और प्राकृतिक पर्यावरण के संरक्षण के बीच सतत संतुलन बनाए रखने के उद्देश्य से अधिनियमित किया गया । क्षतिपूरक संरक्षण उपायों के निम्न स्तरीय क्रियान्वयन के कारण यह उद्देश्य मध्यप्रदेश राज्य में अधिकांशतः अप्राप्त रहा । प्रकरणों की बड़ी संख्या में संरक्षण उपायों का न किया जाना, उपयोगकर्ता एजेन्सी से प्राप्त निधियों का अनुपयोग और क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण का अधिक संख्या में असफल होना प्रतिबिम्बित करता है कि गैर वानिकी प्रयोजनों के लिए हरे वनों के व्यपवर्तन के परिणामस्वरूप पर्यावरण के परिभ्रंश के विपरीत प्रभाव को कम करने में राज्य सरकार सक्षम नहीं पायी गयी । यह भी कि, अधिनियम के उल्लंघन के महत्वपूर्ण प्रकरण थे, जिनमें केन्द्र सरकार से इन प्रकरणों के नियमितीकरण के पश्चात सरकार द्वारा न तो कोई दण्डात्मक कार्यवाही की गई और न ही कोई क्षतिपूरक संरक्षण उपाय किए गये ।

3.2.13. अनुशंसाएं

- उपयोगकर्ता एजेन्सियों से प्राप्त निधियाँ, जिनका कैम्पा में प्रेषित किया जाना अपेक्षित है, की पहचान की जाय तथा वे कैम्पा को उपलब्ध कराई जायें ।

- क्षतिपूरक वृक्षारोपण और जलग्रहण क्षेत्र उपचार परियोजना जो कई कारणों से कई वर्षों से पूरी नहीं की गई हैं, उन्हें दिशा निर्देशों और लागत के अनुरूप क्रियान्वित किया जावे ।

- नोडल कार्यालय में उचित अनुवीक्षण तथा प्रकरणों के समय पर निराकरण करना सुनिश्चित किया जावे । यह भी कि बेहतर अनुवीक्षण के लिए प्रकरणों का व्यापक कम्प्यूटरीकृत डाटा बेस संधारण किया जावे ।

- अधिनियम के प्रावधानों पर कार्यशालाएं आयोजित करके उपयोगकर्ता एजेन्सियों जैसे राज्य जल संसाधन, खनिज संसाधन, और लोक निर्माण विभागों आदि को संवेदनशील बनाया जावे । वन विभाग के मैदानी स्तर के अधिकारियों के लिए भी अधिनियम के अन्तर्गत केन्द्र सरकार के नवीनतम अनुदेशों/मार्गदर्शी सिद्धांतों पर कार्यशालाएं आयोजित की जावें ।

पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग

3.3 राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांरटी योजना

विशेषताऐं

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांरटी अधिनिमय, 2005 का मूल उदेद्श्य ग्रामीण पंजीकृत परिवारों को एक वित्त वर्ष में 100 दिन का गारंटीशुदा रोजगार उपलब्ध कराना है । राज्य में योजना के क्रियान्वयन हेतु रू. 1862.69 करोड़ का व्यय किया गया था । ग्राम पंचायतों द्वारा वार्षिक कार्य योजना नहीं बनाई गई थी । परिवारों के अवयस्क सदस्यों के नाम जॉब कार्ड में पाये गये थे तथा अवयस्कों को रोजगार प्रदान किया गया था । रोजगार मांग/प्रदाय पंजियाँ या तो संधारित ही नहीं थी अथवा अपूर्ण रूप से संधारित की गई थी । जो कार्य अधिनियम में प्रावधानित नहीं थे उनका क्रियान्वयन किया गया । राज्य में रोजगार सृजन औसत 67 दिनों का था तथा 18 प्रतिशत परिवारों को 100 दिन का रोजगार प्रदाय किया गया था । निरीक्षण तथा अनुवीक्षण सम्बन्धी अभिलेख संधारित नही किये गये थे । सामाजिक अंकेक्षण का कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया था । निष्पादन लेखापरीक्षा की कुछ महत्वपूण आपत्तियां निम्नानुसार हैः

बड़वानी तथा सीधी जिलों में राशियाँ जनपद पंचायतों के माध्यम से ग्राम पंचायतों को प्रदाय कराई जाने से एक से आठ माह विलम्ब से प्राप्त हुई ।

(कंडिका 3.3.6.4)

13868 श्रमिकों का रू. 62.69 लाख की मजदूरी का भुगतान एक से छः माह विलम्ब से किया गया

(कंडिका 3.3.10.1)

श्रमिकों को कार्य अवधि के पूर्व ही मजदूरी राशि रू. 2.83 लाख का भुगतान किया गया । मस्टर रोल्स की अवधि समाप्ति के पूर्व ही किये गये भुगतान की प्रामाणिकता संदेहास्पद थी ।

(कंडिका 3.3.10.1)

3.3.1 प्रस्तावना

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांरटी अधिनिमय, 2005 ग्रामीण क्षेत्र के ऐसे प्रत्येक परिवार को जिसके सदस्य अकुशल शारीरिक श्रम करने को तैयार हैं एक वित्त वर्ष के दौरान 100 दिन का गांरटीशुदा रोजगार उपलब्ध कराता है । अधिनियम राज्य के 18 जिलों[30] में 2 फरवरी 2006 से प्रभावशील हुआ। इस अधिनयम के अंतर्गत प्रत्येक राज्य में एक "राज्य

30 *बालाघाट, बड़वानी, बैतूल, छतरपुर, धार, डिंडोरी, झाबुआ, खंडवा, खरगोन, मंडला, सतना, सिवनी शहडोल, श्योपुर, शिवपुरी, सीधी, टीकमगढ़ एवं उमरिया*

ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना" का गठन किया जाना है। तद्नुसार योजना "मध्यप्रदेश ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना" के नाम से निष्पादित की गई है । अधिनियम, ग्रामीण परिवारों को स्थानीय ग्राम पंचायतों से पंजीकृत होने एवं रोजगार प्राप्त करने का अधिकार प्रदान करता है। आवेदक द्वारा रोजगार की माँग किये जाने के 15 दिनों के भीतर उसे रोजगार उपलब्ध कराया जायेगा अन्यथा राज्य शासन द्वारा निर्धारित दर से उसे बेरोजगारी भत्ते का भुगतान किया जावेगा । यह केन्द्र एवं राज्य के बीच लागत बटवारा पद्धति पर आधारित एक केन्द्र प्रवर्तित योजना है।

3.3.2 कार्यक्रम के उद्देश्य

योजना का प्राथमिक उद्देश्य ग्रामीण इलाकों के परिवारों को एक वित्त वर्ष के दौरान 100 दिन का वैधानिक गारंटीशुदा रोजगार उपलब्ध कराना एवं ग्रामीण जनता तथा ग्राम पंचायतों के लिए स्थायी परिसम्पत्तियों का सृजन करना है। कार्यक्रम के अन्य उद्देश्य पर्यावरण की रक्षा करना, ग्रामीण महिलाओ का सशक्तिकरण तथा गाँवों से शहरों की ओर होने वाले पलायन को कम करना तथा सामाजिक समानता को बढ़ावा देना है ।

3.3.3 संगठनात्मक संरचना

ग्रामीण स्तर पर योजना का क्रियान्वयन ग्राम पंचायत द्वारा किया गया था । कार्यक्रम अधिकारी जनपद ग्राम पंचायतों तथा अन्य कार्यनिष्पादन करने वाली ऐजेंसियो द्वारा किये गये कार्यो के समन्वय के लिए उत्तरदायी थे । जबकि जिला स्तर पर जिला कार्यक्रम समन्वयक योजना के सम्पूर्ण क्रियान्वयन एवं समन्वयन हेतु जिम्मेदार था । राज्य रोजगार गारंटी परिषद योजना के क्रियान्वयन, अनुवीक्षण एवं मूल्याकंन के संबंध में राज्य शासन को सलाह देने के लिए थी। आयुक्त, राज्य रोजगार गारंटी परिषद, अधिनियम के सभी उद्देश्ययों की पूर्ति हेतु वांछित क्रियाविधियों को विनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी था।

3.3.4 लेखा परीक्षा के उद्देश्य

निष्पादन लेखापरीक्षा के उद्देश्य यह निर्धारित करने के लिए थे कि क्याः-

- मध्यप्रदेश शासन द्वारा योजना बनाने,उसके क्रियान्वयन एवं परिणामों के मूल्यांकन/अनुवीक्षण हेतु प्रभावशील प्रारंभिक कदम उठाये गये थे।
- ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले परिवारों को एक वित्तीय वर्ष के दौरान 100 दिनों का गारंटीशुदा रोजगार प्रदान करने संबंधी अधिनियम के उद्देश्य साथ ही साथ अन्य ध्यान में आये स्थायी परिणाम विभिन्न स्तरों पर प्राप्त किये गये।
- मार्ग निर्देशिका के अनुपालन में ग्रामीण परिवारों के पंजीयन,जॉब कार्डस् के आवंटन एवं रोजगार मुहैया कराने हेतु प्रभावशील क्रियाविधि अपनायी गयी थी।

- हितग्राही परिवारों को निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर से मजदूरी समय से प्राप्ति हुई।
- राशियाँ मितव्ययिता एवं दक्षता से खर्च की गयी।
- कार्यों का क्रियान्वयन बजट में निर्धारित समय में एवं लागत पर दक्षता पूर्वक किया गया था।
- योजना के विभिन्न पहलुओं जैसे - योजना बनाना, पंजीकरण एवं रोजगार प्रदाय करना, कार्यों का क्रियान्वयन, मजदूरी का भुगतान, एवं परिणामों के अनुवीक्षण एवं मूल्यांकन हेतु निर्धारित क्रियाविधियों एवं प्रणालियों का पालन किया गया।

3.3.5 लेखापरीक्षा समावेशन

कार्यालय मध्यप्रदेश ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद,भोपाल, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायतें बड़वानी, डिंडौरी, धार, झाबुआ एवं सीधी, कार्यक्रम अधिकारी, जनपद पंचायतें[31] एवं 4 ग्राम पंचायतें प्रत्येक चयनित जनपद से 4 ग्राम पंचायतों के योजना संबंधी अभिलेखों अवधि फरवरी 2006 से मार्च 2007, की नमूना जाँच फरवरी से सितम्बर 2007 के मध्य की गई।

3.3.6 वित्तीय प्रबंधन

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना एक केन्द्र प्रवर्तित योजना है। अकुशल मजदूरी की पूरी लागत केन्द्र शासन द्वारा वहन की जाती हैं । तथा कुशल एवं अर्द्ध कुशल मजदूरों की मजदूरी लागत एवं सामग्री परियोजना अधिकारियों, एवं उनके सहायक स्टाफ के प्रशासनिक व्यय, तथा कार्यस्थल पर प्रदाय की जाने वाली सुविधाओं आदि पर व्यय का वहन केन्द्र सरकार एवं राज्य शासन द्वारा 75:25 के अनुपात में किया जाता है। राज्य शासन, द्वारा बेरोजगारी भत्ता एवं राज्य रोजगार गारंटी परिषद के प्रशासनिक व्यय का वहन किया जाना था।

केन्द्र सरकार, द्वारा योजना के क्रियान्वयन हेतु राशियाँ सीधे जिले को जारी की जाती हैं। योजना के क्रियान्वयन हेतु जिला, जनपद एवं ग्राम पंचायत स्तर पर एक अलग से बैंक खाता खोला जाना था। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत प्रावधानित राशियों का किसी भी परिस्थिति में अन्य प्रयोजनों हेतु उपयोग नहीं किया जाना था।

3.3.6.1 वित्तीय निष्पादन

राज्य में योजना पर फरवरी 2006 से मार्च 2007 के दौरान 2143.55 करोड़ रूपये की प्राप्ति के विरूद्ध कुल 1,862.69 करोड़ रूपये व्यय किये गये। नमूना जाँच हेतु चयनित जिलों का वित्तीय निष्पादन निम्नानुसार था:-

31 *राजपुर, ठिकरी(बड़वानी), बजाग, समनापुर (डिंडोरी), बदनावर, नालछा (धार) कठ्ठीवाड़ा, रामा (झाबुआ), चितरंगी एवं देवसर (सीधी)*

(राशि रू. करोड़ में)

जिले का नाम	कुल प्राप्त राशि	प्रगति प्रतिवेदन में दर्शाया गया व्यय	जनपद पंचायतों/ग्राम पंचायतों के बैंक खातो में शेष राशि	वास्तविक व्यय कालम (3-4)
1	2	3	4	5
बडवानी	130.01	110.20	उपलब्ध नहीं	-
डिंडोरी	112.97	110.09	30.85	79.24
धार	185.57	173.27	13.81	159.46
झाबुआ	120.93	114.75	23.73	91.02
सिधी	141.40	139.81	18.25	121.56

भारत सरकार को प्रेषित मासिक प्रगति प्रतिवेदनों में प्रतिवेदित व्यय वास्तविक व्यय न होकर जिलों द्वारा जनपद पंचायतों/ग्राम पंचायतों को जारी की गयी राशियां थी। क्रियान्वयन एजेन्सियों के पास 86.64 करोड़ रूपये का शेष अनुप्रयुक्त पड़ा था

3.3.6.2 सामग्री पंजी का संधारण न किया जाना

प्रगति प्रतिवेदन के अनुसार राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत राज्य एवं नमूना जाँच किये जिलों में सामग्री मद पर क्रमशः रू0. 566.58 करोड़ एवं रू0. 205.63 करोड़ व्यय किये गये। भंडार/सामग्री पंजियों का किसी भी स्तर पर संधारण किया जाना नहीं पाया गया। नमूना जाँच किये गयें जिलों के एम.आई.एस. में सामग्री मद की प्रविष्टि नहीं की गई थी । प्रगति प्रतिवेदनों में सामग्री-मजदूरी घटक के आकंड़ो की गणना वह थी जो निर्धारित प्रतिशत का प्रयोग कर गणना किये आंकड़ों से बनी थी ।

3.3.6.3 मासिक लेखों का बंदीकरण न किया जाना

मुख्य कार्यपालन अधिकारियों, जिला पंचायत बड़वानी, डिंडोरी, धार, झाबुआ, एवं सीधी तथा चयनित जनपद पंचायतों एवं ग्राम पंचायतों के अभिलेखों की नमूना जाँच में पाया गया कि किसी भी स्तर पर मासिक लेखों का बंदीकरण नहीं किया गया था। यहाँ तक कि वित्तीय वर्ष 2006-07 की समाप्ति के उपरांत भी रोकड़ बही एवं बैंक खातों के बीच राशियों का समाशोधन नहीं किया गया था ।

3.3.6.4 कार्यक्रम अधिकारी के माध्यम से निधियों का जारी किया जाना

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के प्रावधानों के अन्तर्गत जिला कार्यक्रम समन्वयक द्वारा योजना के क्रियान्वयन हेतु एक सप्ताह के भीतर 50 प्रतिशत राशि सीधे ग्राम पंचायतों के बैंक खातों में जारी की जानी थी ।

कार्यक्रम अधिकारी के माध्यम से ग्राम पंचायतों को निधियां वितरित करने से ग्राम पंचायतों को एक से आठ माह की देरी ।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत बड़वानी एवं सीधी के अभिलेखों की नमूना जाँच मे पाया गया कि क्रमशः राशि रू0. 70.77 करोड़ एवं रू0. 126.90 करोड़ की निधि सीधे ग्राम पंचायतों के खातों में जारी न कर कार्यक्रम अधिकारी के माध्यम से की गई थीं। इसके कारण पानसेमल, राजपुर एवं चितरंगी के कार्यक्रम अधिकारियों द्वारा ग्राम पंचायतों को निधि प्रदान करने में एक से आठ माह का विलंब हुआ।

इंगित किये जाने पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायतों एवं कार्यक्रम अधिकारियों द्वारा उत्तर दिया गया कि कार्यों की प्रगति एवं ग्राम पंचायतों की माँग के आधार पर ही राशियाँ ग्राम पंचायतों के खातों में जमा की गई थीं। तथापि अप्रैल 2007 से राशियाँ सीधे ग्राम पंचायतो के खातों में जमा की जा रही थी।

3.3.7 नियोजन

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के सफलतापूर्वक क्रियान्वयन के लिये आवश्यक है कि रोजगार की मांग समय पर पूरी हों, कार्यों का चयन योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार किया जाये, स्थायी परिसंपत्तियों का सृजन किया जा सके तथा श्रमिकों को समय पर भुगतान हो । इसके लिये उचित योजना समन्वय, पर्यवेक्षण एवं अनुवीक्षण आवश्यक है । इस सम्बन्ध में पाई गई कमियों का वर्णन निम्नानुसार हैं

3.3.7.1 ग्राम पंचायतों द्वारा वार्षिक कार्य योजना तैयार न किया जाना-

ग्रामसभा की अनुशंसा पर प्रत्येक ग्राम पंचायत को वार्षिक कार्य योजना तैयार करनी है। जिससे मजदूरों की मांग, प्रस्तावित संख्या तथा कार्यों की संख्या एवं प्राथमिकता का निर्धारण किया जाता है। प्रत्येक ग्राम पंचायत को ग्राम सभा की अनुशंसा के आधार पर मजदूरो की मांग,प्रस्तावित संख्या,किये जाने वाले कार्यों की प्राथमिकता का आंकलन करते हुए वार्षिक कार्ययोजना तैयार करनी होती है । कार्य योजना ग्राम पंचायत द्वारा उन 50 प्रतिशत कार्यो जो उनके क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं जिनका क्रियान्वयन ग्राम पंचायत द्वारा किया जाना है, की पहचान की जावेगी। अभिलेखों की नमूना जाँच करने पर पाया गया कि मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत बड़वानी, डिंडौरी, धार, झाबुआ और सीधी द्वारा एक पांच वार्षिक जिला परिप्रेक्ष्य योजना सलाहकारों द्वारा तैयार की गई हैं। ग्राम पंचायत स्तर पर कोई अलग से वार्षिक योजना तैयार नहीं की गई । वर्ष 2006-10 के लिये परिप्रेक्ष्य योजना, में दर्शाये गये कार्यों में से ही वर्ष 2006-07 के कार्यों को लेकर क्रियान्वित किया गया । इसी प्रकार अन्य क्रियान्वयन एजेंसियों द्वारा प्रस्तुत कार्य योजनाएं जिला/जनपद पंचायत स्तर पर शेल्फ ऑफ प्रोजेक्ट में शामिल किये गये थे जो कि ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित नहीं थे, स्वीकृत किये गये तथा क्रियान्वित किये गये ।

3.3.7.2 कार्यों के क्रियान्वयन हेतु समयावधि का निर्धारण न किया जाना

कार्यों के अनुमोदन, तैयारी एवं जाँच हेतु किसी समय सीमा का निर्धारण नहीं किया गया था । इस कारण मार्च से जून 2006 में स्वीकृत कार्य मार्च 2007 के अन्त में अपूर्ण रह गये थे।

3.3.7.3 पंजीकरण -

रा.ग्रा.रो.गा.अ. के अन्तर्गत प्रत्येक परिवार के सभी वयस्क सदस्य जो अकुशल शारीरिक श्रम करने को तैयार हों, पंजीकरण हेतु योग्य थे । ग्राम पंचायतों से अपेक्षा है कि सत्यापन पश्चात् पंजीकरण रजिस्टर में सभी विवरण अंकित कर प्रत्येक पंजीकृत परिवार को जॉब कार्ड जारी करेंगी ।

मार्च 2007 तक राज्य में कुल 44,46,195 (अनुसूचित जाति 6,34,035 अनुसूचित जनजाति 18,31,978 एवं अन्य 19,80,182) परिवारों को पंजीकृत किया गया । नमूना जांच किए गये जिलों की स्थिति निम्नानुसार थी:-

स.क्र.	जिले का नाम	पंजीकृत एवं जॉब कार्ड जारी करने वाले परिवारों की संख्या			
		अ.जा.	अ.ज.जा	अन्य	योग
1	बड़वानी	20315	169145	37301	226761
2	डिंडौरी	10109	105360	54211	169680
3	धार	31599	182559	110140	324298
4	झाबुआ	8000	256000	12000	276000
5	सीधी	76697	153395	196011	426103
	योग	**1,46,720**	**8,66,459**	**4,09,663**	**14,22,842**

परिवारों के पंजीकरण एवं जॉब कार्ड जारी करने में निम्नलिखित अनियमितताएँ पायी गई हैं:-

अवयस्कों के नाम जॉब कार्डों में पाये गये

- अवयस्कों को अधिनियम के प्रावधानों के विरूद्ध जॉब कार्डस में शामिल किया गया है ।

- जॉब कार्डस एवं जॉब कार्ड रजिस्टर पर सभी सदस्यों के फोटों जॉब कार्ड जारी होने के तीन माह के भीतर चस्पा किये जाने चाहिये। किन्तु अधिकतम प्रकरणों में फोटो चस्पा नहीं किये गये जो निम्नानुसार है:-

क्रं.सं	जिले का नाम	कुल जॉब कार्डस जारी किये गये	फोटो चस्पा नहीं किये गये प्रकरणों की संख्या
1.	बड़वानी	2,26,596	44,883
2.	झाबुआ	2,76,446	45,593
3.	सीधी	4,26,103	57,608

जॉब कार्ड पर फोटो चस्पा न किये जाने की स्थिति में लाभप्राप्तकर्ता की पहचान करना कठिन है ।

3.3.7.4 रोजगार

पंजीकृत व्यक्तियों से अपेक्षा थी कि रोजगार की माँग के लिए आवेदन पत्र ग्राम पंचायत/कार्यक्रम अधिकारी के पास जमा कराया जाएगा। आवेदक को एक पावती जिस पर पावती की दिनांक अंकित हो जारी की जाएगी। आवेदन प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर ग्राम पंचायत/कार्यक्रम अधिकारी रोजगार प्रदाय करने हेतु जिम्मेदार होगा।

रोजगार प्रदाय पंजी एवं रोजगार मांग पंजी का संधारण न किया जाना

अधिकतर ग्राम पंचायतों में रोजगार मांग एवं रोजगार प्रदाय पंजी का संधारण उचित रूप से नहीं किया गया था । बिना दिनांक के आवेदन पत्र प्राप्त किये गये तथा उन्हें रोजगार मांग पंजी में दर्ज नहीं किया गया था । अधिकतर प्रकरणों में रोजगार मांग एवं रोजगार प्रदाय की अवधि की प्रविष्टि निर्धारित पंजी में नहीं की गई। इस कारण यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि कितने श्रमिकों द्वारा कितने दिनों हेतु कार्य की मांग की गई । (लाइनडिपार्टमेण्ट) अन्य क्रियान्वयन एजेन्सियों द्वारा भी रोजगार मांग एवं रोजगार प्रदाय पंजी का संधारण नहीं किया गया ।

3.3.7.5 सभी परिवारों को 100 दिन का रोजगार प्रदाय न हो सकना ।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी; राज्य रोजगार गारंटी परिषद भोपाल के अभिलेखों की नमूना जाँच में पाया गया कि 28.69 लाख परिवारों (44.46 लाख पंजीकृत में से) द्वारा रोजगार की मांग की गई । इन परिवारों में से वित्त वर्ष 2006-07 में 5.32 लाख परिवारों को 100 दिनों का रोजगार प्रदाय किया गया तथा औसत परिवारों को केवल 67 दिनों का रोजगार प्रदाय किया गया है। लेखापरीक्षा जांच में पाया गया कि जनपद पंचायत एवं क्रियान्वयन एजेन्सीयों[32] के कुछ प्रकरणों में वर्ष 2006-07 के दौरान 114 परिवारों को 100 दिनों से अधिक का रोजगार दिया गया । नमूना जांच किये गये जिलों की स्थिति निम्नानुसार थीः-

स. क्र.	जिले का नाम	कुल पंजीकृत परिवार	परिवारों द्वारा रोजगार की मांग	100 दिन का रोजगार उपलब्ध परिवार
1	बड़वानी	226761	1,46,495	3,117(2 प्रतिशत)
2	धार	324298	1,99,583	26,265(13 प्रतिशत)
3	डिंडौरी	169680	1,30,037	14,217(11 प्रतिशत)
4	झाबुआ	276000	1,80,000	51,000(28 प्रतिशत)
5	सीधी	426103	3,08,995	1,12,622(36 प्रतिशत)

नमूना जाँच किये गये जिलों में बडवानी में 79 दिन, धार में 87 दिन,डिण्डोरी में 82 दिन, झाबुआ में 68 दिन तथा सीधी में 72 दिन का औसत रोजगार था । यहां उल्लेख करना महत्वपूर्ण होगा कि निम्नानुसार बड़ी संख्या में कार्य या तो प्रारंभ नहीं किये गये अथवा पूर्ण नहीं हुए :

32 *नालछा (धार), राजपुर (वड़वानी), वन संरक्षक अनुसंधान एवं विस्तार वृत्त झाबुआ; कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी विभाग -1 एवं 2 झाबुआ और जल संसाधन अलीराजपुर*

(रू. करोड़ में)

जिला	कार्य प्रारंभ न होना		कार्य पूर्ण न होना	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि
बड़वानी	--	--	4105	55.28
धार	16	0.31	8586	107.35
डिंडौरी	--	--	5064	33.03
झाबुआ	--	--	7030	70.83
सीधी	2284	14.24	11155	61.75
योग	**2300**	**14.55**	**35940**	**328.24**

अतः वर्ष में कार्य प्रारंभ न करने / कार्यों के अपूर्ण रहने से सभी परिवारों को निर्धारित 100 दिनों का रोजगार उपलब्ध नहीं किया जा सका ।

3.3.8 कार्य और उनका क्रियान्वयन

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध कराना एवं स्थाई परिसंपत्तियों का निर्माण करना है । अधिनियम में इस हेतु किये जाने वाले कार्यों को बताया गया है । अधिनियम में कार्यों को करने हेतु ठेकेदारों के प्रयोग की मनाही है ।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांरटी योजना के अन्तर्गत अप्राधिकृत कार्यों की स्वीकृति दी गई एवं क्रियान्वयन किया गया । ऐसे कार्यों पर राशि रू. 1.17 करोड़ व्यय किया गया ।

3.3.8.1 राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अन्तर्गत अप्राधिकृत कार्यों को स्वीकृत एवं क्रियान्वयन किया जाना ।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत बड़वानी; डिंडौरी; धार, झाबुआ एवं सीधी के अभिलेखों की नमूना जाँच करने पर प्रकट हुआ कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांरटी योजना में जो कार्य प्रावधानित नही थे उनका क्रियान्वयन वित्त वर्ष 2006-07 में निम्नानुसार किया गया-

(राशि लाख में)

सं. क्र.	इकाई का नाम	कार्यों का नाम	व्यय राशि	अभियुक्तियां
1.	सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी, धार	सिचांई तालाब का निर्माण	23.64	अधिनियम के विरूद्ध कार्य ठेके पर कराया गया ।
2.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत धार,, सीधी	कलेक्टर के सभाकक्ष; मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत के कक्ष एवं कम्प्यूटर कक्ष में सुधार कार्य	9.16	2 प्रतिशत प्रशासकीय व्यय से व्यय किया गया ।
3.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत देवसर सीधी	सीमेन्ट कांक्रीट कार्य	24.55	पंचायतों से संबंधित परिसम्पत्तियों का निर्माण नहीं
4.	निदेशक; संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, सीधी	सीमेन्ट कांक्रीय कार्य	39.21	बनाई परिसंपत्तिया राष्ट्रीय उद्यान की होगी ।
5.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, सीधी	जेट्रोफा पौधारोपण में हार मोन्स का छिडकाव	20.80	कार्य ठेकेदार से अधिनियम के विरूद्ध कराया गया ।
	योग		117.36	

इस प्रकार राशि रू. 1.17 करोड़ का व्यय अधिनिमय के प्रावधानों के विपरीत किया गया । मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत द्वारा अपने उत्तर में कहा गया कि कार्य संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना एवं काम के बदले अनाज योजना के शेल्फ ऑफ प्रोजेक्ट से चयन किये गये थे तथा ग्रामीण जॉब कार्ड धारियों की माँग पर किये गये थे। उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि जिला पंचायतों को सुनिश्चित करने की आवश्यकता थी कि योजना पर किया गया व्यय अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार किया गया है ।

3.3.8.2 राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांरटी योजना के अन्तर्गत स्वीकृत कार्य छोड़ दिये गये/क्रियान्वित नही किये गये।

रा.ग्रा.रो.गा.यो. के अन्तर्गत 40 कार्य स्वीकृत थे जो या तो छोड़ दिये गये थे या क्रियान्वित नहीं किये गये ।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत धार, झाबुआ एवं सीधी के अभिलेखों की नमूना जाँच करने पर पाया गया कि राशि रू.4.23 करोड़ के 40 कार्य राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अन्तर्गत वित्त वर्ष 2006-07 के अन्तर्गत स्वीकृत किये गये थे। ये कार्य या तो छोड़ दिये गये अथवा क्रियान्वित ही नहीं किये गये ।

प्राधिकारियों ने सूचित किया कि कार्य प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अर्न्तगत स्थानांतरित किये गये। उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि ऐसे कार्यों का चयन राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांरटी योजना के अन्तर्गत नहीं किया जाना चाहिये था । अतः कार्यों के त्रुटिपूर्ण चयन से जारी की गई राशि रू. 1.92 करोड़ अनुपयोगी रही ।

3.3.9 मस्टर रोल तैयार करने में अनियमितताएं-

मस्टर रोल की नमूना जाँच में निम्नलिखित अनियमितताएँ पायी गईः-

3.3.9.1 मस्टर रोल जारी होने के पूर्व कार्य प्रारंभ करना-

रा.ग्रा.रो.गा.यो. के कार्यों के मस्टर रोल की नमूना जांच में पाया गया कि ग्राम पंचायतों एंव अन्य क्रियान्वयन एजेन्सीयों द्वारा कार्यक्रम अधिकारी से मस्टर रोल प्राप्त होने के पूर्व ही कार्य प्रारंभ कर दिये गये । इन एजेन्सीयों द्वारा मस्टर रोल या तो कार्य प्रारंभ के पश्चात अथवा मस्टररोल में दर्शाई गई कार्य अवधि पूर्ण होने के पश्चात प्राप्त किये गये। इस प्रकार के मस्टर रोल पर 24282 श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान राशि रू. 15.38 लाख संवितरित की दर्शाई गई । इस प्रकार के विलम्ब की परिणिति कदाचार को जन्म दे सकती है ।

3.3.9.2 अवयस्कों को कार्य पर नियोजित किया गया ।

पंजीकृत परिवारों के 286 अवयस्क श्रमिकों को कार्य पर नियोजित कर राशि रू.1.13 लाख मजदूरी का भुगतान किया गया ।

कार्यक्रम अधिकारी बजाग (डिंडौरी), बदनावर (धार); झाबुआ और रामा (झाबुआ), कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवाएं संभाग I एवं II झाबुआ के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि पंजीकृत परिवारों के 286 अवयस्क सदस्यों को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांरटी योजना के कार्यों पर नियमित रूप से नियोजित किया गया था तथा राशि रू. 1.13 लाख मजदूरी का भुगतान किया गया था। यह अधिनियम के प्रावधानों के विरूद्ध था ।

कार्यक्रम अधिकारी द्वारा बताया गया गया कि संबंधित ग्राम पंचायतों से जानकारी प्राप्त कर सुनिश्चित किया जाएगा । कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवाएं संभाग-2 झाबुआ द्वारा अपने उत्तर में कहा कि जॉब कार्ड, गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की (बी.पी.एल) सर्वेक्षण रिर्पोट वर्ष 2002-03 के आधार पर तैयार किये गये थे । बी.पी.एल. सर्वे रिपोर्ट के अधीन जॉब कार्ड में शामिल अवयस्क अब बालिग हैं । उत्तर संतोषप्रद नहीं था क्योंकि पंजीकरण के समय पंजीकृत सदस्यों की वास्तविक उम्र ही जॉब कार्ड में दर्ज की जानी थी ।

3.3.9.3 मस्टर रोल पर श्रमिकों के जॉब कार्ड क्रमांक अंकित नही किये गये

कुछ क्रियान्वयन एजेन्सियों के अभिलेखों की नमूना जाँच में पाया गया कि 3248 श्रमिकों के जॉब कार्ड क्रमांक मस्टर रोल पर दर्ज नहीं किये गये थे । उन्हें 13.07 लाख मजदूरी का भुगतान किया गया (**परिशिष्ट -3.2**)। मस्टररोल में जॉब कार्ड क्रमांक दर्ज न करने की अवस्था में, यह सत्यापित नहीं किया जा सकता है कि भुगतान उपयुक्त व्यक्ति को ही किया गया है । इस ओर इंगित करने पर एक क्रियान्वयन एजेन्सी कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवाएं झाबुआ ने अपने उत्तर में कहा कि मस्टररोल पर जॉब कार्ड क्रमांक दर्ज नही हो सके, क्योंकि कुछ जॉब कार्ड तैयार हो रहे थे तथा ग्राम पंचायतों ने श्रमिकों को जारी नहीं किये थे ।

3.3.9.4 एक ही समय के मस्टर रोल्स पर समान श्रमिकों द्वारा एक अथवा अन्य कार्यस्थलों पर कार्य करना

मस्टर रोल एक उपस्थिति पंजी है जो कि किसी निर्धारित कार्यस्थल एवं निर्धारित अवधि की उपस्थिति दर्शाती हैं । इसमें कार्य पर उपस्थित श्रमिकों का पूर्ण विवरण जैसे कार्य पर श्रमिकों का नाम, जॉब कार्ड क्रमांक उम्र गांव का नाम कार्य प्रारंभ के प्रथम दिन ही दर्ज किया जाता है । मस्टर रोल में श्रमिकों द्वारा किये गये कार्य दिवसों की संख्या एवं उनको किया गया मजदूरी का भुगतान को भी दर्शाया जाता है ।

96 श्रमिक एक से अधिक वार एक ही अथवा अन्य कार्यस्थल पर एक ही कार्य अवधि में मस्टर रोल्स में दर्शाये गये हैं । ऐसे श्रमिकों को रू. 0.99 लाख का मजदूरी भुगतान किया गया ।

मस्टर रोल की नमूना जाँच में पाया गया कि 96 श्रमिकों के नाम को एक ही समयावधि में मस्टर रोल्स में एक अथवा अन्य कार्यस्थलों पर कार्यरत दर्शाया गया । इन्हें राशि रू. 0.99 लाख मजदूरी का भुगतान 800 दिनों की उपस्थिति हेतु किया गया था । यह प्रविष्टयाँ जनपद पंचायतों बजाग डिंडौरी (22 व्यक्ति); बदनावर धार (09 व्यक्ति) ग्रामीण यांत्रिकी सेवाएं संभाग-2 झाबुआ (42 व्यक्ति) एवं कार्यक्रम अधिकारी मध्य प्रदेश ग्रामीण आजीविका योजना डिंडौरी (23 व्यक्ति) के ग्राम पंचायतों के मस्टर रोल्स में दर्ज की गई थी । क्योंकि कोई एक श्रमिक एक दिन एक ही कार्यस्थल पर कार्य कर सकता है; उसकी उपस्थिति अन्य मस्टर रोल पर संभव नहीं थी । ऐसी दोहरी उपस्थिति उपयंत्री अथवा अनुविभागीय अधिकारी द्वारा श्रमिकों की उपस्थिति के सत्यापन, मजदूरी भुगतान के दौरान तथा जिला प्राधिकारियों द्वारा निर्माणाधीन कार्यो के निरीक्षण के दौरान भी अभिज्ञान में नहीं ली जा सकी । यह सक्षम अधिकारियों का क्रियान्वयन एजेन्सियों पर नियंत्रण में कमी होना दर्शाता है ।

3.3.9.5 मस्टर रोल में पायी गई अन्य अनियमिततायें

ग्राम पंचायतों/अन्य क्रियान्वयन एजेन्सियों द्वारा मस्टर रोल के संधारण में पायी गई अन्य अनियमितायें निम्नानुसार है:-

- मस्टर रोल पर मस्टर रोल जारी करने का दिनांक अंकित नहीं किया गया था ।
- मस्टर रोल पर कार्य का कोड नम्बर अंकित नहीं किया गया ।
- मस्टर रोल पर मजदूरों की उम्र एवं ग्राम का नाम अंकित नहीं पाया गया ।
- सचिव/सरपंच द्वारा भुगतान का प्रमाण पत्र मस्टर रोल पर अंकित नहीं किया गया ।
- अधिकांश मस्टर रोल पर कार्य का माप/मूल्यांकन अंकित नहीं किया गया ।

3.3.10 मजदूरी

योजना के अतंर्गत कार्य करने वाला प्रत्येक व्यक्ति राज्य शासन द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर से मज्दूरी पाने का हकदार है । मजदूरी का साप्ताहिक आधार पर भुगतान किया जाना चाहिए । निम्नलिखित अनियमितताएँ प्रकाश में आई:

3.3.10.1 मजदूरी भुगतान में विलम्ब

अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत 13868 मजदूरों को रू. 62.69 लाख मजदूरी का एक से छः माह के विलम्ब से भुगतान किया गया ।

बड़वानी, डिंडौरी, धार, झाबुआ एवं सीधी जिले के कार्यक्रम अधिकारियों/ ग्राम पंचायतों के अभिलेखों की नमूना जाँच में पाया गया कि इन जिलों में 13868 मजदूरों को रू. 62.69 लाख मजदूरी का भुगतान एक से छः माह के विलम्ब से किया गया (**परिशिष्ट - 3.3**) इंगित किये जाने पर यह उत्तर दिया गया कि कार्यों के माप लेने में विलम्ब होने के कारण मजदूरी का भुगतान समय से नहीं किया जा सका । उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि सक्षम अधिकारी उपयंत्रियों को समय पर माप लेने हेतु जोर देने में असफल रहे जिससे कि निर्धारित समय सीमा में मजदूरी का भुगतान हो सके ।

आगे, कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग-I झाबुआ के अभिलेखों की समीक्षा में पाया गया है कि मस्टर रोल्स में काट छांट, ओव्हरराइटिंग तथा काट छांट हेतु सफेदा का उपयोग किया गया था । तीन निर्माण कार्यों (कार्य.यंत्री ग्रा.यां.से. संभाग-I झाबुआ, ग्रा.प. सरई (सीधी) एवं ग्रा.प. टाकली (बडवानी प्रत्येक में एक कार्य) में 2.83 लाख रूपये का श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान कार्य अवधि पूर्ण होने की दिनांक के पूर्व ही कर उसे मस्टर रोल में अंकित किया गया था ।

3.3.11 निरीक्षण, अनुवीक्षण एवं मूल्यांकन

निर्धारित मानंदड के अनुसार निरीक्षण नहीं किया गया । जिला एंव जनपदवार कोई अध्ययन नहीं किया गया

राज्य शासन द्वारा निरीक्षण के लिए राज्य स्तर- दो प्रतिशत, जिला स्तर- दस प्रतिशत, जनपद एवं ग्राम पंचायत स्तर 100 प्रतिशत मानदण्ड निर्धारित किये गये थे । योजना के क्रियान्वयन का अनुवीक्षण राष्ट्रीय गुणवत्ता अनुवीक्षकों, राज्य गुणवत्ता अनुवीक्षकों, द्वारा किया जाना था तथा अनुवीक्षक एवं गहन अनुवीक्षण सूचना प्रणाली का भी विकास

किया जाना था । निष्पादन के आधार पर जिला एवं जनपद की वार्षिक श्रेणी निर्धारित करने के लिए जिला एवं जनपदवार मूल्यांकन अध्ययन किया जाना था ।

चयनित जिला पंचायत/जनपद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी/कार्यक्रम अधिकारी के अभिलेखों की नमूना जाँच में पाया गया कि जिला एवं जनपद पंचायत स्तर पर निर्धारित मानदंड के अनुसार निरीक्षण नहीं किया गया । निरीक्षण एवं अनुवीक्षण पंजी का किसी भी स्तर पर संधारण नहीं किया गया । राष्ट्रीय गुणवत्ता अनुवीक्षक एवं राज्य गुणवत्ता अनुवीक्षक के निरीक्षण प्रतिवेदनों पर कोई कार्यवाही नहीं की गई । राज्य रोजगार गारंटी परिषद/जिला कार्यक्रम समन्वयक द्वारा जिला एवं जनपदवार अध्ययन नहीं किया गया जिससे राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांरटी योजना के निष्पादन के संबंध में जिला एवं जनपद स्तर पर निर्धारण नहीं किया जा सका ।

मुख्य कार्यपालन अधिकारियों/कार्यक्रम अधिकारियों द्वारा यह उत्तर दिया गया कि वार्षिक श्रेणी के निर्धारण के लिए निरीक्षण संबंधी अभिलेख संधारित किये जायेगें ।

3.3.12 सामाजिक लेखा परीक्षा एवं शिकायत निवारण

3.3.12.1 सामाजिक लेखा परीक्षा का न किया जाना

सामाजिक लेखा परीक्षा एक सतत् प्रक्रिया है और चल रहे कार्यों के लिए इसे ग्राम सभा या सतर्कता अनुवीक्षण समिति द्वारा नियमित रूप से किया जाना चाहिए । राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांरटी योजना की सामाजिक लेखा परीक्षा ग्राम स्तर पर प्रारम्भ नहीं की गयी। यहाँ तक कि ग्राम स्तर पर सामाजिक लेखा परीक्षा फोरम का निर्माण भी नहीं किया गया ।

3.3.12.2 आंतरिक लेखा परीक्षा का न किया जाना

यद्यपि राज्य एवं जिला स्तर पर आंतरिक लेखा परीक्षा सेल की स्थापना की गई तथापि जिला लेखा परीक्षा सेल द्वारा कोई आंतरिक लेखापरीक्षा नहीं की गयी ।

3.3.12.3 मस्टर रोल का सत्यापन न किया जाना

जिला अधिकारियों द्वारा ग्रामीण विकास मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा वांछित मस्टर रोल का सत्यापन कार्य नहीं किया गया ।

ग्रामीण विकास मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा निर्देश जारी किये गये (1 मई 2007) कि 1 जून 2007 से मस्टर रोल की सत्यता की जाँच हेतु एक समयबद्ध अभियान चलाया जाये तथा जिला कार्यक्रम समन्वयक द्वारा किये गये सत्यापन एवं उन पर की गई कार्यवाही का विस्तृत प्रतिवेदन वेवसाइट www.nrega.nic.in पर रखा जायेगा तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय को दिनांक 30 जून 2007 तक एक संक्षिप्त प्रतिवेदन भेजा जायेगा

चयनित जिलो कें मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायतों के अभिलेखों की नमूना जाँच में पाया गया कि जिले में मस्टर रोल सत्यापन का कार्य नहीं किया गया । यहाँ तक कि राज्य रोजगार गांरटी परिषद द्वारा भी इन सभी जिलों में मस्टर रोल के सत्यापन हेतु कोई आगामी निर्देश जारी नहीं किये गये ।

3.3.12.4 भुगतान किये गये मस्टर रोल की छाया प्रति कार्यक्रम अधिकारियों को प्रस्तुत न किया जाना

नमूना जांच किये गये चार जिलों में रू. 136.96 करोड़ (झाबुआ (रू. 33.17 करोड़), डिंडोरी (रू. 26.30 करोड़) बडवानी (रू. 48.17 करोड़) तथा सीधी (रू.29.32 करोड़)) लाइन विभागों को रा.ग्रा.रो.गा.यो. हेतु प्रदाय किये गये थे, परन्तु, जैसी आवश्यकता थी, भुगतान किये गये मस्टर रोल की छाया प्रतियां इन लाइन विभागों द्वारा कार्यक्रम अधिकारी को नहीं भेजी गई थी ।

ये मस्टर रोल लोक निरीक्षण के लिए उपलब्ध नहीं थे ।

3.3.13 निष्कर्ष

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांरटी योजना की समीक्षा दर्शाती है कि पृथक वार्षिक कार्ययोजना नहीं बनाई गई थी । परिवार के अवयस्क सदस्यों के नाम जॉब कार्डो में अंकित किये गये थे । रोजगार मांग एवं रोजगार प्रदाय पंजी का संधारण या तो नहीं किया गया था अथवा अपूर्ण था जिससे रोजगार की वास्तविक मांग तथा वास्तविक रोजगार प्रदाय की गणना सुनिश्चित नही की जा सकती थी । रा.ग्रा.रो.गा. योजना के कार्यो पर न केवल अवयस्क श्रमिकों को रोजगार उपबन्ध कराया गया वरन् एक ही श्रमिक को विभिन्न कार्य स्थलों पर एक ही कार्य अवधि में मस्टर रोल पर नियोजित किया गया था । कार्यो के माप समय पर न किये जाने के कारण मजदूरी के भुगतान में विलम्ब हुआ । योजनान्तर्गत किये गये निरीक्षण एवं अनुवीक्षण के अभिलेखों का संधारण नही किया गया था । वर्ष 2006-07 में आंतरिक लेखापरीक्षा नहीं की गई थी । रा.ग्रा.रो.गा.यो. के कार्यों का सामाजिक अंकेक्षण प्रारंभ नही किया गया था ।

3.3.14 अनुशंसाएँ

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना हेतु निम्नलिखित अनुशंसायें प्रस्तावित हैः-

- रोजगार की माँग तथा रोजगार प्रदाय पंजी का संधारण सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
- जॉब कार्ड में दर्शाये गये विवरण की सत्यता की समीक्षा की जानी चाहिए तथा परिवार के सदस्यों के फोटोग्राफ उन पर चस्पा किये जाने चाहिए ।
- अनुवीक्षण एवं निरीक्षण के अभिलेख प्रत्येक स्तर पर संधारित किये जाना चाहिए ।
- आन्तरिक लेखापरीक्षा शाखा को सुदृढ़ कर उनके द्वारा नियमित लेखा परीक्षा की जाना सुनिश्चित किया जाना चाहिए ।
- लाइन विभागों द्वारा भुगतान किये मस्टर रोल की छायाप्रतियॉ कार्यक्रम अधिकारी को नियमित रूप से भेजना चाहिये ।

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

3.4 गतिवर्धित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम

विशेषताएँ

भारत सरकार ने प्रगतिरत केन्द्र प्रवर्तित योजना - "गतिवर्धित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम" को सम्मिलित कर राष्ट्रीय पेयजल मिशन प्रारम्भ किया (फरवरी 1986)। इसका लक्ष्य राज्यों के सभी ग्रामों एवं बसाहटों में 40 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन सुरक्षित एवं पीने योग्य जल प्रदाय करना था।

यद्यपि यह प्रस्तावित था कि सभी बसाहटों को आठवीं योजना अवधि मे पेयजल व्यवस्था कर आठवीं योजना के अन्त तक कार्यक्रम समाप्त कर दिया जावेगा, किन्तु गतिवर्धित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम का क्रियान्वयन 1998-99 तक निरन्तर रहा। तथापि कार्यक्रम के यथा प्रस्तावित उददेश्यों को प्राप्त नहीं किया जा सका था। कार्यक्रम का क्रियान्वयन नौवीं योजना में भी जारी रहा ।

भारत सरकार ने प्रतिमानों में कुछ शिथिलता और अंर्तराज्यीय आवंटन कसौटी का परिवर्तन करते हुए 10 वीं योजना के वर्ष् 2004 तक सभी ग्रामीण बसाहटों को आच्छादित करने का निर्णय (29 जुलाई 2002) लिया था। तथापि, कार्यक्रम 10वीं योजना की समाप्ति यथा वर्ष् 2006-07 तक भी निरन्तर रहा। निष्पादन लेखापरीक्षा की कुछ मुख्य उपलब्धियां निम्नानुसार है-:

राज्य में गतिवर्धित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के कियान्वयन पर वर्ष् 1992 से 3045.64 करोड. रूपये के निवेश के उपरान्त भी 1,777 बसाहटों में पेय जल स्त्रोत नहीं थे तथा 14,840 आंशिक पूर्ण श्रेणी की बसाहटें शेष थी।

(कंडिका 3.4.6.2 तथा 3.4.6.4)

मध्यप्रदेश शासन न केवल न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत 118.73 करोड रूपये के समरूपी अंशदान देने में असफल रहा वरन् 165.33 करोड़ रुपये की गतिवर्धित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम की निधियों का 2002-07 के दौरान उपयोग करने में भी असफल रहा।

(कंडिका 3.4.6.2)

36,470 समस्यामूलक बसाहटों के पुर्निगमन ने कार्यक्रम के प्रभाव को निषेध किया।

(कंडिका 3.4.6.4)

आंशिक पूर्ण बसाहटों को अनाच्छादित बसाहटों से परे प्राथमिकता दी गई थी।

(कंडिका 3.4.6.4)

नल जल प्रदाय योजनाएं दो से तीन वर्षो में पूर्ण की जानी थी किन्तु 251.29 करोड़ रूपयो के निवेश के उपरान्त भी 813 योजनाएं अभी तक प्रगतिरत थी तथा 610 योजनाओं का कार्य प्रारम्भ नहीं था। नमूना जाँच किये गये 10 जिलों में अपूर्ण योजनाओं को प्राथमिकता भी नहीं दी गई थी।

(कंडिका 3.4.7.2)

निधियों की उपलब्धता के बावजूद, 6,837 बसाहटों की जनसंख्या अभी तक जलगुणवत्ता की समस्या से रूबरू है। अल्प जल गुणवत्ता अनुवीक्षण ने स्वास्थ्य जोखिम निर्मित किये।.

(कंडिका 3.4.8.1 तथा 3.4.8.3)

अपर्याप्त अनुरक्षण तथा वैज्ञानिक स्त्रोत निष्कर्ष प्रणालियों के अंगीकरण न करने के फलस्वरूप निष्क्रिय योजनाओं में 15.53 प्रतिशत तक असफल स्त्रोतों की वृद्धि हुई।

(कंडिका 3.4.8.5तथा 3.4.8.6)

2,890 स्वजलधारा योजनाओं में से केवल 728 योजनाएं पूर्ण की गई तथा 103 योजनाएं ग्राम जल एवं स्वच्छता समितियों को हस्तांतरित की गई। अपर्याप्त जन भागीदारी तथा ग्राम जल एवं स्वच्छता समितियों के अल्प कार्यकलाप संभागों की नमूना जॉच में परिलक्षित किये गये।

(कंडिका 3.4.9.2)

3.4.1 प्रस्तावना

3.4.1.1 कार्यक्रम की पृष्ठभूमि

सार्वजनिक पेयजल आपूर्ति प्रथमतःराज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। तथापि राष्ट्रीय कार्यसूची में वरीयता होनें से, इसने भारत सरकार के हस्तक्षेप को आकृष्ट किया जिसने राज्य सरकारों के प्रयासों के अनुपूरण हेतु शत प्रतिशत सहायता अनुदान सहित गतिवर्धित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम लागू किया (1972-73)। तथापि राज्य क्षेत्र के न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के 1974-75 में लागू होने पर गतिवर्धित जल आपूर्ति कार्यक्रम वापस ले लिया गया था। किन्तु जब चिन्हित समस्यामूलक ग्रामों [33]में सुरक्षित पेयजल आपूर्ति की प्रगति न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम में संतोषजनक नहीं पाई गई तब 1977-78 में कार्यक्रम तत्पश्चात् पुनर्जीवित किया गया। कार्यक्रम को मिशन रूप में लिया गया तथा 1986 में राष्ट्रीय पेय जल मिशन लागू किया गया जिसे तत्पश्चात् 1991 में राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन (रा.गा.रा.पे.मि.) से पुनर्नामित किया गया।

कार्यक्रम के अंतर्गत 40 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन सुरक्षित पेयजल तथा उन राज्यों में जो डेजर्ट विकास कार्यक्रम क्रियान्वित करते है - गर्म सर्द डेजर्ट पारिस्थितिक तंत्र के

33 *एक जनगणना ग्राम वह जिसके 1.6 किलोमीटर की परिधि के अंतर्गत सुनिश्चित पेयजल स्रोत उपलब्ध न हो या जहॉ पर उपलब्ध जल मे खारेपन, फलोराईड, लौहतत्व, संखिया, नाईट्रेट की अधिकता या अन्य विषैले तत्व या जहॉ बीमारियॉ जैसे हैजा इत्यादि की महामारी हो।*

पशुओं हेतु अतिरिक्त 30 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की दर से प्रावधान किया जाना था। मैदानी क्षेत्रों में बसाहट की 1.6 किलोमीटर की परिधि तथा पहाडी क्षेत्रों में 100 मीटर ऊंचाई के अन्तर्गत जल स्रोत उपलब्ध होना चाहिए था। प्रत्येक 250 व्यक्तियों के लिए 12 लीटर प्रति मिनट उत्सर्जन हेतु एक हैण्डपम्प या स्टैण्ड पोस्ट स्थापित किया जाना था। सुनिश्चित पेयजल स्रोत विहीन ग्रामों को प्राथमिकता, पश्चात् आंशिक पूर्ण श्रेणी के समस्यामूलक ग्रामों को आच्छादित किया जाना था।

कार्यक्रम में राज्य की सभी ग्रामीण बसाहटों को आठवीं योजना अवधि (1992-1997) में आच्छादित करने का प्रावधान था। तथापि यह पर्याप्त निधियों के अभाव तथा समस्यामूलक बसाहटों[34] के पुर्निगमन इत्यादि के कारण नौवीं योजना अवधि में भी प्राप्त नहीं किये जा सके थे। तथापि अप्रैल 1999 में भारत सरकार ने कार्यक्रम का पुर्नगठन तथा पर्याप्तता एवं सुरक्षा घटक जैसे अनाच्छादित/असुरक्षित स्रोत व आंशिक पूर्ण/सुरक्षित स्रोत तथा पूर्ण आच्छादित के संदर्भ में बसाहटों का पुनः वर्गीकरण किया था। तत्पश्चात सभी ग्रामीण बसाहटों को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु सामुदायिक भागीदारी के संस्थाकरण द्वारा पूँजीगत लागत तथा चालन एवं रखरखाव में भागीदारी के आधार पर चिन्हित पायलट जिलों में सेक्टर रिफॉर्म योजना संकल्पित कर लागू की गई। इसे बाद में स्वजलधारा कहा गया (25 दिसम्बर 2002)।

3.4.1.2 गतिवर्धित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम का विकास

व्यय सुधार आयोग की संस्तुति (12 सितम्बर 2001) को मान्य करते हुए भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय ने गतिवर्धित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम क्रियान्वयन हेतु प्रतिमानों में कुछ शिथिलता तथा अनाच्छादित/ आंशिकपूर्ण बसाहटों के लिये आवंटन कसौटी में वृद्धि करते हुए सभी ग्रामीण बसाहटों को 10 वीं योजना के वर्ष 2004 तक आच्छादित करने का निर्णय लिया (29 जुलाई 2002)। किन्तु प्रावधानित उददेश्यों की प्राप्ति नहीं हुई तथा गतिवर्धित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम 10 वीं योजना की समाप्ति (2007) के पश्चात भी निरन्तर रहा।

3.4.1.3 प्रमुख उद्देश्य एवं प्राथमिकताएं

भारत सरकार द्वारा संशोधित (अगस्त 2000 व जुलाई 2002) कार्यक्रम के प्रमुख उद्देश्य एवं प्राथमिकताएं इस तरह थीः-

- सभी ग्रामीण बसाहटों का आच्छादन सुनिश्चित करना विशेषतः जब सुरक्षित पेयजल सभी की पहुँच में हो;
- प्रभावित बसाहटों में जल गुणवत्ता की समस्या को सुलझाना;
- जलग्रहण क्षेत्र दृष्टिकोण से जलगुणवत्ता अनुवीक्षण एवं निगरानी के संस्थाकरण द्वारा जल गुणवत्ता का संरक्षण और

34 *20 परिवारों या 100 व्यक्तियों जो ज्यादा हो की स्थाई स्थापित जनसंख्या वाली सुरक्षित पेयजल स्रोत रहित ग्रामीण बसाहट।*

- प्रणालियों एवं स्त्रोतों की धारिता को सुनिश्चित करना:

3.4.2 संगठनात्मक स्वरूप

राज्य में गतिवर्धित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम क्रियान्वयन हेतु लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग (नोडल विभाग) जो प्रमुख अभियंता की अध्यक्षता तथा सचिव (लो. स्वा. या. विभाग) के प्रशासकीय नियंत्रण में है। इसके चार परिक्षेत्र हैं तथा प्रत्येक परिक्षेत्र मुख्य अभियन्ता की प्रमुखता में हैं; जिनका मुख्यालय भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर तथा इन्दौर है तथा यांत्रिकी स्कंध (Mechanical Wing) जो मुख्य अभियंता की प्रमुखता में भोपाल में स्थित है। राज्य के 48 जिलों में विभाग के 55 संभाग (48 सिविल एवं 7 यांत्रिकी) प्रत्येक कार्यपालन यंत्रियों की प्रमुखता में कार्यक्रम निष्पादन कर रहे है। .

3.4.3 लेखा परीक्षा के उददेश्य

निष्पादन लेखापरीक्षा के उददेश्य यह निर्धारित करना था कि:

- आच्छादन हेतु बसाहटों की चयन प्रणाली उपयुक्त एवं सक्षम थी।
- जल स्त्रोतों के चिन्हन हेतु सर्वेक्षण पर्याप्त एवं परिणामोन्मुख था।
- निधि प्रबन्धन सक्षम एवं कार्यक्रम के लिए भारत सरकार दिशानिर्देशों के अनुसार था।
- पेयजल गुणवत्ता समस्याओं को चिन्हित कर भारत सरकार के निर्देशानुसार सुलझाया गया था।
- कार्यक्रम का निष्पादन प्रभावशीलता,सक्षमता एवं मितव्ययिता पूर्वक किया गया था, तथा
- जल गुणवत्ता अनुवीक्षण एवं निगरानी उपयुक्त एवं प्रभावी थी।

3.4.4 लेखापरीक्षा की कसौटियां

लेखापरीक्षा निष्कर्ष निम्नांकित कसौटी पर आधारित थे :

- गतिवर्धित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम निष्पादन हेतु भारत सरकार के दिशानिर्देश (अगस्त 2000 यथासंशोधित जुलाई 2002)
- स्वजलधारा के दिशानिर्देश (जून 2003)
- भारत सरकार एवं राज्य के मध्य समझौता ज्ञापन
- ग्रामीण बसाहटो में पेयजल प्रदाय स्थिति के सर्वेक्षण हेतु दिशानिर्देश (फरवरी 2003)।

- राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल गुणवत्ता एवं निगरानी कार्यक्रम के दिशानिर्देश (जनवरी 2006)।
- राष्ट्रीय जल नीति (अप्रैल 2002)
- गतिवर्धित ग्रामीण जल प्रदाय कार्यक्रम के अधीन धारिता की योजनाओं एवं परियोजनाओं के दिशानिर्देश।
- गतिवर्धित ग्रामीण जल प्रदाय कार्यक्रम के अन्तर्गत योजनाओं के प्रारूप परियोजना प्रतिवेदन।

3.4.5 लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र

लेखापरीक्षा द्वारा कार्यक्रम क्रियान्वयन की पिछली समीक्षा 1996-2001 की अवधि में की गई थी तथा इसके परिणाम भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन 31 मार्च 2001 (सिविल) भाग-2 म. प्र. शासन में सम्मिलित किये थे।

अवधि 2002-03 से 2006-07 तक की इस निष्पादन लेखापरीक्षा का लक्ष्य कार्ययोजना की कमियों, जल स्रोतों का अवैज्ञानिक चिन्हीकरण, गैर प्राथमिक क्षेत्रों पर व्यय, वित्तीय उपलब्धियों का अशुद्व प्रेषण इत्यादि तथा सभी ग्रामीण बसाहटों विशेषतः समस्यामूलक को पर्याप्त एवं सुरक्षित पेयजल प्रदाय करने के उद्देश्य की मितव्ययितापूर्वक प्राप्ति पर इनके सम्पूर्ण प्रभाव का परीक्षण करना था। इस उद्देश्य से एवं लेखापरीक्षा के उददेश्यों तथा कसौटी इत्यादि को स्पष्ट करने हेतु उच्चस्तरीय एन्ट्री कान्फेरेंस 19 जून 2007 को आयोजित की गई थी जिसका प्रमुख अभियंता, लो. स्वा.या. वि. द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया था। साधारण यादृच्छिक नमूना प्रक्रिया (Simple Random Sampling Method) द्वारा चयनित 12 जिलों[35]/संभागों (11 सिविल एवं एक यांत्रिकी) के अभिलेखों की नमूना जाँच परीक्षा फरवरी व सितम्बर 2007 के मध्य की गई तदनुसार आपत्तियाँ निम्नानुसार है :-

3.4.6 वित्तीय पारेव्यय एवं व्यय

3.4.6.1 वित्तीय प्रतिरूप

भारत सरकार ने गतिवर्धित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के अंतर्गत इस शर्त पर सम्पूर्ण सहायता प्रदान की कि राज्य सरकार द्वारा राज्य क्षेत्र के "न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम " के अंतर्गत समरूपी अनुदान/व्यय उपलब्ध कराया जावेगा। गतिवर्धित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम की लगभग 25 प्रतिशत निधियां अनुसूचित जाति तथा न्यूनतम 10 प्रतिशत निधियां अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या को पेयजल प्रदाय हेतु अलग से

[35] *सिविल सम्भाग - भोपाल, छिन्दवाडा, डिण्डौरी, जबलपुर, खरगोन, कटनी, राजगढ, रायसेन, शहडोल, सिवनी, सागर तथा यांत्रिकी संभाग भोपाल।*

रखी जावेगी। उप मिशन परियोजनाओं[36] हेतु निधियां भारत सरकार व मध्यप्रदेश शासन द्वारा 75:25 के अनुपात में अंशदान की जानी थी। परिसम्पत्तियों के चालन व रखरखाव हेतु 15 प्रतिशत तक निधियां, इस शर्त के साथ कि राज्य न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत समतुल्य निधि उपलब्ध कराये, अलग से रखी जानी थी।

स्वजलधारा के अंतर्गत 40 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन जल प्रदाय स्तर हेतु योजनाओं की पूंजीगत लागत का 90 प्रतिशत तथा बसाहटें जो जल प्रदाय स्तर को 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन तक का सुधार चाहती हों को योजनाओं की पूंजीगत लागत का 80 प्रतिशत भारत सरकार द्वारा वहन किया जाना था। शेष लागत को उपभोक्ता समुदाय के द्वारा पश्चात् चालन व रखरखाव की शतप्रतिशत जिम्मेदारी के साथ वहन करना था।

3.4.6.2 निधियों का निर्मोचन एवं उपयोग

राज्य में वर्ष 1992 से 2001 के मध्य गतिवर्धित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम पर 1829.32 करोड रूपये का व्यय किया गया था। तत्पश्चात 2002-03 से 2006-07 तक की अवधि में भी 1,216.32 करोड रूपये और व्यय किये गये। भारत सरकार एवं राज्य शासन (मध्यप्रदेश शासन) द्वारा निर्मोचित निधियों एवं गतिवर्धित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम तथा न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अंतर्गत किये व्यय का विवरण निम्नानुसार था:

(करोड़ रूपयो में)

वर्ष	केन्द्रीय निर्मोचन (ग.ग्रा. ज.आ. का.)	राज्य क्षेत्र निर्मोचन (न्यू. आ. का)	सकल निर्मोचन	व्यय		सकल व्यय	निधियों का न्यून उपयोग	
				ग. ग्रा. ज. आ. का	न्यू. आ. का		ग. ग्रा. ज. आ. का.	न्यू. आ.का.
2002-03	91.98	124.38	216.36	75.68	117.35	193.03	16.30	7.03
2003-04	108.51	115.61	224.12	92.39	108.95	201.34	16.12	6.66
2004-05	124.40	89.55	213.95	97.32	75.25	172.57	27.08	14.30
2005-06	177.48	153.50	330.98	169.04	151.14	320.18	8.44	2.36
2006-07	228.07	168.17	396.24	179.70	149.50	329.20	48.37	18.67
योग	**730.44**	**651.21**	**1381.65**	**614.13**	**602.19**	**1216.32**	**116.31 (15.92 %)**	**49.02 (7.52 %)**

आंकडो का आधार - प्रमुख अभियंता, मध्यप्रदेश, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा सूचित आंकडे.

[36] *बसाहटें जो जल गुणवत्ता समस्या जैसे फलोराइड, संखिया, खारापन या लौहतत्व इत्यादि की अधिकता से ग्रस्त हों तथा वर्षा जल संग्रहण, कृत्रिम पुनर्भरण, चेकडेम और डाईक इत्यादि से स्रोत धारिता के लिए गतिवर्धित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत उपमिशन परियोजना ली जाती है।*

उपर्युक्त से यह देखा गया कि:-

राज्य 118.73 करोड रूपये के समरूपी अंशदान देनें में असफल रहा तथा 165.33 करोड़ रूपये की निधियों का उपयोग भी नहीं किया गया ।

राज्य शासन न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत (वर्ष 2004-05,2005-06 तथा 2006-07 में) 118.73 करोड रूपये का समरूपी अंशदान देने में असफल रहा तथा 165.33 करोड़ रूपयों (केन्द्रीय निधियां 116.31 करोड रूपये एवं राज्य निधियां 49.02 करोड रूपये) का 2002-03 से 2006-07 की अवधि में गतिवर्धित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम व न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अंतर्गत उपयोग करने में भी असफल रहा। अप्रयुक्त निधियों[37] से राज्य 27,555 नलकूप बनाकर 68.88 लाख ग्रामीण जनसंख्या को पेयजल सुविधाएं उपलब्ध करा सकता था।

प्रमुख अभियंता ने कहा (सितम्बर 2007) कि राज्य का बजट भारत सरकार द्वारा अनुदान सूचित करने के बहुत पहले से बनाया जाता है अतः राज्य के लिए वास्तविक प्रावधान करना सम्भव नही था। अप्रयुक्त निधियों के संदर्भ में प्रमुख अभियंता ने भारत सरकार द्वारा द्वितीय किश्तों को जारी करने मे विलम्ब तथा मध्यप्रदेश शासन द्वारा अनुपूरक निधियों का विलम्ब से निर्गमित किया जाना बताया। उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि राज्य द्वारा वार्षिक कार्ययोजनाओं में आकलित आवश्यकताओं के अनुसार वार्षिक बजट में पर्याप्त प्रावधान कर न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अंतर्गत समतुल्य निधियां समयबद्धतापूर्वक उपलब्ध की जानी थी ।

3.4.6.3 पेयजल आपूर्ति की स्थिति का चिन्हीकरण एवं आच्छादन

पेयजल आपूर्ति की स्थिति के आकलन हेतु ग्रामीण बसाहटों का राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण राज्य सरकारों के माध्यम से वर्ष 1991 में कराया गया था। तदनुसार 9वीं योजना की समाप्ति तक बसाहटों के आच्छादन हेतु भारत सरकार ने एक व्यापक कार्य योजना (कैप-99) बनाई थी।

2003 में पूर्ण किये सर्वेक्षण (आकंडे) का भारत सरकार द्वारा अगस्त 2007 में वैद्यीकरण किया गया।

राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन, भारत सरकार के दृष्टांत (19 फरवरी 2003) के अनुसार राज्य को ग्रामीण बसाहटों एवं पाठशालाओं में पेयजल आपूर्ति की स्थिति[38] की विश्वसनीय सूचनाओं के संकलन, गुणवत्ता समस्या से ग्रस्त जल स्त्रोतो का परीक्षण तथा इन गुणवत्ता प्रभावित बसाहटों में विद्यमान सुरक्षित पेयजल आपूर्ति प्रणालियों की विस्तृत जानकारी प्राप्त करनें के उददेश्य से एक नवीन सर्वेक्षण करना था। यह सर्वेक्षण 31 मार्च 2003 को पूर्ण किया जाना था तथा गतिवर्धित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम व स्वजलधारा दोनों के लिये वर्ष 2003-04 से भविष्य में जारी की जाने वाली निधियों हेतु पूर्वापेक्षी था। राज्य स्तर पर सर्वेक्षण कार्य जिला क्लेक्टर्स को मुख्य जिला संयोजक तथा कार्यपालन यंत्रियों को सह संयोजक बनाकर 26 मार्च 2003 को प्रारम्भ किया

[37] *गतिवर्धित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के प्रतिमानों के अनुसार प्रति 250 व्यक्तियों के लिए एक हैण्डपम्प/स्टेण्ड पोस्ट तथा प्रति हैण्डपम्प की औसत लागत 60,000 रूपये।*

[38] *बसाहट जिसमें सुरक्षित पेयजल स्रोत न हो या जल गुणवत्ता समस्याग्रस्त (जैसे अधिक खारापन, लौहतत्व, फ्लोराईड इत्यादि) हो को बिना स्रोत/असुरक्षित स्रोत बसाहट के रूप में श्रेणीबद्ध किया जावेगा। बसाहटें जहाँ जल आपूर्ति स्तर 10 लीटर से 40 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन हो को आंशिक पूर्ण तथा शेष जहाँ सुरक्षित जल स्रोत हो को पूर्ण आच्छादित में श्रेणीबद्ध किया जाता है।*

गया था। सर्वेक्षण कार्य सितम्बर 2003 तक निरन्तर रहा किन्तु सर्वेक्षण के आंकडो का वैधीकरण भारत सरकार द्वारा अगस्त 2007 में किया गया। .

सर्वेक्षण परिणामों से प्रकट हुआ कि:

राज्य के 45 जिलों के 1,26,172 बसाहटों में से 19,486 बसाहटों (15.44 प्रतिशत) में जल स्रोत नहीं थे या पेयजल प्रदाय का स्तर 10 लीटर प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन से कम था, 31,376 बसाहटें (24.86 प्रतिशत) आंशिक पूर्ण थी जिनमें जल आपूर्ति स्तर 10 से 40 लीटर प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन के मध्य था शेष् 75,310 बसाहटें (59.69 प्रतिशत) पूर्ण आच्छादित श्रेणी की थी।

राज्य में पूर्ण आच्छादित, आंशिकपूर्ण तथा अनाच्छादित बसाहटों की कुल संख्या तथा इनके वर्ष 2002-03 से 2006-07 तक की अवधि में किये गये आच्छादन की स्थिति निम्नानुसार थी:

1 अप्रेल की स्थिति	बसाहटें				आंशिक पूर्ण बसाहटों का वर्ष में आच्छादन			अनाच्छादित बसाहटों का वर्ष में आच्छादान		
	कुल	पूर्ण आच्छादित	आंशिक पूर्ण	अनाच्छादित	लक्ष्य	उपलबधि	उपलब्धि का प्रतिशत	लक्ष्य	उपलब्धि	उपलब्धि का प्रतिशत
2002	111780	111780	-*	-*	5815	5442	93.58	6988	5834	83.49
2003	111780	111780	-*	-*	3535	3538	100	5305	3186	60.00
2004	126172	75310	31376	19486	4327	5385	124.45	9673	5287	54.60
2005	126172	83888	28249	14035	3807	9498	249.48	9000	6280	69.70
2006	126172	96365	22113	7694	6373	7433	116.63	6821	5920	86.70
2007	126172	109555	14840	1777	वर्ष 2007-2012 में आच्छादन के लिये प्रस्तावित					

स्रोत: प्रमुख अभियंता, म. प्र. लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय विभाग द्वारा बसाहटों की स्थिति का बनाया व सूचित किया गया प्रपत्र.

*** टिप्पणी : (कैप-99 के सम्मुख वर्ष 2002-03 व 2003 -04 में आच्छादान के लिए बसाहटें शेष नहीं थी तथापि विभाग द्वारा वास्तविक मैदानी स्थिति के अनुसार लक्ष्य निर्धारित किये गये थे।**

3.4.6.4 यह देखा गया कि 1,216.32 करोड़ रूपये की लागत से 57,803 बसाहटों (31,296 आंशिक आच्छादित तथा 26,507 अनाच्छादित) के आच्छादन के उपरान्त भी मार्च 2007 तक 16,617 बसाहटें (14,840 आंशिक आच्छादित तथा 1,777 अनाच्छादित) अनाच्छादित शेष बची थी । उपर्युक्त के विश्लेषण से निम्न बिन्दु लेखापरीक्षा में पाये गये:-

अनाच्छादित बसाहटों की जगह आंशिक पूर्ण को प्राथमिकता दी गई थी ।

- अनाच्छादित बसाहटों (आच्छादन रेंज 54 व 86 प्रतिशत के मध्य) की तुलना में आंशिक आच्छादित श्रेणी की बसाहटों (आच्छादन रेंज 116 व 249 के मध्य) को अनुचित प्राथमिकता दी गई थी ।

- सर्वेक्षण 2003 के अनुसार विभाग ने 50,862 समस्यामूलक बसाहटें (14,392 नई तथा 36,470 पूर्ण आच्छादित श्रेणी से आंशिक पूर्ण व अनाच्छादित श्रेणी में जल स्रोतों की उत्पादकता में गिरावट के कारण स्लिप्ड बेक बसाहटें) चिन्हित की थी, इनके सम्मुख 61,644 बसाहटों (23,857 आंशिक पूर्ण तथा 37,787 अनाच्छादित) के आच्छादन के लक्ष्य विभाग द्वारा निर्धारित किये गये थे तथा

इनके सम्मुख 57,803 बसाहटें (31,296 आंशिक पूर्ण तथा 26,507 अनाच्छादित) का आच्छादन योजनावधि में किया गया था । यह सूचक है कि सर्वेक्षण अवास्तविक थे।

- 6,941 बसाहटों के आच्छादन आधिक्य के उपरान्त भी 16,617 समस्यामूलक बसाहटें (14,840 आंशिक पूर्ण तथा 1,777 अनाच्छादित) आच्छादन हेतु शेष थी जिन्हें आगामी योजना अवधि में आच्छादन हेतु स्थगित किया गया । यह सभी, राज्य में कार्यक्रम क्रियान्वयन की अपर्याप्तता दर्शाते हैं जिससे 36,470 समस्यामूलक बसाहटें पुननिर्गमित हुई तथा कार्यक्रम की प्रभावशीलता निषेध हुई।

प्रमुख अभियंता ने कहा (सितम्बर 2007) कि 10 वीं पंचवर्षीय योजना 2001 में बनाई गई थी जबकि सर्वेक्षण 2003 में किया गया अतः दोनों एक दूसरे से सम्बद्ध नहीं थे । बसाहटों का आच्छादन भारत सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्यों, स्थानीय प्राथमिकताओं तथा राज्य के कुछ भागों में सूखा स्थिती को दृष्टिगत रखते हुए किया गया था । उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि विभाग को उनकी वार्षिक कार्य योजनाएं सर्वेक्षण आंकडों के अनुरूप बनानी चाहिये थी

3.4.6.5 सर्वेक्षण 2003 के अनुसार 19,436 अनाच्छादित बसाहटों में से 8,961 बसाहटें आदिवासी उप योजना के अन्तर्गत तथा 4,537 बसाहटें विशेष घटक योजनान्तर्गत थी । शासन द्वारा इन 13,498 बसाहटों को 2006-07 के अन्त तक आच्छादित करने का प्रस्ताव था । आच्छादन व व्यय की स्थिती निम्नानुसार थी: -

वर्ष	आदिवासी उपयोजना		विशेष घटक योजना	
	आच्छादित बसाहटें	किया गया व्यय (करोड रूपयों मे)	आच्छादित बसाहटें	किया गया व्यय (करोड रूपयों मे)
2002-03	1,518	57.47	1,565	29.85
2003-04	1,819	41.89	932	47.19
2004-05	3,187	42.20	1,420	28.90
2005-06	3,151	61.94	4,450	70.76
2006-07	2,177	69.77	3,249	107.27
योग	**11,852**	**273.27**	**11,616**	**283.97**

उपर्युक्त से यह देखा गया कि आदिवासी/विशेष घटक बसाहटों का वास्तविक आच्छादन 2,891 बसाहटों से आदिवासी उपयोजना अंतर्गत तथा 7,079 बसाहटों से विशेष घटक योजनांतर्गत आधिक्य था । इसके अतिरिक्त विशेष घटक जनसंख्या के लिये अलग रखी जाने वाली गतिवर्धित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम की 25 प्रतिशत निधियां शासन द्वारा वर्ष 2002-03 एवं 2005-06 की अवधि में नहीं दी गई थी ।

3.4.6.6 वर्ष 2002 के प्रारम्भ में राज्य की 67,874 ग्रामीण पाठशालाओं में से 32,089 पाठशालाओं में पेयजल सुविधाएं नहीं थीं । इसके सम्मुख 21,000 पाठशालाओं के लक्ष्य निर्धारित कर 2002-03 से 2004-05 की अवधि में 15,921 पाठशालाओं में पेयजल सुविधाएं दी गई थी। तथापि, 1 अप्रैल 2005 को विभाग द्वारा 88,591

पाठशालाएं चिन्हित की गई उनमें 22,902 पेयजल सुविधा विहीन पाठशालाओं के भारत निर्माण [39]योजनान्तर्गत लक्ष्य निर्धारित किये गये थे। 19,957 पाठशालाओं के आच्छादन (2005-06 से 2006-07 की अवधि) के उपरांत भी 2,945 पाठशालाएं (12.86 प्रतिशत) मार्च 2007 तक आच्छादन हेतु शेष रही थी । इस तरह पांच वर्षो में 43,902 पाठशालाओं के आच्छादन हेतु निर्धारित लक्ष्यों तथा 35,878 पाठशालाओं के प्रतिवेदित आच्छादन का राज्य में पेयजल सुविधाविहीन पाठशालाओं की वास्तविक संख्या से स्पष्टतः संबंध नही था ।

3.4.7 क्रियान्वयन

प्राथमिकी प्रतिमानों के विरूद्व पूर्ण आच्छादित बसाहटों का आच्छादन किया गया जबकि अनाच्छादित /आंशिक पूर्ण शेष थी।

3.4.7.1 पूर्ण श्रेणी की बसाहटों को कुछ प्रकरणों में अनाच्छादित/आंशिक पूर्ण से परे प्राथमिकता।

गतिवर्धित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के दिशा निर्देशों के अनुसार विद्यमान पूर्ण श्रेणी की बसाहटों का आच्छादन राज्य की सम्पूर्ण समस्याग्रस्त बसाहटों के आच्छादन के पश्चात ही तथा इस शर्त के साथ कि शिथिल किये गये प्रतिमानों के उपभोक्ता 10 प्रतिशत पूंजीगत लागत के अंशदान तथा परिसम्पत्तियों के पश्च चालन एवं रखरखाव की पूर्ण जिम्मेदारी वहन करने के इच्छुक हों, किया जाना था ।

छः संभागों के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि प्राथमिकता प्रतिमानों के प्रतिकूल वर्ष 2006-07 की अवधि में विद्यमान पूर्ण श्रेणी की बसाहटों को आवर्धित पेयजल सुविधाएं दी गई थी । इस तरह इन पूर्ण श्रेणी की बसाहटों के लिये उन अनाच्छादित /आंशिक पूर्ण बसाहटें, जहाँ पेयजल सुविधाऐं प्रतीक्षित थी, की कीमत पर 705 नलकूप[40] निर्मित कर 3.85 करोड़ रूपयों का अनियमित व्यय किया गया था ।

प्रमुख अभियंता ने कहा कि यह कार्य केवल तभी किये गये थे जब वे आवश्यक थे तथा कुछ समीक्षात्मक स्थितियों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा प्रतिमानों में शिथिलता प्रदान की थी । उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि भारत सरकार द्वारा शिथिल किये गये प्रतिमान इस शर्त के साथ थे कि सर्वेक्षण 2003 की स्लिप्ड बेक बसाहटों के निर्धारित लक्ष्यों को आबंटित निधियों के अंतर्गत वर्ष 2006-07 के माह जुलाई 2006 तक प्राप्त किये जावें, इनका अनुपालन नहीं किया गया था ।

39 *भारत निर्माण जिसे चार वर्षो अप्रैल 2005 से मार्च 2009 तक एक योजना क्रम में कियान्वित किया जाना है के अन्तर्गत ग्रामीण आधारभूत संरचना निर्माण हेतु छः घटकों में से पेयजल आपूर्ति एक घटक था।*

40

जिले	*नलकूप संख्या*	*व्यय (लाख रूपयों में)*
जबलपुर	*114*	*52.50*
रायसेन	*223*	*144.95*
शहडोल	*113*	*50.53*
अनूपपुर	*63*	*35.67*
सागर	*133*	*79.80*
कटनी	*59*	*21.10*
योग	*705*	*384.55*

3.4.7.2 ग्रामीण नल जल प्रदाय योजनाओं की स्थिती

ग्रामीण नल जल प्रदाय योजनाओं को इनकी स्वीकृति के दो से तीन वर्षो के भीतर पूर्ण किया जाना था । योजनाओं के स्थिति प्रतिवेदन से देखा गया कि मार्च 2007 तक 9,173 स्वीकृत ग्रामीण नल जल योजनाओं/ स्थल स्रोत योजनाओं में से 7,750 योजनाऐं पूर्ण की गई थी, 813 योजनायें प्रगतिरत तथा शेष 610 योजनाओं का कार्य निष्पादन प्रारम्भ ही नहीं किया था। विभाग द्वारा गतिवर्धित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम /न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत जारी 299.69 करोड़ रूपयों के सम्मुख 251.29 करोड़ रूपयों का व्यय किया गया । विभाग के पास वर्षवार स्वीकृत पूर्ण तथा *प्रगतिरत योजनाओं की राज्य स्तरीय सूचनायें उपलब्ध नहीं थी ।*

दिशानिर्देशों के अनुसार नवीन योजनाओं से परे अपूर्ण योजनाओं को प्राथमिकता दी जानी थी। तथापि दस सम्भागों में अभिलेख की नमूना जाँच से प्रकट हुआ कि दस जिलों में 68.64 करोड़ रूपये के अनुमानित लागत की कुल 667 नल जल/स्पाट स्रोत योजनाएं प्रगतिरत थीं। इनमें से 289 योजनाएं वर्ष 2002 के पूर्व से अनुमोदित थी तत्पश्चात 2003-2007 की अवधि में 378 नवीन योजनाएं अनुमोदित की गई। तथापि यह देखा गया कि मार्च 2007 तक 37.14 करोड़ रूपये व्यय करने उपरान्त केवल 260 योजनाएं पूर्ण की जा सकी थी, 353 योजनाएं प्रगतिरत थी तथा 54 योजनाओं के कार्य प्रारम्भ ही नहीं किये गये थे। जैसा कि **परिशिष्ट-3.4** में दर्शाया गया है समयानुसार निधियों का विमोचन न होना, योजनाओं का पुनरीक्षण तथा लागत आधिक्य इत्यादि योजनाओं की अपूर्णता के कारण थे।

3.4.7.3 ग्रामीण नल जल प्रदाय योजनाओं का आवर्धन।

दिशानिर्देशों के अनुसार उन बसाहटों में जहाँ पेयजल आपूर्ति 40 लीटर प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन हो, का आर्वधन राज्य की सभी अनाच्छादित व आंशिक पूर्ण बसाहटों के आच्छादन के उपरांत तथा इस शर्त के साथ कि शिथिल किये गये प्रतिमानों के उपभोक्ता, पूंजीगत लागत की भागीदारी तथा योजनाओं के पश्चात चालन व रखरखाव की पूर्ण जिम्मेदारी वहन करने को सहमत हों, के पश्चात ही किया जाना था।

इसके प्रतिकूल तीन[41] सम्भागों में 2.69 करोड़ रूपये अनुमानित लागत की 26 विद्यमान योजनाएं (स्वीकृती अवधि 2002-03 से 2006-07) जो विद्यमान प्रतिमानों के अनुसार 40 लीटर प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन पेयजल आपूर्ति कर रही थी, को प्रभावशाली व्यक्तियों के आग्रह पर 55 लीटर प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन के जलप्रदाय स्तर तक आवर्धित किया गया।

41

(लाख रूपये में)

संभाग	योजनाओं की लागत	लागत	व्यय
जबलपुर	15	142.93	59.83
सागर	7	42.25	22.84
शहडोल	4	83.88	83.54
योग	26	269.16	166.21

जबकि यह योजनाएं शिथिल किये गये प्रतिमानों के अन्तर्गत पात्र नहीं थी, इस तरह मार्च 2007 तक गतिवर्धित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के अंतर्गत 1.66 करोड रूपये का व्यय अनियमित रूप से किया गया।

प्रमुख अभियंता ने कहा कि ग्रामों में पशु संख्या तथा स्थानीय आवश्यकतानुसार ग्रीष्म काल में जल प्रदाय की सुनिश्चितता के दृष्टिकोण से अतिरिक्त प्रावधान आवश्यक थे। उत्तर मान्य नही था क्योंकि भारत सरकार के दिशा निर्देशों में पशु संख्या हेतु 30 लीटर प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन का अतिरिक्त प्रावधान केवल सूखाग्रस्त क्षेत्रो के लिए था तथा समस्याग्रस्त ग्रामों को प्राथमिकता दी जानी थी; जबकि उपर्युक्त क्षेत्रों में से कोई भी सूखाग्रस्त क्षेत्र या समस्याग्रस्त ग्राम नहीं था।

3.4.7.4 विश्वसनीय जल स्त्रोत निर्मित किये बिना योजनाओं पर व्यय।

धारित पेयजल आपूर्ति के लिये विश्वसनीय जल स्त्रोतों का सृजन एवं विकास पूर्वापेक्षी था। तथापि, तीन संभागों[42] में (1999-2003 की अवधि में) 24 नल जल योजनाओं के सहबद्ध कार्य जैसे कि पाईप लाईन बिछाना तथा उच्चस्तरीय टंकियों के निर्माण इत्यादि विश्वसनीय पेयजल स्त्रोत निर्मित किये बिना 72.73 करोड़ रूपये की लागत से किये गये थे। इस तरह किये गये व्यय से कोई प्रतिफल नही मिला था।

3.4.7.5 योजनाओं का अशुद्ध चयन

मध्यप्रदेश शासन के निर्देशानुसार केवल 2000 से अधिक जनसंख्या वाली बसाहटों हेतु ग्रामीण नल जल योजनाएं बनाई जानी थी। इसके प्रतिकूल दो[43] सम्भागों में 28 अपात्र बसाहटों का ग्रामीण नल जल प्रदाय योजनाओं (अनुमानित लागत 2.23 करोड रूपये) के द्वारा पेयजल आपूर्ति हेतु चयन किया गया एवं 1.05 करोड़ रूपये व्यय किये गये। जबकि जनसंख्या प्रतिमानों के अनुसार केवल 65 लाख रूपये की लागत से 127 हैण्डपम्पों का सृजन किया जा सकता था। इस तरह गतिवर्धित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम की 1.58 करोड़ रूपये की राशियों को बचाने में सम्भाग असफल रहे।

[42] *जबलपुर-15 योजनाएं, लागत 82.95 लाख रुपये, व्यय- 27.16 लाख रुपये,*
रायसेन- 8 योजनाएं, लागत 108.07 लाख रुपये, व्यय- 30.11 लाख रुपये,
शहडोल-1 योजना, लागत 24.95 लाख रुपये, व्यय- 15.46 लाख रुपये,
योग- 24 योजनाएं, लागत 215.97 लाख रूपये, व्यय- 72.73 लाख रूपये,

[43] *डिण्डौरी एवं, जबलपुर*

3.4.8 उपमिशन परियोजनाएं

3.4.8.1 जल गुणवत्ता समस्याओं के निराकरण का कार्यक्रम

ग्रामीण बसाहटें जो जल गुणवत्ता की समस्याओं जैसे फ्लोराईड की अधिकता, संखिया, खारापन, लौह तत्व की अधिकता इत्यादि से ग्रस्त हैं, को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने हेतु गतिवर्धित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत उपमिशन परियोजनाएं चलाई जाती है जिसमें वैकल्पिक पेयजल सुविधाएं उपलब्ध कराना तथा खारापन, फ्लोराईड व लौहतत्व निवारण संयंत्रों की स्थापना करना इत्यादि सम्मिलित है।

अत्यधिक जल गुणवत्ता की समस्याग्रस्त बसाहटों के लिये दोहरी जल नीति अपनाई जानी थी। यदि 10 लीटर जल प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन रसोई व पीने के लिए उपलब्ध हो तो जल गुणवत्ता प्रभावित स्त्रोतों का अन्य कार्यों जैसे धुलाई, स्नान इत्यादि के लिए उपयोग किया जा सकता था। इस तरह की बसाहटों को सुरक्षित स्त्रोत वाली बसाहटें मानी जा सकती थी।

जल गुणवत्ता प्रभावित जिलों व ग्रामों, उनका योजनावधि में आच्छादान तथा अनाच्छादित शेषों का विस्तृत विवरण निम्नानुसार था:

वर्ष	फ्लोराईड की अधिकता से प्रभावित		खारेपन से प्रभावित		लौहतत्व की अधिकता से प्रभावित		नाईट्रेट से प्रभावित	
	जिले	ग्राम	जिले	ग्राम	जिले	ग्राम	जिले	ग्राम
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2002-03 स्थिति	22	3968	15	604	11	856	-	-
आच्छादन	4	171	2	6	-	-	-	-
2003-04 स्थिति	22	4385	15	620	11	929	8	121
आच्छादन	5	88	4	38	-	-	-	-
2004-05 स्थिति	22	4466	15	621	13	952	8	176
आच्छादन	5	112	4	57	-	-	-	-
2005-06 स्थिति	22	4716	17	1246	14	1197	9	348
आच्छादन	5	401	4	31	-	-	-	-
2006-07 स्थिति	22	4315	17	1215	14	1197	9	348
आच्छादन	5	168	4	70	-	-	-	-
01.04.2007 को अनाच्छादित शेष	22	4147	17	1145	14	1197	9	348

स्त्रोत: म.प्र. लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के प्रशासकीय प्रतिवेदन एवं मासिक प्रगति प्रतिवेदन.

विवेचना परिलक्षित करती है कि:

प्रभावित ग्रामों की प्रतिशतता 10.47 से 13.55 तक बढी।

- राज्य में अप्रैल 2002 से अप्रैल 2005 के मध्य जल गुणवत्ता प्रभावित ग्रामों की संख्या 5,428 (51,806 कुल ग्रामों का 10.47 प्रतिशत) से बढकर 7,507 (म. प्र. के कुल ग्राम 55,393 का 13.55 प्रतिशत) हो गई थी। यह पेयजल गुणवत्ता समस्या के निराकरण के लिये किये गये अनुवीक्षण और परियोजनाओं के क्रियान्वयन की अपर्याप्तता को दर्शाता है।

- दिसम्बर 1996 व जून 2002 के मध्य भारत सरकार द्वारा स्वीकृत 89.44 करोड रूपये की सात फ्लोराईड परियोजनाओं[44] में से मार्च 2007 तक केवल चार परियोजनाएं[45] 90.16 करोड़ रूपयों के विमोचन के बाद भी 85.63 करोड रूपये की लागत से पूर्ण की गई थी।

- खारेपन के नियंत्रण हेतु जुलाई 1997 व अगस्त 2003 के मध्य 10.78 करोड़ रूपये अनुमानित लागत की चार खारे पानी परियोजनाएं[46] 16.08 करोड रूपयों के कुल विमोचन के सम्मुख किये गये 10.27 करोड़ रूपये के व्यय के उपरान्त भी पूर्ण नहीं की जा सकी थी।

- 14 जिलों[47] में लौह आधिक्य तथा 9 जिलों[48] में नाईट्रेट की समस्या का प्रभावित ग्रामों में सुरक्षित पेयजल स्रोतों की उपलब्धता के दृष्टिगत् विभाग द्वारा निराकरण नहीं किया गया था।

- जल गुणवत्ता परियोजनाओं के प्रारम्भ (1994-95) से उपलब्ध कराई गई 113.65 करोड़ रूपये की निधियों में से मार्च 2007 तक केवल 95.90 करोड रूपयों (84.50 प्रतिशत) का उपयोग 1,142 गुणवत्ता प्रभावित ग्रामों के आच्छादन पर किया गया था। 6,837 अनाच्छादित प्रभावित ग्रामों की ग्रामीण जनसंख्या जल गुणवत्ता की समस्याओं से अभी तक रूबरू है।

3.4.8.2 फ्लोरोसिस का नियंत्रण

पेयजल में उपस्थित फ्लोराईड आधिक्य दन्त (डेंटल) व अस्थि (स्केलटन) फ्लोरोसिस का कारण होता है, जिसको अनुज्ञेय सीमाओं (1.5 पार्टस पर मिलियन) में फ्लोराईड विहित जल को वैकल्पिक स्रोतों से या उपचारोपरान्त फ्लोराईड रहित जल आपूर्ति कर नियंत्रित किया जा सकता है ।

राज्य स्तर पर की गई लेखापरीक्षा में प्रकट हुआ कि:-

- वर्ष 2003 से 2006 के दौरान फ्लोराईड प्रभावित जल स्रोतों की संख्या 7,254 से बढ़कर 10,297 हो गई थी। पेयजल गुणवत्ता समस्या में क्रमिक बढोत्तरी फ्लोराईड प्रभावित जिलों के चिन्हित क्षेत्रों में सदृशः अधिक गहरे नलकूप खनन के कारण थी; जबकि भारत सरकार द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं के अनुसार या तो केवल उथले नलकूप तथा वैकल्पिक पेय जल आपूर्ति व्यवस्थाएं (डग

44 *मण्डला (प्रथम व द्वितीय चरण), शिवपुरी, झाबुआ (प्रथम चरण), छिंदवाडा तथा सिवनी (प्रथम व द्वितीय चरण).*

45 *मण्डला (द्वितीय चरण), शिवपुरी, छिन्दवाडा एवं सिवनी (प्रथम चरण)*

46 *उज्जैन, भिण्ड, मन्दसौर व नीमच*

47 *रायसेन, डिण्डौरी, सीहोर, भोपाल, बालाघाट, छतरपुर, शहडोल, मण्डला, उमरिया, सिवनी, राजगढ, धार, अनुपपुर और मन्दसौर*

48 *भोपाल, रायसेन, सीहोर, राजगढ, विदिशा, बालाघाट, सिवनी, धार तथा मन्दसौर*

वेल/सेनेटरी डग वेल/डग वेल जिन पर हैण्डपम्प या पॉवर पम्प स्थापित हो) ही आवश्यक थी।.

- स्थापित किये गये 30 डिफ्लोरीडेशन संयंत्रों में से मार्च 2007 तक केवल 13 संयंत्र कार्यशील थे। तत्पश्चात् भारत सरकार ने पाँच जिलों[49] के 361 ग्रामों में 59.93 लाख रूपयों की अनुमानित लागत से अन्य 361 संयंत्रों की स्थापना का अनुमोदन (दिसम्बर 2006) किया था किन्तु पूर्व स्थापित संयंत्रों के हीन निष्पादन को देखते हुए विभाग ने प्रायोगिक तौर पर कुछ ही संयंत्रों की स्थापना का निर्णय लिया था।

चयनित जिलों में लेखापरीक्षा से निम्नानुसार प्रकट हुआ-

जल गुणवत्ता प्रभावित ग्रामों के लिये मापदण्डो के अनुसार दोहरी जल नीति नहीं अपनाई गई।

- डिण्डौरी जिले के 878 ग्रामों में से 166 ग्राम फ्लोराईड आधिक्य से ग्रसित थे। भारत सरकार ने 1997-98 में 101 समस्यामूलक ग्रामों को वैकल्पिक व्यवस्थाओं द्वारा सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने हेतु 3.52 करोड़ रूपये लागत की एक परियोजना अनुमोदित की थी। यह परियोजना 1.25 करोड़ रूपये की लागत से 2005-06 में पूर्ण की गई थी। तथापि, 207 नई बसाहटें पुनः फ्लोराईड आधिक्य से प्रभावित पाई गई। इनमें से 147 ग्रामों के लिए 7.35 करोड रूपये की एक परियोजना भारत सरकार द्वारा (भारत निर्माण के अंतर्गत) अनुमोदित (दिसम्बर 2006) की गई थी। यह परियोजना अवांछित थी क्योंकि 147 बसाहटों में से केवल आठ बसाहटों में सुरक्षित स्रोत नहीं थे जबकि 997 सुरक्षित स्रोतों वाली 139 बसाहटों में दोहरी जल नीति के प्रतिमानों के अनुसार सुरक्षित पेयजल उपलब्ध था। अतः वैकल्पिक व्यवस्थाओं पर किया गया 23.61 लाख का व्यय परिहार्य था।

- अप्रैल 2005 में रायसेन जिले की 132 बसाहटों में फ्लोराइड आधिक्य चिन्हित किया गया था। 2001 से 2007 के मध्य विभिन्न तिथियों में सम्भाग द्वारा किये गये स्रोतों के जल गुणवत्ता परीक्षणों में यह पाया गया कि 242 बसाहटों के 402 स्रोत (185 नये स्रोत मिलाकर) फ्लोराईड आधिक्य से प्रभावित थे। 2006 में जारी किये गये विभागीय निर्देशों के अनुसार इन बसाहटों में गहरे नवीन नलकूप खनन नहीं किये जाने थे तथा इनके स्थान पर उथले डगवेल या अन्य वैकल्पिक व्यवस्थाएं की जानी थी। किन्तु जल गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्रों में 185 गहरे नवीन नलकूपों के खनन ने समस्या की और अपवृद्वि की। इस तरह 1.25 करोड़ रूपये का नवीन नलकूप खनन पर किया गया व्यय नकारात्मक था।.

प्रमुख अभियन्ता ने कहा (सितम्बर 2007) कि नलकूपों का खनन प्रभावित ग्रामों से दूर सुरक्षित क्षेत्र में किया गया था। उत्तर संगत नहीं था क्योंकि सम्भाग द्वारा किये गुणवत्ता परीक्षण दर्शाते थे कि सभी खनित नवीन नलकूप गुणवत्ता प्रभावित थे।

[49] धार, झाबुआ, उज्जैन, देवास, तथा शाजापुर

- गुणवत्ता प्रभावित बसाहटों के चिन्हन हेतु 2004-05 में किये गये सर्वेक्षण से प्रकट हुआ कि छिन्दवाड़ा जिले के 430 ग्रामों की 630 बसाहटें फ्लोराईड आधिक्य से प्रभावित थी। तथापि, इनमें से 213 प्रभावित बसाहटों के आच्छादन हेतु 18.09 करोड़ रूपये लागत की एक परियोजना भारत सरकार द्वारा दिसम्बर 2006 में अनुमोदित की गई थी। छानबीन प्रकट करती है कि प्रस्तावित 630 बसाहटों में सुरक्षित स्रोतों वाली 116 बसाहटों को अनुचित रूप से सम्मिलित किया गया था। सदृश, 213 बसाहटों की अनुमोदित परियोजना में 33 बसाहटें ऐसी थी जहॉ दोहरी जल नीति के प्रतिमानों के अनुसार पीने एवं रसोई हेतु 10 लीटर प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन की दर से सुरक्षित जल उपलब्ध था किन्तु इन्हे भी गुणवत्ता प्रभावित माना गया था।

- सागर जिले के 74 फ्लोराईड प्रभावित ग्रामों के लिये 4.40 करोड़ रूपये लागत की एक परियोजना मध्यप्रदेश शासन ने प्रस्तावित की। तथापि, भारत सरकार ने केवल 30 ग्रामों की समस्या के निराकरण हेतु 1.76 करोड रूपये की परियोजना का अनुमोदन (दिसम्बर 2006) किया था। परियोजना प्रतिवेदन की छानबीन दर्शाती है कि केवल 2 ग्रामों (केसली ब्लॉक का केवलारी कलां एवं राहतगढ ब्लॉक का गुनगुचा) में कोई भी सुरक्षित स्रोत नहीं था, तथा शेष ग्रामों में दोहरी जल नीति प्रतिमानों के अनुसार जल आपूर्ति के लिये सुरक्षित स्रोत थे। वास्तविक रूप से प्रभावित 2 ग्रामों को प्रतिमानों के अनुसार केवल आठ लाख रूपये की लागत से आच्छादित किया जा सकता था। इस तरह 28 ग्रामों (1.68 करोड़ रूपये) की परियोजना परिहार्य थी।

74 प्रस्तावित बसाहटों में से केवल दो सुरक्षित स्रोत विहीन बसाहटें पात्र थी.

- दिशानिर्देशों में निहित प्रावधानों की अवहेलना कर किसी भी फ्लोराईड परियोजना में डिफ्लोरीडेशन संयत्रों की स्थापना का प्रावधान नहीं किया गया था।.

प्रमुख अभियंता ने कहा (सितम्बर 2007) कि सभी परियोजनाएं राज्य स्तरीय संस्वीकृती कमेटी एवं भारत सरकार द्वारा अनुमोदित थी। दोहरी जल नीति सुरक्षित एवं धारणीय नहीं थी, क्योंकि जनजातीय जनता से फ्लोराईड रहित जल का विवेकपूर्ण उपयोग प्रत्याशित नहीं किया जा सकता था। उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि भारत सरकार के दिशानिर्देशानुसार दोहरी जल नीति अपनाई जानी थी तथा जनजातीय जनता के शिक्षण हेतु विस्तृत जागरूकता कार्यक्रम विभाग द्वारा चलाये जाने चाहिए थे।

3.4.8.3 जल गुणवत्ता अनुवीक्षण एवं निगरानी

दिशानिर्देशों के अनुसार पेयजल की रासायनिक व जैविक दूषण से सुरक्षा करने के लिए स्रोतों एवं प्रदाय केन्द्रों दोनो ही पर, अधिमान्यतः वर्ष में दो बार वर्षा ऋतु के प्रारम्भ व अंत में, नियमित जल गुणवत्ता अनुवीक्षण अत्यावश्यक था। प्रतिवर्ष 6000 नमूना परीक्षण की क्षमता की प्रयोगशालाओं की स्थापना करने के साथ-साथ प्रमुख तकनीकी संस्थाओं, पाठशालाओं इत्यादि को भी जल गुणवत्ता परीक्षण/निगरानी तंत्र में शामिल किया जाना था। तथापि, यह देखा गया कि विद्यमान स्रोतों के नमूनों के परीक्षण में इस प्रकार की

जिला प्रयोग शालाओं का उनकी इष्टतम क्षमता के अनुरूप उपयोग नहीं किया गया।

कोई आवधिकता नहीं थी; साथ ही स्थापित की गई प्रयोगशालाओं का उपयोग उनकी इष्टतम क्षमता तक नहीं किया गया जैसा कि नीचे दर्शाया गया है :

1 अप्रैल की स्थिति	स्वीकृत प्रयोगशालाएं	स्थापित प्रयोगशालाएं	कार्यशील प्रयोगशालाएं	कार्यशील स्रोतों की संख्या	6000 प्रति प्रयोगशाला प्रतिवर्ष की दर से नमूनों की आवश्यक संख्या	परीक्षित संचयी नमूने	वर्ष में परीक्षित नमूने	नमूना परीक्षण में कमी	परीक्षण में कमियों का प्रतिशत
2003	45	32	32	2,95,425	1,92,000	2,24,033	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
2004	45	35	35	3,00,654	2,10,000	2,63,527	34,494	1,75,506	83.57
2005	48	37	37	3,09,679	2,22,000	3,46,841	83,314	1,38,686	62.47
2006	48	40	40	3,35,980	2,40,000	4,31,418	84,577	1,55,423	64.75
2007	48	48	43	3,53,741	2,58,000	5,04,517	73,099	1,84,901	71.66

- पाँच नवीन जिलों[50] में प्रयोगशालाओं की स्थापना तो की गई थी किन्तु वे मार्च 2007 तक कार्यशील नहीं थी। रायसेन व कटनी जिलों[51] में मार्च 2007 तक निर्मित 3,982 नवीन स्रोतों में से 2,800 स्रोतों का जल गुणवत्ता परीक्षण नहीं किया गया था।.

जल जन्य बीमारियों के कारण 1,742 मृत्यु प्रकरण प्रतिवेदित किये गये।

- संचालक, स्वास्थ्य सेवाओं ने प्रतिवेदित (अगस्त 2007) किया कि पाँच वर्ष की अवधि में अतिसार व हैजा के 20.04 लाख तथा 16,420 पीलिया (सभी जल जन्य बीमारियां) के प्रकरणों में 1,742 व्यक्तियों ने जीवन गंवाया। आगे, हैण्डपम्पों के क्षतिग्रस्त प्लेटफार्म्स की मरम्मत न होनें से भूजल दूषण हो सकता है तथा आवधिक जल परीक्षण की कमियाँ भी जल जन्य बीमारियों में अतिशय वृद्वि का कारण हो सकती हैं।

विभाग द्वारा मैदानी परीक्षण किट नहीं खरीदे गये।

- दिशानिर्देशों में प्रावधान था कि भारत सरकार द्वारा प्रदत्त शत-प्रतिशत निधियों से प्रत्येक ग्राम पंचायत को एक मैदानी परीक्षण किट (फील्ड टेस्टिंग किट) उपलब्ध कराना था। साथ ही प्रदर्शन किट्स (राज्य के लिये-एक, जिलों के लिए-तीन तथा प्रत्येक ब्लॉक के लिए दो किट) भी उपलब्ध कराने थे। मैदानी परीक्षण किट्स की पुर्नभरण लागत सहित चालन एवं रखरखाव तथा कीटाणुनाशक की लागत की पूर्ति सामुदायिक अंशदान के द्वारा की जानी थी। लेखापरीक्षा छानबीन में पाया गया कि विभाग मार्च 2007 तक मैदानी परीक्षण किट्स को खरीदनें में असफल रहा; इस तरह सामुदायिक भागीदारिता आधारित जल गुणवत्ता अनुवीक्षण एवं निगरानी की बहुउपयोगिता को नकारा गया था।.

3.4.8.4 अपर्याप्त धारणीयता (ससटेनेबिलिटी)

भूजल के अतिदोहन पर आधारित सिंचाई के फलस्वरूप भूजल की कमी व भू जल स्तर की गिरावट के कारण आसन्न वर्षो में कुएं सूख गये हैं। स्रोतों की दीर्घ धारणीयता हेतु गतिवर्धित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम में अवधारणा है कि धारणीयता के उपायों में स्टॉप डेम, चेक डेम, वर्षाजल संग्रहण, भूजल संरचना का पुनर्भरण तथा सफाई

[50] *अशोकनगर, अनुपपुर, डिण्डौरी, हरदा एवं उमरिया*

[51] *रायसेन-खनित-525, परीक्षित-203, अपरीक्षित-322, कटनी-खनित-3457, परीक्षित-979, अपरीक्षित-2,478*

कार्यविधियों को अपनाना और हाईड्रोफ्रेक्चरिंग[52] इत्यादि सम्मिलित है। भूजल के अतिदोहन को रोकने के लिये विभाग /शासन के पास दीर्घगामी नीति नहीं थी क्योंकि मार्च 2006 तक राज्य के 4 जिलों[53] के पाँच ब्लॉक क्रिटिकल श्रेणी (जलदोहन 100 प्रतिशत से अधिक) में, 8 जिलों[54] के 22 ब्लॉक डार्क श्रेणी (जल दोहन 85 से 100 प्रतिशत) में तथा 15 जिलों[55] के 19 ब्लॉक ग्रे श्रेणी (जल दोहन 65 से 85 प्रतिशत) के अन्तर्गत थे।.

प्रमुख अभियंता (सितम्बर 2007) ने कहा कि राज्य द्वारा अपनाये गये धारणीयता उपायों के बावजूद कृषि क्षेत्र द्वारा अति जल दोहन तथा अपर्याप्त एवं असंतुलित वर्षा के कारण भू-जल स्तर में गिरावट आ रही थी। उत्तर दर्शाता है कि भू जल के अतिदोहन को रोकने की शासन की कोई दीर्घगामी नीति नहीं थी।

3.4.8.5 निष्क्रिय योजनाएं

यद्यपि 26,954 कृत्रिम पुनर्भरण संरचनाओं (स्टॉप डेम-417, चेकडेम 676, डाईक-1026, चेक डेम कम डाईक-913, केन्द्र पुनर्भरण-22, 476 एवं अन्य-1446) के निर्माण पर 2002-07 की अवधि में 36.09 करोड रूपयों का व्यय किया गया किन्तु इनकी प्रभावशीलता का आकलन नहीं किया गया था।

2003 से 2007 की अवधि में स्थापित एवं निष्क्रिय योजनाओं का विवरण निम्नानुसार है:

31 मार्च की स्थिति	हेण्डपम्प योजनाएं		नलजल/स्पॉट सोर्स योजनाएं		कुल योजनाएं
	स्थापित	निष्क्रिय	स्थापित	निष्क्रिय	निष्क्रिय
2003	3,28,666	33,241	7,093	1,473	34,714
2004	3,32,229	31,575	7,690	1,418	32,993
2005	3,41,830	32,151	7,988	1,703	33,854
2006	3,62,010	36,231	8,192	1,507	37,738
2007	3,90,563	36,822	8,333	1,298	38,120

लेखापरीक्षा विवेचना प्रकट करती है कि निष्क्रिय योजनाओं की संख्या में प्रतिवर्ष वृद्वि हुई जिसने कार्यक्रम के उद्देश्यों को बाधित किया।

3.4.8.6 आधुनिक वैज्ञानिकी तकनीकें न अपनाना

भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार पेय जल स्रोतों के स्थल चयन के लिये आधुनिक वैज्ञानिकी तकनीकें जैसे उपग्रह बिम्बयोजना (सेटेलाईट इमेजरी), केन्द्रीय

[52] *नलकूप में जलआवक बढाने हेतु हायड्रोफ्रेक्चरिंग एक प्रक्रिया है।*

[53] *देवास, इन्दौर, खरगोन व शाजापुर*

[54] *बडवानी, धार, इन्दौर, मन्दसौर, नीमच, रतलाम, शाजापुर, तथा उज्जैन*

[55] *बडघानी, भोपाल, बैतूल, बुरहानपुर, छिन्डवाड़ा, छतरपुर, धार, खरगोन, खण्डवा, नीमच, रतलाम, सतना, सीहोर, शाजापुर तथा उज्जैन।*

भूजल बोर्ड के आकड़े या सक्षम एजेंसियों जैसे राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग एजेन्सी की सहायता आदि को अपनाया जाना था। मध्यप्रदेश शासन ने भी निर्देश दिये थे कि ऐसे क्षेत्रों जहाँ स्रोत असफलता की दर 10 प्रतिशत से अधिक हो वहाँ नलकूप स्थलों का सर्वेक्षण विभागीय भूजलविद द्वारा किया जावेगा।.

असफल नलकूपों की राज्य स्तर पर वर्षवार स्थिति निम्नानुसार है:

वर्ष	खनित नलकूप	सफल नलकूप	असफल नलकूप	असफलता की प्रतिशतता
2002-03	16,416	14,235	2,181	13.29
2003-04	19,549	16,995	2,554	13.06
2004-05	20,281	17,027	3,254	16.04
2005-06	32,905	30,500	2,405	7.30
2006-07	30,586	25,837	4,749	15.53
योग	**1,19,737**	**1,04,594**	**15,143**	**12.65**

विगत पांच वर्षो में खनित नलकूपों में औसतन 12 प्रतिशत असफल थे।.

10 सम्भागों[56] में नमूना जाँच से प्रकट हुआ कि जहाँ स्रोत असफलता 10 प्रतिशत से अधिक होने पर भी स्थल चयन परम्परागत रेजिस्टिविटी सर्वेक्षण विधियों का उपयोग कर निजी भूजलविदों के माध्यम से किया गया था तथा जबलपुर क्षेत्र के छः सम्भागों में नलकूपों के खनन पूर्व स्थल सर्वेक्षण ही नहीं किया गया था। इसके कारण 28,403 खनित नलकूपों में से 4,597 नलकूप असफल हुये। इन पर 27.58 करोड़ रूपयों का व्यय (60,000 रूपये प्रति नलकूप दर से) अनुमानित किया गया।

प्रमुख अभियंता ने कहा कि (सितम्बर 2007) इस तरह की कोई तकनीक उपलब्ध नहीं है जिससे शतप्रतिशत सफलता दर सुनिश्चित की जा सके। उच्चतर असफलता की दर केवल कठिन ग्रामों मे थी। उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि स्रोत चयन हेतु विभाग ने परम्परागत विधियाँ अपनाई थी तथा आधुनिक तकनीकें जैसे उपग्रह बिम्बन, जल सम्भावना नक्शे (वाटर प्रॉसपेक्ट मेप्स) या केन्द्रीय भूजल बोर्ड के आंकड़े इत्यादि अपनाकर असफलता दर कम करने के प्रभावी प्रयास नहीं किये गये थे।

3.4.9 सामुदायिक भागीदारी की योजनाएं

सेक्टर रिफार्म के अन्तर्गत पाँच जिलो में 54.32 करोड़ रूपयों के व्यय के अतिरिक्त 22.84 करोड़ रूपयों का व्यय सामान्य गतिवर्धित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत भी किया गया ।

3.4.9.1 सेक्टर रिफॉर्म्स

भारत सरकार ने नौवीं योजना की शेष अवधि में सामुदायिक भागीदारिता के संस्थाकरण के माध्यम से सभी ग्रामीण बसाहटों को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु सेक्टर रिफॉर्म की अवधारणा लागू की। इसका उददेश्य ग्रामीण समुदाय, जो 10 प्रतिशत पूँजीगत लागत का अंशदान तथा चालन एवं रखरखाव की सम्पूर्ण जिम्मेदारी को वहन करने के इच्छुक हों, को मांग आधारित पेयजल आपूर्ति करना था। पाँच

[56] *राजगढ़ 110, भोपाल (मेजेनिकल)-901, डिण्डौरी-486, जबलपुर-124, रायसेन-361, खरगोन-914, शहडोल-87, सिवनी-950, छिन्दवाड़ा-1087 तथा सागर-177 कुलयोग-4597*

जिलों[57] का पायलेट परियोजना के लिये चयन किया गया था। सेक्टर रिफॉर्म योजनांतर्गत 167.23 करोड रूपये लागत की 4,292 योजनाएं स्वीकृत की गई थी जिसमें से भारत सरकार द्वारा केवल 48.38 करोड रूपये विमोचित किए गये तथा 5.96 करोड़ रूपये सामुदायिक अंशदान से प्राप्त किये गये थे। इस तरह 5.35 करोड़ रूपये ब्याज के शामिल करते हुए कुल 59.69 करोड़ रूपये केवल उपलब्ध थे जिनके सम्मुख 3,646 योजनाओं (85 प्रतिशत) को पूर्ण करने में 54.32 करोड़ रूपयों (स्वीकृत लागत का 32.48 प्रतिशत तथा उपलब्ध राशियों का 90.98 प्रतिशत) का व्यय 30 जून 2004 तक किया गया था। ततपश्चात् सेक्टर रिफॉर्म योजना को भारत सरकार द्वारा बन्द कर दिया गया तथा अपूर्ण योजनाओं को स्वजलधारा के अन्तर्गत स्थानांतरित किया गया था।

छानबीन से निम्नानुसार प्रकट हुआ:

- दिशानिर्देशों के अनुसार उन जिलों में जहाँ सेक्टर रिफॉर्म योजना लागू थी जल आपूर्ति क्रियाकलापों के लिये सामान्य गतिवर्धित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम की निधियों को उपयोग नहीं किया जाना था। इन प्रावधानों के विपरीत 2002-03 से 2003-04 की अवधि में पाँच पायलट जिलों में सेक्टर रिफॉर्म के अन्तर्गत 54.32 करोड रूपये के किये गये व्यय के अतिरिक्त 22.84 करोड रूपये का व्यय गतिवर्धित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम की निधियों से भी किया गया था।

- आगे यह देखा गया कि रायसेन जिले में जो सेक्टर रिफॉर्म्स के अन्तर्गत था, 14.27 करोड़ रूपये अनुमानित लागत की 105 नल जल आपूर्ति योजनाओं हेतु 1.38 करोड़ रूपये की राशि सामुदायिक अंशदान के रूप में वांछित थी किन्तु 58 योजनाओं के लिये केवल 21.29 लाख रूपयों का आंशिक अंशदान प्राप्त किया गया था तथा शेष प्रकरणों में अंशदान प्राप्त ही नहीं था। इस तरह रिफॉर्म के सिद्वान्तों को नकारा गया तथा फरवरी 2007 तक 58 योजनाओं के निर्माण पर 2.07 करोड़ का अनियमित व्यय किया गया था।

3.4.9.2 स्वजलधारा

रिफार्म्स के सभी मूल सिद्वान्तों को अपनाते हुए सेक्टर रिफॉर्म को स्वजलधारा के रूप में पुनर्नामित (25 दिसम्बर 2002) किया गया था। मोडल विभाग ने योजनाओं का निरूपण किया तथापि, योजनाओं का निष्पादन पंचायती राज संस्थाओं द्वारा तथा शासकीय तंत्र से परे किया गया था। स्वजलधारा के अन्तर्गत निधियों की प्राप्ति हेतु राज्य सरकार को भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय के पेयजल आपूर्ति विभाग से एक समझौता ज्ञापन प्रविष्टि आवश्यक थी।

[57] ग्वालियर, होशंगाबाद, नरसिंहपुर, रायसेन और सीधी

राज्य सरकार ने भारत सरकार के साथ कोई समझौता ज्ञापन नहीं किया ।

यद्यपि मार्च 2007 तक समझौता ज्ञापन न होने पर भी भारत सरकार ने 39 जिलों की 2,890 योजनाओं (अनुमानित लागत 54.83 करोड रूपये) के निष्पादन हेतु 50.32 करोड़ रूपयों की निधियां 2002-03 से 2005-06 की अवधि में आवंटित की थी उनमें से केवल 40.81 करोड रूपये क्रियान्वयन एजेंसियों को निगर्मित किये गये। एजेंसियों के पास योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिये 3.41 करोड रूपये का सामुदायिक अंशदान तथा 6.62 लाख रूपये का प्राप्त ब्याज मिलाकर कुल 44.28 करोड रूपये की धनराशि उपलब्ध थी। तथापि यह देखा गया कि मार्च 2007 तक केवल 1363 योजनाएं प्रारंभ की गई जिनमें से 22.27 करोड़ रूपये (उपलब्ध निधियों का 50 प्रतिशत) की लागत से 728 योजनाओं (25.19 प्रतिशत) को पूर्ण करना दर्शाया गया। तथापि केवल 103 योजनाएं (14.14 प्रतिशत) ग्राम पंचायतों / ग्राम जल एवं स्वच्छता समितियों को आगामी चालन एवं रखरखाव के लिये हस्तांतरित किया गया था। यद्यपि राज्य में स्वजलधारा योजना का क्रियान्वयन अत्यधिक कम था फिर भी राज्य सरकार द्वारा 27.37 करोड रूपये लागत की 320 योजनाओं को अलोकेशन वर्ष 2006-07 में क्रियान्वयन हेतु प्रस्तावित (मार्च 2007) किया किन्तु भारत सरकार ने इस पर अपना अनुमोदन (अप्रैल 2007) नहीं दिया और निर्देशित किया कि 11वीं पंचवर्षीय योजना के परिप्रेक्ष्य में सम्पूर्ण योजनाओं की समीक्षा तक किसी भी प्रकार के दायित्व निर्मित न किये जावें।

2890 योजनाओं में से केवल 728 पूर्ण की गई तथा 103 पंचायती राज संस्थाओं/ग्रामीण स्वजलधारा को हस्तान्तरित की गई ।

राज्य स्तर (एस.डब्ल्यू.एस.एम.) पर की गई लेखापरीक्षा से प्रकट हुआ कि:-

- क्रियान्वयन एजेंसियो ने उपयोगिता प्रमाण-पत्र एवं नियुक्त चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट द्वारा परीक्षित लेखे प्रस्तुत नहीं किये थे।

- प्रथम किश्तों के सम्मुख किया गया व्यय 60 प्रतिशत से कम होने के कारण वर्ष 2003-04 एवं 2005-06 की अवधि में अनुमोदित 2,351 योजनाओं के लिए द्वितीय किश्तें मार्च 2007 तक निगमित नहीं की गई थी।

- मध्यप्रदेश शासन ने 2003-04 व 2004-05 की अवधि में 23 जिलों के लिये 4.03 करोड़ रूपये अनुमानित लागत की 223 योजनाएं गतिवर्धित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम की निधियों में से अनुमोदित की थी। एजेंसियों को निगमित 3.93 करोड़ रूपयों (0.29 करोड़ रूपये का सामुदायिक अंशदान शामिल कर) के सम्मुख 2.43 करोड़ रूपये व्यय करने के उपरांत 181 योजनाओं का निर्माण प्रारम्भ किया जा सका और मार्च 2007 तक केवल 115 योजनाएं पूर्ण की गई इनमें से मात्र 13 योजनाएं आगामी चालन एवं रख रखाव हेतु संस्थाओं को हस्तांतरित की गई थी। इस तरह योजनाओं की प्रगति उददेश्यों से बहुत पीछे थी।

चयनित नमूना सम्भागों की लेखापरीक्षा में प्रकट हुआ कि पंचायती राज संस्थाओं की विशिष्ट जवाबदेही के अभाव में स्वजलधारा के अन्तर्गत योजनाएं उच्चजोखिम के लिये तथा उद्देश्यों के प्रतिकार के लिये भेद्य थी जैसा कि निम्नानुसार चर्चा की गई है:

चार पंचायती राज संस्थाओं ने शासकीय अनुदान को स्वजलधारा योजनाओं के सामुदायिक अंशदान के रूप में जमा किया।

- सिवनी जिले में चार पंचायती राज संस्थाओं[58] ने 2004 में स्वीकृत स्वजलधारा योजनाओं के लिये 10 प्रतिशत सामुदायिक अंशदान 0.80 लाख रूपये अन्य प्रयोजनों हेतु प्राप्त शासकीय अनुदानों में से जमा किये थे। समुदाय से वास्तविक अंशदान प्राप्त किये बिना संस्थाओं ने नोडल विभाग से आठ लाख रूपये प्राप्त किये थे। प्रकरण जब ध्यान में आया तब कार्यपालन यंत्री ने ग्राम पंचायतों पर कार्यवाही करने का निर्णय (अप्रैल 2004)लिया था; किन्तु आज तक कार्यवाही प्रारंभ नही की गई। तथापि, पंचायती राज संस्थाओं द्वारा चार में से दो योजनाएं पूर्ण की थी तथा शेष जून 2007 तक प्रगतिरत थी। इस तरह सामुदायिक भागीदारिता के मूल उददेश्यों को विफल किया गया।

योजनाओं का असंगत चयन

- दिशानिर्देशों के अनुसार स्वजलधारा के अन्तर्गत योजनाओं के चयन के लिये अनाच्छादित, आंशिक पूर्ण व गुणवत्ता प्रभावित बसाहटों को प्राथमिकता दी जानी थी। तथापि जल आपूर्ति स्तर का सुधार इस शर्त के साथ था कि राज्य की सम्पूर्ण बसाहटें पूर्ण आच्छादित हो। दिशानिर्देशों की अवमानना कर छिन्दवाडा जिले में 73.87 लाख रूपये अनुमानित लागत की 21 योजनाएं (2003-04 की 13, 2004-05 की दो तथा 2005-06 की छः योजनाएं) 33.31 लाख रूपये का अनियमित व्यय कर पूर्ण आच्छादित श्रेणी की बसाहटों के लिये प्रारम्भ की गई थी जबकि मई 2007 तक जिलें की 40 अनाच्छादित व 175 आशिंक पूर्ण बसाहटें 40 लीटर प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन के जल आपूर्ति स्तर तक पेयजल आपूर्ति की सुविधाओं की प्रतीक्षा में थी।

निर्गमित निधियों का उपयोग न करना

- छिन्दवाड़ा जिले में दिसम्बर 2004 व जून 2006 में सात योजनाओं के लिये 8.88 लाख रूपयों की प्रथम किश्त ग्राम जल एवं स्वच्छता समितियों को निर्गमित की गई थी किन्तु जून 2007 तक कोई कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया परिणामतः क्रियान्वयन एजेंसियों द्वारा निर्गमित निधियों का उपयोग नहीं किया गया। सिवनी जिले में भी 2004-05 में स्वीकृत 0.30 लाख रूपये की राशि ग्राम जल एवं स्वछता समिति को सितम्बर 2005 में निर्गमित की गई थी किन्तु मई 2007 तक न तो कार्य प्रारम्भ किया गया, न ही निधियां नवीन समिति को हस्तांतरित की गई थी।

[58] *जेवनारा, मोहबर्रा, खामी तथा घुरबाडा (केवलारी ब्लॉक)*

धारणीयता के उपायों की कमी

- स्वजलधारा योजना के दिशानिर्देशों के प्रावधानों के अन्तर्गत धारणीय पेयजल आपूर्ति के लिए भूजल संसाधनों के पुनर्भरण के उपायों के साथ-साथ समुदायों को इस तरह की गतिविधियों के प्रति प्रोत्साहित करना भी परियोजना वित्तपोषण के आवश्यक घटक थे। 11 जिलों में नमूना जाँच में पाया गया कि वर्ष 2002-03 से 2005-06 की अवधि में अनुमोदित किसी भी योजना में इस प्रकार के प्रावधान नहीं किये गये थे।

3.4.10 अपर्याप्त चालन एवं रखरखाव

जल स्रोतों के अपर्याप्त चालन एंव रखरखाव के परिणामस्वरूप 41.30 करोड़ रू. का निष्फल व्यय हुआ। .

ग्रामीण जनता को दीर्घकाल तक पेयजल की धारणीय उपलब्धता बनाए रखने के लिए पेयजल स्रोतों का उचित रखरखाव आवश्यक था। दिशानिर्देशों में निर्दिष्ट था कि गतिवर्धित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम की 15 प्रतिशत तक की निधियों का उपयोग जल आपूर्ति योजनाओं के चालन एवं रखरखाव के लिए किया जा सकता हैं।

11 संभागों[59] के अभिलेखों की नमूना जांच मे प्रकट हुआ कि स्थापित किए गये 99,792 हैंडपम्पों एवं 2,734 ग्रामीण नल जल योजनाओं में से मार्च 2007 तक 6,801हैंडपम्प और 487 ग्रामीण नल जल योजनाएं उचित रखखाव के अभाव में बंद पडी थी।इसके परिणाम स्वरूप न केवल 41.30 करोड रू. का निष्फल व्यय हुआ किन्तु 26.74 लाख ग्रामीण जनसंख्या भी पेयजल सुविधाओं से वंचित रही।

प्रमुख अभियंता ने कहा (सितम्बर 2007) कि विभाग एवं पंचायती राज संस्थाओं द्वारा नियमित चालन एवं रखरखाव संतोषजनक रूप से किया गया था। अनेकों निष्क्रिय योजनाओं को दृष्टिगत रखते हुए उत्तर मान्य नहीं था। .

3.4.11 परिसम्पत्तियों की सूची

दिशानिर्देशों के अनुसार ग्राम पंचायत, विकासखंड एवं जिला स्तर की प्रत्येक निष्पादन संस्थाओं को विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत सृजित सभी पेयजल स्रोतों की पूर्ण सूची बनायी जानी थी। क्रियान्वयन एजेन्सी (लो. स्वा. या. वि.) के पास सकल जानकारी उपलब्ध होनी चाहिए थी। भारत सरकार एवं म. प्र. शासन के अनुदेशों के बावजूद, नमूना जांच किए गए संभागों/इकाइयो सहित किसी भी स्तर पर गतिवर्धित ग्रामीण जल प्रदाय कार्यक्रम के अंतर्गत सृजित परिसंपत्तियों की सकल सूची संधारित नहीं की गई थी।

[59] *भोपाल, रायसेन, राजगढ, खरगौन, सागर, जबलपुर, कटनी, डिण्डौरी, सिवनी, छिंदवाडा, तथा शहडोल।*

3.4.12 विभागीय रिग्स का प्रबंधन

मेकेनिकल विंग को सुदृढ करने के लिए कोई प्रयास नहीं किए गए ।

कार्यक्रम की सफलता के लिए विभागीय रिग्स का निष्पादन क्रांतिक (क्रिटिकल) था। इस प्रयोजन के लिए राज्य में एक विद्युत एवं यांत्रिकी संकाय की स्थापना (1987) की गई थी। राज्य के पास 9,792 नलकूप प्रतिवर्ष की औसत आकलित क्षमता के साथ 102 रिग्स हैं। योजना अवधि के दौरान विभागीय खनन क्षमता बढाने के लिए म. प्र. शासन द्वारा कोई प्रयास नहीं किए गये थे। मशीनों एवं संयंत्रों के क्रय हेतु उपलब्ध 13.64 करोड़ रूपये की निधियों के विरूद्ध मार्च 2007 तक केवल 11 करोड रूपये व्यय किये गए थे।.

ड्रिलिंग रिग्स का अनुकूलतम क्षमता तक उपयोग नहीं किया गया था ।

लेखापरीक्षा छानबीन से प्रकट हुआ कि विभाग ने विभागीय रिग्स को उनकी उपलब्ध पूर्ण क्षमता के साथ कार्य पर लगाने की अपेक्षा नलकूपों के खनन के लिए निजी ठेकेदारों को अधिमान दिया। विभागीय रिग्स द्वारा औसत खनन लागत 50,000 रूपये प्रति नलकूप थी जबकि ठेकदारो को माध्यम से यह 65000 रू. प्रति नलकूप थी। इस प्रकार विभागीय रिग्स के कम उपयोग से 4.65 करोड रूपये का अतिरिक्त व्यय हुआ।

3.4.13 कार्यक्रम का अनुवीक्षण एवं मूल्याकंन

कार्यक्रम के अनुवीक्षण हेतु गठित राज्य समिति के अलावा विशेष अनुवीक्षण (मॉनीटरिंग) प्रकोष्ठ तथा अन्वेषण इकाई भी जानकारियाँ एकत्र करने, आँकंडो के संधारण एवं भारत सरकार को समय पर नियत कालिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी थी। दिशानिर्देशों में कार्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु राज्य के अधिकारियों द्वारा जिलों, विकास खण्डों एवं ग्रामों का भ्रमण करते हुए नियमित निरीक्षण विचारित था। लेखापरीक्षा छानबीन में प्रकट हुआ कि समितियों के गठन के बाद भी अनुवीक्षण अपर्याप्त था; क्योंकि आधार स्तर तक विशेष अनुवीक्षण प्रकोष्ठ हेतु व्यक्तियों की पहचान एवं उनका प्रशिक्षण अभी तक पूर्ण नहीं हुआ था।

3.4.14 क्रियान्वयन के प्रभाव का आंकलन

कार्यक्रम के प्रभाव का आकलन अपर्याप्त था।

वर्ष 2002-03 से 2006-07 की अवधि में गतिवर्धित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम एवं न्यूनतम आवश्यकता कार्यकम की निधियों के अंतर्गत राज्य की ग्रामीण जनसंख्या की विकट पेयजल आवश्यकता को हल करने के लिए कार्यक्रम के क्रियान्वयन पर 1,216.32 करोड़ रूपये के निवेश के बावजूद मार्च 2007 तक 1,777 बसाहटों में कोई पेयजल स्रोत नहीं है, एवं 14,840 बसाहटें आंशिक पूर्ण रही हैं। 42,284 बसाहटों (14,035 अनाच्छादित एवं 28,249 आंशिक पूर्ण) के पुनर्निगमन और जल गुणवत्ता प्रभावित बसाहटों की वृद्वि ने कार्यक्रम के प्रभाव को और भी नकार दिया था।

प्रमुख अभियंता ने बताया (सितम्बर 2007) कि भारत सरकार द्वारा गतिवर्धित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार राज्य ने प्रगति प्राप्त की है किन्तु उप-मिशन निधियाँ या तो उपलब्ध नहीं कराई गई अथवा बहुत विलंब से विमुक्त किये जाने के कारण विलम्ब हुआ था। भारत सरकार द्वारा निर्धारित

अनाच्छादित/आंशिकपूर्ण बसाहटों के आच्छादान के लक्ष्यों को मार्च 2009 तक प्राप्त कर लिया जाएगा। .

3.4.15 निष्कर्ष

कार्यक्रम को 1999 से समुचित बढ़ावा देने के बावजूद, प्राथमिकता क्षेत्रों, धारणीयता, सामुदायिक भागीदारी, चालन एवं रख रखाव आदि की उपेक्षा के कारण योजनाकरण एवं क्रियान्वयन पीड़ित रहा। समस्याग्रस्त बसाहटों एवं गुणवत्ता प्रभावित स्रोतों के सार्थक पुनर्निगमन ने कार्यक्रम के प्रभाव को और भी नकार दिया। अपर्याप्त एवं अक्षम अनुवीक्षण के परिणामस्वरूप कार्यक्रम को 8 वीं से 11 वीं पंचवर्षीय योजना अवधि तक बढ़ाना पड़ा जिससे सभी ग्रामों को वर्ष 2004 तक सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के कथित उद्देश्यों को प्राप्त करने में विफलता निर्दिष्ट हुई। परिणामस्वरूप 10 वीं योजना अवधि के पूर्व से स्वीकृत योजनाएं भी अपूर्ण थी एवं अक्रियाशील परिसंपत्तियों एवं अधारणीय प्रणालियां/स्रोतों की एक बडी संख्या सृजित की गई थी; जो योजनाकरण की गंभीर दुर्बलताओं के प्रतीक थे। राज्य योजना के अंतर्गत उपलब्ध सभी निधियों का उपयोग करनें में भी सक्षम नहीं था।.

3.4.16 अनुशंसाएं

- शासकीय एजेन्सियों से परे स्वजलधारा योजनाओं का निष्पादन रोकना चाहिए। जैसा कि विचारित था सामुदायिक भागीदारी सुनिश्चित की जानी चाहिए।
- शासन को गुणवत्ता प्रभावित बसाहटों पर ध्यान केन्द्रित करना चाहिए।
- शासन को जलगुणवत्ता अनुवीक्षण एवं निगरानी नेटवर्क को सुदृढ करना चाहिए।
- विभिन्न योजनान्तर्गत सृजित परिसम्पत्तियों का उचित रख-रखाव सुनिश्चित किया जाना चाहिये।
- शासन को कार्यक्रम का प्रभावी क्रियान्वयन एवं अनुवीक्षण सुनिश्चित करना चाहिए।

प्रकरण शासन को सितम्बर 2007 में संदर्भित किया गया था उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (नवम्बर 2007).

आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति कल्याण विभाग

3.5 अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों का शैक्षिक विकास

विशेषतायें

संविधान में राज्य को भारतीय समाज के कमजोर वर्गों के शैक्षिक एवं आर्थिक हितों को बढ़ावा देने का व्यादेश दिया गया है । मध्यप्रदेश में, आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के कुल बजट प्रावधान का लगभग 70 प्रतिशत, अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के शैक्षिक विकास के लिए उपयोग किया जा रहा है प्रारंभिक शिक्षा का सार्वजनीकरण, शाला त्यागने की दर में कमी लाने, नौकरियों एवं उच्चतर शैक्षिक एवं व्यावसायिक संस्थाओं में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के उद्देश्य से केन्द्र एवं राज्य सरकारों द्वारा विभिन्न शैक्षिक योजनाओं का कार्यान्वयन किया जा रहा है । निष्पादन लेखापरीक्षा के कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्ष नीचे दिए गए हैं :

विभाग के जिला कार्यालयों द्वारा 70.30 करोड़ रूपये आहरित करके व्यक्तिगत जमा खाते में रखे गये । जिसके कारण 4323.68 करोड़ रूपये के कुल व्यय में इस सीमा तक अधिक व्यय हुआ ।

(कंडिका 3.5.7.1)

सतना, सीधी, धार एवं बैतूल में 2.10 करोड़ रूपये के अस्थाई अग्रिम असमायोजित/ वसूली हेतु लंबित थे ।

(कंडिका 3.5.7.3)

नमूना जांच किये गए जिलों में 66.55 करोड़ रूपये की छात्रवृत्ति के भुगतान के बैंक स्क्रॉल्स नोडल बैंकों से प्राप्त नहीं किये गये थे ।

(कंडिका 3.5.10.3)

निर्धारित प्रक्रिया से विचलन के कारण सीधी में पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति के 2.65 लाख रूपये की राशि का कपटपूर्ण संवितरण किया गया था (2006-07) ।

(कंडिका 3.5.10.4)

अशासकीय शैक्षणिक संस्थाओं को 1.55 करोड़ रूपये की राशि के अनियमित सहायता अनुदान का भुगतान किया गया था ।

(कंडिका 3.5.12.1)

3.5.1 प्रस्तावना

राज्य पर समाज के कमजोर वर्गों विशेषतः अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के शैक्षिक एवं आर्थिक हितों को प्रोत्साहन देने का संवैधानिक उत्तरदायित्व है । मध्यप्रदेश में राज्य की कुल जनसंख्या का क्रमशः 15.17 प्रतिशत एवं 20.27 प्रतिशत अनसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों का है । राज्य की कुल 63.7 प्रतिशत साक्षरता दर के विरूद्ध अनसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों की साक्षरता दर क्रमशः 58.57 प्रतिशत एवं 41.16 प्रतिशत है । अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति कल्याण विभाग अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों के लोगों के शैक्षिक, आर्थिक एवं सामाजिक कल्याण के लिये उत्तरदायी है । विभाग के कुल बजट प्रावधान का लगभग 70 प्रतिशत उपयोग अनसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के शैक्षिक विकास के लिए किया जा रहा है । साक्षरता स्तरों में सुधार लाने, शालाओ में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों के नामांकन एवं उनको बनाये रखने के स्तरों में सुधार लाने, शाला त्यागने की दर में कमी लाने एवं उच्च शैक्षिक तथा व्यावसायिक संस्थाओं में उनका प्रतिनिधित्व बढ़ाने के उद्देश्य से केन्द्रीय एवं राज्य सरकार द्वारा सत्रह योजनायें प्रायोजित की गई हैं ।

3.5.2 संगठनात्मक संरचना

प्रमुख सचिव, आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति कल्याण विभाग भोपाल, विभाग के विभागाध्यक्ष हैं। आयुक्त, आदिवासी विकास, भोपाल एवं आयुक्त, अनुसूचित जाति विकास, भोपाल अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के कल्याण की विभिन्न योजनाओं को बनाने, मार्गदर्शन, अनुवीक्षण, पर्यवेक्षण एवं क्रियान्वयन हेतु नोडल अधिकारियों के रूप में कार्य करते हैं । जनजाति क्षेत्रों में स्कूल शिक्षा (उच्चतर माध्यमिक स्तर तक) के कार्यो के प्रबन्धन के लिए आयुक्त, आदिवासी विकास, के अधीन संचालक जनजाति शिक्षा, भोपाल कार्यरत हैं । राज्य में छः उपआयुक्त आदिवासी कल्याण हैं जो संभागीय स्तर पर विभाग की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कल्याण के क्रियाकलापों को नियंत्रित करते हैं । 18 अनुसूचित जनजाति बाहुल्य जिलों में सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास एवं 30 अनुसूचित जाति बाहुल्य जिलों में जिला संयोजक, आदिम जाति कल्याण, कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी हैं ।

3.5.3 लेखापरीक्षा के उद्देश्य

निष्पादन लेखापरीक्षा का उद्देश्य यह निर्धारित करना था कि क्याः

- अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के शैक्षिक विकास के लिये प्रारम्भ की गई विभिन्न योजनाओं की प्लानिंग विश्वसनीय स्वीकार्य आकड़ों पर आधारित थी:
- विभिन्न योजनाओं के लिये उद्दिष्ट निधियों का आवंटन, जारी होना एवं उपयोग पर्याप्त तथा प्रभावी था:

- विभिन्न शैक्षिक योजनाओं का क्रियान्वयन प्रभावी था;
- शैक्षिक संकेतकों जैसे अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के मध्य साक्षरता की दर, कुल नामांकन अनुपात, कुल शाखा त्यागने की दर एवं लैंगिक समानता सूचक में उन्नति हेतु राज्य शासन के प्रयास पर्याप्त थे एवं
- विभिन्न स्तरों पर अनुवीक्षण प्रणाली प्रभावी रूप से कार्यरत थी ।

3.5.4 लेखापरीक्षा के मानदण्ड

लेखापरीक्षा के निष्कर्ष मुख्यतः निम्न मानदण्डों पर आधारित थे:

- जनगणना के आंकड़े एवं अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों की जनसंख्या तथा पात्र बच्चों पर आंकड़े:
- पात्रता के निर्धारित मानदण्ड तथा विद्यार्थियों के चयन हेतु मार्गदर्शी सिद्धान्त,
- मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार भुगतान की निर्धारित प्रक्रियाए तथा निधियों का उपयोग:
- शाला त्यागने की दर में वृद्धि/कमी और
- विद्यमान अनुवीक्षण प्रणाली

3.5.5 लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं कार्यप्रणाली

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के शैक्षणिक विकास पर 2002-07 की अवधि की निष्पादन लेखापरीक्षा फरवरी से अक्टूबर 2007 के दौरान की गई थी । राज्य स्तर पर आयुक्त आदिवासी विकास एवं आयुक्त,अनुसूचित जाति विकास के कार्यालयों में एवं 48 जिलों में से 14 जिलो[60] के सहायक आयुक्त आदिवासी विकास तथा जिला संयोजकों, आदिम जाति कल्याण के अभिलेखों की नमूना जांच की गई । नमूना जिलों के चयन के लिये आकार की आनुपातिक सम्भाव्यता के साथ प्रतिस्थापन (पी.पी.एस. डब्लू.आर.) नमूना चयन विधि का उपयोग किया गया । चयनित जिलों में विश्वविद्यालयों महाविद्यालयों, विद्यालयों एवं छात्रावासों का चयन वगैर प्रतिस्थापन सरल यादृच्छिक चयन (एस.आर.एस.डब्लू.ओ.आर.) पद्धति से किया गया था । आयुक्त,आदिवासी विकास एवं आयुक्त, अनुसूचित जाति विभाग के साथ प्रारंभिक सम्मेलन फरवरी 2007 में आयोजित किया गया था ।

[60] *भोपाल, बालाघाट, बड़वानी, बैतूल, छिन्दवाड़ा, देवास, धार, झाबुआ, मंदसौर, सतना, सिवनी, सीधी, उज्जैन एवं भिण्ड ।*

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

3.5.6 कार्यक्रम की योजना बनाना

3.5.6.1 विभिन्न कार्यक्रमों की योजना अविश्वसनीय आंकड़ों पर आधारित थी

कार्यक्रमो की योजना बनाने से पहले हितग्राहियों का सर्वेक्षण नहीं किया ।

विभाग को अनुसूचित जातियों/जनजातियों के शैक्षणिक विकास की विभिन्न योजनायें बनाने एवं लागू करने के लिये विद्यालयो/महाविद्यालयों में अनुसूचित जाति/जनजाति के विद्यार्थियों की पहचान एवं संख्या ज्ञात करना चाहिये थी । यह देखा गया कि किसी भी स्तर पर हितग्राहियों के लिये सर्वे नहीं किया गया तथा न पात्र हितग्राहियों के ऐसे आंकड़े तैयार किये गये थे । विभिन्न छात्रावासों तथा विद्यालयों में अधिभोग संबंधी वर्षवार आंकड़े संधारित नहीं किये गये थे । इन आंकड़ो के अभाव में कार्यक्रमों को लागू करने के लिये वांछित निधियों का प्रक्षेपण विगत वर्षो के व्यय के आधार पर किया गया था ।

3.5.6.2 योजनाओं का प्रचार नहीं किया जाना

हितग्राहियों की वृद्धि एवं सामान्य जनता में जागरूकता उत्पन्न करने के लिये योजनाओं का सार्थक प्रचार आवश्यक था । यह देखा गया कि शैक्षिक योजनाओं के प्रचार हेतु आवश्यक निधि का बजट में प्रावधान न होने से किसी भी स्तर पर चालू शैक्षिक योजनाओं के प्रति जनता में जागरूकता उत्पन्न करने के लिय प्रिन्ट मीडिया, इलेक्ट्रानिक मीडिया, होर्डिग्स आदि के माध्यम से प्रचार-प्रसार नहीं किया गया ।

योजनाओं का कार्यान्वयन

3.5.7 वित्तीय प्रबन्धन

4323.68 करोड़ रूपये का व्यय 70.30 करोड़ रूपये के द्वारा अधिक बताया गया ।

3.5.7.1 कमजोर बजटीय नियंत्रण

विभाग के समस्त क्रिया कलापों के लिये बजट प्रावधान तथा अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए शैक्षिक विकास हेतु 2002-07 की अवधि में किये गये बजट प्रावधान एवं व्यय की स्थिति निम्नानुसार थी:

(करोड़ रूपये में)

वर्ष	विभाग का कुल बजट प्रावधान	शैक्षिक विकास के कार्यक्रमों पर बजट परिव्यय कुल बजट आवंटन के प्रतिशत सहित	शैक्षिक विकास कार्यक्रमों पर किया गया व्यय	बचत
2002-03	999.58	699.62 (70.00)	680.40	19.22
2003-04	1154.08	816.44 (70.74)	793.90	22.54
2004-05	1230.74	912.97 (74.18)	888.33	24.64
2005-06	1295.31	932.15 (71.96)	912.52	19.63
2006-07	1439.01	1047.26 (72.78)	1048.53	(-)1.27
योग	**6118.72**	**4408.44**	**4323.68**	**84.76**

ऊपर दर्शाये अनुसार वर्ष 2002-07 की अवधि में विभाग द्वारा 4323.68 करोड़ रूपये के व्यय को 70.30 करोड़ रूपये अधिक बताया गया क्योंकि इस राशि को जिला कार्यालयों द्वारा आहरित किया जाना पाया गया था तथा कोषालयों में, विभिन्न बैंकों में व्यक्तिगत जमा खाते में जमा कराया गया था । इस राशि को कल्याणकारी योजनाओं के लिए उपयोग नहीं किया गया अपितु व्यय के रूप में पुस्तांकित किया गया जिसके परिणामस्वरूप व्यय को बढ़ाकर बताया गया। अतः 2002-07 की अवधि में 155.06 करोड़ रूपये अप्रयुक्त रहे ।

वर्ष 2006-07 में 1.27 करोड़ रू. के अधिक व्यय के बावजूद 132.67 करोड रूपये की राशि का अविवेकपूर्ण समर्पण किया गया था

अनुसूचित जाति/जनजाति के शैक्षिक विकास कार्यक्रमों पर 2006-07 में बजट परिव्यय के अतिरिक्त 1.27 करोड़ रूपये का अधिक व्यय था । इसके विपरीत, मार्च 2007 में विभाग ने 132.67 करोड़ रूपये अभ्यर्पित कर दिये । विभाग ने बताया कि कोष एवं लेखा विभाग की वेवसाइट पर प्रदर्शित बचतों के परिणामस्वरूप अभ्यर्पण किया गया था। यह विभाग का अविवेकपूर्ण निर्णय था तथा दर्शाता है कि विभाग द्वारा व्यय की प्रगति का अनुवीक्षण नहीं किया गया ।

3.5.7.2 उपलब्ध निधियों का उपयोग न होना

अप्रयुक्त रहे 1.58 करोड रूपये मार्च 2005 में सरकार को व्यपगत हो गए ।

वित्तीय नियमों के अनुसार कोषालय से धन का आहरण निषिद्ध है जब तक कि तुरंत संवितरण की आवश्यकता न हो । यह जानकारी में आया कि वर्ष 2001-02 में अनुसूचित जाति के बालक-बालिकाओं के लिये 114 प्री-मैट्रिक छात्रावासों/आश्रमों के लिये स्वीकृत 19 करोड़ रूपये का आहरण आयुक्त, अनुसूचित जाति विकास ने किया और साथ ही साथ सिविल डिपाजिट के अन्तर्गत कोषालय में जमा कर दिया (मार्च 2002) । इसमें से अक्टूबर 2004 तक वांछित उद्देश्य के लिये 17.42 करोड़ रूपये जारी किये गये । शेष राशि 1.58 करोड़ रूपये सरकार को व्यपगत हो गए (मार्च 2005) ।

3.5.7.3 अस्थाई अग्रिमों का असमायोजित रहना

सतना, सीधी, धार एवं बैतूल जिलों में 30 वर्ष की अवधि से 2.10 करोड़ रूपये के अस्थाई अग्रिम असमायोजित पड़े हुए थे ।

मध्यप्रदेश कोष संहिता के नियम 53(IV) के अनुसार अस्थाई अग्रिमों का समायोजन अथवा वसूली कर लेना चाहिये एवं तीन माह से अधिक बकाया नहीं रहना चाहिये । यह देखा गया कि सतना, सीधी, धार एवं बैतूल जिले मे विगत कई वर्षों से अर्थात 1977-78 से 2006 तक अस्थाई अग्रिम के 2.10 करोड़ रूपये असमायोजित पड़े थे (मई 2007) । यह उल्लेख करना उपयुक्त है कि 2.10 करोड रूपये में से 0.23 करोड़ रूपये प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति के पेटे बकाया थे । कार्यालय प्रमुखों द्वारा बकाया अस्थाई अग्रिमों के समायोजन अथवा वसूली के लिए कोई कार्यवाही नहीं की गई थी । संबंधित अधिकारियों ने बकाया अस्थाई अग्रिमों के समायोजन की कार्यवाही करने का आश्वासन दिया था । यह कमजोर वित्तीय प्रबन्धन का द्योतक था ।

3.5.8 अस्वच्छ व्यवसायों में लगे व्यक्तियों के बच्चों को प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति का भुगतान

व्यवसाय प्रमाण-पत्रों के सत्यापन के बगैर छात्रवृत्ति की स्वीकृति एवं भुगतान किया गया

योजना का उद्देश्य ऐसे विद्यार्थी जिनके माता-पिता परम्परागत रूप से अस्वच्छ व्यवसायों में कार्यरत हैं, को मैट्रिकुलेशन स्तर तक की शिक्षा जारी रखने हेतु आर्थिक मदद

उपलब्ध कराना था । योजना के अन्तर्गत उत्तरदायित्व की वचनबद्धता से अधिक व्यय की राशि 50:50 के अनुपात में संघ एवं राज्य सरकार द्वारा वहन की जाती है । राज्य में 2002-03 से 2006-07 तक की अवधि में हितग्राहियों की संख्या निम्नानुसार थी:

(लाख रूपये में)

वर्ष	उपलब्ध निधियाँ	वास्तविक व्यय	हितग्राहियों की संख्या	विगत वर्ष की अपेक्षा हितग्राहियों की संख्या के प्रतिशत में वृद्धि (+)/कमी(-)
2002-03	638.91	628.12	52095	-
2003-04	662.00	541.26	57517	(+) 10.41
2004-05	559.00	526.30	58413	(+) 1.56
2005-06	619.00	475.77	37797	(-) 35.29
2006-07	723.19	452.37	37633	(-) 0.43
योग	**3202.10**	**2623.82**	**243455**	-

यह ध्यान में आया कि विभाग द्वारा जुलाई 2003 में अनुदेश जारी किये गये थे कि हितग्राहियों के माता-पिता का वास्तविक व्यवसाय एवं आय के मुख्य स्रोत की जांच के पश्चात योजनान्तर्गत छात्रवृत्ति स्वीकृत की जावे । इसके बावजूद, राज्य स्तर पर वर्ष 2005-06 में हितग्राहियों की संख्या में कमी आई जो कि वर्ष 2003-04 एवं 2004-05 में अपात्र हितग्राहियों को छात्रवृत्ति के भुगतान की संभावना का द्योतक था ।

आगे यह भी ध्यान में आया कि वर्ष 2005-06 में हितग्राहियों की संख्या में पर्याप्त कमी (35.29 प्रतिशत की) होते हुये भी योजना पर वर्ष में बजट परिव्यय में 11 प्रतिशत की वृद्वि की गई थी । इसी प्रकार वर्ष 2006-07 में हितग्राहियों की और कमी के बावजूद बजट परिव्यय में 16.83 प्रतिशत की वृद्वि की गई जिसके परिणामस्वरूप वर्ष 2006-07 में 2.71 करोड़ रूपये (उपलब्ध निधियों का 37.45 प्रतिशत) अप्रयुक्त रहे । चूंकि इन निधियों का किसी भी अन्य कल्याणकारी योजना पर उपयोग किया जा सकता था अतः यह वित्तीय योजना बनाने की कमी का सूचक था ।

3.5.9 केन्द्रीय सहायता का प्राप्त न होना

2005-06 एवं 2006-07 के वर्षो के लिए 16.82 करोड़ रूपये की केन्द्रीय सहायता प्राप्त नहीं हुई ।

मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना का उद्देश्य मैट्रिकोत्तर स्तर पर अध्ययनरत अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों को आर्थिक दिक्कतों के बगैर शिक्षा पूरी करने के लिये वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है । योजनान्तर्गत राज्य सरकार केन्द्रीय सरकार से राज्य के दायित्वों की बचनबद्धता के अतिरिक्त 100 प्रतिशत सहायता प्राप्त करती है ।

आयुक्त, आदिवासी विकास एवं आयुक्त, अनुसूचित जाति विकास के अभिलेखों कीजांच (जुलाई 2007) से प्रकट हुआ कि दायित्वों की बचनवद्वता के अतिरिक्त 16.82 करोड़ रूपये की बकाया राशि वर्ष 2005-06 (5.93 करोड़ रूपये) एवं 2006-07 (10.89 करोड़ रूप) में आयुक्त, आदिवासी विकास के कार्यालय में अभी तक प्राप्त होना शेष थी ।

3.5.10 छात्रवृत्तियों का भुगतान

3.5.10.1 अनुरक्षण भत्ते का अधिक भुगतान

निःशुल्क आवासीय सुविधायें प्रदाय करने के बावजूद छात्रावासियों को पूर्ण अनुरक्षण भत्तों का भुगतान किया गया था ।

पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत छात्रावासों में रहने वाले छात्रों को निर्धारित दर से अनुरक्षण भत्ते का भुगतान किया जाता है । छात्रवृत्ति भुगतान के विनियमों के अनुसार ऐसे विद्यार्थी जो निशुल्क भोजन और/या निःशुल्क आवास के पात्र हैं, को छात्रावासियों के लिए दर का 1/3 अनुरक्षण प्रभार का भुगतान किया जायेगा । आयुक्त, आदिवासी विकास एवं आयुक्त, अनुसूचित जाति विकास के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि समूह-IV के सभी छात्रावासियों को निःशुल्क आवास सुविधाएं प्रदाय की गई थीं परन्तु वर्ष 2002-07 की अवधि के दौरान इन्हें अनुरक्षण भत्ते का भुगतान किया गया था । इसके परिणामतया नीचे दर्शाये अनुसार 6.87 करोड़ रूपये का अधिक भुगतान हुआ:

(लाख रूपए में)

वर्ष	समूह-IV के हितग्राहियो की संख्या		अनुरक्षण भत्ते का भुगतान		
	अनु.जाति	अनु.ज.जा.	अनु.जाति	अनु.ज.जा.	कुल
2002-03	4997	2366	56.70	28.17	84.87
2003-04	5397	2725	126.82	47.76	174.58
2004-05	7357	2690	172.88	65.11	237.99
2005-06	7357	2614	172.88	49.57	222.45
2006-07	7357	2661	172.88	62.43	235.31
योग	**32465**	**13056**	**702.16**	**253.04**	**955.20**

अधिक भुगतान = 2/3 x 955.2 = 6.37 करोड़ रूपये

3.5.10.2 छात्रवृत्ति का देरी से भुगतान

9205 छात्रों को अगले शैक्षणिक सत्र में छात्रवृत्ति का भुगतान किया गया ।

नियमानुसार छात्रों को छात्रवृत्ति का भुगतान उसी शैक्षिक सत्र में करना चाहिये जिसके लिये छात्रवृत्ति स्वीकृत की गई थी और अवितरित शेष राशि वर्ष के अन्त में कोषालय में वापिस जमा कराना चाहिये । बालाघाट, भोपाल, छिन्दवाड़ा एवं सिवनी जिलों के अभिलेखों की जांच में प्रकट हुआ कि 52059 छात्रों में से 9205 को विभिन्न छात्रवृत्तियों का भुगतान उसी शैक्षणिक सत्र में नहीं किया बल्कि आगामी सत्र में किया गया ।

3.5.10.3 छात्रवृत्ति के संवितरण का मिलान न किया जाना

नमूना जांच किये गये जिलों में 66.55 करोड़ रूपये के व्हाउचर लेखापरीक्षा में प्राप्त नहीं हुये थे अतः उनके भुगतान को लेखापरीक्षा में सत्यापित नहीं किया जा सका ।

नियनों में प्रावधान है कि छात्रवृत्ति हेतु बजट आवंटन प्राप्त होने पर जिला अधिकारी, कोषालय से साधारण रसीद पर अग्रिम आहरण करेगा और इसे जिले की विभिन्न शैक्षिक संस्थाओं के नोडल खातों में आगे अंतरण करने के उद्देश्य से जिला नोडल बैंक के खाते में जमा करायेगा । जिला कार्यालय में नोडल खातेवार खातावही भी संधारित की जाती है । जिला कार्यालय में बैंक स्क्रॉल (भुगतान किए गए वाउचर) प्राप्त होने पर नोडल बैंकों को अन्तरित राशि के विरूद्ध खातावही में समायोजन किया जाता है । वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर, नोडल बैंकों में शेष रही राशि जिला नोडल बैक में एकत्रित की जाती है और अन्ततः कोषालय में वापस जमा कराई जाती है । जिला कार्यालय

को चाहिये था कि वह महालेखाकार, मध्यप्रदेश के कार्यालय को समायोजन विवरण-पत्र प्रस्तुत करे ।

नमूना जांच किये गये ग्यारह जिलों के अभिलेखों की जांच (मार्च-अक्टूबर 2007) में प्रकट हुआ कि 2002-07 की अवधि में प्री-मैट्रिक एवं पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति की 66.55 करोड़ रूपये की राशि के बैंक स्क्रॉल (**परिशिष्ट 3.5** में दिये गये विवरण के अनुसार) प्राप्त नहीं किये गये थे और ना ही यह राशि संबंधित कोषालयों में वापस जमा की गई थी । जिला कार्यालयों ने आंकड़ों का मिलान बैंकों से नहीं किया था । और ना हीं समायोजन विवरण-पत्रकों को महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) मध्यप्रदेश को प्रस्तुत किया था ।

मन्दसौर जिले में ऊपर बताये गये विवरणों का समावेश करते हुए वर्ष 2004-05 तक खाताबही संधारित नहीं की गई थीं । इसी प्रकार वर्ष 2005-07 की अवधि में जिला नोडल बैंक में जमा की गई राशि के संबंध मे केवल सूचना उपलब्ध थी ।

यह इंगित किये जाने पर सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास/जिला संयोजक आदिमजाति कल्याण ने बैंक स्क्रॉल शीघ्र प्राप्त करने हेतु सहमति दी अतः 66.55 करोड़ रूपये के बैंक स्क्रॉल प्राप्त नहीं करने के कारण यह स्त्यापित नहीं हुआ कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को इसी राशि का वास्तव में समय पर संवितरण हुआ अथवा नहीं ।

3.5.10.4 छात्रवृत्ति का कपटपूर्ण संवितरण

प्रक्रिया से विचलन के कारण 2.65 लाख रूपये मूल्य की छात्रवृत्ति का कपटपूर्ण संवितरण ।

पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति के भुगतान हेतु निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार शिक्षण संस्था के प्रमुख द्वारा छात्रों को केवल क्रॉस-चैकों के माध्यम से छात्रवृत्ति का भुगतान करना चाहिये, छात्रवृत्ति खातावही में हितग्राही का पासपोर्ट के आकार का फोटो चित्र उसके नाम के सामने चिपकाना चाहिए, क्रास-चैक जारी करने का तथ्य छात्रवृत्ति खाता वही में अंकित करना चाहिए नोडल बैंक द्वारा हितग्राही की पहचान सत्यापित करने के पश्चात भुगतान करना चाहिए एवं छात्रवृत्ति भुगतान के सत्यापित बैंक स्क्रॉल दो प्रतियों में प्रतिमाह जिला कार्यालय (सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास/जिला संयोजक, आदिमजाति कल्याण) के पास भेजना चाहिये ।

संजय गांधी स्मारक शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सीधी के अभिलेखों की जांच में प्रकट हुआ कि छात्रवृत्ति के भुगतान के लिए निर्धारित प्रकिया का पालन नहीं किया गया था । नोडल बैंक से छात्रवृत्ति के आहरण के लिये छात्रों को क्रास चैकों के स्थान पर संस्था प्रमुख की रबड़ की मोहर लगाकर एवं हस्ताक्षर सहित बैंक आहरण फार्म दिए गए । चूंकि बैंक आहरण फार्म संस्था के पास सदैव प्रचुर संख्या में उपलब्ध रहते हैं, छात्रवृत्ति के कपटपूर्ण आहरण का एक प्रकरण घटित हुआ जिसमें किसी अज्ञात व्यक्ति ने 40 ऐसे आहरण फार्म स्वीकृतिकर्ता प्राधिकारी की जाली मोहर एवं हस्ताक्षर सहित) दिनांक 9 अक्टूबर 2006 और 14 दिसम्बर 2006 की अवधि में प्रस्तुत किये और नोडल बैंक से 2.65 लाख रूपये आहरित कर लिए । लेखापरीक्षा में यह ज्ञात हुआ कि महाविद्यालय में छात्रवृत्ति की खाताबहियाँ अपूर्ण थीं एवं स्क्रॉलों का सत्यापन खातावही तथा स्वीकृतियों के सन्दर्भ में कभी भी नहीं किया गया । नोडल बैंक ने भी

आहरण फार्मों के वाहकों की पहचान का सत्यापन नहीं किया था .। महाविद्यालय के प्राचार्य ने पुलिस के पास प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 23 दिसम्बर 2006 को दर्ज कराई । प्रकरण विवेचनाधीन था (मई 2007) । प्राचार्य, संजय गांधी शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सीधी ने बैंक स्क्रॉल कभी भी सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास, सीधी को नहीं भेजे । लेखापरीक्षा में इंगित करने पर प्राचार्य ने भविष्य में निर्धारित प्रक्रिया का कठोरता से पालन करने का आश्वासन दिया ।

बैतूल जिले में भी मार्गदर्शी सिद्वान्तों का उल्लंघन करते हुए छात्रों को छात्रवृत्ति का भुगतान बैंक आहरण फार्मो के माध्यम से किया जा रहा था ।

3.5.10.5 छतरपुर जिले में बैंक को सेवा प्रभारों का अधिक भुगतान

कक्षा VI एवं ऊपर के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों को छात्रवृत्ति का भुगतान केवल चैकों के माध्यम से किया जाना था । मध्यप्रदेश शासन आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति कल्याण विभाग ने जिला कार्यालयों को चैक एवं सेवा प्रभारों पर 1/- रूपया प्रति छात्रवृत्ति चैक की दर से भुगतान की सहमति प्रदान की थी । जिला संयोजक, आदिमजाति कल्याण,छतरपुर के कार्यालय में छात्रवृत्ति के भुगतान से संबंधित अभिलेखों की जॉच (जुलाई 2006) से प्रकट हुआ कि बुन्देलखण्ड क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, छतरपुर (भारतीय स्टेट बैंक द्वारा प्रायोजित) ने चैक के माध्यम से प्रत्येक भुगतान पर 10/-रूपये की दर से सेवा प्रभार की उगाही करने का निर्णय किया (अक्टूबर 2004)। बुन्देलखण्ड क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, छतरपुर के माध्यम से वर्ष 2005-06 एवं 2006-07 में 42739 छात्रों को प्री-मैट्रिक तथा पोस्टमैट्रिक छात्रवृत्ति का भुगतान किया था । परिणामतया जिले में 9/-रूपये प्रति चैक की दर से सेवा प्रभारों के कारण अनुमानित 3.85 लाख रूपये का अधिक भुगतान किया गया जिसे बैंक में पड़ी हुई छात्रवृत्ति की शेष अवितरित राशि पर प्रभारित किया गया था ।

बुन्देलखण्ड क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक छतरपुर द्वारा छात्रवृत्ति के भुगतान पर 3.85 लाख रूपये के सेवा प्रभारों का अनियमित रूप से प्रभार वसूल किया गया ।

3.5.11 छात्रावासों एवं आश्रम स्कूलों का निर्माण

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों को समुदाय में उच्च शिक्षा के प्रतिशत में अधिकतम वृद्धि करने के उद्देश्य से उनके घरों से दूर, विद्यालयों एवं महाविद्यालयों के समीप आवासीय सुविधायें उपलब्ध कराने के लिये छात्रावासों एवं आश्रम स्कूल भवनों के निर्माण की योजनाएं प्रारम्भ की गई थीं । भारत सरकार के नियमों के अनुसार छात्रावास/स्कूल भवनों का समस्त निर्माण, केन्द्र सरकार द्वारा अनुदान की स्वीकृति एवं जारी होने के दो वर्ष के भीतर पूर्ण होना था । योजना के क्रियान्वयन में ध्यान में आई कमियो की चर्चा आगामी कंडिकाओं में की गई है ।

3.5.11.1 सिवनी जिले में एक ही कार्य के लिए दोहरी स्वीकृति

सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास, सिवनी के अभिलेखों की जांच (जुलाई 2007) में पाया गया कि वर्ष 1999-2000 के दौरान विशेष केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत अधीक्षक एवं चौकीदार के आवास-गृहों सहित तीन आदिवासी कन्या आश्रम भवनों का निर्माण गोरखपुर (विकास खण्ड-घनसौर), खमहारा (विकास खण्ड-घनसौर) एवं धूरबाड़ा

आयुक्त, आदिवासी विकास ने उन भवनों के निमाण की संस्वीकृति दी जो पूर्व में ही निर्मित हो चुके थे ।

(विकास खण्ड-लखनादौन) में स्वीकृत किया गया था एवं 46.78 लाख रूपये की लागत से इसको निर्माण ऐजेन्सी, ग्रामीण अभियान्त्रिकी सेवाएं (आर.ई.एस) सिवनी द्वारा 2001-02 के दौरान पूर्ण किया गया था । परन्तु इस तथ्य के सत्यापन के बिना ही वर्ष 2002-03 की अवधि में केन्द्र प्रवर्तित योजनान्तर्गत 35.14 लाख रूपये प्रत्येक की दर से इन कार्यो को पुनः संस्वीकृत किया गया था । इन कार्यो को कराने के लिए 33 लाख रूपये का आवंटन जिला सिवनी को दिया गया (वर्ष 2003-04) एवं सहायक आयुक्त आदिवासी विकास सिवनी ने उक्त राशि का फरवरी 2004 में आहरण कर निर्माण ऐजेन्सी (आर.ई.एस) को भुगतान किया । 33 लाख रूपये अभी तक निर्माण ऐजेन्सी के पास अव्ययित पड़े हुये थे ।

सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास, सिवनी ने उत्तर दिया कि निर्माण कार्यो के स्थान परिवर्तन के प्रस्ताव आयुक्त, आदिवासी विकास को प्रस्तुत किये गये थे (मई 2006) । फलस्वरूप नवम्बर 2007 में आयुक्त, आदिवासी विकास द्वारा स्थान परिवर्तन की संस्वीकृति दी गई । उत्तर दर्शाता है यह कार्य आयुक्त, आदिवासी विकास द्वारा पूर्व निर्मित निर्माण कार्यो का सत्यापन किये बगैर संस्वीकृत किये गये एवं विभाग अपने द्वारा निर्मित भौतिक अधोसंरचना के संबंध मे भी अनभिज्ञ प्रतीत हुआ ।

3.5.11.2 आदिवासी उपयोजना क्षेत्रों में आश्रम स्कूलों का निर्माण न करना/अपूर्ण निर्माण करना

भारत सरकार द्वारा वर्ष 2002-03 के दौरान कुल 7000 सीटों (जगहों) की क्षमता के 130 आश्रम स्कूलों की संस्वीकृति प्रदान की गई । इनकी अनुमानित लागत 47.10 करोड़ रूपये थी जिसमें से 23.55 करोड़ रूपये (50%) केन्द्रीय अंश था । भारत सरकार ने 23.27 करोड़ रूपये दिये परन्तु राज्य सरकार केवल 18.55 करोड़ रूपये व्यय कर सकी (जून 2007) ।

आयुक्त, आदिवासी विकास के अभिलेखों की जांच में प्रकट हुआ कि 130 संस्वीकृत आश्रम स्कूल भवनों में से 74 भवन जून 2007 तक की स्थिति में अपूर्ण रहे । इनमें से 21 आश्रमों के निर्माण कार्य पांच वर्षो की अवधि समाप्त होने के बाद भी प्रारम्भ नहीं हुए थे । छः प्रकरणों में भूमि उपलब्ध नहीं थी एवं अन्य पांच प्रकरणों में लेखापरीक्षा को कोई कारण नहीं बताए गये । अन्य 10 प्रकरणों में निविदा प्रक्रिया जारी थी अथवा स्थान परिवर्तन होना था । अन्य अपूर्ण आश्रम भवनों के लिए विभाग ने बताया कि निर्माण एजेंसियों ने कार्य में देरी की थी । अतः अनुसूचित जाति के 3,850 विद्यार्थी योजना के वांछित लाभों से वंचित रहे (जून 2007) ।

3.5.12 अशासकीय शैक्षिणक संस्थाओं को सहायता अनुदान की अनियमित संस्वीकृति

अनुसूचित जाति/जनजाति के विद्यार्थियों के कम नामांकन के बावजूद अशासकीय संस्थाओं को सहायता अनुदान जारी किया गया ।

3.5.12.1 स्वैच्छिक प्रयासों के माध्यम से अनुसूचित जातियों/जनजातियों को शिक्षा के क्षेत्र में समग्र सुधार एवं विकास के लिये अशासकीय शैक्षणिक संस्थाओं के संचालन एवं अनुरक्षण के लिए अनुमानित व्यय के अधिकतम 95 प्रतिशत तक निधियों को उपलब्ध कराने का निर्णय राज्य शासन द्वारा लिया गया तथा शेष 5 प्रतिशत की व्यवस्था संगठन द्वारा स्वयं की जानी थी । अशासकीय संगठन द्वारा संचालित विद्यालय में अनुसूचित

जाति/जनजाति के विद्यार्थियों के कम से कम 50% नामांकन होने पर विद्यालय को शासन से सहायता अनुदान की संस्वीकृति की पात्रता बनती है ।

जिला संयोजक, आदिम जाति कल्याण, भिण्ड के अभिलेखों की नमूना जांच (मार्च 2007) में पाया गया कि अशोक शिक्षा प्रसार समिति, लहार द्वारा संचालित, अशोक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, लहार, भिण्ड को वर्ष 2001-05 के दौरान 1.55 करोड़ रूपये[61] के अनुदान की संस्वीकृति दी गई एवं भुगतान किया गया था, जब कि उस संस्थान में अनुसूचित जाति/जनजाति के विद्यार्थियों का नामांकन 38 से 42 प्रतिशत[62] था । अनियमितता इंगित करने पर इस बारे में जिला संयोजक, आदिम जाति कल्याण भिण्ड ने बताया कि वर्ष 2005-06 एवं उससे आगे अनुसूचित जाति/जनजाति के विद्यार्थियों का नामांकन बढ़कर 70 प्रतिशत तक हो गया था । विभागाध्यक्ष ने बताया कि जिला योजना समिति, भिण्ड द्वारा अनुदान संस्वीकृत किया गया था । उत्तर मान्य नही था क्योंकि विभागाध्यक्ष प्रमुख को अनुदान जारी करने से पूर्व देखना आवश्यक था कि शासन के नियमों/अनुदेशों का कठोरता से पालन किया गया था । अतः 1.55 करोड़ रूपये के सहायता अनुदान का भुगतान निर्धारित मार्गदर्शी सिद्धान्तों के विरूद्ध था ।

कतिपय प्रकरणों में उन अपात्र संस्थाओं को सहायता अनुदान जारी किया गया जिनमें या तो अनुसूचित जाति/ जनजाति की संख्या निर्धारित संख्या से कम थी अथवा परिणाम खराब थे

3.5.12.2 आगे, अशासकीय संस्थाओं को सहायता अनुदान जारी करने के लिए यह सुनिश्चित करना भी आवश्यक था कि उनमें हाईस्कूल एवं उच्चतर माध्यमिक परीक्षाओं का निष्पादन, मण्डल के परीक्षा परिणामों से कम नहीं था । राज्य में माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश हाईस्कूल (कक्षा X) एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालय (कक्षा XII) की परीक्षाएं संचालित करता है । यह पाया गया (मई 2007) कि मानसिंह आदर्श जनता उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, कोचिला (जिला सीधी) नाम की एक अशासकीय संस्था का हाईस्कूल एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालय परीक्षाओं में निष्पादन 2003-04 एवं 2004-05 के दौरान मंडल की परीक्षाओं के औसत परिणामों से कम रहा । स्थिति निम्नानुसार थी:

	म0प्र0 मण्डल की परीक्षाएं		मानसिंह आदर्श जनता उ.मा.वि. कोचिला (सीधी)	
	2003-04	2004-05	2003-04	2004-05
कक्षा X	31.56	35.21	20	18
कक्षा XII	76.42	70.50	60	20

खराब निष्पादन के बावजूद, आयुक्त आदिवासी विकास ने वर्ष 2004-05 के दौरान उक्त संस्था को 2.37 लाख रूपये की राशि का सहायता अनुदान स्वीकृत एवं जारी किया जो कि सरकार के आदेशों के विरूद्ध था ।

61 *सहायता अनुदान का भुगतान 38.98 लाख रूपये 2001-02 के लिये, 38.26 लाख रू. 2002-03 के लिये,, 38.80 लाख रू. 2003-04 के लिये, एवं 39.34 लाख रू. 2004-05 के लिये ।*

62 *अनुसूचित जाति/अनुसचूतित जनजाति विद्यार्थियों का नामांकन 2001-02 में 42 प्रतिशत, 2002-03 में 40 प्रतिशत, 2003-04 मे 38 प्रतिशत एवं 2004-05 में 39 प्रतिशत ।*

3.5.13 विद्यालयों में स्टॉफ का अपर्याप्त परिनियोजन

पर्याप्त शिक्षक कर्मियों के बगैर शालाओं का संचालन किया जा रहा था ।

आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति कलयाण विभाग ने वर्ष 2005-06 में 6 आवासीय विद्यालयों में एवं 24 हाईस्कूलों को उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में एवं 85 माध्यमिक विद्यालयों को हाईस्कूलों में स्तरोन्नयन किया । फलस्वरूप 115 प्रधानाचार्यों, 288 शिक्षकों, 83 लिपिकों एवं 151 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के अतिरिक्त पदों का सृजन कर वर्ष 2006-07 में संस्वीकृति दी । परन्तु ये पद विभाग द्वारा स्तरोन्नयन किए गए विद्यालयों में अभी तक रिक्त थे (जुलाई 2007) ।

आगे आयुक्त, आदिवासी विकास के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि 6135 शिक्षकों के पद (2106 शिक्षक प्राथमिक विद्यालयों में, 3044 माध्यमिक विद्यालयों में, 985 शिक्षक हाईस्कूलों एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में), इन विद्यालयों में संस्वीकृत अध्यापको की संख्या के विरूद्ध रिक्त पड़े हुए थे । विभाग ने बताया कि जिला प्राधिकारियों को संविदा आधार पर शिक्षकों की नियुक्ति करने एवं अतिथि शिक्षकों को नियुक्त करने के भी आदेश दिए गए थे जिससे शिक्षकों की रिक्तियाँ भरी जा सकें । परन्तु आरक्षण मानदण्डों के अनुसार पात्र शिक्षक उपलब्ध न होने से पद अभी तक रिक्त पड़े हुये थे (नवम्बर 2007) ।

इस प्रकार शिक्षकों की कमी के कारण विद्यार्थियों को गुणवत्ता शिक्षा से वंचित रहना पड़ा (मार्च 2007) ।

3.5.14 योजनाओं की प्रभावशीलता

3.5.14.1 योग्यता के स्तरोन्नयन के लिए योजना का घटिया निष्पादन

योजना का उद्देश्य अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों को कक्षा IX से XII तक उपचारी एवं विशेष प्रशिक्षण देकर योग्यता का स्तरोन्नयन करना था । उपचारी प्रशिक्षण का ध्येय विभिन्न विषयें में कमियों को दूर करना होता है जबकि विशेष प्रशिक्षण इंजीनियरी एवं चिकित्सा शिक्षा जैसे व्यावसायिक पाठयक्रमों में प्रवेश पाने के लिये छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिये तैयार करने के उद्देश्य से दिया जाता है । योजना प्रतिछात्र प्रतिवर्ष 15000/-रूपये का एक मुश्त अनुदान उपलब्ध कराती है । इस उद्देश्य के लिए राज्य के विभिन्न जिलों में उत्कृष्टता केन्द्र स्थापित किये गये थे । इन केन्द्रों में, विगत परीक्षा में 60 प्रतिशत या अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों को कक्षा IX से XII में प्रवेश दिया जाता है । योजना में इस बात का ध्यान रखा गया था कि इन केन्द्रों के विद्यार्थियों को प्रत्येक क्रमिक परीक्षा में कम से कम 70-80 प्रतिशत अंक प्राप्त करना चाहिए ।

उत्कृष्ट केन्द्रों में मंदसौर (अगस्त 2006), उज्जैन (जून 2006), झाबुआ (फरवरी 2007), भिण्ड (मार्च 2007) भोपाल (अप्रैल 2007), एवं सतना (मई 2007) जिलों के वर्ष 2002-03 से 2005-06 तक के बोर्ड परीक्षापरिणामों से संबंधित अभिलेखों की जांच में प्रकट हुआ कि इस अवधि में 392 बालक और 336 बालिकाएं कक्षा X एवं कक्षा XII की बोर्ड की परीक्षाओं में सम्मिलित हुए । इनमें से बोर्ड की परीक्षाओं में झाबुआ

मंदसौर एवं उज्जैन जिलों में 23 से 66 प्रतिशत बालक एवं 31 से 51 प्रतिशत बालिकाएं तथा भिण्ड, भोपाल एवं सतना जिलों में 73 से 100 प्रतिशत बालिकाएं, 60 प्रतिशत अथवा उससे अधिक अंक प्राप्त नहीं कर सके ।

समीक्षाधीन अवधि में उपर्युक्त 6 जिलों में उकृष्ट शिक्षा केन्द्रों को चलाने पर 1.93 करोड़ रूपए व्यय हुये थे ।

3.5.14.2 "कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना" का घटिया निष्पादन

हितग्राहियों के निष्पादन एवं प्रतिधारण का अनुवीक्षण नहीं किया गया था ।

राज्य सरकार द्वारा 1986-87 में शालाओं में कन्याओं के नामांकनों में वृद्धि करने और उनको अगली कक्षाओं में शिक्षा जारी रखने के उद्देश्य से "कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना" नामक एक योजना प्रवर्तित की गई थी । योजना के अन्तर्गत ऐसी कन्याएं जिनके माता-पिता आयकर दाता नहीं थे, उनको कक्षा VI, कक्षा IX एवं कक्षा XI में प्रवेश लेने पर क्रमशः 500, रूपये 1000 रूपये एवं 2000 रूपये का प्रोत्साहन दिया जाना था । आयुक्त, आदिवासी विकास, आयुक्त अनुसूचित जाति विकास एवं सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास/जिला संयोजक, आदिम जाति कल्याण के अभिलेखों की जांच में प्रकट हुआ कि समीक्षा अवधि में योजनान्तर्गत हितग्राही कन्याओं के निष्पादन तथा विद्यालयों में प्रतिधारण संबंधी जानकारी विभाग आयुक्तों तथा जिलाधिकारियों के पास भी उपलब्ध नही थी ।

झाबुआ जिले में लेखापरीक्षा में पाया गया (अगस्त 2006) कि वर्ष 2004-05 में कक्षा VI की 4342 कन्याओं को 500 रूपये प्रतिकन्या की दर से प्रोत्साहन राशि संस्वीकृत तथा भुगतान की गयी थी । लेकिन 4342 कन्याओं में से केवल 3613 ने अगले वर्ष कक्षा VII में प्रवेश लिया । अतः यह संभावना है कि कुछ छात्राओं ने बीच में ही शालाएं त्याग दी हों ।

3.5.14.3 घटिया परीक्षा परिणाम

अनुसूचित जनजाति बाहुल्य धार एवं बैतूल जिलों में शिक्षा सत्र 2006-07 से संबंधित परीक्षा परिणामों के विश्लेषण से प्रकट हुआ कि:

दो अनुसूचित जनजाति बाहुल्य धार एवं बैतूल जिलों के प्राथमिक/ माध्यमिक विद्यालयों में घटिया परीक्षा परिणाम ध्यान में आए ।

विकास खण्ड, डही (जिला धार) में ऐसे छः प्राथमिक विद्यालय थे जहां कोई भी छात्र कक्षा V की परीक्षा पास नहीं कर सका । ग्यारह विद्यालयों में प्राथमिक शाला परीक्षा परिणाम नौ से 28 प्रतिशत रहे। विकास खण्ड के तीन माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षा सत्र में कक्षा VIII में परिणाम शून्य से 25 प्रतिशत तक रहे ।

विकास खण्ड मनावर (जिला धार) में 10 प्राथमिक विद्यालयों में परिणाम शून्य प्रतिशत तथा 7 विद्यालयों में केवल 10 से 27 प्रतिशत ही था।

इसी प्रकार विकास खण्ड भीमपुर (जिला बैतूल) में 18 में से 3 प्राथमिक विद्यालयों में परिणाम शून्य प्रतिशत तथा शेष 15 विद्यालयों में केवल 12 से 30 प्रतिशत था ।

विभाग ने माना कि ये विद्यालय एक शिक्षक द्वारा चलाये जा रहे थे एवं छात्रों का माता-पिता के साथ अपने जीविकोपार्जन के लिए अन्य स्थानों पर प्रव्रजन भी घटिया परीक्षा परिणामों का कारण था ।

3.5.15 अनुवीक्षण एवं मूल्यांकन

योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिय, आयुक्त, आदिवासी विकास/आयुक्त, अनुसूचित जाति विकास स्तर से विकास खण्ड स्तर तक के अधिकारियों के लिये आवश्यक था कि वे अधीनस्थ कार्यालयों एवं शैक्षिक संस्थाओं का नियमित क्षेत्र निरीक्षण करें तथा शैक्षिक विकास की योजनाओं जैसे छात्रवृत्ति वितरण, परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण, छात्रावासों, आश्रमों एवं विद्यालयों में मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था, निर्माण कार्य आदि के क्रियान्वयन का अनुवीक्षण करें । इसके लिए विभिन्न स्तरों के अधिकारियों के लिए क्षेत्र भ्रमण के न्यूनतम लक्ष्य निर्धारित करते हुए निरीक्षणों की अनुसूची तैयार करना चाहिए थी और उसका पालन करना चाहिए था लेकिन निरीक्षण बिरले ही किये गये ।

विभाग में कमिश्नरी स्तर पर प्रलेखीकरण बहुत घटिया था अवितरित प्री-मैट्रिक/पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्तियों, असमायोजित स्क्रॉलों, उत्कृष्टता शिक्षा केन्द्रों में छात्रों के निष्पादन आदि से संबंधित आंकड़े आयुक्त, आदिवासी विकास/आयुक्त अनुसूचित जाति विकास के पास उपलब्ध नहीं थे । आयुक्त, आदिवासी विकास एवं अनुसूचित जाति विकास कार्यालयों के पास प्राथमिक शिक्षा से महाविद्यालय एवं अन्य शैक्षिक संस्थाओं के स्तर तक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के नामांकित छात्रों की संख्या के आधारभूत आंकड़े उपलब्ध नहीं थे । शैक्षिक संकेतकों जैसे कि साक्षरता दर, कुल नामांकन अनुपात, शाला त्यागने का अनुपात आदि के आंकड़े भी संधारित नहीं किये थे, इस कारण योजनाओं के निष्पादन का मूल्यांकन करना कठिन था ।

3.5.16 निष्कर्ष

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के शैक्षिक विकास के विभिन्न कार्यक्रमों की योजना पात्र हितग्राहियों के वास्तविक आंकड़ों पर आधारित नहीं थी । अतः निधियों की संस्वीकृति तदर्थ आधार पर दी गई थी । उपलब्ध निधियों का घोर न्यून उपयोग होने, निधियों के व्यपगत हो जाने, 10 वर्षों से अधिक की अवधि से अस्थाई अग्रिमों का समायोजन न होने, ऐसे कार्य जो पूर्व में ही पूर्ण हो चुके थे, के लिये राशि संस्वीकृत करने आदि के उदाहरण विद्यमान थे । अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों के मध्य विभिन्न योजनाओं के पर्याप्त प्रचार का अभाव रहा ।

योजनाओं का क्रियान्वयन संतोष जनक नहीं था । ऐसे बच्चों को, जिनके माता-पिता अस्वच्छ व्यवसायों में कार्यरत थे, उनका प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति का भुगतान उनके माता पिता के वास्तविक व्यवसाय एवं आय के मुख्य स्त्रोत के सत्यापन के बगैर किया गया । छात्रवृत्तियों के भुगतान की निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया जा रहा था, जिससे

वितरित की गई छात्रवृत्ति की वास्तविक राशि के संबंध में और छात्रवृत्ति के अभिप्रेत हितग्राहियों तक वास्तविक रूप से पहुचने के संबंध में विभाग अन्धकार में था ।

निर्माण में देरी के कारण आदिवासी उपयोजना क्षेत्र में वर्ष 2002-03 में संस्वीकृत 130 आश्रम स्कूल भवनों में से 74 का निर्माण अभी तक पूर्ण किया जाना शेष था । ऐसी अशासकीय शिक्षण संस्थाए जहां अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों का अनुपात आधे से भी कम था उनको सहायता अनुदान की स्वीकृति देने के उदाहरण भी ध्यान में आये थे ।

जैसा कि विभिन्न परीक्षा परिणामों से परिलक्षित होता है कि योजनाओं का निष्पादन घटिया स्तर का था । परीक्षापूर्व प्रशिक्षण केन्द्रें एवं उत्कृष्टता केन्द्रों में उत्तीर्ण होने के प्रतिशत के लक्ष्यों को वृहद रूप से प्राप्त नहीं किया गया था । योजनाओं का मूल्यांकन विभाग द्वारा अथवा किसी गैर-सरकारी एजेंसी द्वारा नहीं किया गया था ।

3.5.17 अनुशंसाएँ

- पात्र हितग्राहियों की संख्या का मूल्यांकन करने के लिए राज्य स्तर पर सर्वेक्षण तुरन्त प्रारम्भ करना चाहिए । विभिन्न योजनाओं के हितग्राहियों के संबंध में आंकड़े, अधिभोग सहित प्रयोजन मूलक छात्रावासो एवं विद्यालयों की संख्या तथा कर्मचारियों की स्थिति को तुरंत जिला एवं विकास खण्ड स्तरों पर संकलित किया जाना चाहिए ।

- उपर्युक्त आंकड़ों का उपयोग करते हुये, विद्यमान सुविधाओं का पूर्ण उपयोग सुनिश्चित किया जाना चाहिये । निधियों का आवंटन इस प्रकार किया जाना चाहिए था जिससे कि प्रगत्याधीन निर्माण कार्यों को पूर्ण किया जा सके ।

- योजनाओं के निष्पादन के संबंध में उचित पुनर्निवेशन (फीड बैक) तंत्र विकसित करना चाहिए । विकास खण्ड एवं ग्रामीण स्तरों पर विभिन्न योजनाओं के गहन निरीक्षण एवं मूल्यांकन का अभिलेख संधारित करना चाहिए जिससे कि मध्य में सुधारात्मक कार्यवाही की जा सके ।

- विभाग को वास्तविक हितग्राहियों को छात्रवृत्ति के भुगतान से संबंधित निर्धारित प्रक्रियाओं का अनुवर्तन सुनिश्चित करना चाहिये ।

- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों में शैक्षणिक योजनाओं के पर्याप्त प्रचार की आवश्यकता है ।

उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग

3.6 रोपणियों की कार्यविधि

3.6.1 प्रस्तावना

उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग (विभाग) उच्च गुणवत्ता की पौधरोपड़ सामग्री, प्रमाणित बीज के उत्पादन एवं कृषकों को उसकी सुगम उपलब्धता के साथ-साथ तकनीकी ज्ञान के प्रसार द्वारा राज्य में उद्यानिकी फसलों के उत्पादन में वृद्धि हेतु जिम्मेदार है । इस उद्देश्य से विभाग द्वारा राज्य में 305 रोपणी/उद्यानों की स्थापना की गई । रोपणी उत्पादों की बिक्री नगद में की जाती है, जिसकी दरें विभाग द्वारा न लाभ न हानि के आधार पर निर्धारित की जाती है ।

शासन स्तर पर सचिव विभाग के प्रशासनिक प्रमुख है, जो शासकीय नीतियों कार्यक्रमों एवं योजनाओं का क्रियान्वयन कराते हैं । आयुक्त-सह-संचालक उद्यानिकी एवं वानिकी (संचालक) विभाग के प्रमुख हैं । विभिन्न केन्द्रीय एवं राजकीय योजनाओं के क्रियान्वयन एवं 305 रोपणियों के संचालन हेतु 8 उप-संचालक तथा 37 सहायक संचालक उद्यानिकी जिलों में कार्यरत हैं । संचालनालय एवं 10 जिलों[63] के उप/ सहायक संचालकों के अभिलेखों की समीक्षा की गई जिसमें पाई गई कमियाँ अगली कंडिकाओं में उल्लेखित की गई है ।

3.6.2 वित्तीय प्रबंधन

3.6.2.1 उपलब्ध निधियों का कम उपयोग

वर्ष 2002 - 07 के विनियोग लेखों के आधार पर बजट आवंटन एवं व्यय तथा वर्ष 2005-07 के सूक्ष्म सिंचाई पद्धति तथा राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन के केन्द्रांश एवं व्यय[64] का विवरण निम्नानुसार था ।

अवधि 2002-07 में 56.78 करोड़ की सतत् बचतें हुई ।

(करोड़ रूपयों में)

वर्ष	बजट आवंटन	व्यय	बचत
2002-03	41.93	39.33	2.60
2003-04	44.04	38.46	5.58
2004-05	54.89	47.84	7.05
2005-06	90.79	52.18	38.61
2006-07	107.44	104.50	2.94
योग	**339.09**	**282.31**	**56.78**

63 बालाघाट, बैतूल, भोपाल इन्दौर, झाबुआ, मंडला, नरसिंहपुर, सागर, सतना एवं उज्जैन

64 केन्द्रांश 81.12 करोड़ रुपये, व्यय 59.05 करोड़ रुपये, बचत 22.07 करोड़ रुपये

विभाग वर्ष 2002-07 के दौरान 56.78 करोड़ रूपयों की बचतों का उपयोग नही कर सका । लेखापरीक्षा में पाया गया कि 38.61 करोड़ की बचत 2005-06 में प्रावधानों के जारी करने में देरी के कारण रही । निधियों के पूर्ण उपयोग न करने से रोपणियों के उत्पादन कार्यक्रमों पर विपरीत प्रभाव पड़ा ।

3.6.2.2 केन्द्रीय सहायता का उपयोग न होना

केन्द्रांश 15.83 करोड़ रूपये मार्च 2007 के अंत में अनुपयोगी रहा ।

राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन के अन्तर्गत राज्य की वार्षिक कार्ययोजना अवधि 2005-07 की राशि 133.98 करोड़ के विरूद्ध भारत सरकार ने 71.32 करोड़ रूपये प्रदाय किये थे। राज्य उद्यानिकी मिशन ने 6.28 करोड़ को रोककर 65.04 करोड़ 20 जिलों को प्रदाय किये गये । जिला इकाईयाँ भी मार्च 2007 के अंत तक 9.55 करोड रूपये का उपयोग नहीं कर सकीं । इस तरह 15.83 करोड़ रूपये राज्य में अनुपयुक्त रहे । जिला इकाईयों द्वारा 55.49 करोड़ रूपये उपयोग होना बताये गये थे, उनके किसी भी कार्य के कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र नहीं भेजे गये थे । मिशन संचालक द्वारा बताया गया कि कुछ देयकों के भुगतान न होने से जिला इकाइयों द्वारा कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र नहीं भेजे गये थे ।

3.6.3 रोपणियों की वित्तीय निष्पादन स्थिति

3.6.3.1 रोपणी संचालन में आय पर उत्पादन व्यय का आधिक्य

विभागीय मेन्युअल के अनुसार सभी रोपणी, फार्म एवं उद्यानों को यद्यपि न लाभ न हानि के आधार पर संचालित करना है, फिर भी उनकी उपयोगिता आर्थिक स्थिति एवं दक्षता की परख की समीक्षा प्रतिवर्ष जिला/संभाग एवं राज्य स्तर पर की जाना है । यदि किसी भी समय यह पाया जाता है कि कोई रोपणी फार्म /उद्यान आर्थिक रूप से लाभ में संचालित नहीं हो रहा है तो विभाग को उसे तुरन्त बंद कर देना चाहिये ।

रोपणी संचालन अवधि 2002-07 के दौरान आय की अपेक्षा19.14 करोड़ रूपये उत्पादन लागत का आधिक्य पाया गया।

लेखापरीक्षा में राज्य की सभी रोपणियों के वर्ष 2002-07 को वित्तीय परिणामों की विवेचना आय एवं उत्पादन व्यय जैसे मजदूरी, उद्यानों का रख रखाव एवं उत्पादन से संबंधित अन्य व्यय (पदस्थ स्टाफ के वेतन एवं भत्ते, कार्यालय व्यय एवं पूंजीगत व्ययों को छोड़कर) की तुलना की गई थी, जिसमें यह पाया गया कि विभाग द्वारा प्रतिवर्ष निम्नानुसार आय से अधिक व्यय किया गया था ।

(करोड़ रूपयों में)

वर्ष	वेतन एवं भत्तों पर व्यय	उत्पादन व्यय	आय	आय से अधिक उत्पादन लागत
2002-03	16.30	6.04	2.59	3.45
2003-04	19.90	4.87	2.42	2.45
2004-05	23.17	8.56	3.17	5.39
2005-06	22.73	7.15	3.01	4.14
2006-07	24.43	8.44	4.73	3.71
महायोग	***106.53***	**35.06**	**15.92**	**19.14**

हानि में संचालित रोपणियों की दक्षता की समीक्षा विभाग द्वारा नही की गई थी ।

3.6.3.2 बकाया देय राशि की वसूली अन्तिम उपयोगकर्ताओं से न होना

निमों के विपरीत 66 90 लाख की उधार बिक्री की गई ।

बीज, पौधे, मूलवृन्त तथा बीजांकुरों का विक्रय रोपणियों द्वारा नगद में किया जाता है । उधारी पर विक्रय का कोई प्रावधान न होते हुए भी यह पाया गया कि 66.90[65] लाख रूपये के रोपणी उत्पादों का विक्रय नमूना जाँच में चयनित जिलो द्वारा नीचे दिये विवरण अनुसार उधारी पर किया गया लेकिन वसूली नहीं की गई थी ।

(लाख रूपये में)

वर्ष	बीज	पौधे	नीलामी राशि	योग
2002 तक	13.57	0.63	0.04	14.24
2002-03	2.84	0.49	0.02	3.35
2003-04	2.64	1.79	--	4.43
2004-05	3.85	4.58	0.04	8.47
2005-06	5.95	5.11	--	11.06
2006-07	10.95	14.30	0.10	25.35
योग	**39.80**	**26.90**	**0.20**	**66.90**

उपरोक्त के अलावा एम.पी.एग्रो से 60 लाख रूपये के बीज की कीमत, जो बाड़ी योजना अन्तर्गत प्रदाय किये थे, की वसूली नही की गई थी । जिला इकाईयों द्वारा सूचित किया किया गया कि देय राशि की वसूली शीघ्र की जावेगी । इस तरह जिला एवं संचालनालय द्वारा बकाया देय धन की वसूली हेतु प्रभावी कार्यवाही की जाना प्रतिपादित की जाती है ।

3.6.3.3 झाबुआ में पौधें की लागत की कम वसूली करना

वर्ष 2005-07 के दौरान ग्रामीण रोजगार उत्पादन योजना के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों को 38.74 लाख पौधे कार्य योजना अनुसार कीमत 1.94 करोड़ रूपये के जिला पंचायत से प्राप्त अग्रिम 73.76 लाख रूपये के विरूद्ध प्रदाय किये थे । शेष राशि 1.20 करोड़ रूपये जिला पंचायत से वसूली हेतु बकाया थे । सहायक संचालक वसूली माँग पत्र भेजने हेतु सहमत थे परन्तु जुलाई 2007 तक उसकी वसूली नहीं की गई थी ।

3.6.3.4 शासकीय राशि को शासकीय लेखे से बाहर रखना ।

3.96 लाख रूपये की विक्रय प्राप्तियां शासकीय लेखे में जमा नही की गई ।

शासकीय कर्मचारियों द्वारा प्राप्त किये गये लोक धन को न्यूनतम देरी से शासकीय लेखे में जमा करना चाहिये । यह पाया गया कि बीज/पौधे विक्रय की राशि उद्यान अधीक्षक धोटा (मंडला) द्वारा अवधि 16 जुलाई 2001 से 4 नवम्बर 2002 तक 56,976 रूपये एवं 19 अगस्त 2003 से 12 जून 2004 तक की राशि 1,758 रूपये, उद्यान अधीक्षक घुघरी (मंडला) द्वारा अवधि 16 फरवरी 2000 से 12 सितम्बर 2007 के बीच की राशि रू. 3,32,893 शासकीय लेखो में जमा नही की गई थी । तथा उद्यान अधीक्षक खेरा

[65] *बालाघाट 2.50 लाख रूपये, झाबुआ 0.41 लाख रूपये, उज्जैन 4 लाख रूपये, इन्दौर 3.53 लाख रूपये, मंडला 9.34 लाख रूपये, बैतूल 6.08 लाख रूपये, भोपाल 5.93 लाख रूपये, दमोह 7.37 लाख रूपये, सागर 16.16 लाख रूपये, सतना 11.58 लाख रूपये ।*

(सतना) द्वारा पौध विक्रय की आय मार्च 2007 तक एकत्रित किये गये 1236 रूपये शासकीय लेखों में जमा नहीं की गई थी । तथापि सहायक संचालक मंडला द्वारा बताया (अक्टूबर 2007) गया कि आय को शीघ्र जमा किया जावेगा । इसी तरह उद्यान अधीक्षक देवरी (सागर) द्वारा दिनांक 18 सितम्बर 2002 को घास की नीलामी की राशि 2700 रूपये लेखापरीक्षा में आक्षेपित किये जाने पर दिनांक 2 अप्रेल 2007 को उप संचालक सागर के कार्यालय में जमा की गई ।

3.6.4 कार्यक्रमों का क्रियान्वयन

3.6.4.1 अनुत्पादक रोपणियों को बन्द न किया जाना

छः अनुत्पादक रोपणियाँ बंद नहीं की गई थी।

यह पाया गया कि नमूना जाँच में लिये गये जिलों की 6[66] रोपणियां जो 1980-86 के दौरान स्थापित की गई थी, पूर्णतः अनुत्पादिक थी क्योंकि सिंचाई के अभाव, असमतल भूमि एवं पहुँच मार्ग के अभाव मे कोई भी उत्पादन नहीं लिया था । उप संचालक सागर, उज्जैन, इन्दौर एवं सहायक संचालक झाबुआ द्वारा बन्द करने के प्रस्ताव संचालनालय को भेजे (2000-06) गये थे परन्तु अगस्त 2007 तक भी विभाग द्वारा कोई आदेश प्रसारित नहीं किया था । इस तरह, इन रोपणियों की देखभाल हेतु पदस्थ स्टाफ अनुपयोगी रहा एवं उन पर किया गया स्थापना व्यय व्यर्थ था । ।

इसी तरह सागर जिले के गुलाब उद्यान,संजय उद्यान एवं बाल उद्यान तथा टीकमगढ़ जिले की रोपणी काकावानी शासन की बगैर स्वीकृति के उप संचालक/सहायक संचालक द्वारा संचालित थी, जिससे उनके रख रखाव पर 28.38 लाख रूपये का स्थापना व्यय अलाभकारी था क्योंकि इन उद्यानों में बीज/पौध उत्पादन कार्यक्रम नहीं लिये जा रहे थे और न ही कोई आय भी इन उद्यानों से विभाग को हुई थी ।

3.6.4.2 अपात्र बगीचों को अनुदान सहायता

अपात्र बगीचों को 91.57 लाख की अनुदान सहायता दी गई

राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन के घटक (मिशन) के अन्तर्गत आम के 25-30 वर्ष एवं संतरे के 12 वर्ष पुराने बगीचों के जीर्णोधार हेतु 15000 रूपये प्रति हेक्टेयर, जो 50 प्रतिशत व्यय तक सीमित था, अनुदान की पात्रता थी । यह पाया गया कि परियोजना अधिकारी बैतूल एवं सहायक संचालक झाबुआ द्वारा अवधि 2005-07 में आम एवं संतरा के अपात्र बगीचों, के जीर्णोधार हेतु क्रमशः 80.32 लाख रूपये तथा 11.25 लाख रूपये का अनुदान अनियमित रूप से दिया गया । क्योंकि वे योजना में निर्धारित आयु से कम उम्र के थे । परियोजना अधिकारी ने बताया कि चूँकि किसान इन बगीचों का रख रखाव नहीं कर रहे थे, अनुदान दिया गया । उत्तर संतोषप्रद नहीं था क्योकि मिशन के मार्गदर्शी निर्देशों के अनुसार इन कम उम्र के बगीचों को अनुदान की पात्रता नहीं थी सहायक संचालक झाबुआ द्वारा बताया गया कि भविष्य में सहायता नियमानुसार दी जावेगी

[66] *सागर-हिनोता (एहे-1980-81), नयानगर (6.02 हे- 1986), रेहोना (एहे 1980-81); उज्जैन-मौलाना (1980); इन्दौर-देपालपुर (1986); झाबुआ- उमरापली (1985)*

3.6.4.3 बाड़ी योजना हेतु बीज का कम उत्पादन

गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को बाड़ी (घरों के पास खाली जमीन) में सीवेज/व्यर्थ पानी के उपयोग से प्रतिदिन पौष्टिक सब्जी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से वर्ष 2000-01 से बाड़ी योजना लागू की गई । योजना के अन्तर्गत मिनीकिट्स के बीज उत्पादन का कार्य विभागीय रोपणियों में किया जाना था । अनुपलब्धता की स्थिति में ही बीज खुले बाजार से नकद क्रय कर पूर्ति करना थी । हितग्राहियों का चयन क्लस्टर/ग्रामवार करना था और हितग्राही को सहायता एक बार ही दी जानी थी ।

12.09 लाख मिनीकिटस के लक्ष्य के विरूद्व 7.06 लाख मिनीकिट्स हेतु रोपणियाँ बीज प्रदाय करने में असफल रही ।

संचालनालय द्वारा 2002-07 के दौरान 12.09 लाख मिनीकिट्स हेतु बीज विभागीय रोपणियों में उत्पादन करने का लक्ष्य निर्धारित था । परन्तु इसके विरूद्ध 5.03 लाख मिनीकिट्स हेतु ही सब्जी बीज का उत्पादन किया गया । इस तरह 7.06 लाख मिनीकिट्स हेतु 17.46 लाख रूपये का बीज कम प्रदाय किया गया ।

यह भी पाया गया कि अवधि 2002-07 में कुल 31.60 लाख के लक्ष्य के विरूद्व 26.29 लाख हितग्राहियों को ही बजट प्रावधानों के अभाव में लाभान्वित किया जा सका ।

लेखापरीक्षा में आगे पाया गया कि सहायक संचालक दमोह ने वर्ष 2005-06 में उन्हीं 441 हितग्राहियों को सब्जी बीज मिनीकिट वितरण हेतु चयन किया गया जिन्हें पूर्व वर्ष 2004-05 में चयन किया गया था । जिसके फलस्वरूप इन 441 हितग्राहियों को 0.11 लाख रूपये का दुहरा भुगतान किया गया । सहायक संचालक ने बताया कि उच्चाधिकारियों के मौखिक निर्देशों के अनुसार दुहरी आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई थी ।

3.6.4.4 सब्जी बीजों का देर से वितरण

59 प्रतिशत (65.91 टन) सब्जी बीज कृषकों को 120 दिन तक की देरी से वितरित किया गया ।

उद्यानिकी ज्ञान दर्शाता है कि उच्चतम उत्पादन लेने हेतु बुवाई निर्धारित समय पर की जानी चाहिये । इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु कृषकों तक बीज संचालनालय द्वारा निर्धारित तिथि के पूर्व पहुँच जाना चाहिये ताकि कृषक उपलब्ध भूमि में उद्यानिकी बीज की बोउनी निश्चित कर सके । बीज वितरण में देरी से कृषक दूसरी कृषि फसल की बोनी का मन बना सकता है, जिससे उद्यानिकी आच्छादित रकवे में कमी हो सकती है । समन्वित सब्जी विकास कार्यक्रम (आई.वी.डी.पी.) के अन्तर्गत शासन ने उनके आदेश (19 जून 2000 और 5 अप्रेल 2005) द्वारा विकास खंड स्तर तक बीजों की उपलब्धता एवं खरीफ रवी व जायद फसलों हेतु 2002-07 में वितरण की तिथियाँ निर्धारित की है ।

नमूना जाँच के जिलों[67] के भंडारण एवं वितरण अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि कुल भंडारित बीज मात्रा 111.80 टन सब्जी बीज कीमत 2.43 करोड़ रूपये में से 65.91 टन बीज कीमत 1.46 करोड़ रूपये (59 प्रतिशत) वर्ष 2002-07 में 10 से 120 दिन की देरी से बीज वितरित किया गया । उप/सहायक संचालकों द्वारा यह

[67] *बालाघाट, बैतूल, भोपाल, इन्दौर, झाबुआ, मंडला, नरसिंहपुर, सागर, सतना और उज्जैन*

सुनिश्चित नहीं किया गया कि देरी से वितरित बीज की बोउनी कृषकों द्वारा वास्तव में की थी या नहीं । उप/सहायक संचालकों द्वारा बताया गया कि एम.पी.एग्रो से बीज प्रदाय में देरी हुई । उत्तर संतोषजनक नहीं था क्योंकि विभाग को एम.पी.एग्रो द्वारा समय पर बीज प्रदाय हेतु कार्यवाही की जानी थी ।

3.6.4.5 बीजों पर अपात्र अनुदान

समन्वित सब्जी विकास कार्यक्रम (आई.वी.डी.पी.) के अन्तर्गत रोपणियों में उत्पादित हाइब्रिड बीज साधारण वर्ग एवं अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के हितग्राहियों को क्रमशः 50 प्रतिशत एवं 75 प्रतिशत अनुदान पर प्रदाय किया जाता है । परन्तु मिर्च एवं मटर की आर्कल प्रजाति के इस कार्यक्रम में न आने से इन पर अनुदान अनुज्ञेय नहीं था फिर भी यह पाया गया कि नमूना जाँच में लिये गये जिलों में **परिशिष्ट- 3.6** में दर्शाये अनुसार मिर्च एवं मटर बीजों पर हितग्राहियों को अनुदान दिया गया जिससे 31.45 लाख का अनाधिकृत अनुदान का भुगतान किया गया । सहायक संचालक छिंदवाड़ा ने बताया कि मिर्च सब्जियों में आती है इसलिए अनुदान का भुगतान किया गया, एवं मटर पर विशेष तौर पर अनुदान दिया गया । उत्तर स्वीकार योग्य नहीं था क्योंकि संचालक द्वारा पूर्व में ही स्पष्ट (28 अक्टूबर 2004) किया जा चुका था कि मिर्च एवं मटर पर अनुदान देय नहीं था ।

3.6.4.6 विभागीय फल विकास योजना का असफल रहना ।

राज्य सरकार द्वारा फलों का उत्पादन एवं आच्छादित रकबे में वृद्धि हेतु "विभागीय फल विकास योजना" 1999-2000 में शुरू की गई थी । योजना के अन्तर्गत किसानों को 0.250 से 2 हेक्टर के रकबे में फलदार पौधें के उगाने पर नाबार्ड द्वारा निर्धारित वित्तीय सीमाओं के अन्तर्गत व्यय का 25 प्रतिशत अनुदान अनुज्ञेय था । भौतिक सत्यापन में 80 प्रतिशत से अधिक जीवितता पाये जाने पर अगली चारों वर्षो तक पौधों के रख रखाव एवं कमी पूर्ती (गेप फीलिंग) हेतु भी अनुदान अनुज्ञेय था । यदि कृषक द्वारा 80 प्रतिशत से अधिक पौधों की जीवितता दर को बनाये रखने में असफल रहता है तो समस्त अनुदान उससे वसूली योग्य था ।

पौधों की अत्याधिक मृतता पाये जाने पर भी प्रारंभिक अनुदान की वसूली की कोई कार्यवाही नही की गई थी ।

नमूना जाँच में लिये गये जिलों के अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि अन्तिम पाँचवी वर्ष में वर्ष 2002-03 में रोपित पौधों की जीवितता 11 से 18 प्रतिशत के बीच पाई गई थी । इस तरह कार्यक्रम सफल नहीं था संचालनालय द्वारा अत्यधिक मृतता के कारणों की कभी विवेचना भी नही की गई थी, और न ही प्रारंभिक अनुदान सहायता की वसूली की कार्यवाही चालू की गई थी ।

3.6.5 रोपणियों की भौतिक निष्पादन दक्षता

राज्य सरकार द्वारा दसवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक (2002-07) तत्समय 3 प्रतिशत उद्यानों के आच्छादित रकवे को दुगना करने का लक्ष्य रखा था । लेकिन दसवीं पंचवर्षीय योजना अवधि 2002-07 में 282.31 करोड़ रूपये व्यय करने के बावजूद भी, उद्यानिकी फसलों की रकवा वृद्धि की प्रतिशतता दुगनी नहीं हुई, जो भू-अभिलेख

विभाग की सांख्यिकीय गणना अनुसार उद्यानिकी फसलों का रकवा 2.38 प्रतिशत ही रहा ।

(आंकडे हजार हेक्टर में)

वर्ष	कुल फसली रकवा	उद्यानिकी फसली रकवा	प्रतिशतता
1999-2000	20419	599	2.94
2000-01	17973	373	2.07
2001-02	19147	403	2.10
2002-03	18181	348	1.91
2003-04	19891	468	2.35
2004-05	20306	516	2.54
2005-06	19710	469	2.38

आगे विभाग एवं भू-अभिलेख विभाग द्वारा प्रदत्त आंकडो से नमूना जांच में निम्न तथ्य उजागर हुये:

- नवीं पंचवर्षीय योजना के अंत (2001-02) का 11.43 लाख टन फलों का उत्पादन घटकर 10.33 लाख टन 2004-05 के अंत में रह गया था । मुख्य तौर पर उत्पादन एवं रकवा मुख्य फसलें जैसे आम, मौसम्मी, नीबू,केला, अमरूद, पपीता एंव अंगूर की फसलों का कम हुआ था । वहीं केला एवं पपीता की उत्पादकता कम हुयी थी ।

- औषधीय एवं सुगन्धित पौधों का क्षेत्र एवं उत्पादन क्रमशः 18364 हेक्टेयर (2001-02) से 15582 हेक्टेयर (2004-05) तथा 1.10 लाख टन से 0.93 लाख टन कम हो गया ।

- रोपणियों के उत्पादन/वितरण के लक्ष्य न तो संचालानालय द्वारा रोपणी वार निर्धारित किये थे और न ही दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उत्पादन कार्यक्रम संचालनालय द्वारा रोपणीवार निर्धारित किये थे । तथापि जिला स्तर के केला उत्पादन के 2002-03 के 56 प्रतिशत के लक्ष्य 2005-06 में घटकर 4 प्रतिशत ही रहा । एवं 2002-03 में 16 प्रतिशत फूलों का विकास 2005-06 में घटकर 5 प्रतिशत ही पाया गया । इस तरह विभाग द्वारा रोपणियों के कार्य निष्पादन एवं विकास कार्यक्रमों पर प्रभावी नियंत्रण नहीं किया गया था ।

- विभाग द्वारा 150 ग्राम फल एंव नट प्रति मनुष्य प्रतिदिन के लक्ष्य को भी प्राप्त नहीं किया जा सका । यह उत्पादन 71 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन तक ही सीमित रहा ।

उपरोक्त बिन्दुओं के उल्लेख करने पर विभाग द्वारा बताया गया कि उत्पादन एवं उत्पादकता वृद्धि के प्रयास किये जा रहे थे । उत्तर संतोष जनक नहीं था क्योंकि पर्याप्त बजट आवंटन का प्रावधान होते हुए भी (प्रतिवर्ष सारभूत बचतें हुई) विभाग उद्यानिकी फसलो के उत्पादन एंव उत्पादकता में कोई वृद्धि नहीं कर सका ।

चौथा अध्याय

लेनदेन लेखापरीक्षा

- कपट/दुर्विनियोग/गबन/हानियाँ
- अधिक/निरर्थक/निष्फल/अलाभकारी व्यय
- अनुबंधित दायित्वों का उल्लंघन/ठेकेदारों को आवंछनीय लाभ/परिहार्य व्यय
- निष्क्रिय निवेश/निष्क्रिय स्थापना/निधियों का अवरूद्ध होना/ उपकरणों के चालू करने में विलंब/निधियों का व्यपवर्तन
- विनियामक विषय एवं अन्य बिन्दु

चौथा अध्याय

लेनदेन लेखापरीक्षा

4.1 कपट/दुर्विनियोग/गबन/हानियाँ

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

4.1.1 सरकारी धन का संदिग्ध गबन

संहितागत प्रावधानों तथा सरकारी आदेशों के पालन में विफलता के कारण सिविल सर्जन, बड़वानी के कार्यालय में 10.55 लाख रूपये के गबन में सुविधा हुई ।

म.प्र. कोषालय संहिता खण्ड (i) में यह प्रावधान है कि सरकारी धन के लेनदेन जैसे ही घटित होते हैं वैसे ही रोकड़ पुस्तक में प्रविष्ट किये जायें और उन्हें जांच के प्रमाण स्वरूप रोकड़ पुस्तक में प्रभारी अधिकारी से अनुप्रमाणित कराया जाय । कोषालय से कपटपूर्ण आहरणों की रोकथाम के माध्यम से गबन रोकने के लिये सरकार ने और आदेश जारी किये थे कि माह के दौरान आहरित समस्त चैंकों की एक सूची कोषालय अधिकारी द्वारा आगामी माह की 10 तारीख तक आहरण अधिकारी को प्रेषित की जानी चाहिये और आहरण अधिकारी द्वारा उस पर सत्यापन का प्रमाण पत्र अंकित कर उसी माह की 20 तारीख तक कोषालय अधिकारी को सूची वापस कर दी जानी चाहिये ।

सिविल सर्जन-सह-अधीक्षक बड़वानी के अभिलेखों की नमूना जांच से प्रकट हुआ (मार्च 2007) कि 11 नकली बिल तैयार किये गये थे और उन्हें बिल रजिस्टर में प्रविष्ट किये बिना भिन्न-भिन्न तारीखों पर बिल ट्रान्जिट बुक के माध्यम से कोषालय में प्रेषित किया गया था । इसके परिणामस्वरूप 10.55 लाख रूपये का कपटपूर्ण आहरण हुआ ।

आगे यह भी पाया गया कि नकली बिलों के माध्यम से कोषालय से आहरित 10.55 लाख रूपये की राशि सरकारी रोकड़ पुस्तक तथा सम्बद्ध अभिलेखों में प्रविष्ट नहीं की गई थी । आहरित राशि में से नौ बिलों के माध्यम से सितम्बर 2005 से जनवरी 2007 के मध्य आहरित 6.35 लाख रूपये सिविल सर्जन कार्यालय में पदस्थ लेखापाल के निमाड़ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक बड़वानी के व्यक्तिगत बचत बैंक खाता क्रमांक 5410 में जमा किये गये थे । दो बिलों के माध्यम से आहरित 4.20 लाख रूपये के विवरण अभिलेखों में पता नहीं लगाये जा सके । तदनुसार 10.55 लाख रूपये के संदेहात्मक गबन को नियमविरूद्ध घोषित नही किया जा सकता ।

संहितागत प्रावधानों तथा सरकार के अनुदेशों के पालन न करने के कारण 10.55 लाख रूपये का गबन करने में सुविधा हुई । यह भी कि ऐसे नकली बिलों के आहरण रोकने के लिये कोषालय में प्रयुक्त सॉफ्टवेयर में नियंत्रण की कोई व्यवस्था नहीं थी । इसका उल्लेख करने पर सिविल सर्जन बड़वानी ने सूचित किया (मार्च 2007) कि

प्रकरण की सघन जांच-पड़ताल की जायेगी और तदनुसार आवश्यक कार्यवाही आरंभ की जायेगी । तथापि कोषालय अधिकारी ने बताया (जून 2007) कि प्रणाली (सिस्टम) में बिल संख्याऐं दर्ज करने का कोई प्रावधान नहीं है और आहरण एवं सांवितरण अधिकारी ही कपटपूर्ण आहरणों के लिए उत्तरदायी है ।

मामले की सूचना सरकार को मई 2007 में दी गई थी, उत्तर अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है (नवम्बर 2007) ।

उद्यानिकी विभाग

4.1.2 वृक्ष से उत्पन्न तिलहनों के विकास की योजना के कार्यान्वयन में 37.56 लाख रूपये की हानि

गैर राष्ट्रीयकृत बैंक जो दिवालिया हो गया उसमें निधि अनियमित रूप से जमा करने के परिणामस्वरूप 37.56 लाख रूपये की हानि हुई।

भारत सरकार ने एक कार्यक्रम की अभिकल्पना की थी और रोपणियों में वृक्षों से उत्पन्न तिलहनों यथा नीम करंजा महुआ तथा जत्रोफा आदि के एकीकृत विकास के लिये केन्द्र की दसवीं पंचवर्षीय योजना के अधीन राज्य सरकार को 74.90 लाख रूपये संस्वीकृत किये थे (अक्टूबर 2004) और उनका सरकारी /निजी कृषकों की भूमि में आगे वृक्षारोपण किया जाना था । यह योजना राष्ट्रीय तिलहन तथा वनस्पति तेल विकास मंडल (नोवोड) के माध्यम से कार्यान्वित की गई और वृक्षारोपण के उपरान्त, दो वर्ष के लिये वृक्षों का रखरखाव किया जाना था जिसके लिये निधियाँ राष्ट्रीय तिलहन तथा तेल विकास मण्डल द्वारा प्रदान की जानी थी । 74.90 लाख के विरूद्ध राष्ट्रीय तिलहन तथा वनस्पति तेल विकास मण्डल द्वारा कार्यक्रम के लिये इस शर्त पर 56.18 लाख रूपये (नवम्बर 2004 37.45 लाख रूपये तथा अक्टूबर 2005; 18.73 लाख रूपये) प्रदान किये गये कि किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक में राष्ट्रीय तिलहन तथा वनस्पति तेल विकास मण्डल निधियों के लिये एक पृथक बैंक खाता खोला जाय ।

संचालक, उद्यानिकी, भोपाल एंव उप संचालक, उद्यानिकी, सागर के अभिलेखों की नमूना जांच (फरवरी एवं मार्च 2007) से प्रकट हुआ कि संचालक ने सागर जिले में उक्त कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु उप संचालक उद्यानिकी, सागर को 37.35 लाख रूपये, प्रदान किये (दिसम्बर 2004) । प्रावधान के विपरीत उप संचालक, उद्यानिकी सागर ने कलेक्टर सागर के मौखिक अनुदेश पर धन राशि राष्ट्रीयकृत बैंक में जमा करने के स्थान पर जिला सहकारी बैंक में जमा कर दी (दिसम्बर 2004) । सहकारी बैंक दिवालिया हो गया (जुलाई 2007) और 37.56 लाख रूपये की राशि (ब्याज सहित) बैंक में अप्रयुक्त पड़ी रही जिसे आहरित नहीं किया जा सका (मई 2007)। राष्ट्रीय तिलहन एवं वनस्पति तेल विकास मण्डल से 18.73 लाख रूपये की दूसरी किस्त में से संचालक ने उप संचालक सागर को 9.72 लाख रूपये प्रदान किये (नवम्बर 2005) । संचालक ने 9.01 लाख रूपये रोक लिये और अप्रयुक्त पडे रहे (मई 2007)। दूसरी किस्त और उस पर ब्याज में से उप संचालक उद्यानिकी ने 2.11 लाख गड्ढे खुदवाए और 10.12 लाख रूपये व्यय करके 1.47 लाख पौधों का रोपण किया और शेष 0.64 लाख गड्ढों में पौधरोपण नहीं किया । शुष्क अवधि (अवर्षाकाल) के दौरान इन पौधों के

रखरखाव तथा सिंचाई पर कोई व्यय नहीं किया गया जिससे इन पौधों के जीवित रहने के अवसर गंभीर रूप से घट गये । यह भी पाया गया कि पौधों का भौतिक सत्यापन भी नहीं किया गया ।

लेखापरीक्षा में इसका उल्लेख करने पर संचालक तथा उप संचालक उद्यानिकी ने सूचित किया कि धन राशि कलेक्टर के निर्देश पर सहकारी बैंक में जमा की गई थी और सहकारी बैंक में निधियों के अवरोध के कारण 0.64 लाख गड्डों में पौध रोपण नही किया जा सका तथा यह कि अवर्षाकाल में पौधों का रखरखाव तथा सिंचाई निधियां उपलब्ध न होने के कारण नहीं की जा सकी । उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि राष्ट्रीय तिलहन तथा वनस्पति तेल विकास मण्डल से प्राप्त सहायता में से 9.01 लाख रूपये संचालनालय में अप्रयुक्त पड़े हुए थे ।

इस प्रकार निबन्धनों के विपरीत सहकारी बैंक में धन जमा करने के कारण 37.56 लाख रूपये की धन राशि अवरूद्ध हो गई क्योंकि बैंक दिवालिया हो गया था । आगे, 10.12 लाख रूपये की प्रयुक्त राशि भी आगामी वर्षो में पौधों के रखरखाव न होने के कारण फलदायी नहीं रही ।

प्रकरण की सूचना सरकार को मई 2007 में दी गई ; उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (नवम्बर 2007) ।

श्रम विभाग

4.1.3 विद्युत प्रभारों की कम वसूली के कारण हानि

कर्मचारी राज्य बीमा योजना प्राधिकारियों द्वारा कार्यवाही न किये जाने के परिणामस्वरूप कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल, इन्दौर के विभागीय क्वाटरों के अधिभोगियों से 2004-05 से 2006-07 के दौरान 40.17 लाख रूपये की कम वसूली हुई ।

अधीक्षक, कर्मचारी राज्य बीमा चिकित्सालय इन्दौर के अभिलेखों की नमूना जाँच (नवम्बर 2006) से प्रकट हुआ कि परिसर में स्थित 143 आवासीय क्वार्टरों को विद्युत आपूर्ति अस्पताल के लिये संस्थापित उच्चदाब कनेक्शन के माध्यम से की जा रही थी और प्रत्येक क्वार्टर के माध्यम से की जा रही थी और क्वार्टरों में पृथक मीटर नहीं लगाये गये थे जिसके कारण क्वार्टरों के आबंटियों द्वारा उपयोग की गई वास्तविक विद्युत का निर्धारण नहीं किया जा सका । अधीक्षण अभियंता म.प्र. राज्य विद्युत मण्डल इन्दौर ने वरिष्ठ लेखा अधिकारी म.प्र. राज्य विद्युत मण्डल इन्दौर को सूचित किया (फरवरी 1998) कि कार्यपालन यंत्री म.प्र. राज्य विद्युत मण्डल तथा सहायक यंत्री इन्दौर वृत्त केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग ने अस्पताल के स्थल निरीक्षण के दौरान यह पाया कि सरकारी तथा गैर सरकारी विद्युत उपभोग के लिये संयुक्त रूप से बिल बनाए गए और गैर सरकार उपभोग पर भुगतान योग्य विद्युत शुल्क का निर्धारण करते समय वास्तविक उपभोग को सरकारी एवं गैर सरकारी उद्देश्यों हेतु 40;60 के अनुपात में विभाजित किया जाना था ।

चूंकि मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मण्डल ने विद्युत उपभोग का 60 प्रतिशत क्वार्टरों के निवासियों को आवंटित करने का निर्णय लिया (फरवरी 1998), इसलिये अस्पताल के अधिकारियों से यह आशा की गई थी कि व्यक्तिगत मीटर लगने तक क्वार्टर धारकों से म.प्र. राज्य विद्युत मण्डल द्वारा बनाए गए बिलों पर विद्युत शुल्क सहित ऊर्जा प्रभारों का 60 प्रतिशत वसूल किया जायेगा । तथापि यह देखा गया कि वसूली योग्य 60 प्रतिशत विद्युत प्रभार के विरूद्ध वसूली तदर्थ दरों के आधार पर की गई । 2004-05 से 2006-07 के दौरान जिसके लिये लेखापरीक्षा को अभिलेख उपलब्ध कराये गये थे, मुख्य बिलों के 60 प्रतिशत पर गणना किये गये 50.94 लाख रूपये के वसूली योग्य प्रभारों के विरूद्ध, निवासियों से केवल 10.77 लाख रूपये की वसूली की गई थी । इस प्रकार सरकार को म.प्र. राज्य विद्युत मण्डल को प्रदत्त 40.17 लाख रूपये का एक अतिरिक्त भार वहन करना पड़ा ।

संचालक राज्य कर्मचारी बीमा योजना इन्दौर ने बताया (सितम्बर 2007) कि 1967-68 में एक कनेक्शन ही प्राप्त किया गया था । उस समय क्वार्टरों के निवासियों के लिये अलग से कनेक्शन प्राप्त नहीं करने के कारण अभिलेख में उपलब्ध नहीं थे । तथापि उन्होंने आश्वस्त किया कि आवासीय विद्युत उपभोग के लिए पृथक मीटर लगाने हेतु म.प्र. विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड इन्दौर, नगर वृत्त के साथ मामले पर कार्यवाही आरम्भ की जायेगी ।

चूंकि कर्मचारी राज्य बीमा प्राधिकारियों ने, फरवरी 1998 में म.प्र.राज्य विद्युत मंडल द्वारा किये गये निरीक्षण के पश्चात आवासों में पृथक कनेक्शन देने तथा पृथक मीटर लगाने के लिये त्वरित कार्यवाही प्रारंभ नहीं की, इसलिये सरकार को 40.17 लाख रूपये का भार वहन करना पड़ा जो वस्तुतः अस्पताल परिसरों में क्वाटरों के निवासियों से वसूली करने योग्य था ।

प्रकरण की सूचना सरकार को फरवरी 2007 में दी गई; उत्तर अप्राप्त है (नवम्बर 2007) ।

4.2 अधिक/निरर्थक/निष्फल/अलाभकारी व्यय

उच्च शिक्षा विभाग

4.2.1 भवनों के निर्माण पर अलाभकारी व्यय

छात्रावास तथा अन्य भवनों के निर्माण के लिये अनुचित स्थल का चयन करने के परिणामस्वरूप 26.20 लाख रूपये का अलाभकारी व्यय हुआ ।

मध्यप्रदेश सरकार उच्च शिक्षा विभाग ने शासकीय स्नातक महाविद्यालय गोटेगाँव (जिला नरसिंहपुर) में विशेषांश योजना के अन्तर्गत 13.25 लाख रूपये में 24 सीटों वाले एक छात्रावास तथा एक "जी" टाइप क्वार्टर के निर्माण के लिये प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान किया (मार्च 1992) ।

प्राचार्य, शासकीय स्नातक महाविद्यालय गोटेगाँव (जिला नरसिंहपुर) के अभिलेखों की नमूना जाँच (नवम्बर 2006) तथा आगे मई एवं अगस्त 2007 में संग्रहीत जानकारी से प्रकट हुआ कि लोक निर्माण विभाग के माध्यम से निष्पादित छात्रावास तथा क्वार्टर का निर्माण कार्य मार्च 1999 में 20.67 लाख रूपये की लागत से पूर्ण हुआ परन्तु कथित भवनों का आधिपत्य महाविद्यालय ने अपने हाथ में नहीं लिया । यह भी कि 1.52 लाख रूपये की लागत से एक पुस्तकालय कक्ष तथा 4.01 लाख रूपये की लागत से दो कक्षा के कमरों का भी निर्माण किया गया था परन्तु वे भी बिना किसी उपयोग के खाली पड़े हुये थे ।

लेखापरीक्षा में उल्लेख करने पर प्राचार्य ने बताया कि इन भवनों का उपयोग नहीं किया जा सका क्यों कि ये नगर से दो किलोमीटर दूर थे, जल मग्न रहने के साथ पास में एक शवाधान प्रागंण था, आवागमन के साधन भी नहीं थे और सरकार ने अतिरिक्त स्टाफ यथा एक छात्रावास अधीक्षक, एक भृत्य, एक सफाई कर्मी तथा सुरक्षा के लिये एक चौकीदार भी उपलब्ध नहीं कराया था । उत्तर धार्य नहीं था क्योंकि इन पहलुओं पर भवनों का निर्माण प्रांरभ करने से पूर्व विचार करना चाहिये था ।

इस प्रकार स्थल के अनुचित चयन तथा योजना बनाने में कमी के परिणामस्वरूप छात्रावास, पुस्तकालय तथा कक्षा भवनों के निर्माण पर 26.20 लाख रूपये का अलाभकारी व्यय हुआ। इसके अतिरिक्त छात्रों को अभिप्रेत लाभ से वंचित होना पड़ा ।

प्रकरण की सूचना सरकार को जनवरी 2007 में दी गई थी; उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (नवम्बर 2007) ।

जेल विभाग

4.2.2 अलाभकारी व्यय

पाँच उप जेल भवनों का उपयोग न करने और तीन उपजेल भवनों का उपयोग दूसरे कार्यों हेतु करने के परिणामस्वरूप 2.86 करोड़ रूपये का अलाभकारी व्यय हुआ ।

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के 1995 को समाप्य वर्ष के प्रतिवेदन (सिविल) की कण्डिका 3.16 में, उन स्थानों पर जहाँ न्यायालय पहले से ही विद्यमान थे परन्तु उपजेल विद्यमान नहीं थे आठवें वित्त आयोग के अन्तर्गत 92 उप जेलों के निर्माण में विलम्ब और जेल कर्मचारियों के वेतन एवं भत्तों पर निष्फल व्यय किया गया था, के सम्बन्ध में उल्लेख किया गया था ।

अधीक्षक केन्द्रीय जेल, इन्दौर एवं ग्वालियर के अभिलेखों की नमूना जांच (अक्टूबर एवं नवम्बर 2006) और महानिरीक्षक, कारागार (जेल मुख्यालय) से आगे संग्रहीत जानकारी (अप्रैल एवं सितम्बर 2007) से प्रकट हुआ कि निर्मित 92 उपजेल भवनों में से पाच उप जेल[1] जिसका आधिपत्य विभाग ने 1990-95 के दौरान ले लिया था, 1.72 करोड़ रूपये

[1] इटारसी, बरगवां, मनावर, जोबट तथा सोनकच्छ

का व्यय कर निर्मित की गई थी और दूसरी तीन जेलों[2] में जिनका आधिपत्य अभी तक नहीं लिया गया था (मार्च 2007) का निर्माण 1.14 करोड़ रूपये में किया गया था, 16 वर्षों की अवधि समाप्त होने के उपरान्त भी अभी तक कार्य करना आरम्भ नही किया गया था (मार्च 2007) क्योंकि पीने के पानी, सफाई, विद्युत तथा पहुँच मार्ग आदि की कोई व्यवस्था नहीं थी । इसके अतिरिक्त यह भी पाया गया था कि 5.99 करोड़ रूपये का व्यय चार उपजेलों[3] के लिये भरती किये गये कर्मचारियों के वेतन एवं भत्तों पर किया गया था । (बड़नगर उपजेल के लिये कोई कर्मचारी स्वीकृत नहीं किया गया था) इन आठ उपजेल में से एक उप जेल भवन (गैरतगंज; लागत 43.46 लाख रूपये) भण्डारगृह निगम को हस्तान्तरित कर दिया गया (सितम्बर 2006) था और दो उपजेल भवनों (विजयपुर, लागत 38.01 लाख रूपये एवं त्यौथर लागत 32.50 लाख रूपये) को अन्य विभागों के द्वारा उपयोग हेतु हस्तान्तरण करने का प्रस्ताव किया गया था (नवम्बर 2005) ।

इसका उल्लेख करने पर महानिरीक्षक कारागार ने बताया (मार्च एवं सितम्बर 2007) कि तीन जेलों सोनकच्छ, बड़नगर तथा महेश्वर का सफाई, विद्युत सम्बन्धित कार्य, पीने के पानी की व्यवस्था तथा पहुँच मार्ग निर्माण कार्य प्रगत्याधीन थे और महेश्वर तथा बड़नगर के निर्माण कार्य पूरे हो गये थे तथा ये जेल शीघ्रातिशीघ्र कार्य करना प्रारंभ कर देंगें । यह भी कि कर्मचारियों की सेवाओं का उपयोग अन्य जेलों में किया जा रहा था ।

उत्तर मानने योग्य नहीं है क्योंकि भारत सरकार से निधियाँ प्राप्त होने के 18 वर्षों से अधिक की अवधि समाप्त होने के उपरान्त भी अनुचित योजना के कारण 8 उपजेलों में अभी तक कार्य करना प्रारंभ नहीं किया गया था । भारत सरकार की निधियों से भवनों के पूर्ण होने में विलम्ब तथा विशिष्ट उद्देश्य के लिये निर्मित भवनों के उपयोग में बदलाव की कार्यवाही न केवल अनियमित थी अपितु बन्दियों को अभिप्रेत सुविधा के उपयोग से भी वंचित रहना पड़ा । इस प्रकार भारत सरकार द्वारा प्रदत्त निधियों से इन उप जेलों के निर्माण पर किया गया 2.86 करोड़ रूपये का व्यय अलाभकारी सिद्ध हुआ तथा 1.14 करोड़ रूपये से निर्मित तीन जेलें अन्य प्रयोजनों के लिये परिवर्तित करदी गई थी ।

मामले की सूचना सरकार को नवम्बर 2006 में भेजी गई थी उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (नवम्बर 2007) ।

2 *विजयपुर, बड़नगर तथा गैरतगंज*

3 *मनावर, बदनावर, महेश्वर, अप्रैल 1999 से मार्च 2007 के दौरान 5.32 करोड़ रूपये (बदनावर, सितम्बर 2006 तक) सोनकच्छ जुलाई 2003 से मार्च 2007 के दौरान 0.67 करोड़ रूपये ।*

नर्मदा घाटी विकास विभाग

4.2.3 मूल्य वृद्वि का अधिक भुगतान

हाईस्पीड डीजल के लिये त्रुटिपूर्ण आधार सूचकांक अपनाने के कारण 29.45 लाख रूपये की मूल्यवृद्वि का अधिक भुगतान ।

इंदिरा सागर परियोजना के मुख्य नहर के लिये मिट्टी कार्य, 89.71 से 95.77 कि.मी. तथा 96.03 से 107.30 कि.मी. तक नहर संरचनाओं का निर्माण, पेवर मशीन से सीनेन्ट कांक्रीट लाईनिंग, कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्र. 13 सनावद (खरगौन) द्वारा दो समूहो में, एक ठेकेदार को 18.42 करोड़ रूपये तथा 23.97 करोड रूपये की उसकी निविदा लागत पर वर्ष 2004-05 के क्रमशः अनुबंध क्र. 2 तथा 3 के अंतर्गत सौपा (सितम्बर 2004)। कार्य प्रगति पर था एवं ठेकेदार को क्रमशः 30 वें एवं 39 वें चल देयक से 18.37 करोड रूपये तथा 25.11 करोड रूपये का भुगतान (अगस्त 2006) किया गया था।

अनुबंध की मूल्य समायोजन (वृद्वि) की धारा 2.40.1 में प्रावधानिक है कि शासन द्वारा प्रदाय सामग्रियों को छोडकर, श्रम सामग्री तथा पेट्रोल, तेल एवं लूब्रिकन्टस की दरों में वृद्वि या कमी के लिये, त्रैमासिक आधार पर आधार सूचकांक, निविदाओं के प्राप्ति के दिनांक का औसत ग्राहक मूल्य सूचकांक होगा।

संभागीय अभिलेखों की जॉच (अगस्त 2006) से प्रकट हुआ कि दिनांक 24 जून 2004 (निविदा खुलने का दिनांक) को, ठेकेदार को हाई स्पीड डीजल की मूल्य वृद्वि के भुगतान के लिये, आधार दर 25.36 रूपये प्रति लीटर लिया गया जैसा कि इंडियन ऑयल कार्पोरेशन के अधिकृत व्यवसाई मेसर्स फार्म फ्यूल सेन्टर, सनावद ने संसूचित किया था, तथापि, संभाग ने इसी दिनांक को, इसी व्यवसाई से 26.33 रूपये प्रति लीटर की दर से 1255 लीटर हाईस्पीड डीजल खरीदा था। इस तरह, आधार दर के त्रृटिपूर्ण गणना के परिणाम स्वरूप ठेकेदार को 29.45 लाख रूपये का अधिक भुगतान हुआ।

लेखापरीक्षा (अगस्त 2006) में इसे इंगित किये जाने पर, मुख्य अभियंता, इंदिरा सागर नहर, सनावद ने तथ्यों को स्वीकार किया (फरवरी 2007) तथा कार्यपालन यंत्री द्वारा ठेकेदार के आगामी देयक से अधिक भुगतान की वूसली समायोजित किये जाने का आश्वासन दिया। ठेकेदार से वसूली अभी तक नहीं की गई थी (दिसम्बर 2007)।

प्रकरण सरकार को भेजा गया था (दिसम्बर 2006), उत्तर प्राप्त नही हुआ था (दिसम्बर 2007)।

4.2.4 न किये गये कार्य के लिए भुगतान

खोदी गई कड़ी चट्टान के चट्टे ठेकेदार द्वारा नहीं लगाये गये थे किन्तु भुगतान किया गया जिसके परिणाम स्वरूप 57.49 लाख रूपये का अधिक भुगतान हुआ।

इंदिरा सागर परियोजना (आई.एस.पी) की मुख्य नहर का मिट्टी कार्य आर.डी. 89.71 से 95.77 कि.मी. एवं 96.030 से 107.330 किमी के मध्य सीमेंट कांक्रीट (सी.सी.) संरचनाएं एंव पेवर मशीन से सी.सी. लाइनिंग का कार्य दो पृथ्क अनुबंधों क्रमांक 2 तथा 3/2004-05 के तहत ठेकेदार की निविदा लागत 18.42 करोड रूपये एवं 23.97 करोड रूपये जो कि प्राक्कलित लागत 23.63 करोड रूपये एंव 31.52 करोड रूपये से क्रमश: 22.05 प्रतिशत एंव 23.95 प्रतिशत कम थी एक ठेकेदार को तीस माह मे पूरा करने हेतु सौंपा गया (सितम्बर 2004)। कार्य प्रगति पर थे एंव ठेकेदार के 18.37 करोड रूपये तथा 25.11 करोड रूपये के 30वें तथा 39वें चल देयकों का भुगतान अगस्त 2006 में किया गया ।

अनुबंध की धारा 3.3.1 (IV) में निहित था कि खोदी गई कड़ी चट्टान के सफाई से चट्टे लगाये जाये जिससे सही लेखांकन एवं सुगमता से हटाने अथवा अन्य कार्यों हेतु परिवहन में सुविधा हो। डिस्पोजल प्लान में दर्शाए अनुसार भुगतान के आइटम में खोदी गई सामग्री के निस्तारण हेतु दर सम्मिलित थी। प्रचलित दर अनुसूची में बाक्सिंग से चटटे लगाने के लिये 7.10 रूपये प्रति घन मी दर उपलब्ध थी।

लेखापरीक्षा में जाँच से प्रकट हुआ (अगस्त 2006) कि अनुबंध क्र. 2 तथा 3/2004-05 के अंतर्गत क्रमश: 691170 घ. मी. एवं 357499 घ.मी. कड़ी चट्टान खोदी गई थी। खोदी गई कड़ीचट्टान के चट्टे नहीं लगाये गये क्योंकि माप पुस्तिकाओं में चटटे लगाई के माप अंकित नहीं पाये गये। इस प्रकार खोदी गई कड़ीचट्टान के आईटम से दोनों अनुबधों के अंतर्गत अनुपातिक रूप से क्रमश: @ 5.53[4] रूपये प्रति घ.मी. एवं 5.39[5] रूपये प्रति घ. मी. दरें कम नहीं की गई थी जिसके परिणाम स्वरूप 57.49[6] लाख रूपये का अधिक भुगतान हुआ।

लेखापरीक्षा में इसे इंगित किये जाने पर (अगस्त 2006) कार्यपालन यंत्री (का.य.) नर्मदा विकास संभाग क्र. 13 खण्डवा ने स्वीकार किया कि कड़ी चट्टान के चट्टे नहीं लगाये गये थे तथा न ही खोदी गई कड़ी चट्टान की मात्रा को स्थल सामग्री लेखा में लिया गया। तथापि का.य. ने बताया कि अनुबंधों की धारा 1.3 एवं 3.18 के अनुसार चट्टे लगाना आवश्यक नहीं था। उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि संदर्भित धारा के अंतर्गत सामान्य रूप से सभी खोदी गई सामग्री के निस्तार का तरीका दिया गया था। इसके अलावा सदस्य (अभियांत्रिकी) नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण जो कि विभाग के

[4] 7.10 रूपये पर 22.05 प्रतिशत कम = 5.53 रूपये

[5] 7.10 रूपये पर 23.94 प्रतिशत कम = 5.39 रूपये

[6] (691191 घ.मी. X 5.53 = 3822286) + (357499 घ.मी. X 5.39 = 1926920) = 5749206/-

तकनीकी सलाहकार है, ने तकनीकी परिपत्र (मार्च 2003) में स्पष्ट निर्देश दिये थे कि चट्टे लगाना खुदाई का अनिवार्य भाग है तथा खुदाई के आइटम का भुगतान चट्टे लगाने का कार्य पूर्ण करने पर ही अनुमत्य था।

प्रकरण सरकार को भेजा गया था (मई 2007); उत्तर अप्राप्त था (दिसम्बर 2007)।

4.2.5 बढ़े हुए मापों तथा अतिरिक्त लागत की वसूली न किये जाने के कारण अधिक भुगतान

अनुबंधित मात्राऐं व्यापक तौर पर परिवर्तित कर दी गई तथा त्रुटिपूर्ण मापों द्वारा ठेकेदार को रू. 1.22 करोड़ का अधिक भुगतान किया गया, इसके अलावा ठेकेदार से 1.82 करोड़ रूपये मूल्य की अतिरिक्त लागत की वसूली भी लम्बित रही ।

बरगी डायवर्सन परियोजना की मुख्य नहर में आर. डी. 33 से 35 कि.मी. तक की खुदाई मिट्टी के कार्य तथा सीमेंट कांक्रीट लाईनिंग के कार्य को कार्यपालन यंत्री बॉयी तट नहर संभाग क्र. 1 जबलपुर (वर्तमान में नर्मदा विकास सभाग क्र. 4 जबलपुर के अन्तर्गत कार्यरत), द्वारा अनुबंध क्र. 2 के डी. एल. 2002-03 के अन्तर्गत एक ठेकेदार 'क' को उसके निविदा मूल्य 10.71 करोड़ रूपये पर जो कि प्राक्कलित लागत 20.70 करोड रूपये से 48.265 प्रतिशत कम था सौंपा गया। वर्षाकाल सहित 12 माह की अवधि में पूर्ण किये जाने वाले कार्य को धीमी प्रगति के कारण ठेकेदार की जोखिम व लागत पर रद्द कर दिया गया। 6.63 करोड रूपये की राशि का नौवा एवं अपूर्ण अंतिम देयक का भुगतान (नवम्बर 2006) किया गया जिसकी शुद्ध संदेय राशि रूपये (-) 63 21,277 थी।

लेखापरीक्षा संवीक्षा में प्रकट हुआ (मार्च 2007) कि ठेकेदार को विखंडित चट्टान तथा नर्म चट्टान (वि/च. एवं न.च) एवं कडी चट्टान मे शुष्क और गीली खुदाई की प्राक्कलित मात्रा एंव दर क्रमशः 600216 घ.मी. 127.46 रूपये प्रति घ.मी. तथा 4,02,465 घ.मी. 39.02 प्रति घ.मी. के विरूद्ध 10,94,622 घ.मी (6,60,238 घ.मी. 50 रूपये प्रति घ.मी. हेतु 3.30 करोड रूपये तथा 4,34,384 घन मीटर 65.94 प्रति घ.मी. हेतु 2.87 करोड़ रूपये) तथा 12,000 घ.मी. 110 रूपये प्रति घ.मी. हेतु 0.13 करोड़ रूपये तथा 13.20 लाख रूपये का भुगतान आठवें चलित लेखा देयक में किया गया था (जून 2005)। नवें एवं अपूर्ण अंतिम देयक मे वि/च. एंव न/च. तथा कडी चट्टान में शुष्क और गीली खुदाई की मात्राओं को घटाकर क्रमशः 10,94,622 घ.मी. से 9,28,946 घ.मी. तथा 12,000 घ.मी. से शून्य कर दिया गया था। इस प्रकार से केवल प्राक्कलन अवास्तविक था अपितु ठेकेदार को अतिरंजित मापों के कारण 1.22 करोड रूपये (10,94,622 - 9,28,946 =1,65,676 @ 65.94[7]=1.09 करोड़ रूपये वि./च. एवं न./च. हेतु तथा 13.20 लाख रूपये कडी चट्टान हेतु) का अधिक भुगतान भी किया गया था । जिसमे से 63.21 लाख रूपये का समायोजन नहीं किया गया ।

[7] *प्राक्कलित दर रू. 127.46 कम रू. 61.52 (48.265 प्रतिशत निविदा लागत से कम) = रू. 65.94 प्रति घ.मी., प्राक्कलित मात्राओं से 10 प्रतिशत अधिक मात्राओं के लिए*

इसके अलावा आगे छोडे गये शेष कार्य को ठेकेदार 'ख' को उनके निविदित मूल्य 4.28 करोड रूपये पर जो कि प्राक्कलित मूल्य 2.76 करोड रूपये से 54.69 प्रतिशत अधिक था, सौंपा गया (मार्च 2006)। ठेकेदार 'अ' से अतिरिक्त लागत 2.15 करोड रूपये की वसूली के लिए विभाग द्वारा किसी फलापेक्षी कार्यवाही की पहलकदमी नहीं की गई।

प्रकरण शासन को सूचित करने (मई 2007) पर शासन द्वारा लेखापरीक्षा आक्षेप स्वीकार किया गया (अक्टूबर 2007) तथा यह बतलाया गया कि अधिक भुगतान की असामायोजित राशि 63.21 लाख रूपये (जून 2007) तथा अतिरिक्त लागत की आंशिक राशि 32.58 लाख रूपये (अगस्त 2007) की वसूली उनके पास मौजूद ठेकेदार की प्रतिभूति जमा राशि में से समायोजित कर ली गई है। यह भी सूचित किया गया कि वसूली की शेष राशि 1.82 करोड रूपये की वसूली हेतु राजस्व प्राधिकारियों के जरिये राजस्व वूसली सनद जारी करा दी गई है (अगस्त 2007)।

प्रकरण में आगे की कार्यवाही अपेक्षित थी (दिसम्बर 2007)

4.2.6 अवास्तविक प्राक्कलन के कारण अतिरिक्त व्यय

इंदिरा सागर परियोजना के मुख्य नहर कार्य के लिए दोषपूर्ण व अवास्तविक प्राक्कलन के कारण निविदा के त्रुटिपूर्ण मूल्यांकन एवं 1.72 करोड़ रूपये का परिहार्य अतिरिक्त व्यय।

इंदिरा सागर परियोजना में मुख्य नहर के कि.मी. 75.82 से 79.52 तक के निर्माण कार्य हेतु नवम्बर 2001 में निविदा आमंत्रित की गई। निविदा में प्राक्कलित लागत 19.55 करोड रूपये रखी गई थी। शासन द्वारा ठेकेदार 'क' का न्यूनतम प्रस्ताव 10.68 करोड रूपये (जो कि प्राक्कलित लागत से 45.37 प्रतिशत कम आकलित था) स्वीकार किया गया (अप्रैल 2002)। कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्र. 24, खरगौन द्वारा वर्षाकाल सहित 30 माह में कार्य पूर्ण करने के ठहराव युक्त कार्यादेश जारी किया (मई 2002) गया। ठेकेदार के अंतिम देयक 16.34 करोड़ रूपये (मूल्य वृद्वि समायोजन सहित) का भुगतान मार्च 2006 में किया गया।

लेखापरीक्षा जाँच (फरवरी 2007) में यह प्रकट हुआ कि निविदा में उद्घृत प्राक्कलित मात्राओं तथा वास्तविक रूप में निष्पादित की गई मात्राओं के बीच कोई समरूपता नहीं थी। कडी चट्टान में खुदाई की मात्रा 6,85,949 घ.मी. से 12,88,688 घ.मी. (88 प्रतिशत) बढ गई, सभी प्रकार की मिट्टी तथा विखंडित व नर्म चटटानों पर खुदाई की मात्राओं कमशः 5,27,207 घ. मी. से घट कर 247130 घ.मी. (53 प्रतिशत) एवं 6,50,053 घ.मी. से घटकर 2,16,558 घ.मी. (77 प्रतिशत) हो गई। प्राक्कलित एंव वास्तविक तौर पर निष्पादित मात्राओं के बीच आये अन्तर तथा प्रथम न्यूनतम संविदाकार (एल-1) व चौथे न्यूनतम संविदाकार (एल-4) द्वारा उद्घृत दरों की तुलनात्मक स्थिति नीचे दर्शाई गई है:

मद	प्राक्कलित मात्रा घ.मी. में	निष्पादित मात्रा घ.मी. में	मात्राओं में अन्तर घ.मी. में	संविदित दर रू. में	राशि (लाख रू. में)	संविदित दर रू.में	राशि (लाख रू. में)
1.खुदाई				एल-4		एल-1	
(अ) सभी प्रकार की मिट्टी मे	527207	247130	-280077	30/-	74.14	10/-	24.71
(ब) विखंडित एवं नर्म चट्टान में	650053	216558	-433495	62/-	134.26	37/-	80.13
2. कड़ी चट्टान पर खुदाई	685949	1288688	602739	90/-	1159.82	112.37	1448.10
3.एम्पायर मार्ग का निर्माण	84036	29350	- 54686	15/-	4.40	1/-	0.29
4. वाटर बाउण्ड मैकाडम हेतु 22 एमी मोटे स्पेन वेस का निर्माण	8794	6538	- 2256	120/-	7.85	20/-	1.31
5. 80 मि.मी. मोटे वाटर बाउण्ड मैकाडम	3198	2378	- 820	130/-	3.09	50/-	1.19
योग					**1383.56**		**1555.73**

कार्य जो चौथे न्यूनतम निविदाकार (एल-4) की उदघृत दरों पर रू. 13.84 करोड़ पर पूर्ण होता, प्रथम न्यूनतम निविदाकार (एल-1) की उद्घृत दरो पर, अतत रू. 15.56 करोड़ (मूल्य वृध्दि समायोजन की राशि 1.29 करोड़ रूपये छोड़कर) में पूर्ण हुआ । इस प्रकार अवास्तविक मात्राओं द्वारा निविदा के आमंत्रण के कारण त्रुटिपूर्ण मूल्यांकन एवं 1.72 करोड़ रूपये की अतिरिक्त लागत की अगवानी हुई ।.

इसे इंगित किये जाने पर मुख्य अभियंता ने कहा (जुलाई 2007) कि अनअनुमानित भूगर्भीय परिवर्तन के कारण कार्य के वास्तविक निष्पादन के दौरान असामान्य बदलाव बने।

उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि भूगर्भीय परिवर्तन ऐसी शीघ्रता मे उत्पन्न नहीं होते हैं तथा मात्राओं के पर्तवार प्राक्कलन में त्रुटियो को न्यूनतम करने हेतु आवश्यक सावधानियां नहीं बरती गई ।

प्रकरण सरकार को भेजा गया (मई 2007), उत्तर अप्राप्त था (दिसम्बर 2007)

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

4.2.7 ग्रामीण सड़कों के लिये महंगी विशिष्टताएं अपनाने के कारण अतिरिक्त लागत

ओपन ग्रेडेड प्रिमिक्स कारपेट के स्थान पर माडीफाईड पेनेट्रेशन मेकाडम के निष्पादन के परिणाम स्वरूप 30.75 लाख रूपये की परिहार्य अतिरिक्त लागत।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत ग्रामीण सड़कों का निर्माण, भारतीय सड़क कांग्रेस द्वारा जारी विशिष्टियों एस.पी. 20-2002 को सख्ती से अनुपालित कर करना था। कम यातायात दबाव वाली ग्रामीण सड़कों में डामरीकृत मिश्रण की संरचनात्मक परत केवल तभी दी जाती है यदि यातायात दबाव अपवादित रूप से अधिक है। तदानुसार

मध्य प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण ने निर्देश (अक्टूबर 2002) जारी किया ऐसी सडकों पर जहाँ परियोजित यातायात 150 वाणिज्यिक वाहन प्रतिदिन से 450 वाणिज्यिक वाहन प्रतिदिन के मध्य रहता है, वाटर बाऊण्ड मेकाडम की ऊपरी परत को माडीफाईड पेनेट्रेशन मेकाडम की एक परत से प्रतिस्थापित किया जा सकता है। तथापि ग्रामीण सडक विकास प्राधिकरण ने तय किया (जून 2004) कि जहाँ परियोजित यातायात दबाव 120 वाणिज्यिक वाहन प्रतिदिन से ज्यादा है, वाटर बाऊण्ड मेकाडम ग्रेड-3 के स्थान पर माडीफाईड पेनेट्रेशन मेकाडम के बाद मिक्स सील सर्फेस निष्पादित की जानी चाहिए।

लेखापरीक्षा जाँच से प्रकट हुआ कि, मध्य प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण की तीन परियोजना कार्यान्वयन इकाईयों द्वारा यद्यपि सड़क का परियोजित यातायात घनत्व 120 वाणिज्यिक वाहन प्रतिदिन से कम था, चार सडकों पर 190121.022 वर्ग मीटर क्षेत्र में वाटर बाऊण्ड मेकाडम ग्रेड-3 पर सील कोट के साथ ओपन ग्रेडड प्रिमिक्स कारपेट के स्थान पर माडीफाईड पेनेट्रेशन मेकाडम के बाद मिक्स सील सर्फेस का निष्पादन किया गया। इस प्रकार महंगी विशिष्टियों का विवेकहीन अंगीकरण से **परिशिष्ट 4.1** मे दर्शाए अनुसार 30.75 लाख रूपये के परिहार्य अतिरिक्त लागत में परिणित हुआ।

इसे इंगित किये जाने पर, महाप्रबंधकों ने बताया (दिसम्बर 2005 एवं मार्च 2006) कि माडीफाईड पेनेट्रेशन मेकाडम के बाद मिक्स सील सर्फेस को सड़कों के भविष्य में होने वाले यातायात घनत्व की वृद्वि को ध्यान में रखते हुए किया गया था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनों के अनुसार सभी सडकों का परियोजित यातायात घनत्व 120 वाणिज्यिक वाहन प्रतिदिन से कम था।

प्रकरण सरकार को भेजा गया था (जून 2006); उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था। (दिसम्बर 2007)।

लोक निर्माण विभाग

4.2.8 मूल्य वृद्धि का अग्राह्य भुगतान

ठेकेदारों को सड़क में कार्य के लिए निष्पादन में 44.10 लाख रूपये का मूल्य वृद्वि भुगतान किया गया यद्यपि अनुबंध से सम्बन्धित धारा को हटाया गया था।

शाजापुर से दुपाडा कनाड मार्ग लम्बाई 33.60 कि.मी. के उन्नयन एवं चौड़ीकरण का कार्य केन्द्रीय सड़क निधि के अंतर्गत स्वीकृत अनुमानित 3.96 करोड रूपये पर स्वीकृत (फरवरी 2004) को 24 माह में पूर्ण किया जाना था। कार्य को कार्यपालन यंत्री (का.य.) लोक निर्माण संभाग शाजापुर के द्वारा अप्रैल 2005 से प्रभावी दर अनुसूची से 24.66 प्रतिशत कम पर एक ठेकेदार को सौंपा गया (अगस्त 2005)। कार्यपूर्ण करने की निर्धारित अवधि को मुख्य अभियंता (मु.अ.) ने दिनांक जून 2005 से मार्च 2007 तक अंतिम बार बढाया गया (दिसम्बर 2006) जिसके लिए ठेकेदार को आरोपणीय नहीं माना गया। कार्य अभी तक अपूर्ण था एवं 22 वें चलित लेखा बिल से 3.17 करोड रूपये का भुगतान जुलाई 2007 में किया गया।

लेखापरीक्षा में जॉच से प्रकट हुआ (मार्च 2007) कि यद्यपि मूल्य वृद्वि भुगतान से सम्बन्धित अनुबंध की धारा 11-सी को विशेष रूप से हटाया गया था तथा बढाई गई अवधि के लिये ठेकेदार को मूल्यवृद्वि देय नहीं थी[8]। तथापि मूल्यवृद्वि के लिए 44.10 लाख रूपये का भुगतान (फरवरी -जुलाई 2007) ठेकेदार को किया गया। मूल्यवृद्वि का अग्राहय भुगतान ठेकेदार के लिए अदेय वेत्तीय लाभ था।

लेखापरीक्षा (मार्च 2007) मे इसे इंगित किए जाने पर प्रमुख अभियंता ने मूल्य वृद्वि के गलत भुगतान को स्वीकार किया (अक्टूबर 2007) तथा ठेकेदार से अधिक भुगतान तुरंत वसूलने हेतु कार्यपालन यंत्री को निर्देश दिया। वसूली विवरण अपेक्षित है (दिसम्बर 2007)।

प्रकरण सरकार को अप्रैल 2007 में भेजा गया । उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (दिसम्बर 2007)।

4.2.9 ठेकेदार से क्षतिग्रस्त कार्य की मरम्मत लागत वसूल न करना

क्षतिग्रस्त कार्य के सुधार पर व्यय की गई राशि 26.21 लाख रूपये ठेकेदार से वसूलने में संभागीय अधिकारी की विफलता एंव विविध कार्य अग्रिम में त्रृटिपूर्ण नामें किया जाना।

आगरा-बम्बई मार्ग कि.मी. 13/6 से 416 (राष्ट्रीय राजमार्ग-3) के पेच मरम्मत का कार्य प्राक्कलित लागत 1.14 करोड रूपये की अनुबंध क्र. 55/2003-04 के तहत प्रचलित दर अनुसूची से 0.01 प्रतिशत कम पर एक ठेकेदार 'ए' को सौंपा गया। कार्य दो माह में पूर्ण करने हेतु कार्यादेश कार्यपालन यंत्री (का.यं.) राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग इंदौर द्वारा फरवरी 2004 में जारी किया गया यद्यपि कार्य मई 2004 में पूर्ण किया गया तथा चतुर्थ एवं अंतिम देयक से मार्च 2005 में 1.12 करोड रूपये का भुगतान किया गया था।

अनुबंध की धारा 19 में उल्लिखित था कि कार्य मे कोई खराबी अथवा कमियां कार्य पूर्ण होने के छः माह के भीतर स्पष्ट दिखाई देती हैं, तो ठेकेदार उसे अपने व्यय से ठीक कराने के लिए जवाबदेह होगा अन्यथा कमी की लागत ठेकेदार से वसूली जावेगी।

लेखापरीक्षा में जांच से प्रकट हुआ (सितम्बर 2006) कि कार्य पूर्ण होने के तीन माह के अंदर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया था तथा अनेक बार स्मरण कराने पर इसे ठेकेदार द्वारा स्वयं के खर्चे पर सुधार नहीं किया गया। इसके बाद क्षतिग्रस्त कार्य का सुधार अन्य ठेकेदार 'ब' से करा कर (जून 2005) 26.21 लाख रूपये ठेकेदार 'ए' के बकाया से समायोजित न किया जाकर विविध कार्य अग्रिम में उसके नामें डाला गया।

इसे इंगित किए जाने पर कार्यपालन यंत्री ने आश्वस्त (सितम्बर 2006) किया कि राशि को वसूल करने की कार्यवाही की जा रही है परन्तु राशि दिसम्बर 2007 तक वसूल नहीं की गई थी।

[8] *म.प्र. उच्चतम न्यायालय जबलपुर का निर्णय पी. स. राजपूत बनाम म. प्र. राज्य एवं अन्य 1988 का सिविल रिट्पीजन क्र. 474 एवं 481 (1992 ए. एल. जे. आर -311.*

प्रकरण शासन को भेजा गया था (मई 2007); उत्तर अप्राप्त था (दिसम्बर 2007).

राजस्व विभाग

4.2-10 अप्रयुक्त/अबिक्रीत लेखन सामग्री मदों के कारण अपव्यय

स्टॉक में विक्रय न किये जाने योग्य डायरियों तथा केलेण्डरों और अप्रयुक्त प्रपत्रों के पड़े रहने से 28.29 लाख रूपये का अपव्यय हुआ ।

सरकारी मुद्रणालय की स्थापना विभिन्न सरकारी विभागों को मुद्रित प्रपत्र, प्रकाशनों, डायरियों तथा केलेण्डरों आदि उपलब्ध कराने के लिये की गई थी ।

उप-नियंत्रक शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, ग्वालियर तथा सहायक नियंत्रक, लेखन सामग्री तथा प्रकाशन, ग्वालियर के अभिलेखों की नमूना जॉच (नवम्बर 2006 दिसम्बर 2006) तथा आगे संग्रहीत जानकारी (जून-जुलाई 2007) से प्रकट हुआ कि कोष एवं लेखा विभाग, लोक निर्माण विभाग तथा राजस्व विभाग के लिये 22.24 लाख रूपये की लागत से 1986 से 2003 तक की अवधि में मुद्रित विभिन्न प्रपत्र इन विभागों ने अपने अधिकार में नहीं लिये और वे मुद्रणालयों में अनुपयोगी पड़े हुए थे । यह भी कि 6.05 लाख रूपये मूल्य के वर्ष 2005 एवं 2006 की डायरियां एवं केलेण्डर सहायक नियंत्रक, लेखन सामग्री तथा प्रकाशन ग्वालियर के पास अविक्रीत पड़े हुए थे । केलेण्डर वर्ष की समाप्ति के पश्चात ये डायरियां तथा केलेण्डर अप्रचलित हो गये हैं ।

लेखापरीक्षा में इसका उल्लेख करने पर उप नियंत्रक ने बताया (नवम्बर 2006 एवं जून 2007) कि प्रपत्र इन विभागों की मांग पर मुद्रित किये गये थे परन्तु सम्बन्धित विभागों ने मुद्रित प्रपत्र नहीं उठाये । सहायक नियंत्रक, लेखन सामग्री तथा प्रकाशन ने बताया (नवम्बर 2006 एवं जुलाई 2007) कि मुख्यालय से मॉग से अधिक डायरी एवं केलेण्डर प्राप्त हो गए थे ।

इस प्रकार डायरी एवं केलेण्डरों की मॉग के दोषपूर्ण निर्धारण तथा उपयोगकर्ता विभागों द्वारा मुद्रित प्रपत्र अपने अधिकार में न लेने के कारण ये मदें बिना उठाये / अविक्रीत पड़ी रही और इससे समय की अवधि के पश्चात् अप्रचलित होने की संभावना हो गई जिससे अन्ततः 28.29 लाख रूपये की हानि हुई ।

प्रकरण की सूचना सरकार को दिसम्बर 2006 में भेजी गई थी उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है । (नवम्बर 2007) ।

जल संसाधन विभाग

4.2.11 वास्तव में न किये गये कार्य के लिये अतिरिक्त भुगतान

नहर लाईनिंग में चिपकने न फूलने वाली मिट्टी बिछाने की मद यद्यपि अनुबंध में उपबंछित थी, परन्तु वास्तव में न तो इसकी आवश्यकता थी और ना ही बिछाई गई, के परिणाम स्वरूप न किये गये कार्य के 25 लाख रूपये का अतिरिक्त भुगतान।

बाण सागर परियोजना, रीवा की क्योटी मुख्य नहर के शेष मिट्टी के कार्य तथा संरचनाओं सीमेन्ट कांक्रीट लाईनिंग, 0 से 8 कि.मी. तक वितरणियों (डिस्ट्रीब्यूटरी) तथा माइनरों को सम्मिलित करते हुये 5.43 कि. मी. पर एस्केप चैनल का निर्माण कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग रीवा द्वारा 10.58 करोड़ रूपये की निविदा लागत पर जो कि प्राक्कलित लागत 10.28 करोड रूपये से 2.58 प्रतिशत अधिक था, वर्ष 2002-03 के अनुबंध क्र. 2 के अन्तर्गत ठेकेदार "अ" को सौपा गया (नवम्बर 2002)। ठेकेदार को 25 वें तथा अंतिम चल देयक से 10.23 करोड़ रूपये का भुगतान (नवम्बर 2006) किया गया।

विधानसभा प्रश्न क्र. 2703 के उत्तर में कार्यपालन यंत्री ने सूचित किया (अगस्त 2005) था कि, चिपकने न फूलने वाली परत नहीं बिछाई गई। लेखापरीक्षा जाँच में प्रकट हुआ (दिसम्बर 2005) कि कार्य के निष्पादन के दौरान मिट्टी के फूलने का दवाब 0.15 से 0.245 कि. ग्रा. प्रति वर्ग मीटर जाँचा गया था जिसके परिणामस्वरूप न तो कोई चिपकने न फूलने वाली मिट्टी की परत की जरूरत थी न ही बिछाई गई थी, परन्तु 100 मी. मी. मोटी कास्ट इन सिटू सीमेन्ट कांक्रीट लाईनिंग उपबंछित एवं बिछाने की मद के लिये ठेकेदार को 2900 रूपये प्रति घन मीटर की पूर्ण दर से भुगतान किया गया। मद में सम्मिलित चिपकने न फूलने वाली मिट्टी की परत को उपलब्ध कराने तथा तैयार करने का संघटक को घटाया नहीं गया। इसके परिणाम स्वरूप ठेकेदार को वास्तव में न किये गये कार्य के लिए 24.90 लाख रूपये का अतिरिक्त भुगतान हुआ।

मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, गंगा कछार रीवा ने स्वीकार (जनवरी 2007) किया कि, कार्य के वास्तविक निष्पादन के दौरान चिपकने न फूलने वाली मिट्टी की परत आवश्यक नहीं थी, परन्तु इसे रिचेस (संरचनाओं तथा अस्तरण का भाग) में बिछाया गया। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि मिट्टी के जांच परिणाम स्वयं उपबंछित करते हैं कि चिपकने न फूलने वाली मिट्टी की परत की कोई आवश्यकता नहीं थी इसिलए माप भी दर्ज नहीं किये गये।

प्रकरण सरकार को भेजा गया था (अगस्त 2006), उत्तर अप्राप्त था (दिसम्बर 2007)।

4.2.12 कड़ी चट्टान के त्रुटिपूर्ण लेखांकन के कारण हानि

खोदी गई उपयोगी कड़ी चट्टान के त्रुटिपूर्ण लेखांकन के परिणाम स्वरूप शासन को 42.03 लाख रूपये की हानि हुई।

प्रनुख अभियंता जल संसाधन विभाग (ज.स.वि.) द्वारा जारी एकीकृत दर अनुसूची के अध्याय-4 के नीचे दी गई टीप के अनुसार खोदी गई उपयोगी कड़ीचट्टान के भुगतान के लिए ली गई मात्रा (ठोस चट्टान कटाव) की संगणना 1.30 गुना (16 प्रतिशत रिक्तियाँ जोड़कर) की जावेगी। इससें छीजन के लिए कटौती मान्य नहीं होगी।

लेखापरीक्षा (अप्रैल 2007) मे कार्यपालन यंत्री (क्र.य.) राजीव सागर परियोजना संभाग क्र. 2 कुडवा जिला बालघाट के अभिलेखों की जांच से प्रकट हुआ (अप्रैल 2007) कि उपरोक्त स्थिति के विरूद्व 279117 03 घ. मी. कड़ी चट्टान की मात्रा के बदले 214705.42 घ. मी. मात्रा लेखे में ली गई एवं विभिन्न ठेकेदारो को जारी की गई थी।

इस प्रकार त्रुटिपूर्ण लेखांकन एंव जारी करने के परिणामस्वरूप 64411.61 घ. मी. कड़ी चट्टान की कम वसूली से 42.03 लाख रूपये की हानि हुई जैसा कि नीचे दिया गया है:

अनुबंध	कड़ी चट्टान घन मीटर में लेखांकित एवं प्रदाय करने योग्य	घन मीटर में लेखांकित एवं प्रदाय की गई कड़ी चट्टान	घन मीटर में अंतर	प्रति घनमीटर निर्धारित प्रदाय दर	कम वसूली (लाख रूपये में)
09.1997-98	1,39,508.65	1,07,314.35	32,194.30	72.40	23.31
03.1999-2000	74,942.41	57,648.01	17,294.40	58.10	10.05
12.2000-01	64,665.97	49,743.06	14,922.91	58.10	8.67
योग	**2,79,117.03**	**2,14,705.42**	**64,411.61**		**42.03**

इसे लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर कार्यपालन यंत्री ने उत्तर में कहा (अप्रैल 2007) कि खोदी गई कड़ी चट्टान की गणना एवं भुगतान चट्टो के माप के बजाय गड्ढो के माप से किया गया था। उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि खोदी गई कड़ी चटटान का लेखांकन एवं भुगतान सम्बन्धित मापो के अनुसार भुगतान की गई मात्रा को 1.30 गुना करके किया जाता था।

प्रकरण सरकार को भेजा गया था (जून 2007); उत्तर अप्राप्त था (दिसम्बर 2007)।

4.3 अनुबंधित दायित्वों का उल्लंघन/ठेकेदारों को आवंछनीय लाभ/परिहार्य व्यय

लोक निर्माण विभाग

4.3.1 एक साथ दो वियरिंग कोर्स के निष्पादन के कारण अतिरिक्त लागत

सील कोट सहित ओपन ग्रेडेड प्री मिक्स कार्पेट दूसरा वियरिंग कोट के पहले सर्फेस ड्रेसिंग एक वियरिंग कोर्स के अवांछित निष्पादन के परिणाम स्वरूप 31.48 लाख रूपये की अतिरिक्त लागत।

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (एम.ओ.आर.टी. एण्ड एच.) द्वारा जारी सड़क विशिष्टियों में प्रावधान है कि तकनीकी उपयोगिता के आधार पर विभिन्न प्रकार के वियरिंग कोर्सों जैसे सरफेस ड्रेसिंग (एस.डी.), ओपन ग्रेडेड प्री मिक्स कारपेट (ओ.जी.पी.सी.), मिक्स सील सरफेसिंग (एम.एस.एस.), सेमी डेंस बिटुमिन कांक्रीट (एस.डी.बी.सी.) इत्यादि में से किसी एक वियरिंग कोर्स का चयन कर पहले से तैयार सतह पर बिछा कर सड़क की अंतिम सरफेसिंग पूर्ण की जावेगी। तथापि डामरीकृत कार्यो के निर्माण एवं पर्यवेक्षण के मेन्युअल में दिया गया है कि जब इसके ऊपर तुरंत संचिन्हित परत बिछाई जाना संभव न हो तब वाटर बाउन्ड मेकेडम (डब्ल्यू.बी.एम.) सरफेस को क्षति से बचाने के लिए तुरंत बिछाई गई डब्ल्यू.बी.एम. पर एस.डी. डाला जा सकता है।

लेखापरीक्षा में जांच से प्रकट हुआ कि (मई 2006 एवं नवम्बर 2006) कि निम्नलिखित दो अनुबंधों के अंतर्गत दो प्रकार के वियरिंग कोर्स जैसे एस.डी. एवं सील कोट 20 मी. मी. ओ. जी. पी. सी. एक साथ बिछाये गये थे।

संभाग का नाम	अनुबंध क्र.	सडक का नाम	निविदा प्रतिशत	सरफेस ड्रेसिंग का क्षेत्र (वर्ग मी.)	दर प्रति वर्ग मी.	राशि लाख रूपये में
का.य. लो.नि.वि. शहडोल	41/डी एल/ 2005-06	छितवई-पटसई मार्ग का उन्नयन	(-) 19.98%	31,158.0 मी^{2}	23.00	5.73
का.य. लो.नि.वि. बालाघाट	19 डी. एल./2004 -05	बालाघाट समनापुर लामरा मार्ग का उन्नयन	(-) 16.6%	78,875.40 मी^{2}	28.00	25.75
योग				**110033.40 मी^{2}**		**31.48**

इस प्रकार एस.डी. के साथ-साथ सील कोट सहित ओ.जी.पी.सी. निष्पादन अवांछनीय था तथा जिसके परिणाम स्वरूप 31.48 लाख रूपये की अतिरिक्त लागत हुई।

इसे इंगित किए जाने पर कार्यपालन यंत्री (का.यं.) ने उत्तर में कहा (मई 2006 एवं नवम्बर 2006) कि कार्य का निष्पादन प्रमुख अभियन्ता के आदेश से एवं स्वीकृत प्राक्कलनों तथा अनुबंध अनुसार किया गया। आगे यह भी कहा कि ओ.जी.पी.सी. डालने से पहले डब्ल्यू बी. एम. के बचाव हेतु एस.डी.का कार्य किया गया था।

उत्तर विशिष्टियों के अनुरूप नहीं था इसके अलावा एस.डी. के उपर ओ.जी.पी.सी. का साथ ही साथ निष्पादन अवांछित था।

प्रकरण जून 2007 में सरकार को भेजा गया, उत्तर अप्राप्त था (दिसम्बर 2007) ।

4.3.2 बी.ओ.टी. योजना के अंतर्गत ठेकेदार को अदेय वित्तीय लाभ

चुंगी वसूली हेतु अतिरिक्त् दिवसों की त्रुटिपूर्ण गणना के कारण ठेकेदार को 84.93 लाख रूपये का अदेय वित्तीय लाभ तथा वृक्षारोपण प्रभार 35.71 लाख रूपये की वसूली न होना।

एक प्रान्तीय राजमार्ग, इन्दौर-सॉंवेर-उज्जैन पथ में "बनाओ-चलाओ वापस लौटाओ" बी.ओ.टी.योजना[9] के अन्तर्गत प्रतिस्थापन, चौड़ीकरण, पुल-पुलियों के पुनर्निर्माण मजबूतीकरण, नवीनीकरण तथा रखरखाव के कार्य को 6 माह के अन्दर पूर्ण करने के लिए निविदा आमंत्रित की गई (अप्रैल 1999)। शासन ने एक ठेकेदार द्वारा उनके वित्तीय विनियोजन के एवज में 2419 दिवसों तक चुंगी वसूली व धारण करने वाली

[9] *बी.ओ.टी. एक ऐसी योजना है जिसके अंतर्गत उद्यमी अपने वित्तीय संसाधनों से संपत्ति का निर्माण व उसका परिचालन करता है तथा इसके ऐवज में शासन द्वारा निर्धारित दरों पर एक निर्धारित अवधि तक, सुविधाभोगियों से चुंगी की उगाही व उनके धारण करने का अधिकार उसे अन्तरित किया जाता है।*

न्यूनतम निविदा स्वीकृति की (दिसम्बर 1999)। कार्य पूर्ण करने के उपरान्त ठेकेदार द्वारा 29 जून 2000 से चुंगी उगाही का कार्य प्रारंभ कर दिया गया। लेखापरीक्षा संवीक्षा (जून 2007) में निम्न अनियमिततायें प्रकट हुईः

चुंगी संग्रहण हेतु अतिरिक्त दिवसों की त्रुटिपूर्ण गणना के कारण ठेकेदार को अदेय वित्तीय लाभ

सामान्य शर्तें - जो कि अनुबन्ध का भाग थीं की धारा 5 (फोर्स मेज्योर), उद्यमी/ठेकदार को देय मुआवजे की व्यवस्था करती थी कि उगाही जाने वाली चुंगी में ऐसे कारणों से आये घाटे/कमी, जो कि ठेकेदार के अधीन न हो, मुआवजे के रूप में ब्याज सहित एक मुश्त भुगतान अथवा चुंगी संग्रहण की अवधि में विस्तार के रूप में मुआवजे की व्यवस्था थी। आगे, अनुबन्ध की विशेष शर्तो की धारा 18 शासन को उनके इस निर्णय हेतु अधिकृत करती थी कि चुंगी दरों में कटौती/बढोतरी, जिसके लिये संग्रहरण की अवधि का विस्तार/कटौती होगी, परस्पर समझौता वार्त्ता द्वारा निर्णीत होगी।

यह देखा गया कि सिंहस्थ मेले के दौरान शासन द्वारा 36 दिवसों तक चुंगी संग्रहण कार्य स्थगित रखा। तथापि विवाद शोधन समिति (डी.एस.सी.)[10] ने (अगस्त 2006) इस हानि के क्षतिपूर्ति की एवज में अनुबंध की धारा 5 और 18 की बजाय सामान्य शर्तो की धारा 8 के अंतर्गत चुंगी संग्रहण हेतु 183 अतिरिक्त दिवसों[11] की स्वीकृति प्रदान कर दी। सिंहस्थ मेले के दौरान हुई यातायात संगणना वाहनों की संख्या नही दर्शाती थी जो न केवल चुंगी मुक्त वाहनों (अनुसूची-3) की पहचान न हो पाने के रूप में फलित हुआ वरन् विचारार्थ अनुपयुक्त वाहनों को भी शामिल कर लेने पर, हानि को बढा-चढा कर प्राक्कलित करने में भी हुआ। इस प्रकार 67 अतिरिक्त दिवस के त्रुटिपूर्ण एवं अविवेकी संगणना से न केवल ठेकेदार को 84.93[12] लाख रूपये (अप्रैल 2007 तक) के अदेय वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के रूप में फलित हुआ वरन् जनता के ऊपर अवांछित बोझ भी हुआ। लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर कार्यपालन यंत्री लो.नि.वि. संभाग

10 समिति संघटन में मंडल के अधीक्षण यंत्री सभापति, प्रभारी यंत्री सदस्य सचिव तथा कार्यपालन यंत्री (संलग्न अधिकारी) सदस्य के रूप में सम्मिलित थे।

11 यातायात गणना के अनुरूप सिंहस्थ मेले के दौरान चुंगी संग्रहण न हो पाने पर हुई हानि का मूल्य रूपये 6922820/- प्रथम तीन माहों के दौरान औसत संग्रहण रूपये 37783/- स्वीकृत अतिरिक्त दिवस=6922820/-37783 = 183 दिवस (ब्याज हानि अतिरिक्त)

12

सिंहस्थ मेला अवधि के दौरान यातायात संगणन के अनुसार हानि का मूल्य	-	रू. 69,22,820
घटाये, उसी दिन वापसी वाले वाहन तथा 10 प्रतिशत चुंगी मुक्त वाहन	-	रू. 6,92,282
योग	-	रू. 62,30,583
अप्रैल 2004 से अगस्त 2006 तक 28 माहों के लिए 13 प्रतिशत की दर से ब्याज जोड़े	-	रू. 18,89,930
अगस्त 2006 पर हानि का वर्तमान मूल्य	-	रू. 81,20,466
अगस्त 2006 के दौरान औसत प्रतिदिन चुंगी संग्रहायण	-	रू. 69,839
चुंगी संग्रहण हेतु मान्य अतिरिक्त दिवस (8120468/69839)	-	116 दिवस
वास्तव में स्वीकृत अतिरिक्त दिवस	-	183 दिवस
अस्वीकृत अधिक अतिरिक्त दिवस (183-116)	-	67 दिवस
अप्रैल 2007 तक अतिरिक्त वित्तीय लाभ (67 दिवस x रू. 126766 अप्रैल 2007 में औसत चुंगी संग्रहण)	-	रू 84,93,322

क्र. 2 इन्दौर ने स्वीकार किया कि अतिरिक्त दिवस डी.एस.सी. द्वारा स्वीकृत किये गये थे एवं उन्हें उनके निर्णय का पालन करना था।

वृक्षारोपण प्रभार की वसूली न करना

एक प्रदूषण मुक्त वातावरण की व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए, अनुबन्ध की सामान्य शर्तो की धारा 16 यह ठहराव करती थी कि ठेकेदार द्वारा अनुबन्ध अवधि के दौरान नीम, आम, पीपल इत्यादि प्रजातियों के पौधों का रोपण तथा उनका रखरखाव 25 वृक्ष प्रति किमी प्रति वर्ष दर से किया जायेगा, अन्यथा शासन वृक्षारोपण न करने की स्थिति में, चुंगी संग्रहण की अवधि को धारा 5 के अन्तर्गत कम कर सकेगा।

लेखापरीक्षा संवीक्षा (जून 2007) में यह प्रकट हुआ कि उद्यमी निर्धारित संख्या में वृक्षारोपण तथा उनके रखरखाव में असफल रहा परन्तु चुंगी संग्रहण के अधिकार की अवधि में 29 दिवसों तक कम नहीं किया गया। कार्यपालन यंत्री ने भी, अनुबंध की सामान्य शर्तो की धारा-8 के अनुरूप या तो रू. 25.84 लाख (25 वृक्षों के रखरखाव का मूल्य 251 रूपये प्रति वृक्ष सात वर्षों हेतु x 58 कि मी) की वसूली अथवा चुंगी संग्रहण अवधि अनुपातिक रूप से कम करने की संस्तुति डी.एस.सी. को की थी (मई 2007)। तथापि ठेकेदार के विरूद्ध किसी कार्यवाही हेतु पहलकदमी नहीं की गई। इस प्रकार वृक्षारोपण कार्य का निष्पादन न होना, न केवल शासन को 35.71 लाख रूपये की हानि जैसी कि **परिशिष्ट 4.2** में व्याख्या की गई है - के रूप में फलित हुआ वरन् वातावरण पर विपरीत प्रभाव के रूप में भी पडेगी।

लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर कार्यपालन यंत्री ने उत्तर में आश्वस्त किया कि डी.एस.सी. का निर्णय अपेक्षित था तथा तद्नुसार कार्यवाही की जावेगी।

प्रकरण सरकार को भेजा गया था (जून 2007), उत्तर अप्राप्त था (दिसम्बर 2007)।

जल संसाधन विभाग

4.3.3 अवास्तविक प्राक्कलन के कारण अतिरिक्त लागत

अवास्तविक प्राक्कलनों पर कार्य को सौंपे जाने से 33.46 लाख रूपये का अतिरिक्त भुगतान

कार्यपालन यंत्री सिंध दाँई तट नहर संभाग, नरवर जिला शिवपुरी ने, दाँई तट उच्च स्तर उकाईला नहर के आर. डी. 1200 मी. से 10500 मी. तक के पुन प्रतिरूपण, आर. डी. 1200 मी. से 6090 मी. तक सीमेन्ट कांक्रीट लाईनिंग तथा उकाईला नहर के आर. डी. 7530 मी. पर रामकुडी नल्ला जलवाही सेतु का शेष कार्य 1.88 करोड़ रूपये (अनुमानित लागत 1.86 करोड से 1.12 प्रतिशत ऊपर (मूल्यांकित) के लिए दिसम्बर 2002 (2002-03 का अनुबंध क्रमांक 5) में एक ठेकेदार को सौंपा। वर्षा काल को सम्मिलित कर निर्धारित पूर्णता अवधि 24 माह थी। ठेकेदार के 24वें तथा अंतिम देयक 2.58 करोड रूपये का भुगतान फरवरी 2007 में किया गया।

लेखापरीक्षा (मई 2006) में ज्ञात हुआ कि निष्पादन के दौरान, नहर के रेखांकन एवं नहर स्लोप में परिवर्तन के कारण विद्यमान नहर के उत्खनन की निविदा मात्रा 39364.40 घनमीटर से बढ़ कर 1,25,500 घन मीटर हो गई। मुख्य अभियंता एवं कार्यपालन यंत्री, पूर्व में (मई 1999) ही रेखा योजना में परिवर्तन की आवश्यकता से अवगत थे। जैसा कि उन्होनें नहर के कट ऑफ विवरण तथा पुनरीक्षित रेखांकन को अनुमोदन प्रदान किया था परन्तु वास्तविक मात्राओं के निविदा में सम्मिलित न करने एवं अवास्तविक प्राक्कलन पर कार्य सौपनें से ठेकेदार को 33.46 लाख का अतिरिक्त भुगतान हुआ। निविदत्त मात्रा अर्थात 43,300 घन मीटर से 10 प्रतिशत ऊपर तक का भुगतान निविदत्त दर 34 रूपये प्रतिघनमीटर पर किया गया। 10 प्रतिशत से अधिक की शेष मात्रा अर्थात 82,200 घन मीटर का भुगतान, अनुबंध के उपबन्धनों के अनुसार प्राक्कलित दर 73.87 रूपये, उस पर सम्पूर्ण निविदत्त दर से 1.12 प्रतिशत ऊपर अर्थात 74.40 रूपये प्रतिघनमीटर से किया गया।

लेखापरीक्षा में इसे इंगित किए जाने पर, कार्यपालन यंत्री ने बताया (मई 2006) कि, उत्खनन मात्रा, नहर की रेखा योजना और नहर क्षेत्र 1:1 से 1.5:1 में परिवर्तन के कारण बढी तथा केन्द्रीय जल आयोग से अनुमोदित रेखांकन विलम्ब से प्राप्त होने के कारण वास्तविक मात्राएं निविदा में सूचित नहीं की जा सकी।

उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि नहर का पुनरीक्षित रेखाकंन, मुख्य अभियंता द्वारा पूर्व में ही अनुमोदित (मई 1999) था। अतः वास्तविक मात्राओं को जून 2002 में जारी टेण्डर में दर्शाया जाना चाहिए।

प्रकरण सरकार को भेजा गया था (अगस्त 2006);

4.4 निष्क्रिय निवेश/निष्क्रिय स्थापना/निधियों का अवरूद्व होना/उपकरणों के चालू करने में विलम्ब/निधियों का व्यपवर्तन

आवास एवं पर्यावरण विभाग

4.4.1 राष्ट्रीय नदी संरक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत निरर्थक व्यय

केन्द्र प्रवर्तित योजना एन.आर.सी.पी. के अन्तर्गत सृजित प्रणाली का आधिपत्य प्राप्त करने में नगर निगम/नगर पालिकाओं की असफलता के कारण 47.86 लाख रूपए का व्यय निरर्थक रहा ।

राष्ट्रीय नदी संरक्षण कार्यक्रम (एन आर सी.पी) राज्य में 1993 में आरम्भ किया गया था। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य नदियों को स्वच्छ रखने के लिए,मलजल को नदी में छोड़ने से पहले इसे बीच में रोकना तथा मार्ग परिवर्तित करना और अपेक्षित मानकों तक इसको संसाधित करना था । इस कार्यक्रम के अंतर्गत मध्यप्रदेश के 11 कस्बों में विभिन्न प्रदूषण अपशमन कार्य स्वीकृत किये गये थे । इनके निर्माण की लागत भारत सरकार द्वारा वहन की जानी थी । सृजित परिसम्पत्तियों के प्रचालन एवं संधारण के लिये उनकी वचनबद्वता के अनुसार स्थानीय निकायों को सौंपी जानी थीं ।

मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भोपाल (बोर्ड) के अभिलेखों की नमूना जाँच (दिसम्बर 2006) तथा जून 2007 में एकत्रित आगे की जानकारी से प्रकट हुआ है कि यद्यपि छः अंतरावरोधन तथा मार्ग परिवर्तन और चार मलजल शोधन संयंत्रों[13] का निर्माण 47.86[14] करोड़ रूपए की लागत से 2001-07 तक के दौरान पूरा हो चुका था, किन्तु उनके प्रचालन तथा संधारण के लिए स्थानीय निकायों द्वारा आधिपत्य नहीं लिये जाने के कारण, इस प्रणाली के अंतर्गत सृजित परिसम्पत्तियाँ निष्क्रिय पड़ी रहीं और उन पर किया गया व्यय भी निष्फल हुआ । भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने जनवरी 2005 में राज्य शासन को लिखा था कि स्थानीय निकायों द्वारा आधिपत्य नहीं लिये जाने के कारण, संयंत्रों में जंग लग रही है और त्वरित कार्यवाही करने का आग्रह किया था जिससे कि सम्पूर्ण निवेश निष्फल न हो जाए ।

यह इंगित किये जाने पर, बोर्ड के सदस्य सचिव ने बताया (जून 2007) कि निधियों की अनुपलब्धता के कारण इन पूर्ण की हुई योजनाओं को स्थानीय निकायों द्वारा अपने आधिपत्य में नहीं लिया जा सका था । इस प्रकार, राज्य शासन तथा स्थानीय निकायों के बीच समन्वय का अभाव होने से न केवल सृजित परिसम्पत्तियां निष्क्रिय पड़ी रहीं अपितु नदी जल को प्रदूषण से संरक्षित करने का उद्देश्य भी प्राप्त नहीं किया गया ।

प्रकरण सरकार को फरवरी 2007 में विचारार्थ भेजा गया था, उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (नवम्बर 2007)

4.4.2 परिसम्पत्तियों का अविक्रीत रहना

मंडल के आदेशों का पालन नहीं किये जाने के कारण, 95.67 लाख रूपए की लागत के 157 भवन/भूखंड उज्जैन मंडल के अंतर्गत अविक्रीत पड़े रहे ।

मध्यप्रदेश गृह निर्माण मंडल (मंडल) ने अनुदेश दोहराये थे (नवम्बर 1996) कि निर्माण कार्यों की स्वीकृत योजनाओं को हितग्राहियों/आवेदकोंसे पर्याप्त पंजीकरण प्राप्त करने के बाद ही क्रियान्वित किया जाए जिससे कि निर्मित परिसम्पत्तियां अविक्रीत न पड़ी रहे ।

[13] *दो अंतरावरोधन तथा मार्ग परिवर्तन (नागदा एवं विदिशा) तथा दो मलजल शोधन संयंत्रों को (इन्दौर एवं विदिशा) मार्च 2007 तक पूर्ण होना बताया गया किन्तु पूर्णता प्रमाण पत्र अभी तक जारी नहीं किये गये हैं (जून 2007) ।*

[14] *(करोड़ रूपए में)*

	अंतरावरोधन एवं मार्ग परिवर्तन		मलजल शोधन संयंत्र
इन्दौर	भाग-I	1.32	24.44
	भाग-II	2.47	
नागदा		2.25	0.41
उज्जैन	भाग-I	6.41	2.36
	भाग-II	4.79	
विदिशा		2.43	0.98
योग		19.67	28.19
		47.86	

सम्पदा प्रबंधक, मध्यप्रदेश गृह निर्माण मंडल, उज्जैन के अभिलेखों की नमूना जांच (नवम्बर 2006) तथा आगे एकत्रित की गई जानकारी (मार्च, जुलाई एवं सितम्बर 2007) से प्रकट हुआ कि सात से 17 वर्ष पूर्व निर्मित/विकसित 95.67 लाख रूपए की लागत के 157 व्यावसायिक/आवासीय भवन/भूखंड अविक्रीत पड़े हुए थे । यह भी देखा गया कि उनकी मांग के सुनिश्चित करने के लिए पंजीकरण किये बिना ही निर्माण कराया गया था, जिससे 95.67 लाख रूपए की परिसम्पत्तियां अविक्रीत पड़ी रहीं ।

यह बताए जाने पर सम्पदा प्रबंधक, मध्यप्रदेश गृह निर्माण मंडल, उज्जैन ने बताया (नवम्बर 2006 एवं अगस्त 2007) कि मुख्यतः स्थल का चयन कस्बे से बहुत दूर किये जाने के कारण और औद्योगिक इकाइयों के बंद हो जाने एवं औद्योगिक संकट के कारण परिसम्पत्तियां अविक्रीत पड़ी रही तथा यह कि अविक्रीत सम्पत्ति को बेचने के लिए उपाय किये जा रहे हैं और लेखापरीक्षा के वस्तुस्थिति से अवगत कराया जायेगा।

यह उत्तर इस तथ्य के परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए कि यदि बाजार के रूख को ध्यान में रखते हुए एवं वास्तविक मांग/पंजीकरण का निर्धारण करते हुए, उपयुक्त स्थल का चयन करने के बाद ही निर्माण/विकास कार्य आरम्भ किया जाता तो इस स्थिति को टाला जा सकता था ।

मामला सरकार को फरवरी 2007 में भेजा गया था, उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (नवम्बर 2007) ।

4.5 विनियामक विषय एवं अन्य बिन्दु

वन विभाग

4.5.1 संयुक्त वन प्रबंधन समितियों को लाभांश रूपये 54 लाख का अधिक भुगतान

इमारती काष्ठ की बिक्री पर त्रुटिपूर्ण लाभ संगणना के कारण 54 लाख रूपये का अधिक भुगतान ।

लाभ में भागीदारी करने हेतु शासन के निर्णय (फरवरी 2005) अनुसार इमारती काष्ठ के उत्पादन से अर्जित शुद्ध लाभ में से संयुक्त वन प्रबंधन हेतु लाभांश[15] के रूप में 10 प्रतिशत व्यय किया जाना है । इस राशि का 80 प्रतिशत संयुक्त वन प्रबंधन समितियों को सीधे वितरित किया जाना था । इस उद्देश्य हेतु वर्ष 2001-02 से 2003-04 की अवधि हेतु बजट आवंटन (फरवरी 2006) किया गया ।

वन मंडल अधिकारी (सामान्य) हरदा के कार्यालय के अभिलेखों की जांच से प्रकट हुआ (अक्टूबर 2006) कि वर्ष 2002-03 के लिये इमारती काष्ठ की बिक्री पर संयुक्त वन

15 *फरवरी 2005 के आदेशानुसार इमारती काष्ठ एवं बांस की बिक्री से प्राप्त राशि में से निम्नानुसार व्यय काटकर शुद्ध लाभ की गणना की जानी थी (i) इमारती काष्ठ एवं बांस की बिक्री पर सभी प्रकार के देयकर एवं उपकर । (ii) उत्पादन वन मंडल के सभी मदों एवं क्षेत्रीय वन मंडल के उत्पादन संबंधी व्यय (वेतन एवं भत्ते सहित (iii) क्षेत्रीय वन मंडल के आयोजनेत्तर व्यय का 50 प्रतिशत (iv) पुनरोत्पादन व्यय (v) डूब क्षेत्र में विरोहन से प्राप्त राजस्व*

प्रबंधन समितियों को लाभांश रूपये 2.95 करोड़ वितरित किया गया (मार्च 2006) । वन मंडल अधिकारी (उत्पादन) हरदा द्वारा सूचित राजस्व आंकड़े अनुसार वितरित 2.95 करोड़ रूपये के स्थान पर वास्तविक रूप से 2.41 करोड़ रुपये संयुक्त वन प्रबंधन समितियों को वितरित किये जाने थे । जिसके परिणामस्वरूप समितियों को रूपये 54 लाख का अधिक संवितरण हुआ । वन मंडल अधिकारी (सामान्य) हरदा द्वारा इमारती काष्ठ की बिक्री से रूपये 49.41 करोड़ राजस्व की त्रुटिपूर्ण राशि के उपयोग से अधिक भुगतान हुआ । वन मंडल अधिकारी (उत्पादन) कीसूचना (मई 2005) अनुसार सही राजस्व राशि रूपये 42.64 करोड़ था ।

इसे लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर वन मंडल अधिकारी (सामान्य) हरदा ने बताया कि वन मंडल अधिकारी (उत्पादन) हरदा द्वारा सूचित कुल राजस्व रूपये 56.45 करोड़ में से अन्य वन मंडल (वन मंडल अधिकारी होशंगाबाद) का राजस्व रूपये 7.04 करोड़ घटाने पर शुद्व राजस्व रू. 49.41 करोड़ संगणित होता है किया गया ।

उत्तर मान्य करने योग्य नहीं था क्योंकि वन मंडल अधिकारी (उत्पादन) हरदा द्वारा मई 2005 में सूचित आंकड़े क्रमशः 13.48 करोड़ रूपये एवं 56.12 करोड़ रूपये सही थे । इसलिये हरदा संभाग के लिये इमारती लकड़ी की बिक्री से निवल राजस्व की सही राशि वन मंडल अधिकारी (सामान्य) हरदा द्वारा यथा संगणित 49.41 करोड़ रूपये के स्थान पर 42.64 करोड़ रूपये (56.12-13.48) थी ।

प्रकरण मार्च 2007 में सरकार एवं प्रधान मुख्य वन संरक्षक को प्रतिवेदित किया गया, उत्तर जुलाई 2007 तक प्राप्त नहीं हुआ था (नवम्बर 2007)।

गृह विभाग

4.5.2 किराये की वसूली नहीं होना

अनधिकृत अधिवासियों से 5.46 करोड़ रूपए की किराये की राशि वसूल नहीं की गई।

भोपाल स्थित शासकीय आवास आंवटन नियम 2000 (भोपाल बेस्ड रेजिडेन्शियल अलॉटमेंट रूल 2000) में उपबन्धित किया गया है कि शासकीय आवास को अनधिकृत रूप से प्रतिधारण करने की स्थिति में, आवंटन अधिकारी को मध्यप्रदेश लोक परिसर (बेदखली) अधिनियम 1974 के अंतर्गत कार्यवाही करने के लिए सक्षम अधिकारी को रिपोर्ट प्रस्तुत करनी चाहिए । अनधिकृत अधिवास की अवधि के लिए प्रचलित बाजार दर से दोगुनी दर पर किराये की वसूली करने के लिए भी कार्यवाही आरम्भ की जानी चाहिये थी ।

संचालक,संपदा मध्यप्रदेश भोपाल (संचालक) के अभिलेखों की नमूना जाँच (नवम्बर 2006) तथा जून 2007 में आगे एकत्रित जानकारी से प्रकट हुआ कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय में शपथ-पत्र के साथ प्रस्तुत किये गये (अप्रैल 2007) प्रास्थिति प्रतिवेदन के अनुसार, यद्यपि 266 कर्मचारियों से शासकीय आवास खाली कराने/नियमितीकरण करने हेतु कार्यवाही पूरी हो चुकी थी किन्तु 30 नवम्बर 2006 को देय दाण्डिक किराए के रूप में 2.42 करोड़ रूपए प्राप्य धन की राशि की वसूली नहीं हो सकी थी । यह भी कि 69

मामलों में यद्यपि कर्मचारियों को नोटिस दिये गये थे किन्तु 30 नवम्बर 2006 को देय दाण्डिक किराए के रूप में 1.79 करोड़ रूपए प्राप्य धन की राशि अभी तक वसूल नहीं हो सकी थी (अप्रैल 2007)।

इसी प्रकार, शासकीय आवास को अनधिकृत अधिवास के लिए नियमों के निर्धारित मानदण्डों विनियमन के अनुसार 24 गैस पूल के अधिवासियों से जून 2007 तक की अवधि के लिए 1.25 करोड़ रूपए की वसूली भी लंबित बतायी गयी थी । संचालक ने आवंटन निरस्त करने तथा भवनों को रिक्त कराने के लिए कोई कार्यवाही नहीं किये जाने के कारण सूचित नहीं किये ।

यह इंगित किये जाने पर संचालक ने बताया (नवम्बर 2006 एवं जून 2007) कि कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, नवीन संभाग भोपाल को चूककर्ताओं की सूची भेज दी गयी है जो बकाया किराये के रूप में लम्बित देय धन को वसूल करने के लिये प्राधिकृत है । तथापि आंवटन को निरस्त करने तथा क्वार्टरों को खाली कराने के लिये कार्यवाही न करने के कारण सूचित नहीं किये गये । कार्यपालन यंत्री, लोकनिर्माण विभाग ने बताया (अगस्त 2007) कि समय समय पर मांग पत्र जारीं कर दिये गये थे और अनधिकृत अधिवासियों से तथा पूर्व में ही भवन खाली कर चुके लोगो से देय धन की वसूली के लिए राजस्व वसूलीप्रमाण पत्र जारी किये जा रहे हैं ।

इस प्रकार, संचालक सम्पदा और कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग के बीच समन्वय का अभाव होने तथा उनके निरुत्साह पूर्ण दृष्टिकोण के कारण सरकार को 5.46 करोड़ रूपए के किराये की प्राप्ति से वंचित रहना पड़ा ।

मामला फरवरी 2007 में सरकार को भेजा गया था उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (नवम्बर 2007) ।

उद्यानिकी विभाग

4.5.3 आपूर्तिकर्ताओं के विलम्बित पंजीकरण के कारण निधियों का उपयोग नहीं होना

ड्रिप/स्प्रिंकलर सेटों के लिए आपूर्तिकर्ताओं के विलम्बित पंजीकरण के परिणामस्वरूप सिंचाई के लिए लक्षित क्षेत्र का समावेश न होना तथा 2.82 करोड़ रूपए का उपयोग न होना ।

ड्रिप/स्प्रिंकलर सिचाई द्वारा सिचाई क्षेत्र का विस्तार करने की दृष्टि से भारत सरकार ने लघु सिचाई हेतु एक केन्द्रप्रवर्तित योजना आरम्भ की थी (जनवरी 2006), जिसके अंतर्गत लघु सिचाई की 40 प्रतिशत लागत (प्रदर्शन की लागत छोड़कर, जो कि पूर्णतः भारत सरकार द्वारा वहन की जानी थी), भारत सरकार द्वारा, 10 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा और शेष 50 प्रतिशत हितग्राही द्वारा वहन की जानी थी । वित्तीय वर्ष के शेष राशि जो वित्तीय वर्ष के दौरान व्यय नहीं की गई, वित्तीय वर्ष के अंत में भारत सरकार को वापस की जानीं थी । सहायता का यथासमय उपयोग करने के लिए, राज्य लघु सिंचाई

समिति द्वारा लघु सिचाई प्रणाली के आपूर्तिकर्ताओं का पंजीकरण किया जाना था और सभी जिला इकाइयों को सूचित किया जाना था ।

आयुक्त सह-संचालक, उद्यानिकी,मध्यप्रदेश भोपाल (संचालक) के अभिलेखों की नमूना जांच (अप्रैल 2007) से प्रकट हुआ कि 2005-06 के वर्ष के लिए 14.39 करोड़ रूपए के प्रशासनिक अनुमोदन (मार्च 2006) के विरूद्ध, भारत सरकार ने 5.70 करोड़ रूपए (ड्रिप सिंचाई 5.47 करोड़ रूपए, स्प्रिंकलर्स 0.23 करोड़ रूपए) हेतु दिये (मार्च 2006), और राज्य शासन ने अपने अंशदान के रूप में 1.43 करोड़ रूपए (अगस्त 2006), तथा कुल 7.13 करोड़ रूपए ड्रिप/स्प्रिंकलर्स द्वारा सिंचाई के लिए 3498 हेक्टेयर क्षेत्र समाहित करने हेतु दिये ।

यह भी देखा गया कि राज्य लघु सिंचाई समिति द्वारा लघु सिचाई प्रणाली के आपूर्तिकर्ताओं के पंजीकरण में विलम्ब हुआ था और इसे अक्टूबर-नवम्बर 2006 में अंतिम रूप दिया गया था जिससे अंततः सहायता के उपयोग में विलम्ब हुआ । केन्द्रीय सहायता की प्राप्ति से बारह महीने बीत जाने के बाद भी, 3057 हेक्टेयर क्षेत्र को समाहित करते हुए केवल 4.31 करोड़ रूपए की राशि का ही उपयोग किया जा सका और 2.82 करोड़ रूपए (2.25 करोड़ रूपए केन्द्रीय सहायता+0.57 करोड़ रूपए राज्य सहायता), विभिन्न जिला लघु सिंचाई केन्द्रों के बैंक खातों में पड़े थे । इस प्रकार, लघु सिंचाई प्रणाली के आपूर्तिकर्ताओं के विलम्बित चयन से मार्च 2007 तक 2.82 करोड़ रूपए का उपयोग नहीं हो सका और सिंचाई के लिए 441 हेक्टेयर क्षेत्र समाहित करने का लक्ष्य पूरा नहीं हुआ ।

यह इंगित किये जाने पर आयुक्त ने बताया कि आपूर्तिकर्ताओं के साथ निबंधन और शर्तों को समय पर अंतिम रूप न दे सकने के कारण आपूर्तिकर्ताओं की अंतिम सूची तैयार करने में विलम्ब होने, समय पर राज्य लघु सिंचाई समिति की बैठकें आयोजित नहीं होने के कारण तथा बैंक ऋणों में हितग्राहियों की रूचि का अभाव होने के कारण निधि का उपयोग नहीं हो सका था ।

उत्तर से संकेत मिलता है कि मार्च 2006 में भारत सरकार से सहायता प्राप्त होने के बावजूद न तो राज्य लघु सिंचाई समिति ने समय पर लघु सिचांई प्रणाली के विनिर्माताओं की अंतिम सूची यथासमय तैयार की थी, और न ही इस योजना की लोकप्रियता के लिए प्रदर्शन आदि आयोजित करने तथा बैंक ऋण आदि प्राप्त करने में हितग्राहियों की सहायता करने में विभाग ने कोई रूचि ली थी, जिसके परिणामस्वरूप निधियों का उपयोग नहीं हो सका ।

मामला मई 2007 में सरकार को भेजा गया था, उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (नवम्बर 2007) ।

लोक निर्माण विभाग

4.5.4 विशिष्टियों के प्रतिकूल कार्य का अनियमित निष्पादन

सेमी डेन्स बिटुमिनस कोर्स (एस.डी.बी.सी.) को बिटुमिनस बाऊण्ड बेस कोर्स के बजाय सीधे सिंगल कोट सरफेस ड्रेसिंग-जो कि एक वियरिंग कोर्स था, के ऊपर बिछा दिया गया, जिसके परिणामस्वरूप रू. 74.90 लाख के मूल्य के कार्य का निष्पादन सडक विशिष्टियों के प्रतिकूल किया।

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी सड़क विशिष्टियों की धारा 508.1 यह व्यवस्था करती है कि अंतिम सेमीडेन्स बिटुमिनस कोर्स (एस.डी.बी.सी.) वियरिंग कोर्स को पहले से ही तैयार की गई बिटुमिनस बाउन्ड बेस के ऊपर बिछाया जाना चाहिये।

लेखापरीक्षा जाँच में (अक्टूबर 2006) में यह प्रकट हुआ कि, उपरोक्त स्थति के विपरीत विदिशा में मंडी निधि के अन्तर्गत स्वीकृत बसौदा-जरोद-सिरोंज सड़क (कि.मी. 1 से 29) के उन्नतिकरण कार्य में नव निर्मित 97,446 वर्ग मी. वाटर बाऊण्ड मेकाडम के ऊपर बिना बिटुमिनस बाउण्ड बेस कोर्स किये ही सरफेस ड्रेसिंग की एक परत बिछाई गई । फिर 25 मी.मी. एस.डी.बी.सी. सतह बिछा दी गई। इसके परिणामस्वरूप रू. 74.90 लाख के अनियमित एस.डी.बी.सी. के कार्य का अनियमित निष्पादन हुआ।

इसे इंगित किये जाने पर कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. संभाग, विदिशा ने बतलाया (अक्टूबर 2006) कि कार्य सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त तकनीकी स्वीकृति के अनुरूप निष्पादित किया गया था।

उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि निष्पादित कार्य सड़क कार्य की विशिष्टियों तथा तकनीकी स्वीकृति के अनुसार नहीं था। उसके अतिरिक्त तकनीकी प्रतिवेदन में वर्णित सड़क की जर्जर अवस्था को निर्दिष्ट मापदण्डों के अनुसार सुधार लाने का चरम लक्ष्य रू. 3.20 करोड़ की राशि के व्यय के उपरांत भी बाधित रहा।

प्रकरण सरकार को भेजा गया (मार्च 2007); उत्तर अप्राप्त था (दिसम्बर 2007)।

स्कूल शिक्षा विभाग

4.5.5 आधिक्य कर्मचारियों को वेतन का अनधिकृत आहरण

स्वीकृत संख्या से अधिक कर्मचारियों को वेतन के आहरण के परिणामस्वरूप 1.13 करोड़ रुपए का अनधिकृत व्यय हुआ ।

राज्य शासन ने मई 1999 के अपने सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन में सभी विभागों को निर्देशित किया था कि स्वीकृत संख्या से अधिक कर्मचारियों का वेतन आहरित नहीं किया जाएगा और अधिक आहरण के प्रकरण में, ऐसे आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही आवश्यक रूप से की जाए । शासन ने आगे दुहराया था (अगस्त 2000) कि 10 सितम्बर 2000 तक सभी कार्मिकों के आसंजन (अटेचमेन्ट)

वापस लिये जाएं । मध्यप्रदेश कोषालय संहिता खण्ड-I के नियम 256 (i) तथा वित्त विभाग द्वारा जारी अनुदेशों (जुलाई 1976) में भी यह उपबन्ध है कि कोषालय अधिकारी द्वारा जांच किये जाने हेतु आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा वेतन देयक में प्रत्येक वेतन मान की स्वीकृति क्रमांक, दिनांक एवं संस्वीकृत कार्मिक संख्या दर्शाई जानी चाहिए ।

प्राचार्य, महारानी लक्ष्मीबाई कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, छतरपुर के नियंत्रणाधीन प्राथमिक/माध्यमिक विद्यालयों के वेतन एवं भत्तों के आहरण के अभिलेखों की नमूना जांच (नवम्बर 2006) तथा मई 2007 एवं नवम्बर 2007 में आगे एकत्रित की गई जानकारी से प्रकट हुआ कि जिले के शहरी क्षेत्र में 14 माध्यमिक/प्राथमिक विद्यालयों में 32 सहायक शिक्षकों की स्वीकृत कार्मिक संख्या के विरूद्ध 56 कार्यरत थे, जिसके परिणामस्वरूप 2001-07 की अवधि के दौरान न केवल 1.13 करोड़ रूपए के वेतन का अनधिकृत आहरण हुआ, अपितु जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में अन्य विद्यालयों के बच्चों को भी अभीष्ट शिक्षा से वंचित होना पड़ा ।

ऐसे अनधिकृत भुगतान के लिए जांच (पूछताछ) करने पर,कोषालय अधिकारी छतरपुर ने बताया (मई 2007) कि प्राचार्य ने वेतन देयकों में स्वीकृत कार्मिक संख्या को अभिलेखित नहीं किया था और आश्वासन दिया कि भविष्य में इसका दृढ़ता से पालन किया जायेगा । कोषालय अधिकारी का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि किसी भी स्थिति में अपूर्ण वेतन देयकों को पारित कर एवं भुगतान नहीं किया जाना चाहिए था । इस प्रकार कोषालय अधिकारी भी संहितागत प्रावधानों का अनुपालन करने में विफल रहे थे।

लेखापरीक्षा में यह इंगित किये जाने पर प्राचार्य ने बताया (नवम्बर 2007) कि मई 2007 से स्वीकृति से अधिक कर्मचारियों के वेतन एवं भत्तों के आहरणों का भुगतान अन्य संस्थाओं से किया जा रहा है (मई 2007), जहां रिक्तियाँ मौजूद हैं, किन्तु स्वीकृत कार्मिक संख्या से अधिक अध्यापकों का कार्य करना जारी रहा (नवम्बर 2007)।

मामला दिसम्बर 2006 तथा मार्च 2007 में सरकार को भेजा गया था, उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (नवम्बर 2007) ।

जल संसाधन विभाग

4.5.6 बाह्य सहायता का लोक लेखे में अनियमित अन्तरण

कार्य के वास्तविक निष्पादन के बगैर आहरित किया गया 26.33 करोड रू. की बाह्य सहायता राशि को आहरित किया गया तथा निधि को व्यपगत होने से बचाने के लिये व्यक्तिगत निक्षेप खातों में रखा गया।

राजघाट नहर परियोजना का शेष कार्य अन्तराष्ट्रीय सहयोग हेतु जापान बैंक (जे.बी.आई.सी.) द्वारा अप्रैल 1997 में 421.08 करोड रू. की ऋण स्वीकृति द्वारा वित्तपोषित था तथा परियोजना की पूर्णता हेतु अंतिम विस्तारित लक्ष्य मई 2006 था । कार्य के निष्पादन तथा ठेकेदारों को भुगतान की तिथी तथा राशि के प्रमाणयुक्त प्रपत्रों पर ऋण भरपाई पध्दति पर आधारित था । परियोजना नवम्बर 2006 तक अपूर्ण थी ।

म.प्र. कोषालय संहिता भाग-1 (संहिता) के नियम 487 निर्दिष्ट करता है कि किसी लोक सेवक के नाम पर कोषालय में जमा खाता नहीं खुलवाया जा सकता था, इसके स्थान पर कोषालय में अन्तरित होने वाली सभी राशियॉ उस विभाग के खाते में जमा होनी चाहिये । इसी संहिता का नियम 284 यह भी व्यवस्था करता था कि बजट अनुदान को व्यपगत होने से बचाने के उददेश्य हेतु बिना तात्कालिक माँग के कोषालय से अग्रिम आहरण नहीं करना चाहिए ।

लेखापरीक्षा संवीक्षा (जुलाई 2006) में यह प्रकट हुआ कि म.प्र. शासन जल संसाधन विभाग ने वित्त विभाग से परामर्श के उपरांत निर्णीत किया (28 मार्च 2006) कि जे.बी.आई. सी. की व्यय न हो पायी निधि 43.30 रू. का आहरण कर आगामी वर्षो में उपयोग के निमित्त इसे सात कार्यपालन यंत्रियों के नाम से व्यक्तिगत निक्षेप खातों में जमा कर दिया जावे । तद्नुसार मदों की काल्पनिक मात्राओं पर आधारित संभावित देयक (बिना कार्य के वास्तविक निष्पादन के) तैयार कर, जे.बी.आई.सी. निधि से 26.33 रू. की राशि, कार्य के अंतिम नामे विकलित करते हुए आहरित कर ली गई । ठेकेदारों के पक्ष में जारी किये गये धनादेश, चालान द्वारा व्यक्तिगत निक्षेप खातों में जमा कर दिये गये। ये संभावित देयक महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) को प्रस्तुत किये जाने वाले मासिक लेखों में शामिल कर लिये गये । तदन्तर, वास्तविक कार्य निष्पादन पर 17.88 करोड़ रू. के नवीन देयक तैयार कर ठेकेदारों को वर्ष 2006-07 के दौरान निक्षेप खातों से भुगतान किया गया । 8.46 करोड़ रूपये की राशि अभी तक व्यक्तिगत निक्षेप खातों में पडी हुई थी । यह ऋण की सहमत शर्तो और दशाओ से विचलन है ।

इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत निक्षेप खातों के परिचालन हेतु महालेखाकार की सहमति प्राप्त नहीं की गई और व्यक्तिगत निक्षेप खातों की परिचालन हेतु अवधि निर्धारित नहीं थी।

इसके अलावा म.प्र. निर्माण विभाग नियमावली स्पष्ट तौर पर यह ठहराव करती थी कि निधियों को योजना से गैरयोजना मद एवं अनुलोमित रूप में अंतरित नहीं किया जाना चाहिये फिर भी, प्राधिकार समिति की पदभार युक्त मुख्य अभियंता द्वारा जारी निर्देश (29 मार्च 2006) के चलते राजघाट नहर परियोजना के सभी 7 कार्यपालन यंत्रियों ने जे.बी.आइ सी. निधि से 3.06 करोड रू. का आहरण (2005-06) कर उसे निक्षेप खातों में, अगले वर्ष (2006-07) में नहरों के रखरखाव हेतु जल उपभोक्ता समितियों को दिये जाने वाले भुगतान हेतु जमा कर दिया । हालांकि 2.81 करोड़ रू. का वितरण जल उपभोक्ता संस्थाओं को किया गया किन्तु वर्ष के अन्त तक सम्पूर्ण राशि व्यय न हो पाने के कारण शेष पड़ी हुई थी । परियोजना निधियों का रखरखाव कार्य हेतु अंतरण वित्तीय अनुशासन का उल्लघंन है ।

कार्यपालन यंत्री ने स्वीकार किया (जुलाई 2006) कि ऐसा शासन के निर्देशों के अनुरूप किया गया था । उन्होंने आगे कहा कि संभावित भुगतान देयक पहले ही महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) को प्रेषित किये जा चुके थे तथा लेखों के दोहराव से बचने के लिये व्यक्तिगत निक्षेप खातों से भुगतान किये गये देयक महालेखाकार को प्रेषित नहीं किये गये ।

प्रकरण सरकार को भेजा गया (मार्च 2007) था, उत्तर अप्राप्त था (दिसम्बर 2007) ।

सामान्य

4.5.7 उत्तरदायित्व को प्रवर्तित करने तथा सरकार के हितों का संरक्षण करने में विफलता

प्रधान महालेखाकार (सिविल एवं वाणिज्यिक लेखापरीक्षा), मध्यप्रदेश, ग्वालियर एवं महालेखाकार (निर्माण एवं प्राप्ति लेखापरीक्षा), मध्यप्रदेश भोपाल शासकीय विभागों की अवधिक लेखापरीक्षा अन्य बातों के साथ साथ लेनदेनों की नमूना जांच करने तथा निर्धारित नियमों तथा कार्यविधि के अनुसार महत्वपूर्ण लेखाकन तथा अन्य अभिलेखों के संधारण का सत्यापन करने के लिये करते हैं । लेखापरीक्षा के दौरान खोजी गयी अनियमितताएं निर्धारित नियमों तथा कार्यविधि के अनुपालन में सुधारात्मक कार्यवाही एवं कमियों, चूकों के उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने के लिए निरीक्षण प्रतिवेदनों के माध्यम से जारी की जाती हैं । कार्यालय प्रमुखों तथा अगले उच्चतर प्राधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि निरीक्षण प्रतिवेदनों में शामिल अभ्युक्तियों का अनुपालन करें तथा चूकों सहित दोषों का त्वरित रूप से सुधार करें और उनके अनुपालन की रिपोर्ट प्रधान महालेखाकार/महालेखाकार को भेजें । प्रधान महालेखाकार/महालेखाकार भी गंभीर अनियमितताओं को विभागीय प्रमुखों की जानकारी में लाते हैं । लंबित लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदनों की एक एक अर्द्धवार्षिक रिपोर्ट विभाग के प्रमुख सचिव/सचिव को लंबित लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदनों में लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों के अनुवीक्षण (मोनिटरिंग) की सुविधा के लिए भेजी जाती हैं ।

मार्च 2007 तक सिविल विभागों (वन विभाग,लोक निर्माण विभाग, लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग एवं जलसंसाधन विभाग को छोड़कर) से संबंधित प्रधान महालेखाकार द्वारा जारी निरीक्षण प्रतिवेदनों से प्रकट हुआ कि 30 सितम्बर 2007 की स्थिति में, 8,387 निरीक्षण प्रतिवेदनों से संबंधित 20,706 कंडिकाएं बकाया पड़ी थीं । इनमें छः वर्षों से अधिक समय तक के 3677 निरीक्षण प्रतिवेदनों की 7,288 कंडिकाएं शामिल हैं । बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों की विभागवार एवं वर्षवार स्थिति तथा कुछ चयनित विभागों के संबंध में कंडिकाओं की स्थिति **परिशिष्ट 4.3** में दर्शाये गए अनुसार थी ।

इसी प्रकार, मध्यप्रदेश शासन के अंतर्गत वन, जलसंसाधन लोक निर्माण,लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी तथा अन्य निर्माणकार्य[16] विभागों के 646 संभागों/कार्यालयों से संबंधित,महालेखाकार द्वारा दिसम्बर 2006 तक जारी किये गये निरीक्षण प्रतिवेदनों से प्रकट हुआ कि 1996-97 से जून 2007 के अंत तक 3,436 निरीक्षण प्रतिवेदनों से संबंधित 15,127 कंडिकाएं बकाया हैं । बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों एवं कंडिकाओं की विभागवार स्थिति भी **परिशिष्ट 4.4** में दर्शायी गयी है । इनमें से 4,456 कंडिकाओं में से 1092 निरीक्षण प्रतिवेदन 10 वर्ष से अधिक समय से निशकृत नहीं किये गये हैं ।

[16] *अन्य निर्माण कार्य विभागों में शामिल हैं, नर्मदा घाटी विकास, आवास एवं पर्यावरण,भोपाल गैस राहत (राहत एवं पुनर्वास) तथा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग (एम पी आर आर डी ए)*

यहाँ तक कि जनवरी 1988 तथा दिसम्बर 2006 के बीच जारी किए गए 2,454 निरीक्षण प्रतिवेदनों तथा 11,339 कंडिकाओं के लिए 515 संभागों/कार्यालयों के संबंध में प्रारंभिक उत्तर, जो कि निरीक्षण प्रतिवेदन जारी होने के दिनांक से छः सप्ताह के अंदर कार्यालय प्रमुखों की ओर से प्राप्त होना चाहिए थे, वे भी प्राप्त नहीं हुए हैं ।

ऐसे लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों जिनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं की समीक्षा से प्रकट हुआ कि कार्यालय प्रमुखों (जिनके अभिलेख प्रधान महालेखाकार द्वारा लेखापरीक्षित किये गये थे) और विभाध्यक्षों ने, निरीक्षण प्रतिवेदनों में दर्शाए गये दोषों, चूकों एवं अनियमितताओं के बारे में कार्यवाही प्रारंभ करने में अपनी विफलता दर्शाते हुए बड़ी संख्या में निरीक्षण प्रतिवेदनों/कंडिकाओं का कोई उत्तर नहीं भेजा । प्रमुख सचिव/विभागों के सचिव जिन्हें अर्द्धवार्षिक प्रतिवेदनों के माध्यम से स्थिति सूचित की गयी थी, ने भी विभाग के संबंधित कार्यालयों द्वारा त्वरित एवं समय पर कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित नहीं किया ।

वर्ष 2006-07 के लिए सामाजिक न्याय, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, पंचायत एवं ग्रामीण विकास तथा सामान्य प्रशासन विभागों के बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों में पायी गयी कुछ प्रकार की अनियमितताएं **परिशिष्ट 4.5** में दर्शाए गए अनुसार थी ।

चूककर्ता अधिकारियों के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं किये जाने से गंभीर वित्तीय अनियमितताओं एवं शासन को हानियों की संभावना को सरल बना दिया, यद्यपि लेखापरीक्षा में इन्हें निर्दिष्ट कर दिया गया था । अतः यह अनुशंसा की जाती है कि जो कर्मचारी निर्धारित समय अनुसूची के अनुसार निरीक्षण प्रतिवेदनों/कंडिकाओं के उत्तर भेजने में विफल रहे थे, उन पर उत्तरदायित्व निर्धारित करने के लिए सरकार प्रणाली का पुनरावलोकन करें । हानियों, बकाया अग्रिमों, अधिक भुगतानों आदि की वसूली प्रारंभ करने के लिए कार्यवाही समयबद्ध रीति से आरम्भ की जाए और लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों का समुचित प्रत्युत्तर देना सुनिश्चित करने के लिए प्रणाली में पुनः तत्काल सुधार किया जाए ।

पांचवा अध्याय

सरकारी विभागों में आंतरिक नियंत्रण प्रणाली

पांचवा अध्याय

सरकारी विभागों में आंतरिक नियंत्रण प्रणाली

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

5.1 लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में आंतरिक नियंत्रण प्रणाली

विशेषतायें

आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली संगठन की प्रबन्ध प्रक्रिया का एक आवश्यक अंग है जिसकी स्थापना तर्कसंगत रूप से यह सुनिश्चित करने हेतु की गई है कि कार्य का संचालन प्रभावी एवं दक्षतापूर्ण किया गया है। वित्तीय प्रतिवेदन एवं प्रचालन आंकड़े विश्वसनीय हैं एवं नियम एवं विनियमों का संगठन के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु पालन किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आंतिरक नियंत्रण के सर्वोत्तम उपाय की रूपरेखा कोसो (coso[1]) में दी गई है जिसे आंतरिक नियंत्रण हेतु व्यापक रूप से स्वीकार किया गया हैं । भारत में भारत सरकार द्वारा शासकीय विभागों में आंतरिक नियंत्रण हेतु सामान्य वित्तीय नियमावली 2005 के नियम 64 के अंतर्गत व्यापक निर्देश जारी किये गये है। लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के चयनित क्षेत्रों की, की गई आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की समीक्षा पर पाया गया कि:-

बजट प्रणाली व्यापक रूप से त्रुटिपूर्ण थी क्योंकि कई शीर्षों के अंतर्गत अवास्तविक बजट एवं सतत् बचतों के प्रकरण पाए गए, रूपये 59.25 करोड़ की केन्द्रीय निधि सिविल जमा में रखी गई जिसमें से रूपये 27.32 करोड़ व्यपगत हो गए

(कंडिका 5.1.5.1,5.1.5.2 एवं 5.1.6.1)

रूपये 20.87 करोड़ के अस्थाई अग्रिमों का समायोजन देयकों/प्रमाणकों के अभाव में नहीं किया गया रूपये 3.15 करोड़ की विभागीय प्राप्तियाँ शासकीय खाते के बजाए रोगी कल्याण समिति के खाते में जमा की गई।

(कंडिका 5.1.6.4 एवं 5.1.5.8)

आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा अस्थाई पदों की निरंतरता की स्वीकृति प्राप्त किए बिना रूपये 586.71 करोड़ वेतन एवं भत्तों का अनियमित आहरण एवं वितरण किया गया ।

(कंडिका 5.1.6.8)

1 *कपटपूर्ण वित्तीय प्रतिवेदनों की प्रस्तुति पर राष्ट्रीय आयोग था ट्रेडवे कमीशन के प्रवर्तक संगठनों की समिति ।*

118 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र चिकित्सा अधिकारियों के बिना कार्य कर रहे थे तथा कम्पाउन्डर एवं नर्सों के अभाव में 50 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में अनाधिकृत अमले द्वारा उपचार किया जा रहा था।

(कंडिका 5.1.7.1)

रूपये 128.31 करोड़ जारी किए जाने के उपरांत भी ढांचागत संरचनाओ यथा भवन आदि उपलब्ध नहीं कराया गया एवं रूपये 7.15 करोड़ व्यय के उपरांत भी क्षेत्रीय नैदानिक केन्द्र स्थापित नहीं किए जा सके ।

(कंडिका 5.1.7.5 एवं 5.1.7.6)

टीकों का अत्यधिक क्षय एवं कमी पाई गई । एन्टी स्नेक वेनम का आवश्यकता का निर्धारण किए बिना क्रय किया गया ।

(कंडिका 5.1.7.9,5.1.7.10 एवं 5.1.7.14)

विभागीय अधिकारियों द्वारा रोस्टर के अनुसार मैदानी इकाइयों का निरीक्षण नहीं किया गया । आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा वर्ष 2002-07 की अवधि में अपने कार्यालयीन लेखों का कभी भी निरीक्षण नहीं किया गया । विभागीय जांच प्रकरणों के निराकरण में शिथिलता थी ।

(कंडिका 5.1.9.1 एवं 5.1.9.3)

आंतरिक लेखापरीक्षा शाखा अप्रभावी रही क्योंकि वर्ष 2002-07 में आयुक्त स्वास्थ्य सेवाऐं की आंतरिक लेखापरीक्षा शाखा द्वारा 168 इकाईयों में से किसी की भी लेखापरीक्षा नहीं की गई। संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं द्वारा की गई लेखापरीक्षा में वर्ष 2002-06 की अवधि में 100 प्रतिशत तथा 2006-07 में 62 प्रतिशत की कमी रही।

(कंडिका 5.1.9.2)

5.1.1 प्रस्तावना

लोकस्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति " सबके लिए स्वास्थ्य" के अनुसार अंतिम स्तर तक स्वास्थ्य सेवाएँ पहुँचाने एवं राज्य/केन्द्र की योजनाओं/ कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायी है।

5.1.2 संगठनात्मक संरचना

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के प्रधान, प्रमुख सचिव है। संचालनालय स्तर पर लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग का प्रबन्धन एवं नियत्रण आयुक्त स्वास्थ्य सेवायें (आ.स्वा.से.) द्वारा किया जाता है एवं संचालक लोक स्वास्थ्य एंव परिवार कल्याण, संचालक चिकित्सा सेवाऐं एवं अपर संचालक वित्त की सहायता से किया जाता है एवं संभागीय स्तर पर क्षेत्रीय संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवाऐं, जिला स्तर पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी तथा सिविल सर्जन सह अधीक्षक जिला अस्पताल

उनकी सहायता करते है। राज्य में सम्पूर्ण जनसंख्या को विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाऐं उपलब्ध कराने हेतु त्रिस्तरीय स्वास्थ्य संस्थाएं स्थापित की गई हैं।

5.1.3 लेखापरीक्षा के उद्देश्य

आंतरिक नियंत्रण की निष्पादन लेखापरीक्षा मध्यप्रदेश वित्त संहिता (म.प्र.वि.सं.), मध्यप्रदेश भण्डार क्रय नियम, मध्यप्रदेश कोष संहिता (म.प्र.को.सं) एवं बजट तैयार करने हेतु जारी किए गए निर्देशो एवं सम्बन्धित लेखा निर्देशों के परिपालन की जांच हेतु की गई है । इसके अतिरिक्त सूचना, संचार, अनुवीक्षण की व्यवस्था एंव आंतरिक लेखापरीक्षा व सतर्कता को समाहित करते हुये मूल्यांकन प्रणाली की जांच की गई। प्रबंधन के निर्देशो को लागू करना, कार्यक्रमों के उद्देश्यो की प्राप्ति हेतु आंतरिक नियंत्रण की गतिविधियां हेतु निर्मित रूपरेखा एवं उसके अमल किये जाने की भी कुछ चयनित क्षेत्रो में जांच की गई।

5.1.4 लेखा परीक्षा समावेश

आयुक्त स्वास्थ्य सेवायें भोपाल, संयुक्त संचालक सेवाये भोपाल, इंदौर एवं 48 जिलो में से तेरह[1] जिलों के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/सिविल सर्जन के वर्ष 2002-2007 के अभिलेखों की फरवरी-नवम्बर 2007 के मध्य नमूना जांच की गई। जिलों का चयन रेन्डम नंबर टेबिल का उपयोग करते हुयें सिम्पल रेंडम सेंपलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट (एस.आर.एस.डब्लू.आर.) पद्धति से किया गया है। निष्पादन लेखापरीक्षा प्रारंभ करने से पूर्व औपचारिक सम्मेलन फरवरी 2007 में किया गया। निष्पादन लेखा परीक्षा के दौरान पाए गए आक्षेपों का विवरण आगामी कंडिकाओं में किया गया है:

5.1.5 राज्य वित्तीय नियम एवं बजट मेनुअल के निर्देशों का अनुपालन

म.प्र.वि.स.के नियम 192 एवं विभाग द्वारा बजट प्राकलन तैयार करने हेतु प्रतिवर्ष जारी किये गये निर्देशों के अनुसार अगले वित्तीय वर्ष के बजट प्राक्लन पिछले वर्ष के सितंबर/अक्टूबर माह में तैयार किये जाने चाहिये। आहरण एवं संवितरण अधिकारी बजट प्राकलन तैयार कर सितम्बर माह से पूर्व उनके समेकन एवं आगे वित्त विभाग को प्रस्तुत किये जाने हेतु विभागाध्यक्ष को भेजेगें । बजट प्राकलन वास्तविकता के आधार पर तैयार किये जाने चाहिये। किसी भी वित्तीय वर्ष में किसी भी लेखा मद के अंतर्गत होने वाले संभावित आधिक्य/बचतों के लिये पुर्नविनियोजन/समर्पण के प्रस्ताव निर्धारित समयावधि में शासन को प्रस्तुत किये जाने चाहिये जिससे कि निधियो का आवश्यकतानुसार उपयोग किया जा सके। आयुक्त स्वास्थ्य सेवाओं के अभिलेखों की जांच पर पाया गया कि वर्ष 2002-07 की अवधि में सभी आहरण एवं संवितरण अधिकारियो से बजट प्राकलन प्राप्त नहीं हुये एवं समय पर बजट प्राक्लन प्रस्तुत करने हेतु आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को अनुस्मरण पत्र भी जारी नहीं किये गये। बजट नियंत्रण पंजी, नोमीनल रोल एवं आकस्मिक व्यय पंजी जो कि व्यय पर नियंत्रण के मुख्य तंत्र है भी

[1] *बड़वानी, बैतूल, भोपाल, छिंदवाड़ा,धार, होशंगाबाद, झाबुआ, खरगोन, मंदसौर, सीधी सिंगरौली शहडोल एवं विदिशा*

आयुक्त स्वास्थ्य सेवाओं के कार्यालय में संधारित नहीं किये गये। उपरोक्त अभिलेखों के अभाव में बजट प्राकलन अनुपयुक्त अनुमानों के आधार पर तैयार किये गये, जिसके परिणाम स्वरूप बजट प्रणाली में कमियां रही जिनका विवरण नीचे दिया गया है

5.1.5.1 अवास्तविक बजट

एक ही लेखा शीर्ष के अंतर्गत लगातार किए गए प्रावधान के विरूद्ध कोई व्यय नहीं किया गया

आयुक्त स्वास्थ्य सेवाओं के अभिलेखो की जांच से (फरवरी 2007) प्रकट हुआ कि एक ही लेखा शीर्षो (2210,2211 एवं 3606) के अंतर्गत वर्ष 2002-07 की अवधि में लगातार किए गए रूपये 226.55[3] करोड़ के प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुये क्योकि इनमें कोई भी राशि व्यय नहीं की गई। आयुक्त स्वास्थ्य सेवाओं द्वारा बताया गया कि भारत सरकार द्वारा सहायता प्राप्त योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त होने वाली सामग्री के मूल्य के समायोजन हेतु प्रावधान किये गये थे। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि विभाग समायोजन करने में विफल रहा

यह भी पाया गया कि वर्ष 2002-07 की अवधि में विभिन्न लेखा शीर्षो के अंतर्गत किए गए रूपये 171.08[4] करोड़ के प्रावधान उपयोग किए बिना व्यपगत हो गए। आयुक्त स्वास्थ्य सेवाओं द्वारा बताया गया कि बचतों के समर्पण के प्रस्ताव वित्त विभाग को प्रस्तुत किए गए थे। उत्तर स्वयं में अवास्तविक बजट की स्वीकारोक्ति है जिससे निधियों का समर्पण किया जाना आवश्यक कर दिया

5.1.5.2 सतत बचतें

आ.स्वा.से. के अभिलेखों की जांच से (फरवरी 2007) प्रकट हुआ कि वर्ष 2002-07 की अवधि में प्रतिवर्ष बजट का प्रावधान किया जा रहा था यद्यपि रूपये 160.79[5] करोड़ की सतत बचतें पाई गई। विभाग द्वारा निधियों का उपयोग नहीं किया जा सका एवं समर्पण के प्रस्ताव समय पर प्रस्तुत नही किये गये एवं निधियां व्यपगत हो गई।

5.1.5.3 अनावश्यक पूरक प्रावधान

अनुपूरक प्रावधान किया जाना अनावश्यक सिद्ध हुआ क्योंकि किया गया व्यय मूल बजट से कम था

सामान्य वित्तीय नियम-60 के अनुसार यदि किसी लेखा शीर्ष में निधियों की और आवश्यकता प्रतीत हो तो अनुपूरक अनुदान मांगे प्रस्तुत की जाना चाहिये। आ.स्वा.से. के अभिलेखों की जांच पर (फरवरी-2007) पाया गया कि वर्ष 2002-03, 2005-06 एवं 2006-07 में क्रमशः रूपये 1.54 करोड़, रूपये 3.04 करोड़ एवं रूपये 1.10 करोड़ के अनुपूरक प्रावधान किये गये जबकि इन वर्षो में किया गया व्यय मूल प्रावधानों से कम था, जिससे अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक रहे। यह कमजोर राजकोषीय व्यवस्थापन को दर्शाता है ।

3 *2002-03, योजनाऐं 12 रूपये 59.08 करोड़, 2003-04 योजनाऐं 12 रूपये 40.95 करोड़, 2004-05 योजनाऐं 13 रूपये 55.69 करोड़, 2005-06 योजनाएं 13 रूपये 35.01 करोड़ एवं 2006-07 योजनाऐं 6 रूपये 35.82 करोड़*

4 *2002-03 योजनायें 16 रूपये 35.21 करोड़, 2003-04 योजनाऐं 5 रूपये 50.23 करोड़, 2004-05 योजनाऐं 2 रूपये 25.17 करोड़, 2005-06 योजनाये 17 रूपये 60.36 करोड़ एवं 2006-07 योजनायें 2 रूपये 0.11 करोड़*

5 *2002-03 योजनायें 16 रूपये 26.31 करोड़, 2003-04 योजनायें 19 रूपये 48.61 करोड़, 2004-05 योजनाऐं 22 रूपये 14.96 करोड़, 2005-06 योजनाये 19 रूपये 29.36 करोड़ एवं 2006-07 योजनायें 15 रूपये 41.55 करोड़*

5.1.5.4 बजट नियंत्रण पंजी एवं आकस्मिक व्यय पंजी का संधारण न किया जाना ।

सामान्य वित्तीय नियम-52 एवं म.प्र.को.सं.भाग-एक के नियम 297 के प्रावधानो के अनुसार बजट नियंत्रण पंजी एवं आकस्मिक व्यय पंजी का उचित संधारण किया जाना चाहिए जिससे बजट नियंत्रण प्रणाली प्रभावी रहे । नमूना जांच किये गये 13 जिलों एवं संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवायें इंदौर (फरवरी-नवम्बर 2007) में बजट नियंत्रण पंजी एवं आकस्मिक व्यय पंजियों का उचित संधारण नहीं किया क्योकि इनमें केवल प्रारंभिक प्रविष्टियां की गई थी और आवंटन एवं व्यय पर नियंत्रण रखने की दृष्टि से बाद में किये गये व्यय एवं प्राप्त आवंटन का नियमित रूप से अद्यतन संधारण नहीं किया गया। यह भी देखा गया कि उपरोक्त किसी भी इकाई द्वारा वांछित नोमीनल रोल का संधारण नही किया गया। इस प्रकार मूल अभिलेखों के संधारण मे विफलता ने बजट प्रणाली को कमजोर किया ।

5.1.5.5 व्यय आकड़ों का मिलान न किया जाना

वर्ष 2002-07 के दौरान विभागीय व्यय के आकड़ों का महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के आंकड़ों से मासिक मिलान नहीं किया गया।

सामान्य वित्तीय नियम 52(5) के प्रावधानों के अनुसार विभागीय नियंत्रण अधिकारियो द्वारा लेखाओं की सत्यता, त्रुटियों, गलतियों एवं गलत वर्गीकरण की शिनाख्त करने तथा धोखधड़ी का पता लगाने आदि के उद्देश्य से विभागीय व्यय के आंकड़ो का महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) के आकड़ो से आवधिक (मासिक) मिलान किया जाना चाहियें। आयुक्त स्वास्थ्य सेवाओं के अभिलेखों की नमूना जांच (जुलाई - 2007) में पाया गया कि विभाग द्वारा वर्ष 2002-07 की अवधि में व्यय के आंकड़ो का मासिक मिलान नहीं किया गया क्योकि वर्ष 2002-07 में व्यय के आंकड़ो में रूपये 0.12 करोड़ से रूपये 74.65 करोड़ तक का अंतर था जो कि नीचे दी गई तालिका से देखा जा सकता है:

(करोड़ रूपये में)

वर्ष	मांग संख्या	महालेखाकार (ले. एवं हक.) के लेखो में दर्शाया गया व्यय	विभाग द्वारा दर्शाया गया व्यय	महालेखाकार (ले.एवं हक.) के आकड़ों के संदर्भ में अंतर
2002-03	19	497.22	485.92	11.30 (-)
	41	40.82	51.50	10.68 (-)
	64	28.38	26.15	2.23 (-)
2003-04	19	509.10	434.45	74.65 (-)
	41	56.81	54.90	1.91 (-)
	64	27.82	27.70	0.12 (-)
2004-05	19	553.07	557.50	4.43 (-)
2005-06	19	632.99	606.67	26.32 (-)
	41	64.23	54.06	10.17 (-)
	64	26.04	25.87	0.17 (-)
2006-07	19	688.78	671.99	16.79 (-)
	41	50.61	40.32	10.29 (-)
	64	31.33	19.39	11.94 (-)

मिलान न किये जाने के परिणाम स्वरूप विभाग का व्यय पर नियंत्रण प्रभावहीन रहा।

5.1.5.6 वित्तीय वर्ष के अंतिम तिमाही/माह में व्यय की अत्यधिकता

वित्तीय वर्ष के अंतिम तिमाही/माह में किया गया व्यय 32 प्रतिशत से 100 प्रतिशत तक था

सामान्य वित्तीय नियम 56(3) के अनुसार प्रत्येक लेखा शीर्ष के अंतर्गत वित्तीय वर्ष में किये गये प्रावधानों के अंतर्गत प्रत्येक माह में अनुपातिक रूप से व्यय किया जाना चाहिये। वित्तीय वर्ष के अंतिम तिमाही/माह में व्यय की अधिकता वित्तीय औचित्य के विरूद्ध है। आ.स्वा.से. के अभिलेखों की जाँच पर (जुलाई-2007) पाया गया कि वर्ष 2002-07 की अवधि में विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत वर्ष के अंतिम तिमाही/माह में

किया गया व्यय 32 से 100 प्रतिशत के मध्य रहा जो मापदण्ड से अधिक था। इसके परिणाम स्वरूप योजनाओ/कार्यक्रमों के क्रियान्वयन मे कमी रही, क्योकि प्रावधानों के अनुसार निधियां आनुपातिक रूप से जारी नही की गई थी। विभाग ने स्वीकार किया कि वर्ष के अंतिम तिमाही/माह में व्यय की अधिकता थी क्योंकि निधियां वित्तीय वर्ष के अंतिम तिमाही/माह में जारी की गई।

5.1.5.7 रोकड़/भंडार का कार्य करने वाले कर्मचारियो से प्रतिभूति राशि जमा न कराया जाना

म.प्र.वि.सं.के नियम 282 के अनुसार रोकड़ एवं भंडार का कार्य करने वाले कर्मचारियों से शासन के हित को संरक्षित करने के उद्देश्य से रूपये 5000/- की राशि प्रतिभूति के रूप में जमा कराई जाना चाहिये। 13 जिलो के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/सिविल सर्जन/संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवायें भोपाल एवं इंदौर के कार्यालयों के अभिलेखों की जांच पर (फरवरी-नवम्बर-2007) पाया कि रोकड़ एवं भण्डार का कार्य करने वाले 259 कर्मचारियों से प्राप्त की जाने वाली रूपये 12.95 लाख की प्रतिभूति जमा राशि के विरूद्ध 11 कर्मचारियों से रूपये 0.21 लाख की प्रतिभूति राशि जमा कराई गई।

5.1.5.8 विभागीय प्राप्तियों को शासकीय खाते में प्रेषण न करना

म.प्र.वि.सं के नियम 29 के प्रावधानो के अनुसार विभागीय प्राप्तियो को यथाशीध्र शासकीय खाते में जमा किया जाना चाहिये। सिविल सर्जन बैतूल, बड़वानी, भोपाल, छिंदवाड़ा, धार, होशंगाबाद, झाबुआ, खरगोन मंदसौर, सीधी सिवनी, शहडोल एवं विदिशा तथा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी छिदवाड़ा एवं मंदसौर के अभिलेखो की जांच पर (फरवरी -नवम्बर 2007) पाया गया कि वर्ष 2002-07 की अवधि में विभागीय प्राप्तियो के रूप में प्राप्त रूपये 3.15 करोड़ की राशि शासकीय खाते में जमा करने के स्थान पर रोगी कल्याण समिति को जमा कर दी गई। आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा बताया गया कि जिले के जिलाध्यक्षों के आदेश से राशियां रोगी कल्याण समिति को जमा की गई थी।

5.1.5.9 स्टॉक एवं भंडार लेखा का न बनाया जाना

मध्यप्रदेश वित्तीय संहिता के नियम 12 के अनुसार प्रत्येक शासकीय कार्यालयों को निर्धारित प्रपत्र में भंडार एवं भंडार लेखे का संधारण करना चाहिए। दवाओं, उपकरणों एवं औजारों की एक सूची तैयार करना चाहिए एवं नियंत्रण अधिकारी को निरीक्षण के समय प्रस्तुत करना चाहिए तथा भंडार का वार्षिक भौतिक सत्यापन भी किया जाना चाहिए। 13 जिलों एवं संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवाऐं इंदौर, भोपाल तथा आयुक्त स्वास्थ्य सेवायें भोपाल के अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि (फरवरी-नवंबर 2007) वर्ष 2002-07 की अवधि के भंडार एवं भंडार लेखे नहीं बनाये गये थे एवं भंडार की सूची भी संधारित नहीं की गई थी।

5.1.5.10 स्टॉक पंजी का दोषपूर्ण संधारण

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बैतूल, बड़वानी एवं खरगोन तथा संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवायें इंदौर की दवाईयों की वर्ष 2002-07 की अवधि की भंडार पंजी में मध्यप्रदेश वित्तीय संहिता नियम 125-127 के अनुसार (i) भण्डार पंजी में दवाईयों की अवसान तिथि अंकित नहीं की गई थी (ii) अधीनस्थ इकाईयों को जारी की गई दवाईयों की प्रविष्टि भण्डार पंजी में नहीं की गयी थी (iii) दवाइयों एवं अन्य वस्तुओं की भण्डार पंजी में फर्म को जारी क्रय आदेश अंकित नहीं किए गए थे (iv) वित्तीय वर्ष के अंत में शेषों की गणना नहीं की गई।

5.1.6 राज्य कोषालय नियम एवं प्राप्ति एवं भुगतान नियमों का अनुपालन

5.1.6.1 बजट अनुदान के व्यपगत होने से बचाने हेतु निधियों का " सिविल जमा " में स्थानांतरण

केन्द्रीय निधि रूपये 31.93 करोड़ सिविल जमा मे रखी गई एवं रूपये 27.32 करोड़ की राशि शासकीय लेखे में व्यपगत हो गई ।

म.प्र.को.सं.भाग-एक के नियम 284 के प्रावधानो के अनुसार कोई भी राशि कोषालय से तब तक आहरित नही की जावेगी जब तक कि तत्काल संवितरण की आवश्यकता न हो। मांगो की प्रत्याशा या बजट अनुदानो को व्यपगत होने से रोकने के लिये कोषालय से अग्रिम आहरण करना एक गंभीर अनियमितता है। म.प्र.शासन वित्त विभाग के आदेश अगस्त 1997, जुलाई 1998 एवं फरवरी 2000 के द्वारा सभी विभागो को निर्देशित किया गया कि योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु प्राप्त राशियां यदि किसी वित्तीय वर्ष में अप्रयुक्त रहती हैं तो भारत सरकार को तुरंत समर्पित की जाना चाहिये, राशियां " सिविल जमा" में नही रखी जानी चाहिये ।

आयुक्त स्वास्थ्य सेवाओं के अभिलेखो की जांच पर पाया गया (मई 2007) कि संहिता के प्रावधानो एवं वित्त विभाग द्वारा जारी किये गये निर्देशो के विरूद्ध वर्ष 1998-99, 2000-01 एवं 2002-07 में रूपये 67.90 करोड़ की राशि नीचे दिये गये विवरण के अनुसार " सिविल जमा" में जमा की गई:

(करोड़ रूपये में)

वर्ष जिसमें राशि आहरित कर सिविल जमा" में रखी गई	जमा राशि	आहरित राशि	बचत राशि	अभियुक्ति
1998-99	30.63	3.98	26.65	शासकीय खाते में व्यपगत दिनांक 30-03-2002
2000-01	0.50	--	0.50	शासकीय खाते में व्यपगत दिनांक 31-03-2004
2002-03	0.70	0.53	0.17	शासकीय खाते में व्यपगत दिनांक 31-03-2006
2003-04	निरंक	निरंक	निरंक	
2004-05	11.81	2.99	8.82	अप्रयुक्त राशि
2005-06	2.94	1.15	1.79	अप्रयुक्त राशि
2006-07	21.32	--	21.32	अप्रयुक्त राशि
योग	**67.90**	**8.65**	**59.25**	**27.32 करोड़ व्यपगत 31.93 करोड़ अप्रयुक्त**

अप्रयुक्त केन्द्रीय सहायता रूपये 59.25 करोड़ भारत सरकार को वापिस किया जाना था। तथापि यह भी देखा गया कि वर्ष 1998-99,2000-01 एवं 2002-03 में " सिविल जमा" में रखी गई रूपये 27.32 करोड़ की राशि वर्ष 2002-06 के दौरान शासकीय

खाते में व्यपगत हो गई एवं वर्ष 2004-07 से संबंधित रूपये 31.93 करोड़ की बचत राशि अप्रयुक्त पड़ी हुई थी।

आ.स्वा.से. ने लेखा आपत्ति को स्वीकार करते हुए बताया गया (मई 2007) कि विभाग की अनुमति से राशि सिविल जमा में रखी गई थी ।

5.1.6.2 व्यक्तिगत जमा लेखा के आंकड़ो का मिलान नहीं किया गया ।

कोषालय से प्राप्त व्यक्तिगत जमा लेखे के विवरण पत्रक से संगणित अंतर रूपये 2.30 करोड़ का मिलान न किया जाना

म.प्र.को.स.भाग-एक के नियम 284 के प्रावधानो के अनुसार कोषालय से राशियां तभी आहरित की जावेगी जब उनके तत्काल संवितरण की आवश्यकता हो। म.प्र.शासन वित्त विभाग द्वारा (सितम्बर 1999) राशियो को अग्रिम आहरण पर रोक लगाई गई एवं निर्देशित किया गया कि यदि आवश्यक हो तो विशेष अनुमति से अग्रिमों का आहरण किया जा सकता है। आयुक्त स्वास्थ्य सेवाओं के अभिलेखों की जांच पर पाया गया कि रूपये 188.96 करोड़ की राशि आहरित कर व्यक्तिगत जमा खाते में जमा की गई। पुनः कोषालय द्वारा उपलब्ध कराये गये व्यक्तिगत जमा खाते के विवरण पत्रक की जांच (जून - 2007) पर पाया गया कि कोषालय द्वारा बताये गये अंतिम शेष (रूपये 74.73 करोड़) एवं वर्ष 2003-07 की अवधि में किये गये लेन देनों के आधार पर संगणित अंतिम शेष (रूपये 76.67 करोड़) में रूपये 2.30 करोड़ का अंतर था जिसका विभाग द्वारा कभी मिलान नहीं किया गया, विवरण नीचे दिया गया है:-

(राशि लाख में)

वर्ष	आरंभिक	वर्ष में जमा	योग	वर्ष में आहरण	अंतिम शेष
2003-04	--	716.52	716.52	--	716.52
2004-05	716.52	1999.59	2716.11	1901.89	814.22
2005-06	814.22	7344.20	8158.42	2109.15	6049.27
2006-07	6049.27	8835.55	14884.82	7217.85	7666.97
योग		**18895.86**		**11228.89**	**7666.97**

उपरोक्त संगणना से प्राप्त अंतिम शेष	7666.97 लाख
विवरण पत्रक में दर्शाया अंतिम शेष	7437.01 लाख
अंतर	229.96 लाख

आयुक्त स्वास्थ्य सेवाओं द्वारा बताया गया कि मिलान के पश्चात स्थिति सूचित की जावेगी। (अगस्त 2007) दो आकड़ों के सेट में भिन्नता एवं मिलान नहीं किए जाने से दुर्विनियोजन एवं व्यपहरण का मार्ग प्रशस्त कर सकता है ।

5.1.6.3 व्यक्तिगत जमा खाते से अधिक आहरण

आ.स्वा.से. द्वारा वर्ष 2003-07 की अवधि में रूपये 112.29 करोड़ की राशि व्यक्तिगत जमा खाते से आहरित की गई जिसके विरूद्ध रूपये 76.70 करोड़ की राशि जिला स्वास्थ्य समितियों को जारी की गई थी। इस प्रकार रूपये 35.59 करोड़ की राशि आवश्यकता से अधिक आहरित की गई । कारण लेखापरीक्षा को सूचित नहीं किए गए ।

5.1.6.4 अस्थाई अग्रिमों का समायोजन न होना

समायोजन देयकों/ भुगतान प्रमाणकों को प्रस्तुत नहीं किए जाने के कारण रू. 20.87 करोड़ के अस्थाई अग्रिमो का समायोजन न होना ।

म.प्र.कोष संहिता भाग-एक के नियम 53(iv) के अनुसार अस्थाई अग्रिमों का समायोजन शीध्रतातिशीध्र किया जाना चाहिये एवं किसी भी स्थिति में तीन माह से अधिक अवधि तक लंबित नहीं रखना चाहिये। सात[6] जिलो एवं आयुक्त स्वास्थ्य सेवाओं भोपाल (मार्च-अक्टूबर 2007) के अभिलेखो की समीक्षा पर पाया गया कि सितम्बर 1999 से मार्च 2007 के मध्य शासकीय निधियों से दिये गये रूपये 2.24 करोड़ के अस्थाई अग्रिम असमायोजित पड़े हुये थे क्योंकि अधिकारियों जिनकों ये अग्रिम प्रदान किए गए थे, के द्वारा समायोजन देयक/भुगतान प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किए गए थे ।

इस प्रकार विभाग द्वारा अपने कर्मचारियों को अदेय वित्तीय सहायता प्रदान की गई। आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा बताया गया कि अस्थाई अग्रिमों का समायोजन अतिशीध्र किया जावेगा।

इसी प्रकार दस[7] जिलों में प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य (आर.सी.एच.) कार्यक्रम के अंतर्गत 4 माह से लेकर 12 माह के पूर्व तक जारी किये गये रूपये 18.63 करोड़ के अग्रिम नवम्बर -2007 तक समायोजन हेतु लंबित थे, आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा बताया गया कि अग्रिमों का समायोजन अतिशीध्र किया जावेगा।

5.1.6.5 म.प्र.विद्युत वितरण कंपनी को प्रदाय अग्रिम का समायोजन न होना

म.प्र.विद्युत वितरण कंपनी को भुगतान की गई अग्रिम राशि रूपये 8.22 करोड़ का समायोजन न किया जाना

आयुक्त स्वास्थ्य सेवाओं के अभिलेखों की जांच (मई-2007) से प्रकट हुआ कि मार्च 2005 से मार्च 2007 के मध्य 33 देयकों द्वारा म.प्र.विद्युत वितरण कंपनी को अग्रिम के रूप में प्रदाय की गई रूपये 8.22 करोड़ की राशि का म.प्र.विद्युत वितरण कंपनी द्वारा मई-2007 तक समायोजन नहीं किया गया। विभाग द्वारा बताया गया कि विभिन्न मैदानी इकाइयों के लंबित विद्युत देयकों के विरूद्ध राशि का भुगतान किया गया था परंतु ये देयक लेखापरीक्षा के सत्यापन हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये । आहरणों की सत्यता हेतु देयक संलग्न नहीं थे एवं फार्म एम.पी.टी.सी.76 पर अग्रिम के रूप में आहरण किया गया जिसका अन्तिम समायोजन किया जाना था।

5.1.6.6 रोकड़ बही एवं देयक पंजी का त्रुटिपूर्ण संधारण

म.प्र.को.स.भाग-एक के नियम 53 के प्रावधानो के अनुसार आहरण एवं संवितरण अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से प्रत्येक माह के अंत में रोकड़ शेष का विस्तृत रूप से सत्यापन करना चाहिये और उस आशय का दिनांक सहित हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र लिपिबद्ध करना चाहिये। उसी समय रोकड़ शेष का रोकड़ बही में विश्लेषण अंकित किया जाना चाहिये। रोकड़ बही लिखने वाले कर्मचारी से भिन्न किसी कर्मचारी से रोकड़ बही के प्रतिदिन के योगों की जांच करानी चाहिये एवं कोषालय प्रमाणक पर्चियों से आहरणों का पाक्षिक सत्यापन किया जाना चाहिये। म.प्र.कोष संहिता भाग - एक के नियम 197 के प्रावधानों के अनुसार आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा देयक पंजी

6 *वड़वानी, बैतूल, भोपाल, छिन्दवाड़ा, होशंगाबाद, झाबुआ एवं सीधी*

7 *भोपाल, छिदंवाड़ा, धार, होशंगाबाद, झाबुआ, मदंसौर, शहडोल सीधी, सिवनी एवं विदिशा*

की मासिक समीक्षा की जाना चाहिये और उसके द्वारा की गई समीक्षा के परिणाम को अंकित किया जाना चाहिये। 13 जिलों में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिविल सर्जन एवं संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवायें इदौर के अभिलेखो की जांच (फरवरी-नवम्बर 2007) पर पाया गया कि किसी भी आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा रोकड़ का भौतिक सत्यापन, कोषालय से आहरणों का पाक्षिक सत्यापन और देयक पंजी की मासिक समीक्षा नहीं की गई। इस प्रकार आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा संहिता के प्रावधानों का पालन नहीं किया गया जो कि वित्तीय/रोकड़ नियंत्रण एवं शासकीय राशियों के धोखाधड़ी, गबन, दुर्विनियोजन को टालने हेतु आवश्यक था। आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा बताया गया कि इनका भविष्य में पालन किया जावेगा।

5.1.6.7 अंतिम शेषों का बैंक खातो से मिलान न करना

बैंक खातों में जमा शेषों का समाकलन न किया जाना

म.प्र.वित्त विभाग भोपाल द्वारा (अक्टूबर 1998) सभी विभागो को निर्देश जारी किये गये कि वित्त विभाग की अनुमति के बिना बैंक में कोई खाता नहीं खोला जावेगा। म.प्र.कोष संहिता भाग-एक के नियम 53(ii) के प्रावधानो के अनुसार रोकड़ संबंधी संव्यवहारों को जैसे ही वे घटित हो, रोकड़ वही में प्रविष्टि किया जाना चाहिये एवं कोई भी धन शासकीय रोकड़ बही से बाहर अलेखाबद्ध नहीं रहना चाहिये ।

तेरह जिलो के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/सिविल सर्जन एवं संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवायें भोपाल/इंदौर के अभिलेखों की नमूना जाँच (फरवरी - नवम्बर 2007) पर पाया गया कि विभिन्न योजनाओ के क्रियान्वयन हेतु इन कार्यालयों में प्राप्त रूपये 3.43 करोड़ की राशि बैंकों में जमा की गई एवं शासकीय रोकड़ बही से बाहर रखी गई. यह भी देखा गया कि बैंक पासबुक के शेषो एवं योजनाओं के लेजर/रोकड़ बही के शेषों में रूपये 1.02 करोड़ का अंतर था। बैंक के शेषों और संबंधित योजनाओं के लेजर/रोकड़ बही से मिलान नहीं किया था जो इन कार्यालयो में रोकड़ एवं लेखा प्रक्रिया के नियंत्रण प्रबंधन की कमी दर्शाता है।

आहरण एवं संवितरण अधिकारियो द्वारा बताया गया (फरवरी-नवम्बर,2007)कि मिलान शीघ्रातिशीघ्र किया जावेगा तथा राशियों को शासकीय रोकड़ बही में शामिल किया जावेगा।

5.1.6.8 वेतन एवं भत्तों का अनियमित आहरण

13829 कर्मचारियों के वेतन पर रूपये 586.71 करोड़ का अनियमित आहरण

म.प्र.को.सं. भाग - एक के नियम 256 के प्रावधानों के अनुसार अस्थाई स्थापना के विरूद्ध कार्यरत कर्मचारियों के वेतन एवं भत्ते का आहरण किया जा सकता है बशर्ते कि अस्थाई पदों को जारी रखने की स्वीकृति जारी की गई हो। स्वीकृति के अभाव में पद स्वतः समाप्त हो जाते है। संचालनालय द्वारा अस्थाई पदों की निरंतरता की स्वीकृति प्राप्त करने हेतु एक समेकित प्रस्ताव शासन को प्रस्तुत किया जाना चाहिये एवं आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को इसकी सूचना दी जाना चाहिये। 13 जिलों के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों/सिविल सर्जन एवं संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवायें भोपाल के अभिलेखों की जांच (मार्च-नवम्बर 2007) से प्रकट हुआ कि उपरोक्त आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के कार्यालयों में वर्ष 2002-07 अवधि में 13829 अस्थाई पदो की निरंतरता की स्वीकृति उपलब्ध नही थी फिर भी अस्थाई पदो के विरूद्ध कार्यरत

कर्मचारियो के आहरण एवं संवितरण अधिकारियो द्वारा रूपये 586.71 करोड़ के वेतन एवं भत्ते अनाधिकृत रूप से आहरित एवं भुगतान किये गये। आगे, आयुक्त स्वास्थ्य सेवाओं के अभिलेखो की जांच से प्रकट हुआ कि संचालनालय द्वारा अस्थाई पदों की निरंतरता हेतु समेकित प्रस्ताव शासन को प्रस्तुत नहीं किये गये।

आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा बताया गया (फरवरी-नवम्बर 2007) कि संचालनालय को प्रस्ताव भेजे गये थे परंतु स्वीकृति अपेक्षित थी।

5.1.7 आंतरिक नियंत्रण क्रियाकलाप

5.1.7.1 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र चिकित्सकों के बिना कार्य कर रहे थे

118 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र चिकित्सकों के बिना कार्य कर रहे थे एवं 50 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में अनधिकृत अमले द्वारा इलाज किया जा रहा था

प्रदेश के दूर दराज ग्रामों के अंतिम छोर तक उचित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी का उत्तरदायित्व था कि प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में कम से कम एक चिकित्सा अधिकारी/कंपाउन्डर/स्टाफ नर्स की सेवायें सुनिश्चित करें। जांच पर पाया गया कि 13[8] जिलों के 118 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र वर्ष 1996 से नवम्बर-2007[9] तक की अवधि में चिकित्सकों के बिना कार्य कर रहे थे एवं 50 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में कंपाउन्डर या स्टाफनर्स भी पदस्थ नही थे। चिकित्सक/कंपाउन्डर/स्टाफ नर्स की अनुपस्थिति में अनाधिकृत अमले (ड्रेसर/चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी) द्वारा रोगियों का इलाज किया जा रहा था जबकि वर्ष 2001-07 की अवधि में इन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के सहायक चिकित्सा अमले के वेतन एव भत्तों पर रूपये 9.43 करोड़ की राशि व्यय की गई थी। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा बताया गया (फरवरी-नवम्बर 2007) कि पास के प्राथमिक स्वास्थ्य केद्रों से रिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में सप्ताह में दो या तीन दिन के लिये चिकित्सकों की वैकल्पिक व्यवस्था की गई। यह भी बताया गया कि नियुक्ति/पदस्थापना की शक्ति शासन/विभाग के पास है।

इससे स्पष्ट है कि ग्रामीण क्षेत्रों में उचित चिकित्सा सुविधाऐं उपलब्ध नहीं थीं ।

5.1.7.2 स्वीकृत पदों से अधिक अमले की पदस्थापना

स्वीकृत पदों से अधिक अमले की पदास्थापना पर वर्ष 2002-07 के दौरान वेतन पर रूपये 1.99 करोड़ का अनियमित आहरण एवं भुगतान

संचालनालय स्तर पर इकाईवार स्वीकृत एवं कार्यरत पदो की एक पंजी संधारित की जाना चाहिये जिससे कि मानव संसाधन के नियोजन हेतु उचित अनुवीक्षण किया जा सके एवं मैदानी इकाइयों की आवश्यकता के अनुसार अमले की पदस्थापना की जा सके। म.प्र.शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निर्देश जारी किये गये (मार्च 1999 एवं जून 2003) कि स्वीकृत पदों से अधिक पदस्थ अमले के वेतन एवं भत्तों का आहरण किया जाना आपत्तिजनक है एवं एक पदनाम के कर्मचारी अधिकारी को अन्य खाली पदनाम के विरूद्ध पदस्थ नहीं किया जाना चाहिये ।

[8] *बैतूल (8), बड़वानी (8), छिंदवाड़ा (16), धार (4), होशगाबाद (5), झाबुआ (7), खरगोन (12), मंदसौर (16), रतलाम (5), सीधी(17), सिवनी(7), शहडोल (9) एवं विदिशा (4)*

[9] *5 वर्ष तक (73), 5 से 10 वर्ष (27) एवं 10 वर्ष से अधिक (18)*

आयुक्त स्वास्थ्य सेवाओं के अभिलेखों की जांच (अगस्त 2007) पर पाया गया कि संचालनालय स्तर पर स्वीकृत एवं कार्यरत पदो की इकाईवार पंजी संधारित नही की गई। पुनः मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भोपाल, विदिशा एवं सिविल सर्जन भोपाल एवं छिंदवाड़ा के अभिलेखों की जांच (जून - अक्टूबर - 2007) पर पाया गया कि स्वीकृत पदों से अधिक अमले की पदस्थापना की गई थी एवं फरवरी 2002 से अक्टूबर 2007 की अवधि में रूपये 1.99 करोड़ के वेतन एवं भत्तों का अनियमित आहरण एवं भुगतान किया गया। आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा बताया गया कि समय-समय पर स्थिति उच्च अधिकारियो के ध्यान में लाई गई थी इससे यह स्पष्ट है कि मानव संसाधन प्रबंधन त्रुटिपूर्ण रहा।

5.1.7.3 प्रशिक्षण स्लोट्स में कमी

दस[10] जिलों के प्रशिक्षण केन्द्रों के अभिलेखों की जांच पर पाया गया (फरवरी-नवम्बर 2007) कि लक्षित 44 सत्रों के विरूद्ध 21 सत्रों में आयोजित किये गये। वर्ष 2002-07 के दौरान इन प्रशिक्षण केन्द्रो में 3050 की क्षमता के विरूद्ध केवल 1397 व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया गया । मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा बताया गया कि (फरवरी-नवम्बर 2007) प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालनालय के निर्देशानुसार संचालित किए गये थे उत्तर मान्य नही था क्योंकि विभाग प्रशिक्षण अधोसंरचना का उपयोग करने में विफल रहा।

प्रशिक्षण अधोसंरचना व्यापक रूप से अप्रयुक्त रही क्योंकि 2002-07 की अवधि में 3050 की क्षमता के विरूद्ध 1397 को प्रशिक्षण दिया गया

5.1.7.4 गैर पंजीकृत चिकित्सकों का सर्वे नहीं किया गया

संचालक स्वास्थ्य सेवायें द्वारा निर्देश जारी किये गये (अगस्त 1997) कि सभी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/सिविल सर्जन एवं संयुक्त संचालक चिकित्सा सेवाये अपने क्षेत्रों में फर्जी चिकित्सकों का सर्वे करेगें। यह कार्य सितम्बर 1997 तक पूर्ण किया जाना था एवं उनके विरूद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज किये जाने थे। 13 जिलों के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों की जांच (फरवरी-नवम्बर 1997) पर पाया गया कि सर्वे का कार्य भोपाल, बड़वानी एवं सिवनी जिलों में किया गया एवं 1,297 किये गये सर्वे में से 863 चिकित्सक बिना उचित पंजीकरण/उपाधि अथवा अन्यथा चिकित्सीय कार्य करते हुये पाये गये। परंतु इन प्रकरणों में कोई कार्यवाही नहीं की गई। अन्य दस जिलो में नवम्बर 2007 तक कोई सर्वे का कार्य नहीं किया गया ।

नमूना जांच किये गये 13 जिलों मे से केवल तीन जिलों में गैर पंजीकृत चिकित्सकों का सर्वे कराया गया ।

5.1.7.5 ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत संरचना उपलब्ध न कराया जाना

म.प्र.शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग भोपाल द्वारा वर्ष 2002-07 की अवधि में रूपये 156.28 करोड़ की लागत से 1335 स्वास्थ्य सुविधा केन्द्र भवनों के निर्माण कार्य स्वीकृत किये गये एंव रूपये 128.31 करोड़ की राशि निर्माण इकाइयों एवं जिला स्वास्थ्य समितियों को जारी की गई। लेखापरीक्षा को दी गई जानकारी एवं प्रस्तुत अभिलेखो की जांच (अगस्त-2007) पर पाया गया कि मई 2007 तक रूपये 24.06 करोड़ की राशि का व्यय कर केवल 288 भवन पूर्ण किये गये। रूपये 43.34 करोड़ व्यय किये जाने के उपरांत भी 878 भवन अधूरे पड़े हुये थे, 169 भवनों का निर्माण

ग्रामीण क्षेत्रो में चिकित्सा सुविधाओं में वृद्वि नहीं की जासकीं क्योंकि 2002-07 के दौरान 1,335 भवनों में से केवल 288 भवनों का निर्माण पूर्ण हो सका।

10 बड़वानी, छिंदवाड़ा, धार, झाबुआ, मंदसौर सिवनी, शहडोल, सीधी एवं विदिशा

कार्य मई 2007 तक प्रारंभ नही किया गया था, यद्यपि रूपये 60.91 करोड़ की राशि उपलब्ध थी।

भवनों के पूर्ण न किये जाने के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधा वृद्वि हेतु आधारभूत संरचनाये उपलब्ध नहीं कराई गई । यह दर्शाता है कि निर्माण कार्य के अनुवीक्षण की प्रत्येक स्तर पर कमी रही।

5.1.7.6 क्षेत्रीय नैदानिक केन्द्रों की स्थापना न होना

भवनों एवं उपकरणों पर रूपये 7.15 करोड़ व्यय किये जाने के पश्चात भी नैदानिक केन्द्र प्रारम्भ नहीं किए जा सके ।

आपातकालीन प्रसूति सेवाओं को सुदृढ़ करने एवं शिशु मृत्यु दर/मातृत्व मृत्यु दर में कमी लाने के उद्देश्य से ग्यारहवें वित्त आयोग के अंतर्गत 11 स्थानो पर क्षेत्रीय नैदानिक केन्द्रों की स्वीकृति जारी की गई (अक्टूबर-2001) । इन केन्द्रो की स्थापना हेतु भवन निर्माण के लिये रूपये 47 लाख एवं औजार एवं उपकरण उपलब्ध कराने हेतु रूपये 2.53 करोड़ प्रति केन्द्र की दर से स्वीकृति दी गई। इन केन्द्रो के संचालन हेतु अक्टूबर - 2006 में अतिरिक्त अमले की स्वीकृति दी गई ।

सिविल सर्जन छिंदवाड़ा, धार, होशंगाबाद एवं मंदसौर (जून-अक्टूबर 2007) के अभिलेखो की जांच पर पाया गया कि रूपये 1.86 करोड़ की लागत से भवनों का निर्माण पूर्ण कर लिया गया था एवं रूपये 3.82 करोड़ के औजार/उपकरण प्राप्त हुये थे (सितम्बर 2004 से जनवरी 2005)। पुनः जांच पर पाया गया कि विशेषज्ञ एवं तकनीकी अमले की अनुलब्धता के कारण नैदानिक केन्द्र प्रारंभ नहीं किये गये थे अतः रूपये 5.68 करोड़ का किया गया व्यय निष्फल सिद्व हुआ। सिविल सर्जन द्वारा स्वीकार किया गया (जून-अक्टूबर 2007) कि विशेषज्ञ/पी.जी.एम.ओ/तकनीशियन एवं अन्य सहायक अमले की अनुलब्धता के कारण प्राप्त उपकरण उपयोग मे नहीं लाये जा सके। इस प्रकार योजना के उद्देश्य प्राप्त नहीं किये गये एवं जनता को विशेषज्ञ चिकित्सा सुविधाओ से वंचित रखा गया।

इसी प्रकार अस्पताल अधीक्षक सह सिविलसर्जन, राजगढ़ के अभिलेखों की नमूना जांच (फरवरी 2007) तथा पुनः एकत्रित जानकारी (अगस्त 2007) से प्रकट हुआ कि तकनीकी विशेषज्ञ द्वारा भवन के लिए अनुशंसित विशिष्टयां दिसम्बर 2002 में लोकनिर्माण विभाग को उपलबध करायी गयी थीं जबकि भवन का निर्माण लगभग पूरा हो चुका था, जिसके परिणामस्वरूप सी.टी.स्केन तथा एक्स-रे के लिए अपेक्षित तकनीकी विशिष्टिताओं का अनुपालन नहीं किया गया आगे केन्द्र के लिए अपेक्षित विभिन्न उपकरण अत्यधिक विलम्ब से जून-दिसम्बर 2005 में अधिष्ठापित किये गये थे एवं अभी तक (अगस्त 2007) निष्क्रिय पड़े हुए हैं ।

इस प्रकार, तकनीकी विशेषज्ञ की अनुशंसाओं को पूरा किये बिना भवन निर्माण करने एवं तकनीकी कर्मचारियों की व्यवस्था किये बिना संचालक, चिकित्सा सेवाएं द्वारा उपकरणों का क्रय करने (सितम्बर 2004) के कारण दो वर्षो की अवधि बीत जाने तथा 1.47 करोड़ रूपए का व्यय करने के बाद भी जरूरतमंद रोगियों को वांछित चिकित्सा सुविधा प्राप्त नहीं हो सकी ।

5.1.7.7 100 बिस्तरों वाले अस्पताल भवन के निर्माण पर निष्क्रिय परिव्यय ।

मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने झोटेश्वर (जिला नरसिंहपुर) में 100 बिस्तरों वाले अस्पताल भवन के निर्माण के लिए एक करोड़ रूपए की स्वीकृति दी थी (मई 1997) । प्रस्तावित भवन का निर्माण, लोक निर्माण विभाग द्वारा 3.07 करोड़ रूपए की लागत से अगस्त 2001 में पूरा कर दिया गया था ।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नरसिंहपुर के अभिलेखों की नमूना जांच (अगस्त 2006) एवं पुनः एकत्रित जानकारी (अगस्त 2007) से प्रकट हुआ कि अस्पताल के क्रियाकलापों को शुरू करने के लिए आवश्यक कर्मचारियों, उपकरणों, फर्नीचर तथा आवासीय मकानों के अभाव में अस्पताल भवन का उपयोग नहीं किया जा सका । इस प्रकार अस्पताल भवन, इसके निर्माण पूर्ण होने के समय (अगस्त 2001) से ही बेकार पड़ा रहा और ग्रामीणों को अभिप्रेत चिकित्सा सुविधा से वंचित किये जाने के साथ ही 3.07 करोड़ रूपए की निर्माण लागत निरर्थक हो गई ।

यह इंगित किये जाने पर संचालक ने (अगस्त 2007) बताया कि समीपस्थ बस्तियों में जनसंख्या का घनत्व कम होने के करण 100 बिस्तरों वाला अस्पताल व्यावहारिक नहीं समझा गया था, इसीलिए बजट प्रावधान नहीं किया गया और अस्पताल आरम्भ नहीं हो सका । उत्तर पर इस तथ्य के परिप्रेक्ष्य में विचार किया जाना चाहिए कि 100 बिस्तरों वाले अस्पताल के भवन निर्माण की स्वीकृति देने से पहले 100 बिस्तरों वाले अस्पताल को चलाने की व्यवहार्यता के लिए पूर्व परीक्षण नहीं किया गया था ।

5.1.7.8 राज्य बीमारी सहायता निधि योजना की अनुवर्ती कार्यवाही में विफलता

योजना के अनुवीक्षण एवं अनुवर्ती कार्यवाही में कमी थी क्योंकि चिकित्सा संस्थानो से उपचार का विवरण, उपचार की अवधि एवं उपचार पर वास्तविक व्यय की जानकारी नहीं मंगाई गई

म.प्र. राज्य बीमारी सहायता निधि का गठन (1997) गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे परिवार के रोगी को जो योजना मे चिन्हित गंभीर जीवन घातक बीमारी से पीड़ित हो, एवं बीमारी हेतु शासकीय अथवा मान्यता प्राप्त चिकित्सा संस्थानो जहां रोगी इलाज कराने का इच्छुक हो, के उपचार हेतु अधिकतम रूपये 1.50 लाख की सहायता दिये जाने के उद्देश्य से किया गया था। शासन ने आगे निर्णय लिया (जनवरी - 2006) कि 75,000 रूपये तक की सहायता की स्वीकृति जिला प्रबंधन समिति द्वारा दी जावेगी।

आयुक्त स्वास्थ्य सेवायें एवं 11[11] जिलो के अभिलेखों की जांच (मार्च-नवम्बर 2007) पर पाया गया कि आयुक्त स्वास्थ्य सेवाओं (97 प्रकरणो, रूपये 0.88 करोड़) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों (193 प्रकरण रूपये 1.09 करोड़) द्वारा गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे परिवारों के रोगियो के इलाज हेतु 290 प्रकरणो में रूपये 1.97 करोड़ की सहायता स्वीकृत की गई। 221 प्रकरणों में गरीबी रेखा से नीचे का प्रमाण पत्र जिलाध्यक्ष को छोड़कर अन्य अधिकारियो द्वारा जारी किया गया एवं 197 प्रकरणों में सिविल सर्जन द्वारा चिकित्सा प्रमाण पत्र संस्थानो के रोग संबंधी विश्लेषण के आधार पर विशेषज्ञों के परामर्श के बिना जारी किया गया। योजना में अनुवर्ती कार्यवाही पूर्णतः त्रुटिपूर्ण थी क्योकि 258 प्रकरणों में संबंधित चिकित्सा संस्थानों से

11 *बड़वानी, भोपाल, छिंदवाड़ा होशंगाबाद, झाबुआ, खरगोन, मंदसौर, सिवनी, शहडोल, सीधी एवं विदिशा*

उपचार का विवरण, उपचार की अवधि एवं उपचार पर वास्तविक व्यय की जानकारी कभी नहीं मंगाई गई । आयुक्त स्वास्थ्य सेवाये (मई - 2007) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों (मार्च-नवम्बर 2007) ने बताया कि दी गई सहायता के लेखे/उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं बचत राशि चिकित्सा संस्थानो से शीघ्र ही मंगाई जावेगी।

5.1.7.9 टीकों का अत्यधिक अपव्यय

राज्य के शीत श्रंखला अधिकारियों की बैठक की हस्तपुस्तिका में उपलब्ध संदर्भ के अनुसार टीकों के लिये अपव्यय की मात्रा निर्धारित की गई है जो बी.सी.जी.के लिये 50 प्रतिशत एवं अन्य टीकों के लिये 20 प्रतिशत है।

बी.सी.जी.टीकों का 94 प्रतिशत एवं अन्य टीकों का 39 से 68 प्रतिशत तक अपव्यय के कारण शासन को रूपये 6.60 करोड़ की हानि हुई

12[12] जिलो के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों के वर्ष 2002-07 के अभिलेखों की जांच पर पाया गया कि वर्ष 2002-07 की अवधि में टीकों का अपव्यय डी.पी.टी.के लिये 68 प्रतिशत, ओ.पी.व्ही.के लिये 41 प्रतिशत, मीजल्स के लिये 46 प्रतिशत, डी.टी.के लिये 39 प्रतिशत, टी.टी.के लिये 55 प्रतिशत एवं बी.जी.सी.के लिये 94 प्रतिशत था जो निर्धारित मापदन्ड की तुलना मे बहुत अधिक था। इसके फलस्वरूप रूपये 6.60 करोड़ मूल्य के टीकों का अधिक अपव्यय हुआ।

5.1.7.10 टीकों की कमी

रूपये 14.48 लाख के टीको की कमी पाई गई

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी खरगोन के वर्ष 2002-07 की अवधि की भंडार पंजी एवं वेक्सीन के प्रमाणकों की जांच पर पाया गया कि संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवायें इंदौर के द्वारा जारी प्रदाय प्रमाणकों से प्राप्त टीकों की भंडार पंजी में प्रविष्टि किया जाना नहीं पाया गया जिसका विवरण नीचे दिया गया हैं।

स.स.चि.से.इंदौर का प्रमाणक क्रमांक	आपूर्ति किये गये टीको का विवरण (खुराकों की संख्या)		भंडार पंजी में लिये गये टीको का विवरण	लेखांकित नहीं किये गये टीकों की मात्रा	लेखांकित नहीं किये गये टीकों की कीमत (राशि रूपये में)
A153 753 दिनांक 23-12-2005	ओ.पी.व्ही.	3,37,000	30,000	3,07,000 @ 4.625	14,19,875
	डी.पी.टी.	20,000	निरंक	20,000 @ 1.40	28,000
				योग	**14,47,875.00**

इसके परिणामस्वरूप रूपये 14.48 लाख मूल्य के टीको की कमी रही। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी खरगोन ने बताया कि प्रकरण में जांच की जावेगी एवं तद्नुसार कार्यवाही की जावेगी।

5.1.7.11 कालातीत टीकों का जारी किया जाना

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी खरगोन के अभिलेखों की जांच (अप्रेल - 2007) पर पाया गया कि कालातीत अवधि के टीकों को मैदानी इकाइयो में उपयोग हेतु जारी किया गया। मैदानी इकाइयों की भंडार पंजियो की जांच पर पाया गया कि इन टीकों का नीचे दिये विवरण के अनुसार उपभोग किया गया था:

12 *बड़वानी, बैतूल, भोपाल, छिंदवाड़ा, धार, होशंगाबाद, झाबुआ, खरगोन, मंदसौर, सिवनी, सीधी एवं विदिशा*

क्र.सं.	सी.एम.एच.ओ.भंडार में प्राप्त प्रमाणक क्रमांक व दिनांक	टीके का नाम	खुराकों की संख्या	प्रमाणक के अनुसार कालातीत अवधि	प्रदाय/उपयोग की अवधि (खुराक मात्रा में)
1.	A-6/09-04-2003	डी.पी.टी.	30,000	मई 2003	मैदानी इकाइयों को 15000 खुराक मई 2003 में एवं 15000 उसके बाद जारी
	A-6/09-04-2003	ओ.पी.व्ही.	20,000	जनवरी 2003	9.4.03 से 26.4.2003 के दौरान मैदानी इकाइयों को जारी
2.	A-17/29-04-2003	ओ.पी.व्ही.	15,000	जनवरी 2003	29.4.03 एवं इसके बाद जारी
3.	A-159/18-08-2004	बी.सी.जी	10,000	दिसम्बर 2003	18.8.2004 से 23.9.2004 के दौरान जारी
4.	A-153/23-12-2005	मीजल्स	5000	दिसम्बर 2004	24.12.2005 से 25.01.2006 के दौरान जारी
	A-153/23-12-2005	ओ.पी.व्ही.	337000	अगस्त 2005, सितम्बर 2005	24.12.2005 के बाद केवल 30000 खुराक लेखे में ली गई एवं जारी की गई।

कालातीत टीको के जारी होना एवं उपयोग होना कमजोर सामग्री प्रबन्धन को दर्शाता है।

5.1.7.12 आहार पर अधिक व्यय

9,84,359 रोगियों के आहार पर निर्धारित मानदण्ड से रूपये 26.31 लाख का अधिक व्यय

आंतरिक रोगियों के आहार पर व्यय रूपये 8 प्रतिदिन प्रतिरोगी की दर से निर्धारित था, जो अप्रैल 2006 से रूपये 20 कर दिया गया। छह[13] जिलो में जांच (मार्च-अक्टूबर 2007) पर पाया गया कि वर्ष 2002-07 की अवधि में 9,84,359 रोगियों के आहार पर रूपये 26.31 लाख की राशि अधिक व्यय की गई। अधिकता का कारण मूल्य वृद्वि बताया गया।

5.1.7.13 स्कूल शिक्षा हेतु औषधियों का क्रय

वित्तीय समिति (अक्टूबर - 2006) द्वारा अनुशंसा की गई कि राज्य के स्कूलों में मध्यान्ह भोजन प्राप्त करने वाले 8891737 विद्यार्थियों को आयरन फोलिक एसिड गोलियां एवं कृमिनाशक (एलवेन्डाजोल) गोलियां वितरित की जाना थी, तद्नुसार दिसम्बर 2006 में रूपये 4.18 करोड़ मूल्य की गोलियां क्रय की गई।

11.52 करोड़ आयरनफोलिक एसिड गोलियां तथा कृमिनाशक गोलियां मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम विद्यार्थियों के स्थान पर वाह्य रोगी विभाग के रोगियों में वितरण हेतु जारी की गई।

आठ[14] जिलों के अभिलेखों की जांच पर पाया गया कि 15.09 करोड़ गोलियो में से 11.52 करोड़ आयरनफोलिक एसिड गोलियां इन निर्देशों के बिना कि यह गोलियां मध्यान्ह भोजन पाने वाले विद्यार्थियों को वितरित की जानी थी, सामान्य तौर पर वितरण हेतु सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/उप स्वास्थ्य केन्द्रों को प्रदाय कर दी गई। इस प्रकार इन गोलियों को क्रय किये जाने का उद्देश्य विफल रहा। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया (मई-अक्टूबर 2007) कि इनके उचित उपयोग से संबंधित अनुवीक्षण का कार्य डी.एफ.आई.डी.द्वारा किया जाना था। परंतु उनके पास किसी भी प्रकार का अनुवर्ती प्रतिवेदन उपलब्ध नही था।

5.1.7.14 एन्टी स्नेक वैनम (ए.एस.व्ही.) की आवश्यकता का निर्धारण किये बिना क्रय किया जाना

फील्ड की वास्तविक आवश्यकता का निर्धारण किये बिना रूपये 0.76 करोड़ की ए.एस.व्ही.का क्रय

वित्तीय अधिकार पुस्तिका खंड - दो 1995 के अनुसार विशेष वित्तीय वर्ष की आवश्यकता के अनुसार सामग्री का क्रय किया जाना चाहिये। विभाग द्वारा वर्ष 2006-07 में आवश्यकता का निर्धारण किये बिना रूपये 1.02 करोड़ मूल्य के 51,800 एन्टी स्नेक वैनन 10 एम.एल.का क्रय किया गया। राजस्व विभाग के सर्पदंश प्रतिवेदन के

13 *बड़वानी, बैतूल, छिंदवाडा, खरगोन, होशंगाबाद एवं सीधी*

14 *बड़वानी, भोपाल, धार, होशंगावाद, झाबुआ, मंदसौर, सीधी एवं विदिशा*

अनुसार ए.एस.व्ही.की 14,000 बायल्स (एक सर्प दंश के लिये लगातार 20 बायल्स) की आवश्यकता संगणित होती है। नौ[15] जिलों (मई 2007 से अक्टूबर 2007) में जांच पर पाया गया कि प्राप्त किये 8,320 बायल्स में से केवल 822 ए.एस.वी का उपभोग किय गया था एवं 7,498 बायल्स अक्टूबर 2007 की स्थिति में बचत में थे। इनके परिणाम स्वरूप रूपये 0.76 करोड़ के 37,800 ए.एस.व्ही.का आवश्यकता से अधिक क्रय किया गया। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया कि संचालनालय द्वारा इनको बिना मांग के प्रदाय किया गया था एवं इनका भविष्य में उपयोग किया जावेगा (मई - अक्टूबर 2007) । आयुक्त स्वास्थ्य सेवायें ने बताया कि ए.एस.व्ही. भंडारण किया जाना अति आवश्यक था एवं इनक उपयोग आगामी चार वर्षो में कर लिया जावेगा।

5.1.7.15 अनाधिकृत आपूर्तिकर्ता/निर्माता से गॉज थान, बैंडेज थान एवं बैंडेज रोल का अनियमित क्रय

मध्यप्रदेश शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, भोपाल द्वारा जारी निर्देश के पैरा-5 (अक्टूबर 2002) के अनुसार गॉज एवं बैंडेज दवाईयों के अंतर्गत परिभाषित किये गये हैं इसलिये गॉज एवं बैडेज के निर्माता एवं आपूर्तिकर्ता के पास नियमानुसार दवाओं का वैध लाइसेंस होना चाहिए तथा दवाओं के पैकेट पर, उनके नाम, आकार, निर्माण का दिनांक, अवसान दिनांक एवं बैच नंबर अंकित होना चाहिए।

वैध दवाई लाइसेंस न रखने वाले निर्माता/आपूर्तिकर्ता से रूपये 6.45 करोड़ का गॉज थान/बैंडेज थान एवं बैंडेज रोल का क्रय

आ.स्वा.से. के अभिलेखों की (मई 2007) जांच में पाया गया कि इस बात को सुनिश्चित किये बिना कि गॉज थान/बैंडेज थान/ बैंडेज रोल के निर्माता एवं आपूर्तिकर्ता के पास प्रपत्र 20बी एवं प्रपत्र 25 में दवाओं का वैध लाइसेंस है, आयुक्त स्वास्थ्य सेवायें द्वारा आयुक्त हैंडलूम एवं हस्तशिल्प विकास निगम मध्यप्रदेश से वर्ष 2004-07 के दौरान रूपये 6.45 करोड़ के गाज थान, बैंडेज थान तथा बैंडेज रोल का क्रय किया गया एवं इनके आपूतिकर्ता के देयकों पर दवाओं की निर्माण दिनांक एवं अवसान दिनांक भी अंकित नहीं थी। इस प्रकार संहिता के प्रावधानों का पालन नहीं किया गया तथा अनाधिकृत निर्माता/आपूर्तिकर्ता से गाज एवं बैंडेज का अनियमित रूप से क्रय किया गया ।

5.1.7.16 कैटगट एवं दवाओं का उच्चदर पर क्रय

मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम के स्थान पर लोक उपक्रम से कैटगट एवं दवाओं के क्रय पर 1.92 करोड रूपये का अधिक व्यय

मध्यप्रदेश भंडार क्रय नियम 14 के अनुसार परिशिष्ट अ, ब एवं स में सूचीकृत वस्तुएँ मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम से क्रय किये जाने हेतु संरक्षित हैं। आ.स्वा.से.के. अभिलेखों की जांच (मई 2007) में पाया गया कि कैटगट/सूचर्स एवं दवाओं का क्रय मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम के बजाय लोक उपक्रम से किया गया। चूँकि लोक उपक्रम की दरें लघु उद्योग निगम की दरों से अधिक थी, परिणाम स्वरूप रूपये 1.92 करोड का अधिक व्यय हुआ। आयुक्त स्वास्थ्य सेवाओं द्वारा बताया गया (मई 2007) कि क्रय भारत सरकार की क्रय प्राथमिकता नीति के अनुसार किया गया था।

[15] भोपाल, छिंदवाड़ा, धार, हरदा, खंडवा, आदिभा, मंदसौर, सिवनी, सीधी एवं विदिशा

5.1.8 अन्य रूचिकर बिन्दु

5.1.8.1 निष्क्रिय कर्मशाला पर निष्फल व्यय

विभागीय वाहनों के रखरखाव एवं मरम्मत के लिये संभागीय स्तर पर क्षेत्रीय डिपो/कर्मशालायें विद्यमान थी । संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवायें, जबलपुर, ग्वालियर तथा इंदौर के अभिलेखों की नमूना जांच (जनवरी तथा अप्रैल 2007) तथा संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवायें भोपाल से और एकत्रित जानकारी (अगस्त 2007) से प्रकट हुआ कि क्षेत्रीय संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवायें के पुर्नगठन के समय (जून 1999) से विभागीय वाहनों की मरम्मत एवं रखरखाव का कार्य बाहरी/निजी डीलरों से कराया जा रहा था और विभागीय वाहनो की मरम्मत तथा रखरखाव के लिये नगण्य कार्य कार्यशालाओं द्वारा सम्हाला जा रहा था तथापि 1999-2007 के दौरान चार कर्मशालाओं के कर्मचारियों के वेतन एवं भत्तों पर 4.05 करोड़ रूपये (भोपाल 2.68 करोड़ रूपये, ग्वालियर 0.39 करोड़ रूपये, इंदौर 0.76 करोड़ रूपये एवं जबलपुर 0.22 करोड़ रूपये) का व्यय किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप निष्क्रिय कर्मशालाओं पर निष्फल व्यय किया गया ।

अतः अमले के तर्कसंगत रूप से स्थापना एवं वाहनो की मरम्मत व्यवस्था की आवश्यकता है ।

5.1.8.2 स्वास्थ्य कार्डो के प्रतिस्थापन कर निष्फल व्यय

दीनदयाल अन्त्योदय उपचार योजना सितम्बर 2004 में गरीबी रेखा से नीचे की अनुसूचित जातियों/जनजातियों को निशुल्क गुणवत्तायुक्त चिकित्सा सेवाऐं उपलबध कराने के लिए आरम्भ की गई । योजना का विस्तार गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले सभी लोगो के लिए किया गया (अगस्त 2006)

संचालक, राज्य स्वास्थ्य सूचना शिक्षा संचार ब्यूरो भोपाल के अभिलेखों की नमूना जांच (अप्रैल 2007) से प्रकट हुआ कि योजना के अधीन गरीबी रेखा से नीचे अनुसूचित जाति/जनजाति के परिवारों को उपलब्ध कराने के लिए अक्टूबर 2004 से जुलाई 2005 के मध्य रूपये 84.65 लाख व्यय करके 24 लाख स्वास्थ्य कार्ड मुद्रित कराए गए । उनमें से 21 लाख कार्ड गरीबी रेखा से नीचे अनुसूचित जाति/जनजाति संवर्ग के हितग्राहियों को वितरित किए गए और विभाग के पास तीन लाख स्वास्थ्य कार्ड शेष बचे रहे । यह भी देखा गया कि योजना की वृद्धि (दिसम्बर 2006) गरीबी रेखा से नीचे के सभी संवर्गो के लिए किए जाने के साथ जोडे गए संवर्गों एवं हितग्राहियों को वितरण एवं अनुसूचित जाति/जनजाति संवर्ग के पुराने कार्डो के प्रतिस्थापन हेतु रूपये 5.42 करोड़ की लागत से 50 लाख स्वास्थ्य कार्ड पुनः मुद्रित कराए गए । चूंकि नवीन कार्डो में कोई अतिरिक्त जानकारी नहीं थी । अतः विभाग द्वारा अनावश्यक रूप से पुराने कार्डो का पुनरर्थापन अव्यवहारिक था । इसके परिणामस्वरूप योजना के प्रारम्भ के समय पूर्व में 24 लाख स्वास्थ्य कार्डो के मुद्रण पर रूपये 84.65 लाख का निष्फल व्यय किया गया ।

इंगित किए जाने पर ब्यूरो प्राधिकारियों द्वारा अप्रैल 2007 में बताया गया कि अन्य योजना की जानकारी उपलब्ध कराने एवं एकरूपता बनाए रखने के उद्देश्य से 50 लाख स्वास्थ्य कार्डो का पुनरीक्षित संस्करण मुद्रित कराया गया ।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि कार्डो के पुनरीक्षित संस्करण में कोई अतिरिक्त जानकारी नहीं थी ।

5.1.9 आंतरिक लेखापरीक्षा सहित अनुवीक्षण

5.1.9.1 विभागीय निरीक्षण

विभाग के आंतिरक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता एवं प्रभावशीलता को जानने के लिए विभाग की निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार विभागीय अधिकारियों द्वारा आवधिक निरीक्षण किया जाना एक महत्वपूर्ण एवं प्रभावी तंत्र है। संचालनालय के अधिकारियों के लिए निरीक्षण का रोस्टर उपलब्ध नहीं था, संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवायें भोपाल द्वारा वर्ष 2002-07 के दौरान 86 निरीक्षणों के विरूद्व केवल 33 निरीक्षण किये गये तथा संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवायें इंदौर द्वारा वर्ष 2002-06 के दौरान कोई भी निरीक्षण नहीं किया गया।

मध्यप्रदेश कोषालय संहिता भाग-1 के नियम 291 के अनुसार प्रत्येक आहरण एवं संवितारण अधिकारियों द्वारा अपने कार्यालय के लेखों का मासिक निरीक्षण किया जाना चाहिए एवं उठाये गए सुधारात्मक कदमों के विवरण सहित तिमाही प्रतिवेदन उच्च अधिकारियों को भेजा जाना चाहिए। 13 जिलों के अभिलेखों की नमूना जाँच में पाया गया कि कुछ सीमा तक चार[16] जिलों द्वारा निरीक्षण किया गया तथा अन्य किसी भी आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा नियमानुसार नियमित निरीक्षण नहीं किया गया। यह दर्शाता है कि निरीक्षण प्रणाली की व्यापक रूप से उपेक्षा की गयी।

5.1.9.2 आंतरिक लेखा परीक्षा

आयुक्त स्वास्थ्य सेवाऐं मध्यप्रदेश भोपाल एवं संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवायें इंदौर, भोपाल, रीवा, जबलपुर एवं ग्वालियर के कार्यालय में एक पृथक आंतरिक लेखापरीक्षा शाखा की स्थापना की गई थी। आंतरिक लेखापरीक्षा शाखा अपर आयुक्त वित्त के द्वारा पर्यवेक्षित थी एवं एक लेखाअधिकारी, 6 वरिष्ठ लेखापरीक्षक एवं 9 कनिष्ठ लेखा परीक्षकों द्वारा सहायित थे परंतु 4 वरिष्ठ लेखापरीक्षक एवं 8 कनिष्ठ लेखापरीक्षकों की कमी थी। आन्तरिक लेखापरीक्षा शाखा में अमले की कमी थी अतः इकाइयों की लेखापरीक्षा में कमी थी ।

आ.स्वा.से.के अभिलेखों की जाँच में पाया गया (मई 2007) कि वर्ष 2002-07 के दौरान वार्षिक योजना कभी भी नहीं बनायी गयी। आयुक्त स्वास्थ्य सेवायें के आंतरिक लेखापरीक्षा शाखा द्वारा संचालनालय के विभिन्न शाखाओं की न तो लेखापरीक्षा की गई और न ही योजना में सम्मिलित किया गया। मैदानी कार्यालयों की लेखापरीक्षा में वर्ष 2002-07 के दौरान 100 प्रतिशत की कमी थी क्योंकि विभाग की आंतरिक लेखापरीक्षा

[16] *होशंगाबाद (8), झाबुआ (12), सिवनी(7) एवं सीधी(42)*

शाखा द्वारा 168 इकाईयों में से किसी की भी लेखापरीक्षा नहीं की गयी। इसी प्रकार संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवायें भोपाल एवं इंदौर मे लेखापरीक्षा शाखा थी। 42 इकाई प्रतिवर्ष के लक्ष्य (भोपाल-19 एवं इंदौर-23) के विरूद्ध वर्ष 2006-07 के दौरान 16 इकाईयों (भोपाल-12 इंदौर-4) की ही लेखापरीक्षा की गयी। इस प्रकार वर्ष 2002-06 के दौरान 100 प्रतिशत एवं 2006-07 के दौरान 62 प्रतिशत की कमी रही।

आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली बिल्कुल निष्क्रिय थी क्योंकि वर्ष 2002-06 के दौरान कोई लेखा परीक्षा नहीं की गयी तथा संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवायें कार्यालयों द्वारा केवल 38 प्रतिशत इकाईयों की लेखापरीक्षा की गयी।

5.1.9.3 विभागीय जाँच प्रकरण

संचालनालय में विभागीय जाँच प्रकरणों एवं न्यायिक प्रकरणों के निराकरण हेतु एक विभागीय जाँच प्रकोष्ठ एवं एक कानूनी प्रकोष्ठ कार्य कर रहे थे। आयुक्त स्वास्थ्य सेवायें भोपाल के अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि (अगस्त 2007) 1अप्रैल 2006 को 164 प्रकरण विभागीय जाँच हेतु लंबित थे तथा अप्रैल 2006 से जुलाई 2007 तक उसमें 22 प्रकरण और जुड़ गये अतएव उपरोक्त अवधि में 186 प्रकरणों में से केवल 18 प्रकरणों का निराकरण हुआ एवं 168 प्रकरण विभाग के पास लंबित रहे। इसी प्रकार अगस्त 2007 तक 198 कारण बताओ नोटिस के प्रकरण समाधान एवं निराकरण हेतु लंबित थे इसके अतिरिक्त अगस्त 2007 तक 11 लोकायुक्त प्रकरण भी लंबित थे।

5.1.10 निष्कर्ष

विभाग की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली कमजोर थी। बजट अनुमान तैयार करने की प्रणाली में काफी कमी थी क्योंकि सतत् बचत के प्रकरण पाये गये तथा बिना आवश्यकता के अनुपूरक प्रावधान किये गये। विभाग के आँकड़ो का महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के आँकडों से मिलान नहीं किया गया। केन्द्रीय योजनाओं की राशियों को सिविल जमा खाते में रखा गया। रोकड़ बही के संधारण एवं रोकड़ सत्यापन की प्रणाली दोषपूर्ण थी तथा रोकड़/भंडार के प्रभारी कर्मचारियो से प्रतिभूत राशि जमा नहीं करायी गयी। कोषालय सूची से आहरणों का पाक्षिक सत्यापन नहीं किया गया। कार्य संचालन नियंत्रण अप्रभावी था क्योंकि ढाँचागत संरचनायें उपलब्ध नहीं कराई गई। क्षेत्रीय नैदानिक केन्द्रों की स्थापना नहीं की गई थी। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र चिकित्सक विहीन कार्य कर रहे थे । अपंजीकृत/फर्जी डाक्टरों का सर्वेक्षण नहीं किया गया। आयुक्त स्वास्थ्य सेवायें/संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवायें द्वारा किए जाने वाली निरीक्षणों में कमी रही। वर्ष 2002-06 के दौरान आंतरिक लेखापरीक्षा नहीं की गई एवं वर्ष 2006-07 में आन्तरिक लेखापरीक्षा में अत्यधिक कमी रही जिससे आंतरिक लेखापरीक्षा शाखा की स्थापना का उद्देश्य विफल हो गया।

5.1.11 अनुशंसायें

- व्यय के आंकड़ों का अविलम्ब मिलान किया जाना चाहिये एवं बैंको के साथ मिलान की प्रणाली को सुदृढ किया जाना चाहिये।

- रोकड़ बही के संधारण हेतु संहिता में दिये गये प्रावधानों का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिये।

- विभागीय अधिकारियों द्वारा मैदानी इकाइयों का निरीक्षण कठोरता से रोस्टर के अनुसार किया जाना चाहिये एवं अनुवीक्षण कक्ष को सुदृढ़ किया जाना चाहिये।

- पर्याप्त अमले की पदस्थापना एवं लेखापरीक्षा कार्य योजना की प्रणाली का प्रवर्तन करने, अवधि निर्धारित करने एवं विभिन्न इकाइयों का लेखापरीक्षा चक्र निर्धारित कर आंतरिक लेखापरीक्षा शाखा को सुदृढ़ किया जाना चाहिये। संचालनालय की विभिन्न इकाइयों को भी आंतरिक लेखापरीक्षा की परिधि में सम्मिलित किया जाना चाहिये।

- विभाग में आंतरिक नियंत्रण प्रणाली के संधारण पर व्यापक दिशा निर्देश जारी किये जाने चाहिये।

ग्वालियर
दिनांक

(सनत कुमार मिश्रा)
प्रधान महालेखाकार
(सिविल एवं वाणिज्यिक लेखापरीक्षा)
मध्य प्रदेश

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली
दिनांक

(विनोद राय)
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

परिशिष्ट

परिशिष्ट 1.1
भाग कः शासकीय लेखाओं की संरचना एवं स्वरूप
(संदर्भः कंडिका 1.1 पृष्ठ 1)

शासकीय लेखाओं की संरचनाः राज्य सरकार के लेखाओं को तीन भागों में रखा जाता है (i) संचित निधि (ii) आकस्मिकता निधि तथा (iii) लोक लेखा

भाग I : संचित निधि

राज्य सरकार द्वारा प्राप्त सभी राजस्व, राजकोष विपत्र जारी कर लिए गए सभी ऋण, आन्तरिक एवं बाह्य ऋण तथा ऋणों के पुनर्भुगतान में शासन द्वारा प्राप्त सभी धन राशियाँ भारत के संविधान के अनुच्छेद 266 (1) के अंतर्गत स्थापित राज्य की संचित निधि नामक एक समेकित निधि का निर्माण करती हैं।

भाग II : आकस्मिकता निधि

संविधान के अनुच्छेद 267(2) के अंतर्गत स्थापित राज्य की संचित निधि राज्यपाल के विवेकाधीन रखे गए एक अग्रदाय के रुप में होती है जिससे वह विधानमंडल के अनुमोदन के लंबित होने की स्थिति में अत्यावश्यक अनवेक्षित व्यय की पूर्ति के लिए अग्रिमों की व्यवस्था कर सकता है । बाद में ऐसे व्यय के लिए एवं संचित निधि से समतुल्य राशि के आहरण हेतु विधान मंडल का अनुमोदन प्राप्त किया जाता है जिससे आकस्मिकता निधि से लिए गए अग्रिमों की पूर्ति की जाती है।

भाग III : लोक लेखा

कुछ लेनदेनों जैसे लघु बचतों, भविष्य निधियों, आरक्षित निधियों, निक्षेपों, उचन्त, प्रेषणों आदि से संबंधित प्राप्तियाँ एवं संवितरणों को जो संचित निधि के भाग का निर्माण नहीं करते है, संविधान के अनुच्छेद 266(2) के अंतर्गत स्थापित लोक लेखा में रखा जाता है और ये राज्य विधानमंडल के मत के अधीन नहीं होते हैं।

भाग ख

वित्त लेखे की रूप रेखा

(संदर्भः कंडिका 1.1 पृष्ठ 1)

विवरण पत्रक	रूप रेखा
विवरण पत्रक क्र. 1	राज्य शासन के लेनदेनों- संचित निधि, आकस्मिकता निधि तथा लोक लेखा में प्राप्तियों तथा व्यय, राजस्व एवं पूँजीगत लोक ऋण प्राप्तियों तथा संवितरणों आदि के सारांश को प्रस्तुत करता है ।
विवरण पत्रक क्र. 2	इसमें वर्ष 2006-07 के अंत तक प्रगामी व्यय दर्शाने वाले पूँजीगत परिव्यय का सारांशीकृत विवरण पत्रक होता है ।
विवरण पत्रक क्र. 3	सिंचाई निर्माण कार्यों, उनकी राजस्व प्राप्तियों, कार्यकारी व्यय तथा संधारण प्रभारों, पूँजीगत परिव्यय, शुद्ध लाभ अथवा हानि आदि के वित्तीय परिणामों को दर्शाता है ।
विवरण पत्रक क्र. 4	राज्य की ऋणस्थिति के सारांश को इंगित करता है जिसमें आंतरिक ऋण, भारत सरकार से उधारियाँ, अन्य दायित्व तथा ऋण सेवा सम्मिलित होते हैं ।
विवरण पत्रक क्र. 5	वर्ष के दौरान राज्य सरकार द्वारा दिये गये ऋणों एवं अग्रिमों, किए गए पुनर्भुगतानों, बकाया वसूलियों आदि का सारांश प्रस्तुत करता है ।
विवरण पत्रक क्र. 6	सांविधिक निगमों, स्थानीय निकायों तथा अन्य संस्थाओं द्वारा लिए गए ऋणों आदि के पुनर्भुगतान के लिए शासन द्वारा दी गई गारंटियों का सारांश प्रस्तुत करता है ।
विवरण पत्रक क्र. 7	रोकड़ शेषों तथा ऐसे शेषों से किए गए निवेशों का सारांश प्रस्तुत करता है ।
विवरण पत्रक क्र. 8	31 मार्च 2007 को संचित निधि, आकस्मिकता निधि तथा लोक लेखा के अंतर्गत शेषों का सारांश दर्शाता है ।
विवरण पत्रक क्र. 9	वर्ष 2006-07 के लिए विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत राजस्व तथा व्यय को कुल राजस्व/व्यय के प्रतिशत के रूप में दर्शाता है ।
विवरण पत्रक क्र. 10	वर्ष के दौरान किए गए प्रभारित तथा दत्तमत व्यय के मध्य वितरण को इंगित करता है ।
विवरण पत्रक क्र. 11	राजस्व प्राप्तियों का लघु शीर्षवार विस्तृत लेखा प्रस्तुत करता है।
विवरण पत्रक क्र. 12	आयोजनेतर तथा आयोजना के अंतर्गत पृथक रूप से लघु

	शीर्षवार राजस्व व्यय तथा मुख्य शीर्षवार पूँजीगत व्यय के लेखाओं को प्रस्तुत करता है ।
विवरण पत्रक क्र. 13	वर्ष 2006-07 के दौरान एवं अंत तक किये गए विस्तृत पूँजीगत व्यय को दर्शाता है ।
विवरण पत्रक क्र. 14	वर्ष 2006-07 के अंत तक सांविधिक निगमों, सरकारी कम्पनियों, अन्य संयुक्त पूँजी कम्पनियों, सहकारी बैंको तथा समितियों आदि में राज्य शासन के निवेश का विवरण दर्शाता है।
विवरण पत्रक क्र. 15	वर्ष 2006-07 के अंत तक पूँजीगत एवं अन्य व्यय तथा उन प्रधान स्त्रोतों को दर्शाता है जिनसे उस व्यय हेतु निधियाँ उपलब्ध कराई गई ।
विवरण पत्रक क्र. 16	ऋण, आकस्मिकता निधि तथा लोक लेखा से संबंधित लेखा शीर्षों के अंतर्गत प्राप्तियों, संवितरणों तथा शेषों का विस्तृत लेखा प्रस्तुत करता है ।
विवरण पत्रक क्र. 17	म.प्र. सरकार के ऋण एवं अन्य ब्याज सहित दायित्वों का विस्तृत लेखा प्रस्तुत करता है ।
विवरण पत्रक क्र. 18	31 मार्च 2007 को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिये गये ऋणों एवं अग्रिमों, वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान की गई ऋण की राशि का विस्तृत लेखा प्रस्तुत करता है ।
विवरण पत्रक क्र. 19	आरक्षित निधियों के प्रयोजन विशिष्ट शेषों का विवरण प्रस्तुत करता है ।

भाग ग

अध्याय 1 में प्रयुक्त शब्दों की सूची एवं उनकी संगणना का आधार

(संदर्भः कंडिका 1.2 पृष्ठ 5)

शब्द	गणना का आधार
मानदण्डों की उत्प्लावकता	मानदंड की वृद्धि दर सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वृद्धि
मानदंड (भ) की अन्य मानदंड (म) के संदर्भ में उत्प्लावकता	मानदंड (भ) की वृद्धि दर मानदंड (म) की वृद्धि दर
वृद्धि दर	[(चालू वर्ष की राशि/ विगत वर्ष की राशि) -1]*100
विकास व्यय	सामाजिक सेवायें + आर्थिक सेवायें
राज्य द्वारा भुगतान की गई औसत ब्याज	ब्याज भुगतान / [(पूर्ववर्ती वर्ष की राजकोषीय देयतांओ की राशि + वर्तमान वर्ष की राजकोषीय देयतांऐ)/2]*100
भारित ब्याज दर (I_w)	$I_w = \sum_i^n I_i W_i$, जहाँ I_i ऋण के i वे स्टॉक पर ब्याज की दर है तथा W_i राज्य के कुल ऋण स्टॉक में i वे स्टॉक का अंश है ।
ब्याज प्रसार	सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वृद्धि- भारित ब्याज दर
प्रमात्रा प्रसार	ऋण स्टॉक * ब्याज प्रसार
बकाया ऋणों के प्रतिशत के रूप में प्राप्त ब्याज	प्राप्त ब्याज [(प्रारंभिक शेष + ऋणों तथा अग्रिमों का अंतशेष)/2]*100
राजस्व घाटा	राजस्व प्राप्तियां - राजस्व व्यय
राजकोषीय घाटा	राजस्व व्यय + पूँजीगत व्यय + निवल ऋण तथा अग्रिम - राजस्व प्राप्तियाँ - विविध पूंजीगत प्राप्तियाँ
प्रारंभिक घाटा	राजकोषीय घाटा - ब्याज भुगतान
चालू राजस्व से शेष	2048-ऋण के परिहार की कमी हेतु विनियोग के अंतर्गत विकलनों को छोड़कर समस्त आयोजना अनुदानों तथा आयोजनेतर राजस्व व्यय को घटाकर राजस्व प्राप्तियाँ ।

परिशिष्ट -1.2

(संदर्भः कंडिका 1.2 पृष्ठ 1 एवं 5)

पूर्ववर्ती मध्यप्रदेश राज्य की 31 मार्च 2007 को परिसंपत्तियों एवं देयताओं का उत्तवर्ती मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़ राज्यों के मध्य विभाजन दर्शाने वाला विवरण पत्र

(करोड़ रूपए में)

मदें	31 अक्टूबर 2000 को शेष	विभाजन		विभाजन लंबित होने के कारण मध्यप्रदेश के लेखाओं में रोककर रखे गये शेष	वित्त लेखे की विवरण पत्रक संख्या का संदर्भ
		मध्यप्रदेश	छत्तीसगढ़		
I- देयताएं					
1. लघु बचतें, भविष्य निधियां आदि	7371.51	5570.57	1239.45	561.49	4, 16 तथा 17
2. निक्षेप	1872.19	1516.52	358.05	(-) 2.38	4 तथा 16
3. आरक्षित निधियां	657.94(क)	45.49	11.55	102.46 (ख)	4 तथा 16
4. उचन्त एवं विविध शेष	39.58	25.46	5.93	8.19 (ग)	16
II- परिसम्पत्तियां					
1. सकल पूँजीगत परिव्यय	15760.57	4950.27	1484.59	9325.71	2 तथा 13
2. ऋण एवं अग्रिम	2883.18	559.83	135.91	2187.44 (घ)	5 तथा 18
3. गारंटियाँ	9709.60	--	--	10327.22 (ड.)	6

टिप्पणीः - और अधिक विवरणों हेतु वित्त लेखे देखें ।

(क) मध्यप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 42 (i) के द्वितीय परन्तुक के अनुसार कुल 657.94 करोड़ रूपए में से 498.44 करोड़ रूपए छोड़ दिये गये ।

(ख) भारत सरकार का निर्णय लंबित होने के कारण मध्यप्रदेश में रोककर रखे गये ।

(ग) विवरणों के अभाव में मध्यप्रदेश में रोककर रखे गये ।

(घ) उत्तराधिकारी राज्यों से निर्णयों विवरणों के प्राप्त न होने के कारण मध्यप्रदेश में रोककर रखे गये ।

(ड.) निरस्त पुरानी गारंटी के कारण वर्ष 2005- 06 के 10549.04 करोड़ रूपए के आँकडों में 221.82 करोड़ रूपए का अंतर

परिशिष्ट 1.3

(संदर्भः कंडिका 1.2.1.1 पृष्ठ 6)
चयनित राजकोषीय संकेतकों की प्रवृत्ति

(करोड़ रूपए में)

क्रम संख्या	राजकोषीय संकेतक		विगत वर्ष	चालू वर्ष	विगत वर्ष में 2004-05 से ऊपर परिवर्तन प्रतिशत	विगत वर्ष की तुलना में चालू वर्ष में परिवर्तन (प्रतिशत)
		2004-05 लेखा	2005-06 संशोधित अनुमान	2006-07 बजट अनुमान		
1	2	3	4	5	6	7
1	राजस्व प्राप्तियां (2+3+4)	19743.25	21344.41	23480.19	8.11	10.01
2	कर राजस्व (2.1+2.2)	12849.65	15310.67	17044.63	19.15	11.33
2.1	राज्य कर	7769.91	8933.34	10029.46	14.97	12.27
2.2	केन्द्रीय करों में भागीदारी	5079.74	6377.33	7015.17	25.54	10.00
3	कर भिन्न राजस्व	4461.86	2239.16	2059.08	-49.82	-8.04
4	केन्द्र सरकार से सहायता अनुदान	2431.74	3794.58	4376.48	56.04	15.34
5	पूँजीगत प्राप्तियाँ (6+7+8)	6504.54	7271.34	5137.52	11.79	-29.35
6	ऋणों एवं अग्रिमों की वसूली	53.20	2796.04	43.69	5155.71	-98.44
7	निवल लोक ऋण	5457.62	4565.69	5169.58	-16.34	13.23
8	लोक लेखा से निवल प्राप्तियाँ	993.72	-90.39	-75.75	-109.10	-16.20
9	कुल प्राप्तियाँ (1+5)	26247.79	28615.75	28617.71	9.02	0.01
10	राजस्व व्यय (10.1+10.2)	18026.38	21369.90	22509.97	18.55	5.33
10.1	आयोजनेतर राजस्व व्यय	14861.20	16563.71	17347.08	11.46	4.73
10.2	आयोजनागत राजस्व व्यय	3165.18	4806.19	5162.89	51.85	7.42

1	2	3	4	5	6	7
10.3	राजस्व व्यय *जिसमें से*					
10.3.1	ब्याज भुगतान	3661.14	3685.97	4145.03	0.68	12.45
10.3.2	आर्थिक सहायता	4676.65	6731.72	6063.78	43.94	-9.92
10.3.3	मजदूरी एवं वेतन	6090.16	6376.01	7040.42	4.69	10.42
10.3.4	पेंशन भुगतान	1329.89	1548.07	1766.37	16.41	14.10
11	पूँजीगत व्यय (11.1+11.2)	4950.98	6852.95	5168.54	38.42	-24.58
11.1	आयोजनेतर पूँजीगत व्यय	1382.99	2361.68	383.46	70.77	-83.76
11.2	आयोजनागत पूँजीगत व्यय	3567.99	4491.27	4785.08	25.88	6.54
12	ऋण एवं अग्रिम	3310.86	686.50	719.04	-79.27	4.74
12.1	आयोजनेतर ऋण एवं अग्रिम	2774.65	378.44	269.27	-86.36	-28.85
12.2	आयोजनागत ऋण एवं अग्रिम	536.21	308.06	449.77	-44.55	46.00
13	कुल व्यय	23288.22	28909.35	28397.55	9.97	-1.77
13.1	आयोजनेतर व्यय (10.1+11.1+12.1)	19018.84	19303.83	17999.81	1.50	-6.76
13.2	आयोजनागत व्यय (10.2+11.2+12.2)	7269.38	9605.52	10397.74	32.14	8.25
14	राज़स्व घाटा (1-10)	1716.87	-25.49	970.22	-101.48	-3906.28
15	राजकोषीय घाटा (1+6-13)	-6491.77	-4768.90	-4873.67	-26.54	2.20
16	प्रारंभिक घाटा [1+6-(13-10.3.1)]	-2830.63	-1082.93	-728.64	-61.74	-32.72

परिशिष्ट 1.4

(संदर्भः कंडिका 1.2 एवं 1.7, पृष्ठ 5 एवं पृष्ठ 27)

31 मार्च 2007 को मध्य प्रदेश सरकार की संक्षिप्त वित्तीय स्थिति ।

(करोड़ रूपये में)

31.03.2006 को	देयताएं	31.3.2007 को
28483.94	**आंतरिक ऋण**	**31666.69**
10244.62	ब्याज सहित बाजार ऋण	11308.26
1.46	ब्याज रहित बाजार ऋण	1.13
6110.05	अन्य संस्थाओं से कर्ज (स्वाशासी निकाय)	6184.75
12127.81	केन्द्रीय सरकार की राष्ट्रीय बचत योजनाओं हेतु जारी प्रतिभूति	14172.55
8991.02	**केन्द्र सरकार से ऋण एवं अग्रिम**	**8679.70**
192.27	1984-85 से पूर्व के ऋण	1.88
243.85	आयोजनेतर ऋण	73.92
8405.68	राज्य आयोजनागत योजनाओं हेतु ऋण	8461.63
30.62	केन्द्रीय आयोजनागत योजनाओं हेतु ऋण	27.85
118.60	केन्द्र प्रवर्तित आयोजनागत योजनाओ हेतु ऋण	114.42
31.86	**आकस्मिकता निधि**	**100.00**
7489.40	**अल्पबचतें, भविष्य निधियां, आदि**	**7644.01**
2858.85	**जमाएं**	**3621.75**
1463.86	**आरक्षित निधियां**	**1885.86**
72.12	**उच्चँत तथा विविध**	**125.53**
49391.05		**53723.54**

टिप्पणीः मध्य प्रदेश राज्य के पुनर्गठन के निर्धारित दिवस अर्थात 1 नवम्बर 2000 के तत्काल पूर्व के संयुक्त मध्य प्रदेश राज्य के लोक ऋणो की छोड़कर परिसम्पत्तियों एवं देयताओं के बटवारे को अभी अंतिम रूप में दिया जाना है ।

31.03.2006 को	परिसम्पत्तियां	31.03.2007 को
33040.60	**स्थाई परिसम्पत्तियों पर सकल पूँजीगत परिव्यय**	**38201.34**
6965.99	कम्पनियों, निगमों आदि के शेयरो में निवेश	8161.71
26074.61	अन्य पूंजीगत परिव्यय	30039.63
3848.55	**ऋण एवं अग्रिम**	**4773.49**
1557.40	विद्युत परियोजनाओं हेतु ऋण	2211.33
2257.96	अन्य विकास ऋण	2531.79
33.19	सरकारी कर्मचारियों को ऋण एवं विविध ऋण	30.37
--	**आकस्मिकता निधि में विनियोजन**	**60.00**
9.01	**अग्रिम**	**9.13**
403.43	**प्रेषण शेष**	**380.43**
--	**उच्चन्त एवं विविध**	-- ,
827.87	**रोकड़**	**2409.77**
2.41	कोषालयो में रोकड़ एवं स्थानीय प्रेषण	2.64
41.67	रिजर्व बैंक में जमा	(-)334.42
19.13	स्थाई नगद अग्रदाय सहित विभागीय रोकड़ शेष	17.97
764.66	रोकड़ शेष, निवेश एवं उद्दिष्ट निधियों का निवेश	2723.58
11261.59	**सरकारी लेखे में घाटा**	**7889.38**
11273.44	(i) अग्रेनीत संचित घाटा	11261.59
(-)33.32	(ii) चालू वर्ष का राजस्व आधिक्य	(-)3331.67
--	(iii) **अंतर्राज्यीय निपटारा**	0.22
35.16	(iv) सरकारी लेखे में राशि का संदरण	--
(-)13.69	(v)वर्ष के दौरान छत्तीसगढ़ को प्रोफार्मा अन्तरण	(-)40.76
49391.05		**53723.54**

परिशिष्ट 1.5

(संदर्भः कंडिका 1.2 पृष्ठ 5)

वर्ष 2006-07 हेतु प्राप्तियों एवं संवितरणों का सारांश

(करोड़ रूपये में)

2005-06			2006-07	2005-06		2006-07		
						आयोजनेतर	आयोजना	योग
		भाग - कः राजस्व						
20596.79	I.	**राजस्व प्राप्तियाँ**	**25694.28**	**20563.47**	**I. राजस्व व्यय**	**16910.54**	**5452.07**	**22362.61**
9114.70		कर राजस्व	10473.13	**7593.11**	**सामान्य सेवाएं**	**8602.36**	(-)0.25	**8602.11**
				6658.34	**सामाजिक सेवाएं**	**4650.13**	**2926.35**	**7576.48**
2208.20		कर भिन्न राजस्व	2658.46	2905.76	शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति	2752.99	921.05	3674.04
				924.75	स्वास्थ्य परिवार कल्याण	768.85	241.26	1010.11
6341.35		संघ करों का राज्यांश	8088.54	555.88	जल आपूर्ति, स्वच्छता, आवास एवं नगरीय विकास	300.70	601.69	902.39
767.86		आयोजनेतर अनुदान	984.48	26.02	सूचना एवं प्रसारण	31.50	0.38	31.88
				1162.73	अनुसूचित जाति/अनुसूचित आदिम जाति/ अन्य पिछड़े वर्गो का कल्याण	154.63	572.83	727.46
1263.60		राज्य आयोजनागत योजनाओं हेतु अनुदान	1982.51	56.46	श्रम एवं श्रमकल्याण	43.65	25.98	69.63
				1015.99	सामाजिक कल्याण एवं पोषाहार	585.85	563.16	1149.01
901.08		केन्द्रीय और केन्द्र प्रवर्तित आयोजनागत योजनाओ हेतु अनुदान	1507.16	10.75	अन्य	11.96	-	11.96
				5194.70	**आर्थिक सेवाएं**	**2567.09**	**2313.08**	**4880.17**

2005-06			2006-07	2005-06		2006-07		
						आयोजनेतर	आयोजना	योग
				1285.22	कृषि एवं सम्बद्ध गतिविधियाँ	1030.22	608.21	1638.43
				1118.35	ग्रामीण विकास	137.92	1432.31	1570.23
				--	विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	--	--	--
				327.21	सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	252.34	88.17	340.51
				1983.47	ऊर्जा	595.91	86.53	682.44
				106.81	उद्योग एवं खनिज	78.41	81.43	159.84
				298.10	परिवहन	438.14	-	438.14
				40.32	विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण	1.42	6.08	7.50
				35.22	सामान्य आर्थिक सेवाएं	32.73	10.35	43.08
				1117.32	**सहायतानुदान एवं अंशदान**	**1090.96**	**212.89**	**1303.85**
--	II.	अनुभाग ख को अग्रेनित राजस्व घाटा		33.32	II- अनुभाग ख को अग्रेनीत राजस्व बचत	3331.67	-	3331.67
20596.79		**योग**	**25694.28**	**20596.79**	**योग**	**20242.21**	**5452.07**	**25694.28**
		भाग - ख						
259.84	III	स्थाई पेशगियां तथा रोकड़ शेष निवेश संहित प्रारंभिक शेष	827.87	--	III. भारतीय रिजर्व बैंक से प्रारम्भिक अधिविकर्ष	--	--	--
	IV	विविध पूँजीगत प्राप्तियां	9.19	6623.28	IV. पूंजीगत परिव्यय	314.54	4855.40	5169.94
				121.33	सामान्य सेवाएं	8.88	61.79	70.67
				635.18	सामाजिक सेवाएं	2.61	719.83	722.44
				42.02	शिक्षा, खेलकूद कला एंव संस्कृति	--	67.87	67.87
				64.35	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	0.66	134.44	135.10
				394.24	जल आपूर्ति स्वच्छता आवास एवं नगरीय विकास	--	345.30	345.30
				--	सूचना प्रसारण	--	--	--

130.28	अनुसूचित जाति /अनुसूचित आदिम जाति अन्य पिछड़ा वर्ग का कल्याण	--	165.43	165.43	
3.64	सामाजिक कल्याण एवं पोषाहार	1.95	6.06	8.01	
0.65	अन्य सामाजिक सेवाएं	--	0.73	0.73	
5866.77	**आर्थिक सेवाएं**	**303.05**	**4073.78**	**4376.83**	
37.65	कृषि एवं सम्बद्ध गतिविधियाँ	4.56	42.82	47.38	
385.76	ग्रामीण विकास	--	379.74	379.74	
1253.77	सिचाई एवं बाढ़ नियत्रंण	--	1390.38	1390.38	
3236.17	ऊर्जा	298.39	787.24	1085.63	
119.19	उद्योग एवं खनिज	0.09	208.06	208.15	
809.16	परिवहन	--	1217.97	1217.97	
25.07	सामान्य आर्थिक सेवाएं	0.01	47.57	47.58	

2005-06			2006-07	2005-06		2006-07
2851.98	V	ऋणो एवं अग्रिमो की वसूली	28.12	834.45	V संवितरित कर्जे एवं पेशगियां	953.07
2816.82		विद्युत परियोजना से	0.75	178.29	विद्युत परियोजना के लिए	654.68
0.08		सरकारी कर्मचारियों से	2.84	0.12	सरकारी कर्मचारियों को	0.03
35.08		अन्य से	24.53	656.04	अन्य को	298.36
--	VI	अन्तर्राज्यीय निपटारा	1.11	--	VI. अन्तर्राज्यीय निपटारा	1.33
33.32	VII	अग्रेनीत राजस्व बचत	3331.67	--	VII. अग्रेनीत राजस्व घाटा	--
5160.65	VIII	लोक ऋण प्राप्तियां	4602.97	953.96	VIII. लोक ऋण का पुनर्भुगतान	1731.53
4866.82		अर्थोपाय अग्रिमो एवं अधिविकर्षो के अलावा आंतरिक ऋण	4171.62	538.97	अर्थोपाय अग्रिमो तथा अधिविकर्ष को छोड़कर आंतरिक ऋण	988.87
293.83		केन्द्र सरकार से कर्जे एवं अग्रिमों	431.35	414.99	केन्द्र सरकार को ऋण एवं अग्रिमो का पुनर्भुगतान	742.66*
--	IX	आकस्मिकता निधि	68.15	8.14	IX. आकस्मिकता निधि में विनियोजन	60.00
29037.68	X	लोक लेखा प्राप्तियां	32225.38	28095.77	X. लोक लेखा संवितरण	30768.82
1329.68		अल्प बचत एवं भविष्य निधि	1419.33	1328.48	अल्प बचत एवं भविष्य निधि	1261.44
675.45		आरक्षित निधियां	819.17	429.13	आरक्षित निधियां	397.18
16559.13		उचंत एवं विविध	18954.61	16498.86	उचंत एवं विविध	18883.18
6317.03		प्रेषण	6596.27	6278.40	प्रेषण	6573.26
4156.39		जमा एवं अग्रिम	4436.00	3560.90	जमा एवं अग्रिम	3653.76
	XI	भारतीय रिजर्व बैंक से अंतिम अधिविकर्ष		827.87	XI वर्ष के अन्त में रोकड़ शेष	2409.77
				2.4	कोषालयो मे रोकड़ एवं स्थानीय प्रेषण	2.64
				41.67	रिजर्व बैंक में जमा	(-)334.42
				19.13	स्थायी नकद अग्रदाय सहित विभागीय रोकड़ शेष	17.97
				764.66	रोकड़ शेष निवेश एवं उद्दिष्ट निधियो का निवेश	2723.58
57940.26		योग	66788.74	57940.26	योग	66788.74

* *बारहवे वित्त आयोग की सिफारिश के अधीन राज्य सरकार को राज्य के लिये ऋण समेकन एवं राहत सुविधा लेखे के अर्न्तगत प्राप्त 726.12 करोड़ रूपये(363.06 करोड रूपये प्रत्येक वर्ष 2005-06 तथा 2006-07 के लिये) शामिल है ।*

परिशिष्ट 1.6

(संदर्भः कण्डिका 1.2 पृष्ठ 5)

निधियो के स्त्रोत एवं उपयोग

(करोड़ रूपये में)

2005-06		स्त्रोत	2006-07	
राशि	प्रतिशत		राशि	प्रतिशत
20596.79	72.28	राजस्व प्राप्तियां	25694.28	85.48
2851.98	10.01	ऋणो एवं अग्रिमों की वसूलियां	28.12	0.09
4206.69	14.76	लोक ऋण मे वृद्धि	2871.44	9.55
		आकस्मिकता निधि लेन देनो का निवल प्रभाव	8.15	0.03
941.92	2.95	लोक लेखे से प्राप्तियां	1456.56	4.85
1.20		क. अल्प बचतों मे वृद्धि	157.89	
595.49		ख. जमा एवं अग्रिमो में वृद्धि	782.24	
246.33		ग. आरक्षित निधियों में वृद्धि	421.99	
38.63		घ. प्रेषण लेन देनो का प्रभाव	23.01	
60.27		ड. उचन्त एवं विविध में वृद्धि	71.43	
28597.38		**योग**	**30,058.55**	
		उपयोग		
20563.47	72.16	राजस्व व्यय	22362.61	74.40
6623.28	23.24	निवल पूँजीगत व्यय	5160.75	17.17
834.45	2.93	विकास एक अन्य उद्देश्य हेतु उधार देना	953.07	3.17
8.15	0.03	आकस्मिकता निधि लेन देनो का निवल प्रभाव		
		अन्तर्राज्यीय निपटारे का निवल प्रभाव	0.22	
568.03	1.64	अन्तिम शेषकड़ शेष मे वृद्धि	1581.90	5.26
28597.38		**योग**	**30,058.55**	

विवरण पत्र I, II, III की व्याख्यात्मक टिप्पणीयां

1. उपरोक्त विवरण पत्रको में दर्शाये गये संक्षिप्त लेखे मे दी गई टिप्पणियों एवं स्पष्टीकरणो के साथ ही पढ़े जायें ।

2. सरकारी लेखे मुख्यतः नकद आधार पर होने के कारण परिशिष्ट 1 मे यथादर्शित सरकारी लेखे में घटा वाणिज्य लेखे में उपार्जित आधार के विपरीत शेकड़ आधार पर स्थिति का सूचक है, परिणामतः भुगतान योग्य अथवा प्राप्ति योग्य मदें या भण्डार के आँकड़ो इत्यादि में मूलह्रास अथवा भिन्नता जैसी मदें लेखे में नहीं दर्शायी गई हैं ।

3. उचंत एवं विविध शेषो में जारी किये गये परन्तु भुगतान नहीं किये गये चैक, राज्य की ओर से किये गये भुगतान तथा अंतर्विभागीय और सरकारों के मध्य भुगतान एवं अन्त लम्बित निपटारे आदि सम्मिलित हैं ।

4. " रिजर्व बैंक में निक्षेप" के अन्तर्गत लेखे में दर्शाये गये 334.42 करोड़ रूपये, आकलन तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सूचित 384.90 करोड़ रूपये (विकलन) के आकड़ों में 50.48 करोड़ रूपये (विकलन) का अन्तर था । मई 2007 का लेखा बंद करने के उपरान्त समाधान किया जाने वाला निवल अन्तर 4.68 करोड़ रूपये (विकलन) का था ।

परिशिष्ट 1.7

(संदर्भः कंडिका 1.5.5 पृष्ठ 26)

बकाया उपयोग प्रमाणपत्रो का विभागावार विवरण

(करोड़ रूपये में)

क्र.स.	संस्थाओं का नाम	संस्थाओं की संख्या	1997-2002		2002-03		2003-04		2004-05		2005-06		2006-07		योग	
			संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
1.	शिक्षण संस्थाएं	05	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	66	45.73	66	45.73
2.	नगर पालिका निगम एवं नगर पालिकाएं	01	--	--	--	--	--	--	--	--	338	467.73	338	557.85	676	1025.58
3.	जिला परिषद एवं अन्य पंचायती राज संस्थाएं	03	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	33	80.36	33	80.36
4.	विकास अभिकरण	01	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	48	1.95	48	1.95
5.	अस्पताल एवं अन्य धर्मार्थ संस्थाएं	03	--	--	--	---	--	--	--	---	--	--	6	6.33	6	6.33
6.	अन्य संस्थाएं	15	28	0.52	18	0.15	55	0.68	72	1.76	55	2.03	511	127.52	739	132.66
	योग	**28**	**28**	**0.52**	**18**	**0.15**	**55**	**0.68**	**72**	**1.76**	**393**	**469.76**	**1002**	**819.74**	**1568**	**1292.61**

परिशिष्ट 1.8

(संदर्भः कण्डिका 1.5.7 पृष्ठ 26)

स्वायत्त निकायों के निष्पादन का सार

क्र. सख्या	इकाई का नाम	लेखापरीक्षा की सुपर्दगी की प्रास्थिति	लेखापरीक्षा के लिए लेखो का प्रस्तुतीकरण	पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन जारी करना	राज्य विधायिका में पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के साथ लेखों को रखना
1.	मध्य प्रदेश गृह निर्माण मंडल भोपाल	2001-02 तक	2001-02	2000-01*	वर्ष 2000-01 के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन एवं लेखापरीक्षा प्रमाण पत्र के साथ लेखे प्रस्तुत नहीं किये गये हैं ।
2.	मध्य प्रदेश खादी एवं ग्राम उद्योग भोपाल	2009-10 (प्र.म.ले.के आदेश दिनांक 27.03.2007)	2005-06	2004-05*	मण्डल ने उत्तर दिया (जुलाई 07) कि लेखापरीक्षा प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षा प्रमाण पत्र लेखों के साथ विधानसभा के वर्तमान अधिवेशन में प्रस्तुत किये जायेगें ।
3.	मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग, भोपाल	मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 35(2) द्वारा सौंपा गया	2005-06	2005-06	वर्ष 2004-05 की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षा प्रमाण पत्र लेखों के साथ विधान सभा के समक्ष 3.11.2006 को प्रस्तुत किए गये तथा वर्ष 2005-06 के बारे में अभी भी प्रस्तुत किये जाने हैं ।

* अगले वर्ष का कार्य प्रगत्याधीन है ।

परिशिष्ट 1.9

(संदर्भः कंडिका 1.6. पृष्ठ 26)

दुर्विनियोग, व्यपहरण इत्यादि के विभागवार /वर्षवार विवरण

(करोड़ रूपये में)

क्र.सं.	मुख्य शीर्ष	विभाग का नाम	मार्च 2003 तक		2003-04		2004-05		2005-06		2006-07		सकल योग	
			प्रकरणो की संख्या	राशि	प्रकरणो की संख्या	राशि	प्रकरणो की संख्या	राशि	प्रकरणो की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	कुल राशि
1.	2210	चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य विभाग	62	93,48,287.39	--	--	--	--	--	--	01	27,022.00	63	93,75,309.39
2.	2245	प्राकृतिक आपदायें एवं सहायता	02	46,83,536.05	--	--	--	--	--	--	--	--	02	46,83,536.05
3.	2051	लोक सेवा आयोग	01	23,109.71	--	--	--	--	--	--	--	--	01	23,109.71
4.	2014	न्याय प्रशासन	07	6,92,086.61	--	--	--	--	--	--	02	1,27,963.00	09	8,20,049.00
5.	2054	कोषालय एवं लेखे, (वित्त विभाग)	10	33,03,481.95	--	--	--	--	--	--	--	--	10	33,03,481.95
6.	2029	भू अभिलेख	14	4,67,663.49	--	--	--	--	--	--	--	--	14	4,67,663.49
7.	2053	जिला प्रशासन	03	86,919.68	--	--	--	--	01	1,575.00	--	--	04	88,494.68
8.	2058	मुद्रण तथा लेखन सामग्री	01	66,739.00	--	--	--	--	--	--	--	--	01	66,739.00
9.	2211	परिवार कल्याण विभाग	19	7,10,570.11	--	--	--	--	--	--	--	--	19	7,10,570.11

10.	2403	पशु चिकित्सा सेवाएं	17	13,11,933.88	--	--	08	80,257.00	04	36,954.00	--	--	29	14,29,144.88
11.	2225	अनु.जाति /अनु.आदिम जाति अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण	48	22,99,064.81	--	--	--	--	--	--	--	--	48	22,99,064.81
12.	2030	मुद्रांक एवं पंजीयन	01	95,980.00	--	--	--	--	01	34,155.00	--	--	02	1,30,135.00
13.	2055	पुलिस	187	82,19,723.30	39	25,51,205.60	36	8,16,970.00	44	5,78,107.00	28	4,51,197.00	334	1,26,17,202.90
14.	2041	परिवहन	01	5,63,756.00	--	--	--	--	--	--	--	--	01	5,63,756.00
15.	2235	पंचायत तथा समाज कल्याण	07	5,59,650.15	--	--	01	1,59,412.00	--	--	--	--	08	7,19,062.15
16.	2235	महिला एवं बाल विकास	07	2,78,052.00	--	--	01	1,31,102.00	--	--	--	--	08	4,09,154.00
17.	2235	पुर्नवास विभाग	04	27,960.49	--	--	--	--	--	--	--	--	04	27,960.49
18.	2401	कृषि विभाग	18	6,05,446. 10	03	2,66,878.00	04	1,90,840.00	03	7,93,900.00	--	--	28	18,57,064.10
19.	2402	कृषि विभाग	07	1,81,325.25	1	3,500.00	--	--	01	40,487.00	--	--	09	2,25,312.25
20.	2851	ग्रामोद्योग	02	2,82,287.40	02	5,000.00	--	--		--	--	--	04	2,87,287.40
21.	2230	श्रम	06	7,30,427.00	03	43,905.00	01	16,652.00	01	4,800.00	--	--	11	7,95,784.00
22.	2039	राज्य उत्पाद कर	12	4,80,303.72	--	--	--	--		--	--	--	12	4,80,303.72
23.	2408	खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति	01	52,357.35	--	--	01	1,100.00	--	--	--	--	02	53,457.35
24.	2425	सहकारिता	02	1,11,774.00	--	--	--	--	--	--	--	--	02	1,11,774.00
25.	2202	स्कूल शिक्षा विभाग	116	48,81,814.39	03	8,53,444.35	--	--	10	17,41,981.00	07	3,68,047.47	136	78,45,287.21
26.	2202	उच्च शिक्षा विभाग	10	9,51,021.60	--	--	01	3,545.00	06	1,71,325.00	11	3,24,808.00	28	14,50,699.60

27.	2203	तकनीकी शिक्षा विभाग	03	2,23,651.00	2	6,61,464.00	02	95,531.00	03	1,96,753.50	08	15,79,627.00	18	27,57,026.50
28.	2205	कला एवं संस्कृति विभाग	01	13,12,117.70	--	--	01	25,000.00	--	--	--	--	02	13,37,117.70
29.	2501, 2505, 2515	ग्रामीण विकास विभाग	10	6,25,180.44	--	--	--	--	--	--	01	42,31,000.00	11	48,56,180.44
30.	2217	शहरी विकास विभाग	--	--	--	--	01	2,000.00	--	--	--	--	01	2,000.00
31.	2852	उद्योग	--	--	--	--	01	1,03,000.00	--	--	--	--	01	1,03,000.00
32.	2853	खान एवं खनिज	01	30,579.00	01	23,600.00	01	3,000.00	--	--	--	--	03	57,179.00
		योग	**580**	**4,32,06,799.57**	**54**	**44,08,996.95**	**59**	**16,28,409.00**	**74**	**36,00,037.50**	**58**	**71,09,664.47**	**825**	**5,99,53,906.88**

परिशिष्ट 1.10

(संदर्भः कंडिका 1.6.1 पृष्ठ 26)

हानियो आदि का अपलेखन

क्र संख्या	मुख्य शीर्ष	विभाग	प्रकरणों की संख्या	राशि (रुपये में)
01.	2040	विक्रय कर	01	85519.00
02.	2853	खानें एव खनिज	01	12300.00
03.	2055	पुलिस	17	291244.00
04.	2225	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण	01	100070.00
05.	2202	उच्च शिक्षा	07	9992447.00
06.	2203	तकनीकी शिक्षा	01	48831.00
07.	2501	ग्रामीण विकास	03	9369000.00
		योग	**30**	**18899411.00**

परिशिष्ट 1.11

(संदर्भः कण्डिका 1.2 एवं 1.7 पृष्ठ 5 एवं पृष्ठ 27)

राज्य सरकार की वित्तीय स्थिति के समयबद्ध आंकड़े

(करोड़ रूपये में)

	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07
1. राजस्व प्राप्तियां	**11211**	**13391**	**14289**	**19743**	**20597**	**25694**
(i) कर राजस्व	4679(42)	6165(46)	6789(48)	7773(39)	9115(44)	10473(41)
विक्रय, व्यापार आदि पर कर	2361(50)	2906(47)	3293(49)	3913(51)	4508(50)	5261(50)
राज्य आबकारी	705(15)	890(15)	1086(16)	1193(15)	1370(15)	1547(15)
मुद्रांक एवं पंजीयन शुल्क	445(10)	535(9)	614(9)	789(10)	1009(11)	1251(12)
वाहनो पर कर	393(8)	429(7)	455(6)	489(6)	556(6)	634(6)
अन्य कर	775(17)	1405(22)	1341(20)	1389(18)	1672(18)	1780(17)
(ii) कर भिन्न राजस्व	1602(14)	1635(12)	1480(10)	4462(23)	2208(11)	2658(10)
(iii) संघ करों एवं शुल्कों में राज्यांश	3439(31)	3729(28)	4247(30)	5077(26)	6341(31)	8089(31)
(iv) भारत सरकार से सहायता अनुदान	1491(13)	1862(14)	1773(12)	2431(12)	2933(14)	4474(17)
2. विविध पूंजीगत प्राप्तियां	--	--	--	--	--	**10***
3. कुल राजस्व एवं ऋणोत्तर पूंजीगत प्राप्तियां (1+2)	**11211**	**13391**	**14289**	**19743**	**20597**	**25704**
4. ऋणो एवं अग्रिमों की वसूली	**1588**	**43**	**36**	**53**	**2852**	**28**
5. लोक ऋण प्राप्तियां	**3281**	**4949**	**9938**	**8849**	**5161**	**4603**
आन्तरिक ऋण (अर्थोपाय-पेशगियाँ एवं अधिविकर्ष छोड़कर)	1830(56)	3169(64)	7949(80)	6968(79)	4867(94)	4172(91)
भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम[ध]	1451(44)	1780(36)	1722(17)	1881(21)	294(6)	431(9)
अर्थोपाय पेशगियों एवं अधिविकर्ष में निवल लेनदेन	--	--	267(3)	--	--	--
6. समेकित निधि में कुल प्राप्तियां (3+4+5)	**16080**	**18383**	**24263**	**28645**	**28610**	**30335**
7. आकस्मिकता निधि प्राप्तियां	--	--	--	1	--	68
8. लोक लेखा प्राप्तियां	**15013**	**20120**	**22285**	**24790**	**29038**	**32225**
9. सरकार की कुल प्राप्तियां (6+7+8)	**31093**	**38503**	**46548**	**53436**	**57648**	**62628**
10. राजस्व व्यय	**14369(87)**	**14560(83)**	**18765(87)**	**18026(69)**	**20563(73)**	**22363(79)**
आयोजनागत	2516(18)	3520(24)	2816(15)	3165(18)	4212(20)	5452(24)
योजनेतर	11853(82)	11040(76)	15949(85)	14861(82)	16351(80)	16911(76)
सामान्य सेवाएं (ब्याज भुगतानो सहित)	5049(35)	5445(37)	6574(35)	7468(41)	7593(37)	8602(38)
सामाजिक सेवाएं	4583(32)	5284(36)	5322(28)	5672(32)	6658(32)	7577(34)
आर्थिक सेवाएं	4364(30)	3425(24)	6278(34)	3969(22)	5195(25)	4880(22)
सहायता अनुदान एवं अशदान	373(3)	406(3)	591(3)	917(5)	1117(6)	1304(6)
11. पूंजीगत व्यय	**1471(9)**	**2455(14)**	**2679 (12)**	**4951(19)**	**6623(24)**	**5170(18)**
आयोजनागत	1466(100)	2449(100)	2673(100)	3568(72)	3700(56)	4855(94)
योजनेतर	05	6	6	1383(28)	2923(44)	315(6)
सामान्य सेवाएं	22(1)	36 (1)	36(1)	146(3)	121(2)	71(1)
सामाजिक सेवाएं	172(12)	536(22)	535(20)	432(9)	635(10)	722(14)
आर्थिक सेवाएं	1277(87)	1883(77)	2108(79)	4373(88)	5867(88)	4377(85)

ध : भारत सरकार से प्राप्त अर्थोपाय पेशगियां शामिल हैं ।

निरन्तर.....

परिशिष्ट 1.11 (जारी)

(करोड़ रूपये में)

	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07
12. कर्जो एवं पेशगियों का संवितरण	599(4)	481 (3)	204(1)	3311(12)	834 (3)	953(3)
12 क)अन्तर्राज्यीय निपटारा	5-	-	--	--	--	1
13. कुल व्यय (10+11+12)	16444	17496	21648	26288	28020	28486
14. लोक ऋण का पुर्नभुगतान	522	1494	2275	3391	954	1732
आन्तरिक ऋण अर्थोपाय पेशगियां एव अधिविकर्ष का छोड़ेकर	150	153	278	1147	539	989
अर्थोपाय पेशगियां एवं अधिविकर्ष के अधीन निवल लेन-देन	--	-	--	267	--	--
भारत सरकार से कर्जे एवं पेशगियां	372	1341	1997	1977	415	743**
15. आकस्मिकता निधि में विनियोजन	--	-	--	--	--	60
16. समेकित निधि से कुल संवितरण (13+14+15)	16966	18990	23923	29679	28974	30286
17. आकस्मिकता निधि से संवितरण	--	-	--	--	8	--
18 लोक लेखा संवितरण	13569	19935	22439	23591	28096	30769
19. सरकार द्वारा कुल संवितरण (16+17+18)	30535	38925	46362	53270	57078	61055
20. राजस्व घाटा (-) बचत (+)	(-)3158	(-)1169	(-)4476	(+)1717	(+) 34***	(+)3331
21. राजकोषीय घाटा (-) बचत (+) (3+4-13)	(-)3645	(-)4062	(-)7323	(-)6492	(-)4571	(-)2755
22. प्रारम्भिक घाटा (-) बचत (+) (21-23)	(-)1391	(-)1560	(-)4117	(-)2831	(-)1149	(+)1274
भाग - घ - अन्य आंकड़े						
23. ब्याज भुगतान (राजस्व व्यय में सम्मिलित)	2254	2502	3206	3661	3422	4029
24. राजस्व बकाया (कूर एवं कर भिन्न राजस्व प्राप्तियों का प्रतिशत)	204(3)	839 (11)	758 (9)	34 (0.28)	986 (8.71)	919(9)
25. स्थानीय निकाय आदि को वित्तीय सहायता	2304	525	3324	1143	2081	767
26 ली गई अर्थोपाय पेशगियां/ अधिविकर्ष (दिन)	117/172	103/176	200/60	127/00	--	--
27. अर्थोपाय पेशगियां/अधिविकर्ष पर ब्याज	11/5	11/7	13/4	4/00	--	--
28. सकल राज्य घरेलू उत्पाद	86792	86405	102267	108903(त)	117820(थ)	131091(क)
29. बकाया ऋण (वर्षांत)	22548	26487	30340	37525	44235	49173
30. बकाया गारन्टी (वर्षान्त)	472	585	974	2016	613	866
31. गारन्टी कृत अधिकतम राशि	9701	11572	12131	12507	12637	12424
32. अपूर्ण परियोजनाओं की संख्या	180	301	453	436	अप्राप्त	अप्राप्त
33. अपूर्ण परियोजना में अवरूद्ध पूंजी	5589	6459	7447	9031	अप्राप्त	अप्राप्त

* अन्तर्राज्यीय निपटारा के (एक करोड़ रूपये) शामिल है ।

** ऋण समेकन राहत निधि के अधीन ऋण राहत के 726.12 करोड़ रूपये शामिल है ।

*** वास्तविक राजस्व बचत 33.22 करोड़ रूपये है । ग्रामीण विद्युतीकरण निगम के अंतर्गत निवेश का राज्य सरकार द्वारा अनुदान में परिवर्तन के कारण राजस्व अधिशेष 814.78 करोड़ कम बताया गया है ।

($) राजस्व के कुछ प्रमुख शीर्षो के राजस्व संबंधी आंकड़ें

(थ) त्वरित अनुमान

(क) अग्रिम अनुमान

(त) अनन्तिम अनुमान मध्यप्रदेश के उत्तराधिकारी राज्य के लिये है ।

परिशिष्ट 1.12

(संदर्भः कंडिका 1.7.2.1 पृष्ठ 27)

अद्यतन वर्ष में जिसके लिये लेखाओ को अन्तिम रूप दिया गया, हानि में चल रहे सांविधिक निगमों, सरकारी कंपनियों की 31.07.2007 को वित्तीय स्थिति

क्र. स.	कंपनी निगम का नाम	वर्ष जहां तक लेखे प्रस्तुत किये गये	वर्ष के अन्त में निवेश की गई राशि (प्रदत्त पूंजी)				वर्ष के अन्त में 31 मार्च में संचित हानि (-)	सेक्टर
			राज्य	केन्द्र	अन्य	योग		
			(लाख रूपये में)					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
क	कम्पनियां							
1.	म.प्र.राज्य कृषि उद्योग विकास निगम मर्यादित, भोपाल	2003-04	209.50	120.00	-	329.50	256.21	कृषि एवं सहयोगी
2.	म.प्र. औद्योगिक केन्द्र विकास निगम (रीवा) मर्यादित, रीवा	2005-06	--	--	80.00	80.00	45.69	क्षेत्र विकास
3.	म.प्र. राज्य औद्योगिक विकास निगम मर्यादित, भोपाल	2004-05	8109.18	--	-	8109.18	63405.06	वित्त
4.	म.प्र. पर्यटन विकास निगम मर्यादित भोपाल	2003-04	2497.29	--	--	2497.29	1255.63	पर्यटन
5.	म.प्र. पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित भोपाल	2005-06	53300.00	--	--	53300.00	20042.46	ऊर्जा
6.	म.प्र. मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित भोपाल	2005-06	35071.00	--	--	35071.00	30460.46	ऊर्जा
7.	विशेष आर्थिक क्षेत्र इंदौर मर्यादित इन्दौर	2003-04	1497.40	--	--	1497.40	115.06	क्षेत्र विकास

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
ख	**बंद कंपनियाँ**							
1.	ऑप्टेल टेलीकम्यूनिकेशन लिमिटेड, भोपाल	2004-05	--	--	1500 896.71 (निजी शेयर धारक)	2396.71	11238.95	इलेक्ट्रॉनिक्स
2	म.प्र. राज्य उद्योग निगम मर्यादित भोपाल	2003-04	1511.67	--	--	1511.67	5119.52	उद्योग
3	म.प्र. राज्य वस्त्रोद्योग निगम मर्यादित भोपाल	2004-05	685.95	--	--	685.95	9528.80	वस्त्र उद्योग
4	म.प्र.राज्य सेतु निर्माण निगम मर्यादित भोपाल	1989-90	500	--	--	500.00	205.04	निर्माण
ग	**619 (ब) कंपनियां**							
1.	म.प्र.विद्युत यंत्र निगम मर्यादित भोपाल	1989-90	126.00	24.00	--	150.00	377.52	ऊर्जा
घ	**सांविधिक निगम**							
1.	म.प्र. राज्य विद्युत मण्डल, जबलपुर	2004-05	16961.71	--	--	16961.71	94924.74	
2.	म.प्र. सड़क परिवहन निगम	2004-05	14140.34	4096.38	--	18236.72	78123.71	
3.	म.प्र. वित्त निगम	2005-06	6253.91	--	2554.45	8808.36	22707.59	
	योग		**140863.95**	**4240.38**	**5031.16**	**150135.49**	**337806.44**	

परिशिष्ट 2.1

(संदर्भः कंडिका 2.3.1, पृष्ठ 48)

प्रकरण जिनमें केन्द्रीय योजनाओं के अंतर्गत सम्पूर्ण बजट प्रावधान अप्रयुक्त रहा

(करोड रूपये में)

क्र.स.	अनुदान संख्या एवं नाम	लेखाशीर्ष	अप्रयुक्त बजट प्रावधान
(1)	(2)	(3)	(4)
	क-केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं		
1	23- जल संसाधन विभाग	4700-80-800-0701-9243 सोन नदी पर आतंरिक जल परिवहन प्रबन्ध	3.73
2	40- जल संसाधन विभाग से संबधित व्यय-कमान क्षेत्र विकास	4705-203-0701-6852-प्रणाली की कमियों में सुधार	3.40
3	40- जल संसाधन विभाग से संबधित व्यय-कमान क्षेत्र विकास	4705-202-0701-6852-प्रणाली की कमियों में सुधार	1.50
4	44- उच्च शिक्षा	2202-03-102-0701-7319- महर्षि पाणिनी संस्कृत विश्व विद्यालय उज्जैन	6.47
5	55- महिला एवं बाल विकास	4235-02-102-0701-5360-आंगन बाडी केन्द्रो के लिये भवनो के निर्माण (विदेशी सहायता प्राप्त)	18.06
6	64- अनुसूचित जातियों के लिये विशेषांश योजना	55 - अनुसूचित जाति कल्याण विभाग 4225-01-789-277-703-5220- महाविद्यालय के छात्रावास	1.23
7	80-त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थानों को वित्तीय सहायता	2515-101-0701-7100-पंचायत अधिकारियों को प्रशिक्षण	2.65
8	82- उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंसकरण	2401-119-0701-1580- मैक्रो मैनेजमेंट स्कीम	3.00
		योग - क	**40.04**
	ख - केन्द्रीय क्षेत्र योजनाएं		
9	11- वाणिज्य, उद्योग तथा रोजगार	4875-60-800-0801-705- औद्योगिक क्षेत्र संस्थानों में विकास एवं निर्माण कार्य	2.70
10	15- अनुसूचित जातियों के लिये विशेषांश योजना के अधीन त्रिस्तरीय पंचायती राज सस्थाओं को वित्तीय सहायता	22-पंचायत 2515 -789-800-0803-7886- मध्यान भोजन सामग्री का परिवहन	29.62
11.	15- अनुसूचित जातियों के लिये विशेषांश योजना के अधीन त्रिस्तरीय पचायती राज सस्थाओं को वित्तीय सहायता	58- ग्रामीण विकास 2501 01 789-101-0803-9249-बैक वर्ड रीजन ग्राण्ड फण्ड स्कीम	57.00
12.	19-लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	3606-237-0801-2498- परम्परागत गर्भ निरोधको की आपूर्ति	10.00
13	19-लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	3606-237-0801-4245- मलेरिया	10.00
4.	19-लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	3606-237-0801-6106 सार्वभौम प्रशिक्षण	15.00

(1)	(2)	(3)	(4)
15.	52- जन जाति क्षेत्र उपयोजना के लिये वित्तीय सहायता -त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाएं	58-ग्रामीण विकास 2501-01-796-101-0802-9249-बैकवर्ड रीजन ग्राण्ड फण्ड स्कीम	75.00
16.	55-महिला एवं बाल विकास	2235-02-102-0801-5355 एकीकृत बाल विकास कार्यक्रम के अधीन आंगन बाड़ी कार्यकत्ताओं को प्रशिक्षण (विदेशी सहायता प्राप्त परियोजना)	8.79
17.	55- महिला एवं बाल विकास	4235-02-102-0801-5355 सी.डी पी.ओ.आफिस सह गोदाम का निर्माण (विदेशी सहायता प्राप्त)	6.28
18.	66-पिछड़े वर्गो का कल्याण	2225-03-277-0801-2676- मैट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ति	4.50
		योग - ख	**218.89**
	ग- निगम प्रवर्तित योजना		
19.	21- गृहनिर्माण तथा पर्यावरण	6217-02-800-0900-5244-शहरी विकास मंत्रालय द्वारा काउण्टर मैगनेट योजना के अधीन सहायता	12.00
		योग -स	**12.00**
		महायोग (क + ख + ग)	**270.93**

परिशिष्ट 2.2

(संदर्भः कण्डिका 2.3.1 पृष्ठ 48)

योजनाओं के अन्तर्गत सारभूत अधिक्यों वाले प्रकरण

(करोड़ रूपए में)

क्र.सं.	अनुदान / विनियोग की संख्या एवं नाम	योजना का नाम	आधिक्य की राशि	आधिक्य का प्रतिशत
1	2	3	4	5
	क - राजस्व दत्तमत			
1	06 वित्त	2071-01-101-6854 अंशदायी पेन्शन योजना	5.55	555.0
2	06 वित्त	2075-797-6857 गारंटी रिडम्बशन फण्ड मे अन्तरण	102.80	10280.0
3	27 स्कूल शिक्षा प्राथमिक शिक्षा	2202-01-108-0101-2267 अध्ययन सामग्री का निशुल्क प्रदाय	14.00	280.0
4	58 प्राकृतिक आपदा तथा अभाव ग्रस्तता के कारण राहत पर व्यय	2245-02-101-747 ओला पीड़ित व्यक्तियों को राहत	40.00	160.0
5	67-लोक निर्माण-भवन	2059-80-799-1051 स्टॉक	23.45	2345.0
6	67-लोक निर्माण-भवन	2059-80-799-4056 विविध लोक निर्माण अग्रिम	16.24	1624.0
		योग (क)	**202.04**	
	ख- राजस्व प्रभारित			
7	*ब्याज, भुगतान एवं ऋण सेवा*	*2049-01-101-6767-5.85 % म.प्र.राज्य विकास ऋण 2015*	*46.80*	*363.6*
8	*ब्याज भुगतान एवं ऋण सेवा*	*2049-01-101-9483-14 % म.प्र. राज्य विकास ऋण 2005*	*7.09*	*35450.0*
9	*ब्याज भुगतान एवं ऋण सेवा*	*2049-01-200-6848 निगम/मण्डल के वैयक्तिक जमा लेखाओं पर ब्याज*	*17.44*	*1744.0*
		योग (ख)	***71.33***	
	ग - पूंजीगत दत्तमत			
10	12- ऊर्जा	4801-02-190-0410-9250 सतपुड़ा ताप विद्युत विस्तार इकाई	6.00	∪/
11	12- ऊर्जा	4801-02-190-0410-9292 मालवा ताप विद्युत परियोजना के लिये निवेश	40.00	∪/
12	12-ऊर्जा	4801-05-190-0101-9203 म.प्र. पावर ट्रेडिंग कम्पनी मर्यादित की अंश पूंजी मे निवेश	20.00	∪/
13.	21- आवास तथा पर्यावरण	4217-01-052-0101-1021 क्षेत्र आदि का सौन्दर्यीकरण	5.82	582.0
14.	24- लोकनिर्माण सड़के एव पुल	5054-04-800-0101-1513 जिले की मुख्य सड़को का निर्माण	12.23	116.5
15.	24- लोकनिर्माण सड़कें एवं पुल	5054-04-800-0107-7068 सर्वेक्षण कार्य	12 63	2296.4
16.	41- जनजाति क्षेत्र उपयोजना	4702-796-800-0102-3828- लघु सिचाई योजना	22 50	135.8
17.	48-नर्मदा घाटी विकास	4700-43-800-0101-7444 गार लेडिंग स्कीम	6 56	124.0
18.	48-नर्मदा घाटी विकास	4700-80-800-0101-6399 इन्दिरा सागर परियोजना (इकाई-I)	6 72	105.5
19.	64-अनुसूचित जातियों के लिये	5054-03-789-337-1203-7085 सड़क निर्माण कार्य (ए.डी.बी.)	35 01	169.5
		योग (ग)	**167.47**	

	घ- पूंजीगत-प्रभारित			
20.	लोक ऋण	6003-106-6961 पावर बाण्ड-1 मांटेक सिंह अहलूवालिया समिति द्वारा अनुशंसित ऋण	133.19	100.0
21.	24-लोकनिर्माण-सड़कें एवं पुल	5054-80-800-0101-3115 भूमि अर्जन का भुगतान	5.72	5.72
		योग (घ)	**138.91**	
		महायोग (क + ख + ग+ घ)	**579.75**	

घ- सांकेतिक प्रावधान के विरूद्ध आधिक्य

परिशिष्ट 2.3

(संदर्भःकंडिका 2.3.1 पृष्ठ 48)

योजनाओं के अंतर्गत सारभूत बचतों वाले प्रकरण

(करोड़ रूपए में)

क्र.सं	अनुदान/विनियोग की संख्या एवं नाम	योजना का नाम	बचतों की राशि	बचतों का प्रतिशत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	क- राजस्व दत्तमत			
1	06- वित	2070-800-0101-224 अन्य व्यय	440.00	100.0
2	07- वाणिज्यिक कर	2030-01-001-0101-8808 सूचना प्रौद्योगिकी से सम्बन्धित कार्य	10.36	99.6
3	07- वाणिज्यिक कर	2039-800-4034-विभागीय मादिशालय चलाना	7.54	98.2
4	08- भू-राजस्व तथा जिला प्रशासन	2029-103-0101-5045 केडस्ट्रल सर्वे नक्शों का डिजीटाइजेशन	10.50	100.0
5	08- भू-राजस्व तथा जिला प्रशासन	2029-103-0801-5917 भू अभिलेखो की कम्पयूट्रीकरण का विस्तार	7.93	87.4
6	10-वन	2406-01-102-0101-6699 वन विकास उपकर निधि से व्यय	11.25	100.0
7	14-पशु पालन	2403-101-2549- पशु चिकित्सालय	5.98	100.0
8	15- अनुसूचित जातियों के लिए विशेषांश योजना के अधीन त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं का वित्तीय सहायता	22-पंचायत 2515-789-800-803-7886 मध्यान भोजन सामग्री का परिवहन	29.62	100.0
9	15- अनुसूचित जातियों के लिए विशेषांश योजना के अधीन त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को आर्थिक सहायता	58-ग्रामीण विकास विभाग 2501--01-789-101-0803-9249-बैकवर्ड रीजन ग्राण्ड फण्ड स्कीम	57.00	100.0
10	19-लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	2210-01-110-0101-1491 जिला अस्पतालों में ब्लड बैंक चिकित्सा तथा स्वास्थ्य सेवाओं का सुदृड़ीकरण तथा सुधार	8.73	84.3
11	19-लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	3606-237-0801-2498-परम्परागत गर्भ निरोधकों की आपूर्ति	10.00	100.0
12	19-लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	3606-237-0801-4245-मलेरिया	10.00	100.0
13	19-लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	3606-237-0801-6106-यूनिवर्सल इम्यूनाईजेशन	15.00	100.0
14	20- लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	2215-01-191-0101-7446-भोपाल नगर के लिये नर्मदा जल आवर्धन योजना	10.50	100.0
15	23-जल संसाधन विभाग	2701-80-001-815 कार्यपालन स्थापना	5.16	100.0

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
16	29-विधि तथा विधायी कार्य	2015-105-4311-संसद के चुनावों का संचालन करने हेतु प्रभार	9.87	85.5
17	29- विधि एंव विधायी कार्य	2015-108-9503- मतदाता के लिये फोटो परिचय पत्र जारी करना	9.52	88.6
18	39-खाद्य नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण	2408-01-102-3248- खाद्यान्न की अधिप्राप्ति के लिये म.प्र. राज्य सहकारी विपणन संघ की हानियो की क्षतिपूर्ति	7.26	90.8
19	41-जनजाति क्षेत्र उपयोजना	14 कृषि विभाग 2401-796-110-0102 -8792-राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना	9.27	100.0
20	41-जनजाति क्षेत्र उपयोजना	17-लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग 2210-01-796-110-0102-8798 अस्पतालों का उन्नयन	6.58	88.8
21	44-उच्च शिक्षा	2202-03-102-0701-7319 महर्षि पाणिनी संस्कृत विश्वविद्यालय उज्जैन	6.47	100.0
22	45-लघु सिंचाई कार्य	2702-80-800-5422-बांध सुरक्षा कार्य	8.12	81.2
23	48 नर्मदा घाटी विकास	2801-01-001-0101-6818-सरदार सरोवर परियोजना म.प्र. विद्युत मण्डल हेतु विक्रय, परिचालन तथा संधारण व्यय	14.92	99.5
24	52-जनजाति क्षेत्र उपयोजना हेतु आर्थिक सहायता-त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाए	58- ग्रामीण विकास 2501-01--796-101-0802-9249- बैकवर्ड रीजन ग्राण्ड फण्ड स्कीम	75.00	100.0
25	55- महिला एवं बाल विकास	2235-02-102-0801-5354-एकीकृत सेवा योजना (विदेशी सहायता प्राप्त योजना)	95.69	99.9
26	55 महिला एवं बाल विकास	2235-02-102-0801-5355-एकीकृत बाल विकास कार्यक्रम के अधीन आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण (विदेशी सहायता प्राप्त परियोजना)	8.79	100.0
27.	55 महिला एंव बाल विकास	2235-02-103-0801-8687-बालिका समृद्धि योजना	5.03	83.8
28	64-अनुसूचित जातियों के लिए विशेषांश योजना	2401-789-110-8792-राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना	18.68	100.0
29	64-अनुसूचित जातियों के लिए विशेषांश योजना	2210-01-789-110-0103-8798-अस्पतालों का उन्नयन	5.43	92.7
30	64-अनुसूचित जातियों के लिये विशेषांश योजना	2225-01-789-800-0103-7560 विशेषांश योजना हेतु एकमुश्त प्रावधान	15.03	96.8
31	67- लोकनिर्माण -भवन	2059-80-001-2418-निष्पादन	12.96	100.0

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
32	68- जनजाति क्षेत्र उपयोजना हेतु आर्थिक सहायता-शहरी निकाय	2217-05-796-800-0102-6982-एकीकृत शहरी एवं गन्दी बस्ती विकास कार्यक्रम	6.88	83.9
33	78-नर्मदा घाटी विकास से सम्बन्धित नाबार्ड सहायता प्राप्त परियोजना	2405-109-0102-3313-मछली पालन विकास	7.23	100.0
34	81-शहरी निकायों को आर्थिक सहायता	2202-02-103-2669-ग्रामीण तथा शहरी निकायों के लिये अनुरक्षण अनुदान	5.00	100.0
		योग (क)	**967.30**	
	ख - राजस्व प्रभारित			
35	ब्याज भुगतान एवं ऋण सेवा	2049-01-101-7887-5.85 % म.प्र. राज्य विकास ऋण -2017	46.80	100
36	ब्याज भुगतान एवं ऋण सेवा	2049-01-101-6763- न्यू मार्कीट ऋण	109.62	88.0
37	ब्याज भुगतान एवं ऋण सेवा	2049-01-200-3089- नकद शेष में कमी की पूर्ति के लिये अर्थोपाय अग्रिमों तथा भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त अग्रिमो पर ब्याज	20.00	100.0
38	ब्याज भुगतान एवं ऋण सेवा	2049-01-200-6973-स्थानीय निधि जमा खाते पर ब्याज	6.00	100.0
39	ब्याज भुगतान एवं ऋण सेवा	2049-03-104-807- कार्मिक अंशदायी भविष्य निधियों पर ब्याज	6.45	91.8
		योग (ख)	**188.87**	
	ग- पूंजीगत - दत्तमत			
40	01 - सामान्य प्रशासन	4059-01-051-0101-6925-नई दिल्ली में प्रस्तावित मध्यांचल भवन का निर्माण	7.45	100.0
41	03 - पुलिस	4055-211-2643-पुलिस बल का आधुनिकीकरण	68.12.	88.5
42	06 - वित्त	6075-800-6788-सरकारी उपक्रमो तथा अधीनस्थ संस्थाओं द्वारा जारी एस.एल.आर बॉडों के समाशोधन हेतु प्रावधान	5.00	100.0
43	08 - भूराजस्व तथा जिला प्रशासन	6401-800-862- कृषि ऋण अधिनियम	5.69	94.8
44.	11 - वाणिज्य, उद्योग तथा रोजगार	4875-60-800-0101-6984 ऑटोमोबाइल टेस्टिंग ट्रेक हेतु भूमि अधिग्रहण	6.00	100.0
45	12- ऊर्जा	6801-800-0101-6869- राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना	30.00	100.0

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
46	12- ऊर्जा	6801-800-0410-2967- विद्युत मण्डल को अन्य ऋण	176.19	100.0
47	20 - लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	6215-01-101-0101-7446- भोपाल नगर के लिये नर्मदा जल आवर्धन योजना	24.50	100.0
48	21 - आवास एवं पर्यावरण	6217-02-800-0900-5244- शहरी विकास मँत्रालय द्वारा काउंटर मैगनेट सिटी के अधीन सहायता	12.00	100.0
49	22 - शहरी प्रशासन तथा विकास - शहरी निकाय	4217-60-051-1201-7905-नगर पालिका निगमें में आधारभूत सुविधाओं का विकास	17.06	93.2
50	22 - शहरी प्रशासन तथा विकास - शहरी निकाय	6217-01-800-1201-7986- राजधानी में आधारभूत सुविधाओं का विकास	28.16	80.5
51.	22 - शहरी प्रशासन तथा विकास - शहरी निकाय	6217-60-800-1201-7905- नगर पालिका निगमों में आधारभूत सुविधाओं का विकास	133.63	92.9
52.	23 - जल संसाधन विभाग	4700-80-001-0101-2304- निर्देशन एवं प्रशासन	6.60	100.0
53.	23 - जल संसाधन विभाग	4701-80-001-0101-2304-- निर्देशन एवं प्रशासन	19.21	100.0
54.	41- जनजाति क्षेत्र उप योजना	25 जनजाति कल्याण विभाग- 4225-02-796-277-0102-6859 - शैक्षणिक संस्थाओं हेतु भवनों का निर्माण (नाबार्ड)	6.93	100.0
55	41- जनजाति क्षेत्र उप योजना	27- नर्मदा घाटी विकास विभाग 4700-66-796-800-0102-5091- लोअर गोई प्रोजेक्ट	10.51	97.6
56	41- जनजाति क्षेत्र उप योजना	27- नर्मदा घाटी विकास विभाग 4701-46-796-800-0102-8822 अपर नर्मदा प्रोजेक्ट	7.80	97.5
57	41- जनजाति क्षेत्र उप योजना	31- जल संसाधन विभाग 4702-796-800-0102-9205- जलाभिषेक योजना	6.00	100.0
58	41- जनजाति क्षेत्र उप योजना	34- लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी - 4215-01-796-102-0702-9489 राज्य में फ्लोरोसिस नियन्त्रण कार्यक्रम	26.90	85.6
59.	45 - लघु सिंचाई कार्य	4702-101-0101-6708- ए.आई.बी.पी. योजना	10.00	100.0
60	45 - लघु सिंचाई कार्य	4702-800-0101-2304 निर्देशन एवं प्रशासन	25.48	100.0
61	48 - नर्मदा घाटी विकास	4700-80-800-0101-6398- पुनर्वास उत्सिंचन योजना	9.90	99.0
62	48 - नर्मदा घाटी विकास	4801-80-800-0101-6913- सरदार सरोवर परियोजना (डूब वाला) स्पेशल लिबरल पैकेज	300.35	99.3

63	53 - अनुसूचित जातियों के लिये विशेषांश योजना के अन्तर्गत आर्थिक सहायता	6217-60-789-800-1203-7905- नगर पालिका निगमों में आधारभूत सुविधाओं का विकास	13.90	85.3
64	55 - महिला एवं बाल विकास	4205-02-102-0701-5360- आंगन बाड़ी केन्द्रों के लिये भवनो का निर्माण (विदेशी सहायता प्राप्त)	18.06	100.0
65	55 - महिला एवं बाल विकास	4235-02-102-0801-5357- सी.डी.पी.ओ. ऑफिस कम गोडाउन का निर्माण (विदेशी सहायता प्राप्त)	6.28	100.0
66	57-जल संसाधन विभाग से सम्बन्धित विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं	4700-64-001-1201-6825-सर्विस प्रोवाइडिंग इरीगेशन एण्ड वाटर ड्रेनेज इन्स्टीट्यूट-जल संसाधन विभाग	24.53	96.3
67	57-जल संसाधन विभाग से सम्बन्धित विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं	4700-64-001-1201-6826- पांच बेसिनो की पूर्व निर्मित सिचांई योजनाओं की उत्पादकता में सुधार	5.25	94.8
68	57-जल संसाधन विभाग से सम्बन्धित विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं	4700-64-001-1201-6827- पांच बेसिनो की पूर्व निर्मित सिचांई योजनाओं की उत्पादकता में सुधार	5.56	93.0
69	57-जल संसाधन विभाग से सम्बन्धित विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं	4700-64-001-1201-6831- पांच बेसिनो की पूर्व निर्मित सिचांई योजनाओं की उत्पादकता में सुधार	6.72	80.6
70	57-जल संसाधन विभाग से सम्बन्धित विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं	4700-64-052-1201-6825- सर्विस प्रोवाइडिंग इरीगेशन एण्ड वाटर ड्रेनेज इन्स्टीटयूशन जल संसाधन विभाग	9.07	93.8
71	57-जल संसाधन विभाग से सम्बन्धित विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं	4700-64-800-1201-6822- वाटर रिसोर्स मैनेजमेन्ट इन्स्टीटयूट एण्ड सोर्सेज एस.डब्ल्यू. ए. आर. ए.	7.16	93.5
72	64 - अनुसूचित जातियों के लिये विशेषांश योजनाएं	05- जेल विभाग, 4059-01-789-051-0103-9227- जेलो के सुधार हेतु योजनाए	8.38	86.1
73	64 - अनुसूचित जातियों के लिये विशेषांश योजनाएं	19- लोकनिर्माण विभाग,-5054-04-789-337-0103-7085- सड़क निर्माण कार्य (ए.डी.बी)	35.00	100.0
74	64 - अनुसूचित जातियों के लिये विशेषांश योजनाएं	34- लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी- 4215-01-789-102-0703-9207- भारी पानी प्रभावित ग्रामों के लिये पेय जल आपूर्ति प्रबंध	10.31	93.4
75	64 - अनुसूचित जातियों के लिये विशेषांश योजनाएं	34- लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी- 4215-01-789-102-0703-9489 राज्य में फ्लोरोसिस नियन्त्रण कार्यक्रम	18.64	93.2
76	67 - लोकनिर्माण -भवन	4059-01-051-0101-7094- जेल सुधारो को योजना के अधीन निर्माण कार्य	42.69	96.2
77	70 - तकनीकी शिक्षा तथा प्रशिक्षण विभाग से सम्बन्धित विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं	6202-02-105-1201-5424- इंजीनीयरिंग कॉलेजों को विश्व बैंक सहायता प्राप्त तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता	9.94	94.3

		सुधार कार्यक्रम ऋण		
78	75 - जल संसाधन विभाग से सम्बन्धित नाबार्ड सहायता प्राप्त परियोजनाएं	4702-101-0101-2304- निर्देशन एवं प्रशासन	14.92	100.0
		योग (ग)	**1179.89**	
	घ - पूंजीगत प्रभारित			
79	*लोक ऋण*	*6003-110-637-अर्थोपाय अग्रिम*	*2500.00*	*100.0*
80	*लोक ऋण*	*6003-110-779 कमी की पूर्ति के लिए अग्रिम*	*2500.00*	*100.0*
		योग (घ)	***5,000.00***	
		महायोग (क + ख + ग + घ)	**7336.06**	

परिशिष्ट 2.4

(संदर्भः कंडिका 2.3.2. पृष्ठ 48)

सतत बचतों के प्रकरण

(करोड़ रूपये मे)

स.क.	अनुदान/विनियोग की संख्या और नाम	बचत की राशि (कोष्टकों में बचत का प्रतिशत)		
		2004-05	2005-06	2006-07
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	क- राजस्व दत्तमत			
1	22- शहरी प्रशासन तथा विकास-शहरी निकाय	1.24 (30.0)	4.04 (30.9)	10.95 (52.5)
2	25 - खनिज स्रोत	2.59 (24.9)	2.88 (26.2)	2.35 (20.6)
3	29 - विधि एवं विधायी कार्य	79.24(35.5)	63.50 (33.5)	60.00(28.6)
4	31 - योजना, आर्थिकी तथा सांख्यिकी	8.78(33.8)	7.32 (28)	7.34 (25.9)
5	48 - नर्मदा घाटी विकास	7.03(63.7)	538 .57 (99.6)	19.86 (78.4)
6	55 - महिला एवं बाल विकास	102.36 (30.7)	140.50 (37.9)	181.88 (37.8)
7	71 - बायोडीवर्सिटी एण्ड बायोटेक्नोलॉजी	1.39(63.2)	3.37 (69.1)	2.22 (57.2)
8	74 - वित्त् विभाग से सम्बन्धित विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं	5.00 (100)	2.00 (100)	2.00 (100)
9	78 - नर्मदा घाटी विकास से सम्बन्धित व नाबार्ड सहायता प्राप्त परियोजनाएं	5.85 (100)	5.85 (100)	7.60 (100)
	ख - राजस्व प्रभारित			
10	06 - वित्त	2.18 (82.3)	2.56 (91.8)	3.09 (30.8)
	ग - पूंजीगत दत्तमत			
11	17 - सहकारिता	18.30(45.5)	15.67 (34.3)	8.17 (22.9)
12	21 - आवास एवं पर्यावरण	15.00 (25.1)	32.31 (52.1)	19.00 (26.3)
13	45 - लघु सिंचाई कार्य	20.02(52.4)	24.14 (30.5)	36.86 (35.1)
14	55 - महिला एवं बाल विकास	11.46(46.6)	23.74 (96)	24.54 (94.4)
15	67 - लोकनिर्माण - भवन	32.14 (46.1)	35.38 (44.7)	46.67 (58.6)
16	70* - तकनीकी शिक्षा तथा प्रशिक्षण विभाग से सम्बन्धित विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं	3.24 (48.7)	4.67 (46.4)	10.89 (94.9)
	घ - पूँजीगत प्रभारित			
17	*लोक ऋण*	*6015.13 (51.7)*	*7577.46 (88.8)*	*4463.47 (72.0)*

* 2004-05 तथा 2005-06 में अनुदान संख्या 87 थी ।

परिशिष्ट 2.5

(संदर्भः कंडिका 2.3.6 पृष्ठ 50)

प्रकरण जिनमें अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ ।

(करोड़ रूपये में)

क्र.स.	अनुदान की संख्या एवं नाम विनियोग	मूल अनुदान / विनियोग	अनुपूरक अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	बचत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	क - राजस्व-दत्तमत				
1.	01 - सामान्य प्रशासन	89.06	8.03	84.11	12.98
2.	02 - सामान्य प्रशासन विभाग से सम्बन्धित अन्य व्यय	18.36	0.58	12.14	6.80
3.	03 - पुलिस	1011.17	79.72	989.05	101.84
4.	06 -वित्त	2262.67	0.07	1896.56	366.18
5.	07 - वाणिज्यिक कर	453.71	43.68	407.73	89.66
6.	08 - भू-राजस्व तथा जिला प्रशासन	365.37	13.78	307.04	72.11
7	09 - राजस्व विभाग से सम्बन्धित व्यय	24.44	0.89	21.46	3.87
8.	10 - वन	562.57	59.36	539.56	82.37
9.	11 - वाणिज्य, उद्योग तथा रोजगार	63.94	4.23	57.92	10.25
10.	13 - कृषि	262.90	23.01	234.64	51.27
11.	14 - पशु पालन	171.96	15.02	160.62	26.36
12.	15 - अनुसूचित जातियों के लिये विशेषांश योजना के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	365.81	155.92	365.45	156.28
13	16 - मछली पालन	15.13	0.10	12.01	3.22
14.	19 - लोक स्वास्थ एवं परिवार कल्याण	720.67	0.96	640.33	81.30
15	20 - लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	222.86	2.00	192.10	32.76
16.	22 - शहरी प्रशासन तथा विकास शहरी निकाय	17.31	3.54	9.90	10.95
17.	23 - जल संसाधन विभाग	311.48	6.05	288.41	29.12
18.	25 - खनिज संसाधन	10.91	0.47	9.03	2.35
19.	28 - राज्य विधान मण्डल	25.59	0.76	22.21	4.14
20.	29 - विधि तथा विधायी कार्य	190.28	19.48	149.77	59.99
21.	33 - जनजाति कल्याण	441.19	12.15	435.48	17.86
22.	40 - जल संसाधन विभाग के सम्बन्धित व्यय-कमान क्षेत्र विकास	1.79	0.05	0.84	1.00
23.	44 - उच्च शिक्षा	331.38	7.13	303.36	35.15
24	45 - लघु सिंचाई कार्य	60.77	0.33	55.70	5.40
25	50-20 पाइंट इम्प्लीमेन्टेशन	2.78	0.11	1.93	0.96
26	51 - धार्मिक न्यास तथा धर्मादा	10.27	0.21	8.57	1.91

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
27	52 - जनजाति उपयोजना हेतु वित्तीय सहायता-त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाएं	606.19	129.33	603.83	131.69
28	55-महिला एवं बाल विकास	481.30	0.20	299.62	181.88
29	58 - प्राकृतिक आपदाओं तथा अभाव ग्रस्तता के कारण राहत पर व्यय	599.94	112.19	585.94	126.19
30	62 - पंचायत	51.62	0.19	46.45	5.36
31	64 - अनुसूचित जातियों के लिये विशेषांश योजना	494.24	54.59	453.20	95.63
32	66 - पिछड़े वर्ग का कल्याण	107.55	1.00	93.58	14.97
33	72 - गैस त्रासदी राहत एवं पुर्नवास	32.64	1.50	23.31	10.83
34	77 - स्कूल शिक्षा विभाग से सम्बन्धित अन्य व्यय (प्राथमिक शिक्षा छोड़कर)	407.23	0.50	378.77	28.96
35	82 - उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण	36.40	3.29	34.63	5.06
	योग (क)	**10831.48**	**760.42**	**9725.25**	**1866.65**
	ख - पूंजीगत -दत्तमत				
36	11 - वाणिज्य, उद्योग तथा रोजगार	21.66	3.00	20.86	3.80
37	23 - जल संसाधन विभाग	470.04	9.47	405.61	73.90
38	41 - जनजाति क्षेत्र उपयोजना	611.80	80.92	586.34	106.38
39	43 - खेल तथा युवा कल्याण	4.85	0.50	4.38	0.97
40	45 - लघु सिंचाई कार्य	88.48	16.51	68.13	36.86
41	55 - महिला एवं बाल विकास	25.44	0.56	1.46	24.54
42	66 - पिछड़े वर्ग का कल्याण	9.13	1.46	8.35	2.24
	योग (ख)	**1231.40**	**112.42**	**1095.13**	**248.69**
	महायोग (क + ख)	**12062.88**	**872.84**	**10820.38**	**2115.34**

परिशिष्ट 2.6

(संदर्भः कंडिका 2.3.6 पृष्ठ 50)

वे प्रकरण जिनमें अनुपूरक प्रावधान अधिक सिद्ध हुआ

(करोड़ रूपये में)

क्र.स.	अनुदान/विनियोग की संख्या एंव नाम	मूल अनुदान/विनियोग	अनुपूरक अनुदान/विनियोग	वास्तविक व्यय	बचत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	क-राजस्व-दत्तमत				
1.	04- गृह विभाग से सम्बन्धित अन्य व्यय	10.08	17.95	24.83	3.20
2.	05- जेल	71.53	5.96	73.14	4.35
3.	12- ऊर्जा	567.86	98.05	609.23	56.68
4.	17- सहकारिता	154.46	52.84	198.12	9.18
5.	18- श्रम	46.54	6.83	49.28	4.09
6.	21-आवास तथा पर्यावरण	49.47	90.18	121.81	17.84
7.	26-संस्कृति	24.17	1.33	24.55	0.95
8	27- स्कूल शिक्षा (प्राथमिक शिक्षा)	1614.88	174.12	1730.58	58.42
9	30 - ग्रामीण विकास	433.56	169.49	471.13	131.92
10	31- योजना आर्थिकी एवं सांख्यिकी	19.97	8.37	21.00	7.34
11	32 - जन सम्पर्क	43.87	6.70	49.22	1.35
12	34- समाज कल्याण	31.94	10.11	36.30	5.75
13	36- परिवहन	22.16	5.87	26.29	1.74
14	37- पर्यटन	7.80	3.20	9.38	1.62
15	39- खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण	146.76	22.12	154.29	14.59
16	41- जनजाति क्षेत्र उपयोजना	715.36	157.50	785.40	87.46
17	43- खेल तथा युवा कल्याण	9.60	11.04	17.26	3.38
18	53- अनुसूचित जातियों के लिये विशेषांश योजना के अन्तर्गत शहरी निकायों को वित्तीय सहायता	36.77	75.30	111.92	0.15
19	54- कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा	44.27	5.05	46.32	3.00
20	56- ग्रामोद्योग	27.14	7.09	33.12	1.11
21	65- विमानन	6.35	3.06	9.06	0.35
22	68- जनजाति क्षेत्र उपयोजना के लिये वित्तीय सहायता-शहरी-निकाय	13.29	10.91	17.32	6.88
23	70 तकनीकी शिक्षा तथा प्रशिक्षण विभाग से सम्बन्धित विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं	5.47	10.89	16.04	0.32
24	79- चिकित्सा शिक्षा विभाग	228.91	26.06	239.32	15.65
25	80- त्रिस्तरीय पंचायती राज सस्थाओं को वित्तीय सहायता	1119.42	291.34	1225.47	185.29

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
26	81- शहरी निकायों को वित्तीय सहायता	1190.62	275.11	1436.21	29.52
	योग (क)	**6642.25**	**1546.47**	**7536.59**	**652.13**
	ख - राजस्व प्रभारित				
27	*01- सामान्य प्रशासन*	*7.58*	*1.67*	*8.50*	*0.75*
28	*06- वित्त*	*2.90*	*7.14*	*6.96*	*3.08*
29	*08- भू-राजस्व तथा जिला प्रशासन*	*0.81*	*0.83*	*1.09*	*0.55*
30	*24-लोकनिर्माण सड़क एंव पुल*	*15.00*	*3.00*	*15.27*	*2.73*
31	*29- विधि एव विधायी कार्य*	*21.25*	*1.68*	*22.30*	*0.63*
32	*81- शहरी निकायों को वित्तीय सहायता*	*27.54*	*12.28*	*39.22*	*0.60*
	योग (ख)	***75.08***	***26.60***	***93.34***	***8.34***
	ग - पूंजीगत - दत्तमत				
33	06- वित्त	256.37	284.37	480.82	59.92
34	12- ऊर्जा	1335.61	644.00	1633.76	345.85
35	20- लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	103.05	83.95	143.89	43.11
36	21 - आवास तथा पर्यावरण	48.27	23.88	53.15	19.00
37	24- लोकनिर्माण सड़क एवं पुल	433.45	78.83	489.83	22.45
38	29- विधि एवं विधायी कार्य	निरंक	3.75	3.50	0.25
39	42- जन जाति क्षेत्र उपयोजना से सम्बन्धित लोकनिर्माण सड़क एवं पुल	174.69	50.00	199.26	25.43
40.	53- अनुसूचित जातियों के लिये विशेषांश योजना के अन्तर्गत शहरी निकायों को वित्तीय सहायता	0.87	20.65	4.42	17.10
41	60- जिला आयोजनागत योजनाओं से सम्बन्धित व्यय	126.29	31.20	156.98	0.51
42.	64- अनुसूचित जातियों के लिये विशेषांश योजना	310.08	275.47	484.97	100.58
43.	67- लोकनिर्माण-भवन	27.88	51.81	33.02	46.67
44.	76- लोकनिर्माण विभाग से सम्बन्धित नाबार्ड तथा विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं	293.78	122.17	384.35	31.60
45.	77- स्कूल शिक्षा विभाग को सम्बन्धित अन्य व्यय (प्राथमिक शिक्षा छोड़कर)	19.73	0.50	19.89	0.34
	योग (ग)	**3130.07**	**1670.58**	**4087.84**	**712.81**
	घ- पूंजीगत-प्रभारित				
46.	*64- अनुसूचित जातियों के लिये विशेषांश योजना*	*निरंक*	*7.00*	*2.92*	*4.08*
	योग (घ)	**निरंक**	**7.00**	**2.92**	**4.08**
	महायोग (क + ख+ ग+ घ)	**9847.40**	**3250.65**	**11720.69**	**1377.36**

अतिरिक्त आवश्यकता - 11720.69 करोड़ रूपये (-) 9847.40 करोड़ रूपये = 1873.29 करोड़ रूपये

परिशिष्ट 2.7

(संदर्भः कंडिका 2.3.6 पृष्ठ 50)

प्रकरण जिनमें अनुपूरक प्रावधान अपर्याप्त थे ।

(करोड़ रूपये)

क्र.सं.	अनुदान/विनियोग का नाम एवं संख्या	मूल अनुदान/विनियोग	पूरक अनुदान/विनियोग	वास्तविक व्यय	अंतिम आधिक्य
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	क- राजस्व दत्तमत				
1	24- लोकनिर्माण सड़के तथा पुल	407.82	5.99	416.29	2.48
2.	67- लोकनिर्माण -भवन	236.51	34.41	298.70	27.78
	योग	**644.33**	**40.40**	**714.99**	**30.26**

परिशिष्ट 2.8

(संदर्भः कण्डिका 2.3.7 पृष्ठ 50)

अविवेकपूर्ण/अनियमित/दोषपूर्ण पुनर्विनियोग/अभ्यर्पण

(क) ऐसे कुछ प्रकरण जिनमें पुनर्विनियोग /अभ्यर्पण द्वारा निधियों का अविवेक पूर्ण आहरण किया गया, यद्यपि लेखे में प्रावधान से अधिक व्यय पहले ही दर्शाया गया था ।

(करोड़ रूपए में)

क्र.सं.	अनुदान एवं लेखा शीर्ष का विवरण	मूल एंव पूरक प्रावधान	वास्तविक व्यय	पुनर्विनियोग के पूर्व अधिक्य	पुनर्विनियोग / अभ्यर्पण	अंतिम अधिक्य
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	19- लोक स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण 2210-01-110-748-डिसपेन्सरीज	22.62	23.74	1.12	1.27	2.39
2.	19- लोक स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण 2210-06-101-4245-मलेरिया	40.36	41.88	1.52	2.10	3.62
3.	52-जन जाति उपयोजना हेतु वित्तीय सहायता त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाएं 2225-02-796-277-0102-8805 प्राथमिक स्तर के लड़के तथा लड़कियों को छात्रवृत्ति	16.91	17.98	1.07	1.30	2.37
4	64- अनुसूचित जातियों के लिये विशेषांश योजना 2225-01-789-277-0103-2627 मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति	25.02	25.90	0.88	3.10	3.98

(ख) कुछ ऐसे प्रकरण जिनमें उपलब्ध बचत की तुलना में पुनर्विनियोग/अभ्यर्पण द्वारा आधिक निधियाँ आहरित की, परिणामस्वरूप 10 लाख रूपये से अधिक का अंतिम अधिक्य

(करोड़ रूपए में)

क्र.सं.	अनुदान एवं लेखा शीर्ष का विवरण	मूल एंव पूरक प्रावधान	वास्तविक व्यय	पुनर्विनियोग के पूर्व अधिक्य	पुनर्विनियोग / अभ्यर्पण	अंतिम अधिक्य
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5	01- सामान्य प्रशासन 2013-105-9064-मंत्रियों द्वारा विवेकाधीन अनुदान	10.50	8.89	1.61	2.31	0.70
6	03- पुलिस - 2055-101-270 अपराध अनुसंधान विभाग	38.12	32.64	5.48	6.04	0.56
7	03 पुलिस 2055-109-4491- सामान्य व्यय जिला स्थापना	547.65	515.33	32.32	42.09	9.77
8	03- पुलिस 2055-115-2643- पुलिस बल का आधुनिकीकरण	40.00	19.49	20.51	24.75	4.24
9	05- जेल 2056-101-938- केन्द्रीय तथा जिला जेल	72.76	69.06	3.70	4.52	0.82
10	07- वाणिज्यिक कर 2030-02-101-2456- न्यायकेत्तर मुद्रांक का मूल्य	5.00	4.47	0.53	2.02	1.49
11	07- वाणिज्यक कर 2039-001-123-सुपरिनटेनडेन्स	294.16	247.25	46.91	53.36	6.45
12	07- वाणिज्यक कर 2039-001-1470-जिला कार्यपालन की स्थापना	37.07	29.94	7.13	9.03	1.90

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
13	08- भू-राजस्व तथा जिला प्रशासन 2029-103-1472- जिला व्यय	128.61	115.48	13.13	15.77	2.64
14	12-ऊर्जा 2801-80-101-5855- 5 हार्सपावर कृषि पम्पों/थ्रेशरों एवं एक बत्ती कनेक्शनो को विद्युत की निःशुल्क आपूर्ति के लिये म.प्र. विद्युत मण्डल को सहायता	120.00	67.98	52.02	52.17	0.15
15	13- कृषि 2401-109-0101-9186- फील्ड पोंड स्कीम	12.60	11.34	1.26	2.04	0.78
16	13- कृषि 2401-800-0701-1580- मैक्रो मैनेजमेन्ट स्कीम	54.27	27.48	26.79	27.17	0.38
17	13- कृषि 2402-102-0101-3142-कन्टूर बंडिग की मिट्टी संरक्षण योजना	28.00	23.52	4.48	4.84	0.36
18	15- अनुसूचित जातियों के लिये विशेषांश योजना के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता 20- स्कूल शिक्षा विभाग - 2202-01789-101-0103-4398- सरकारी प्राथमिक शालाए	16.47	14.28	2.19	2.36	0.17
19	15- अनुसूचित जातियों के लिये विशेषांश योजना के अन्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता - 55- अनुसूचित जाति कल्याण विभाग 2225-01-789-277-0103-4717- अनुसूचित जातियों के लिये छात्रावास	20.36	10.91	9.45	9.64	0.19
20	15- अनुसूचित जातियों के लिये विशेषांश योजना के अन्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता 55- अनुसूचित जाति कल्याण विभाग 2225-01-789-277-0103-5095-छात्रावास तथा आश्रमों का रखरखाव तथा साज-सज्जा	8.00	6.92	1.08	1.28	0.20
21	15- अनुसूचित जातियों के लिये विशेषांश योजना के अन्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता 55- अनुसूचित जाति कल्याण विभाग 2225-01-789-277-0103-5133- अन्य छात्र वृत्तियां	20.21	13.28	6.93	7.04	0.11
22	15- अनुसूचित जातियों के लिये विशेषांश योजना के अन्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता 58- ग्रामीण विकास विभाग 2501-01-789-800-0103-6858- गोकुल ग्राम योजना	3.00	1.51	1.49	2.23	0.74
23	19- लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण 2210-03-103-0801-636- उप-स्वास्थ्य केन्द्र	9.64	8.40	1.24	1.54	0.30
24	19- लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण 2211-001-0801-1508- जिला स्तरीय स्टाफ	20.45	17.02	3.43	4.09	0.66

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
25	19- लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण 4210-02-0101-4143-आधारभूत सेवा के अन्तर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण	4.33	3.38	0.95	3.95	3.00
26	41- जनजाति क्षेत्र उपयोजना 14- कृषि विभाग - 2401-796-109-0102-9186-फील्ड पौंडस स्कीम	4.20	1.90	2.30	2.40	0.10
27	41- जनजाति क्षेत्र उपयोजना 14- कृषि विभाग - 2401-796-800-0702-1580-मैक्रो मैनेजमेन्ट स्कीम	17.37	8.35	9.02	9.48	0.46
28	41- जनजाति क्षेत्र उपयोजना 17- लोक स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण विभाग - 2210-03-796-103-0102-9812-उपस्वास्थ्य केन्द्रो की स्थापना	2.83	2.04	0.79	1.07	0.28
29	41- जनजाति क्षेत्र उपयोजना 17- लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग - 2210-C6-796-101-0702-4245 - मलेरिया	14.02	9.37	4.65	5.25	0.60
30	48- नर्मदा घाटी विकास 4700-51-800-0101-2428-कार्यपालन स्थापना (इकाई I एवं इकाई II)	12.67	8.52	4.15	4.28	0.13
31	48- नर्मदा घाटी विकास 4801-80-800-0101-6913- सरोवर परियोजना (डूब वाली) स्पेशल लिबरल पैकेज	302.58	2.23	300.35	302.58	2.23
32	52- जनजाति क्षेत्र उपयोजना को वित्तीय सहायता त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाएं 25- जनजाति कल्याण विभाग -2202-02-796-109-0102-5216- हाईस्कूल	7.68	6.77	0.91	1.25	0.34
33	52- जनजाति क्षेत्र उपयोजना को वित्तीय सहायता त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाएं 25- जनजाति कल्याण विभाग -2225-02-796-277-0102-1398- छात्रावास	11.00	8.34	2.66	3.20	0.54
34	58- प्राकृतिक आपदाओं तथा अभावग्रस्तता के कारण राहत पर व्यय 2245-01-101-8874- सूखा राहत तथा रोजगार के लिये अतिरिक्त व्यय	90.00	39.49	50.51	50.72	0.21
35	62- पंचायत 2515-101-2474- पंचायती राज संस्थाओं से सम्बन्धित प्रभार	51.23	45.99	5.24	6.67	1.43
36	64- अनुसूचित जातियों के लिये विशेषांश योजना 14- कृषि विभाग 2401-789-108-0703-1107- गहन तेल बीज विकास कार्यक्रम	5.98	3.82	2.16	2.29	0.13
37	64- अनुसूचित जातियों के लिये विशेषांश योजना 55- अनुसूचित जाति कल्याण विभाग 2225-01-789-277-0103-4717-अनुसूचित जाति छात्रावास	12.08	8.84	3.24	3.41	0.17

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
38	64- अनुसूचित जातियों के लिये विशेषाश योजना 55- अनुसूचित जाति कल्याण विभाग 2225-01-789-800-0703-5191 अनुसूचित जाति / जनजाति अत्याचार उन्मूलन अधिनियम के अधीन सहायता/पुर्नवास सहायता	10.00	6.28	3.72	4.01	0.29
39	77- स्कूल शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा को छोड़कर) से सम्बन्धित अन्य व्यय 2204-102-3755-नेशनल कैडेट कोर सीनियर डिविजन	9.53	8.26	1.27	1.37	0.10
40	79- चिकित्सा शिक्षा विभाग 2210-05-105-0101-4968- चिकित्सा महाविद्यालय	63.69	58.30	5.39	9.40	4.01
41	80- त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता 2235-60-102-0801-8786- नेशनल ओल्ड एज पेन्शन	133.88	120.36	13.52	17.04	3.52
42	80- त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता 2501-01-101-0101-6858- गोकुल ग्राम योजना	18.25	3.68	14.57	15.06	0.49

(ग) उपलब्ध बचत के बावजूद निधियों का अनावश्यक आवर्धन

(करोड़ रूपये मे)

क्र.स.	अनुदान एवं लेखा शीर्ष का विवरण	मूल एंव पूरक प्रावधान	वास्तविक व्यय	उपलब्ध बचत	पुनर्विनियोग	अंतिम बचत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
43	57- जल संसाधन विभाग से सम्बन्धित विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं 4700-64-800-1201-6831- पांच बेसिनों की पूर्व निर्मित सिंचाई योजना की उत्पादकता में सुधार	50.85	44.02	6.83	3.43	10.26

(घ) अधिक व्यय/आधिक्य को पूरा करने हेतु वांछित राशि से अधिक पुनर्विनियोग द्वारा आवर्धित निधियाँ

(करोड़ रूपये में)

क्र.स.	अनुदान एवं लेखा शीर्ष का विवरण	मूल एंव पूरक प्रावधान	वास्तविक व्यय	पुनर्विनियोग के पूर्व अधिक्य	पुनर्विनियोग	अंतिम बचत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
44	लोक ऋण 6003-105-3731- राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक की राष्ट्रीय जमा निधि से ऋण ।	60.00	95.47	35.47	80.00	44.53
45	लोक ऋण 6003-109-6962- हुडको से ऋण	22.91	25.50	2.59	5.00	2.41
46	19- लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण 2210-01-110-7892- चिकित्सा गारंटी योजना	19.42	25.22	5.80	8.03	2.23
47	11- वाणिज्य उद्योग तथा रोजगार 2852-80-800-0101-9068- औद्योगिक इकाइयों को केपिटल कॉस्ट सबसिडी	2.46	4.00	1.54	1.71	0.17

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
48	23-जल संसाधन विभाग - 4700-26-800-0101-2884-नहर तथा सम्बद्ध कार्य	47.14	66.35	19.21	20.00	0.79
49	23-जल संसाधन विभाग - 4701-52-800-0101-7042- खजुराहो विमान तल विस्तार के अन्तर्गत बेनीसागर नहर व्यपवर्तन	0.20	1.93	1.73	2.20	0.47
50	41- जनजाति उपयोजना 25 जनजाति कल्याण विभाग 4225-02-796-277-0102-8828-आश्रम शाला भवन का निर्माण	12.00	17.63	5.63	6.93	1.30
51	41- जनजाति क्षेत्र उपयोजना 27- नर्मदा घाटी विकास विभाग 4701-11-796-800-0102-5223 - ग्राम परियोजना (नाबार्ड)	1.18	3.46	2.28	2.38	0.10
52	41- जनजाति क्षेत्र उपयोजना 31-जल संसाधन विभाग 4702-796-800-0102-3828- लघु सिंचाई योजना	16.57	39.07	22.50	27.83	5.33
53	41- जनजाति क्षेत्र उपयोजना 31-जल संसाधन विभाग 4702-796-800-0102-5189- लघु सिंचाई योजना का निर्माण कार्य	25.93	27.79	1.86	6.84	4.98
54	45- लघु सिंचाई कार्य 4702-101-0101-3803-मायनर एंव मैक्रोमायनर सिंचाई योजनाएं	42.56	44.13	1.57	3.51	1.94
55	64- अनुसूचित जातियों के लिये विशेषांश योजना 31- जल संसाधन विभाग 4700-13-789-800-0103-2884- नहर तथा सम्बद्ध कार्य	21.00	24.63	3.63	6.75	3.12

परिशिष्ट 2.9

(संदर्भः कंडिका 2.3.8 (क) पृष्ठ 50)

महत्वपूर्ण बचतों का अभ्यर्पण न करना (5 करोड़ रूपये से अधिक)

(करोड़ रूपये मे)

क्र.स.	अनुदान/विनियोग की संख्या एवं नाम	कुल उपलब्ध बचत	अभ्यर्पित न की गई राशि (कोष्ठको में कुल बचत का प्रतिशत)
(1)	(2)	(3)	(4)
	क- राजस्व दत्तमत		
1.	02- सामान्य प्रशासन विभाग से सम्बन्धित अन्य व्यय	6.80	5.39(79.3)
2.	06- वित्त	366.18	358.97(98.0)
3.	08- भू-राजस्व तथा जिला प्रशासन	72. 1	22.24(30.8)
4	10- वन	82.37	78.58(95.4)
5	11- वाणिज्य, उद्योग तथा रोजगार	10.25	9.57(93.4)
6.	14- पशु पालन	26.36	19.75(74.9)
7.	17- सहकारिता	9.18	9.18(100.0)
8.	19- लोक स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण	81.30	68.42(84.2)
9	20- लोक स्वास्थ्य यान्त्रिकी	32.76	22.17(67.7)
10	23- जल संसाधन विभाग	29.12	20.97(72.0)
11	27- स्कूल शिक्षा (प्राथमिक शिक्षा)	58.42	15.99(27.4)
12.	29- विधि तथा विधायी कार्य	59.99	15.56(25.9)
13	31- योजना, आर्थिकी तथा सांख्यिकी	7.34	6.95(94.7)
14	41- जनजाति क्षेत्र उपयोजना	87.46	32.44(37.1)
15	44- उच्च शिक्षा	35.15	35.15(100)
16.	47- तकनीकी शिक्षा तथा प्रशिक्षण	21.00	21.00(100)
17.	55- महिला एवं बाल विकास	181.88	24.39(13.4)
18.	64- अनुसूचित जातियो के लिये विशेषांश योजना	95.63	10.55(11.0)
19.	72- गैस त्रासदी राहत तथा पुनर्वास	10.83	10.83(100)
20.	77- स्कूल शिक्षा विभाग से सम्बन्धित अन्य व्यय (प्राथमिक शिक्षा छोड़कर)	28.96	6.13(21.2)
21	79- चिकित्सा शिक्षा विभाग	15.65	5.78(36.9)
22	82- उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण	5.06	5.06(100)
	योग (क)	**1323.80**	**805.07**
	ख- राजस्व - प्रभारित		
23	*ब्याज भुगतान तथा ऋण सेवा*	*116.08*	*116.06(99.9)*
	योग (ख)	**116.08**	**116.06**
	ग- पूंजीगत -दत्तमत		
24	06- वित्त	59.92	59.91(100.0)
25	08- भू-राजस्व तथा जिला प्रशासन	19.35	14.14(73.1)
26	17- सहकारिता	8.17	8.17(100.0)
27	19- लोक स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण	20.14	20.14(100.0)
28	20- लोक स्वास्थ्य यान्त्रिकी	43.1	18.61(43.2)
29	21- आवास तथा पर्यावरण	19.00	19.00(100.0)
30	23- जल संसाधन विभाग	73.90	40.10(54.3)
31	41- जन जाति क्षेत्र उपयोजना	106.38	50.77(47.7)

(1)	(2)	(3)	(4)
32	42- जन जाति क्षेत्र उपयोजना से सम्बन्धित लोक निर्माण सड़क एवं पुल	25.43	25.43(100.0)
33	45- लघु सिंचाई कार्य	36.86	30.37(81.6)
34	48- नर्मदा घाटी विकास	879.59	11.16(1.3)
35	57- जल संसाधन विभाग से सम्बन्धित विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं	93.04	90.95(97.8)
36	59- ग्रामीण विकास विभाग से सम्बन्धित विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं	57.90	7.75(13.4)
37	64- अनुसूचित जातियों के लिये विशेषांश योजना	100.58	78.60(78.1)
38	67- लोक निर्माण-भवन	46.67	46.67(100)
39	75- जल संसाधन विभाग से सम्बन्धित नाबार्ड सहायता प्राप्त परियोजनाएं	54.76	16.52(30.2)
	योग (ग)	**1644.80**	**537.99**
	(घ) पूंजीगत - प्रभारित		
40	*लोक ऋण*	*4463.47*	*4463.47(100.0)*
	योग (घ)	**4463.47**	**4463.47**
	महायोग (क+ ख+ ग+ घ)	**7548.15**	**5922.59**

परिशिष्ट 2.10

(संदर्भः कडिका 2.3.9 पृष्ठ 51)

अविवेकपूर्ण/अवास्तविक अभ्यर्पणों के प्रकरण

(क) उपलब्ध बचत से अधिक अभ्यर्पित राशि वाले प्रकरण

(करोड़ रूपये मे)

क्र.स.	अनुदान/विनियोग की संख्या एवं नाम	उपलब्ध बचत	अभ्यर्पित राशि
	क- राजस्व दत्तमत		
1	03- पुलिस	101.84	111.18
2	05- जेल	4.35	5.01
3	07- वाणिज्यिक कर	89.66	93.26
4	12- ऊर्जा	56.68	56.98
5	13- कृषि	51.27	54.00
6	32- जन सम्पर्क	1.35	1.52
7	33- जनजाति कल्याण	17.86	30.94
8	49- अनुसूचित जाति कल्याण	4.87	4.96
9	50-20 सूत्रीय कार्यक्रम	0.96	0.99
10	56- ग्रामोद्योग	1.12	1.17
11	58- प्राकृतिक आपदाओं तथा अभाव ग्रस्तता के कारण राहत पर व्यय	126.19	126.27
12	62- पंचायत	5.36	6.81
13	80- त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	185..29	185.91
	योग (क)	**646.80**	**679.00**
	ख- पूंजीगत - दत्तमत		
14	13- कृषि	0.20	0.30
15	24- लोकनिर्माण सड़क एवं पुल	22.45	41.81
16	60- जिला आयोजनागत योजनाओं से सम्बन्धित व्यय	0.51	0.77
17	76- लोकनिर्माण विभाग से सम्बन्धित नाबार्ड तथा विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं	31.60	35.00
	योग (ख)	**54.76**	**77.88**
	महायोग (क + ख)	**701.56**	**756.88**

परिशिष्ट 2.11

(संदर्भः कण्डिका 2.4, पृष्ठ 52)

2006-07 के लिए व्यय के आंकड़ो का मिलान न करना ।

(करोड़ रूपये मे)

क्र.सं.	लेखा शीर्ष	अनुदान संख्या	वर्ष के दौरान न मिलाई गई व्यय की राशि
1	2	3	4
1	2011	28	13.78
2	2070	2.3.4..32	9.07
3	2202	15.27.41.64.77.80.81	2746.96
4	2204	43	17.26
5	2210	19	0.46
6	2211	19	112.12
7	2216	10	0.23
8	2406	10.41.64	16.26
9	3054	10	0.09
10	4406	10	0.05
योग	मुख्य शीर्ष -10	अनुदान -15	**2916.28**

परिशिष्ट 2.12

(संदर्भः कण्डिका 2.5 पृष्ठ 53)

पुनर्विनियोगों / अभ्यर्पणों की दोषपूर्ण संस्वीकृतियां

(करोड़ रूपये में)

क्र.सं.	संस्वीकृतियों की संख्या	अनुदान संख्या	राशि	अनियमितताओं का विवरण
1	18	10.15.41.44. 47.51.52.64. 80.82	112.11	संस्वीकृतियां वित्त वर्ष 2006-07 की समाप्ति के उपरान्त जारी की गई थी ।
2	7	2.17.38.41. 64.72	35.92	महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) कार्यालय में संस्वीकृतियां की विलम्ब से प्राप्ति यथा लेखाओं के समापन तथा अन्तिम रूप देने के पश्चात् ।
3	4	7.18.41	7.35	सम्बन्धित शीर्ष जिनमें अभ्यर्पण/पुनर्विनियोग की स्वीकृति दी गई थी, में बचत की अनुपलब्धता ।
4	8	4.10.19.21. 41	31.31	विभाग द्वारा पूर्ण विवरण प्रेषित न करना ।
5	2	3	0.10	शीर्ष " कार्यालय व्यय " की निधियों में पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान के 10 प्रतिशत से अधिक तक वृद्धि ।
6	1	41	0.03	राजस्व से पूंजीगत में पुनर्विनियोग
7	1	49	0.01	दत्तमत से प्रभारित में पुनर्विनियोग
8	1	64	33.78	पुनर्विनियोग संस्वीकृतियां सुव्यवस्थित नहीं है (दोनो पक्ष एक समान नही है)।
योग	**42**	**22**	**220.61**	

परिशिष्ट - 2.13

(संदर्भः कण्डिका 2.6 पृष्ठ 53)

मार्च 2007 के दौरान व्यय की अत्यधिकता

(करोड़ रूपये में)

क्रं. सं.	अनुदान विनियोग का नाम एवं संस्था	कुल प्रावधान	अवधि तक व्यय			मार्च 2007 तक कुल व्यय	मार्च 2007 में व्यय	कुल व्यय की तुलना में मार्च के व्यय का प्रतिशत
			6.06	9.06	12.06	3.07		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	11- वाणिज्य, उद्योग तथा रोजगार	92.93	10.04	24.65	37.04	78.85	28.36	36.0
2	17-सहकारिता	243.05	14.35	33.33	39.59	225.69	173.40	76.8
3	21- आवास तथा पर्यावरण	211.83	10.26	29.43	41.35	174.96	78.59	44.9
4	36- परिवहन	38.03	7.03	13.91	19.93	36.29	12.98	35.8
5	39- खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण	192.70	26.13	51.02	69.09	169.55	93.24	55.0
6	40- जल संसाधन विभाग से सम्बन्धित व्यय कमान क्षेत्र विकास	18.53	1.12	2.55	3.74	8.79	2.98	33.9
7	43- खेल तथा युवा कल्याण	25.99	0.77	4.92	8.68	21.64	9.57	44.2
8	53- अनुसूचित जातियों के लिये विशेषांश योजना के अन्तर्गत शहरी निकायों को वित्तीय सहायता	133.59	0.23	20.38	33.23	116.35	51.60	44.3
9	60- जिला आयोजनागत योजनाओं से सम्बन्धित व्यय	157.49	14.78	43.33	69.61	156.98	56.77	36.2
10	70- तकनीकी शिक्षा तथा प्रशिक्षण विभाग से सम्बन्धित विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं	27.84	0.92	2.60	4.32	16.63	8.84	53.2
11	64- जिला अनुसूचित जातियों के लिये विशेषांश योजना	1141.39	61.89	218. 6	430.45	941.09	289.72	30.8
12	68- जनजाति क्षेत्र को वित्तीय सहायता उप शहरी निकाय	24.84	0.22	3.50	11.16	17.97	5.29	35.0
13	79- चिकित्सा शिक्षा विभाग	297.57	45.40	95.80	144.41	281.92	105.73	37.5
14	81- शहरी निकायों को वित्तीय सहायता	1511.80	226.35	521. 0	762.76	1480.12	468.49	31.7

टिप्पणीः- अनुदान संख्या 17,21,39,60,64,एवं 79 के स्तम्भ 7 में दर्शाए गए व्यय में क्रमशः 100.14 करोड़ रूपये, 10 करोड़ रूपये, 46.26 करोड़ रूपये, 0.36, करोड़ रूपये 2489 करोड़ रूपये एवं 44.74 करोड़ रूपये सम्मिलित है जिनका योग 2691.06 करोड़ रूपये है और उन्हें 31 मार्च 2007 को मुख्य शीर्ष -8443-सिविल जमा -800 अन्य जमा में जमा किया गया था ।

परिशिष्ट 2.14

(संदर्भः कंडिका 2.7.2.(ii) पृष्ठ 54)

चयनित अनुदानों की योजनाओं के अंतर्गत सारभूत बचतें ।

(करोड़ रूपयें में)

क्र.सं.	अनुदान संख्या तथा योजना का नाम	बचत (प्रतशित)		
		2004-05	2005-06	2006-07
	01 - सामान्य प्रशासन			
1	2251-090-4327- सचिवालय	2.82 (25.7)	3.14 (29.0)	2.67 (24.0)
	17 - सहकारिता			
2	4425-107-0910-6965- एकीकृत सहकारिता विकास परियोजना (12 जिले)	--	--	3.79 (26.1)
	21 - आवास एवं पर्यावरण			
3	2217-01-001-0801-6706- लघु तथा मध्यम शहरी आधार संरचना विकास योजना	--	--	15.73 (54.1)
4	4217-01-051-0101-4339 – राड़क तथा पुल	आधिक्य	0.31 (1.9)	9.09 (39.3)
5	6217-02-800-0101-6706- लघु तथा मध्यम शहरी आधार संरचना हेतु म.प्र. विकास प्राधिकरण को अनुदान	--	--	6.67 (27.9)
6	6217-02-800-0900-5244- शहरी विकास मन्त्रालय द्वारा कांऊटर मैगनेट स्कीम के अन्तर्गत सहायता	--	--	12.00(100)
	31- योजना, आर्थिकी एवं सांख्यिकी			
7	3454-02-001-8048- आर्थिकी एवं सांख्यिकी संचालनालय	2.95 (18.2)	4.01 (24.7)	3.23 (20.6)
8	3454-02-111-1430- अत्यावश्यक सांख्यिकी का संकलन	0.16 (9.3)	0.19 (11.3)	2.88 (36.3)
	41 - जनजाति क्षेत्र उपयोजना			
9	2406-01-794-101-0602-3874- वन ग्रामों का विकास	--	10.43 (18.6)	16.77 (24.1)
10	2406-01-796-800-0802-5231-	--	निरंक	3.08 (51.3)
11	2401-796-110-0102-8792- राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना	निरंक	8.00 (86.8)	9.27 (100)
12	2401-796-800-0702-1580- मैक्रोमैनेजमेन्ट स्कीम	1.07 (13.9)	8.96 (49.9)	9.02 (51.9)
13	2210-01-796-110-0102-8798- अस्पतालों का उन्नयन	0.28 (40.7)	2.43 (100)	6.58 (88.8)
14	2210-01-796-110-1202-7099- राजीव गांधी सामुदायिक स्वास्थ्य मिशन	--	0.77 (4.3)	9.00 (60.0)
15	2210-06-796-101-0702-4245- मलेरिया	1.32 (10.3)	4.03 (31.4)	4.65 (33.2)

		2004-05	2005-06	2006-07
16	2225-02-796-277-0102-7562- उत्तम शिक्षा केन्द्रों की स्थापना	2.74 (55.5)	2.92 (45.1)	2.75 (43.0)
17	2225-02-796-800-0102-8849- अनुसूचित जनजाति क्षेत्र योजनाओं के लिये एक मुश्त प्रावधान	1.50 (50.0)	18.12 (90.6)	2.54 (47.2)
18	2215-01-796-102-0702-1201- ग्रामीण पाइप जल आपूर्ति योजना	1.85 (23.1)	0.62 (6.5)	2.49 (22.5)
19	4225-02-796-277-0102-6859- शैक्षणिक संस्थाओं के लिये भवन निर्माण (नाबार्ड)	--	8.23 (100)	6.93 (100)
20	4225-02-796-277-0102-8799- छात्रावास भवनों का निर्माण	--	--	7.29 (37.3)
21	4225-02-796-277-0702-8799- छात्रावास भवनों का निर्माण	0.85 (5.0)	18.99 (70.6)	5.07 (50.7)
22	4225-02-796-277-0702-8828 आश्रम/शाला भवनों का निर्माण	0.91 (5.7)	18.27 (73.4)	2.73 (54.6)
23	4700-45-796-800-0102-9091- ओंकारेश्वर परियोजना	--	--	36.13 (36.8)
24	4700-66-796-800-0102-5091- लोअर गोई प्रोजेक्ट	--	--	10.51 (97.6)
25	4701-12-796-800-0102-4647- जोबट परियोजना (नाबार्ड)	--	--	2.78 (31.4)
26	4701-46-796-800-0102-8822- अपर नर्मदा परियोजना	--	--	7.80 (97.5)
27	4701-25-796-800-0102-3366- मध्यम परियोजनाओं का निर्माण कार्य	--	--	12.69 (22.3)
28	4702-796-800-0102-9205- जलाभिषेक योजना	--	--	6.00 (100)
29	4215-01-796-102-0702-9489- राज्य में फ्लोरोसिस नियन्त्रण कार्यक्रम	1.65 (82.5)	2.03 (50.8)	26.90 (85.6)
30	4515-796-800-1202-5853- डी.पी.आई.पी. योजनाएं	39.67 (53.1)	--	19.43 (58.1)
	55 - महिला एवं बाल विकास			
31	2235-02-102-0801-5354- एकीकृत सेवा योजना (विदेशी सहायता प्राप्त योजनांए)	19.16 (20.2)	23.92 (25.3)	95.69 (99.9)
32	2235-02-102-0801-5355- एकीकृत बाल विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत आंगनवाड़ी कार्यकत्ताओं को प्रशिक्षण (विदेशी सहायता प्राप्त)	2.45 (34.4)	5.10 (58.7)	8.79 (100)

		2004-05	2005-06	2006-07
33	2235-02-103-0801-8687-बालिका समृद्धि योजना	6.00 (100)	1.63 (27.2)	5.03 (83.8)
34	2236-02-101-0101-6955-संजीवन अभियान योजना	--	--	2.15 (43.0)
35	2236-02-101-0701-9050-न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम विशेष पोषण योजना	--	प्रतीक बचते	92.97 (45.1)
36	2236-02-101-0801-7098-राष्ट्रीय अनुपूरक पोषण मिशन	2.95 (100)	2.25 (76.3)	2.06 (69.8)
37	4235-02-102-0701-5360-आंगनबाड़ी केन्द्रो के लिये भवनों का निर्माण (विदेशी सहायता प्राप्त)	8.55 (47.3)	17.16 (95.0)	18.06 (100)
38	4235-02-102-0801-5357-सी.डी.पी.ओ. ऑफिस कम गोडाउन का निर्माण (विदेशी सहायता प्राप्त)	2.77 (44.1)	6.28 (100)	6.28 (100)
	57- जल संसाधन विभाग से सम्बन्धित विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं			
39	4700-21-001-1201-2304-निर्देशन एवं प्रशासन	--	--	4.88 (37.8)
40	4700-57-800-1201-2344-निर्माण कार्य	--	--	2.08 (100)
41	4700-64-001-1201-6825- सेवा प्रदाता सिंचाई तथा जल निकास संस्थान जल संसाधन विभाग	--	--	24.53 (96.3)
42	4700-64-001-1201-6826- पांच बेसिनों की पूर्व निर्मित सिंचाई योजनाओं की उत्पादकता में सुधार - कृषि विभाग	--	--	5.25 (94.8)
43	4700-64-001-1201-6827-पांच बेसिनो की पूर्व निर्मित सिंचाई योजनाओं की उत्पादकता में सुधार - मछली पालन विभाग	--	--	5.56 (93.0)
44	4700-64-001-1201-6830 पांच बेसिनों की पूर्व निर्मित सिंचाई योजनाओं की उत्पादकता में सुधार - पशु पालन विभाग	--	--	4.42 (93.8)
45	4700-64-001-1201-6831-पांच बेसिनों पूर्व निर्मित सिंचाई योजनाओं की उत्पादकता में सुधार जल संसाधन विभाग	--	--	6.72 (80.6)
46	4700-64-001-1201-6833-परियोजना कार्यान्वयन समन्वय इकाई - पी.आई.सी.यू	--	--	3.77 (70.9)
47	4700-64-052-1201-6825- सेवा प्रदाता सिंचाई तथा जल निकास संस्थाएं,-जल संसाधन विभाग	--	--	9.07 (93.8)

		2004-05	2005-06	2006-07
48	4700-64-052-1201-6831- पांच बेसिनों की पूर्व निर्मित सिंचाई योजनाओं की उत्पादकता में सुधार - जल संसाधन विभाग	--	--	3.52 (100)
49	4700-64-800-1201-6822- जल संसाधन प्रबन्धन संस्था तथा स्त्रोत एस.डबल्यु. ए.आर.ए.	--	--	7.16 (93.5)
50	4700-64-800-1201-6824- जल संसाधन प्रबन्धन संस्था तथा स्त्रोत स्वार टैंक	--	--	3.98 (99.5)
51	4700-64-800-1201-6833- परियोजना कार्यान्वयन समन्वय इकाई -पी आई.सी.यू.	--	--	2.92 (95.1)
	78 - नर्मदा घाटी विकास से सम्बन्धित नाबार्ड सहायता प्राप्त परियोजना			
52	2405-109-0102-3313- मत्स्य पालन विस्तार	1.08 (100)	1.08 (100)	7.23 (100)
	योग	**100.73**	**168.87**	**588.59**

परिशिष्ट 2.15

(संदर्भः कण्डिका 2.7.2 (ii) पृष्ठ 54)

चयनित अनुदानों की योजनाओं के अन्तर्गत सारभूत आधिक्य

(करोड रूपये में)

क्र.सं	अनुदान संख्या तथा योजना का नाम	आधिक्य (प्रतिशतता)		
		2004-05	2005-06	2006-07
	21 - आवास एवं पर्यावरण			
1.	2217-01-001-0701-1409- लघु तथा मध्यम नगरों के लिये एकीकृत विकास योजना	बचत	निरंक	4.69 (36.3)
2.	4217-01-051-0101-3763- आवासीय भवन	बचत	0.11 (4.6)	2.27 (227)
3.	4217-01-052-0101-1021- क्षेत्रों आदि का सौन्दर्यीकरण	0.90 (22.0)	0.46 (10.1)	5.82 (582)
	41- जन जाति क्षेत्र उपयोजना			
4	2406-01-796-101-0102-7882- कार्य योजना	--	10.28 (43.2)	15.89 (66.3)
5.	2202-01-796-101-0102-2773- प्राथमिक शालाएं	--	--	1.73 (4.4)
6.	2225-02-796-277-0102-2676- मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति	--	2.48 (42.0)	3.69 (63.0)
7	2225-02-796-277-0102-8003- सैटेलाइट के माध्यम से शिक्षा	--	--	1.17 (557.1)
8	4225-02-796-277-0102-8828- आश्रमों/शाला भवनों का निर्माण	--	--	5.63 (46.9)
9	4225-02-796-800-0102-4722- अनुसूचित जाति/जनजाति कॉलोनियों का बिकास	--	--	7.27 (90.9)
10	4701-11-796-800-0102-5223- मान परियोजना (नाबार्ड)	--	--	2.28 (193.2)
11	4702-796-800-0102-3828- लघु सिंचाई योजना	6.15 (35.7)	--	22.50 (135.8)
12	4702-796-800-0102-5189- लघु सिंचाई योजना का निर्माण कार्य (नाबार्ड)	बचत	बचत	1.86 (7.2)
13	4215-01-796-102-0702-9- 250 से कम जनसंख्या वाले ग्रामों एवं पुरवाओं में नल कूपों का ड्रिलिंग	बचत	बचत	14.84 (76.5)
14	4215-01-796-102-0702-4379- समस्याग्रस्त ग्रामों में पेयजल आपूर्ति योजनाएं	बचत	2.12 (10.3)	3.05 (21.8)
	55 - महिला एवं बाल विकास			
15.	2235-02-102-0801-658- एकीकृत बाल विकास सेवा योजना	बचत	बचत	27.59 (21.3)
16.	2235-02-102-0801-9131- एकीकृत बाल विकास सेवा योजना के अन्तर्गत आंगनबाड़ी कार्यकत्ताओं को प्रशिक्षण	बचत	बचत	3.30 (*)
	57 - जल संसाधन विभाग से सम्बन्धित विदेशी सहायता प्राप्त परियोजना			
17	4700-21-800-1201-2884 नहर तथा सम्बद्ध कार्य	--	--	10.72 (64.6)
	योग	**7.05**	**15.45**	**134.30**

सांकेतिक प्रावधान के विरूद्ध आधिक्य.

परिशिष्ट 2.16

(सन्दर्भः कण्डिका 2.7.3 पृष्ठ 54)

(क) चयनित अनुदानों के वे प्रकरण जिनमें योजनाओं के अन्तर्गत अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ

(करोड़ रूपये में)

क्र.सं.	अनुदान तथा योजना का विवरण	अप्रयुक्त अनुपूरक प्रावधान की राशि
(1)	(2)	(3)
	01 - सामान्य प्रशासन	
1-	2013-800-9939- मन्त्रियों द्वारा सहायता अनुदान	0.57
2	2070-104-3844- लोक आयुक्त	0.30
	17 - सहकारिता	
3	2425-001-0101-123- सुपरिंटेन्डेन्स	0.47
4	2425-101-4433- सहकारी समितियों की लेखा परीक्षा	0.45
	31 - योजना, आर्थिकी एवं सांख्यिकी	
5	3451-101-3686- राज्य योजना मण्डल	0.27
6	3454-02-201-512- भारतीय आर्थिक संगठन	0.28
	41 - जनजाति क्षेत्र उपयोजना	
7.	2210-01-796-110-0102-8798- अस्पतालों का उन्नयन	0.75
8	2210-01-796-110-1202-7099- राजीव गान्धी सामुदायिक स्वास्थ्य मिशन	9.00
9	4225-02-796-277-0102-8799- छात्रावास भवनों का निर्माण	4.25
10	4702-796-800-0102-9205- जलाभिषेक योजना	6.00
11.	4215-01-796-102-0702-9489- राज्य में फ्लोरोसिस नियन्त्रण कार्यक्रम	25.60
	योग	**47.94**

(ख) चयनित अनुदानों के वे प्रकरण जिनमें योजनाओं के अन्तर्गत अनुपूरक प्रावधान अधिक सिद्ध हुआ ।

(करोड़ रूपये में)

क्र. सं.	अनुदान तथा योजनाओं का विवरण	मूल	अनुपूरक	व्यय	बचत (-)
	01 - सामान्य प्रशासन				
1.	2013-105-9064- मन्त्रियों द्वारा विवेकाधीन अनुदान	5.40	5.10	8.89	1.61
2.	2015-101-6757- स्थानीय निकायों का चुनाव व्यय	4.91	1.41	5.04	1.28

21 - आवास एवं पर्यावरण					
3	2217-01-001-0801-6706- लघु तथा मध्यम शहरी आधार संरचना विकास योजना	--	29.06	13.34	15.72
4	6217-02-800-0101-6706- लघु तथा मध्यम शहरी आधार संरचना विकास योजना के लिये म.प्र. विकास प्राधिकरण को अनुदान	--	23.88	17.21	6.67
31 - योजना, आर्थिकी तथा सांख्यिकी					
5	3454-02-111-1430- अत्यावश्यक सांख्यिकी का संकलन	1.73	6.20	5.05	2.88
6	3454-02-800-0801-7866- पांचवी आर्थिक (सर्वेक्षण) सांख्यिकी	--	1.36	1.06	0.30
41 - जन जाति क्षेत्र उपयोजना					
7	2406-01-794-101-0602-3874- वन ग्रामों का विकास	सांकेतिक	69.56	52.79	16.77
8	2406-01-796-800-0802-5231- लघु वनोपज कार्य के लिये लघु वनोपज संघ को अनुदान	सांकेतिक	6.00	2.92	3.08
9	2401-796-109-0102-9186- फील्ड पौंड स्कीम	निरंक	4.20	1.90	2.30
10	2210-01-796-200-0802-77- अंधत्व के उपचार के लिये इकाईयों की स्थापना	निरंक	0.60	0.02	0.58
11	2225-02-796-277-0102-8832- आश्रम/छात्रावास का सुदृढ़ीकरण	9.57	14.50	21.29	2.78
12	2225-02-796-800-0802-6500- विशेष पिछड़ी जनजातियों का विकास	3.50	1.00	3.61	0.89
13	2203-796-105-0102-9236- एकलव्य पॉलीटेक्निक इन्स्टीट्यूट	निरंक	1.00	0.33	0.67
14	4210-01-796-110-0102-7648- हास्पिटलों तथा डिस्पेन्सरियों के लिये भवनों का निर्माण	1.75	3.29	3.82	1.22
15	4225-02-796-190-0102-5156- जनजाति वित्त एवं विकास निगम	1.10	4.45	4.45	1.10
16	4702-796-800-0102-9215- अपूर्ण सिंचाई योजनाओं को पूरा करना	निरंक	4.00	2.74	1.26
	योग	**27.96**	**175.61**	**144.46**	**59.11**

(ग) चयनित अनुदानो के वे प्रकरण जिनमें योजनाओं के अन्तर्गत अनुपूरक प्रावधान अपर्याप्त सिद्ध हुआ ।

(करोड़ रूपये में)

क्र.सं.	अनुदान तथा योजनाओं का विवरण	मूल	अनुपूरक	व्यय	आधिक्य (+)
21 - आवास तथा पर्यावरण					
	2217-01-001-0701-1409- लघु मध्यम नगरों के लिये एकीकृत विकास योजना	सांकेतिक	12.92	17.61	+ 4.69
	योग -	सांकेतिक	**12.92**	**17.61**	**4.69**

परिशिष्ट 2.17

(संदर्भः 2.7.4 पृष्ठ 54)

चयनित अनुदानो की योजनाओं के अधीन व्यय में तेजी

(लाख रूपये में)

क्र.सं.	अनुदान संख्या	योजना का विवरण	कुल व्यय	मार्च 07 में व्यय	मार्च 07 में व्यय का प्रतिशत
1	21	2215-02-106-1201-6709- डी.एफ.आई.डी की सहायता के साथ एपीसीओ की आधार संरचना विकास योजना	285.00	285.00	100
2	21	2217-01-001-0801-6706- लघु तथा मध्यम शहरी आधार संरचना विकास योजना	1333.51	1333.51	100
3	41	2225-02-796-190-0802-4675- स्व-रोजगार योजना	582.00	582.00	100
4	41	2225-02-796-277-0802-5232- म.प्र. आवसीय शाला समिति को अनुदान अनुच्छेद 275 (i)	730.00	730.00	100
5	41	4225-02-796-190-0102-5156- जनजाति वित्त एवं विकास निगम	445.00	445.00	100
6	41	4225-02-794-277-0602-8825- आश्रम शाला भवनों का निर्माण	238.12	238.12	100
7	55	2235-02-103-0101-8821- महिला स्व-सहायता समूह योजना	8.32	8.32	100
8	55	2235-02-0801-9233- तेजस्वनी ग्राम्य महिला के लिये परियोजना सुदृणीकरण	20.00	20.00	100
9	57	4700-64-052-1201-6827- पांच बेसिनों की पूर्व निर्मित सिंचाई योजनाओं की उत्पादकता में सुधार - मछली पालन विभाग	5.80	5.80	100
10	57	4700-64-052-1201-6828- पांच बेसिनों की पूर्व निर्मित सिंचाई योजनाओं की उत्पादकता में सुधार - उद्यानिकी विभाग	3.32	3.32	100
11	57	4700-64-800-1201-6827- पांच बेसिनों की पूर्व निर्मित सिंचाई योजनाओं की उत्पादकता में सुधार - मछली पालन विभाग	6.09	6.09	100
		योग	**3657.16**	**3657.16**	

परिशिष्ट - 2.18
(संदर्भः कण्डिका 2.7.7 पृष्ठ 55)

(क) चयनित अनुदानों की योजनाओं के अन्तर्गत सारभूत आधिक्य

(करोड़ रूपये में)

क्र.स.	अनुदान संख्या तथा योजना का नाम	बचत (प्रतिशतता)		
		2004-05	2005-06	2006-07
24 - लोक निर्माण - सड़क एवं पुल				
1	3054-01-337-134- रखरखाव तथा मरम्मत -साधारण मरम्मत	0.54 (64.3)	बचत	1.83 (36.6)
2	3054-04-337-134- रखरखाव तथा मरम्मत - साधारण मरम्मत	7.21 (7.1)	5.53 (3.9)	22.98 (10.2)
3	3054-04-337-1366- चौड़ीकरण	--	बचत	1.34 (169.6)
4	3054-04-337-4090- विशेष मरम्मतें	--	बचत	3.48(13.7)
5	3054-03-337-134- रखरखाव तथा मरम्मत -साधारण मरम्मत	6.06 (29.8)	6.71 (28)	बचत
			योग	29.63

(ख) चयनित अनुदानों की योजना के अन्तर्गत सारभूत बचत

(करोड़ रूपये में)

क्र.स.	अनुदान संख्या तथा योजना का नाम	बचत (प्रतिशतता)		
		2004-05	2005-06	2006-07
24 - लोक निर्माण - सड़क एवं पुल				
6	3054-04-800-7081 - राजमार्गो /मुख्य जिला सड़कों का नवीकरण, उन्नयन तथा डम्बरीकरण	--	आधिक्य	8.21 (53.9)
7	3054-80-001-2418- निष्पादन	--	1.40 (8.3)	13.78 (78.8)
8	3054-80-001-3561- मुख्यालय स्थापना	--	1.10 (14.4)	2.37 (28.1)
			योग	24.36

(ग) चयनित अनुदानों के वे प्रकरण जिनमें योजनाओं के अन्तर्गत अनुपूरक प्रावधान अपर्याप्त सिद्ध हुआ

(करोड़ रूपये में)

क.सं.	अनुदान तथा योजनाओं का विवरण	मूल	अनुपूरक	व्यय	आधिक्य (+)
2006-07					
12	24-3054-04-337-134- रखरखाव तथा मरम्मत - साधारण मरम्मत	220.36	5.96	249.30	22.98
				योग	22.98
2005-06					
13	24-3054-04-337-134- रखरखाव तथा मरम्मत - साधारण मरम्मत	113.00	28.97	147.5	5.53
				योग	5.53
2004-05					
14	24-3054-04-337-134- रखरखाव तथा मरम्मत - साधारण मरम्मत	77.00	25.00	109.21	7.21
				योग	7.21

परिशिष्ट 3.1

(संदर्भ कंडिका 3.1.6 पृष्ठ 65)

एस.एफ.एम.एस. जनित तथा हाथ से संधारित आंकड़ों में अन्तर को दर्शाने वाला विवरण पत्रक

क.1. त्रुटिपूर्ण "रिजर्व बैंक जमा" आंकड़े

(लाख रूपये में)

कोषालय	माह	रिजर्व बैंक में जमा हाथ द्वारा तैयार प्रतिवेदन के अनुसार आकड़े	रिजर्व बैंक जमा में सिस्टम जनित प्रतिवेदन अनुसार आंकड़े	अन्तर
शहर कोषालय इन्दौर	मई 2007	10590.50	10600.24	9.74
	जून 2007	16694.35	16726.62	32.26

क.2. त्रुटिपूर्ण "रिजर्व बैंक जमा" आंकड़े

कोषालय	माह	रिजर्व बैंक जमा के विवरण पत्रक अनुसार रिजर्व बैंक जमा आंकड़े	रोकड़ लेखा (प्राप्ति) विवरण पत्रक अनुसार रिजर्व बैंक जमा के आंकड़े	अन्तर
जिला कोषालय इन्दौर	अप्रैल 2006	9542916.00	9553916.00	11000.00
	जनवरी 2004	68207145.00	67880705.00	326440.00
जिला कोषालय जबलपुर	मार्च 2007	1418129600.00	1418153714.00	24114.00
	जुलाई 2007	244173636.00	253909636.00	9772000.00
शहर कोषालय जबलपुर	मार्च 2007	2317842745.00	2317841095.00	1650.00
	जून 2007	670908912.00	671227644.00	318732.00
जिला कोषालय भोपाल	मार्च 2007	4503146302.00	4405420001.00	97726301.00
	अगस्त 2007	949514637.00	949509287.00	5350.00
विन्ध्याचल कोषालय भोपाल	जनवरी 2007	3828443250.00	3827706375.00	736875.00
	अगस्त 2007	2197593493.00	2197612005.00	18512.00
जिला कोषालय उज्जैन	मई 2007	75544858.00	75544878.00	20.00
जिला कोषालय सागर	मार्च 2007	684186772.00	2346645232.00	1662458460.00
	अपैल 2007	351009333.00	1335968225.00	984958892.00
	मई 2007	265543825.00	284934016.00	19390191.00
	सितम्बर 2007	266260588.00	266263223.00	2635.00

ख. जमा लेखाओं के शेष के त्रुटिपूर्ण आंकड़े

(आंकड़े रूपयों में)

क्र. सं.	मुख्य शीर्ष	31.03.2007 को हाथ से तैयार प्रतिवेदन के अनुसार शेष	31.03.2007 को सिस्टम जनित प्रतिवेदन अनुसार शेष	भिन्नता
	8443-00-104			
1.	उप पंजीयक उच्च न्यायालय इन्दौर	1033049.00	1263732.00	230683.00
2.	जिला एवं सत्र न्यायाधीश इन्दौर	55877161.00	394021092.00	338143931.00
	8443-00-106			
3	लोक सेवा आयोग इन्दौर	3484.00	5010236.00	5006752.00
	8443-00-123			
4.	प्राचार्य कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय इन्दौर	2622789.00	2597649.00	25142.00
5.	अधिष्ठाता एम जी एम चिकित्सा महाविद्यालय इन्दौर	4416728.00	7771377.00	3354649.00
	8443-00-106			
6.	जिला लघु बचत अधिकारी, इन्दौर	12364502.00	18074024.00	5709324.00
	8443-00-106			
7.	एस.डी.ओ. राजस्व जेल महू इन्दौर	63216.00	64216.00	1000.00
	8443-00-123			
8.	प्राचार्य, शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय महू इन्दौर	1399378.00	1647038.00	248660.00
	8443-00-123			
9.	प्राचार्य, शासकीय कन्या महाविद्यालय भोपाल	557524.00	769992.00	212468.00
10.	प्राचार्य, शासकीय लॉ महाविद्यालय भोपाल	3889059.00	3896591.00	7532.00

क्र. सं.	मुख्य शीर्ष	31.03.2007 को हाथ से तैयार प्रतिवेदन के अनुसार शेष	31.03.2007 को सिस्टम जनित प्रतिवेदन अनुसार शेष	भिन्नता
	8443-00-120			
11.	म.प्र.लघु उद्योग निगम लिमिटेड, भोपाल	349291631.00	351291629.00	1999998.00
	8443-00-106			
12.	निदेशक वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, भोपाल	2629190.00	3325723.00	696533.00
	8443-00-123			
13	प्राचार्य, शासकीय विज्ञान महाविद्यालय जबलपुर	4748009.00	4975621.00	227612.00
	8448-00-120			
14.	नियंत्रक जवाहर लाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर	27288000.00	36411000.00	9123000.00
	8443-00-106			
15.	जिला लघु बचत अधिकारी, भोपाल	1414806.00	261799470.00	260384664.00
16.	भूमि अधिग्रहण अधिकारी भोपाल	472687929.00	479011668.00	6323739.00
17.	कृषि अभियन्ता भोपाल	163399.00	215288.00	51889.00
	8443-00-123			
18.	प्राचार्य, शासकीय गीतांजलि कन्या महाविद्यालय भोपाल	1996617.00	4253875.00	2257258.00
19.	अधिष्ठाता गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल	4588584.97	41611271.00	37022686.03
	8443-00-106			
20.	आयुक्त, लोक शिक्षण भोपाल	568977.00	68017473.00	67448496.00
21.	निधि प्रबन्धक बीमा निवेश भोपाल	174003750.00	345503750.00	171500000.00
	8448-00-120			
22.	प्रबंध निदेशक म.प्र. सड़क विकास निगम भोपाल	264300000.00	164300000.00	100000000.00

ग. लम्बित पेंशन प्रकरणों के त्रुटिपूर्ण आंकड़े

क्र. सं.	कोषालय का नाम	माह	हस्त लिखित प्रतिवेदन अनुसार लंबित प्रकरणों की संख्या	सिस्टम जनित प्रतिवेदन अनुसार लंबित प्रकरणों की संख्या	अन्तर
1	ग्वालियर	मार्च 2007	29	99	70
		जून 2007	46	148	102
2	शहर कोषालय जबलपुर	मार्च 2007	03	00	03
		जून 2007	13	04	09
3	जिला कोषालय भोपाल	मार्च 2007	1010	00	1010
		जुलाई 2007	1123	00	1123
4	विन्ध्याचल कोषालय भोपाल	मार्च 2007	02	12	10
		जुलाई 2007	06	13	07
5	जिला कोषालय उज्जैन	अगस्त 2007	80	23	57
		सितम्बर 2007	75	45	30
6	जिला कोषालय सागर	मार्च 2007	03	01	02
		सितम्बर 2007	13	02	11

परिशिष्ट - 3.2

(सन्दर्भ- कंडिका 3.3.9.3 पृष्ठ 97)

मस्टर रोल में जॉब कार्ड क्रमांक अंकित न किये गये प्रकरणों की संख्या दर्शाने वाला विवरण पत्रक

(रूपये)

क्र.	क्रियान्वयन एजेन्सी का नाम	श्रमिकों की संख्या	रोजगार अवधि	मजदूरी भुगतान राशि
	बड़वानी			
1.	जनपद पंचायत पाटी ग्राम पंचायत कांडा	108	5½	35.993
2.	जनपद पंचायत टाकली ग्राम पंचायत बरूफाटक	18	108	6.480
	डिडोंरी			
1.	जनपद पंचायत रमनापुर ग्राम पंचायत अटारिया	12	7	5.155
2.	जनपद पंचायत बजाग ग्राम पंचायत गिरवरपुर तथा निरवारपुर	35	7	13.942
3.	जनपद पंचायत बजाग ग्राम पंचायत मझियाखार	2	8	490
4.	जनपद पंचायत बजाग ग्राम पंचायत मिढली और करौंदा	51	17	15.285
5.	जल संसाधन डिडोंरी ग्राम पंचायत मोहती	24	28	7.732
6.	लोक निर्माण विभाग डिडोंरी	57	42	20.396
7.	ग्रामीण यांत्रिकी सेवाएं डिडोंरी	139	14	59.713
	धार			
1.	ग्रामीण यांत्रिकी सेवायें धार	1154	97	3.61.467
	झाबुआ			
1.	जनपद पंचायत काठीवाड़ा ग्राम पंचायत काबरीसेल	77	9	42529
2.	जनपद पंचायत काठीवाड़ा ग्राम पंचायत करेली माऊड़ी	999	दिनांक उपलब्ध नहीं	3.67.632
3.	जनपद पंचायत रामा ग्राम पंचायत भीमकुंड (ग्रा.या.से.)	135	7	59.535
4.	जनपद पंचायत काठीवाड़ा जल संसाधन संभाग क्र. II	74	10	45.140
5.	ग्रा.या.से. झाबुआ संभाग क्र.II झावलिया करनावद मघेपुरा गोदलिया	253	42	2.40.808
	सीधी			
1.	जनपद पंचायत देवसर ग्राम पंचायत पोखरा	97	59½	19075
2.	ग्रा.या.सेवायें सीधी, ग्राम शंकरपुर	13	28	5436
		3248	**489**	**1306808**

परिशिष्ट -3.3

(सन्दर्भ- कंडिका 3.3.10.1 पृष्ठ 98)

मजदूरी का विलम्ब से भुगतान को दर्शाने वाला विवरण पत्रक

क्र. सं.	क्रियान्वयन एजेन्सी का नाम	कार्य अवधि	श्रमिक संख्या	मजदूरी भुगतान (रूपये)	भुगतान का दिनांक
	डिंडोरी				
1.	जनपद पंचायत समनापुर	25.05.06 से 01.07.06	542	208083	30.09.06
2.	जनपद पंचायत बजाग	29.05.06 से 08.07.06	35	13503	17.09.06
3.	जनपद पंचायत बजाग ग्राम पंचायत माधी खार	08.5.06 से 13.05.06	195	3559	11.07.06
	सीधी				
1.	जनपद पंचायत देवसर	07.2.06 से 17.04.06	840	3.06.326	01.09.06
2.	जनपद पंचायत चितरंगी ग्राम पंचायत दरवारी	22.04.06 से 27.05.06	64	14358	17.10.06
3.	जनपद पंचायत देवसर ग्राम पंचायत जबगढ़	09.06.06 से 06.07.06	354	1.48.318	10.11.06
4.	जनपद पंचायत देवसर जगजाहिर स्व सहायता समूह	01.07.06 से 12.09.06	284	119160	21.11.06
5.	ग्रा.या.सेवायें सीधी	25.12.06 से 30.12.06	908	5.14772	22.02.07
	डिंडोरी				
1.	ग्रा.या.सेवायें डिंडोरी	15.11.06 से 01.02.07	182	46947	02.03.07
2.	जनपद पंचायत धावाडोंगरी	15.01.07 से 21.01.07	973	187196	उपलब्ध नहीं
3.	जनपद पंचायत डिंडोरी ग्राम पंचायत सिलहारी	29.12.06 से 07.01.07	432	139052	31.05.07
4.	लोक निर्माण विभाग, डिंडोरी	02.12.06 से 20.12.06	959	223870	02.03.07
5.	वन मंडल अधिकारी डिंडोरी	05.02.06 से 11.09.06	174	6812	31.03.07

	झाबुआ				
1.	जन्पद पंचायत रामा ग्राम पंचायत गुलाबपुरा	11.10.06 से 16.10.06	137	49096	13.11.06
2.	जनपद पंचायत रामा ग्राम पंचायत रामा	22.05.06 से 10.06.06	613	296733	29.05.06
3.	जिला पंचायत झाबुआ ग्रा.या.सेवा संभाग क्रमांक झाबुआ	06.06. 06 से 12.06.06	268	216838	07.08.06 से 11.06 /01.07
4.	ग्रामीण यांत्रिकी सेवा झाबुआ	08.06.06 से 13.06.06	1239	13.33.357	31.12.06
5.	जन्पद पंचायत रामा ग्राम पंचायत भुतेड़ी, पंडरी ढ़ोचका	02.06.06 से 26.06.06	1790	6.39.261	29.09.06
6	जनपद पंचायत रामा ग्राम पंचायत मातासुली (डब्लू.आर.)	05.05.06 से 10.05.06	1541	5.71.934	10.7.06
7	ग्रा.या.सेवा संभाग क्रमांक 2	15.05.06 से 15.07.06	1486	822699	07.08.06
	धार				
1.	जनपद पंचायत नालछा ग्राम पंचायत नालछा	10.05.06 से 22.05.06	147	27124	12.06.06
2.	जनपद पंचायत नालछा ग्राम पंचायत नालछा	03.05.06 से 02.07.06	651	279994	08.08.06
3.	जनपद पंचायत नालछा ग्राम पंचायत बगडी	14.07.06 से 30.07.06	54	100413	15.12.06
			13868	**6269405**	

परिशिष्ट - 3.4

(संदर्भ कंडिका 3.4.7.2 , पृष्ठ 111)

ग्रामीण नल जल आपूर्ति योजनाओं की स्थिति को दर्शाने वाला विवरण पत्रक

जिला	अनुमोदित योजनाओं की संख्या		योजनाओं की लागत (करोड़ रूपये में)	मार्च 2007 को योजना की स्थिति				अपूर्णता के कारण
	2002 से पूर्व अपूर्ण रहे	02-03 से 06-07 के दौरान		पूर्ण योजनाए	प्रगति में	कार्यान्वित नहीं हुई	व्यय (करोड़ रूपये में)	
राजगढ़	20	1	2.55	4	17	-	2.91	12 योजनाओं में 45.02 लाख रूपये अतिरिक्त लागत का अनुमोदन न होना
डिण्डोरी	2	7	1.49	-	9		1.08	विद्युत संग्रहण के अभाव में अपूर्ण सिविल कार्य इत्यादि
जबलपुर	29	38	4.31	-	67	-	1.94	मौजूदा योजनाओं के आवर्धन, विश्वस्त स्रोतों के अभाव, निधियों के जारी न करने
रायसेन	7	98	14.27	2	80	23	0.43	7 योजनाओं के आवर्धन, 40 योजनाओं में लोक अंशदान प्राप्त न होना, 58 योजनाओं में अल्प अंशदान
खरगोन	10	28	6.37	-	7	31	0.14	निधियों एवं कार्य योग्य निविदाओं के अभाव में
शहडोल	29	11	7.19	32	8		2.29	निधि के अभाव में 97-99 की दो योजनाएं प्रगति पर थी
सिवनी	53	62	अनुपलब्ध	113	2	-	4.87	दो योजनाओं के अनुमोदन न होने के कारण लागत का पुनरीक्षण
छिंदवाड़ा	75	32	6.26	-	107	-	3.20	निधियों के अभाव से
सागर	23	80	14.28	72	32	-	12.88	निधियों के अभाव से
कटनी	41	21	11.92	37	25	-	4.40	आवर्धन एवं अतिरिक्त कार्य के कारण लागत का पुनरीक्षण
योग	**289**	**378**	**68.64**	**260**	**353**	**54**	**37.14**	

परिशिष्ट-3.5

(संदर्भ : पैरा 3.5.10.3, पृष्ठ 133)

छात्रवृत्ति राशि रूपये 66.55 करोड़ का मिलान किये बिना संवितरणों को दर्शाने वाला विवरण पत्रक

(रूपये लाख में)

क्रम संख्या	जिले का नाम	छात्रवृत्ति वितरण एवं अवधि	महालेखाकार (ले. एवं हक.)म.प्र.ग्वालियर को प्रस्तुत किये गये स्क्राल	प्रस्तुति एवं समायोजन हेतु देय स्क्राल
1.	बालाघाट	405.93 (2002-07)	192.11	213.82
2.	भिण्ड	320.12 (2002-07)	141.16	179.01
3.	भोपाल	2488.66 (2002-07)	90.72	2397.94
4.	छिन्दवाड़ा	1662.52 (2002-07)	861.43	801.09
5.	सतना	187.80 (2006-07)	124.30	63.50
6.	सिवनी	781.08 (2004-07)	50.12	730.96
7.	सीधी	1475.690 (2002-07)	521.25	954.44
8.	उज्जैन	740.57 (2005-07)	246.56	494.01
9.	बैतूल	1124.03 (2002-07)	686.25	437.78
10.	मदसौर	332.78 (2005-07)	--	332.78
11.	देवास	90.81 (2002-04 एवं 2006-07)	40.70	50.11
	योग	**9610.04**	**2954.60**	**6655.44 (रू.66.55 करोड़)**

परिशिष्ट - 3.6

(संदर्भः- कंडिका 3.6.4.5 पृष्ठ 146)

अपात्र बीजों पर अनुदान के भुगतान का विवरण पत्रक

(लाख रूपये में)

क्र.	जिले का नाम	बीज का नाम	अवधि	मात्रा क्विंटल में	कीमत	अनुदान का अनधिकृत भुगतान
1.	बालाघाट	मटर	2002-04	143.22	5.73	3.61
2.	बैतूल	मटर	2002-03	1.05	4.20	2.10
3.	दमोह	मिर्च	2002-07	0.02	0.50	0.20
		मटर	2003-06	161.60	6.13	2.75
4.	झाबुआ	मटर	2002-04	90.33	5.63	3.42
		मिर्च	200 5	27.00	2.70	1.35
5.	मंडला	मटर	2002-05	238.10	8.68	4.71
6.	नरसिंहपुर	मिर्च	2004-06	0.02	0.51	0.31
		मटर	2002-06	222.26	7.51	3.75
7.	सागर	मिर्च	2002-06	0.05	0.98	0.58
		मटर	2002-06	133.67	4.94	2.47
8.	सतना	मटर	2002-03	105.00	4.20	2.10
		मिर्च	2004-07	0.09	2.61	1.50
9.	उज्जैन	मिर्च	2003-07	12.34	3.09	1.86
		मटर	2002-03	36.75	1.47	0.74
	योग	--	--	**1171.50**	**58.88**	**31.45**

परिशिष्ट - 4.1

(संदर्भ - कण्डिका 4.2.7 पृष्ठ 160)

अधिक लागत की गणना को दर्शाने वाला विवरण पत्रक

पी.आई.यू.	सडक का नाम पैकेज क्रमांक	ठेकेदार को भुगतान किया देयक निविदा प्रतिशत	परियोजित यातायात वाणिज्यिक वाहन प्रतिदिन 10 साल के अन्त में	एम.पी. एम. तथा एम.एस.एस. की लागत (रू. 66.25 + 53.90) रू. 120.15		डब्ल्यू. बी. एम. ग्रेड-3 (दर प्रति घ.मी.) 489.50 प्रति दर		ओ.जी.पी.सी. तथा सील कोट की लागत (रू.48.40 + 16.28 = 64.68)	ओ.जी.पी.सी. +सील कोट ग्रेड- 3 का योग (कालम 8+10) रूपये में		शुद्व अतिरिक्त लागत (कालम 6-11) रू. में	कुल अतिरिक्त लागत निविदा प्रतिशत सहित
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ब्यावरा	कुलीखेडा-खिलचिपुर 3009	अंतिम देयक (3/2005) 16.16% कम	50.70	606774	7289997	4550.56@	2227499	60674.13	3924403	6151902	1138095	9544179
	बामनगांव कुलीखेडा 3009	अंतिम देयक (3/2005) 16.16% कम	57.58									
मंदसौर	ताल से कोजया 2703	16 वें चल देयक (12/2005) 9.7% कम	103	69960	8405694	5247.00@	2568407	69960.00	4525013	7093420	1312274	1113465
देवास	इन्दौर से नेमावर 1005	20 वें एवं अंतिम चल देयक (11/2005) 9.7% कम	48	59486.892	71477350	4462@	2184149	59486.892	3847612	6031761	115589	1007377
		योग		**196121.022**	**22843041**	**14259.56**	**6980055**	**190121.022**	**12297028**	**19277083**	**3565958**	**3075021**

परिशिष्ट 4.2

(संदर्भ - कण्डिका 4.3.2 पृष्ठ 167)

वृक्षारोपण न करने के कारण की जाने वाली वसूली की राशि को दर्शाने वाला विवरण पत्रक

(ब्याज दर 13% वार्षिक, कुल लम्बाई 58 कि.मी., 25 वृक्ष प्रतिवर्ष प्रति कि.मी. की आवश्यकता पर आधारित)

(रूपये में)

विवरण	वसूली योग्य राशि रुपयों में							
	वर्ष-1 07/2000 से 6/2001	**वर्ष-2 07/ 2001 से 06/2002**	**वर्ष-3 07/ 2002 से 06/2003**	**वर्ष-4 07/ 2003 से 06/2004**	**वर्ष-5 07/ 2004 से 06/2005**	**वर्ष-6 07/ 2005 से 06/2006**	**वर्ष-7 (7 माह) 07/ 2006 से 01/2007**	**योग**
वाँछित वृक्षारोपण की लागत इन्दौर नगर निगम के मानक रू. 251 प्रति पौधे की दर से (58 कि.मी. x 25 x@ 2.51)	363950	363950	363950	363950	363950	363950	212304 (363950X7/12)	2396004
वर्ष के लिए संचयी योग	363950	727900	1091850	1455800	1819750	2183700	2396004	2396004
रोपित ब्याज 13% वार्षिक की दर पर (ठेकेदार के ऋण पर ब्याज के अनुसार)	47314	94627	141941	189254	236567	283881	181697	1175281
कुल वसूली योग्य राशि रू.								**3571285**

फरवरी 2007 में कुल संग्रहण = रू. 34,37,745

फरवरी 2007 में प्रतिदिन औसत संग्रहण = रू.1,22,777

चुंगी सग्रहण के लिये वांछित दिनों की कटौती 3571285/122777 = 29 दिवस

परिशिष्ट - 4.3

(संदर्भ कंडिका 4.5.7, पृष्ठ 177)

30 सितम्बर 2007 को चयनित विभागों के संबंध में लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों एवं कंडिकाओं को दर्शाने वाला विवरण पत्र

क्र. सं.	विभाग का नाम	निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	कंडिकाओं की संख्या
1	राजस्व	85	177
2	सामान्य प्रशासन	202	636
3	सामाजिक न्याय	421	962
4	कृषि	396	1052
5	स्कूल-शिक्षा	730	1715
6	पशु पालन	226	631
7	उद्यानिकी	190	557
8	महिला एवं बाल विकास	268	717
9	विधि एवं विधायी कार्य	122	308
10	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	354	1420
11	पंचायत एवं ग्रामीण विकास	89	299
12	वन	837	2126
13	जल संसाधन	945	4293
14	लोक निर्माण	746	4933
15	लोक स्वास्थ्य मांत्रिकी	416	1819
16	नर्मदा घाटी विकास (i) सिचाई (ii) भवन/सड़कें (iii) लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	 298 49 04	 1001 159 06
17	आवास एवं पर्यावरण (राजधानी परियोजना निर्माण इकाइयां)	40	224
18	भोपाल गैस राहत (कार्य इकाइयां)	10	54
19	पंचायत एवं ग्रामीण विभाग (एम.पी.आर.आर.डी.ए)	91	512
	योग	**6519**	**23601**

परिशिष्ट - 4.4

(संदर्भ कंडिका 4.5.7, पृष्ठ 177)

30 सितम्बर 2007 को परिशिष्ट 4.3 की क्रम संख्या 1 से 11 पर विभागों के संबंध में लम्बित निरीक्षण प्रतिवेदनों तथा कंडिकाओं की वर्षवार स्थिति दर्शाने वाला विवरण पत्र

वर्ष	निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	कंडिकाओं की संख्या
2000-01 तक	1160	2256
2001-02	250	578
2002-03	222	507
2003-04	201	478
2004-05	391	909
2005-06	281	885
2006-07	578	2861
योग	**3083**	**8474**

परिशिष्ट - 4.5

(संदर्भ कंडिका 4.5.7, पृष्ठ 178)

वर्ष 2006-07 के लिए कुछ विभागों की अनियमितताओं को दर्शाने वाला विवरण पत्र

(लाख रूपये में)

क्र. सं.	अनियमितता का प्रकार	विभाग का नाम									
		सामाजिक न्याय		लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण		पंचायत एवं ग्रामीण विकास		सामान्य प्रशासन		योग	
		कंडिकाएं	राशि	कंडिकाएं	राशि	कंडिकाएं	राशि	कंडिकाएं	राशि	कंडिकाएं	राशि
1.	गबन/कपट/दुर्नविनियोग/ चोरी तथा हानियां	10	2427.29	37	440.07	7	202.01	10	267.86	64	3337.23
2	अतिरेक/अधिक भुगतान	79	2939	45	304.12	2	362.12	3	144.74	129	3749.98
3	संविदात्मक अनियमितताएं	--	--	05	146.11	1	8.16	--	--	6	154.27
4	निष्फल/अलाभदायक व्यय व्यर्थ	16	69224	48	1465.01	10	767.09	4	45.00	78	71501.10
5	विनियामक विषय	30	1803	157	6707.07	12	843.17	125	3336.86	324	12690.10
6	अन्य	52	12956	302	9777.24	92	5502.03	80	6170.43	526	34405.70
	योग	**187**	**89349.29**	**594**	**18839.62**	**124**	**7684.58**	**222**	**9964.89**	**1127**	**125838.38**